एकादश माला, खंड 5, अंक 21

शुक्रवार, 30 अगस्त, 1996
8 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 30 अगस्त, 1996 के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
192	7	श्री सुधीर गिरी	श्री सुधीर गिरि
219	3	श्री महादीपक सिंह शाक्य	डा० महादीपक सिंह शाक्य
244	नीचे से 7	श्री प्रामोथेस मुखर्जी	श्री प्रमथेस मुखर्जी
249	नीचे से 9	श्री ब्रजमोहन राय	श्री ब्रजमोहन राम
327	8	श्री बी.के. गढ़नी	श्री बी.के. गढ़वी
343	8	चात्रा	यात्रा
395	नीचे से 4	श्री के. परसुराम	श्री के. परसुरामन
412	14	अपराहन 8.01 बजे	अपराह्न 6.01 बजे

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वंदना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 21, शुक्रवार, 30 अगस्त, 1996/8 भाद्र, 1918 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	401 से 403	5.30
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	404 से 420	30-79
अतारांकित प्रश्न संख्या	3477 से 3706	79-320
सभा पटल पर रखे गए पत्र		321-326
राज्य सभा से संदेश		326-327
रक्षा संबंधी स्थायी समिति		327
पहला प्रतिवेदन - प्रस्तुत		
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		327
पाचवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत		
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		327
सत्ताईसवां प्रतिवदेन - सभा पटल पर रखा गया		
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति		327-328
बत्तीसवां, तैंतीसवां और चौतीसवां प्रतिवेदन - सभा पटल पर रखा गया		
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		328
तैंतालीसवां, चवालीसवां और पैंतालीसवां प्रतिवेदन - सभा पटल पर रखा गया		
उद्योग संबंधी स्थायी समिति		328
बीसवां प्रतिवेदन - सभा पटल पर रखा गया		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा का कार्य	328-331
कार्य-मंत्रणा संबंधी समिति	331-332
चौथा प्रतिवेदन - स्वीकृत	
नियम 193 के अधीन चर्चा	
जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी वर्षा और भू-स्खलन के फलस्वरूप हुई मौतों के बारे में	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	332-347
बजट (सामान्य) - 1996-97	347-460
श्री जगमोहन	348-356
श्री इम्चा	356-360
श्री सुधीर गिरि	360-367
श्री राम बहादुर सिंह	368-371
श्री अमर पाल सिंह	371, 412-417
श्री मन महाजन	417-424
श्री के. एस रायुडू	424-429
श्री सुभाष चन्द्र बटेरिया	430-433
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	433-440
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	440-445
श्री आर. एल. पी. वर्मा	445-450
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	450-452
श्री आर. ज्ञानगुरु स्वामी	452-455
श्री नवल किशोर राय	450-460
बेरोजगारी के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प-	373-412
प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर'	373-375
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण	376-380
डा. के. पी. रामलिंगम	380-381
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	381-383
श्री पी. सी. चाक्को	383-389
श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगामी	389
श्री सुधीर गिरि	389-392
श्री नन्द कुमार साय	392-396
श्री के. परसुरामन	396-398
डा. असीम बाला	398-399
श्री कल्पनाथ राय	399-406
श्री नकली सिंह	406-408
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	408-412

लोक सभा

शुक्रवार, 30 अगस्त, 1996/8 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पूर्वाह्न 11.00 बजे

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे श्रीनगर से टेलीफोन से एक सन्देश प्राप्त हुआ है। वहां अनूप डॉन नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसका भाई श्रीनगर पहुंचा। उसका शव एक कालेज में पड़ा हुआ है। यह प्रमाणित करने के लिए कि उसकी मृत्यु हो गई है, अम्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ताकि उसका भाई उसका शव ले जा सके और इसमें विलम्ब होने पर शव क्षत-विक्षत हो जायेगा। इसके बाद वे विमान से शव ले जाने से इंकार कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से कलकत्ता के लिए शीघ्र शव ले जाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, वे शव को कलकत्ता नहीं ले जा पायेंगे। मैं चाहता हूं कि इस विशेष मामले के संबंध में श्रीनगर को तत्काल कोई सूचना भेजी जाये। ऐसे और भी कई मामले हो सकते हैं.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न काल के बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे।

...... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उन्होंने कल मुझे टेलीफोन किया था और अभी फिर मुझसे सम्पर्क किया है........ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न काल के तुरंत बाद इस पर चर्चा करेंगे।

..... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इस मामले में कोई विलम्ब नहीं किया जा सकता है।....... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता है........ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय में केवल एक माननीय सदस्य बोले।

..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इलाहाबाद से फोन और फैक्स बराबर आ रहे हैं कि एक-एक परिवार के पांच-पांच लोग मिसिंग हैं। वे सूचना प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न इलाहाबाद में, न दिल्ली में और न जम्मू में कोई बता पा रहा है कि वे लोग कहां है। मेरे पास पटना से टेलीफोन और फैक्स आ रहे हैं कि वहां जम्मू या श्रीनगर के कंट्रोल रूम से कोई सूचना नहीं मिल रही है। हमारे लोग 16 तारीख से वहां फंसे हुए हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर कितने लोग मरे हैं, कितने हताहत हुए हैं उनकी कोई सूची प्रकाशित की जाए और कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनके बारे में फोन करने पर जानकारी मिल सके। हम फोन करते हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं मिलती है। हम किससे पता करें। इस बारे में सरकार को तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रणाली नहीं हैं। एक-एक परिवार के पांच-पांच लोग गायब हैं। परिवार की केवल महिलाएं ही वहां रह गई हैं। सब पुरुष अमरनाथ की यात्रा करने गए थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। वहां से महिलाएं मुझे बराबर फोन कर रही हैं, फैक्स कर रही हैं, लोग मिसिंग है। कोई व्यवस्था सरकार को इस बारे में तत्काल करनी चाहिए।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी हो , हम प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा करेंगे।

.... **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं महोदय, **(व्यवधान)** सत्ता पक्ष में जो भी है, उन्हें तत्काल सन्देश भेजना होगा। इसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता है। **(व्यवधान)** शव क्षत-विक्षत हो जायेगा.... ..**(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : कोई वरिष्ठ मंत्री संदेश भेज सकता है .... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिये।

...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार तीन दिन से लगातार जवाब दे रही है, लेकिन अभी तक समस्या का संतोषजनक हल नहीं निकल पाया है। आप दिल्ली में बैठे हुए क्या कर रहे हैं?..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री कुछ कह रहे हैं।

...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप उनकी बात सुनेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय कृपया उनकी बात सुनिये।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, न लोग जम्मू में मिल रहे हैं न श्रीनगर में। यह स्थिति है। कोई व्यवस्था जरूर करायें ताकि खोये हुए लोगों की सूचना मिल सके।......... **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र से बहुत से लोग गए हैं। उनकी कोई सूचना नहीं है। मेरे पास बराबर फोन और फैक्स आ रहे हैं कि लोग मिसिंग हैं। हम किस से पता करे। . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? यह अच्छी बात नहीं है।

.... **(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : श्री चटर्जी मुझे उनका नाम दें। मैं अभी एक संदेश भेजूंगा। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि शव तुरंत भेजा जाये वायर लैस संदेश अथवा एस टी डी संदेश भेजन के लिए गृह मंत्रालय को नाम भेजूंगा। आप मुझे केवल नाम दें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक मामला नहीं है।

..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बेहतर है आप माननीय गृह मंत्री से सम्पर्क करें।

......**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : मैं यह बात माननीय गृह मंत्री तक पहुचा रहा हू।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपकी कही गई बात को माननीय गृह मंत्री तक पहुचा रहा हू।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, हमें आश्वासन दिया गया था कि नियन्त्रण कक्ष स्थापित किए जायेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : गृह मंत्री यहां आयेंगे, मैं आपकी कही गई बातों को गृह मंत्री तक पहुचा रहा हू। उसके बाद वह उत्तर देंगे। मैं आपकी बात को गृह मंत्री तक पहुचा रहा हू। मैं प्रश्न काल के लिए इस सभा में हू। मैं इन्हें गृह मंत्री तक पहुंचा सकता हूं। अब वह यहां आयेंगे। आप मुझे बतायें कि मैं और क्या कर सकता हू?

[हिन्दी]

श्री मुरली मनोहर जोशी : फरुखाबाद की 13 बसें गायब हैं। वहा से लगातार टेलीफोन आ रहे हैं।.......... **(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : प्रश्नकाल तो रोज ही चलता है। वहां हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं और भारत सरकार का यह रवैया है कि गृह मंत्री जी अभी आ रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं। वहां जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। लाशों को लाने के लिए तो आप व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन जो जिन्दा हैं, उनके लिए क्या सरकार कोई व्यवस्था कर रही है?......**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे की बात है। एक घंटे बाद जवाब आयेगा।

..........**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं इस बात को गृह मंत्री तक पहुंचा रहा हू, गृह मंत्री यहां आयेंगे। वह उत्तर देंगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाइये। मैं प्रश्न काल के लिए यहां पर हू। मैं इसे गृह मंत्री तक पहुंचा दूंगा। मैं उनकी कही गई बातों को पहुंचाऊंगा, वे अपने स्थानों पर बैठ जायें। हम प्रश्न काल शुरू करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : यह सरकार जानबूझकर लापरवाही कर रही हैं।.......**(व्यवधान)** सरकार सोई हुई है।.......**(व्यवधान)** ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है।.....**(व्यवधान)** वहां गवर्नर के भरोसे छोड़ दिया गया है। केन्द्रीय सरकार अपने मामलों में उलझी हुई है। देश की जनता की कोई चिन्ता नहीं हैं।. ....**(व्यवधान)** हरिद्वार में क्या हुआ?.........**(व्यवधान)** अमरनाथ की यात्रा में क्या हुआ?...........**(व्यवधान)** लगातार एक के बाद एक घटनायें होती जा रही हैं। निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं।.......**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैंने अभी गृह मंत्री तक सन्देश पहुंचा दिया है। वह थोड़ी देर में यहां पर आ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम संसद भवन में हैं। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों से टेलीफोन काल आ रहे हैं। हमें कोई सूचना नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइये। क्या आप मुझे कुछ शब्द कहने देंगे? कृपया मुझे बोलने दीजिये।

[हिन्दी]

थोड़ी देर बाद होम मिनिस्टर आ रहे हैं और 12 बजे के बाद हम इसी इश्यू पर डिसकस कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने सन्देश भेज दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[हिन्दी]

कोयले का श्रेणीकरण

+

***401. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित कोयले का उसकी गुणवत्ता के आधार पर श्रेणीकरण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक श्रेणी के कोयले में राख की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इस्पात, सीमेंट और बिजली उद्योगों द्वारा किस श्रेणी के कोयले की आवश्यकता होती है और उसमें राख की प्रतिशतता कितनी होती है;

(घ) क्या बिजली, इस्पात एवं सीमेंट क्षेत्र के लिए आवश्यक गुणवत्ता के कोयले का उत्पादन कम होता है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका वार्षिक औसत उत्पादन कितना है और इसके उत्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : भारत में उत्पादित कोयले के ग्रेडों के संबंध में ब्यौरे, जो कि गुणवत्ता के आधार पर अधिसूचित किये जाते हैं, नीचे दर्शाए गए हैं :-

क्र.सं.	श्रेणी	ग्रेड	ग्रेड विशिष्टिकरण
1	2	3	4
1.	अकोककर कोयले		(यू.एच.वी. की रेंज (उपयोगी ताप क्षमता)
			(कि.कैल.प्र.ग्रा.) किलो कैलोरीज प्रति किलो ग्राम)
		"ए"	6200 से अधिक
		"बी"	5600-6200
		"सी"	4940-6500
		"डी"	4200-4940
		"ई"	3360-4200
		"एफ"	2400-3360
		"जी"	1300-2400
क्र.सं	श्रेणी	ग्रेड	ग्रेड विशिष्टिकरण
2.	कोककर कोयले		(राख की रेंज प्रतिशतता में)
		इस्पात ग्रेड-I	15 से नीचे
		इस्पात ग्रेड-II	15-18
		वाशरीइस्पात ग्रेड-I	18-21
		वाशरी ग्रेड-II	21-24
		वाशरी ग्रेड-III	24-28
		वाशरी ग्रेड-IV	28-35
3.	अर्ध-कोककर और निम्न कोककर कोयला		(राख आर्दता की रेज प्रतिशतता में)
		अर्द्ध-कोककर ग्रेड-II	19 से नीचे
		अर्द्ध-कोककर ग्रेड-II	19-24

1	2	3	4
4.	असम, अरूणाचल, मेघालय और नागालैंड राज्यों में उत्पादित कोयले		अश्रेडित (राख की मात्रा 25 प्रतिशत से अधिक नहीं)

(ग) इस्पात, सीमेंट और विद्युत उद्योगों द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोयले के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	उद्योग	कोयले की श्रेणी	गुणवत्ता संबंधी पैरामीटर
1.	इस्पात		राख (प्रतिशत)
	(क) एकीकृत इस्पात संयंत्र	कोककर कोयला	16.5 प्रतिशत - 17.5 प्रतिशत
			उपयोगी ताप क्षमता कि. कैलोरी/कि. ग्राम
	(ख) स्पांज आयरन	अकोककर "सी" ग्रेड	4940-5600
2.	सीमेंट	अकोककर "सी"/"डी" ग्रेड	4200-5600
3.	विद्युत	अकोककर मुख्यत: "ई"/"एफ" ग्रेड	2400-4200

(घ) धातुकर्मी प्रयोग किए जाने हेतु अपेक्षित गुणवत्ता वाले कोककर कोयले का घरेलू उत्पादन, घरेलू मांग को पूरा किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है। कुछ उच्च ग्रेड के कोककर, कोयले का आयात किया जाना भी अपेक्षित है, जो कि मुख्यत: इस्पात संयंत्रों द्वारा गुणवत्ता की दृष्टि से मिश्रण किए जाने के प्रयोजन से अपेक्षित है। सीमेंट और विद्युत के लिए अपेक्षित गुणवत्ता वाले अकोककर कोयले का घरेलू उत्पादन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किन्तु, परिवहन संबंधी समस्याओं के होने से तथा मांग में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण मांग तथा आपूर्ति में कुछ असमानता हो जाती है।

(ङ) वर्ष 1995-96 के लिए इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत उद्योगों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न ग्रेड के कोयलों के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:-

कोल इंडिया लिमिटेड तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

ग्रेड	उत्पादन (मि. टन में)
कोककर कोयला	34.63
"सी"	53.65
"डी"	37.10
"ई"	39.37
"एफ"	74.31

कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले के देशीय उत्पादन में, जहां तक संभव है, वृद्धि किए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(i) नई खानों का खोला जाना और आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जाना और समय पर आगतों तथा संरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता का सुनिश्चय किया जाना।

(ii) कोल इंडिया लिमिटेड के पूंजीगत आधार पर पुर्नगठन कर दिया गया है, ताकि पूंजीगत बाजार से यह अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सके, जो कि नई कोयला उत्पादन क्षमता को जोड़े जाने के लिए अपेक्षित है।

(iii) नियमित आधार पर रेलवे के साथ समन्वय रखा जाता है, ताकि ऐसे कोयला क्षेत्रों में जहां कि उत्पादन में वृद्धि किए जाने की संभावना है, उनमें परिवहन संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके।

(iv) लौह तथा इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन में कार्यरत निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपने प्रयोग में लाए जाने हेतु कोयले का खनन किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो जाने की संभावना है।

(v) विद्यमान वाशरियों में संशोधन किया जाना तथा नई वाशरियों का निर्माण किए जाने का कार्य शुरू किया जा रहा है ताकि धुले कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है उसमें उन्होंने डिटेल से कुछ नहीं बताया है। जो इंपोर्टेड कोल आता है, वह महंगा पड़ता है। इंडियन कोल 1200-1400 क्विंटल टन है जबकि इंपोर्टेड कोल 2800-2900 क्विंटल टन पड़ता है। इससे फॉरन एक्सचेंज का नुकसान होता है। दूसरा, इंपोर्टेड कोल में ऐश कन्टेंट की कमी तो है मगर साथ ही इन्वायरमेंट प्राबलम्स भी हैं। जो

केमिकल इम्प्यूरिटीज हैं जैसे सल्फर, क्लोरीन गैस आदि, उससे यहां का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इंडियन कोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई यत्न कर रही है या नहीं?

दूसरा, इंडियन कोल की वाशरी यूटीलिटी 66 परसेंट हैं। इस वाशरी यूटीलिटी को इनक्रीज किया जाये तो इंपोर्टेड कोल की जरूरत नहीं पड़ेगी तथा इंडियन इक्नोमिक को भी लाभ होगा। क्या सरकार कोल वाशरी को इम्प्रूव करने के लिए तैयार है? एक दुखदायी बात यह है कि पिछले दो दशकों से जो माइन्स का आउटपुट है, वह पर मैन .55 टन है। क्या सरकार इसे इम्प्रूव करने के लिए कोई उपाय कर रही है?

श्रीमती कांति सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य ने कोयला का उत्पादन बढ़ाने के बारे में पूछा है। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकरण से लेकर अभी तक 200 करोड़ लागत की 454 परियोजनायें स्वीकृत हुई हैं जिससे लगभग 20 हजार रूपये खर्च होने का अनुमान था एवं उनसे 340 मिलियन टन का उत्पादन होना था। इन परियोजनाओं से अभी तक 220 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। 283 परियोजनाएं हो गई है एवं नौवीं योजना के अंत तक लगभग दस हजार करोड़ रूपये की पूंजी निवेश से 120 मिलियन टन और उत्पादन होने की आशा है। वर्तमान 20 करोड़ रूपये या अधिक लागत की 68 परियोजनाओं का कार्यान्वियन हो रहा है। वर्तमान में जो नई परियोजनाएं स्वीकृत होने की स्थिति में हैं, उनसे सन् 2001 से 2002 में 18.4 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है। वर्ष 1996-97 में नई एवं वर्तमान परियोजनाओं के विस्तार पर कुल लगभग 1240 करोड़ रूपये जिसमें सी. आई. एल. 947.95 तथा एस. सी. सी. एल. 290.52 खर्च होने का प्रावधान किया गया है। जहां तक कोयले के उत्पादन की वृद्धि की बात है, उसमें ओपन कास्ट खानों के मैकनाईजेशन से अगले पांच वर्षों में लगभग 60 मिलियन टन कोयले का अतिरिक्त उत्पादन होने का अनुमान है। अंडरग्राउंड माइन्स से लौंग वॉल टैक्नोलोजी एवं दूसरी तकनीकी से अगले पांच वर्षों में लगभग 20 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन..... **(व्यवधान)** उन्होंने पूछा है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं।...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्वालिटी के बारे में भी पूछा है।

श्रीमती कांति सिंह : धीरे-धीरे ही तो बताएंगे।.... **(व्यवधान)** राख की मात्रा बहुत अधिक है किन्तु उसमें सल्फर के तत्व कम हैं। कोयले में राख अथवा अपशिष्ट सामग्री मिली हुई है। अत: उसे यूरोप तथा अन्य देशों के कोयले की तरह उसमें से हटाया जाना कठिन हो गया है। 14 प्रतिशत नॉन कोकिंग कोल के भंडारों में 24. प्रतिशत अथवा इससे कम मात्रा राख विद्यमान है जबकि शेष में ऐश की मात्रा 24 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक की रेंज में है। कैपटिव माइन्स के बारे में कोयला खान अधिनियम 1973 में 9.6.1993 को अधिसूचित संशोधन के अनुसार कुछ निश्चित विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए कोयला खनन में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्रों को अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। कैपटिव माइनिंग के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने 47 माइनिंग ब्लॉक ऑफर किए है।......... **(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैंने तो क्वालिटी इम्प्रूव करने के बारे में प्रश्न पूछा था लेकिन मंत्री महोदया ने तो 1947 से डिस्ट्री बता दी।........ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे जवाब दे रही हैं।........ **(व्यवधान)**

श्रीमती कांति सिंह : कोयला उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए उत्पादकता में वृद्धि लाने का लक्ष्य है। अंडरग्राउंड माइन्स में श्रमिक उत्पादकता 0.55 टन प्रति मैन शिफ्ट गत दस वर्षों से बनी हुई है लेकिन........ **(व्यवधान)** मैं बता तो रही हूं। यह क्वालिटी के बारे में ही तो है।........ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरा सप्लीमेंट्री पूछिए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : हां, मैं इसे छोड़ देता हूं, दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं।..... **(व्यवधान)**

श्रीमती कांति सिंह : छोड़ क्यों देते हैं।..... **(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन कोल में ऐश की मात्रा अधिक होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ती है। जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा में थर्मल प्लांटस हैं। वहां इनक्लूडिंग ऐश ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसका फ्रेट भी बीच में डाला जाता है। रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध उचित नहीं है। पिछले वर्ष पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पावर क्राइसेस हुआ। वहां रेलवे उपलब्ध न होने से थर्मल प्लांट बंद होने जा रहे थे। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई उचित प्रबंध करने को तैयार है जिससे ऐसी दिक्कत न आए? दूसरी बात यह है कि इंडिया का 30 मिलिटन टन कोयला अनडिलिवर्ड पड़ा है। माइन्स के ढेर लगे पड़े हैं। क्या सरकार उसके लिए कोई उपाय करने के लिए तैयार है जिसमें लोगों के लिए पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट और दूसरे प्लांटों में काम आ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन से है, रेलवे से अगर ले जाना है तो उससे तो उनका सम्बन्ध नहीं है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : उचित प्रबन्ध तो होना चाहिए न। कोल सप्लाई के लिए कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं है। दूसरे वाशरीज में जो कोल माइन्स हैं, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 200 माइन्स से ज्यादा इंडिया में बन्द पड़ी हैं और स्टेट गवर्नमेंट उनको लेना चाहती हैं, जैसे बिहार की गवर्नमेंट लेना चाहती हैं तो गवर्नमेंट आफ इंडिया क्या वह माइन्स देने के लिए तैयार है? और माइन्स खोली जायें तो कोयले की लोगों की जो जरूरत है, उस मिकदार को पूरा किया जा सकेगा। दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का क्या उपाय है?

श्रीमती कांति सिंह : जहां तक ट्रांसपोर्टेशन का सवाल है, उसमें हमारा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम कोयला बेचते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आप रेलवे से लें या फिर आप रोड के द्वारा लें, यह तो आपके ऊपर है।

जहां तक कोल माइन्स का सवाल है, जो बन्द पड़ी हुई हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहती है, उसके लिए हम लोगों की

कुछ नीति और सिद्धान्त हैं। उसके बाद जो भी स्टेट उन खदानों को लेना चाहती है, उसके आधार पर हमें आवेदन दें, तब उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रीता वर्मा।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : मेरा नम्बर आपने काट दिया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कोयले का जो प्रश्न चल रहा है, हमारे साथी ने जो पूछा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुणवत्ता के सम्बन्ध में यह सवाल पूछा गया था और यह पूछा गया था कि कितने प्रकार का कोयला होता है, आपने बता दिया कि चार प्रकार का कोयला होता है और राख का प्रतिशत 16, 19 और 25 फीसदी तक होता है, यह आपने स्वीकार किया......**(व्यवधान)**

श्रीमती कांति सिंह : 25 से 45 प्रतिशत।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : आपने अपने उत्तर में लिखा है। जी हां, 25 फीसदी ही।

कोयले का महत्व जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है और गुणवत्ता पर आधारित है। चाहे वह स्टील हो, चाहे वह रेल्वे हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे बिजली हो अथवा कोई भी उद्योग-धंधा हो, इसके बगैर नहीं चलता है। हमारा जीवन ही अपंग हो जाता है, अगर गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इसके शुद्धिकरण के लिए आपने क्या किया है? गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप कहती हैं कि हमें बाहर से आवश्यकता होगी तो कोयला आयात करेंगे। आप आयात करना चाहते हैं लेकिन गुणवत्ता में और गुण पैदा करने के लिए आपने कोई वृद्धि नहीं की है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर आप इस पर चिन्तित होती तो शायद यह गुणवत्ता का प्रश्न आपके सामने नहीं आता, क्योंकि हमारे देश में इतना कोयला है कि अगर ठीक ढंग से उसमें गुणों का उत्पादन किया जाए तो हमारा सम्पूर्ण काम पूरा हो जाये......**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, उन्होंने क्या प्रश्न पूछा है?.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन पूछिये।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : जी, मैं वहीं पर आ रहा हूं। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आप इसके सम्बन्ध में तीन-चार प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं तमाम उसके विषय में जाऊंगा तो विषय बहुत लम्बा हो जाएगा। आपने गुणवत्ता के लिए वाशरियों का उल्लेख किया है और उसके शोधन की क्रिया पर प्रकाश डाला है, कहा आपने टैक्नीकल और भी मशीनें लगाने की बात कही है, खानों के शुद्धिकरण की बात कही है, और भी अनेक बातें कही गई हैं अभी तक आपकी जो वाशरियां चल रही हैं, वे ठीक से काम नहीं कर रही हैं, उनमें मशीन टूटी-फूटी है, उनका आपने आधुनिकीकरण नहीं किया है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने भारत में यह सर्वे कराया है कि कोयले की पर्याप्त गुणवत्ता पैदा करने के लिए देश में कितनी वाशरियों की आवश्यकता है और उन वाशरियों की कितनी आवश्यकता है और कितने समय में आप उसे पूरा कर देंगे, कृपया बताइए?

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट, मंत्री महोदया के जवाब से पहले मैं कहना चाहता हूं कि इतना लम्बा क्वश्चन करते हैं कि तीन और चार क्वश्चन से आगे हम जा नहीं सकते। आप सीधे सप्लीमेंटरी पूछ लीजिए, इससे औरों को भी चांस मिलेगा, और क्वश्चन आ सकेंगे। अब आप जवाब दीजिए।

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोयला खानों के आधुनिकीकरण और कोयले में होने वाली वृद्धि के बारे में कहा है। हम खानों में आधुनिकीकरण मेकेनाइजेशन से कर रहे हैं। अंडरग्राउंड माइंस में लांग वाल टेक्नोलॉजी और दूसरी तकनीक भी हम लेने जा रहे हैं।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : उत्पादकता के बारे में नहीं पूछा, गुणवत्ता और मशीनरी के बारे में पूछा था।..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहे, पहले इनकी बात सुन लें।

श्रीमती कांति सिंह : उत्पादकता के बारे में भी पूछा था। देश में कोकिंग कोल की कुल 20 वाशरीज है। इनमें से 15 कोल इंडिया लिमिटेड के पास हैं, दो स्टील अथोरिटी आफ इंडिया के पास हैं एवम् तीन टिस्को के पास हैं। इनकी कुल क्षमता 32.16 मिलियन टन प्रति-वर्ष की है। वर्तमान में कोकिंग कोल की दो वाशरीज निर्माणाधीन हैं। मधुबंद में इनकी वार्षिक क्षमता 5.1 मिलियन टन होगी। इनको क्रमशः जनवरी 1997 और अक्तूबर 1996 में चालू करने का लक्ष्य है। कोल इंडिया लिमिटेड और वाशरीज स्थापित करने का विचार कर रही है। जैसे असम में टिकोक और बिहार में परेज एवं धेरी में इनको स्थापित किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : धुले हुए कोकिंग कोयले में सात मिलियन टन का अन्तर है। हमारी मांग लगभग 19 मिलियन टन है, लेकिन हमारी उत्पादन कुल क्षमता 11 से 12 मिलियन टन है।

[हिन्दी]

अलटेकर की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने वाशरीज के आधुनिकीकरण और मेडिफिकेशन तथा क्वालिटी आफ कोल और कोल के उत्पादन के बारे में सिफारिश की थी कि जो वाशरीज पहले स्टील अथोरिटी आफ इंडिया के पास थी, बाद में उनको भारत कोकिंग कोल के साथ जोड़ा गया, इसका फिर से सेल के साथ विलय होना चाहिए। जिससे इन वाशरीज में अच्छा कोल उत्पादित हो सके और लो ऐश कंटेंट के कोल का भी उत्पादन हो सकें। क्या सरकार अलटेकर कमेटी की इस सिफारिश को, कि इन तीन वाशरीज को बी. सी. सी. एल. से फिर सेल में विलय किया जाए, लागू करेगी?

श्रीमती कांति सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा है, हम उसको देखकर उस पर विचार करेंगे।

प्रो. रीता वर्मा : ग्रेडेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। क्या इनको पता है कि ये जब कोल कम्पनीज को आन द स्पाट ग्रेडेशन करने का अधिकार दे देते हैं, तो यह व्यवस्था कितने भ्रष्टाचार को जन्म देती है? क्या मंत्री महोदया ने आर. एन. मिश्र कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि बी. सी. सी. एल. के ब्लाक 2 में कोकिंग कोल ग्रेड को भ्रष्टाचार के कारण नॉन-कोकिंग कोल करके बेच दिया, इस तरह देश को कितना नुकसान हुआ? क्या यह जानती हैं कि ग्रेडेशन हटाकर वाशरी 2 का कोयला वाशरी 4 करके कोकिंग कोल को नान-कोकिंग कोल बनाकर पचास-पचास रूपये प्रति टन के प्रीमियम पर बेच दिया जाता है? जब ये कहती हैं कि कोयला बढ़िया नहीं है इसलिए आयात करना पड़ेगा, तो यह सरासर असत्य है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जब तक काबू नहीं पाएंगी, तब तक कोकिंग कोल की हमेशा कमी रहेगी, इसके लिए आप क्या कर रही हैं?

श्रीमती कांति सिंह : इन्होंने जो इल्जाम लगाया है।

प्रो. रीता वर्मा : इल्जाम नहीं लगाया है, यह आर. एन. मिश्र की रिपोर्ट में है, वह पढ़ें।

श्रीमती कांति सिंह : मैंने उसको पढ़ा है। उसके मुताबिक जो भी व्यक्ति इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, हम उन्हें दंड देने का काम कर रहे हैं।

प्रो. रीता वर्मा : जो कर चुके हैं, उनको दंडित करने की सोची है?

श्रीमती कांति सिंह : उनको भी दंड दिया जाएगा।

श्री दत्ता मेघे : ग्रेडेशन की जो बात कही है, वह सही है। हमारे क्षेत्र में कई कोल माइंस है। उनसे अच्छे ग्रेड का कोल है। कहा गया है कि हम दो-तीन साल में शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया है। जहां पर भी अच्छा कोयला है, वहां पर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जहां पर ज्यादा ऐश-कन्टैंट नहीं है, वहां पर भी आप क्यों शुरू नहीं करना चाहते है। यह सही है कि जहां पर ज्यादा ऐश-कन्टैंट नहीं होता है, उसके बारे में भी बताया जाता है। जहां तक कमेटी की रिपोर्ट की बात है, इस रिपोर्ट के तहत कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है? मैं यह भी कहना चाहता हूं, जहां पर नं. 1 ग्रेड का कोयला होता है उसको नं. 4 ग्रेड का कह कर बेच दिया जाता है। यह काम खुले आम हो रहा है। इस बारे में कमेटी की रिपोर्ट है। आप इस स्थिति को देखने के लिए नागपुर आने वाली थी, लेकिन नहीं आ पाई और वहां पर यह काम हो रहा है। मेरे क्षेत्र में बहुत सी कोल-माइंस है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जो कोयले की ग्रेडिंग में गड़बड़ी हो रही है, इसके रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है और जो अच्छे कोयले को स्क्रेप किया जाता है, उसके लिए भी आप क्या करने जा रही है?

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डब्ल्यू. सी. एल. के बारे में कहा है और इस बारे में माननीय पुरोहित जी ने भी सवाल उठाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : वे तो अब भी कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री दत्ता मेघे : भ्रष्टाचार के बारे में पुरोहित जी भी बोल रहे हैं और सभी लोग भी बोल रहे हैं। वहां कोई इन्क्वायरी नहीं होती है.... **(व्यवधान)**

श्रीमती कांति सिंह : इस बारे में मैंने अपने मंत्रालय में निर्देश दिया है कि मंत्रालय से किसी पदाधिकारी को वहां पर जांच के लिए भेजा जाए।

श्री दत्ता मेघे : आप वहां पर खुद आइए।

श्रीमती कांति सिंह : मैं भी आऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगी।.... **(व्यवधान)** लेकिन मैंने अपने मंत्रालय में निर्देश दिया है कि इस बारे में जांच करके रिपोर्ट दें और जो भी व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, उनको मैं सजा दूंगी।

श्री दत्ता मेघे : नई खदान के बारे में?

श्रीमती कांति सिंह : जो नई खदान की बात है, उसको जितनी जल्दी हो सकेगा, शुरु कर लेते हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : महोदय, कोल माइंस में आठ सब्सिडिरीज हैं। ऐसा लगता है कि कोल इंडिया व्हाइट एलिफेंट है। जहां पर अधिकारी मौज-मजा करते हैं। डब्ल्यू. सी. एल., सी. सी. एल. में हजारों करोड़ों रुपयों का मुनाफा होता है। मान लीजिए, छः कंपनियों में मुनाफा हुआ और दो में घाटा हुआ, तो मुनाफे का पूरा का पूरा पैसा घाटे की कंपनियों में एब्जार्ब हो जाता है। जहां मुनाफा हो रहा है, वहां के मजदूरों और वहां के लोगों का कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इसको आप इन्डिपेंडेंट करें, सैंट्रलाइज करें, क्योंकि ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं, कोल इंडिया को खत्म करके क्या सब को ओटोनोमी देने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है?

श्रीमती कांति सिंह : यह तो पालिसी मैटर है। इसके बारे में जांच करके जो भी संभव हो सकता है, वह जरूर करेंगे।........ **(व्यवधान)**

प्रो. अजित कुमार मेहता : महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बताया है कि बन्द कोयला खदानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों से जो आवेदन आए हैं, उनकी जांच होगी और यदि संभव हुआ तो राज्य सरकारों को वे खदानें खनन कार्य करने के लिए हस्तान्तरित की जायेंगी। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, बिहार में ऐसी कितनी खदानें बन्द हैं और बिहार राज्य से कितनी खदानों का हस्तान्तरित करने के लिए आवेदन आया है, जिससे कि यहां पर खनन कार्य आरंभ किया जाए और वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके तथा कोयले की आपूर्ति हो सके? साथ ही यह कार्य कब तक हो जाएगा?

श्रीमती कांति सिंह : महोदय, बिहार के माइंस मंत्री द्वारा 14 खदानों के मांग आई थी। इसके बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के पदाधिकारियों की एक संयुक्त समिति बनी थी। जिसने जांच के बाद 14 खदानों की मांग आई थी। जिसमें कि 7 खदानें हमारी नीतियों और सिद्धांतों पर आधारित हैं जिसे हम बिहार सरकार

को सौंप रहे हैं।

प्रो. रीता वर्मा : बिल्कुल इसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। प्राइवेट माइनिंग नहीं होनी चाहिए।

श्रीमती कांति सिंह : प्राइवेट माइनिंग नहीं होगी।.......... **(व्यवधान)**

प्रो. रीता वर्मा : यही रिपोर्ट दी थी और देखिए सदन के पटल पर रिपोर्ट है कि बिलकुल इसके खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। भ्रष्टाचार..... **(व्यवधान)** यह चोरी का कोयला छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु विश्व बैंक ऋण

***402. डा. मुरली मनोहर जोशी** : क्या **वित्त मंत्री** 19 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना हेतु प्रदान किए जा रहे ऋण की शर्तें क्या हैं और यह ऋण किस निकाय को दिया जा रहा है;

(ख) उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए परियोजना निगरानी एकक के संस्था की नियमावली की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अभी तक नियुक्त किए गए पदाधिकारियों की संख्या, नाम तथा उनके दिए गए दर्जे का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक विश्व बैंक की सामान्य ऋणदाता शाखा है। इस परियोजना पर भी लागू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :

(i) वापसी अदायगी पहली मार्च 2002 से प्रारंभ होकर पहली सितम्बर 2016 को समाप्त होगी।

(ii) ब्याज की दर परिवर्ती है और वर्तमान में यह लगभग 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

(iii) असंवितरित शेष पर वचनबद्धता प्रभार 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। भारत सरकार इस ऋण को प्राप्त करने वाली है जो उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(ख) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित परियोजना मानीटरिंग यूनिट के संस्था ज्ञापन के अंतर्गत; कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कार्यकारी समिति सहित एक पंजीकृत सोसाइटी स्थापित की गई है। परियोजना मानीटरिंग यूनिट के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(i) सभी परियोजना गांवों के लिए दीर्घकाल तक स्वच्छ पेयजल और पर्यावरणीय सुविधाएं प्रदान करना।

(ii) जलगुणता मानीटरिंग और रिसाव की खोज को सुदृढ़ करना।

(iii) ग्रामीण समाज में स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।

(iv) अपने गावों में जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता योजनाओं से संबंधित सभी निर्णयों में समुदाय का योगदान सुनिश्चित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों पर कार्य करने के लिए परियोजना मानीटरिंग यूनिट को इस परियोजना के कार्यान्यन के लिए आवश्यक सभी कार्यों के कार्यान्वयन जिसमें, परियोजना निरीक्षण, समन्वयन, मानीटरिंग, संविदा प्रदान करना आदि भी शामिल हैं, का कार्य दिया गया है।

(ग) कार्यकारी समिति के सदस्यों के नाम और पदनाम निम्नलिखित हैं :-

1.	कृषि उत्पादन आयुक्त (श्री भोला नाथ तिवारी)	अध्यक्ष
2.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (कु. इन्द्राणी सेन)	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश (श्री डी. सी. लाख्वा)	सदस्य
4.	सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश सरकार या उनका प्रतिनिधि, विशेष सचिव के पद से कम नहीं (डा. यशपाल सिंह)	सदस्य
5.	प्रधान सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश सरकार या उनका प्रतिनिधि, विशेष सचिव के पद से कम नहीं (श्री नृपेन्द्र मिश्रा)	सदस्य
6.	सचिव (योजना),उत्तर प्रदेश सरकार या उनका प्रतिनिध, विशेष सचिव के पद से कम नहीं (श्री चन्द्र पाल)	सदस्य
7.	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, (श्री बी0 एन0 चन्ना (अध्यक्ष)	सदस्य
8.	राज्य स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश (डा0 इम्तियाज अहमद)	सदस्य

9. प्रधान सचिव उत्तराखंड विकास विभाग, उ0 प्र0 सदस्य
सरकार या उनका प्रतिनिधि विशेष सचिव के
पर से कम नहीं
(श्री एस0 एस0 पंगते)

10. परियोजना मानीटरिंग यूनिट के निदेशक सदस्य और
(श्री परमेश्वरम् अय्यर) कार्यकारी सचिव

इसके अतिरिक्त, परियोजना मानीटरिंग यूनिट में आम सभा जिसमें, कार्यकारी समिति के सदस्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं :-

1. विशेष सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश सरकार या उनका प्रतिनिधि विशेष सचिव के स्तर से कम नहीं
(श्रीमती सुमिता कांडपाल) सदस्य

2. सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि
विशेष सचिव के स्तर से कम नहीं सदस्य
(श्री आर0 बी0 भास्कर)

3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश सदस्य
(श्री आर0 के0 कुंवर)

4. महा निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण सदस्य
(डा0 राज कुमारी)

5. निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क सदस्य
उत्तर प्रदेश
(श्री रोहित नन्दन)

6. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन सदस्य
का प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय,
भारत सरकार
(श्री डी0 के0 भल्ला)

7. परियोजना जिला के दो सी डी ओ जिन्हें अध्यक्ष द्वारा
और

8. नामित किया जाना हैं सदस्य
(श्री दीपक कुमार और श्री डी0एन0 लाल)

9. इस परियोजना के लिए कार्य कर रही सदस्य
तीन सहयोगी संस्थाओं

10. में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि और
(श्री अवधेश कौशल, श्री कल्याण पाल
और

11. श्री एस0एस0 साहनी)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, एक प्रश्न पर आधा घंटा हो गया है।

....(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : डिबेट बंद कराइये।

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये।

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में पेयजल, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक की तरफ से ऋण लिया गया है, इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में जो प्रश्न उठते हैं, उन्हें मैं वित्त मंत्री जी की निगाह में लाना चाहता हूं। पहला तो यह है कि इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आपने एक विशेष बात यह रखी है कि,

[अनुवाद]

उनके गांवों में जल आपूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित सभी मामलों में सामुदायिक भागदारिता को सुनिश्चित करना है।

[हिन्दी]

क्या इसके लिए कोई मार्गनिदेशक सिद्धांत बनाए गए हैं, गाइडलाइन्स दी गई हैं कि किस तरह से ग्रामवासियों को या कम्यूनिटी को इस काम में लगाया जाएगा क्योंकि अगर इसको आपने बहुत ही कैजुअल तरीके से लिया तो गांवों की जो स्थिति है, इसमें इतने महत्वपूर्ण कामों के बारे में निर्णय लेने के लिए जब तक बहुत स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होंगे तब तक यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होते हुए भी अपना उपयोग नहीं कर पाएगा। आपने इसमें यह भी किया है कि कुछ स्वायत संस्थाएं और जो नॉन गवर्नमेंट ऑरगेनाइजेशन्स होंगी, उन्हें भी इसके साथ जोड़ा जाएगा और जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगी, उनको ही ठेके दिए जाएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑरगेनाइजेशन्स उत्तर प्रदेश में हैं जो एनवायरमेंटल, सैनीटेशन, सरटेनैबल पोटेबल वॉटर देने के लिए पहले से उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। क्या सरकार की निगाह में ऐसी संस्थाएं हैं या कोई नई संस्थाएं बनेगी जिनको आप कंसीडर करेंगे क्योंकि अगर नॉन गवर्नमेंट ऑरगेनाइजेशन्स और स्वायत संस्थाओं को इसमें शामिल करना है तो उनको पहले से इस मामले में क्या अनुभव है, यह जानकारी होनी चाहिए नहीं तो कोई भी संस्था ऐसी संस्था बन जाएगी जो फर्जी होगी और इस नाम पर पैसा लेगी और उससे कोई काम बनने वाला नहीं है। हमने देखा है कि अभी भी ऐसे मामलों में जो ठेके दिए जाते हैं, उनमें कोई काम नहीं होता और उसका बहुत दुरुपयोग होता है। इसलिए इस ऋण को अगर ठीक ढंग से काम में लाना है तो मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कम्यूनिटी को, सारे गांव के लोगों को शामिल करेंगे? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन संस्थाओं को ठेके देंगे, वे क्या उत्तर प्रदेश में पहले से हैं और अगर नहीं हैं तो कैसे बनेंगी, क्या उनके बारे में गाइडलाइन्स होगी जिससे कि इस ऋण का ठीक ढंग से उपयोग हो सके। यह जानकारी आप मुझे दे दें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रख कर यह परियोजना तैयार की गई है। अतः, इस परियोजना में कुछ नयी बातें शामिल की गई हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि डा. जोशी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम नये आधार बनाने का प्रयास कर रहें हैं। यह मांग उस क्षेत्र से की गई हैं जहां पर ग्रामीण स्वंय परियोजना के कार्यान्वयन में भाग लेगें। वे पूंजीगत लागत की बहुत थोड़ी सी राशि ही निवेश करेंगे और इस परियोजना का संचालन और प्रबन्धता ग्रामीणों के हाथों में ही होगा। मेरे विचार से हमें इस पर ईमानदारी से विचार करना चाहिए। इस परियोजना की एक विशेषता है कि हम ऐसे सहायक संगठनों की सूची तैयार करेंगे जो कि गैर-सरकारी संगठन हैं।

इस परियोजना में उन्हें सहायक संगठन कहा गया है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हम उनका चयन कैसे करेंगे और क्या उत्तर प्रदेश में यह पर्याप्त संख्या में हैं। मुझे बताया गया है कि पहले बैच के लिए 20 गैर-सरकारी संगठनों का चयन कर लिया गया हैं जो 89 गांवों में इस परियोजना को कार्यान्वित करेंगे और इनके लिए मानदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। मैं उन मानदंडों को पढ़ कर सुनाऊंगा।

डा0 मुरली मनोहर जोशी और उन 20 गैर-सरकारी संगठनों की सूची भी।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको उनकी सूची दूंगा। मानदण्ड ये है कि पहले तो वे पंजीकृत संगठन हो। दूसरे, ग्रामीण जल आपूर्ति और सेवा और उससे सम्बद्ध कार्यकलापो मे लगे हुए हों। उनके पास ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक विकास कार्यो में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा हुई हो और वे चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित होने चाहिए और स्टाफ में ऐसे व्यक्ति होने चाहिएं जिनमें प्रस्तावित सेवाओं को पूरा करने की क्षमता हो और वे ऐसे व्यक्ति हासिल कर सकने की क्षमता रखते हों।

मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत से संगठन इन मानदण्डों को पूरा नहीं कर पाएंगे और हमें बहुत से संगठनों को प्रशिक्षण देना होगा और उन्हें इस स्तर तक लाना होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। इस परियोजना का अध्ययन करने के बाद मेरे विचार से यह सरकार द्वारा निर्देशित सामान्य परियोजनाओं, जहां पर स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता हैं, स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाती है और नौकरशाही का बोलबाला होना है, से कहीं अच्छा दृष्टिकोण है। दो उत्तरोत्तर सरकारों ने इसको स्वीकृति दे दी है। इस सरकार ने इसे मंजूरी दे दी हैं और उसके बाद श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इसे मंजूरी दे दी हैं और कुमारी मायावती की सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्यपाल ने इसकी छानबीन की है। मेरे विचार से हमें इस पर निष्पक्षता से विचार करना चाहिए। इस परियोजना को हाल ही में आई. बी. आर. डी. ने भी मंजूरी दे दी है। बिना किसी विवाद के वित्तीय आवंटन अपेक्षित हैं। वित्त पोषण शुरू हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस पर निष्पक्षतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। डा. मुरली मनोहर जोशी जो कि उस क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित सांसद हैं और अन्य सांसद और विधायक देखेंगे कि यह दृष्टिकोण पूर्व दृष्टिकोण से बेहतर साबित होगा।

मैं 20 गैर-सरकारी संगठनों की सूची दे दूंगा।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : एक अन्य पहलू भी है।

[हिन्दी]

आपने इसमें तीन सपोर्ट संस्थाओं के प्रतिनिधि पहले से ही रख लिए हैं।

[अनुवाद]

परियोजना के लिए कार्य कर रहे तीनों सहायक संगठनों ने एक-एक प्रतिनिधि (श्री अवधेश कौशल, श्री कल्याण पाल और श्री एस. एस. साहनी) मनोनीत कर दिया है।

[हिन्दी]

आपके इस जवाब से यह पता लगता है कि यह प्रोजेक्ट अभी जून, 96 में क्लियर हुआ है। इसके मायने यह हुए कि जून, 1996 में आईबीआरडी ने ऋण देने के सवाल का क्लियर किया है। इसमें मेरा कहना यह है कि क्या इतनी जल्दी इन तमाम संस्थाओं को छांट लिया गया? इनमें से ये नाम नोमीनेट कर लिए गए और पहले से ही आपने इनको छांट लिया, यह सवाल उठता है। दूसरा अस्पैक्ट इसका यह है कि जो वहां उन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं, संसद सदस्य हैं, वहां जो पंचायत के लोग हैं, जिला पंचायत के लोग हैं, जो विधायक हैं और जो चुने जाएंगे उनका हमसे कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा? अगर इसमें कम्यूनिटी को इनवाल्व करना है और उसके अंदर इन लोगों को शामिल करना है तो केवल गांव के लोगों से ही बात करके काम नहीं चलेगा, इसमें सारे जनप्रतिनिधियों का इनवाल्वमेंट होना चाहिए क्योंकि उसके बिना यह स्कीम ठीक से आगे नहीं चल पाएगी और मोनिटरिंग तथा सुपरविजन भी ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा, यह बताया जाए कि इस बड़े भारी प्रोजेक्ट में, जो बहुत से गांवो को कवर करेगा उसमें वहां के जनप्रतिनिधियों की भी कोई भूमिका होगी या नहीं होगी? क्या उसमें उत्तर प्रदेश के सारे गांव शामिल किए जाएंगे या कुछ गांव छांट कर शामिल किए जाएंगें?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : दिनांक 25.6.96 को आई. बी. आर. डी के बोर्ड ने इसे अंतिम रूप से मंजूरी दे दी है। परियोजना की पूरी तैयारी बहुत पहले ही कर ली गई है जो कि 1995 से चल रही है। इन नामों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। यह राज्य की परियोजना है। सामान्यतः, हम इसे मंजूरी देते हैं। भारत सरकार ऋण प्राप्त करके राज्य सरकारों को अनुपातिक रूप से ऋण प्रदान करती

हैं।

डा0 मुरली मनोहर जोशी : आज आप राज्य सरकार भी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू है।

श्री पी0 चिदम्बरम : मुझे आशा है कि हम कल भी राज्य सरकार होंगे। परन्तु मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं। मैं जन प्रतिनिधियों को शामिल करने के बारे में माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करूंगा। मैं इस सुझाव के बारे में हम देखेंगे इसे किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छ पेय जल गांव में उपलब्ध कराना आज भी हमारे लिए एक चुनौती है और उस दृष्टि से यह योजना बहुत अच्छी है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक, ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई परियोजना के लिए कुल कितना ऋण दे रहा है। क्या यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही है या बाकी के प्रदेशों ने भी ऐसी योजना भेजी है और क्या सरकार उनको भी मंजूर करने पर विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कार्य करने वाली एजेन्सियां कौन-सी होंगी? क्या केवल स्वैच्छिक संगठन ही यह काम करेंगे या सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। मंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में बताया है कि आज की 7.1 प्रतिशत दर परवर्ती दर है। वर्तमान में तो यह 7.1 प्रतिशत है लेकिन यदि यह परवर्ती है तो भविष्य में यह दर क्या होगी?

[अनुवाद]

श्री पी0 चिदम्बरम : यह परियोजना 59.6 या लगभग 60 मिलियन अमेरिकी डालर, अर्थात् 210 करोड़ रूपए की है। ऐसी दो परियोजनाएं हैं, जिनमें से एक महाराष्ट्र में और दूसरी कर्नाटक में है। ऐसी ही एक परियोजना पंजाब में भी है जो निर्माणाधीन है।

श्री तारीक अनवर : बिहार के सम्बन्ध में क्या स्थिति है?

श्री पी. चिदम्बरम : अब तक ऐसी चार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : क्या मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई परम्परा डाल रहा हूं। राज्य सरकारों को ऐसे प्रस्ताव पेश करने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री पी. चिदम्बरम : राज्य सरकार को ऐसे प्रस्ताव अवश्य पेश करने चाहिएं, जिन्हें हम आई.बी. आर.डी. को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत करेंगे। अब दो परियोजना निर्माणाधीन हैं, एक महाराष्ट्र में और दूसरी कर्नाटक में स्थित है। 25 जून को जो परियोजना स्वीकृत की गई है, वह उत्तर प्रदेश के लिए है। पंजाब के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है। मुझे यह नोट करके बहुत खुशी हुई है कि आई. बी. आर. डी. के आवधिक प्रहारों के बावजूद, संसद सदस्य और अन्य व्यक्ति कम से कम इन परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन दिये जाने में रूचि रखते हैं। यदि राज्य सरकारें प्रस्ताव पेश करेंगी, तो हम इन्हें निश्चित रूप से विश्व-बैंक अर्थात् आई.बी. आर.डी. को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत करेंगे।

जहां तक 7.15 प्रतिशत ब्याज का सम्बन्ध है, यह एक पेचीदा सूत्र है, जिसे मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बाद में एक नोट भेज दूंगा। यह परिवर्तनीय ब्याज दर है, जोकि समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है। आज की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है।

श्री डी. नारायण स्वामी : ग्रामीण जल आपूर्ति एवं सफाई सम्बंधी विश्व सहायता प्रदत्त परियोजना एक अच्छी परियोजना है। लेकिन स्थानीय योगदान एवं योजना के अनुरक्षण सम्बन्धी वचनबद्धता इस परियोजना को कतिपय क्षेत्रों में इन्हें कार्यान्वित करने में रूकावट बनी है। निस्संदेह, जहां कहीं भी स्थानीय पंचायत वित्तीय दृष्टि से सक्षम हैं तथा जहां कहीं भी लोग योगदान देने के लिए आगे आ सकते हैं, वहां स्थानीय योगदान मिल पाया है। जहां गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं, वहां भी ऐसा सम्भव है। लेकिन हमारे अनेक ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं, जहां पंचायतों के पास एक पाई भी नहीं है तथा जहां गैर-सरकारी संगठन भी नहीं जाते, यद्यपि वहां जनसंख्या काफी है, फिर भी वहां यह योजना शुरू नहीं की गई है। मेरे ध्यान में कर्नाटक राज्य के गांवों के ऐसे अनेक उदाहरण आये हैं। अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का उन क्षेत्रों के बारे में क्या विचार है, जहां से स्थानीय योगदान प्राप्त नहीं हो रहा है तथा उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी सरकार का क्या दृष्टिकोण है, जहां कोई भी गैर-सरकारी संगठन योगदान देने अथवा ऐसी योजनाओं का अनुरक्षण करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सुदूर स्थित गांवो में लोग पानी की कमी एवं सफाई के अभाव से पीड़ित हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, कोई भी देश के सभी भागों के लिए एक जैसा दृष्टिकोण अपनाये जाने की दलील नहीं दे रहा है। अब हम किसी योजना हेतु एक ऐसे डिजाईन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसकी मांग है तथा जिसे ग्रामीण लोगों का समर्थन प्राप्त है। उदाहरण के लिए इस परियोजना को ही लीजिए। समुदाय को क्या वहन करना पड़ेगा? पहाड़ी जिलों में समुदाय को पूंजीगत लागत का एक प्रतिशत वहन करना पड़ेगा। यह बहुत ही मामूली राशि है, जो इस बात का संकेत करती है कि इस सुविधा की मांग है तथा गांवों में लोग इसका समर्थन करते हैं। गैर-पहाड़ी जिलों में, उन्हें पूंजीगत

लागत का दो प्रतिशत अदा करना पड़ेगा और फिर वहां लघु घर कनैक्शन योजना भी लागू है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इस देश में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां इस लागत को भी ग्रामीण लोग वहन नहीं कर सकते हैं और जहां इसकी मांग नहीं है, ऐसे में हमें एक अलग तरह की परियोजना तैयार करनी होगी। यहां मैं एक ऐसी योजना की बात कर रहा हूं, जिसकी मांग है और जिसे ग्रामीण-समुदाय का समर्थन प्राप्त है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश के गांवों को जल आपूर्ति की जा रही हैं और खास तौर से जो तराई के इलाके हैं जैसे दासनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, पड़रौना जो कि नेपाल के बार्डर पर हैं, वहां का जल इतना दूषित है कि वहां के लोगों को फाइलेरिया, घेघा और मलेरिया की बीमारी हो जाती है। यहां के लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलता। क्या इस योजना के अन्तर्गत उन इलाकों को वरीयता देगें जहां शुद्ध जल नहीं मिल रहा है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं अपने पूर्ववर्ती उत्तर को आंशिक रूप से सही करना चाहता हूं। पूंजीगत लागत का एक प्रतिशत और दो प्रतिशत भुगतान। अन्ततोगत्वा, मुझे बताया गया है कि इसकी लागत में लगभग 10 प्रतिशत भागीदारी होगी।

तराई क्षेत्र में, मुझे यह निश्चित रूप से पता नहीं है कि यह क्षेत्र इसके अंतर्गत जो नौ जिले शामिल किए गए हैं, उनमें पड़ता है, अथवा नहीं। यह परियोजना कुमाऊं और गढ़वाल के नौ जिलों एवं बुंदेलखण्ड के छह जिलों में है। अत:, इस योजना में उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के 1000 गांव शामिल हैं।

मुझे खेद है कि मुझे यह विदित नहीं है कि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, वह इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा नहीं। संभवत: इस क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो, यह मुझे पता नहीं है। यदि यह क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो राज्य सरकार को अलग परियोजना हेतु अलग से प्रस्ताव तैयार करना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक के ऋण से उत्तर प्रदेश में जो प्रोजैक्ट्स लिए गए हैं क्या बिहार सरकार ने पानी के अभाव को देखते हुए कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं? मेरे क्वश्चन का 'ख' भाग यह है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा इनको चलाने की जो बात है, उसके बारे में मैं वित्त मंत्री महोदय के दिमाग में यह बात लाना चाहता हूं कि जिस कपार्ट के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अरबों-खरबों रूपया दिया गया, क्या आप उसकी मॉनिटरिंग कराएंगे? स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा काम सही हुआ है या नहीं, उसकी अगर मॉनिटरिंग कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वैच्छिक संस्थाओं ने कपार्ट के पैसे का क्या दुरूपयोग किया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार बिहार की राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक कपार्ट का सम्बन्ध है, वह एक अलग संगठन है तथा माननीय सदस्य को सम्बन्धित मंत्री से इस बारे में अलग से प्रश्न पूछना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : पानी के शुद्धिकरण के लिए विश्व बैंक की ओर से सहायता और कर्जा मिल रहा है। कई इलाकों में पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त मिलता है। उसको फ्लोराइडमुक्त करने के लिए क्या इस योजना के अन्दर उसे शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह प्रश्न मेरी समझ में नहीं आता। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेय जल की स्थायी व्यवस्था करना है। यदि पानी फ्लोराइड युक्त है......

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : पानी के शुद्धिकरण के लिए विश्व बैंक की ओर से सहायता और कर्जा मिल रहा है। कई इलाकों में पीने का पानी फ्लोराइडयुक्त मिलता है। उसको फ्लोराइडमुक्त करने के लिए क्या इस योजना के अन्दर उसे शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं उत्तर प्रदेश में जल आपूर्ति के बारे में प्रश्न का उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं हूं। इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही पूछा जाना चाहिए।

मैं तो विश्व सहायता-प्राप्त एक ऐसी परियोजना के बारे में बात कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति कराना है और मुझे विश्वास है कि इस परियोजना में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जल फ्लोराइडयुक्त है तथा इसे इस जल में से कैसे दूर किया जाना है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी और कार्यान्विनकर्ता एजेंसियां इस पहलू पर विचार करेंगी। इस पहलू का उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना है।

डा0 असीम बाला : महोदय, यह एक अच्छी परियोजना है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या अन्य राज्यों में कोई निगरानी एकक स्थापित किया गया है और इस विश्व बैंक जल आपूर्ति परियोजना हेतु मानदण्ड क्या हैं। क्या इस परियोजना को शुरू करने के लिए कोई पूर्व शर्त लगाई गई है?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं तो यही समझा हूं कि प्रश्न यही है कि अन्य राज्य भी इसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

अन्य राज्यों को भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए

और हमसे यह अनुरोध करना चाहिए कि हम इस प्रस्ताव को वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत करें। यदि अन्य राज्य सरकारें इन परियोजनाओं का अध्ययन करना चाहती हैं, तो हम उन्हें यह कहने के पूर्णतः इच्छुक हैं कि वे अपने दल इस प्रयोजन हेतु महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश में भेजें। इसके पश्चात् यदि वह राज्य जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं- हमसे यह चाहते हैं कि हम परियोजना को विश्व बैंक वित्तीय-पोषण हेतु प्रस्तुत करें, तो हमें इस परियोजना का अध्ययन करने एवं इसे विश्व बैंक को भेजने में बहुत खुशी होगी।

डा. असीम बाला : क्या इसके लिए कोई पूर्व-शर्त है?

श्री पी. चिदम्बरम : कोई पूर्व-शर्त नहीं है। आपको केवल यही प्रस्ताव करना है कि आपको ऐसी परियोजनाओं की जरूरत है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक ऋण योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्राप्त हुये हैं और उनमें से कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गयी है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : जैसाकि मैनें कहा है, इस प्रकार की ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं संख्या में केवल चार हैं। इनमें से दो महाराष्ट्र और कर्नाटक में कार्यान्वयनाधीन हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, इसे मंजूरी दे दी गई है और पंजाब के लिए, इसे तैयार किया जा रहा है। मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश राज्य से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

फलों, सब्जियों और फूलों का निर्यात

+

*403. **श्री राम कृपाल यादव** :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष फलों, सब्जियों और पुष्प कृषि संबंधी वस्तुओं का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ, किन-किन देशों को कितनी-कितनी मात्रा में इनका निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इन वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने इन वस्तुओं का उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) फलों, सब्जियों तथा फूलों के घरेलू उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

		(मात्रा : मी. टन)
		1993-94
(1)	फल	39,478593
(2)	सब्जियां	65,09,4918
(3)	फूलों के उत्पादन	उपलब्ध नहीं।

1994-95 और 1995-96 के दो वर्षो के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पिछले 3 वर्षो अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए फल, सब्जियां तथा फूलों की कुल मात्रा और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि के आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

मात्रा. मी. टन में

मूल्य: करोड़ रु0 में

		1993-94		1994-95		1995-95 (अप्रैल, 95 से फरवरी, 96 तक)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1)	फल	77813	111.93	88254	123.88	87794	116.78
2)	सब्जिया	401615	250.01	400665	327.12	429294	394.45
3)	फूल उत्पाद	उ.न.*	11.91	उ.न.*	22.57	उ.न.*	39.45

* निर्यात किए गए फूलोत्पाद की मात्रा के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि फूलोत्पाद भी संख्या के अनुसार निर्यात किए जाते हैं।

निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित स्टैटिस्टिक्स ऑफ फारेन ट्रेड ऑफ इंडिया के वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि उत्पादकों ने फल, सब्जियां तथा फूलों का उत्पादन करना बन्द कर दिया है क्योंकि इनके निर्यात में कठिनाइयां आती हैं। कटाई के बाद रख-रखाव सुविधाओं का पर्याप्त नहीं होना तथा खराब होने वाली वस्तुओं के उत्पादों के परिवहन तथा भंडारण हेतु उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का नहीं होना, खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात को विकासित करने तथा उनका संवर्धन करने में एक प्रमुख बाधा के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

(घ) फल, सब्जियां तथा फूलों की मदों सहित खराब होने वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय ये हैं :-

उत्पादन के लिए

(1) गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना;

(2) टिशु कल्चर यूनिटों की स्थापना करना;

(3) फलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार करना;

(4) प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना करना;

(5) संकर बीजों का उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति करना;

(6) किसानों को प्रशिक्षण देना ; तथा

(7) ग्रेडिंग/प्रोसेसिंग केन्द्रों, नीलामी मंचों, पकाने/उपचार करने के प्रकोष्ठ स्थापित करने तथा गुणवत्ता जांचने के उपकरणों के लिए आसान शर्तों पर ऋण दिया जाता है।

निर्यात के लिए

(1) विशेषीकृत परिवहन यूनिटों की खरीद, प्रीकूलिंग/कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना करने जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(2) उन्नत पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करना तथा गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना;

(3) निकासी की प्रतीक्षा में निर्यात-खेपों के लिए चलते-फिरते शीत भांडागारों की स्थापना करना;

(4) एक ही स्थान पर कार्गो की बुकिंग के लिए एयर कार्गो सुविधाएं तथा सीमा शुल्क निकासी की सुविधाओं की स्थापना करना;

(5) खराब होने वाले उत्पादों के लिए हवाई अड्डों पर सुव्यवस्थित कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना करना;

(6) उत्पाद की उन्नत स्वीकार्यता के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना करना;

(7) उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फूलों तथा फूलोत्पाद विशेष रूप से तोड़े गए फूलों से संबंधित यू. एन. डी. पी. परियोजना को कार्यान्वित करना ;

(8) चुनिंदा फूल, बागान तथा ताजी सब्जियों के लिए वायु भाड़ा राजसहायता देना;

(9) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसके निर्यात के लिए कई उपाय दर्शाए हैं। मैं, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उपाय दर्शाए गए हैं, आप उनको किन-किन राज्यों में खोलने जा रहे हैं। इसमें कई केन्द्र खोलने की बात कही गई है किसानों को पारिश्रमिक देने की बात की गई है तथा वित्तीय सहायता देने की बात भी कही गई है। आप किन-किन राज्यों में लागू करने जा रहे है?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने निर्यात बढ़ाने की बात उपाय संख्या 7 में बताई है कि यू.एन.डी.पी. परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह परियोजना किन-किन राज्यों में लागू करेंगे और यह यू. एन. डी. पी. परियोजना लागू करने के बाद जो त्रुटियां होंगी, उनको कैसे दूर करेंगे?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रामैया : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सब्जियों, फूलों और फलों के निर्यात के लिए काफी सहायता दी है। निर्यात में लगातार साल दर साल सुधार हो रहा है। जहां तक वाणिज्य मंत्रालय से सहायता का सम्बंध है, यह एक मद है जिस पर हम परिवहन के लिए निर्यात राज सहायता दे रहे हैं। यह साल दर साल बढ़ रही है लेकिन हम इसे नौवीं पंचवर्षीय योजना में दीर्घकालिक आधार पर करना चाहते हैं। इससे पहले एक वर्ष से दूसरे वर्ष में कुछ अंतर था और सहायता आवश्यकतानुसार नहीं थी।

जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, जहां कोई नीलामी केन्द्र नहीं है वहां फूलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीलामी केन्द्र स्थापित करने के लिए सभी राज्यों में यू. एन. डी. पी. योजनाएं लागू हैं। हम इन सभी योजनाओं को सभी राज्यों में कार्यान्वित करने जा रहे हैं। वास्तव में हम कृषि मंत्रालय से भी वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

छोटी नर्सरियों के समेकित विकास के लिए यह 20,000 रुपये अथवा 50 प्रतिशत, जो भी कम है, टिस्यू कल्चर यूनिटों के

लिए 10 लाख रुपये अथवा 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। इस प्रकार फलों और सब्जियों के लिए काफी सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उपाय मंत्री जी ने बताए हैं उत्पादकों तथा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह स्वागत योग्य कदम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो उत्पादन बढ़ाने के लिए और निर्यात बढ़ाने के लिए उपबंध आपने किए हैं, इनको आप जो देने जा रहे हैं इसको मॉनीटर करने के लिए क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो यह देखे कि किसानों और उत्पादकों को लाभ मिल रहा है या नहीं, या किसी अधिकारी या प्राधिकारी को आपने लगाया है, ताकि जो सुविधाएं आपने जहां-जहां किसानों को दे रखी हैं वह उनको मिल पाएं और किसान प्रोत्साहित होकर उत्पादन बढ़ा सकें और निर्यात बढ़ा सकें? इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

[अनुवाद]

श्री बोला बुल्ली रमैया : उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्न प्रकार की सहायता जो हम दे रहे हैं वह राज्य सरकारों के कृषि विभागों को दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैंने मॉनीटरिंग करने की बात कही है।

[अनुवाद]

श्री बोल्ला बुल्ली रमैया : मॉनीटरिंग केवल प्रत्येक राज्य सरकार के कृषि विभाग के माध्यम से की जाती है। हम उनसे केवल जानकारी लेते हैं और संचालन राज्य सरकारों के माध्यम से होता है क्योंकि वे ही लागू करने वाले प्राधिकारी हैं। जैसाकि मैंने कहा हम केवल परिवहन प्रयोजनों के लिए सहायता देते हैं क्योंकि हमारा सीधा, सम्पर्क अंतर्राष्ट्रीय परिवहन समुद्री जहाज द्वारा माल दुलाई, वायुयान आदि द्वारा माल दुलाई से है।

श्री एस. बंगारप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, तीन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए (1) उत्पादन, (2) निर्यात और (3) सहकारी समितियों अथवा वित्तीय एजेंसियों के माध्यम से सहायता। हमारा देश उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। आप इसराइल का उदाहरण लें। वहां, कृषकों अथवा बागवानी समुदाय को काफी ड्रिप सिंचाई सुविधाएं दी गई है। जैसाकि आप अच्छी तरह जानते हैं, वे सम्पूर्ण विश्व में ड्रिप सिंचाई में अग्रणी है। मैं समझता हूं आप इन सब के बारे में जानते हैं और हमारा देश ड्रिप सिंचाई के लिए एकदम उपयुक्त है। ड्रिप सिंचाई, सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है चाहे यह खाद्यान्न उत्पादन करने वाली फसलों के लिए हो अथवा सब्जी उत्पादन या पुष्प उत्पादन के लिए हो। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कृषक समुदाय को और अधिक ड्रिप सिंचाई सुविधाएं देने जा रहे हैं।

दूसरे आपने कहा है कि आपने परिवहन क्षेत्र के लिए सहायता देना मान लिया है। इसके अलावा शीतागार सुविधाओं को ध्यान में रखना होगा क्योंकि सब्जियां, फल और फूल खराब होने वाली वस्तुएं हैं। विश्व बैंक ने इस तरह की सहायता को देने की पेशकश है। यहां और भी अन्य वित्तीय एजेंसियां हैं। आप सारे देश के बागवानी क्षेत्र के लिए शीतागार सुविधाएं देने हेतु सम्पूर्ण देश के लिए एक बृहत योजना क्यों नहीं बनाते?

श्री बोला बुल्ली रमैया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में उल्लेख किया है। इसे कृषि मंत्रालय द्वारा पहले ही शामिल कर लिया गया है। वास्तव में भारत सरकार ड्रिप सिंचाई योजना जो एक विलक्षण योजना है, को पर्याप्त सहायता दे रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के सम्बंध में माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उससे पूर्ण सहमत हूं। हम, वायुयान द्वारा माल दुलाई समुद्री जहाज द्वारा माल दुलाई आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन क्षेत्र में राज सहायता दे रहे हैं।

शीतागार सुविधाओं के संबंध में, हमने भिन्न-भिन्न स्थानों पर शीतागार के लिए अनेक प्रबंध किए हैं। हमने निर्यात कर्ताओं के लिए बहुत कम लागतत पर प्रशीतन और शीतागार सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा उन्हें उत्तर देने की अनुमति दें।

श्री बोला बुल्ली रमैया : मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि पुष्प उत्पादन के लिए ए पी ई डी ए ने पहले ही दिल्ली, पुणे, बंगलौर और मद्रास जैसे अनेक स्थानों पर प्रबंध किए हैं। अन्य स्थानों पर भी जैसे ही स्थिति में सुधार होगा, हम और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हम पुष्पोत्पादन, फलों और सब्जियों के निर्यात के लिए पर्याप्त सहायता दे रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एम. आर. टी. पी. एक्ट के अंतर्गत दायर मामले

*404. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एम. आर. टी. पी. एक्ट) के अंतर्गत कुल कितने मामले दायर किए गए;

(ख) उनमें से अब तक कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के माध्यम से कितने लोगों को मुआवजा दिया गया और उनमें से प्रत्येक को कितनी मुआवजा राशि दी गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) कैलेण्डर वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान अवरोधक/अनुचित/एकाधिकारिक व्यापार प्रथाएं क्रमश: 285 तथा 484 मामलों में दायर व संस्थित की गई थीं। इसके अतिरिक्त उक्त दो वर्षों के दौरान आयोग में मुआवजे के 321 तथा 261 आवेदन दायर व पंजीकृत किए गए थे।

(ख) 1994 तथा 1995 के दौरान निपटाए गए 385 तथा 365 मामलों के बारे में, जिनमें से 16 तथा 15 कंपनियां भाग (क) के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से सम्बद्ध हैं, आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ पथभ्रष्ट पक्षकारों के विरुद्ध अवरोधक/अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त होने पर "प्रविरत तथा प्रतिविरत आदेश" (सीज एंड डिजिस्ट आर्डर) देने या उनसे ऐसी व्यापार प्रथाओं में लिप्त न होने का वचनबंध प्राप्त होने या मुआवजा दिए जाने संबंधी आदेश दिया है।

(ग) जिन व्यक्तियों को कैलेण्डर वर्ष 1994 और 1995 के दौरान मुआवजा प्रदान किए गए हैं, उनकी सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

कैलेण्डर वर्ष 1994-95 के दौरान एम आर टी पी आयोग द्वारा दिया गया मुआवजा

कैलेण्डर वर्ष 1994 के लिए

क्र.सं.	आदेश की तारीख	मामला संख्या	पक्षकार का नाम	दिया गया मुआवजा	किया गया व्यय, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	3.1.94	सी ए 291/93	जी. एन. राव, नई दिल्ली बनाम एवरेस्ट सीमेंट लि. सिकंदराबाद	1,200 रुपये	-
2.	7.1.94	सी ए 131/94	नरेश भारद्वाज बनाम टैक्नोलाजी पार्कस लि. नई दिल्ली	63,563.644 10% ब्याज	2,500 रुपये
3.	20.1.94	सी ए 130/93	लेफ्टीनेन्ट कर्नल जे. एस. बाल, नोएडा बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये
4.	20.1.94	सी ए 136/93	नरेन्द्र पाल, नई दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये
5.	20.1.93	सी ए 145/93	बी पी हंस, नई दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये
6.	20.1.93	सी ए 61/93	तीरथ राम बत्रा, नई दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये
7.	20.1.93	सी ए 172/92	सांवरमल खेमका, दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये

1	2	3	4	5	6
8.	14.1.94	सी ए 183/93	कामनी खुराना, नई दिल्ली बनाम मुरालटक इंडिया लि. बम्बई	3,000 रुपये	2,000 रुपये
9.	14.1.94	सी ए 8/93	सुरेश कुमार गुंलहन, दिल्ली बनाम हीरा ट्रेवल्स, नई दिल्ली	10,399 रुपये	1,000 रुपये
10.	1.2.94	सी ए 143/93	श्रीमती भारती मालदर, नई दिल्ली बनाम यूनाइटेड इलैक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली	9,000 रुपये	-
11.	2.2.94	सी ए 201/93	विनोद कुमार लुंगानी, नई दिल्ली बनाम टैक्नोलॉजी पार्क, नई दिल्ली	1,31,487 रुपये	-
12.	14.2.94	सी ए 128/92	रवि कुमार सग्गी एंड अनिल मलहोत्रा, नई दिल्ली बनाम कैपिटल बिल्डर्स, दिल्ली	78,000 रुपये +18% ब्याज	1,000 रुपये
13.	14.2.94	सी ए 116/92	संतोष कुमारी, दिल्ली बनाम कैपिटल बिल्डर्स, दिल्ली	43625+18% ब्याज	1,000 रुपये
14.	14.2.94	सी ए 119/92	योगेन्द्र कुमार, मेरठ बनाम कैपिटल बिल्डर्स, दिल्ली	41,895+18% ब्याज	1,000 रुपये
15.	14.2.94	सी ए 118/92	सन्ता पुरी, नई दिल्ली बनाम कैपिटल बिल्डर्स, नई दिल्ली	22,440 रुपये +18% ब्याज	1,000 रुपये
16.	22.2.94	सी ए 202/91	पी. जी. पी. भट्ट और वर्षा भट्ट बनाम कैपीटल बिल्डर्स, दिल्ली	1,12,937.50 रुपये +18% ब्याज	-
17.	23.2.94	सी ए 1328/88	एस. वैध बनाम हिन्दुस्तान रिप्रोग्राफिक लि. दिल्ली	65,999 रुपये	-
18.	28.2.94	सी ए 173/93	के. पी. जैन एंड सुनिता जैन बनाम कैपीटल प्रोमोटर्स, दिल्ली	62,000 रु.+18% ब्याज	1,000 रुपये

1	2	3	4	5	6
19.	8.3.94	सी ए 182/91	टी. के. अग्रवाल, दिल्ली बनाम रोनाल्ड होटल्स प्रा. लि. दिल्ली	36,500 रुपये	2,500 रुपये
20.	11.3.94	सी ए 234/93	बापी चन्दा, दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स बंगलौर	10,000 रु.+18% ब्याज	1,000 रुपये
21.	11.3.94	सी ए 253/93	गुरुप्रसाद सक्सैना, लखनऊ बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स बंगलौर	10,000 रु.+18% ब्याज	1,000 रुपये
22.	2.3.94	सी ए 267/93	श्रीमती निर्मल कौशिक, दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	10,000 रुपये	1,000 रुपये
23.	24.3.94	सी ए 140/93	विरेन्द्र पाल, दिल्ली बनाम क्लासिक फाइनैंस, नई दिल्ली	1,000 रुपये	-
24.	31.3.94	सी ए 159/93	अजय कुमार साहनी, नई दिल्ली बनाम एस. के. एग्रो इन्टरप्राइजेज लि. दिल्ली	29,250 रु.+18% ब्याज	2,500 रुपये
25.	12.4.94	सी ए 189/93	ए बी सी कैमिकल्स, दिल्ली बनाम पटेल रोडवेज लि. बम्बई	28,000 रु.+18% ब्याज	-
26.	18.4.94	सी ए 227/93	इकबाल सिंह धवन, नई दिल्ली बनाम एस. के. एग्रो इन्टरप्राइजज, दिल्ली	18,000 रु.+18% ब्याज	2,500 रुपये
27.	29.4.94	सी ए 45/92	दि कमान्डेन्ट मिलिट्री कालेज ऑफ टेलेकम्यूनिकेशन इंन. बनाम लॉजीक सिस्टम प्रा. लि. दिल्ली	85,016 रुपये	-
28.	29.4.94	सी ए 55/93	यू. ए. रिजवी नई दिल्ली बनाम कैपिटल प्रमोटर्स (प्रा.) लि., दिल्ली	11,092 रु.+18% ब्याज	-
29.	22.5.94	सी ए 169/93	विनोद कुमार अग्रवाल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	100 रुपये

1	2	3	4	5	6
30.	5.5.94	सी ए 210/93	धीरेन्द्र सिंह चन्द्रा शाह बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000 रुपये	1,000 रुपये
31.	5.5.94	सी ए 157/92	डी. के. अग्रवाल, बंगलौर बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	2,80,000+18% ब्याज	-
32.	9.5.94	सी ए 264/92	महेश हाऊसिंग फैक्ट्री प्रा. लि. बनाम वैम्टवे गुड्स ट्रांसपोर्ट कार्पो.	9,828+18% ब्याज	1,100 रुपये
33.	12.5.94	सी ए 162/93	जे. के. सक्सैना बनाम स्किपर बिल्डर्स प्रा. लि.	1,52,100+18% ब्याज	-
34.	13.5.94	सी ए 226/93	विरेन्द्र कुमार अग्रवाल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
35.	13.5.94	सी ए 255/93	मेजर रमिन्दर चिम्मी बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
36.	13.5.94	सी ए 237/93	जे. एम. अरोड़ा, नई दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	यथोपरि	यथोपरि
37.	13.5.94	सी ए 231/93	शंकर लाल अग्रवाल, दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% रुपये	1,000 रुपये
38.	13.5.94	सी ए 321/93	उर्मिला कुअर, नोएडा बनाम विक्रम इंड. डव. कार्पो.	5,500+16% ब्याज	यथोपरि
39.	18.5.94	सी ए 303/93	विरेन्द्र सिंह यादव बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	यथोपरि
40.	30.5.94	सी ए 81/92	एस. चलम, नई दिल्ली बनाम क्रेटीव इलैक्ट्रोनिक्स	8,550 रुपये	

1	2	3	4	5	6
41.	31.5.94	सी ए 76/88	क्रिलोस्कर आयल इंजिनस लि.	30,000 रुपये	-
42.	7.6.94	सी ए 40/93	अजीत फुडस, गाजियाबाद बनाम अरूण इंजीनियरिंग वर्क्स	50,000+18% ब्याज	-
43.	7.6.94	सी ए 1327/88	शशी प्रभा सूद, नई दिल्ली बनाम कैपीटल लैण्ड इम्प्रूवमेंट कार्पो.	18,779+18% ब्याज	-
44.	6.6.94	सी ए 173/93	के.एस. नागाशाह सक्सलेशपुर बनाम सुधा इन्वेस्टमेंट	3,900 रुपये	-
45.	8.6.94	सी ए 33/92	लखनवीर सिंह भाटिया बनाम सूर्या प्रमोटर्स एंड डिपलोवर्स	15,5004+18% ब्याज	-
46.	13.6.94	सी ए 179/92	के. के. हिन्दुजा बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
47.	13.6.94	सी ए 180/92	अरूनेश बंसल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
48.	6.6.94	सी ए 101/93	विमला शर्मा बनाम कैपिटल बिल्डर्स	43,165+18% ब्याज	यथोपरि
49.	22.7.94	सी ए 50/93	राजेश गुलाटी बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	5,000+18% ब्याज	यथोपरि
50.	12.8.94	सी ए 212/93	एन. पी. चौरसिया, सहारनपुर बनाम स्किपर बिल्डर्स, प्रा. लि.	11,000 रुपये	यथोपरि
51.	16.8.94	सी ए 58/94	पूरन सिंह, नई दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
52.	18.8.94	सी ए 134/92	राजन महेन्द्रा, नई दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	यथोपरि	यथोपरि

1	2	3	4	5	6
53.	25.8.94	सी ए 104/92	कमा. सिदार्थ बत्सय बनाम कैपिटल बिल्डर्स	24,255+18% ब्याज	यथोपरि
54.	2.9.94	सी ए 109/93	कॉन्टीनेंटल डेविस (आई) लि. बनाम स्काईलैंड इंटोरियस	46,000+18% ब्याज	5,000 रुपये
55.	14.9.94	सी ए 219/91	सुनिल कुमार सम्पत बनाम कैपिटल प्रमोटर्स प्रा. लि.	14,250+18% ब्याज	1,000 रुपये
56.	14.9.94	सी ए 146/93	ओम प्रकाश अग्रवाल बनाम शशी बाला	1,72,187+18% ब्याज	-
57.	22.9.94	सी ए 301/93	एम. वी. एन्टोनी, केरल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
58.	22.9.94	सी ए 310/93	श्याम कुमार दीवान बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
59.	22.9.94	सी ए 312/93	कशमिरिया माथुर बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	यथोपरि	यथोपरि
60.	22.9.94	सी ए 318/93	अजीम अकबर बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	यथोपरि	यथोपरि
61.	21.9.94	सी ए 254/93	नरिन्दर कुमार राठी बनाम धीमन इंजी. वर्क्स	1,18,000+18% ब्याज	15,000 रुपये
62.	29.9.94	सी ए 1354/88	देवराज सिंह बनाम मरूधर सर्विसेज लि.	46,800 रुपये	-
63.	29.9.94	सी ए 1359/88	गणेश सिंह बनाम मरूधर सर्विसेज लि.	यथोपरि	-

1	2	3	4	5	6
64.	29.9.94	सी ए 196/92	जय भवन, फरीदाबाद बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
65.	29.9.94	सी ए 197/92	शिव नारायण बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
66.	29.9.94	सी ए 243/93	के. सी. सक्सैना, जयपुर बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	यथोपरि	यथोपरि
67.	27.10.94	सी ए 204/89	महेश एंड कं. बनाम मेगावर कम्प्यूटरर्स लि.	50,000+18% ब्याज	7,500 रुपये
68.	27.10.94	सी ए 302/92	हेमेन्दर कुमार, दिल्ली बनाम स्किपर बिल्डर्स प्रा. लि.	1,98,900+18% ब्याज	2,500 रुपये
69.	26.10.94	सी ए 221/89	मधू बशिथा बनाम नाहिद कम्पनी	21,800+10% ब्याज	2,000 रुपये
70.	9.11.94	सी ए 108/94	रोशन लाल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+7% ब्याज	1,000 रुपये
71.	9.11.94	सी ए 66/94	राकेश मशुमी, दिल्ली बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000+7% ब्याज	1,000 रुपये
72.	1.11.94	सी ए 57/94	रत्ना चटोपाध्याय बनाम स्पिकर बिल्डर्स प्रा. लि.	10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
73.	17.11.94	सी ए 21/94	भवन सिंह बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	यथोपरि	2,000 रुपये
74.	17.11.94	सी ए 22/94	अनुपंज बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	रु. 10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये

1	2	3	4	5	6
75.	17.11.94	सी ए 23/94	मुकेश गुप्ता बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	यथोपरि	यथोपरि
76.	17.11.94	सी ए 36/94	जी. एस. खण्डेलवाल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	रु. 10,000+18% ब्याज	2,000 रुपये
77.	14.11.94	सी ए 109/94	विजय बजाज राजदान बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	रु. 10,000+18% ब्याज	1,000 रुपये
78.	1.12.94	सी ए 10/90	पेरुमल बनाम बम्बई आंधा ट्रांसपोर्ट कार्पो.	रु. 3,080+18% ब्याज	1,000 रुपये
79.	16.12.94	सी ए 293/93	सुवीरा रैना, नोएडा बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	रु. 10,000	2,000 रुपये
			कैलेण्डर वर्ष 1995 के लिए		
1.	9.1.95	सी ए 324/93	नासीरुद्दीन, आगरा बनाम जवाहरलाल एंड संस	रु. 12,610+18% ब्याज	1,000 रुपये
2.	23.1.95	सी ए 337/93	एस. सी. मेहता, दिल्ली बनाम जैना प्रोपर्टीज प्रा. लि., दिल्ली	रु. 1,24,472 रुपये	-
3.	13.2.95	सी ए 337/93	मैं. इन्दु पोपली, नई दिल्ली बनाम कैपीटल बिल्डर्स, दिल्ली	रु. 16,387.24+18% ब्याज	1,000 रुपये
4.	13.2.95	सी ए 13/94	बी.आर. पोपली, दिल्ली बनाम केपिटल बिल्डर्स, दिल्ली	रु. 10,925+18% ब्याज	1,000 रुपये
5.	31.3.95	सी ए 164/92	श्रीमती चम्पा देवी बनाम स्कीपर टावर्स प्रा. लि. दिल्ली	1,41,450 रुपये	-
6.	4.5.95	सी ए 152/94	अम्बा दत्ता, दिल्ली बनाम प्रकाश ट्रेडर्स, दिल्ली	30,200 रुपये	-

1	2	3	4	5	6
7.	16.6.95	सी ए 342/93	ब्रीजेश मेहता, दिल्ली बनाम जी. डी. ए.	रु. 5,02,689+18% ब्याज	-
8.	16.6.95	सी ए 38/94	श्रीमती सारदा शर्मा बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, लि.	10,000 रुपये	1,000 रुपये
9.	16.6.95	सी ए 331/93	अरिन्ध कुमार, जबलपुर बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये
10.	21.6.95	सी ए 1338/88	ओम प्रकाश गुप्ता, नई दिल्ली बनाम जैना प्रोपर्टीज प्रा. लि. दिल्ली	रु. 25,400+18% ब्याज	5,000 रुपये
11.	21.6.95	सी ए 164/94	प्रवीन कालरा बनाम जी डी ए	5,000 रुपये	1,000 रुपये
12.	1.8.95	सी ए 17/95	डी. एन. खजान्ची बनाम सुपरकेयर टेलीविज़न एंड वीडियों सर्विसेज	यथा प्रायोचित	
13.	8.8.95	सी ए 264/94	गोविन्द सिंह बनाम प्रकाश ट्रेडर्स	यथा प्रार्थित डिक्री	
14.	8.8.95	सी ए 273/94	मोहन लाल बनाम ऊषा इलैक्ट्रोनिक्स	वही	
15.	8.9.95	सी ए 185/94	एम. एल. वर्जानी बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	वही	
16.	8.9.95	सी ए 186/94	श्री आर. एम. तहर बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	वही	
17.	8.9.95	सी ए 178/94	श्रीमती माया गंगवार बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	वही	

1	2	3	4	5	6
18.	8.9.95	सी ए 251/94	प्रणय कुमार सुमन बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	यथा प्रार्थित मानित डिक्री	
19.	8.9.95	सी ए 252/94	रमेश दत्त शर्मा बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	वही	
20.	8.9.95	सी ए 253/94	भिशमा भारद्वाज बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	वही	
21.	8.9.95	सी ए 271/94	डा. ए. एस. शर्मा बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि.	यथा प्रार्थित पारित डिक्री	
22.	15.9.95	सी ए 222/93	मोहन सिंह वितियो बनाम ब्रोग ट्रेवल्स	वही	
23.	21.9.95	सी ए 267/94	भवानी दास अरोड़ा बनाम जी डी ए	यथा प्रार्थित पारित डिक्री	
24.	10.10.95	सी ए 14/95	श्री सतीश कौल बनाम स्कीपर इंडिया लि.	10,000 रुपये	
25.	26.10.95	सी ए 145/94	रामनाथ साहनी बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स बंगलौर	10,000 रुपये	1,000 रुपये
26.	19.10.95	सी ए 285/94	किम्सू एस. साजन बनाम रावल नाथ कन्सट्रक्शन	रु. 61,000+18 ब्याज	10,000 रुपये
27.	26.10.95	सी ए 128/94	डा. अनुजसिंगल बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स, बंगलौर	रु. 10,000+18 ब्याज	
28.	17.11.95	सी ए 317/94	सूरज प्रमोद, दिल्ली बनाम स्कीपर बिल्डर्स प्रा. लि., दिल्ली	10,000 रुपये	1,000 रुपये

1	2	3	4	5	6
29.	20.11.95	सी ए 202/94	रजिन्दर प्रताप सिंह बनाम सिपानी आटोमोबाइल्स लि. बंगलौर	10,000 रुपये	2,000 रुपये
30.	15.12.95	सी ए 53/95	सुष्मिता वैश्या बनाम निखिलेश मिश्रा	रु. 38,125+18 ब्याज	2,000 रुपये
31.	29.12.95	सी ए 172/94	मेजर जनरल बलदेव कुमार बनाम जी डी ए	रु. 4,497,038 रु. 50,000	1,000 रुपये
32.	18.12.95	सी ए 13/95	श्री मोहन कुमार सैनी बनाम ओमनिटल इन्ड. लि., हैदराबाद	रु. 30,000+18% ब्याज	5,000 रुपये
33.	1.6.95	सी ए 186/92	श्रीमती सत्याहंस बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
34.	1.6.95	सी ए 2769/89	मि. कमलअख्तर बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
35.	1.6.95	सी ए 2770/89	मि. जमाल अख्तर बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
36.	1.6.95	सी ए 2815/89	मि. नफीस जमाल बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	24,000 रुपये	
37.	-वही-	सी ए 2816/89	मि. अर्शा मुनीब बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	24,000 रुपये	
38.	-वही-	सी ए 2817/89	मि. नसीब खान बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	10,000 रुपये	
39.	1.6.95	सी ए 2818/89	मि. यासमीन जमाल बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	10,000 रुपये	

1	2	3	4	5	6
40.	-वही-	सी ए 2819/89	मि. जफर अहमद बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	10,000 रुपये	
41.	-वही-	सी ए 2820/89	मोहम्मद अकमल बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
42.	-वही-	सी ए 2821/89	मोहम्मद असरफ बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
43.	1.6.95	सी ए 163/90	विक्रम कुमार बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	14,600 रुपये	
44.	-वही-	सी ए 166/90	सरन कुमार भाटिया बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	5,000 रुपये	
45.	-वही-	सी ए 185/90	विजय कुमार सहदेवा बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	5,000 रुपये	
46.	-वही-	सी ए 207/90	एम. सी. लुटनेर बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
46.	-वही-	सी ए 210/90	पावेश चन्द्र धवन बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	29,260 रुपये	
47.	1.6.95	सी ए 211/90	रमेश चन्दर भवन बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	29,260 रुपये	
48.	-वही-	सी ए 216/90	राजीव गोयल बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	43,890 रुपये	
49.	-वही-	सी ए 19/91	देवराज गुप्ता बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	14,000 रुपये	

1	2	3	4	5	6
50.	1.6.95	सी ए 56/91	सुमन सरीन बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	27,000 रुपये	
51.	-वही-	सी ए 79/91	तपन्न घोष बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	31,587 रुपये	
52.	-वही-	सी ए 165/90	रंजना घोष बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	31,587 रुपये	
53.	-वही-	सी ए 381/91	अरूण मजूमदार बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	47,381 रुपये	
54.	-वही-	सी ए 104/91	प्रदीप कुमार अग्रवाल बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	53,200 रुपये	
55.	-वही-	सी ए 118/91	मार्वी चोपड़ा बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	32,958 रुपये	
56.	1.6.95	सी ए 121/91	पुस्पीन्दर पशचिचार बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	21,400 रुपये	
57.	-वही-	सी ए 123/91	के गोविन्द राजन बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	17,110 रुपये	
58.	-वही-	125/91	मि. एल. एस. भट्ट और उमा भट्ट बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	22,800 रुपये	
59.	1.6.95	128/91	मि. सुनील नायर और अंजली नायर	40,232 रुपये	
60.	-वही-	129/91	मि. एस. रंगास्वामी बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	

1	2	3	4	5	6
61.	-वही-	130/91	श्रीमती श्यामला आर. बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	26,600 रुपये	
62.	-वही-	134/91	मि. जी. पी. रस्तोगी बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	17,110 रुपये	
63.	-वही-	140/91	सुश्री अंजलि अरोड़ा बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	13,175 रुपये	
64.	-वही-	136/91	मि. बाला गोविन्दराजन बनाम चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	22,800 रुपये	
65.	1.6.95	143/91	मि. सी. एन. कौल चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि. गीतांजली कौल	62,000 रुपये	
66.	-वही-	139/91	मि. राकेश कुमार गुप्त "	17,100 रुपये	
67.	-वही-	137/91	मि. सुनील कुमार मित्तल "	17,100 रुपये	
68.	-वही-	152/91	श्रीमती कौशल्या देवी "	5,000 रुपये	
69.	-वही-	119/91	श्रीमती लक्ष्मी "	17,100 रुपये	
70.	-वही-	20/92	श्रीमती कमलेश नेगी "	23,691 रुपये	
71.	-वही-	145/91	श्रीमती लीली वेन्कटरमन "	54,870 रुपये	
72.	-वही-	191/91	श्रीमती अनिता मेहता "	35,000 रुपये	
73.	-वही-	230/91	श्रीमती कमला गुप्ता "	36,576 रुपये	
74.	-वही-	18/92	श्रीमती अरूणा एंड पिन्टू अग्रवाल बनाम चौधरी एस्टेट प्रा. लि.	76,0000 रुपये	
75.	1.6.95	78/92	श्री मनोज कुमार चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	16,133 रुपये	
76.	-वही-	28/92	श्रीमती हरजिन्दर भाटिया "	23,800 रुपये	
77.	-वही-	80/92	श्रीमती सुरजीत कौर विरदी "	16,140 रुपये	
78.	-वही-	112/92	श्री एस. पी. महन्थ "	26,600 रुपये	
79.	-वही-	125/92	श्री अजय चौधरी "	23,560 रुपये	
80.	-वही-	143/92	श्री राजीव थापर "	26,600 रुपये	
81.	-वही-	245/92	श्री राकेश मोहन सहगल "	26,600 रुपये	
82.	-वही-	148/92	ले. कर्नल एस.के. सनान "	12,444 रुपये	

1	2	3	4		5	6
83.	-वही-	151/92	श्री एस. पी. सनान	"	12,444 रुपये	
84.	-वही-	154/92	श्रीमती साबीना सुल्ताना	"	99,275 रुपये	
85.	-वही-	158/92	श्रीमती साहिद अली खान	"	34,747 रुपये	
86.	-वही-	161/92	श्रीमती कैलास रेखी	"	12,000 रुपये	
87.	-वही-	162/92	श्री इश कपूर	"	26,600 रुपये	
88.	-वही-	163/92	श्री गोविन्द कपूर	"		
89.	-वही-	200/92	सुश्री नीलम संगल	"	19,950 रुपये	
90.	-वही-	4/93	श्री एच. एस. भल्ला	"	52,368.75 रुपये	
91.	-वही-	26/93	मि. रतन गुप्ता	"	5,000 रुपये	
92.	-वही-	28/93	श्रीमती लक्ष्मी कृष्णामूर्ति	"	59,365 रुपये	
93.	-वही-	34/93	कर्नल एम.एस. कृष्णमूर्ति	"	57,365 रुपये	
		87/93		"	57,365 रुपये	
94.	-वही-	62/93	श्री कमल विज	"	89,775 रुपये	
95.	-वही-	63/93	मी. विवेक विज	"	89,775 रुपये	
96.	-वही-	64/93	श्रीमती रमेश विज	"	89,775 रुपये	
97.	-वही-	130/93	श्रीमती विमला रानी सेठी	"	12,400 रुपये	
98.	-वही-	149/93	श्रीमती सर्वजीत कौर बनाम	"	13,640 रुपये	
99.	-वही-	151/93	श्री चन्दर मलहोत्रा	"	8,000 रुपये	
100.	-वही-	152/93	श्रीमती कुसुम मलहोत्रा	"	2,000 रुपये	
101.	-वही-	163/93	ले. कर्नल जे.एस. पठानिया	"	28,000 रुपये	
102.	1.6.95	176/93	श्री एस. एल. मेहता	चौधरी एस्टेटस (प्रा.) लि.	28,780 रुपये	
103.	-वही-	278/89	श्रीमती पूनम एंड योगिन्दर गेन्ध	"	19,950 रुपये	
104.	-वही-	233/94	श्री सरद चन्दर सिंह एंड रेखा सिंह	"	26,600 रुपये	
105.	-वही-	107/92	श्री जे. सी. एंड लक्ष्मी मलहोत्रा	"	26,600 रुपये	
106.	-वही-	सी ए 109/92	राकेश एंड दीपक मलहोत्रा	"	13,200 रुपये	
107.	-वही-	सी ए 111/92	राकेश एंड संतोष मलहोत्रा	"	26,600 रुपये	
108.	-वही-	सी ए 95/92	-वही-	"	26,600 रुपये	
109.	-वही-	सी ए 99/92	-वही-	"	26,600 रुपये	
110.	-वही-	सी ए 135/91	अजय कुमार अग्रवाल	"	19,950 रुपये	
111.	-वही-	सी ए 138/91	जी. एस. बंसल	"	26,600 रुपये	
112.	-वही-	सी ए 146/94	आर. एच. सिंग	"	26,600 रुपये	

1	2	3	4		5	6
113.	-वही-	सी ए 201/92	गणेश नारायण गंगार	"	12,600 रुपये	
114.	-वही-	सी ए 48/92	डा. उर्मिला मिश्रा	"	37,200 रुपये	
115.	-वही-	सी ए 61/92	सुभाष चन्दर	"	42,945 रुपये	
116.	-वही-	सी ए 100/92	पुलक कुमार पालिक	"	19,950 रुपये	
117.	-वही-	सी ए 120/91	मीरा सुन्दरम	"	26,600 रुपये	
118.	-वही-	सी ए 140/94	दीप कुशी तिवारी	"	53,200 रुपये	
119.	-वही-	सी ए 2601/89	रोमा शिव घई	"	44,000 रुपये	
120.	-वही-	सी ए 2602/89	मेजर राजकपूर	"	28,000 रुपये	
121.	-वही-	सी ए 116/91	एस. के. चोपड़ा	"	54,650 रुपये	
122.	-वही-	सी ए 197/94	फाल एस किराता एंड	"	26,500 रुपये	
123.	-वही-	सी ए 115/91	राम कुमार सिंह वीना चोपड़ा	"	67,688 रुपये	
124.	-वही-	सी ए 116/91	बी. बी. खेरा	"	54,150 रुपये	
125.	-वही-	सी ए 149/90	मो. असलम	"	24,000 रुपये	
126.	-वही-	सी ए 148/90	मोहम्मद सैयद असीफ मियां	"	24,000 रुपये	
127.	-वही-	सी ए 146/90	हरनून खान	"	10,000 रुपये	

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की मिलें

*405. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बी आई सी) की फिलहाल कितनी मिलें चल रही हैं और उनका वार्षिक उत्पादन और बिक्री कितनी-कितनी है;

(ख) क्या ये मिलें पिछले कई वर्षो से घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इनके पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इस समय ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की कितनी मिलें बंद पड़ी हुई हैं;

(च) इन मिलों के बंद होने के कारण कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के पास दो वूलन मिले हैं, अर्थात् कानपुर में कानपुर वूलन मिल्स शाखा तथा धारीवाल में न्यू एगर्टन वूलन मिल्स शाखा। 1995-96 के दौरान इन दो मिलों का उत्पादन तथा बिक्री अनन्तिम रुप से क्रमशः 14.19 करोड़ रु. तथा 13.39 करोड़ रु. अंकी गयी है।

(ख) तथा (ग) बी आई सी विगत अनेक वर्षो से घाटा उठा रही है। कम्पनी को समुचित आधुनिकीकरण की कमी, अत्यधिक जनशक्ति, श्रमिक समस्याओं, कार्यशील पूंजी की जटिल कमी, आदि के कारण घाटे हुए हैं। विगत तीन वर्षो के दौरान उठाये गए घाटे 32.51 करोड़ रु., 32.08 करोड़ रु. तथा 31.67 करोड़ रु. (अनन्तिम) रहे हैं।

(घ) समग्र निवल पूंजी की कमी तथा लगातार घाटों के कारण, बी आई सी के मामले को बी आई एफ आर के पास भेजा गया है जिसने इसे एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी घोषित कर दिया है तथा इसको बंद करने के आदेश दिये हैं। कंपनी ने ए. ए. आई. एफ. आर के समक्ष अपील की है तथा इस बंद करने के आदेश के विरुद्ध स्थगन ले लिया है। बी आई सी ने ए ए आई एफ आर के समक्ष एक पुनर्वास योजना पेश की है जो इस समय प्रचालन एजेंसी के विचाराधीन है।

(ङ) बी आई सी के तहत कोई मिल बन्द नहीं पड़ी है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

कपड़ा मिलों को पुन: चालू करना

*406. **डा. सत्यनारायण जटिया**: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान तथा जुलाई, 1996 तक राज्य-वार राष्ट्रीय वस्त्र निगम/ राज्य वस्त्र निगम तथा निजी क्षेत्र की कितनी मिलों को बन्द करने के आदेश दिए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान एन टी सी/एस टी सी निजी क्षेत्र की मिलों को पुन: चालू करने के लिए बनाई गई नीति तथा श्रमिकों को रोजगार देकर उनके पुनर्वास के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले और इन पर कितना खर्च किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा 1-8-1993 से 31-7-1996 तक जिन वस्त्र मिलों को बन्द करने की सिफारिश की गई है, उनकी राज्य-वार संख्या नीचे दी गई हैं :-

राज्य	बी.आई.एफ.आर. द्वारा बन्द करने के लिए संस्तुत मामलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	2
गुजरात	11
हरियाणा	3
कर्नाटक	2
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	6
नई दिल्ली	1
राजस्थान	2
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	15
प. बंगाल	1
कुल :	47

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का अपील प्राधिकारी किसी भी कम्पनी अथवा उद्योग को बन्द करने के आदेश जारी नहीं करता है ।

(ख) सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कम्पनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरुद्धार के लिए यथाउपयुक्त योजनाएं तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है। रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत बी आई एफ आर संबंधित उच्च न्यायालय को कम्पनियों को बन्द करने की सिफारिश करता है।

सरकार ने स्थाई रूप से/आंशिक रूप से बन्द पड़ी मिलों के कामगारों को अन्तरिम राहत देने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) स्थापित की है। उपरोक्त 47 मिलों में से किसी भी मिल ने टी डब्ल्यू आर एफ एस योजना के अन्तर्गत सहायता का लाभ नहीं उठाया है हालांकि 1 मिल (रूस्तम मिल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि., अहमदाबाद) से आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है। वर्ष 1986 में जब टी डब्ल्यू आर एफ एस योजना शुरू की गई थी तब से अब तक इस योजना के अन्तर्गत 28 पात्र मिलों के 41,449 कामगारों को 81.97 करोड़ रू. की राशि वितरित की गई है।

मणिपुर में ऋण वितरण

*407. **श्री थ. चौबा सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मणिपुर राज्य में प्रति व्यक्ति कितना ऋण वितरित किया गया;

(ख) सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में 1996-97 के दौरान ऋण वितरण में वृद्धि करने के लिए नीति में यदि किन्हीं संशोधनों का विचार किया गया है तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) मणिपुर में बिना बैंक वाले क्षेत्रों में बैंक शाखाएं कब तक खोले जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) द्वारा पिछले तीन वर्षो के दौरान मणिपुर राज्य को किया गया प्रति व्यक्ति संवितरण निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	प्रति व्यक्ति संवितरण रूपए
1993-94	5.7
1994-95	1.0
1995-96	11.6

(ख) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि किसी परियोजना को किसी राज्य/क्षेत्र विशेष में स्थापित करने का फैसला उद्यमी के पास निहित होता है, जो कि किन्हीं कारकों से निर्देशित होते हैं, जैसे कि, राज्य में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल कारीगर और बाजार की सुविधा आदि। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि. (एनईडीएफआई) नामक एक नई लोक वित्तीय संस्था स्थापित की गई है जो वित्त निर्माण, विस्तार, औद्योगिक उद्यमों का प्रसार और उनका आधुनिकीकरण तथा मणिपुर राज्य समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की मूलभूत परियोजनाओं के लिए कार्य करेगी। एनईडीएफआई की स्थापना के होते हुए भी, एएआईएफआई का यह प्रयास होगा कि वे मणिपुर राज्य में उभर रही वित्तीय रूप से अर्थक्षम तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य सभी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करें।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी वर्तमान शाखा लाइसेसिंग नीति के अनुसार, शाखा खोलने का फैसला बैंकों द्वारा शाखा/बैंक के अर्धक्षमता के पहलू को ध्यान में रखते हुए स्वयं करना होता है। इस समय मणिपुर राज्य में शाखायें खोलने को कोई भी प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित नहीं है।

निर्यात कम्पनियों पर कर

*408. **श्री तारीक अनवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाए जाने से सैकड़ों निर्यात कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) कुछ निर्यात कम्पनियों को प्रस्तावित न्यूनतम वैकल्पिक कर उपबंधों के अन्तर्गत कर का भुगतान करना पड़ सकता है।

(ख) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों या निर्यात प्रसंस्करण जोनों में स्थापित यूनिटों के रूप में कार्य कर रही कम्पनियों को कर छूट की 5 वर्ष की अवधि के दौरान न्यूनतम वैकल्पिक कर के अन्तर्गत किसी कर का भुगतान नहीं करना होगा। निर्यात कम्पनियों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंध लागू होंगे यदि निर्यात मुनाफा कारोबार के कुल मुनाफे का 70 प्रतिशत या इससे अधिक हो। जहां निर्यात कारोबार 90 प्रतिशत हो वहां खाता लाभ के 8.6 प्रतिशत के बराबर कर लगाया जाएगा। 80 प्रतिशत निर्यात के मामलों में 4.3 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में बैंकों की शाखाएं

*409. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों सहित पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा लाइसेसिंग नीति के तहत महानगरीय शहरी एवं अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद, शाखाएं खोलने और भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय वाणिज्यिक बैंकों पर छोड़ दिया गया है। बैंकों द्वारा पता लगाई गई ग्रामीण शाखाएं खोलने के उन प्रस्तावों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है, जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने की है।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंको को नई शाखाए खोलने की स्वतंत्रता दे दी है, जो निम्नलिखित मानदंड पूरा करते हों:

(i) 8 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूरा करना;

(ii) न्यूनतम 100 करोड़ रूपये का स्वाधिकृत निधियां,

(iii) तीन अनुवर्ती वर्षों के लिए शुद्ध लाभ दर्शाने वाले बैंक ; तथा

(iv) कुल बकाया ऋणों के 15 प्रतिशत से अनधिक अनुपयोज्य आस्तियां।

भारतीय रिजर्व बैंक ने उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों से कहा है कि वे नई शाखाएं खोलने के लिए अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित वार्षिक योजना प्रस्तुत करें ताकि भारतीय रिजर्व बैंक अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से लाइसेंस जारी करने के लिए कह सके।

[अनुवाद]

चुनाव संबंधी लंबित याचिकाएं

*410. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 और 1996 में आम चुनावों से संबंधित अभी तक लंबित याचिकाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन चुनाव याचिकाओं के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) कतिपय राज्यों की बाबत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा उपलब्ध कराई गई अपेक्षित जानकारी विवरण I-IV में दी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। शेष राज्यों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) निर्वाचन विधि के अधीन, निर्वाचन अर्जी का विचारण, यथासाध्य, विचारण से संबंधित न्याय के हितों से संगत रूप से इसकी समाप्ति तक दिन-प्रतिदिन जारी रखा जाना चाहिए और विचारण के लिए उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जी के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर विचारण को समाप्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तथापि, अधिक संख्या में साक्षियों की परीक्षा, विभिन्न आधारों पर स्थान की मांग करना और प्रक्रिया संबंधी विवाद आदि, निर्वाचन अर्जियों के निपटारे में विलंब के विभिन्न कारणों में से हैं।

(ग) सरकार ने निर्वाचन अर्जियों के लंबित रहने के विधायक को व्यापक अध्ययन के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट किया है।

विवरण-I

मई, जून 1991 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित निर्वाचन अर्जियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में लंबित निर्वाचन अर्जियां
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	1
3.	महाराष्ट्र	2
4.	राजस्थान	4
5.	उत्तर प्रदेश	9
6.	दिल्ली	1
	योग :	18

उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों की संख्या 2

विवरण-II

1991 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन के संबंध में उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित निर्वाचन अर्जियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में लंबित निर्वाचन अजियां
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	8
2.	पश्चिमी बंगाल	2
	योग :	10

उच्चमतम न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों की सख्या 3

विवरण-III

अप्रैल/मई, 1996 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों में फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उच्च न्यायालयों के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की सं.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	8
3.	असम	8
4.	बिहार	9
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	4
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
10.	कर्नाटक	1
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	महाराष्ट्र	7
14.	मणिपुर	शून्य
15.	मेघालय (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य
19.	पंजाब	4
20.	राजस्थान (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	शून्य
23.	त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	6
25.	पश्चिमी बंगाल (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
27.	चंडीगढ़	शून्य
28.	दादरा और नागर हवेली	शून्य
29.	दमण और दीव	शून्य
30.	दिल्ली	3
31.	लक्षद्वीप (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
32.	पांडिचेरी - यथोक्त	
	योग :	56

विवरण-IV

अप्रैल/मई, 1996 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	उच्च न्यायालयों के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की सं.
1	2	3
1.	असम	11
2.	हरियाणा	20
3.	केरल	16
4.	तमिलनाडु	8
5.	पश्चिमी बंगाल (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
6.	पांडिचेरी (जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई)	
	योग :	55

बचत दर

*411. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1990-91 से बचत की दर में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 से सकल घरेलू बचत तथा सकल घरेलू उत्पाद के वर्षवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) इस गिरावट के मुख्य कारण क्या है; और

(घ) बचत योजना में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) से सकल घरेलू बचतों के अनुपात के रूप में मापित बचत दर में 1990-91 में 23.6 प्रतिशत से 1994-95 (त्वरित अनुमान) में 24.4 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू बचतों (जी. डी.एस) और जी.डी.पी में प्रवृत्तियां नीचे दर्शायी गई हैं :

वर्ष	जी. डी. एस.	जी. डी. पी.	बचत दर (2) प्रतिशत (3)
(1)	(2) (करोड़ रुपए)	(3)	(4)
1990-91	126652	535534	23.6
1991-92	140647	616799	22.8
1992-93	149365	705328	21.2
1993-94	171184	801032	21.4
1994-95	230648	945615	24.4

त्व. अ. = त्वरित अनुमान।

बचतों के संवर्द्धन के लिए उन पैरामीटरों का सुधार करना अनिवार्य है जो बचत करने की आदतों पर प्रभाव डालते हों। इनमें अर्थव्यवस्था में अभिवृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रास्फीति, बैंकिंग प्रणाली और पूंजी बाजार की क्षमता तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल हैं। अब तक किए गए अनेक आर्थिक सुधार उपायों से सकल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कुछ दिन पहले संसद में पेश किए गए वर्ष 1996-97 के केन्द्रीय सरकार के बजट में अनेक ऐसे उपाय/नीति परिवर्तन शामिल हैं जिनसे बचतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

[हिन्दी]

बदरपुर विद्युत एककों को कोयले की आपूर्ति

*412. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अगस्त, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "इनएडिक्वेट कोल सप्लाई फेसिस क्लोजर ऑफ द बदरपुर यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो बदरपुर विद्युत संयंत्र के दो एककों को कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश के विभिन्न विद्युत संयंत्रों, विशेषकर बदरपुर विद्युत एककों को कोयले की वर्तमान आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) कोयला कंपनियां, बदरपुर तापीय विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति इस गृह को स्वीकृत किए गए संयोजन के अनुसार कर रही है। किन्तु, रेल संचलन में अवरोध होने के अलावा, इस विद्युत गृह की ओर बड़ी मात्रा में देय बकाया राशि को दृष्टिगत करते हुए, कभी-कभी कोयला कंपनियां प्राप्त अदायगी की सीमा तक, कोयले की आपूर्ति को प्रतिबंधित लिए जाने के लिए बाध्य हो जाती हैं।

(ग) देश में विद्युत गृहों की कोयले की आपूर्ति को, जिसमें बदरपुर तापीय विद्युत गृह भी शामिल है, उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति पर एक अन्तर-मंत्रालयीय दल द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त, बदरपुर तापीय विद्युत गृह के देय बकाया राशि का निपटारा किए जाने के मामले पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र द्वारा सेवाओं का विस्तार

*413. **श्री सुरेश कलमाडी :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्यम वर्ग तथा गरीबों के लाभार्थ बीमा क्षेत्र में सेवाओं के विस्तार के लिए दो नई योजनायें शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) साधारण बीमा निगम के पुनर्गठन के लिए विचारार्थ प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) बजट भाषण 1996-97 में जीवन बीमा निगम द्वारा "जीवन सुरक्षा" और साधारण बीमा निगम द्वारा "जन आरोग्य" नामक दो नई स्कीमों को आरंभ किए जाने के बारे में घोषणा की गयी थी। उस घोषणा के अनुसरण में "जन आरोग्य" को 12 अगस्त, 1996 से लागू किया गया है तबकि "जीवन सुरक्षा" 15 अगस्त, 1996 से आरंभ की गयी है।

इन दोनों स्कीमों की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नप्रकार हैं :-

जीवन सुरक्षा :

इस स्कीम का आशय लोगों को उनके जीवन-काल के दौरान बचतों को सुसाध्य बनाते हुए उनको सेवानिवृत्ति आय मुहैया कराने में सहायता प्रदान करना है। बीमित व्यक्ति के निहित आयु तक जीवित रहने पर और प्रीमियम के भुगतान की अवधि के दौरान सभी प्रीमियमों के भुगतान किए जाने पर, बीमित व्यक्ति की जीवनावधि के दौरान सामान्य पेंशन अथवा एक मुश्त राशि के लिए सामान्य पेंशन के 25 प्रतिशत का संराशीकरण और सामान्य पेंशन के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान बीमित व्यक्ति की जीवनावधि के दौरान किया जाएगा। बचत की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उत्तरजीवी पति/पत्नी उस 50 प्रतिशत पेंशन का हकदार होगा, जिसके लिए बीमित व्यक्ति ने यदि सभी प्रीमियमों का भुगतान किया होता और वह निहित आयु तक जीवित रहा होता। इनमें प्रवेश पाने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

जन आरोग्य :

प्रारंभिक अवस्था में यह स्कीम जनसंख्या के उस बड़े तबके के लिए है जो चिकित्सा उपचार की उच्च लागत को बरदाश्त नहीं कर सकते। कवर की सीमा प्रति व्यक्ति 5000 रूपए प्रतिवर्ष है। वयस्क व्यक्ति के लिए 45 वर्ष की आयु तक प्रीमियम की राशि 70 रूपए है। 45 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति भी थोड़ा अधिक प्रीमियम के भुगतान पर कवर हो सकते हैं। पति, पत्नी और 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों वाले चार सदस्यों का परिवार केवल 240 रूपए की वार्षिक राशि का भुगतान करने पर प्रति व्यक्ति 5000/- रूपए के लिए कवर हो सकेगा। बीमित व्यक्ति को बीमा की अवधि के दौरान किसी बीमारी, चोट या रोग लगने अथवा उससे ग्रसित होने पर अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती होने/घर में इलाज कराने पर उसके द्वारा उठाए गए चिकित्सा संबंधी खर्च के वापसी भुगतान की व्यवस्था इस कवर में है।

(ग) सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के बैंकिंग क्षेत्र की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव के परिप्रेक्ष्य में बीमा उद्योग की पुनर्सरचना की अभिकल्पना की गयी है। सरकार द्वारा गठित अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण को बीमा बाजार के उतरोत्तर विकास और संवर्धन से संबंधित सभी विषयों और इस प्रयोजनार्थ एक व्यापक विधान प्रस्तावित करने का कार्य सौंपा गया है।

गुणवत्ता वाले रेशम के केन्द्र

*414. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर राज्यों से ऐसे क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले रेशम के केन्द्रों की स्थापना करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है, जहां बड़ी संख्या में रेशम उत्पादक किसान और इसकी कताई करने वाले लोग रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने अपनी इकाईयों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या इन राज्यों को इस संबंध में कोई केन्द्रीय सहायता दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर.एल. जालप्पा) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में जो कि रेशम उत्पादन के परंपरागत राज्यों में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के क्रियान्वयन की एजेंसियां हैं, गुणवत्ता उन्नयन के लिए अध्यसंरचना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम, शुरू करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों को संबंधित राज्यों द्वारा विश्व बैंक/स्विटजरलैंड सहायित राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अपने संबंधित संघटकों के तहत स्वतः शुरू करने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के तहत आरंभ से मार्च, 1996 तक अनुमोदित लागत की तुलना में संचित व्यय निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रु. में)

राज्य	परियोजना लागत	वास्तविक व्यय
कर्नाटक	88.64	62.05
तमिलनाडु	55.66	40.00
पश्चिम बंगाल	38.26	18.64
जम्मू और कश्मीर	21.36	12.84
आंध्र प्रदेश	48.48	40.35
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	331.30	236.88
योग :	583.70	410.76

हिन्दुस्तान पेपर निगम में घाटा

*415. **श्री पी. डी. चावल :**

श्री नंदकुमार सिंह चौहान :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर निगम की इकाइयां घाटे में चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेपर निगम द्वारा उत्पादित कागज बहुत बड़ी मात्रा में गोदामों में बिना बिके पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कागज का इकाई-वार मूल्य तथा भंडार कितना है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। अवस्थापनागत हानियों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण, लागत आदि अधिक हो जाने के परिणामस्वरूप अत्यधिक ब्याज के बोझ के कारण हानि हुई, हालाकि प्रचालन लाभ में विगत में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1995-96 में हानि में अत्यधिक कमी हुई और क्षमता उपयोगिता में बढ़ोतरी हो रही है।

(ग) से (ङ) जी हां, बाजार में मंदी की स्थिति, उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ उठा रही मध्यम आकार की अन्य मिलों से प्रतिस्पर्द्धा, संस्थागत आर्डरों की कमी, उत्तर-पूर्व में एककों की अवस्थापना के कारण भाड़े व परिवहन की असुविधाओं के कारण, नौगांव पेपर मिल तथा कछार पेपर मिल के गोदामों में क्रमशः 12603 मी. टन तथा 12046 मी. टन का स्टॉक जमा पड़ा है। कागज का औसत मूल्य 28000 रूपए प्रति मी. टन है। विपणन में सुधार के प्रयास बढाने हेतु कई उपाय किए गए हैं। मूल्यवर्धित कागज के उत्पादन, थोक खरीददारियों के लिए मूल्य में कमी के अतिरिक्त भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों राज्य सरकारों से सहायता एवम् प्रदान करने का अनुरोधा किया गया है।

न्यायिक वेतन आयोग

*416. **श्री स्वामी वी. अलागिरी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक वेतन आयोग ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग तारीख 21.3.96 के संकल्प द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त संकल्प के अनुसार आयोग को यथासंभव शीघ्र अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजना है। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

कोयले के नमूने

*417. **श्री सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह गायकवाड़ :**

श्री सनत मेहता :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार विद्युत केन्द्रों पर कोयले के मिश्रित नमूने लेने की पुरानी प्रथा को पुनः शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और गुजरात विद्युत बोर्ड के बीच कोयले की प्राप्ति के संबंध में कोई विवाद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ङ) इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या कोयले की कम आपूर्ति के कारण राज्य विद्युत बोर्डो को हुई राजस्व की हानि की भरपाई करने के लिए एक बीमा कोष गठित करने हेतु केन्द्र सरकार को राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। विश्वव्यापी वाणिज्यिक पद्धति को देखते हुए उपभोक्ताओं को प्रेषित किए गए कोयले के संबंध में कोयले की गुणवत्ता तथा मात्रा का निश्चय किए जाने हेतु लदान स्थल ही तर्कसंगत स्थल है। यह स्थिति वस्तु बिक्री अधिनियम, 1930 की व्यवस्था के अनुरूप भी है।

(ग) से (ङ) गुजरात विद्युत बोर्ड ने कोयले की कम मात्रा में प्राप्ति होने के बारे में दावे प्रस्तुत किए हैं, जो कि गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत गृह के स्थल के भार की मात्रा का निर्धारण किया गया है और यह निर्धारण उन वैगनों के संबंध में किया गया है, जिन्हें प्रेषण स्थल पर भारित नहीं किया गया था और रेलवे की रसीद भार क्षमता के आधार पर जारी कर दी गई थी। कोयले की कम मात्रा में विवादित राशि लगभग 63 करोड़ रु. की है। विवादों का निपटारा किए जाने हेतु सिद्धांतों पर सहमति, गुजरात विद्युत बोर्ड और कोयला कंपनियों के बीच हुए परस्पर विचार विमर्श के माध्यम से की गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (च) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

कोल इंडिया लि. द्वारा कोयले का उत्पादन

*418. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह माह के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोयला उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उक्त लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। फरवरी और जुलाई, 1996 की अवधि के बीच वर्ष 1995 की इसी अवधि की तुलना में कोयले का उत्पादन क्रमश: 124.163 मि. टन और 115.886 मि. टन हुआ, जो कि 7.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

(ग) पिछले 6 महीने की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा निर्धारित किए गए कोयले के उत्पादन लक्ष्य तथा प्राप्त की गई उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :-

(आंकड़े मि. टन में)

अवधि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनंतिम)
फरवरी और मार्च, 96	49.687	52.106
अप्रैल, 96 से जुलाई, 96	71.320	72.057
	121.007	124.163

लोक अदालतें

*419. **श्री सत्यदेव सिंह** :

श्री गिरधारी यादव :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न/ राज्यो में राज्यवार कितनी-लोक अदालतें आयोजित की गई;

(ख) क्या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोक अदालतों के गठन में रुचि न लेने के कारण विवादों के शीघ्र निपटान के लिए उक्त योजना सफल नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना को सफल बनाने हेतु कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने मामलों का निपटान किया गया?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) लोक अदालत, जो अब तक सुलहकारी और आग्रही पद्धति से विवादों के समापन के लिए एक स्वैच्छिक प्रयास था, को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन से 9 नवम्बर, 1995 से एक कानूनी आधार दे दिया गया है। तथापि, उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों को, बारह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर विस्तारित किया गया है। अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों को बिहार राज्य पर शीघ्र ही विस्तारित किए जाने की संभावना है। शेष राज्य सरकारों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों को अंतिम रूप देने और राज्य के राजपत्र में अधिसूचित करने को प्रेरित करने के लिए जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों को उन राज्यों पर भी विस्तारित किया जा सके। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों को अंतिम रूप दिए जाने और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन प्राधिकरणों और समितियों का गठन किए जाने तक लोक अदालतें आयोजित करने की पूर्वत्तर पद्धति का अनुसरण किया जा रहा है और बोर्ड नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन कर रहे हैं।

काटन हैंडलूम डिजाइनिंग

*420. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास

के लिए शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है और उन पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में हथकरघा क्षेत्र में "फ्रीलांस डिजाइनरों" के डिजाइनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से राज्यों से डिजाइनरों का चयन किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार निर्यात के लिए काटन हैंडलूम के डिजाइन हेतु कुछ विदेशी डिजाइनरों का भी चयन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन डिजाइनरों को डिजाइन फीस और अन्य खर्चों के रूप में कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए आरंभ की गई योजनाएं इस प्रकार हैं :-

1. हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना की योजना वर्ष 1993-94 से आरंभ की गई।
2. निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के विकास और उनके विपणन को बढ़ाने के लिए योजना वर्ष 1996-97 से आरंभ की गई।
3. हथकरघा क्षेत्र में फ्रीलांस डिजाइनरों को शामिल करने की योजना-जुलाई 96 से आरंभ की गई।

इन योजनाओं के अंतर्गत गत 3 वर्षों के दौरान हुए व्यय का विवरण I, II व III में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। हथकरघा क्षेत्र में फ्रीलांस डिजाइनरों की सेवाएं लेने के लिए एक योजना वर्ष 1996-97 से आरंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट डिजाइनर को सम्मिलित करके हथकरघा क्षेत्र के डिजाइनों को और सुदृढ़ बनाना है ताकि उनके विपणन में सुधार हो सके। कुछ चयन किये गये डिजाइनरों को 6 माह की अवधि के लिए प्राथमिक सहकारी समितियों, राज्य हथकरघा निगमों और शीर्ष निकायों के साथ शामिल किया गया है। प्रत्येक डिजाइनर 25 डिजाइन विकसित करेगा और उनकी तकनीकी, रंग मिश्रण, ग्राफ आदि की जानकारी देगा। इन डिजाइनरों और हथकरघा संगठनो के बीच परस्पर संपर्क बनाये रखने के लिए बुनकर सेवा केन्द्र नॉडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

(घ) समूचे देश से।

(ङ) से (छ) जी हां। इस योजना के अंतर्गत विदेशी डिजाइनरों को भी शामिल किया जा सकता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा इनका चयन किया जाता है व फीस निर्धारित की जाती है।

विवरण-I

हथकरघा विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान जारी राशि।

लाखों रूपये में

राज्य का नाम	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	246.95	414.0900	217.820
2. अरूणाचल प्रदेश	-	-	-
3. असम	100.00	489.2350	84.490
4. बिहार	-	74.4800	114.410
5. गुजरात	-	20.4200	8.250
6. गोवा	-	-	-
7. हरियाणा	-	-	4.000
8. हिमाचल प्रदेश	2.00	30.3600	26.195
9. जम्मू व कश्मीर	-	6.0800	3.040
10. कर्नाटक	17.50	84.6900	26.695
11. केरल	29.37	260.9800	116.050
12. मध्य प्रदेश	20.00	82.0650	31.870
13. महाराष्ट्र	6.00	53.3850	26.480
14. मणिपुर	113.74	607.5250	132.000
15. मेघालय	-	-	-
16. मिजोरम	-	-	-
17. नागालैंड	-	-	8.000
18. उड़ीसा	178.30	278.2800	153.840
19. पंजाब	-	-	-
20. राजस्थान	-	3.0400	2.235
21. तमिलनाडु	124.85	805.8300	449.105
22. त्रिपुरा	-	48.0100	17.875
23. उत्तर प्रदेश	-	40.8900	140.130
24. पश्चिमी बंगाल	161.29	336.6400	165.855
25. दिल्ली	-	-	-
26. पांडिचेरी	-	18.5015*	-
कुल :	1000.00	4018.5015	1728.340

विवरण-II

निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विकास की योजना में हुआ व्यय विवरण।

संगठन का नाम	राशि	कार्य
1996-97		
मैसर्स जम्मू व कश्मीर हथकरघा विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य हथरकघा निगम, भेड़ व पशुपालन विभाग, जम्मू कश्मीर प्रशासन।	रु. 2,98,830	

विवरण-III

फ्रीलांस डिजाइनर योजना, 1996-97 की प्रगति।

लक्ष्य : 100

राज्य	सम्मिलित किए गए डिजाइनरों की संख्या
1	2
अरूणाचल प्रदेश	1
तमिलनाडु	2
कर्नाटक	2
महाराष्ट्र	6
पश्चिमी बंगाल	4
बिहार	1
उड़ीसा	3
उत्तर प्रदेश	5
राजस्थान	3
हिमाचल प्रदेश	2
दिल्ली	1
जम्मू व कश्मीर	2
हरियाणा	1
मध्य प्रदेश	2
आन्ध्र प्रदेश	1
कुल : 15	36

प्रत्येक डिजाइनर को 10,000/- रूपये की अग्रिम राशि मंजूर की गई है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खनिज आधारित उद्योग

3477. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में कृषि, वन और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जनवरी, 1994 से जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान, कर्नाटक में कृषि, वन और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन कुल 39 आशय-पत्र प्रदान किए गए थे।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, राज्य सरकार उपक्रम से चीनी के विर्निर्माण हेतु पर्याप्त विस्तार के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और पार्टी को आशय पत्र प्रदान कर दिया गया है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वित्तीय सेवा योजना

3478. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वित्तीय सेवा योजना चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में उद्यमियों द्वारा इसकी सहायता पाने हेतु स्वीकृत मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी हां। यह असम राज्य में चालू है।

(ख) निगम अपनी वित्तीय सेवाओं के तहत असम राज्य के उद्यमियों को चार योजनाएं नामतः (1) कच्चे माल में सहायता (2) बिलों का वित्त पोषण (3) कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण तथा (4) निर्यात विकास वित्त पोषण, प्रदान कर रहा है।

इस योजना के तहत सहायता उपलब्ध कराने हेतु अपनाये गये मानदंड है (1) एकक कोई पंजीकृत लघु एकक हो; (2) एकक प्रौद्योगिकी आर्थिक रूप से जीवयक्षम हो ताकि योजना के तहत स्वीकृत ऋण की वापसी सुनिश्चित हो सके; (3) एकक को बैंक गारंटी/साख पत्र/शेयरों/सावधि जमा आदि के रूप में जमानत प्रस्तुत करनी पड़ती है।

[हिन्दी]

औद्योगिक आवासीय परिसरों का निर्माण

3479. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी भवन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनके साथ भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम (एस. सी. आई. सी. आई.) ने औद्योगिक आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या दिल्ली के कुछ भवन निर्माता भी इसमें शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समझौतों को अंतिम रूप और उन पर कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम लि. (एस सी आई सी आई) ने सूचित किया है कि उसने आवासीय फ्लैटों की खरीद के लिए निम्नलिखित चार भवन निर्माताओं/डेवलपरों के साथ समझौता किया है :

(i) सूरज स्टेट डेवलपर्स प्रा. लि. (एसईडीपीएल)

(ii) श्रीएंड कंपनी प्रा. लि. (एस पी एल)

(iii) लोखंडवाला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज लि. (एल सी आई एल)

(iv) डी एल एफ यूनिवर्सल लि. (डी यू एल)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भवन निर्माताओं/डेवलपरों को सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं के विवरण निम्न प्रकार हैं :

(i) एसईडीपीएल ने दस फ्लैट्स बनाकर दे दिए हैं और मुम्बई में दो अलग-अलग भवनों में शेष 21 फ्लैट अभी बनाए जाने हैं और एससीआईसीआई लि. को दिए जाने हैं।

(ii) एसपीएल ने एससीआई सीआई लि. को मुम्बई में पांच फ्लैट्स बनाकर दिए हैं।

(iii) एससीआईएल ने एससीआईसीआई लि. को मुम्बई में दस फ्लैट बनाकर दिए हैं; और

(iv) गुड़गांव हरियाणा में डी यू एल द्वारा 15 फ्लैट निर्माणाधीन हैं।

(ङ) एससीआईसीआई लि. ने सूचित किया है कि एसईडीपीएल द्वारा बनाए गए फ्लैटों के कब्जे की संभावित तारीख दिसम्बर, 1997 है और डीयूएल द्वारा बनाए गए फ्लैटों की यह तारीख अप्रैल, 1998 है।

[अनुवाद]

हथकरघा उद्योग को राज सहायता

3480. **श्री टी. गोविंदन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परम्परागत हथकरघा उद्योग को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकने के लिए निर्यात हेतु अधिक राज सहायता देकर उसे बचाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा हथकरघा निर्यातकों को इस तरह की कोई इमदाद नहीं दी जा रही है। तथापि, सरकार देश से हथकरघा सामानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठा रही है, जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों को आयोजित करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उत्पाद विकास तथा गुणवत्ता उन्नयन।

फेरा का उल्लंघन

3481. **श्री एन. एस. वी. चित्तन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार फेरा उल्लंघनों के कुल कितने मामले पकड़े गये;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति संलिप्त हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1993, 1994 और 1995 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उल्लंघन के लिए देश में क्रमशः कुल 5040, 6601 और 5633 मामलों का पता लगाया।

(ख) पता लगाए गए मामलों का ब्यौरा राज्य-वार संघ शासित प्रदेश वार नहीं रखा जाता है, फिर भी क्षेत्र-वार मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या				
	बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	जालन्धर	मद्रास
1993	1320	991	992	220	1517
1994	1631	1050	1566	942	1412
1995	1508	931	1953	268	973

(ग) वर्तमान में इन मामलों में लगे व्यक्तियों की संख्या नहीं रखी जा रही है।

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी

3482. **श्री प्रबोध मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता द्वारा अनुकम्पा के आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के बहुत से मामलों का अब तक निपटारा नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में बैंक के पास बहुत दिनों से अनेकों अभ्यावेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सभी मामलों का निपटारा कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि (सेवा के दौरान मृत्यु संबंधी योजना के अंतर्गत) अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने के पात्र कर्मचारियों के सभी मामले निपटा दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी. ए. जी. तथा सी. बी. आई. के नियामक नियंत्रण से बीमा क्षेत्र को छूट

3483. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने बीमा क्षेत्र को भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) तथा केन्द्रीय, जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के नियामक नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिनांक 3 अगस्त, 1996 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय उद्योग परिसंघ ने सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम दोनों को भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विनियामक नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की निगरानी

3484. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री की अगुवाई में कुछ मंत्रियों का एक दल सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की देखरेख हेतु गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (बी एस ई) विशेषकर, रुग्ण उपक्रमों की संवीक्षा के लिए सरकार ने मार्च 1994 में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक दल गठित किया था। दल के विचारणीय विषयों में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित प्रत्येक पी एस ई मामले में मंत्रालयों द्वारा राहत प्रदान करने संबंधी किसी मामले में अपने विचार रखने का कोई वादा करने के बारे में निर्देश और मार्गनिर्देश दिए गए है।

आइसक्रीम के लिए लाइसेंस जारी करना

3485. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय निगमों को भारत में आइसक्रीम के क्षेत्र में कार्य करने हेतु लाइसेंस जारी कर दिए है;

(ख) यदि हां, तो वे कम्पनियां कौन सी हैं जिन्होंने अपने विक्रय केन्द्र पहले ही स्थापित कर दिए हैं और उनके विक्रय केन्द्र कहां-कहां खोले गए हैं और किन बहुराष्ट्रीय निगमों के और आने की संभावना है;

(ग) क्या स्वदेशी विनिर्माताओं पर उनके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ड.) क्या इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश से देश में आइसक्रीम की कीमतें बढ़ गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार ने आईसक्रीम के विनिर्माण के लिए विदेशी इक्विटी के साथ किसी बड़ी कम्पनी को औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किये हैं।

(ख) से (ज) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में ऋण राहत योजना

3486. **श्री बी० धर्मभिक्षम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में कृषि और ग्रामीण राहत योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना (1990) के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में उधारकर्ताओं को प्रदान की गई ऋण राहत की कुल राशि 882.66 करोड़ रुपए थी।

कृषि आय पर छूट

3487. **श्री रामसागर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने आयकरदाता हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन आयकरदाताओं में से कितनों ने अपनी कृषि से प्राप्त आय में आयकर छूट की मांग की है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी छूट मांगी गई है और कितनी छूट दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में आयकर-दाताओं की संख्या इस प्रकार है:-

दिनांक 31-3-94	को	6.76 लाख
दिनांक 31-3-95	को	6.24 लाख
दिनांक 31-3-96	को	6.24 लाख

(ख) और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) के अनुसार कृषि आय किसी व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है। फिर भी, किसी व्यष्टि, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय और कृत्रिम विधिक व्यक्ति के मामले में यदि पूर्व वर्ष की सकल कृषि आय छः सौ रूपए से अधिक और गैर-कृषि की कुल आय छूट सीमा से अधिक हो तो ऐसी सकल कृषि आय को कुल गैर-कृषि आय पर आयकर की दर निर्धारित करने के लिए कुल आय के साथ जोड़ दिया जाता है। कृषि आय को शामिल करने संबंधी मामलों और जोड़ी गई सकल कृषि आय की धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	जोड़ी गई सकल कृषि आय की धनराशि
1993-94	635	42270 (000) रूपए
1994-95	633	42548 (000) रूपए
1995-96	867	48263 (000) रूपए

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड

3488. **श्री हाराधन राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को सरकार द्वारा अधि-ग्रहण से पूर्व तथा आज की तिथि में इसकी रिफ्रेक्टरि इकाइयों में इकाई-वार कार्यरत मजदूरों तथा स्टाफ की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उन मजदूरों तथा स्टाफ की संख्या कितनी है, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली है तथा उनको दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) रिफ्रेक्टरी इकाइयों के अधिग्रहण से पूर्व तथा यथा 31.7.96 को इनके स्टाफ तथा श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है :

इकाई	अधिग्रहण से पूर्व स्टाफ तथा श्रमिकों की संख्या	यथा 31.7.96 को स्टाफ तथा श्रमिकों की संख्या
कारखानों का समूह		
रानीगंज	2469	1115
गुल्फरबाड़ी	840	373
जबलपुर	945	297
निवाड़	345	213
सेलम	2983	1406

(ख) जिन श्रमिकों तथा स्टाफ ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली है, उनकी संख्य निम्नानुसार है :

इकाई	स्टॉफ	श्रमिक	योग
1	2	3	4
रानीगंज समूह	4	642	646
गुल्फरबाड़ी	-	294	294
जबलपुर	3	106	109
निवाड़	-	30	30
सेलम	11	453	464

स्वैच्छिक सेवानवृत्ति स्कीम के अंतर्गत दिए गए लाभ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

1. सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए डेढ़ महीने का मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता,

अथवा

2. मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता शेष सेवा के बचे हुए महीने, जो भी कम हों।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन पर व्यय धनराशि

3489. **श्री ललित उरांव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य ऐसी सरकारी संस्थाओं द्वारा मधुमक्खी पालन पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या बिहार में विशेष रूप से छोटा नागपुर में मधुमक्खी पालन उद्योग के संरक्षण और इसके विकास की संभावना

का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खी पालन पर खर्च की गई कुल राशि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	राशि (लाख में)
1992-93	73.98
1993-94	74.52
1994-95	52.73

(ख) जी, नहीं। बिहार राज्य के छोटानागपुर में मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास के लिए पीछे हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय जमा प्राप्ति

3490. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1995-96 और 1996-97 के दौरान और आज तक अन्तर्राष्ट्रीय जमा प्राप्ति इश्यू जारी करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) इस इश्यू के जरिये लगभग कितनी विदेशी मुद्रा जुटाई गई;

(ग) इस जुटाए गए धन का किस प्रकार उपयोग किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा क्षेत्र प्रत्यावर्तन के द्वारा और विदेशों में निवेश करके यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे जी. डी. आर. इश्यू के जरिये जुटाए गए धन का उचित सदुपयोग हो?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) निजी और सरकारी क्षेत्र की उन कंपनियों का ब्यौरा जिन्हें जी. डी. आर. इश्यू जारी करने की अनुमति दी गई तथा जिन्होंने ये सफलतापूर्वक जारी किए और 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आज तक उनके द्वारा जुटाई गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	कंपनियों की संख्या	जुटाई गई राशि मिलियन अमरीकी डालर
1995-96	7	616.25
1996-97	6	545.89

(ग) सरकार द्वारा घोषित नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार जी. डी. आर. इश्युओं से हुई प्राप्तियों के अनुमत अंतिम प्रयोगों में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं :

(i) पूंजीगत माल के आयात को वित्तपोषित करना ;

(ii) पूंजीगत व्यय जिसमें संयंत्र, उपस्कर तथा इमारत की घरेलू खरीद/संस्थापना, साफटवेयर विकास में निवेश शामिल हैं;

(iii) पहले लिए गए विदेशी उधारों की समय से पहले अथवा निश्चित समय पर वापसी अदायगी;

(iv) विदेशों में निवेश जहां इन्हें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(v) भारत में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश;

(vi) कुल प्राप्तियों का अधिक से अधिक 25 प्रतिशत हिस्से का सामान्य कार्पोरेट पुनर्सरचना, जिसमें जी. डी. आर. जुटाने वाली कंपनी की कार्यकर पूंजी की आवश्यकताएं भी शामिल हैं, के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

बैंक, वित्तीय संस्थाएं और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उपर्युक्त प्रयोग संबंधी मापदंड का पालन किए बिना जी. डी. आर. इश्युओं के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि स्टाक बाजार तथा अचल संपदा में निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) जी. डी. आर. इश्यू जारी करना, विदेशों में होने वाला संबंधित व्यय, इश्यू से हुई प्राप्तियों का देश में प्रत्यावर्तन आदि पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 के उपबंधों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन तंत्र लागू होता है। जी. डी. आर. इश्यू जुटाने वाली कंपनियों को इश्यू से हुई प्राप्तियों के प्रयोग का ब्यौरा, जब तक कि उनका अनुमोदित प्रयोजनों के लिए अंत तक व्यय नहीं कर लिया जाता, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार को तिमाही आधार पर भेजना अपेक्षित है।

परिधान निर्यात

3491. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च 1995-96 में समाप्त वित्तीय वर्ष में परिधान निर्यात 4800 मि. डालर मूल्य के परिधान निर्यात लक्ष्य से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत से किन-किन देशों में इनके निर्यात में कमी आई है; और

(ग) इनमें कमी के क्या कारण कारण हैं और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) जी हां। परिधान निर्यात 4,800 मिलियन अमरीकी डालर के व्यय की तुलना में 1995-96 के दौरान 4453.31 मिलियन अमरीकी डालर

मूल्य के हुए। यू एस ए तथा यूरोपीय संघ के प्रमुख बाजारों में आर्थिक मन्दी तथा फुटकर क्रियाकलापों में गिरावट के कारण 1995-96 के दौरान हमारे परिधान निर्यात के समस्त लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी हुई।

वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठाती रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल को आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के कर मुक्त आयात की विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

केरल में रबड़ प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण

3492. **श्री रमेश चेन्नीतला** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रबड परीक्षण प्रयोगशाला कोट्टायम के आधुनिकीकरण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

पटसन के थैले

3493. **श्री समीक लहिरी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन उद्योग के पुनरूद्धार के हेतु गठित स्थायी परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन का पता लगाने के संबंध में कोई निगरानी समिति के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत छः माह के दौरान चीनी तथा सीमेंट उद्योग द्वारा उपयोग किए गए पटसन के थैलों का प्रतिशत क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकेजिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 में, जिसकी संवैधानिकता को उच्चतम न्यायालय ने वैध ठहराया है, स्थायी सलाहकार समिति की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य ऐसी वस्तुओं का निर्धारण करना अथवा ऐसी वस्तुओं की श्रेणी अथवा प्रतिशत का निर्धारण करना है जिसकी पैकिंग में पटसन पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाना है। इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। इसमें पटसन उद्योग का पुनरूद्धार करने के लिए स्थाई सलाहकार समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान सीमेंट एककों द्वारा पटसन बोरों की कोई उठान नहीं की गई है जबकि इस अवधि के दौरान चीनी उद्योग की उठान 69 प्रतिशत से 93 प्रतिशत के बीच रही है।

सी. सी. एल. द्वारा कोयले का उत्पादन

3494. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सी. सी. एल. द्वारा कोयले के उत्पादन का खान-वार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस समय सी. सी. एल. के अंतर्गत सभी कोयला खानों में खानवार कोयले का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) चालू वर्ष में निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा अब तक कितने टन कोयले का उत्पादन किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में वर्ष 1996-97 के दौरान उत्पादन का खानवार लक्ष्य, खनन योग्य भंडार और अप्रैल से जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे नीचे दर्शाये गए हैं :

खान/कोलियरी का नाम	1996-97 में लक्ष्य (लाख टन में)	खनन योग्य भंडार (मिलियन टन में)	अप्रैल से जुलाई, 1996 तक वास्तविक उत्पादन (लाख टन में)
1	2	3	4
भुरकुण्डा-भूमिगत और ओपनकास्ट	5.90	1,500.00	0.96
लपंगा	0.35	300.00	0.13
सौंडा डी भूमिगत और ओपेनकास्ट	7.40	1,500.00	1.30
सेन्ट्रल सौंडा	1.50	150.00	0.44
सौंडा	0.75	60.00	0.23
ए करणपुरा - भूमिगत और ओपेनकास्ट	0.70	200.00	0.11

1	2	3	4
के. करनपुरा	0.50	350.00	0.11
सयाल 'डी' भूमिगत और ओपेनकास्ट	5.10	460.00	1.58
यूरिमारी भूमिगत और ओपेनकास्ट	11.90	300.00	1.28
गिड्डी 'ए'	1.10	1,050.00	0.47
गिड्डी 'सी'	3.00	1,140.00	0.63
रेलिगरा-भूमिगत और ओपेनकास्ट	3.80	495.00	0.61
सिर्का-भूमिगत और ओपेनकास्ट	7.05	600.00	1.20
अरगडा	0.65	300.00	0.23
मानकी चुरी	2.40	200.00	0.84
हिंगीर	1.20	520.00	0.32
दस्करा बुकबुका	11.00	260.00	1.99
के. डी. हेस्लांग	18.00	930.00	253
करकट्टा	4.30	350.00	1.92
रोहिनी	7.20	120.00	1.17
अशोक	10.00	2,130.00	3.19
तेतारिया सार	3.00	65.00	0.20
हूटार	0.15	16.00	0.05
रजहरा	2.80	6.00	0.38
रायबचरा	2.40	115.00	0.71
पिपरवार	65.00	1,970.00	25.86
राजरप्पा	26.00	1,280.00	7.55
सारखेरा-भूमिगत और ओपेनकास्ट	2.32	90.00	0.06
आरा-भूमिगत और ओपेनकास्ट	2.20	290.00	0.83
कुजु	2.50	60.00	0.40
तोपा-भूमिगत और ओपेनकास्ट	3.60	800.00	0.96
पिंद्रा	1.15	100.00	0.39
पुण्डी	3.00	610.00	0.67
कर्मा	0.98	200.00	0.25
केदला-भूमिगत और ओपेनकास्ट	5.05	610.00	0.71
तापिन नार्थ	2.50	785.00	0.97
तापिन साउथ	2.75	-	0.86
झारकण्ड	3.00	220.00	0.54
लयो	1.10	90.00	0.27
परेजसी	8.00	410.00	2.28

1	2	3	4
बोकारो ओपेनकाम्ट	3.85	150.00	1.71
कारगती -भूमिगत	0.60	60.00	0.18
कारगली-ओपेनकाम्ट	7.00	220.00	1.20
कारो-1 भूमिगत (कारगली)	0.90	50.00	0.26
कारो-1 ओपेनकाम्ट	5.40	780.00	2.46
के.महल -भूमिगत	0.70	20.00	0.20
खासमहल-ओपेनकाम्ट	5.00	260.00	1.40
के.एस.पी - भूमिगत	0.60	90.00	0.21
गिरिडीह	4.50	120.00	0.84
अमलो	10.67	560.00	2.15
ढोरी	6.27	310.00	0.99
सेलेक्टेड ढोरी	20.17	480.00	3.01
एन.एस. ढोरी भूमिगत और ओपेनकाम्ट	5.12	16.00	1.01
तर्मी	5.42	90.00	0.89
ढोरी खास-भूमिगत और ओपेनकाम्ट	2.90	230.00	0.74
कटहरा	8.00	630.00	1.76
जारंगडीह भूमिगत और ओपेनकाम्ट	0.30	330.00	3.32
स्वांग-भूमिगत और ओपेनकाम्ट	7.50	121.00	1.94
गोविन्दपुर-भूमिगत और ओपेनकाम्ट	4.80	200.00	1.41

[हिन्दी]

मार्बल और ग्रेनाइट निर्यात नीति

3495. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कुल कितने मार्बल और ग्रेनाइट का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या निर्यात नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप राजस्थान की ग्रेनाइट एवं मार्बल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है और बंद होने के कगार पर है;

(ग) यदि हां, तो नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त नीति की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ग्रेनाइट एवं मार्बल के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए ग्रेनाइट और मार्बल का कुल मूल्य इस प्रकार है :

मात्रा : टनों में

मूल्य : करोड़ रु. में

	मात्रा	मूल्य
1993-94	9,45,620	704.12
1994-95	11,74,654	975.85
1995-96	12,04,278	994.63

(अप्रैल, 95 से फरवरी, 96 तक)

स्रोत : डी जी सी आई ऐंड एस, कलकत्ता।

प्रमुख देशों को ग्रेनाइट और मार्बल के निर्यात को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सरकार पण्यवार निर्यात रणनीतियां बनाती है जिसमें संबंधित निर्यात संवर्द्धन परिषदों के सहयोग से उत्पादों और बाजारों पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से दी जाने वाली निवेश एवं संवर्धनात्मक सहायता मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग को भी दी गई है।

विवरण

प्रमुख गंतव्य देशों को ग्रेनाइट का निर्यात

मात्रा : टनों में

मूल्य : करोड़ रु. में

देश	1993-94		1994-95		1995-96 (अप्रैल-फर.)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बेल्जियम	79972	38.46	101134	52.79	103959	54.40
चाइनीज ताइपेई	64605	34.63	85878	49.34	123894	56.72
चीन गणराज्य	37268	15.88	76361	34.55	79091	41.34
जर्मनी	54424	43.80	41765	55.13	47380	71.57
इटली	283885	145.96	350359	175.71	344483	187.70
जापान	159298	146.21	170096	174.91	98970	134.22
अन्य	243415	244.75	307407	363.24	691929	380.81
कुल	922867	669.69	1133000	905.67	1164207	926.76

प्रमुख गंतव्य देशों को मार्बल का निर्यात

मात्रा : टनों में

मूल्य : करोड़ रु. में

देश	1993-94		1994-95		1995-96 (अप्रैल-फर.)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
इटली	11218	10.83	20563	19.83	19855	20.13
जापान	499	1.66	281	0.84	235	0.59
सिंगापुर	4771	4.84	3854	10.98	1052	2.60
संयुक्त अरब अमीरात	2127	6.40	538.0	11.97	5949	14.57
संयुक्त राज्य अमेरीका	894	3.40	3964	10.15	1601	4.33
अन्य	3244	7.31	7612	17.25	11379	25.65
कुल	22753	34.44	41654	70.18	40071	67.87

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले का उत्पादन

3496. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार कोयले की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कोयले में सल्फर की मात्रा को न्यूनतम करने के लिए कोई परियोजना शुरू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस (ना. ई.को.) की कोयला खानों में और असम राज्य में स्थित कोयला खानों में, गत तीन वर्षों के दौरान हुए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है

(मिलियन टन में)

1993-94	-	1.20
1994-95	-	1.19
1995-96	-	0.82

(ख) और (ग) नार्थ इस्टर्न कोलफील्डस द्वारा टिकक के स्थान पर "स्व निर्मित स्व-चालित" (बी.ओ.ओ.) के आधार पर कोयले में राख और सल्फर की मात्रा को न्यूनतम करने के लिए 0.60 मिलियन टन की एक वाशरी परियोजना चालू करने पर विचार कर रही है। एस. एवं टी. परियोजनाएं असम के कोयले का विगधकिकरण (डिसल्फराइजेशन) करने की प्रौद्योगिकी को स्थापित करने हेतु शुरू की गई है। असम के कोयले की विगंधकिकरण की आर्थिक तकनीकी व्यवहार्यता को अभी प्रमाणित किया जाना है।

कपास का निर्यात

3497. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कपास की 13,25 गांठों के अनुमानित निर्यात, जिसके लिए कोटा पहले ही जारी किया जा चुका है, से देश में कच्चे कपास की अत्यन्त कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कच्चे कपास के अनुमानित निर्यात के कोटे को घरेलू मांग की पूर्ति हेतु कम करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) सरकार ने इस वर्ष अभी तक निर्यात के लिए कपास की 14,90 लाख गांठ के कोटा की घोषणा की है। इस वर्ष कपास की संतोषजनक घरेलू स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्यात कोटों की रिलीज की वजह से कमी की कोई संभावना नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त 'क' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

3498. **श्री गिरधारी यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में काफी पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दी सलाहकार समिति को कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी नहीं। यह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का अनुपालन तथा उपर्युक्त विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को पूरा किए जाने का प्रयास करता रहा है। इस संबंध में किए गए निरंतर प्रयासों से मंत्रालय के हिन्दी कार्य में सुधार आया है। इस मंत्रालय को चार बार "इन्दिरा गांधी राजभाषा शील्ड" मिल चुकी है। पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 1994 तथा 1995 में यह शील्ड इस मंत्रालय को लगातार मिली है।

(ख) इस प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) इस मंत्रालय की वर्तमान हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 22.9.1996 को समाप्त हो रहा है। इस समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई है। इस समिति में नामित किए जाने हेतु सदस्यों के नामांकन के लिए संबद्ध विभागों/संस्थाओं से सदस्यों के नामांकित किए जाने हेतु नाम मांगे गए हैं और उनसे नाम प्राप्त होने के बाद इस समिति का पुनर्गठन कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार

3499. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पश्चिमी अफ्रीकी देशों के नाम क्या हैं जिनका भारत के साथ आयात-निर्यात होता है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके साथ कौन-कौन सा व्यापार हुआ;

(ख) क्या भारतीय वस्तुओं के निर्यात हेतु उन देशों में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिमी अफ्रीकी देशों में वस्तुओं के सीमित उत्पादन के कारण वहां वस्तुओं का आयात अधिकांशत: पश्चिमी देशों से किया जाता है और क्या वहां से आयात होने वाली वस्तुओं का मूल्य भारत में निर्मित वस्तुओं से ज्यादा है;

(ङ) क्या उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए देश में निर्मित वस्तुओं को पश्चिमी अफ्रीकी देशों में निर्यात को बढ़ावा देना लाभकारी नहीं है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन देशों को होने वाले निर्यात में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार का वर्ष-वार विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्रालय की पहल पर आई. आई. एफ. टी. ने चुनिन्दा पश्चिम अफ्रीकी देशों में अर्थात् नाइजीरिया,

कैमरून और सेनेगल में व्यापार और निवेश संभावनाओं का एक अध्ययन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम अफ्रीकी देशो को भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रणनीति और साथ ही साथ देश विशिष्ट कार्रवाई योजना की सिफारिश की गई है। देश के चोटी के वाणिज्य मंडलों को सलाह दी गई है कि वे निर्यातक समुदाय के बीच इन सिफारिशों का प्रचार-प्रसार करें जिससे कि अफ्रीकी महाद्वीप में भारत के निर्यातों को बढ़ाने में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।

(घ) से (च) चूंकि अधिकाश पश्चिम अफ्रीकी देश फ्रैंकोफोन हैं, इसलिए संभावित बाजारों वाले पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ निम्न प्रकार से व्यापार बढ़ाने का सरकार का प्रयास है :

- उद्योग और व्यापार प्रतिनिधिमडल का आदान-प्रदान;
- अनन्य भारतीय प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन;
- बाधाओं को दूर करने के लिए समय-समय पर सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय चर्चाओं का आयोजन;
- उभरती हुई संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन।

विवरण

पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	देश	निर्यात-आयात 1993-94		निर्यात-आयात 1994-95		निर्यात-आयात 1995-96	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बेनिन	31.69	16.68	25.78	17.26	41.96	49.86
2	बर्किना फासो	1.62	-	1.34	-	6.10	-
3.	कैमरून	9.31	1.18	5.82	14.86	18.79	8.26
4	केपवर्ड आ.	0.02	-	-	-	0.01	-
5.	केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य	0.66	-	1.47	0.37	1.05	0.37
6.	कागो	1.61	13.08	1.00	5.06	0.99	-
1	2	3	4	5	6	7	8
7	इक्विटोरियल गिनी	0.35	15.47	0.03	-	0.27	0.01
8.	गैबन	0.03	4.06	1.39	0.91	0.89	1.09
9.	जाम्बिया	7.23	-	9.18	4.79	18.24	0.21
10.	घाना	53.50	51.00	63.70	86.97	88.78	86.19
11	गिनी	7.19	16.04	8.66	0.21	22.67	0.59
12	गिनी बीसाउ	0.75	18.29	5.30	86.68	1.41	114.39
13.	आइवरी कोस्ट	3.63	62.21	15.75	86.20	129.13	142.48
14.	लाइबेरिया	64.18	0.00	5.22	-	47.53	-
15.	माली	14.60	0.00	10.46	0.06	45.16	0.63
16.	नाइजर	1.62	0.02	2.67	-	7.11	-
17	नाइजीरिया	372.17	2595.42	341.37	1329.58	498.37	2572.66
18.	सेनेगल	5.97	60.27	15.84	40.15	126.16	61.45
19.	सियरे लोने	10.39	0.06	20.14	2.03	74.98	-
20.	टोगोलैंड	15.54	9.87	60.30	14.76	79.70	18.53

(स्रोत डी. जी. सी. आई. एंड एस. कलकत्ता)

वित्तीय संस्थाओं की निजी क्षेत्र में भागीदारी

3500. **श्री ओ. पी. जिंदल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल ने निजी क्षेत्र में वित्तीय सम्थाओं की भागीदारी को कम करने के लिए निवेश नीति में संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) पी एच डी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल से कुछ दिन पूर्व प्राप्त अभ्यावेदन में मंडल ने सरकार से अनुरोध किया है कि तीव्र औद्योगिक वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं में विनिवेश करने संबधी नीति की पुनरीक्षा करें। मंडल द्वारा प्रस्तावित मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

(1) अधिमानता शर्तों पर अर्जित सभी शेयर या तो :

(i) गैर-मताधिकारी शेयरों में बदले गए हों या

(ii) मौजूदा प्रवर्तकों को बाजार-दरों पर बिक्री के लिए दिए गए हों, या

(iii) मौजूदा प्रवर्तकों को आस्थगित भुगतान सुविधा सहित संविदागत मूल्यों पर उस ब्याज दर पर, जो उच्चतम ब्याज दर से अधिक न हो, दिए गए हों।

(2) एक से दो वर्षों की अवधि में एक बार संशोधन की पेशकश करने वाली एक स्पष्ट नीति बनाई जाए, ताकि मौजूदा प्रवर्तकों को उनके द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में अपनी शेयर-धारिता में काफी वृद्धि करने में सहायता मिल सके।

(ग) इस समय ऐसी कोई पुनरीक्षा सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन

3501. **श्री काशीराम राणा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हर वर्ष नमक हेतु केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड पुनर्गठित करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तथा इसके गठन हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय नमक परामर्शदायी बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष है।

(ख) केन्द्रीय नमक परामर्शदायी बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है और नमक आयुक्त इसके सदस्य सचिव होते हैं। बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से नामित किये जाते हैं :

- केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि (नमक उत्पादक राज्य तथा गैर-नमक उत्पादक राज्य दोनों)
- नमक/आयोडीकृत नमक और परिष्कृत नमक विनिर्माता के प्रतिनिधि;
- नमक विनिर्माण सहकारी समितियों के प्रतिनिधि;
- क्षार विनिर्माताओं के प्रतिनिधि; और
- सार्वजनिक कार्यों में ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति।

विदेशी निवेश

3502. **श्री पी. आर. दासमुंशी :**

श्री समीक लहिरी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीनों वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष क्षेत्रवार वास्तव में कितनी राशि का सीधे विदेशी निवेश किया गया?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक प्रवाह पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी रखी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (1992-95) के दौरान प्रत्येक वर्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक प्रवाह के क्षेत्रवार विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

1992 से 1995 तक की अवधि में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक प्रवाह उद्योगवार ब्यौरे

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग	25.93	12.03	40.52
2.	ईधन	0.34	63.23	115.21

1	2	3	4	5
3.	बायलर तथा काम्य अनित्रण संयंत्र	0.13	3.53	2.88
4.	प्राइम मूवर्स विद्युत से निम्न	0.00	0.20	11.65
5.	विद्युत उपकरण	125.98	213.34	292.83
6.	दूर सचार	0.95	0.92	0.00
7	परिवहन उद्योग	115.72	72.51	142.85
8.	औद्योगिक मशीनरी	13.74	15.29	38.83
9	मशीनी औजार	0.72	6.19	1.59
10.	कृषि मशीनरी	0.00	0.00	136.26
11.	विविध यांत्रिक इंजीनियरी	90.06	40.38	106.27
12.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	40.50	5.47	338.15
13.	चिकित्सा तथा शोधनकरण	0.00	2.71	2.16
14.	औद्योगिक उपस्कर	3.82	14.75	2.01
15.	वैज्ञानिक उपकरण	0.00	0.084	2.18
16.	उर्वरक	24.06	3.79	0.00
17.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	180.25	190.30	416.74
18.	रंजक सामग्री	1.04	1.04	0.00
19.	औषध तथा भेषण	9.60	155.30	31.71
20.	वस्त्र (रंजित तथा छपाई सहित)	14.01	23.69	112.11
21.	कागज तथा लुगदी-कागत उत्पाद सहित	0.02	0.00	15.20
22.	चीनी	0.00	0.00	0.00
23.	खमीरा उद्योग	0.00	0.00	34.59
24.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	81.33	137.48	188.06
25.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	1.00	6.50	2.27
26.	रबड़ का सामान	0.00	20.74	22.97
27.	चमड़ा, चमड़े का सामान तथा पिकर्स	12.60	1.04	14.20
28.	कांच	57.50	0.26	6.50
29.	चीनी मिट्टी	5.93	24.89	15.26
30.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	13.28	4.45	89.27
31.	सेवा क्षेत्र	11.46	135.83	423.52
32.	होटल तथा पर्यटन	0.71	3.32	51.74
33.	ट्रेडिंग कंपनी	0.19	6.29	45.55
34.	विविध उद्योग	49.41	78.34	159.38
	योग	876.35	1314.44	2862.84

अर्जित आय पर आयकर

3503. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि बड़े व्यापार घराने अपनी अर्जित आय पर आयकर से बचने के लिए अपनी आय की बड़ी राशि को नई परियोजनाओं के लिए पूंजी आधार बनाने हेतु अन्यत्र लगा रहे हैं और आम जनता से धन प्राप्त करने हेतु बाजार में पब्लिक इश्यू जारी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन कंपनियों के संबंध में जिन्होंने अपनी स्थापना के तीन वर्षों में अपनी अनुषंगी कम्पनी खोली है, पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस चुनौती से निपटने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) जी, हां। इस प्रकार के कुछ मामले आयकर विभाग के ध्यान में आए हैं और आवश्यक जांच कार्य आरंभ कर दिए गए हैं।

आर्थिक सतर्कता ब्यूरो

3504. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक सतर्कता ब्यूरो का गठन किस वर्ष में किया गया तथा इसका संगठनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ब्यूरो द्वारा देश और विदेशों में कितने आर्थिक जांच के मामले निपटाये गये;

(ग) ब्यूरो की वार्षिक वित्तीय जिम्मेदारी कितनी है;

(घ) क्या ब्यूरो द्वारा जांच किया जाना इसकी वित्तीय जिम्मेदारी के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की स्थापना जुलाई, 1985 में हुई थी। ब्यूरों का संगठनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान ब्यूरो ने पट्टे पर देने एवं वित्त देने वाली कम्पनियों द्वारा, बेनामी फर्मो द्वारा आयात के बीजक में कम मूल्य दिखा कर "माडॅवेट" साख योजना के दुरूप्रयोग से स्टॉक निवेश सुविधाओं के दुरूप्रयोग आदि से कई करोड़ के कर अपवंचन का पता लगाया। ब्यूरो ने अनेक अन्वेषणात्मक अध्ययन भी किए।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान ब्यूरो द्वारा किया गया वास्तविक व्यय 110.84 लाख रूपए था।

(घ) और (ङ.) ब्यूरो द्वारा किए गए अन्वेषणों से होने वाले लाभों का कोई विस्तृत आंकलन तैयार नहीं किया गया। यद्यपि कर और शुल्क के रूप में वसूल करने से राजकोष में वृद्धि हुई है, लगाई गई शास्तियां भी ब्यूरो द्वारा किए गए कुल वार्षिक व्यय से बहुत अधिक है।

विवरण

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से सम्बन्धित संगठनात्मक ब्यौरा।

	पद	स्वीकृत संख्या
1.	**समूह "क"**	
(क)	महानिदेशक	1
(ख)	संयुक्त सचिव एवं उप महानिदेशक	3
(ग)	सहायक महानिदेशक	5
(घ)	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी/अवर सचिव/ वरिष्ठ सांख्यिकीविद ग्रेड-I	13
(ङ.)	वरिष्ठ सांख्यिकीविद ग्रेड-II/निजी सचिव- (ग्रेड "क")	2
	कुल समूह "क"	24
2.	**समूह "ख"**	
(क)	अनुभाग अधिकारी	2
(ख)	निजी सचिव	4
(ग)	सहायक	4
(घ)	वैयक्तिक सहायक (स्टेनो)	5
	कुल समूह "ख"	15
3.	**समूह "ग"**	
(क)	आसूचना अधिकारी	28
(ख)	अन्वेषक	2
(ग)	उच्च श्रेणी लिपिक	4
(घ)	स्टेनो ग्रेड "घ"	12
(ङ.)	अवर श्रेणी लिपिक	7
(च)	चालक	5
	कुल समूह "ग"	58
4.	**समूह "घ"**	
(क)	जमादार/दफतरी	5
(ख)	चपरासी	21

	पद	स्वीकृत संख्या
(ग)	सफाईवाला/फराश	3
(घ)	चौकीदार	7
	कुल समूह "घ"	36
	कुल जोड़ :	133

भारत तथा एशिया विकास बैंक के बीच समझौता

3505. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने तथा देश में मजबूत सामाजिक ढांचा बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक ने आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद जिलों में वर्तमान पर्यावरण स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए तकनीकी सहायता स्वीकृत की है, जिसका उद्देश्य सुधार के लिए उपयुक्त न्यूनतम सुझावों की सिफारिश करना, और आगरा, मथुरा और फिरोज़ाबाद जिलों में पर्यावरणीय सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण और आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर विशेष ध्यान देते हुए दीर्घकालिक विकास के लिए एक परियोजना प्रतिपादित करना है।

रेशम-कीट पालन पर राजसहायता

3506. **श्री टी. गोपाल कृष्ण :**

श्री एम. रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रेशम कीट पालन पर राजसहायता बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रेशम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को रेशम उत्पादन क्षेत्र में टपकन सिंचाई के लिए इमदाद की मंजूरी हेतु रेशम उत्पादन राज्यों (आन्ध्र प्रदेश सहित) से अनुरोध/सुझाव प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न प्रस्तावों/अनुरोधों/सुझावों की जांच/विचार करने के बाद हाल ही में टपकन सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए इमदाद उपलब्ध कराने हेतु एक योजना का प्रारूप तैयार किया है।

(ग) विद्यमान निर्यात-आयात नीति के तहत, रेशम के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, विदेशी मुद्रा आय को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार अपरिष्कृत रेशम के बदले मूल्यवर्द्धित रेशम उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है।

भारतीय पटसन निगम को निधि

3507. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय पटसन निगम (जे सी आई) को चालू वर्ष के दौरान जूट उत्पादकों से सीधे ही अप्रसंस्कृत जूट खरीदने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में अप्रसंस्कृत जूट की खरीद की और 1996-97 के दौरान अनुमानतः कितनी खरीद की जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) 1995-96 के दौरान भारतीय पटसन निगम ने अपरिष्कृत पटसन की अधिप्राप्ति नही की क्योंकि अपरिष्कृत पटसन की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर थीं। इसी प्रकार 1996-97 के दौरान समर्थन मूल्य प्रचालनों के तहत अधिप्राप्ति मूल्य स्थिति पर निर्भर करेगी तथा इस समय कोई अनुमान नही लगाया जा सकता है। चालू कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हैं। तथापि, कीमतों की प्रवृति पर बारीकी से निगाह रखी जा रही है।

बासमती चावल की तस्करी

3508. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश से भारतीय बासमती चावल की नार्वे, स्वीडन, स्पेन तथा पुर्तगाल में तस्करी की जाती है जहां भारतीय बासमती चावल की बड़ी मांग है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसी तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) पंजाब और उत्तर प्रदेश से बासमती चावल की नार्वे, स्वीडन, स्पेन तथा पुर्तगाल को तस्करी करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यलय बासमती चावल की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए सतर्क हैं।

गैर-सरकारी बैंकों द्वारा आर बी आई के मानदंडों का उल्लंघन

3509. **श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी बैंकों द्वारा दूसरे बैंकों में खाताधारी निर्यातकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमनों का घोर उल्लंघन करते हुए बिल डिस्काउंट की सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे बैंकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने अन्य बैंकों में खाता रखने वाले अपने निर्यातक ग्राहकों को बिल भुनाने की सुविधाएं देते समय भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को अनदेखा किया है क्योंकि ये सुविधाएं कम जोखिम वाली, स्वयमेव समाप्य और साथ ही वित्तपोषण करने वाले उन बैंकों के लिए नकदी सुनिश्चित करने वाली है जो अर्ह निर्यात बिलो के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं। ऐसे मामलों में बैंक, सहायता-संघ (कंसोर्शियम) के तहत ऋणकर्ता को वित्तपोषित करने वाले अन्य बैंकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने की प्रतीक्षा नही करते और अपनी ऋण सीमाएं जारी करते समय अनुमत बैंक वित्त की मात्रा को ध्यान में नहीं रखते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक अपने निरीक्षणों/जांच-पड़ताल के दौरान अपने मार्गनिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करता है। निरीक्षणों/जांच-पड़ताल के दौरान उल्लघन का पता लगने पर उसे संबंधित बैंक की जानकारी में लगाया जाता है और यदि ये दृष्टान्त जारी रहते हैं तो चूककर्ता बैंकों के विरूद्ध अर्थदंड लगाया जाता है।

सरकारी विभागों को एम. आर. टी. पी. एक्ट के अन्तर्गत लाना

3510. **श्री इलियास आज़मी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा हाल में किए गए निर्णय के अनुसार सेवा प्रदान कर रहे सरकारी विभागों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग के निर्णय का क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का 1995 की अवरोधक व्यापार प्रथा जांच संख्या 241 में दिनांक 1.7.1996 के अपने आदेश की शर्तो के तहत श्री गिर प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग तथा अन्यों के मामले में यह मानना है कि एम आर टी पी अधिनियम, 1969 की धारा 2 (ट) में "सेवा" की परिभाषा की शर्तों में शुल्क के लिए सेवा प्रदान करने वाले सरकारी विभाग अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत लाए जाएंगे।

निर्णय की विवक्षाओं की जांच की जा रही है।

वस्त्रों के लिए मोडवेट योजना

3511. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मोडवेट योजना को वस्त्रों के लिए लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब से शुरू किया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस वर्ष के बजट प्रस्तावों के एक भाग के रूप में, माडवेट योजना को टैक्सटाइल फैब्रिकों पर भी लागू कर दिया गया था। यह योजना पहली अगस्त, 1996 से लागू होनी थी। तथापि, सरकार को टैक्सटाइल उद्योग के कुछेक सेक्टरों से प्रस्तावित योजना में कुछेक परिवर्तन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। टैक्सटाइल संसाधकों तथा मिलों ने समय बढाने के लिए भी अनुरोध किया था ताकि ये माडवेट योजना की प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के बारे में स्वयं पूरी तरह से परिचित हो सके। तदनुसार, टैक्सटाइल फैब्रिकों के बारे में माडवेट योजना को लागू करने का मामला एक सितम्बर, 1996 तक स्थगित कर दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों को ऋण प्रदान करना

3512. **श्री मंगत राम शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार/बैंकों द्वारा अल्पसख्यक वर्ग के व्यक्तियों को उनके व्यापार/व्यवसाय के लिए पाच लाख रूपए तक ऋण प्रदान किया जाता है;

(ख) क्या ऐसे ऋण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को व्यवसाय के लिए 50,00,000 रूपए (पचास लाख रूपए) तक स्वीकृत किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है अल्पसंख्यक समुदायों को सभी विकास कार्यक्रमों का पर्याप्त लाभ मिले। किसी उधारकर्त्ता को बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋण की प्रमात्रा परियोजना लागत, उधारकर्ता की वापसी अदायगी क्षमता आदि पर निर्भर करता है और अल्पसंख्यक समुदायों या अ.जा. /अ.ज.जा. के लिए विशेष रूप से कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

वसुन्धरा कोयला खान के ग्रामीणों का पुनर्वास

3513. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सुन्दरगढ़ जिले में वसुन्धरा कोयला खान द्वारा अब तक कितने गांवों को हटाया गया तथा इनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ;

(ख) विस्थापित परिवारों से अब तक कितने व्यक्तियों को वसुन्धरा कोयला खान में रोजगार दिया गया है; और

(ग) विस्थापित परिवारों के सदस्यों को वसुन्धरा कोयला खान में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) वसुन्धरा (पूर्व) कोयला खान के परिचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु ग्राम टिकिलीपारा के 127 परिवारों को पुनःस्थापित किया जाना है। 106 परिवारों हेतु पुनर्वास स्थल को सभी नागरिक सुविधाओं सहित पूर्ण रूप से विकसित कर दिया गया है तथा भू-खण्ड आवंटित कर दिए गए हैं। पुनर्वास स्थल पर मकान बनाने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) अब तक 79 भू-वंचितों अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों को रोजगार की पेशकश कर दी गई है।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा जारी किए गए पुनर्वास संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तदनुसार इन दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र को कोयले की आपूर्ति

3514. **श्री हंसराज अहीर** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि कोल इंडिया लि. द्वारा पत्थर मिश्रित कोयले की आपूर्ति करने से महाराष्ट्र के विद्युत संयंत्र अपनी क्षमता के अनुसार विद्युत का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और कोयले की अनावश्यक छटाई में उन्हें काफी खर्च करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के तापीय विद्युत गृहों को अधिकांशतः पर्याप्त मात्रा में तथा सहमति हुई गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति की गई है, जिसके लिए उसके बायॅलर्स को अभिकल्पित किया गया है। आमतौर पर, विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें, कोयले में बाहय पदार्थों की उपस्थिति तथा अधिक बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति से संबंधित होती है। इन शिकायतों की जांच प्रत्येक मामले में गुणवगुण आधार पर की जाती है तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) इस संबंध में संघीय सरकार द्वारा जांच किए जाने हेतु कोई ऐसा गम्भीर मामला अन्तर्ग्रस्त नहीं था। किन्तु, शिकायतों की संख्या को कम करने हेतु, कोयला कंपनियों द्वारा, फीडर ब्रेकर्स की स्थापना किया जाना, कोयले में से लदान के समय पत्थरों को अलग किया जाना, बेहतर पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता हेतु लदान स्थलों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किए जाने के लिए उपभोक्ताओं को उत्साहित किया जाना, जैसे कदम उठाए गए हैं।

विकास परियोजना हेतु ऋण

3515. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार देश के विकास कार्यो हेतु द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण प्राप्त करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्यवार/परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे ऋणों की प्राप्ति में विशेषकर बिहार तथा उड़ीसा के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण तथा औचित्य क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों/देशों से प्राप्त किए गए परियोजना-वार ऋणों को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित क्रमशः विदेशी सहायता विवरणिका- 1993-94 और विदेशी सहायता विवरणिका- 1994-95, में दिया गया है। विवरणिका की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 1995-96 के संबंध में सूचना विवरण-I में दी गई है, राज्य-वार प्राप्त किए गए ऋणों के संबंध में सूचना विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) किसी राज्य विशेष में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋणों का अंतर्वाह विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की राज्य-निवेश सूची के आकार और निष्पादन पर निर्भर करता है। इस निवेश सूची का आकार राज्य सरकारों के व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर करता है, जो राष्ट्रीय नीति और योजना प्राथमिकताओं के साथ-साथ दाताओं की ऋण प्रदान करने की नीति और योजना प्राथमिकताओं के साथ-साथ दाताओं की ऋण प्रदान करने की नीति और प्राथमिकताओं के अनुकूल होना चाहिए।

अब तक बिहार में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निवेश सूची बड़े पैमाने पर विदेशी ऋणों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उड़ीसा के मामले में, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की निवेश सूची में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96 के दौरान विदेशी सहायता का परियोजनावार उपयोग दर्शाने वाला विवरण

(दाता मुद्रा मिलियन में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष 1995-96 के दौरान उपयोग
1	2	3
एशियाई विकास बैंक (अमरीकी डालर)		
1.	उत्तर मद्रास ताप विद्युत परियोजना	7.582
2.	रेलवे परियोजना	9.204
3.	दूर संचार परियोजना	16.340
4.	सड़क सुधार परियोजना	32.336
5.	रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना	7.889
6.	द्वितीय पत्तन परियोजना	31.712
7.	द्वितीय उत्तर मद्रास ताप परियोजना	15.004
8.	द्वितीय सड़क परियोजना	48.715
9.	द्वितीय रेलवे परियोजना	15.159
10.	विद्युत कुशलता परियोजना	28.774
11.	कोयला पत्तन परियोजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता	6.945
12.	राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	0.064
13.	पूंजी बाजार विकास परियोजना	125.000
14.	द्विपीय दूर संचार परियोजना	16.941
आस्ट्रेलिया (आस्ट्रेलियाई डालर)		
1.	भूजल का अन्वेषण और प्रबंधन ट्रांस-II	3.028
बेल्जियम (बेल्जियाई फ्रांक)		
1.	20वां पूंजी माल ऋण	1.584
जर्मनी (डच मार्क)		
1.	एन. एल. सी.-II	1.021
2.	एन. एल. सी.-III	13.195
3.	प्रजनन पशुओं की आपूर्ति	0.061
4.	म.प्र. ग्रामीण जल आपूर्ति	0.435
5.	फरक्का ताप विद्युत केन्द्र-I	0.074
6.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना-I	2.643
7.	रामागुन्डम खुली खदान-II	11.658
8.	दादरी विद्युत परिय. (रा.ता.वि.नि.)	1.652
9.	शहरी संयुक्त चक्रीय विद्युत केन्द्र	10.594
10.	रेलवे निवेश कार्यक्रम	5.948
11.	उन्नत सिंचाई उड़ीसा	2.841
12.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-IV	62.306
13.	राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति चरण-I	6.145
14.	उर्वरक क्षेत्र कार्यक्रम-III	8.628
15.	राजीव गांधी कैंसर संस्थान	12.000
16.	पूंजी माल क्षेत्र-XXIV	1.851
फ्रांस (फ्रैंच फ्रांक)		
1.	कोयला उपस्करों के लिए तकनीकी संभाव्यता अध्ययन	72.314
2.	1130 एम. ऋण परियोजना	32.523
3.	ड्राफ्ट ऋण अनुबंध	18.059
कृषि विकास के लिए अंतराष्ट्रीय कोष (अमरीकी डालर)		
1.	उड़ीसा जनजाति विकास	2.157
2.	तमिलनाडु महिला विकास परियोजना	3.840
3.	आंध्र प्रदेश जन जाति विकास	1.268
4.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	0.340
5.	मेवात क्षेत्र विकास	1.200
कुवैत फंड (कुवैती दिनार)		
1.	कालिंदी पन-बिजली परियोजना चरण-II	1.472

1	2	3
2.	केरल मत्स्य पालन झींगा पालन विकास परियोजना	0.053
स्वीडन (स्वीडन क्रोनर)		
1.	चन्द्रपुर पोडगेहे महाराष्ट्र	82.123
स्वीटजरलैंड (स्वीश फ्रांक)		
1.	म्वीस संयुक्त ऋण	0.229
2.	म्वीस संयुक्त ऋण-II	1.817
जापान (जापानी येन)		
1.	उज्जैनी पन-बिजली परियोजना	0.100
2.	तिम्ता नहर एच. एफ. पी.	530.200
3.	आसाम गैस टरबाइन परियोजना	4265.500
4.	सेरीसेलम वाम तट बिजली केन्द्र चरण-III	2073.500
5	आसाम गैस विद्युत केन्द्र और प्रेषण लाईन	-445.500
6.	गयूचर नाप विद्युत केन्द्र विम्तार परियोजना	1164.600
7.	घाटघर पम्प म्टोरेज परियोजना	36.000
8.	पर्यटन आधारभूत संरचना विकास परियोजना	1215.900
9	उपरी कोलाब सिंचाई परियोजना	126.800
10.	उपरी इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	474.100
11.	मैसूर कागज मिल आधुनिकीकरण एवं नवीकरण परियोजना	26.000
12.	नदी घाटी बांध गैस टरबाइन-II	2518.400
13.	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परि	1073.700
14.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र उड़न राम्व उपयोग परियोजना	3.400
15.	तीम्ता नहर एच. ई.	30.300
16.	इंदिरा गांधी वन रोपण	457.600
17.	गुणवत्ता नियंत्रण म्वाम्थ्य	136.200
18.	विद्युत प्रणाली सुधार और लघु एच. पी.	530.000
19.	अनपारा विद्युत प्रेषण प्रणाली परि.	3138.100
20.	गांधार गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परि.	1226.200
21.	दूसरी मद्रास जलापूर्ति परि.	5.994
22.	हरियाणा राष्ट्रीय राजमार्ग संवर्धन	0.552
23.	हरियाणा विद्युत पुनर्निर्माण	0.355
24	उ. प्र. विद्युत क्षेत्र	0.341

1	2	3
25.	कोयला क्षेत्र पुनर्वास	0.352
26.	राजम्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्सरचना	0.075
27.	आ. प्र. राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग	0.754
अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (अमरीकी डालर)		
1.	दूसरी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान	7.899
2.	एन. ए. ई. पी. III	5.054
3.	तृतीय राष्ट्रीय बीज	37.552
4.	समेकित जल सभर विकास (मैदान)	7.977
5.	समेकित जल सभर विकास (पहाड़)	10.128
6.	तमिल नाडु कृषि विकास	20.238
7.	झींगा और मछली पालन	2.734
8.	महाराष्ट्र वानिकी	13.857
9.	पं. बंगाल वानिकी	6.303
10.	उ. प्र लवणिय भूमि सुधार परि.	5.731
11.	बिहार पठार विकास	6.783
12.	ए. डी. पी. राजम्थान कृषि विकास	16.153
13.	आं. प्र. वानिकी परि.	2.561
14.	वन अनुसंधान शिक्षा विम्तार परि.	3.201
15.	झरिया खान अग्नि नियंत्रण	2.168
16.	नवीकरण अनुसंधान विकास परि.	2.482
17.	राष्ट्रीय रेशम पालन	10.082
18.	औद्योगिक तकनीकी विकास परि.	6.488
19.	औद्योगिक प्रदुषण नियंत्रण	3.246
20.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	12.345
21.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग	25.201
22.	महाराष्ट्र सिंचाई	47. 744
23.	राष्ट्रीय जल प्रबंधन	2.446
24.	उपरी कृष्णा चरण-2 सिंचाई	11.081
25.	पंजाब सिंचाई	24.591
26.	बांध सुरक्षा	2.973
27.	पांचवीं जनसंख्या बम्बई और मद्रास	4.264
28.	व्यावसायिक प्रशिक्षण परि.	13.236
29.	छठी जनसंख्या परि.	7.275

1	2	3
30.	द्वितीय तमिलनाडु पोषण परि.	13.351
31.	तकनीकी शिक्षा	21.647
32.	आई. सी. डी. एस.	8.451
33.	सातवीं जनसंख्या	11.847
34.	तकनीकी शिक्षा-2	19.633
35.	आई. सी. डी. एस.-2	6.123
36.	शिशु उत्तरजीविका एवं सुरक्षित मातृत्व	51.056
37.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	9.229
38.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन	16.775
39.	उ. प्र. प्राथमिक शिक्षा	34.099
40.	अंधत्व नियंत्रण	6.032
41.	जिला प्राथमिक शिक्षा	8.893
42.	परिवार कल्याण (शहरी झुग्गी झोंपड़ी)	0.992
43.	तमिलनाडु जलापूर्ति परि.	0.557
44.	तमिलनाडु जलापूर्ति परि.	0.224
45.	गुजरात शहरी विकास	13.715
46.	उ. प्र. शहरी विकास	14.517
47.	तृतीय बम्बई जलापूर्ति	16.380
48.	तमिलनाडु शहरी विकास	12.655
49.	हैदराबाद जलापूर्ति एवं सफाई	8.223
50.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापुर्ति	11.903
51.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति एवं सफाई	4.282
52.	रबड़ परियोजना	3.277
53.	कृषि एवं मानव संसाधन	3.228
54.	आसाम ग्रामीण आधारभूत संरचना	2.000
55.	मध्य प्रदेश वानिकी	3.085
56.	जल संसाधन समेकन	17.840
57.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परि.	12.438
58.	भारत में जल विज्ञान	4.003
59.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	14.207
60.	परिवार कल्याण परियोजना	2.197
61.	आं. प्र. परामर्शी स्वास्थ्य प्रणाली	0.486
62	महाराष्ट्र आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना	51.295
63.	बम्बई मल व्यसन परियोजना	5.000
64.	म. प्र. वानिकी	0.088

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी ऋणों के राज्यवार उपयोग को दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य	1993-94 के दौरान उपयोग	1994-95 के दौरान उपयोग	1995-96 के दौरान उपयोग
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय	6142.99	4986.3	4160.57
2.	आंध्र प्रदेश	535.57	444.40	425.47
3.	बिहार	4.06	37.54	23.05
4.	गुजरात	103.91	65.39	85.43
5.	हरियाणा	0.00	45.29	68.15
6.	कर्नाटक	247.10	243.21	108.26
7.	केरल	68.08	103.32	5.77
8.	मध्य प्रदेश	2.28	1.81	13.84
9.	महाराष्ट्र	512.01	624.62	784.35
10.	उड़ीसा	53.46	79.26	93.92
11.	पंजाब	30.55	72.94	83.45
12.	राजस्थान	54.76	95.58	155.52
13.	तमिलनाडु	334.77	557.52	383.17
14	उत्तर प्रदेश	439.39	203.96	305.60
15.	पं. बंगाल	62.27	69.60	45.67
16.	बहुराज्यीय	713.50	960.05	963.08
	जोड़ :	9304.70	8590.79	7705.30

म्युचुअल फण्डस

3516. **डा. ए. के. पटेल :**

श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कम्पनियों में

म्युचुअल फण्ड में भारी वृद्धि को देखते हुए म्युचुअल फण्ड के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों में छोटे निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या मानदंड रखे हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने म्युच्युल फंडों के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्युच्युल फंडों की संरचना सेबी (म्युचुअल फंड) विनियम, 1993 के कार्यक्षेत्र तथा अनुप्रयोज्यता, म्युच्युल फंडों के पंजीकरण, प्रशासन तथा कार्यकरण पर "म्युच्युल फंड 2000" नामक एक अध्ययन किया है। रिपोर्ट की अनुशंसाएं सेबी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं। इन अनुशासाओं के आधार पर सेबी ने सेबी (म्युच्युल फंड) विनिमय 1993 को संशोधित करने के लिए कदम उठाए हैं। संस्तुत उपायों से म्युच्युल फंडों के कार्यकरण में सुधार आएगा तथा सुव्यवस्थित ढांचे के भीतर फंड प्रबंधकों का महत्तर स्वायत्ता प्राप्त होगी तथा साथ ही निवेशक सुरक्षा के स्तर में वर्धन होगा।

चुनावों के लिए धन

3517. **श्री उत्तम सिंह पवार :**

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव संसद/राज्य विधान मंडलों के चुनावों के लिए धन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) राज्य द्वारा निर्वाचनों के निधियन का प्रश्न विचारधीन है, किन्तु अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

निर्यात प्रतिबद्धताओं संबंधी लंबित मामले

3518. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** प्रतिबद्धताओं सबंधी लम्बित मामलों के संबंध में 8 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक प्रत्येक 123 निर्यात चूक-कर्त्ताओं पर अब भी कितनी राशि देय है;

(ख) क्या सरकार का विचार 31 मार्च, 1995 तक भारतीय प्राधिकारियों पर 99.02 बिलियन अमरीकी डालर के विशाल विदेशी ऋण के संदर्भ में भारतीय आयात कंपनियों को दिए गए निर्यात लाइसेंसों में "निर्यात देनदारी" खंड को पुन: लागू करने का है जैसाकि 28 जुलाई, 1992 के पूर्व की नीति थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (ग) दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1940 के उत्तर में उल्लिखित 123 मामलों की ताजा स्थिति यह है कि केवल 20 मामलों में निर्यात दायित्व पूरा करने में चूक की पुष्टि हुई है। चूंकि पूरे किए जाने वाले निर्यात दायित्व का निर्धारण वार्षिक उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में किया गया था और प्रत्येक फर्म द्वारा सूचित तथा प्रमाणित वार्षिक उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर राशियां मामला दर मामला अलग-अलग होंगी। इसलिए, इस प्रकार की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

वर्तमान निर्यात एवं आयात नीति के अंतर्गत निर्यात दायित्व केवल निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना के तहत जारी लाइसेंस के अंतर्गत आयात की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में लागू है क्योंकि यह रिआयती/शून्य शुल्क पर किए गए आयातों से संबंधित है। अन्य मामलों में, जहा ऐसा कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं है पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर निर्यात दायित्व लागू नहीं है।

औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर में कमी

3519. **श्री देवी बक्स सिंह :**

श्री भक्त चरण दास :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 से विशेष रूप से पिछले छः महीनों से औद्योगिक उत्पादन निरंतर गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, नहीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की कुल वृद्धि दर क्रमशः 0.6%, 2.3%, 6.0%, 9.4% तथा 12.0% थी। नवम्बर, 1995 से अप्रैल, 1996 तक गत छः महीनों (नवीनतम महीने जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर 11.0% थी।

ढांचागत विकास बैंक

3520. **श्री धीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़कों और राजमार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ ढांचागत

विकास बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। 1996-97 के बजट भाषण में आधारभूत विकास वित्त कंपनी (आई डी एफ सी) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) और (ग) बजट घोषणा की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आई डी एफ सी को स्थापित करने की कार्य पद्धति निर्धारित करने के लिए सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण व उसकी स्वीकृति तक यह बताना संभव नहीं है कि आई डी एफ सी को स्थापित होने में कितना समय लगेगा।

[हिन्दी]

बिहार से कृषि आधारित उत्पादों का निर्यात

3521. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार से कृषि उत्पादों के निर्यात करने तथा विश्व बाजार में इसकी बिक्री की संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; औ

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (ग) इस समय देश से निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषिजन्य वस्तुओं में हैं-गेहूं, चावल, तेल, खाद्य, चीनी, तम्बाकू, फल एवं सब्जियां। इनका उत्पान बिहार में भी किया जाता है। इन उत्पादों के प्रमुख बाजार हैं-यू.एस.ए., कनाडा, फ्रांस, यू.के., रूस, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के देश। दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को संभावित नव गंतव्य स्थानों के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

इन बाजारों का दोहन करने और कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं - निरीक्षण क्रिया-विधियों का सरलीकरण, न्यूनतम निर्यात मूल्य और चुनिन्दा मदों पर गुणवत्ता प्रतिबंधों को समाप्त करना, रियायती दरों पर ऋण का प्रावधान करना, अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्पाद का विकास करना, निर्यातोन्मुख इकाईयों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई ओ यू/ ई पी जैड) की योजना के तहत उपलब्ध लाभ कृषि क्षेत्र को भी प्रदान करना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50% बिक्री की अनुमति देना, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता देना, गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण, ब्रांड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का प्रबंध करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3522. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में मछलियों/सूखी मछलियों और मछलियों से बने खाद्यों का निर्यात किया गया और इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने देश में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और मछलियों से बने खाद्यों के भण्डारण के लिए विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में फैक्टरी स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के दौरान निर्यातित मछली, सूखी-मछली और मछली खाद्य की कुल मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है .-

मात्रा: मी. टन में

कीमत: करोड़ रु. में

मद		1993-94	1994-95	1995-96
मछली	मात्रा :	94022	122529	100093
	मूल्य :	296.00	446.57	372.25
सूखी मछली	मात्रा :	2624	6086	7340
	मूल्य :	16.72	24.16	44.08
खाद्य मछली	मात्रा :	-	-	76
	मूल्य :	-	-	0.21

(स्रोत : एम्पीडा)

(ख) तथा (ग) सरकार समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिए भारत से समुद्री उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। ये योजनाएं गुजरात और इसके सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात क्षेत्रों समेत सभी राज्यों पर लागू हैं। योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

1) विभिन्न उपकरण जैसे जनरेटर सैट, उन्नत प्लेट फ्रीजर, रेफ्रिजरेटेड ट्रक, त्रुटिपूर्ण शीत भण्डारागारों के उन्नयन, स्वचालित फ्लेक/चिप/ट्यूब आइस-क्रीम बनाने वाली मशीनों इत्यादि की खरीद के लिए इमदाद देना।

2) बीज एवं चारा खरीदने के लिए इमदाद सहायता

प्रदान करना।

3) प्रसंस्करण संयंत्रों से संबद्ध गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग-शालाओं की स्थापना के लिए इमदाद देना।

4) कम दोहित स्रोतों का दोहन करने के लिए मत्स्य नौकाओं के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता देना और जहाज पर प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करना।

5) मूल्यवर्धित मदों के उत्पादन के लिए समुद्री खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने, मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन में और मत्स्य पालन के क्षेत्र में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कम्पनियों की इक्विटी में भागीदारी हेतु एक योजना लागू करना।

गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां

3523. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनको भारतीय रिजर्व बैंक ने कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) क्या कुछ गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि ऐसी अनेक संस्थाओं ने गुजरात और अन्य राज्यों में लोगों को ठगा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इन संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(छ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को उनका कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस जारी नहीं करता है।

(ख) जी, हां।

(ग), (घ) और (ङ) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977/अवशिष्ट गैर-बैंककारी कम्पनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 का उल्लंघन करने के लिए वशिष्ट गैर-बैंककारी/कंपनियों आर एन वी सी) सहित 201 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर और जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात राज्य में स्थित किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी पर हाल ही में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(च) और (छ) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के प्रभावी और बेहतर विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ विधायी परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क

3524. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्तमान ग्रामीण बैंकों के नेटवर्क एवं उनकी शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को इन बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किस सीमा तक पूरा किया जा सका है;

(ग) वर्ष 1995-96 में कितने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना की गई है और वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में राज्यवार और विशेषकर महाराष्ट्र में कितने बैंकों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(घ) ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 425 जिलों में 14500 शाखाएं हैं।

(ख) नाबार्ड ने सूचित किया है कि 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया ऋण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	खातों की संख्या (लाख में)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1992-93	123.82	4627
1993-94	124.22	5253
1994-95	125.98	6291

जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के मार्च के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र की बकाया राशियां निम्नानुसार हैं :

वर्ष	खातों की संख्या (लाख में)	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
मार्च, 94	365.06	53197
मार्च, 95	361.83	61794
मार्च, 96*	355.79	69609

* अनंतिम

(ग) 1995-96 में स्थानीय क्षेत्र के किसी भी बैंक की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि ऐसे बैंकों के परिचालन की अनुमति देने की नीति जुलाई, 1996 से लागू हो गई है। ऐसे बैंकों की स्थापना गैर-सरकारी क्षेत्र में की जानी होती है और इसलिए स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित बैंकों की संख्या से संबंधित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :-

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र एवं पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, दिनांक 1.1.1994 से उन्हें अपने नए ऋणों के 60 प्रतिशत तक गैर-लक्ष्य समूहों को वित्त पोषित करने की अनुमति दी गई है। उन्हें चैकों/मांग ड्राफ्टों की खरीद/भुगतान के लिए और अधिक विवेकाधिकार दिए गए हैं। सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उन्हें अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने, लॉकर लगाने, ड्राफ्ट जारी करने तथा डाक द्वारा अंतरण करने की अनुमति भी दी गई है।

(ii) वर्ष 1992-93 के दौरान, करोड़ रु. से कम का संवितरण करने वाले सत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें अपने पूरे क्षेत्राधिकार के अन्दर वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई है। शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने सेवा क्षेत्र दायित्वों के अधीन अपने सम्पूर्ण कमान क्षेत्र के अन्दर ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को अपेक्षाकृत बेहतर स्थानों अर्थात वाणिज्यिक केन्द्रों जैसे बाजार क्षेत्रों, ग्रामीण मंडियों, खंड एवं जिला मुख्यालयों आदि में स्थापित करने तथा संबंधित कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पुनः नियोजित करने की अनुमति दी गई है।

(iv) भारत सरकार ने 102 चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 374 करोड़ रुपए (लगभग) की इक्विटी सहायता प्रदान की है। इस प्रयोजन के लिए 1996-97 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे लाभदायक स्थिति में आने के लिए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपना सकें।

(vi) भारतीय रिजर्व बैक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू टी आई) की सूचीबद्ध तथा अन्य योजनाओं, आई डी बी आई, आई सी आई सी आई, आई एफ सी आई तथा सिडबी जैसी लाभ प्रदान करने वाली सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमा में और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बाण्डों में और प्रतिष्ठित विश्वसनीय कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों जैसे लाभदायक क्षेत्रों में अपनी गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों का निवेश करने हेतु पहुंच उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित भागीदारी प्रमाणपत्र के जरिए अपने प्रायोजक बैंक के ऋण पोर्टफोलियों में अपनी अधिशेष गैर-एसएलआर निधियों का एक अंश लगा सकते हैं।

(vii) वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आय का पता लगाने तथा आस्ति वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण लेखा मानदंड लागू किए गए हैं। प्रावधान संबंधी मानदंड वर्ष 1996-97 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जायें।

(viii) 26.8.96 से भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अंतिम हिताधिकारी से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों के लिए विदेशी पूंजी

3525. **श्री एस. पी. जायसवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश द्वारा कृषि पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने प्रस्तावों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) स्वीकृति किए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन के विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 01.01.93 से 30.06.96 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योगों सहित उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। ऐसे प्रस्तावों के विवरण अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश और विनिर्माण/कार्यकलाप की मद भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूज़लेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और इनकी प्रतियां संसद पुस्कालय को नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं।

(ख) तथा (ग) विदेशी निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। परियोजना की निगरानी मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा की जाती है क्योंकि अधिकतर परियोजनाओं को चालू करना विभिन्न राज्य स्तरीय स्वीकृतियों, जिनमें भूमि, बिजली आदि शामिल है और प्रारम्भिक अवधि पर निर्भर करती है जो भिन्न-भिन्न परियोजना के लिए अलग-अलग होती है।

विवरण

दिनांक 1.1.93 से 30.6.96 तक की अवधि में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों में उद्योगवार विवरणों की सूची।

उत्तर प्रदेश

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	उद्योग का नाम	योग				
		कुल	तक.	वित्तीय	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग					
	लौह	8	7	1	1.02	0.07
	अन्य (अन्य मद)-धातुकर्मी	2	2	0	0.00	0.00
	योग	10	9	1	1.02	0.07
2.	ईंधन	1	0	1	296.02	19.35
	बिजली	1	0	1	296.02	19.35
	तेलशोध शाला	2	1	1	598.00	39.09
	अन्य (ईंधन)	2	2	0	0.00	0.00
	योग	5	3	2	894.02	58.43
3.	प्राइम मूवर्स विद्युत के अलावा	1	1	0	0.00	0.00
4.	विद्युत उपकरण					
	विद्युत उपकरण	36	21	15	31.10	2.03
	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर उद्योग	7	0	7	23.86	1.56
	इलैक्ट्रानिक्स	6	4	2	28.72	1.88
	योग	49	25	24	83.68	5.47
5.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	3	2	1	3.00	0.20
	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा	1	0	1	73.50	4.80
	योग	4	2	2	76.50	5.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाइल उद्योग	21	13	8	41.73	2.73
	यात्री कार	1	0	1	0.00	0.00
	योग	22	13	9	41.73	2.73
7.	औद्योगिक मशीनरी	23	17	6	0.87	0.06
8.	मशीनी औजार	2	0	2	0.28	0.02
9.	विविध यात्रिक तथा इंजी.	13	5	8	7.49	0.49
10.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	3	1	2	52.90	3.46
11.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	2	2	0	0.00	0.00
12.	औद्योगिक उपकरण	5	5	0	0.00	0.00
13.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा रेखा चित्रण	1	0	1	0.12	0.01
14.	उर्वरक	6	6	0	0.00	0.00
15.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	22	10	12	148.28	9.69
16.	फोटोग्राफिक कच्चा फिल्म तथा पेपर	2	1	1	2.00	0.13
17.	औषध तथा भेषज	4	2	2	1.33	0.09
18.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित सहित)	20	7	13	10.03	0.66
19.	कागज तथा लुगदी कागज उत्पाद सहित	3	0	3	18.77	1.23
20.	चीनी	1	0	1	50.00	3.27
21.	फर्मटेशन उद्योग	4	2	2	14.70	0.96
22.	खाद्य, प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य, उत्पाद	20	6	14	79.31	5.18
	मेराइन उत्पाद	1	0	1	1.50	0.10
	योग	21	6	15	80.81	5.28
23.	रबड़ की वस्तुएं	6	5	1	1.35	0.09
24.	चमड़ा, चमड़े का सामान तथा पष्किारक	5	1	4	3.05	0.20
25.	कांच	2	1	1	0.60	0.04
26.	सिरेमिक	2	0	2	0.86	0.06
27.	रक्षा उद्योग	1	1	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
28.	परामर्श सेवाएं					
	डिजाइन तथा इंजीनियरी सेवाएं	5	2	3	0.19	0.01
	योग	5	2	3	0.19	0.01
29.	सेवा क्षेत्र					
	गैर-वित्तीय सेवाएं	3	0	3	19.83	1.30
	योग	3	0	3	19.83	1.30
30.	होटल तथा पर्यटन					
	होटल तथा रेस्तरा	4	2	2	0.43	0.03
	पर्यटन	1	0	1	0.72	0.05
	योग	5	2	3	1.19	0.08
31.	ट्रेडिंग कम्पनी	3	0	3	0.56	0.04
32.	अन्य उद्योग					
	बागवानी	4	1	3	1.89	0.12
	कृषि	3	1	2	0.59	0.04
	पुष्पखेती	3	0	3	11.25	0.74
	अन्य (विविध उद्योग)	21	17	4	4.10	0.27
	योग	31	19	12	17.81	1.16
	योग	286	148	138	1529.98	

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र पर बैंक देय

3526. **श्री चिन्तामन वानगा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1996 के "इंडियन एक्सप्रेस" के नई दिल्ली संस्करण में "बैंक कॉलर फर्मसा इन कफ अप रु. 6025 करोड़" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों और चूककर्ता कर्जदारों का ब्यौरा क्या है और इन देयों की वसूली में क्या प्रगति हुई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने उन चूककर्त्ताओं के बारे में सूचना के प्रसार एवं समाहरण के लिए एक योजना शुरू की है जिनकी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को देय कुल बकाया (निधिक तथा गैर निधिक सुविधाएं) राशि एक करोड़ रुपए और उससे अधिक है तथा जिनके खातों को, ऋण देने का निर्णय लेने के गोपनीय प्रयोग के लिए "संदिग्ध" और "हानि" वाले खातों में वर्गीकृत किया गया है। गोपनीयता विषयक कानूनों के अन्तर्गत बैंक तथा उधारकर्ताओं के नाम उद्घाटित नहीं लिए जा सकते। भारतीय रिजर्व बैंक भी दिनांक 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, प्रति वर्ष उन उधारकर्ताओं के नामों की सूची प्रकाशित करता है जिनकी कुल बकाया राशि एक करोड़ रुपये और उससे अधिक है तथा जिनके विरुद्ध मुकदमें दायर कर दिए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इण्डियन एक्सप्रेस ने इसी उधारकर्ता खातों की सूची से सूचना प्रकाशित की है जिनकी देय राशियों की वसूली के लिए मुकदमें दायर किए जा चुके हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल अग्रिमों की तुलना में अनिष्पादित अग्रिमों का प्रतिशत दिनांक 31.3.1994, 24.78 प्रतिशत से घटकर दिनांक 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 19.45 प्रतिशत हो गया है। दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार यह प्रतिशत पुन: घटकर 16.01 प्रतिशत हो गया है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

3527. **श्री मनोरंजन भक्त** :

श्री गंगा चरण राजपूत :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में कोई सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चुनाव के लिए आचार संहिता

3528. **श्री राधा मोहन सिंह :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चुनावो के लिए आदर्श-आचार संहिता को वैधानिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता के भाग VII में अन्तर्विष्ट उपबंधों को कानूनी समर्थन देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है किन्तु इस विषय में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक के पैकेटों में कटे-फटे करेंसी नोट

3529. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन दिनों भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले रुपयों के पैंकटों में पुराने कटे-फटे करेंसी नोट होते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आम तौर पर नष्ट कर दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा तैयार किए जाने वाले पैकेटों में ऐसे नोटों को शामिल न किया जाना सुनिश्चित करने हेतु इन बैंकों को सरकार द्वारा क्या निर्देश दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसे पुराने, कटे-फटे या सड़े-गले करेंसी नोट, जिन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए, आमतौर पर बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले पैकेटों में नहीं पाए जाने चाहिए क्योंकि बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे करेंसी नोटों को जारी किए जाने योग्य और जारी न किए जाने योग्य नोटों के रूप में अलग-अलग छांट लें और भुगतान के बदले केवल पुनः जारी करने योग्य नोटों के पैकेट ही जारी करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं जहां पुनः उपयोग किए जा सकने वाले नोटों के पैकेटों में कुछ ऐसे नोट जारी कर दिए गए हों जो जारी न किए जाने चाहिए थे परन्तु ऐसा सम्बद्ध.बैंकों में नोटों की व्यक्ति परक छंटाई के कारण हुआ होगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों में यह अपेक्षा की गई है कि बैंकों को नोटों को जारी किए जा सकने वाले और जारी न किए जा सकने वाले नोटों के रूप में अलग-अलग छांट लेना चाहिए और जारी न किए जा सकने वाले नोट पूर्णतः नष्ट करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेज देने चाहिए।

वस्त्र व्यापार संवर्धन कार्यालय

3530. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में व्यापार संवर्धन कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां इन कार्यालयों को स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन कार्यालयों द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की संभावना हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) हमारे वस्त्र निर्यातों को कुछ देशों/क्षेत्रों में बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने साओ पोलो (ब्राजील), ओसाका (जापान), डर्बन (दक्षिण अफ्रीका) तथा मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में एक सदस्यीय निर्यात संवर्द्धन कार्यालयों को खोलने के वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों के संयुक्त प्रयास का समर्थन किया है।

ओसाका, मेलबोर्न तथा डर्बन में एक सदस्यीय कार्यालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है तथा साओं पोलो कार्यालय के शीघ्र ही कार्य आरंभ कर देने की आशा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कपड़ा मिल

3531. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 और जनवरी, 1996 के दौरान और जून, 1996 तक महाराष्ट्र में स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम और निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों में वर्षवार कुल कितना उत्पादन हुआ और इन कपड़ा मिलों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) राज्य में कितनी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं और सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरूद्धार के लिए मिलवार क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इन मिलों के बंद होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्वास और उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के लिए क्या क़दम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) विगत तीन वर्षों में यार्न तथा कपड़े का उत्पादन निम्नानुसार है :

वर्ष	कुल यार्न (मिलियन किग्रा)	कुल कपड़ा (मिलियन वर्ग मीटर)
1993-94	320	894
1994-95	309	873
1995-96	356	758
अनन्तिम		

विगत तीन वर्षों से महाराष्ट्र में एन टी सी, एस टी सी तथा निजी क्षेत्र की मिलों में लगे कामगारों की संख्या निम्नानुसार है :

	मार्च, 94	मार्च, 95	मार्च, 96
कामगारों की संख्या	198210	199451	196106

(ख) 31.5.96 की स्थिति अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कोई सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिल बंद नहीं है। 8 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें परिसमापन के तहत तथा 12 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें मुख्यतः वित्तीय कठिनाइयों, विद्युत कटौती, तालाबंदी आदि के कारण अस्थायी रूप से बंद थीं। सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरूद्धार के लिए यथा-उपयुक्त योजनाओं को तैयार करने तथा स्वीकृत करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की है।

(ग) सरकार ने स्थायी/आंशिक रूप से बंद पड़ी मिलों के बेरोजगार हो गए कामगारों को अन्तरिम सहायता देने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) की स्थापना की है।

[अनुवाद]

भारी उद्योग के उपक्रमों में हानि

3532. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के क्या नाम हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों के दौरान नुकसान उठाया है;

(ख) ऐसे नुकसान उठाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उनके नुकसान को माफ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्षवार स्थिति दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न है।

(ख) हानियों के मुख्य कारण - क्रयादेशों की कमी, संयंत्र और मशीनरी की पुरातनता, कच्चे माल की अनुपलब्धता, बिजली की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी आदि है।

(ग) और (घ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम जब रुग्ण हो जाता है तो उसे औद्योगिक एवम् वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित कर दिया जाता है। पुनरूद्धार पैकेज तैयार करने के लिए बी आई एफ आर एक प्रचालन एजेंसी नियुक्त करता है। पैकेज पर निर्भर करते हुए सरकार प्रत्येक मामले के आधार पर ब्याज/ऋणों आदि को बट्टे खाते में डालने पर विचार करती है।

विवरण-I

क्र.सं.	वर्ष 1994-95 में सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को हानि हुई उनके नाम
1.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
2.	भारत ब्रेकस एंड वाल्वस लिमिटेड
3.	रेरोल बर्न लिमिटेड
4.	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
5.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
6.	भारत वैगन एंड इंजी. कंपनी लिमिटेड
7.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी. लिमिटेड
8.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड
9.	नेपा लिमिटेड
10.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
11.	रिर्चडसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
12.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
13.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
14.	हैवी इंजी. कारपोरेशन लिमिटेड
15.	एच एम टी लिमिटेड
16.	प्रागा टूल्स लिमिटेड
17.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
18.	माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
19.	नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
20.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड
21.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड

22. भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड
23. सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड
25. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
26. माण्डया नेशनल पेपर मिल्स
27. नागालैंड पेंपर एंड पल्प कारपोरेशन
28. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु. कंपनी लिमिटेड
29. हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
30. रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड
31. टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड
32. टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
33. भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड
34. इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड
35. साभर साल्ट्स लिमिटेड
36. एण्ड्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड

विवरण-II

क्र.सं.	वर्ष 1995-96 में सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को हानि हुई उनके नाम
1.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड
2.	भारत ब्रेकस एंड वाल्वस लिमिटेड
3.	रेरोल बर्न लिमिटेड
4.	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड
5.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
6.	भारत वैगन एंड इंजी. कंपनी लिमिटेड
7.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजी. लिमिटेड
8.	वेबर्ड इंडिया लिमिटेड
9.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
10.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
11.	रिर्चडसन एंड क्रूडास (1972) लिमिटेड
12.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
13.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14.	हैवी इंजी. कारपोरेशन लिमिटेड
15.	एच. एम. टी. लिमिटेड
16.	प्रागा टूल्स लिमिटेड
17.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
18.	माइनिंग एंड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
19.	नेशनल बाईसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
20.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड
21.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
22.	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड
23.	सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
24.	दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लिमिटेड
25.	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
26.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स
27.	नागालैंड पेपर एंड पल्प कारपोरेशन
28.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु. कंपनी लिमिटेड
29.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
30.	रिहैब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
31.	टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन लिमिटेड
32.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
33.	भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड
34.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड

[हिन्दी]

पूर्वी बिहार में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना

3533. **श्री चित्रसेन सिंकु** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचा पूर्वोत्तर बिहार क्षेत्र पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उक्त न्यायालय की कोई खंडपीठ नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वी बिहार के मुख्य शहर अर्थात् भागलपुर में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या-क्या कारण हैं?

विधि कार्य विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्यमंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (घ) इस समय बिहार के पूर्वोत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की कोई न्यायपीठ नहीं है और पटना उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान की अधिकारिता की इस क्षेत्र पर विस्तारित होती है। इस प्रदेश में पटना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए बिहार सरकार से, पटना उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय पर कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

3534. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए सीधे विदेशी निवेश का प्रतिशत क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) निवेश का क्षेत्र मुख्यतया अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) की पसन्द पर निर्भर करता है।

(ग) जुलाई 1991 में नयी औद्योगिक नीति की शुरूआत के बाद से 31.5.1996 तक, सरकार द्वारा अनुमोदित अनिवासी भारतीय (एन आर आई) निवेश का प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) का लगभग 33 प्रतिशत बनता है।

[अनुवाद]

नॉन टैरिफ व्यापार में वृद्धि

3535. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1996 के "पायनियर" में "नॉन टैरिफ बैरियार्स ऑन द राईज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या एफ. आई. सी. सी. आई. (फिक्की) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार गत कुछ वर्षो के दौरान नान टैरिफ अवरोधों के प्रयोग में वृद्धि होने का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने भारत के प्रमुख व्यापारिक साझीदारों द्वारा लगाई गई गैर-टैरिफ बाधाओं का पता लगाया है। इस प्रकार लगाई गई बाधाओं में शामिल हैं : वस्त्र कोटा, पाटनरोधी एवं प्रतिकारी शुल्क, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इत्यादि से संबधित कड़े मानक। इस प्रकार के अधिकांश संरक्षणात्मक उपाय संगत गैट/डब्ल्यू टी ओ करारों के अनुरूप हैं। फिर भी, हमने जिन गैर-टैरिफ बाधाओं का पता लगाया है, उन मामलों को हम द्विपक्षीय तौर पर अपने व्यापार साझीदारों के साथ उठा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय निर्यातकों की बाजार पहुंच के मार्ग में ये व्यापारिक साझीदार किसी प्रकार से अनुचित रूकावट नहीं डाल सकें। किसी विसंगति अथवा भेदभाव की स्थिति में, भारत के पास निवारण के लिए डब्ल्यू टी ओ विवाद निपटान तंत्र के पास जाने का अधिकार है।

सरकारी एककों का पुनर्गठन

3536. **डा. एम. पी. जायसवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कोष द्वारा सरकारी एककों की पुनर्गठन संबंधी योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में समझौतों को अंतिम रूप देने में कुछ राज्यों द्वारा विलंब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) :(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 4 चयनित उद्यमों तथा केरल सरकार के 3 चयनित उद्यमों के आमूलचूल परिवर्तन के प्रस्ताव की एक योजना अनुमोदित की है और यह कार्य उद्यम-स्तर पर प्रबंधन में हस्तक्षेप के रूप में प्रक्रियागत परामर्श के जरिए किया जाएगा।

(ग) से (ङ) केरल सरकार ने अब तक परियोजना प्रलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनसे शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय वाहनों की लोकप्रियता

3537. **श्री कृपासिन्धु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया में कुछ भारतीय वाणिज्यिक वाहन अत्यधिक लोकप्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन वाहनों को अन्य देशों में भी बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। हाल ही में आस्ट्रेलिया में उतारे गये "टेल्को" के वाणिज्यिक वाहन 207- पिक-अप को वहां से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) वाहन की पहले ही स्पेन तथा इटली जैसे देशों में शुरूआत की गयी है जहां यह काफी लोकप्रिय है। कंपनी का इसे अन्य देशों में भी आरंभ करने का विचार है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी बैंक

3538. **श्री चित्त बसु :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के बैंक मजूदर संघों ने देश में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी बैंकों के खोले जाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस विरोध पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि अखिल भारत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए स्थानीय बैंकों की स्थापना की अनुमति दिए जाने के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है।

(ख) ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने और स्थानीय क्षेत्रों में अर्थक्षम आर्थिक क्रिया-कलापों के लिए ऋण का प्रावधान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए स्थानीय बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। आशा की जाती है कि इससे ऋण की उपलब्धता में अंतर कम होगा और इससे ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण ढांचे (फ्रेमवर्क) में वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक का विचार यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मांग और ग्रामीण क्षेत्रों से बचत राशियां जुटाने की क्षमता इतनी अधिक है कि ये नए बैंक अर्थक्षम रूप में परिचालन कर सकते हैं।

नये एन. टी. सी. एकक

3539. **श्री दरबारा सिंह :**

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की और एकके स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शेयरों के प्रतिशत में कमी

3540. **प्रो. ओमपाल सिंह 'निडर'** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-महत्वपूर्ण और असामयिक क्षेत्रों के सरकारी उपक्रमों के 74 प्रतिशत शेयरों को बेचने और 26 प्रतिशत शेयरों को रखने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों में ऐसे कितने सरकारी उपक्रम आते हैं;

(ग) इस संबंध में मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा एक विनिवेश आयोग का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ आयोग को भेजे गए विचारार्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 5 से 10 वर्ष के भीतर एक व्यापक समग्र दीर्घावधिक विनिवेश कार्यक्रम तैयार करेगा और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में विनिवेश की सीमा निर्धारित करेगा। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उधम में विनिवेश की जाने वाली सीमा के बारे में विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार करेगी।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी बोरा समिति के सुझाव

3541. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए श्री बी. सी. बोरा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) जी नहीं। बहरहाल, "सरकारी उद्यमों के प्रबंधन" के संबंध में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने श्री बी. सी. बोरा, अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अध्यक्षता में 'सरकारी उद्यमों की भूमिका' से संबंधित एक उप-दल का गठन किया था। श्री बोरा के अतिरिक्त उक्त उप-दल में डा. के. जी. रामनाथन, अध्यक्ष, आई. पी. सी. एल, श्री एम. गोपालाकृष्णा, अध्यक्ष स्कोप, श्री वी. एस. जैन, निदेशक

(वित्त), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. श्री एस तलवार, संयुक्त सचिव, सरकारी उद्यम विभाग, श्री के. जी. रामचन्द्रन (वित्त) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि. श्रीमती रमा मुरली, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, तथा श्री आर. बंदोपाध्याय, सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण तथा सरकारी उपक्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता शामिल थे। कार्यदल ने योजना आयोग को अब तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

[अनुवाद]

कॉफी बोर्ड का कार्यकरण

3542. **श्री वी. धनन्जय कुमार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड ने सभी कॉफी उत्पादकों को 1996-97 के कॉफी मौसम के लिए शत प्रतिशत खुली बिक्री का कोटा देने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और कॉफी बोर्ड के कार्यकरण के लिए बदली हुई इन परिस्थितियों में आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए सरकार की क्या भूमिका, कार्य और व्यवस्था है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस संबंधा में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ

3543. **श्री पी. कोदंड रमैय्या** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को धारवाड़ में स्थापित करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) और (ख) धारवाड़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए, कर्नाटक सरकार से, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः, केन्द्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई विनिश्चय करना संभव नहीं है।

विदेशी मुद्रा के व्यापारी

3544. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार विदेशी मुद्रा के कितने व्यापारी हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी व्यापारियों ने सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पूर्ण लाइसेंस धारित करने वाले 96 बैंक और अन्य संस्थाएं हैं तथा 7 प्रतिबंधित लाइसेंस धारक हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों/कतिपय वित्तीय संस्थाओं को लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेशी मुद्रा को कारोबार करने वालों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	डीलरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	दिल्ली	6
3.	गुजरात	2
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू और कश्मीर	1
6.	कर्नाटक	6
7.	केरल	6
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	61
10.	राजस्थान	1
11.	तमिलनाडु	10
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	5

जम्मू-कश्मीर में बकाया आयकर देय

3545. **श्री चमन लाल गुप्ता** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर घाटी में आयकर की कुल बकाया धनराशि कितनी है;

(ख) क्या कतिपय अधिकारियों तथा निजी फर्मों ने कश्मीर घाटी में विशेषतः आतंकवाद भड़कने के पश्चात् आयकर विवरणी प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया देय की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा

क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर घाटी में बकाया आयकर की मांग की धनराशि क्रमशः 10.80 और 16.00 करोड़ रु. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अधिकांश मांगें या तो अपीलों में रुकी पड़ी हैं या उच्च प्राधिकारी/न्यायालयों आदि द्वारा आस्थगित की गई हैं। आयकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपीलीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क करें और अधिक मांग वाले मामलों को प्राथमिकता आधार पर निपटाने का उनसे अनुरोध करें।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं

3546. **श्री कचरू भाऊ राउत** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा लोगों से धन एकत्र करने पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कुछ गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर भविष्य में और जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून, 1995 तक अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों सहित 201 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर जनता से जमाराशियां जुटाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों पर जमाराशियां स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाने के मुख्य कारण उनका गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1977/अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1987 का अनुपालन न करना है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति

3547. **श्री मधुकर सर्पोतदार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) क्या समिति ने अब तक कोई सुझाव/निर्णय सरकार को भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर परामर्शदात्री समिति का दिनांक 29.1.1996 को पुनर्गठन किया गया है। आम चुनावों के बाद 11वीं लोक सभा के गठित होने पर इस समिति के लिए चार संसद सदस्यों को पुनः नामित करना आवश्यक हो गया है। इस समिति का जल्दी ही पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद तत्काल इसकी बैठक होगी।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

3548. **सरदार सुरजीत सिंह बरनाला** :

श्री बी. धर्मभिक्षम :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री सुशील चन्द्र :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेष रूप से पंजाब के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले छह माहों के दौरान अनेक विद्युत संयंत्रों से कोयला उपलब्ध न होने के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कोयले की कम आपूर्ति होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न विद्युत एककों को आवश्यकतानुसार कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल से जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान की गई वास्तविक आपूर्ति तथा राज्यवार दिए गए संयोजनों के ब्यौरे विवरण-I में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) ऐसे विद्युत गृह जिन्होंने अप्रेल से जुलाई 1996 की अवधि के दौरान संयोजित मात्रा के 95% से कम मात्रा में आपूर्ति प्राप्त नहीं की है और कम आपूर्ति किए जाने के कारण विवरण-II में संलग्न है।

(ङ) जैसा कि स्पष्ट है, कोयले की विभिन्न विद्युत गृहों को आपूर्ति कभी-कभी विभिन्न कारणों से प्रतिबंधित करनी पड़ती है, जो कि अधिकाशंत कोयला मंत्रालय अथवा कोयला कंपनियों के नियंत्रण से बाहर हैं।

विवरण-I

	राज्य	संयोजन	प्रेषण
	1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4695	4891
2.	कम बिहार	3125	2822
3.	दिल्ली	1685	1614
4.	गुजरात	6145	4568
5.	हरियाणा	1125	1034
6.	कर्नाटक	1675	1363
7.	महाराष्ट्र	9345	9082
8.	मध्य प्रदेश	8670	10161
9.	उड़ीसा	1500	1015
10.	पंजाब	2220	2113
11.	तमिलनाडु	10435	10643
12.	पश्चिम बंगाल	64515	63097

विवरण-II

रा. वि. बोर्ड / टी. पी. एस.	संयोजन	प्रेषण	कारण
1	2	3	4
बी. टी. पी. एस	1080	939	रेलवे को भार तथा कोयले की कीमत की कोई अदायगी नहीं की गई।
पानीपत	860	771	रेलवे को भार की अदायगी किए जाने और हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इसकी अदायगी न किए जाने के कारण।
रोपड़	1590	1471	1. अन्य विद्युत गृहों को प्रायः कोयले का स्थानांतरण किए जाने के कारण। 2. कुछ रेल दुर्घटनाओं और प्रायः अवरोधों के कारण कोयले की आपूर्ति में बारम्बार बाधा पड़ना।
ओबरा	1440	990	1. से. को. लि. से कोयला संचलन के लिए रेलवे की जिम्मेदारी के कारण जो कि संयोजन के अनुसार है और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. से अधिक मात्रा में कोयला पिट हैड से सुपर ताप विद्युत ग्रहों को जा रहा है। 2. अनियंमित और अल्प अदायगी के कारण कोयले की नियमित आपूर्ति में कोयला कंपनी को कठिनाई के कारण।
दादरी	1455	1224	1. विद्युत ग्रहों को कोयला बी. ओ. बी. आर. वैगनों में प्राप्त होने और से. को. लि. से बी. ओ. बी. आर. वैगनों के कम परिचालन के कारण। 2. रेलवे के युक्ति संगत कार्यक्रम के अनुसार भा. को. कं. लि. से संचालन न होना।
ऊंचाहार	620	584	1. से. को. लि. से कम संचालन। 2. रेलवे के युक्ति संगत कार्यक्रम के अनुसार भा. को. को. लि. से संचालन बंद हो गया था, जिसे हाल में पुनः आरम्भ किया गया है।
पनकी	200	190	भुगतान नहीं होने के कारण

1	2	3	4
गांधी नगर	930	688	1. गुजरात विद्युत बोर्ड की क्षमता 64 करोड़ से अधिक के भुगतान की नही, जिससे सामान्य आपूर्ति नियंत्रित हो गई 2. कोरबा क्षेत्र से संयोजन के अनुरूप रेलवे का परिचालन न होने और इस विद्युत गृह को कोयले की आपूर्ति करने वाले कोरिया रेवा क्षेत्र से इसकी क्षतिपूर्ति न होने के कारण।
चन्द्रपुर	3300	2854	1. संयोजन के अनुसार सड़क द्वारा विद्युत गृह को कोयले का संचालन न होने के कारण। 2. रोपवे में लगातार ब्रेकडाउन होने से .
कापरखेड़ा	915	642	काफी समय से इसकी यूनिटों के डाउन होने के कारण रेलवे ने यहां के कोयले को अन्य विद्युत गृहों को प्रेषित कर दिया।
ट्राम्बे	120	22	मल्टीफ्युएल व्वायलरों और कोयले की रिपोर्ट किए गए आयात के कारण यह न तो कोयला ले रहा है और न ही उपभोक्ताओं के पक्ष की औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
कोरबा पश्चिम	1030	897	यह एक पिट हैड विद्युत गृह है। उनके कोयला रख-रखाव संयंत्रों में समम्याओं के कारण कुछ कोयला रेल द्वारा संचालित करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया।
अमरकंटक	280	225	कोयले के परिवहन के लिए इसके अपने वैगन हैं और यह सड़क द्वारा भी परिवहन करता है। यह तभी कोयला लेता है, जब इसे आवश्यकता होती है।
दहानु	730	522	1. कोयले के रैकों को बंबई नगर से बाहर भेजना पड़ता है तथा रेलवे को अपेक्षित रैकों के परिवहन की समम्या है। 2. संयोजन के अनुसार आई. बी. क्षेत्र से कोयले का निम्नतम संचलन
नेल्लोर	60	31	निरंतर हड़ताल तथा अन्य समम्याओं के कारण छोटे पुराने यूनिट में बारंबार खराबी
तूतीकोरिन	1665	992	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा कोयले का आयात करना तथा देशीय कोयले के आगत को कम करना
मैटूर	1440	1282	2. संभवतः आयात के कारण देशी कोयले से संबंधित भुगतान नहीं किया जाता है। निरंतर हड़ताल तथा अन्य समस्याओं के कारण
रायचूर	1675	1363	1. सिंगरेनी से कम आपूर्ति 2. विद्युत गृह द्वारा अनियमित भुगतान 3. म. को. लि. के लिए रेल-सह-समुद्र संचलन से संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने में विद्युत गृह द्वारा देरी। यह हाल ही में शुरू हुई है।
मुदन्नुर	800	600	1. औद्योगिक समस्याओं के कारण सिं. को. कं. लि. से कम आपूर्ति।

1	2	3	4
			2. को. इं. लि. से कोयले के संचलन के लिए पर्याप्त भुगतान कर पाने की अक्षमता।
नार्थ-मद्रास	610	-	यूनिट प्रचालन में नहीं है। तथा विद्युत गृह ने आगत को नियमित कर दिया है।
बरौनी	295	211	1. विद्युत संबंधी कार्यक्रम पर
पतरातु	490	410	उत्पादन कार्यक्रम पर दिया गया कोयले का संयोजन।
मुजफ्फरपुर	170	96	2. यूनिट प्रचालन में नहीं है तथा लक्ष्य से कम उत्पादन के कारण 1 से 4 महीनों से कोयले का स्टॉक अत्यधिक है।
बोकारो (ए+बी)	780	562	यूनिट में लगातार खराबी के कारण कोयले की आगतों में कमी।
			2. सर्वत्र 30 से 60 दिन अधिक का स्टॉक
दुर्गापुर (डी. वी. सी)	435	286	यूनिट में लगातार खराबी के कारण अधिक स्टॉक
मेजिया (डीवीसी)	150	-	नया विद्युत गृह। विद्युत गृह द्वारा अभी तक रेल/एम. जी. आर. मार्ग संस्थापित नहीं किया गया है।
बुडगे-बुडगे	100	-	1. अभी शुरू नहीं।
			2. मात्र परीक्षण के लिए कोयले का कुछ संयोजन दिया गया।
साउथ जेन. स्टे.	200	187	
बंडेल	475	449	
कोलाघाट	1800	1667	1. मार्ग में प्राचीन रेल पुल के कारण रेलवे परिचालन में निरन्तर रूकावट।
			2. इस विद्युत गृह को रेल द्वारा म. को. लि. से कम संचालन।
दुर्गापुर	290	243	भा. को. को. लि. से संयोजन के अनुसार विद्युत गृह कोयला नहीं उठा रहा है और यह तर्क दे रहा है कि वह ई. को. लि. से कोयला प्राप्त करना चाहता है।
फरक्का (टीपीएस)	2090	1901	एम. जी. आर. ट्रैक में लगातार बाधा और रोलिंग ढांचे में कमी के कारण।
तालचर	680	537	पिट-हैड विद्युत गृह बैल्ट कन्वेयर पद्धति में लगातार खराबी।
तालचर (एसटीपीएस)	490	-	1. विद्युत गृह में कुछ दुर्घटनाओं के कारण यह बंद हो गया। कोई यूनिट कार्यरत नहीं।
			2. विद्युत गृह द्वारा कोयला नहीं लेने से कोयले का स्टॉक बर्बाद हो रहा है।
लघु विद्युत गृह	20	4	चूंकि यूनिट कार्यरत नहीं है अत: कोयला उठाने से इंकार।
बोंगाई गांव	190	121	1. विद्युत गृह यूनिटें नियमित रूप से कार्यरत नहीं हैं।
			2. संयोजन के अनुसार विद्युत गृह एन. ई. सी से कोयला नहीं उठा रहा है।

विदेशी सहायता

3549. **श्री ई. अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें विदेशों से विशेषकर विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से भारत को सहायता मिल रही है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्राप्त परियोजनाओं की गहन समीक्षा शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी सहायता के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वे क्षेत्र, जिनमें भारत विश्व बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त कर रहा है, सिंचाई, सामान्य कृषि, जलापूर्ति और सफाई, विद्युत तेल, गैस और कोयला, परिवहन और दूरसंचार, शहरी विकास, उद्योग, जनसंख्या, स्वास्थ्य, पौषाहार और शिक्षा हैं। एशियाई विकास बैंक के मामले में वे क्षेत्र जिनमें, विदेशी सहायता प्राप्त की जाती है, ऊर्जा, परिवहन और दूरसंचार तथा आधारभूत संरचना है।

(ख) से (घ) जी, हां। चालू परियोजनाओं की समीक्षा अनवरत प्रक्रिया है। यह संबंधित प्राधिकारियों के साथ समय-समय पर की जाती हैं और परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सरकार द्वारा सहायता के उपयोग में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदम विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना, शत-प्रतिशत अतिरिक्तता के रूप में ए.सी.ए. का निर्गमन; राज्यों को ए.सी.ए. का अग्रिम निर्गमन, बोली दस्तावेजों का मानकीकरण और अधिप्राप्ति कार्यविधियों को सरल और कारगर बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता देने में मध्यस्थों को हटाना, पोर्टफोलियो योक्तिकीकरण और आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध एकक की स्थापना करना है।

साधारण बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा विदेश दौरे

3550. **डा. अरविंद शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के चार अनुषंगी कम्पनियों में प्रत्येक के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबन्धक तथा सहायक महाप्रबंधक द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए सरकारी/गैर सरकारी विदेशी दौरे तथा प्रत्येक दौरे पर किये गये खर्च का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक दौरे के साथ गए अन्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा इसका प्रयोजन क्या था?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेटेंट मुद्दे पर भारत को नोटिस

3551. **श्री ओ. भारथन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 16 जुलाई, 1996 के "द हिन्दू" में "यू.एस. इश्यूज नोटिस टू इंडिया ऑन पेटेन्ट इश्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या अमेरिकी सरकार ने भारत को यू. एस. ट्रेड एक्ट के विशेष उपबंध 301 के अंतर्गत प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) अमरीकी व्यापार कानून का "स्पेशल 301" प्रावधान प्राथमिकता निगरानी सूची कानून के तहत बनाया गया एक वर्गीकरण नहीं है बल्कि यह एक प्रशासनिक तरीका है। इस निगरानी सूची से अमेरिकी प्रशासन के लिए कोई कानूनी बाध्यकारी परिणाम नहीं निकलते हैं। भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखने के पश्चात् अमेरिका द्वारा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

तथापि ट्रिप्स करार को लागू न करने के लिए भारत के खिलाफ अमरीका द्वारा 2.7.96 को विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान समझौते के तहत कार्यवाही की गयी है, जिस पर अलग से कार्रवाई की जा रही है।

शैक्षणिक ऋण

3552. **श्री के. सी. कोडंय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मेडीकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शैक्षणिक ऋण मंजूर करने संबंधी कुछ नियम बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे ऋण मंजूर करने के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा क्या निर्धारित की गई है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक संख्या में पात्र छात्रों की सहायता करने के उक्त ऋणों पर आय सीमा हटाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से कहा है कि वे निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 1995-96 के शैक्षणिक वर्ष के

दौरान निजी व्यावसायिक विद्यालयों के मेडिकल/डेंटल कालेजों में भर्ती हुए विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध करायें :

निजी व्यावसायिक विद्यालयों के मेडिकल/डेंटल कालेजों में भर्ती हुए निःशुल्क/योग्य विद्यार्थियों को 15,000/- रूपए तक का ऋण और भुगतान करने वाले विद्यार्थियों को 50,000/- रूपए का ऋण बशर्ते कि, विद्यार्थी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों :-

I संबंधित विद्यालय से एक प्रमाण-पत्र कि वह निःशुल्क भुगतान वाली सीट पर भर्ती किया गया है।

II विद्यार्थी और उसके पिता (पिता की अनुपस्थिति में, माता द्वारा अथवा अन्य किसी करीबी रिश्तेदार) द्वारा शपथ-पत्र कि विद्यार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय 50,000/- रुपए से अधिक नहीं है।

III विद्यार्थी द्वारा भरा गया एक बाण्ड (यदि विद्यार्थी नाबालिग है तो उसके पिता/माता अथवा संरक्षक द्वारा) जिसमें शपथ ली गयी हो कि वह जिस पाठ्यक्रम (कोर्स) में पढ़ रहा है उसे पूरा करने के दो वर्षों के बाद 5 बराबर की वार्षिक किस्तों में या रोजगार प्राप्त करने के एक वर्ष के अन्दर, जो भी पहले हो वापस कर देगा।

IV ऋण की राशि संबंधित विद्यालय को सीधे ही वापस की जाएगी।

V केवल भुगतान करके भर्ती हुए विद्यार्थियों को छोड़कर, जहां बैंकों द्वारा जमानत पर जोर नहीं दिया जाएगा।

ये मार्गनिर्देश वर्ष 1996-97 के शैक्षणिक वर्ष के लिए भी लागू हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अब तक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ने उपर्युक्त ऋणों पर आय की उच्चतम सीमा हटाने के लिए अनुरोध नहीं किया है।

कागज पर आयात शुल्क

3553. **श्री अयन्ना पटब्बुर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग ने कागज के आयात शुल्क में वृद्धि के संबंध में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) कागज विनिर्माताओं की कुछेक एसोसिएशनों ने पेपर और पेपर बोर्ड की विनिर्दिष्ट किस्मों पर मूल सीमा शुल्क में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है। दूसरी ओर कागज उपयोगकर्ताओं की कुछेक एसोसिएशनों ने शुल्क में कमी करने की मांग की है।

(ग) वर्ष 1996-97 के बजट में, सरकार ने पेपर और पेपर बोर्ड की उपर्युक्त किस्मों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क लगाया जाना जारी रखा है। तथापि, मूल्यानुसार 2 प्रतिशत की दर से विशेष सीमा शुल्क 23 जुलाई, 1996 से उदग्राह्य हो गया है।

[हिन्दी]

उद्योगों के पास बकाया ऋण

3554. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पन्द्रह प्रमुख औद्योगिक घरानों में से प्रत्येक के पास आज की तिथि तक बकाया ऋण के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए तथा उन्हें लौटाए गए ऋणों के संबंध में वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसे कब तक वसूल कर लिए जाने की आशा है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) बड़े औद्योगिक घरानों का वर्गीकरण करने के मानदंड को प्रश्न में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित सामूहिक दृष्टिकोण की संकल्पना के अंतर्गत, बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उधारकर्ताओं के पता लगाए गए समूहों से संबंधित विभिन्न उधारकर्ता एककों द्वारा प्राप्त की जानेवाली ऋण सुविधाओं (5 करोड़ रुपए और इससे अधिक की निधि आधारित सीमाओं तथा 5 करोड़ रुपए से कम के राशि वाले अनियमित खातों) के संबंध में सूचना देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 15 बड़े औद्योगिक समूहों (31.3.1994 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत निधि आधारित सीमाओं के अंतर्गत शेष बकाए के अनुसार वर्गीकृत) के नाम 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं की निधि आधारित बकाया राशि 14128.42 करोड़ रूपए थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

बैंक/वित्तीय संस्थायें निर्धारित किए गए अपने नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी देय राशियों की वसूली करने के लिए कार्रवाई करती हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के देय ऋणों पर

शीघ्र न्यायनिर्णय देने तथा उनकी वसूली को सुकर बनाने की दृष्टि से सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया ताकि बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली की जा सके। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के चूक करने वाले ऋणकर्ताओं से संबंधित सूचना प्रकट करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अप्रैल, 1994 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे ऋणकर्ता खातों का ब्यौरा, जिन्हें संदिग्ध, हानि और एक करोड़ रुपए या अधिक की बकाया (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) वाले मुकदमा दायर खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सूचना को बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में परिचालित करने का प्रावधान है ताकि वे इस सूचना का इस समय उपयोग कर सकें जब वे वर्तमान और नए ग्राहकों द्वारा की गई नई अतिरिक्त ऋण सीमाओं के अनुरोधों पर विचार कर रहे हों।

देश में विदेशी निवेश

3555. **श्री रमेन्द्र कुमार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक सुधार कार्यक्रम के लागू होने के बाद गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में राज्यवार कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ख) क्या कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनमें विदेशी पूंजी का कोई निवेश नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् जनवरी, 1993 से जून, 1996 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह नीचे दिया गया है :-

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1993	1786.71
1994	2981.85
1995	6370.16
1996	3911.32
(जून तक)	

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक प्रवाह का प्रबोधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक प्रवाह के राज्य-वार आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3556. **डा. रमेश चन्द तोमर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी का प्रावधान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या नीति बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसे कैसे कार्यान्वित किया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार, लघु क्षेत्र में किसी विदेशी औद्योगिक उपक्रम द्वारा 24 प्रतिशत तक इक्विटी निवेश करने की अनुमति है। लघु क्षेत्र की लघुता के कारण इनमें व्यापक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हो पाता है। लघु क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आगमन को आपसी व्यापार संबंधों की प्रक्रिया, संयुक्त उद्यम तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

(ग) और (घ) भारत के लघु उद्योगों और विदेशों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, गोष्ठियों और संगोष्ठियों इत्यादि में भाग लेकर प्रोत्साहित किया जाता है।

ऋण माफी योजना

3557. **श्री डी. नारायण स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों तथा सहकारी समितियों/बैंकों सहित विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को दिए गए 10,000/- रूपये तक के ऋण को प्रत्येक मामले में माफ कर दिए जाने का आदेश दिया था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संदर्भ में वित्तीय संस्थाओं के ऋणों की पूरी राशि की प्रतिपूर्ति कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सहकारी समितियों/बैंकों को अब तक प्रतिपूर्ति नहीं किए जाने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप इन सहकारी संगठनों को भारी नुकसान हो रहा है; और

(घ) इस संदर्भ में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) संभवतः माननीय

सदस्य का आशय वर्ष 1990-91 के दौरान किसानों को दी गई ऋण राहत से है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणकर्ताओं के उस चुनींदा वर्ग को ऋण राहत देने के लिए कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत (ए आर डी आर) योजना, 1990 बनाई थी, जो योजना के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करता हो। राज्य सरकारों ने भी सहकारी समितियों के ऋणकर्ताओं के लिए अपनी स्वयं की योजनाएं बनाई थी। बैंकों द्वारा इस तरह दी गई ऋण राहत के कारण, केन्द्रीय सरकार को नीति संबंधी मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रतिपूर्ति करनी थी। सहकारी बैंकों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच 50:50 आधार कर बांटी जानी थी।

दिनांक 15 मई, 1990 से प्रभावी योजना के तहत, ऋण राहत उन पात्र ऋणकर्ताओं के अतिदेयों को कवर करने के लिए दी गई थी जिन्होंने 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया था तथा राहत राशि 10,000/- रूपए प्रति ऋणकर्ता तक सीमित थी। ए आर डी आर योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है।

(ख) तथा (ग) नीति संबंधी मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार, संस्थाओं के दावे पूरी तरह से निपटा दिए गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू का निर्यात

3558. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितने तम्बाकू का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई;

(ख) आन्ध्र प्रदेश से कितने वर्जिनिया तम्बाकू का निर्यात किया गया;

(ग) क्या वर्जिनिया तम्बाकू के मूल्य अन्य देशों से प्रतिस्पर्धात्मक थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विदेशी मुद्रा कमाने के लिए तम्बाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए तम्बाकू की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :

(मात्रा : टनों में, मूल्य : करोड़ रु.)

मद	1993-94		1994-95		1995-96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
तम्बाकू	104676	461.19	53732	254.75	71430	365.81

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

उत्पाद के उद्गम वाले राज्य द्वारा तम्बाकू का निर्यात वर्गीकृत नहीं किया गया।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में तम्बाकू की प्रचलित कीमतों की इस प्रकार तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि व्यापार किए गए माल की विभिन्न किस्मों तथा गुणवत्ता में अंतर है; निर्यात के लिए ग्रेडिंग और पैकेजिंग में हुए अतिरिक्त खर्च, घरेलू प्रसंस्करण की स्थितियां और व्यापार की शर्तें की अलग-अलग हैं।

(ङ) और (च) निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में तम्बाकू का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नांकित हैं :

(i) एफ सी वी/बर्ले तम्बाकू की उच्च गुणवत्ता वाली और रोग प्रतिरोधक किस्मों के बीजों/पौधों की आपूर्ति।

(ii) नर्सरियों के धूम्रीकरण के द्वारा नाशी कीटों तथा रोगों का नियंत्रण

(iii) स्प्रींकलर सिंचाई सुविधा के उपयोग को बढ़ावा देना;

(iv) क्यूरिंग और स्टोरिंग सुविधाओं में सुधार

(v) कोयला (क्यूरिंग के लिए) उर्वरकों और सकरसाइड्स जैसे निवेशों की आपूर्ति की व्यवस्था करना; और

(vi) नवीनतम अनुसंधान खोजों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन।

शेयरों का अंतरण

3559. **श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 113 के अंतर्गत लिमिटेड कंपनियों द्वारा शेयरों, डिबेंचरों आदि के अंतरण के पंजीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना क्या है;

(ग) क्या 'सेबी' द्वारा कंपनियों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त की जाती रहती हैं;

(घ) यदि हां, तो चूककर्त्ता कंपनियों से प्राप्त जुर्माने का कंपनी वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी कार्य विभाग ने किसी मामले में दंडात्मक कार्यवाही त्याग दी है अथवा अपराध का अभिसंधान करने की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 113(1) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक कंपनी ऐसे शेयरों, डिबेन्चरों और डिबेन्चर स्टाकों के अंतरण के पंजीकरण के लिए आवेदन किए जाने के बाद दो महीनों के अन्दर अन्तरिती को शेयरों, डिबेन्चरों या डिबेन्चर स्टाकों का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

तथापि, कंपनी विधि बोर्ड इस संबंध में कंपनी द्वारा इसको आवेदन किए जाने पर इस समय सीमा को और अवधि तक बढ़ा सकता है और डिबेंचरों तथा डिबेन्चर स्टाकों के मामले में यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि कंपनी के लिए उक्त अवधि के अन्दर ऐसे प्रमाण पत्रों को प्रदान करना संभव नहीं है तो यह अवधि नौ महीनों से अनधिक होगी।

धारा 113(2) में यह व्यवस्था है कि उपधारा (1) का अनुपालन किए जाने में चूक की गई है तो कंपनी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसने चूक किया है, उस पर जुर्माना लगाकर उसे दण्डित किया जायेगा जिसकी राशि तब तक प्रतिदिन 500 रूपये तक हो सकती है जिस अवधि तक यह चूक होती रहती है।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी उपक्रमों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में धन जमा किए जाने की आवश्यकता

3560. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को उनकी निधियां यदि कोई हो, केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के वर्षो में नीति में परिवर्तन किया गया है जिसके अनुसार अब सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के साथ वित्तीय मामलों में लेन-देन कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तन कब से प्रभावी हुए हैं और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) दिनांक 3.1.1992 के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपनी मर्जी के किसी भी बैंक के साथ बैंक सम्बन्धी सामान्य लेन-देन कर सकते हैं। तथापि, 14.12.1994 के अनुदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वे भारत में निगमित किसी भी अनुसूचित बैंक में अतिरिक्त धनराशियों को जमा करा सकते हैं बशर्ते कि वे कुछ शर्तें पूरी करते हों। धनराशियों के दुरूपयोग से बचने के लिए ये परिवर्तन किए गए थे।

चमड़ा उद्योग

3561. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उद्योग की स्थिति बेहतर बनाने तथा उसे विकसित करने एवं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो चमड़ा उद्योग के क्षेत्र में सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में चमड़ा उद्योग के एकीकृत विकास के लिए "राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" नामक शीर्षक से एक व्यापक योजना बनाई गई है और उसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) से प्राप्त सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किये गये हैं और इन्हें कार्यान्वित किया गया है।

क्र.सं.	भारतीय संस्थान का नाम		विदेशी एजेंसी का नाम	विषय
1.	फुटवियर डिजाइन तथा विकास संस्थान नोएडा (उ.प्र.)	1.	मेलबोर्न कालिज ऑफ टेक्सटाइल, आस्ट्रेलिया	फुटवियर टेक्नालाजी
		2.	बेली इंटरनेशनल, स्वीटजरलैंड	अंतर्राष्ट्रीय स्तर जांच केन्द्र की स्थापना
		3.	एटम-विकास, वियाना	फुटवियर में कम्प्यूटर की सहायता से
		4.	टेक्सटाइल इंस्टीटयूट, यू. के.	डिजाइन फुटवियर टेक्नालोजी।

1	2	3	4
2.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास	1. ओप्टीमर, हंगरी	भारतीयों के लिए मानक पैरों के आकार के विकास के लिए पैर माप।
		2. सतरा, यू. के.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर जांच केन्द्र।
		3. ब्रिटिश लेदर फेडरेशन, यू.के.	कवच चमड़ा प्रसंस्करण में सुधार।
		4. ए एफ पी आई सी फ्रांस	फुटवियर लैदर गारमेंट और चमड़े के सामान के विनिर्माण में उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
3.	चमड़ा निर्यात परिषद्	मेकेन्सि एंड कंपनी, यू.एस.ए.	यू.एस.ए. में भारतीय चमड़ा उत्पादों की विपणन तथा छवि बनाना।
4	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) मद्रास के प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र	बुगी, इटली	तलवे बनाने के लिए मशीनों के आदि रूप (प्रोटोटाइप) का विकास।
5.	केन्द्रीय फुटवियर तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास तथा आगरा।	टेक्सटाइल इंस्टीटयूट, यू.के.	फुटवियर टेक्नालोजी में उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को आवास भत्ता

3562. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए आवास भत्ता संबंधी पात्रता के बारे में सरकार ने नियम/दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नियम/दिशानिर्देश सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू हैं;

(घ) क्या उक्त नियम इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए दी जाने वाली आवास भत्ते की सीमा क्या है;

(च) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सरकारी आवास में भागीदारी करने पर आवास भत्ता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (छ) वर्तमान नीति के अनुसार सरकारी उपक्रम अपने सभी स्तर के कर्मचारियों को निम्नलिखित दर से मकान किराया भत्ता का भुगतान कर सकते हैं। इन दरों का अनुमोदन सरकार ने सरकारी उपक्रमों के कार्यपालकों के लिए दिनांक 1.1.1987 से लागू वेतन पुनरीक्षण के साथ किया था:

दिल्ली, बम्बई	मूल वेतन का 30%
"ए" श्रेणी के अन्य नगर	मूल वेतन का 25%
बी-1 तथा बी-2 श्रेणी के नगर	मूल वेतन का 15%
"सी" श्रेणी के नगर तथा अन्य अवर्गीकृत नगर	मूल वेतन का 10%

बहरहाल, सरकार ने सरकारी उद्यमों को यह सलाह दी है कि स्वयं के अथवा पति/पत्नी के मकान में रहने वाले कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का भुगतान नगर प्राधिकरणों द्वारा मूल्यांकित किराया मूल्य के अनुसार किया जाए। सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की सरकारी आवासों में भागीदारी के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है।

पंजाब और सिंध बैंक का कार्य निष्पादन

3563. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में, पंजाब और सिंध बैंक की शाखाओं के खोले जाने के संबंध में जिलेवार, राज्यवार तिथि सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, शाखावार इन शाखाओं की, जमा, अग्रिम, गैर-निधि कारोबार, लाभान्वितता तथा हाऊस कीपिंग के संबंध में कार्य निष्पादन कैसा रहा;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त शाखाओं के अनेक प्रबंधकों/अधिकारियों को उनके कार्य हेतु पुरस्कृत अथवा दण्डित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी चिदम्बरम) : (क) जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, 31.12.95 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखाओं का, उनके खोले जाने की तारीखों सहित राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	राज्य		शाखाओं का नाम	खोले जाने की तारीख
1.	असम	(i)	डिब्रूगढ़	23.3.76
		(ii)	गुवाहाटी	28.8.75
		(iii)	जोरहाट	15.2.77
		(iv)	सिल्चर	11.3.76
2.	त्रिपुरा	(i)	अगरतला	27.3.76
3.	नागालैंड	(i)	दीमापुर (कोहिमा)	20.3.76
4.	मणिपुर	(i)	इम्फाल	13.3.76
		(ii)	दयूलहलैंड	23.6.90

(ख) पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जमाराशियों, अग्रिमों, गैर-निधि कारोबार लाभप्रदता तथा आतंरिक लेखा कार्य के मामले में इन शाखाओं का कार्यनिष्पादन विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) पंजाब एंड सिंध बैंक ने यह भी सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान, 12 प्रबंधकों/अधिकारियों के खिलाफ, पूर्वोत्तर राज्यों में बैंक की शाखाओं में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा की गई विभिन्न अनियमितताओं/चूकों के संबंध में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। इनमें से, तीन मामलों के संबंध में कार्रवाई पूरी कर ली गई है। एक प्रबंधक को ग्रेड/स्केल में तीन चरणों की कमी किए जाने का दण्ड दिया गया है तथा दो अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जमाराशियों, अग्रिमों, गैर-निधिबद्ध कारोबार, लाभप्रदता और हाउस कीपिंग के संबंध में उत्तर पूर्वी राज्यों में पंजाब एंड सिंध बैंक की शाखाओं का कार्य निष्पादन

(हजारों रूपये में)

शाखा का नाम	जमाराशियां	अग्रिम	गैर निधिबद्ध आय	लाभ/हानि	हाउस कीपिंग संतुलन	जमा-राशियां	अग्रिम	गैर निधिबद्ध आय	लाभ/हानि	हाउस कीपिंग संतुलन	जमा-राशियां	अग्रिम	गैर निधिबद्ध आय	लाभ/हानि	हाउस कीपिंग संतुलन
अगरतला	29098	20399	176	-1376	*	32768	22060	241	-1711	*	56870	22935	297	-1904	*
डिब्रूगढ	28408	7992	188	51	≠	28058	7516	258	227	≠	30942	7831	357	11	≠
दीमापुर	123240	15461	504	3678	*	141000	13847	690	3832	*	172897	32702	931	4953	*
गुवाहटी	80056	19857	962	1765	*	164262	26427	1291	3570	*	116012	26839	1361	6133	*
इम्फाल	34213	23289	580	-641	*	40565	22704	781	114	*	48217	25532	870	117	*
जोरहट	23450	14010	294	-514	*	24796	13390	403	-1264	*	26497	14120	428	10003	*
सिलचर	30251	7868	287	251	≠	33481	7446	393	129	≠	37798	6887	383	70	≠
दीवलालैंड	1022	6082	77	-225	≠	9572	8782	106	-11	≠	14283	18298	163	94	≠
कुल :	358998	114898	3068	2989		474502	122172	4163	4908		503516	155144	4790	8471	

* मिलान रहित ≠ मिलान किया हुआ

विदेशी सहयोग

3564. **श्री सौम्य रंजन :**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री गिरधारी यादव :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगवार कितने विदेशी सहयोगों की स्वीकृति दी गई तथा वित्तीय संदर्भ में तथा देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) 30 जून, 1996 तक विदेशी सहयोग के कितने मामले लम्बित पड़े है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 1477 विदेशी निवेश के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं जिनमें 38072.70 करोड़ रु. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना की गई है। अनुमोदित मामलों के राज्यवार, उद्योगवार तथा देशवार विवरण रकम सहित क्रमशः विवरण I, II और III में दिये गये हैं।

(ख) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए लंबित पड़े विदेशी निवेश के प्रस्तावों की संख्या 424 थी।

विवरण-I

अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 तक की अवधि में सभी अनुभागों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट।

राज्य	अप्रैल, 95-मार्च, 96	
	संख्या	निवेश (करोड़ रु. में)
1	2	3
दिल्ली	136	13344.37
अन्य	434	13094.83
महाराष्ट्र	197	3172.93
कर्नाटक	133	2138.68
उड़ीसा	13	1368.85
तमिलनाडु	161	1243.43
उत्तर प्रदेश	48	1194.30
पश्चिम बंगाल	43	702.10
आंध्र प्रदेश	83	504.01
गुजरात	53	447.18
हरियाणा	76	253.60
पंजाब	14	242.81
राजस्थान	31	113.66
पांडिचेरी	7	86.34
मध्य प्रदेश	18	81.99
हिमाचल प्रदेश	6	36.50
दादर और नागर हवेली	3	16.87
केरल	10	16.61
गोवा	3	6.82
बिहार	6	6.02
असम	1	0.57
दमन और द्वीव	1	0.24
	1477	38072.70

विवरण-II

दिनांक 1.4.95 से 31.3.96 तक की अवधि में सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों के उद्योगवार विवरणों की सूची।

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कुल	योग		राशि	
			तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग					
	लौह	67	36	31	1945.24	5.11
	अलौह	1	0	1	6.00	0.02
	विशिष्ट मिश्र धातु	1	1	0	0.00	0.00
	विविध (अन्य मद) धातुकर्मी	2	1	1	3.15	0.01
	योग	71	38	33	1954.39	5.13

1	2	3	4	5	6	7
2.	ईंधन					
	बिजली	11	1	10	1769.12	4.65
	तेलशोधशाला	29	18	11	2676.07	7.03
	अन्य (ईंधन)	22	8	14	179.38	0.47
	योग	62	27	35	4624.56	12.15
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	11	7	4	4.39	0.01
4.	प्राइम मूवर्स विद्युत के अलावा	17	8	9	15.18	0.04
5.	विद्युत उपकरण					
	विद्युत उपकरण	252	142	110	296.50	0.78
	कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	84	2	82	406.91	1.07
	इलेक्ट्रोनिक्स	63	14	49	924.18	2.43
	योग	399	158	241	1627.59	4.27
6.	दूरसंचार					
	दूरसंचार	58	18	40	1021.79	2.68
	रेडियोपेजिंग	19	1	18	168.55	0.44
	सेल्यूलेट मोबाइल टेलीफोन सेवा	76	0	76	17169.60	45.10
	योग	153	19	134	18359.94	48.22
7.	परिवहन उद्योग					
	आटोमोबाइल उद्योग	107	66	41	1438.81	3.78
	वायुयान/समुद्री परिवहन	15	0	15	190.54	0.50
	यात्री कार	5	0	5	76.73	0.20
	अन्य (परिवहन)	5	0	5	1316.27	3.46
	योग	132	66	66	3022.34	7.94
8.	औद्योगिक मशीनरी	188	116	72	621.85	1.63
9.	मशीनी औजार	19	6	13	76.99	0.20
10.	कृषि मशीनरी	4	2	2	50.18	0.13
11.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी	67	25	42	159.92	0.42
12.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा					
	घरेलू उपम्कर	12	2	10	365.67	0.96
13.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	12	4	8	152.41	0.40
14.	औद्योगिक उपकरण	24	10	14	43.17	0.11
15.	वैज्ञानिक उपकरण	9	4	5	10.79	0.03
16.	अंकगणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राईंग	1	0	1	0.12	0.00

1	2	3	4	5	6	7
17	उर्वरक	15	14	1	5.53	0.01
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	201	100	101	1739.53	4.57
19.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	1	0	1	4.25	0.01
20.	रंजित सामग्री	4	0	4	24.28	0.06
21.	औषध तथा भेषज	47	28	19	158.84	0.42
22.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित रहित)	93	15	78	290.90	0.76
23.	कागज तथा लुगदी-कागज					
	उत्पाद सहित	25	11	14	242.09	0.64
24.	खमीर उद्योग	10	3	7	567.22	1.49
25.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
	खाद्य उत्पाद	127	24	103	462.60	1.22
	समुद्री उत्पाद	3	2	1	0.61	0.00
	योग	130	26	104	463.21	1.22
26.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	6	1	5	14.91	0.04
27.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट					
	प्रिप्रेशन	5	1	4	59.72	0.16
28.	रबड की वस्तुएं	30	15	15	46.00	0.12
29.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स	24	6	18	41.14	0.11
30.	काच	10	5	5	194.63	0.51
31.	सिरेमिक्स	29	7	22	90.54	0.24
32.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	7	4	3	8.45	0.02
33.	टिम्बर उत्पाद	3	0	3	6.26	0.02
34.	रक्षा उद्योग	1	1	0	0.00	0.00
35.	परामर्शदायी सेवाएं					
	डिजाइन तथा इंजी. सेवाएं	42	7	35	114.24	0.30
	प्रबन्ध सेवाएं	21	0	21	29.65	0.08
	विपणन	12	4	8	18.07	0.05
	निर्माण	1	1	0	0.00	0.00
	अन्य (परामर्शदायी सेवाएं)	7	0	7	4.57	0.01
	योग	83	12	71	166.52	0.44
36.	सेवा क्षेत्र					
	वित्तीय	54	1	53	819.41	2.15
	गैर-वित्तीय सेवाएं	50	3	47	511.09	1.34

1	2	3	4	5	6	7
	बैंकिंग सेवाएं	3	0	3	31.76	0.08
	योग	107	4	103	1362.25	3.58
37.	होटल तथा पर्यटन					
	होटल तथा रेस्तरां	46	18	28	824.82	2.17
	पर्यटन	4	2	2	1.62	0.00
	योग	50	20	30	826.44	2.17
38.	ट्रेडिंग कम्पनी	48	0	48	47.67	0.13
39.	विविध उद्योग					
	बागवानी	27	13	14	18.08	0.05
	कृषि	17	9	8	39.78	0.01
	पुष्प खेती	91	34	57	74.43	0.20
	अन्य (विविध) उद्योग	153	100	53	490.65	1.29
	योग	288	156	132	622.94	1.64
		2398	921	1477	38072.70	

विवरण-III

अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 तक की अवधि में सभी अनुभागों द्वारा दी गई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी प्रौद्योगिक समझौतों के लिए देशवार अनुमोदन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	देश का नाम	कुल अनुमोदन			विदेशी निवेश की
		कुल	तकनीकी	वित्तीय	रकम
1	2	3	4	5	6
1.	आस्ट्रेलिया	36	11	25	1467.35
2.	आस्ट्रिया	29	17	12	36.53
3.	बहरीन	1	0	1	1.87
4.	अर्जनटीना	1	0	1	18.38
5.	बैल्जियम	20	7	13	193.61
6.	बरमुडा	4	0	4	20.72
7.	ब्रिटिश विरगीनिया	4	3	1	0.92
8.	बुल्गारिया	2	1	1	1.91
9.	कनाडा	33	11	22	1371.10
10.	चैनल आईसलैंड	2	1	1	2.00
11.	चीन	11	7	4	581.06

1	2	3	4	5	6
12.	चैक रिपब्लिक	7	4	3	2.07
13.	साईप्रस	3	1	2	0.45
14.	डेनमार्क	31	10	21	130.70
15.	ऐस्टोनिया	1	0	1	0.31
16.	फिनलैण्ड	16	7	9	55.46
17.	फ्रांस	81	38	43	1009.87
18.	ग्रीस	1	0	1	0.10
19.	जर्मनी	261	119	142	1327.89
20.	हांगकांग	30	5	25	467.76
21.	इंडोनेशिया	1	0	1	193.30
22.	आयरलैण्ड	19	5	14	34.83
23.	इस्ले ऑफ मान	1	0	1	0.73
24.	इज़रायल	59	27	32	4144.29
25.	इटली	125	73	52	478.31
26.	जापान	151	100	51	1631.27
27.	कोरिया (साउथ)	65	18	47	2359.80
28.	कुवैत	2	0	2	410.00
29.	लक्ज़मबर्ग	7	0	7	54.61
30.	मलेशिया	17	2	15	1249.49
31.	मॉरीशस	79	5	75	2442.13
32.	मेक्सिको	1	0	1	8.16
33.	अनिवासी भारतीय	150	1	149	1600.48
34.	नेपाल	1	0	1	3.00
35.	नीदरलैण्डस	166	66	100	1203.64
36.	न्यूजीलैण्ड	6	3	3	34.65
37.	नोरवेय	8	3	5	4.71
38.	ओमन	3	0	3	5.87
39.	फिलीपिन्स	10	5	5	297.63
40.	पौलैण्ड	3	1	2	4.80
41.	पुर्तगाल	2	0	2	173.56
42.	रोमानिया	1	1	0	0.00
43.	रूस	16	7	9	16.12
44.	साउदी अरब	2	1	1	0.12

1	2	3	4	5	6
45.	सिंगापुर	61	7	54	987.43
46.	साउथ अफ्रीका	3	3	0	0.00
47.	सलोवाकिया	2	2	0	0.00
48.	स्पेन	10	4	6	22.70
49.	श्रीलंका	7	0	7	3.78
50.	स्वीडन	24	12	12	914.66
51.	सलोविनीया	1	1	0	0.00
52.	स्वी	84	36	48	217.89
53.	तायवान	16	10	6	7.06
54.	तातरस्थान	1	0	1	0.05
55.	थाईलैण्ड	21	3	18	1984.64
56.	यू.ए.ई.	7	1	6	14.36
57.	यू. के.	195	84	111	2319.43
58.	यू. एस. ए.	472	190	282	6984.62
59.	उक्रेन	3	2	1	0.02
60.	यूरो इशू	5	0	5	1464.38
61.	अनिर्दिष्ट देश	10	3	7	11.88
62.	मालटा	1	1	0	0.00
63.	जिब्राल्टर	1	0	1	98.21
64.	मालदोवा	1	1	0	0.00
65.	सुडान	1	0	1	0.03
66.	जार्डन	1	0	1	0.01
67.	वियतनाम	1	0	1	0.03
68.	सन सल्वाडोर	1	1	0	0.00
	कुल :	2398	921	1477	38072.70

रूसी ऋण भुगतान समझौता

3565. **श्री पिनाकी मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में रूसी ऋण भुगतान समझौते के अन्तर्गत प्रति रूबल 31.50 रूपये निर्धारित की गई विनिमय दर से व्यापार और विदेशी मुद्रा प्रणाली में गड़बडी पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने की संभावना है और इससे वैध और अवैध कारोबार के माध्यम से कितने मूल्य की भारतीय करेंसी रूस में गई है और कितने मूल्य की करेंसी वापस भारत में आई है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। भूतपूर्व सोवियत संघ द्वारा प्रदत्त राज्य ऋणों के तहत रूस से भारत द्वारा लिए गए रूपया ऋण के परिकलन के लिए दिनांक 1.1.90 को एक रूबल= 19.9169 रूपए की विनिमय दर के साथ दिनांक 1.4.92 को प्रचालित एक रूबल=31.7514 रूपए की विनिमय दर को प्रयुक्त किया गया। रूपया ऋण की राशि और वापसी अदायगी के तौर-तरीकों को

जनवरी, 1993 में रूस के साथ किए गए अत: सरकारी करारों के तहत अंतिम रूप दिया गया। इस समय कोई सरकारी रूपया-रूबल सनमूल्यता प्रचालन में नहीं है और दोनों देशों के बीच चालू व्यापार प्रवाहों के लिए पूर्व दरों की कोई सार्थकता नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को रूपया ऋण वापसी अदायगी के माध्यम के तहत रूस को निर्यातों में खाली निर्यातों, अधिक बीजक बनाने/कम बीजक बनाने, व्यापार की अदला-बदली आदि अनियमितताओं की जानकारी है। सरकारी अभिकरण सक्रिय हैं तथा जब विशिष्ट उल्लंघन प्रकाश में आते हैं तो उस संबंध में उचित कार्यवाही की जाती है।

सी. आई. एस. देशों के साथ व्यापार व निवेश

3566. **श्री एल. रमना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सी. आई. एस. देशों के साथ हमारे देश के व्यापार व निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्व सोवियत संघ के बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया). (क) और (ख) सी. आई. एस. देशो के साथ भारत का कुल व्यापार 1994-95 में 5092.77 करोड़ रुपए का जो 1995-96 के दौरान बढ़कर 7752.48 करोड़ रुपए का हो गया जिसमें 52.2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई ।

जहां तक पूंजी निवेश का संबंध है, भारत सरकार ने भारत से पूंजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं, परियोजनाओ और परामर्शी सेवाओं का आयात करने हेतु 1993 से ही सी आई एस देशों के केन्द्रीय एशियाई क्षेत्र को 65 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया था।

(ग) जो देश पहले सोवियत संघ में शामिल थे उन देशों को निर्यात बढाने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की है। व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को स्थापित करने तथा उन्हें और अधिक सुदृढ करने के लिए उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान हुआ है। संयुक्त उद्योग संबंधी प्रक्रिया को तेज करते हुए द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। व्यापार शिष्टमण्डलों के दौरो, क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों के आयोजन आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। इन देशों के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकिंग तथा अवस्थापनापरक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

एस. बी. आई. के सहायक बैंकों में एशियाई विकास बैंक द्वारा निवेश

3567 **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों में निवेश करने पर अपनी सहमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। एशियाई विकास बैंक भारतीय स्टेट बैंक की तीन सहायक कम्पनियों की इक्विटी में 101 करोड़ रुपये (लगभग 30 मिलियन अमरीकी डालर) का निवेश करने को सहमत हो गया है। जो निम्नलिखित है :- (i) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड में 71.5 करोड़ रुपये (लगभग 21.2 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य), (ii) एस बी आई सी ए पी सिक्योरिटीस लिमिटेड में 14.5 करोड़ रु. (लगभग 4.3 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य) और (iii) एसबीआई गिल्ट्स लिमिटेड में 15 करोड़ रुपये (लगभग 4.5 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य)।

कोयले पर रायॅल्टी

3568. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोयले पर दी जाने वाली रॉयल्टी का भुगतान राज्य द्वारा प्रति टन कोयले की आपूर्ति के आधार पर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयले के मूल्य के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक कर दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 की धारा (3) के अनुसार अगली बार रायल्टी के संशोधन किए जाने की अवधि 10.10.96 के बाद पड़ती है। इस मामले से संबंधित संगत मुद्दों का अध्ययन किए जाने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक संशोधन के समय एक अध्ययन दल का गठन किया जाता है, जिसमें रायल्टी की दरों का निर्धारण किए जाने संबंधी आधार और सरकार को संशोधित रायल्टी की दरों की सिफारिश किया जाना शामिल है।

[हिन्दी]

भारतीय रेल को कोयले की आपूर्ति

3569. **श्री हरिवंश सहाय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय रेल को देश में उत्पादित कुल कोयले का कितना प्रतिशत आपूर्ति किया जाता है और इससे कितना राजस्व अर्जित होता है; और

(ख) कुल उत्पादित कोयले के कितने प्रतिशत भाग की निजी क्षेत्र में खपत होती है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में उत्पादित किए गए कुल कोयले में से लगभग 0.10 प्रतिशत कोयला रेलवे को आपूर्ति किया गया है। उक्त कोयले की कुल कीमत 36.95 करोड़ रु. थी।

(ख) कोल इंडिया लि. के अधीन कोयला कंपनियों की सूचना-तंत्र व्यवस्था निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले के लिए अलग-अलग मात्रा को दर्शाने वाले आंकड़ों में नहीं रखी जाती है। अत: देश में कुल उत्पादित कोयले में से निजी क्षेत्र द्वारा उपभोग किए गए कोयले की प्रतिशतता से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

रूग्ण उद्योगों के कर्मचारियों को वेतन

3570. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि केन्द्रीय सरकार के किसी भी रूग्ण एककों में कर्मचारियों का वेतन रोका न जाये अथवा इसके भुगतान में विलम्ब न हो और साथ ही इन रूग्ण एककों के तत्काल पुनरूद्धार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सहित उपयुक्त समुचित उपचारात्मक कदम उठाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई प्रणाली तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जब कभी भी केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी रूग्ण उपक्रम में विलम्ब से भुगतान का मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सरकारी एककों को तात्कालिक उपचारात्मक उपायों के सम्बन्ध में सुझाव दिया जाता है, ताकि बकाया राशियों का समयानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3571. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश में किन-किन योजनाओं को लागू किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) विश्व बैंक से अब तक परियोजनावार उपरोक्त योजनाओं के लिए कितनी राशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्राप्त की गई राशि सहित विवरण निम्न प्रकार है :

(मिलियन अमरीकी डालर)

	परियोजना	दाता एजेंसी	हस्ताक्षर की तारीख/समापन की तारीख	संचयी राशि	प्रयुक्त राशि 30.7.96
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	11.4.95 / 31.12.99	58.0	4.66
	बहुराज्जीय				
2.	तकनीशियन शिक्षा-1	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	13.8.90 / 30.6.98	210.7 / 25.6	132.6
3.	बांध सुरक्षा	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	10.6.91 / 30.9.97	148.8	25.6
4.	जल विज्ञान	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी	22.9.95 / 31.3.92	142.0	4.0

* ये आकड़े सम्पूर्ण परियोजना के लिए हैं।

इन राज्जीय/बहुराज्जीय परियोजनाओं के अलावा मध्य प्रदेश राज्य सहित, देश में अनेक केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

आंध्र प्रदेश में नये कोयला क्षेत्र

3572. **श्री आर. साम्बाशिवा राव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान राज्य में पता लगाए गए नए कोयला भण्डारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश की कोयला खानों में इस समय कितना कोयला भण्डार उपलब्ध है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) और खनिज अन्वेषण लिमिटेड (एम. ई. सी. एल.) आन्ध्र प्रदेश में गोंडवाना घाटी में अन्वेषण कार्य में कार्यरत हैं। अन्वेषण अधीन ब्लॉकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

जिला	अन्वेषण अधीन ब्लाक/क्षेत्र
वारंगल	वेंकटापुर, मल्लयपल्ली और पसरा-लिंगाला
खम्माम	संपतनगरम, येलान्दु सब बेसिन, कोथागुडेम खनन ब्लाक के दक्षिणी और पूर्वी विस्तार, कोप्राया-कचिनापल्ली और कृष्णावरण-चेरुलापल्ली।
करीमनगर	खम्मामपल्ली और चन्दुपल्ली-महादेवपुर
आदिलाबाद	चिन्नूर

(ग) जी. एस. आई. द्वारा संचालित क्षेत्रीय अन्वेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश में कोयले के 2210 मिलियन टन के अतिरिक्त भंडार उपलब्ध हो सकेंगे। विगत तीन वर्षो के दौरान 503 मिलियन टन के कोयले के अतिरिक्त भंडारों का पता लगाया गया है।

(घ) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश (सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.) की खानों में कोयले का भंडार लगभग 2911 मिलियन टन है।

हथकरघा वस्तुओं के लिए बाजार

3573. **श्री एन. डेनिस** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना बिक्री के बची हथकरघा वस्तुओं के भारी मात्रा में जमा होने से हथकरघा बुनकरों को बचाने के लिए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना शुरु की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) जी हां। हथकरघा उत्पाद के विपणन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो आयोजित करता है। इसके साथ ही प्राथमिक समितियों को उपयुक्त विपणन सुविधायें देने के लिए "लघु स्तर के एक्सपो" भी आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान जिला स्तर के मेलों व त्यौहारों में भाग लेने के लिए भी सहायता दी जाती है। हथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सूरज कुंड मेला, ताज महोत्सव शिल्पग्राम आदि शिल्प मेले भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 1995-96 में 7 राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो 14 लघु स्तर के एक्सपो और 82 जिला स्तर के मेलों/त्यौहारों के आयोजन के लिए सहायता दी गई और उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत 5.84 करोड़ रुपये जारी किए गये।

सरकार विपणन विकास सहायता योजना के माध्यम से राज्य हथकरघा निगमों, राज्य शीर्ष हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता भी देती है। इन योजनाओं के अंतर्गत इन संगठनों को उनकी वार्षिक बिक्री आदि के आधार पर सहायता दी जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान एम. डी. ए. योजना के अंतर्गत 4687.21 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की पुनर्वित्तपोषण दरें

3574. **श्री अशोक प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का विचार वाणिज्य बैंको, सहकारी बैंकों तथा अन्य भूमि विकास बैंको के लिए पुनर्वित्तपोषण दरों को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को दिए गए अल्पकालीन मौसमी कृषि परिचालन (एसटीएसएओ) ऋण सीमाओं पर ब्याज दर 3 प्रतिशत वार्षिक से 6.5 प्रतिशत वार्षिक के बीच निर्धारित की जाती थी जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) के पास (एसटीएसएओ) बकाया ऋणों की तुलना में राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) को नाबार्ड से प्राप्त उधारों की प्रतिशतता पर निर्भर करता है। इन दरों में 1 जुलाई, 1996 से निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :-

पीएसी का बकाया (एसटीएसएओ) ऋणों की तुलना में नाबार्ड से प्राप्त एस सी बी के उधारों की प्रतिशतता	ब्याज की दर (%वार्षिक)
35 से कम	5.0
35 और उससे अधिक परन्तु 40 से कम	5.5
40 और उससे अधिक परन्तु 45 से कम	6.0
45 और उससे अधिक परन्तु 50 से कम	6.5
50 और उससे अधिक परन्तु 55 से कम	7.0
55 और उससे अधिक	7.5

तथापि, एस टी (एस ए ओ-जनजातीय लोगों का विकास) के अंतर्गत सीमाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज दर उधारों के स्तर पर ध्यान रखे बिना 5 प्रतिशत वार्षिक होगी। इसी तरह, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक 5 प्रतिशत वार्षिक देंगे। एस टी (एस ए ओ) उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दी गई पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज दर 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर अपरिवर्तित रहेगी।

वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंकों को मध्यावधि और दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर में 1.8.1995 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल संसाधनों का मात्र एक भाग है। उपरोक्तानुसार पुनर्वित्त सहायता के दर में बढ़ोतरी के कारण, निधियों की लागत में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और इस लिए अर्धक्षम उधार दरों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तथापि, ऋण के लिए मांग, ब्याज दरों पर इतनी अधिक निर्भर नहीं रहने की संभावना है क्योंकि यह ऋण की समयबद्धता अथवा उसकी पर्याप्तता पर निर्भर है।

इसके अलावा ब्याज दरों के अविनियमन, जो सहकारी ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं से लिया जाएगा, उससे प्रतियोगी दरों पर बाजार से जमाराशियां/उधार लेने में वे समर्थ होंगी, जिससे इन संस्थाओं के पास उधार देने योग्य निधियों की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता

3575. **श्री अनन्त कुमार** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990 से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए बजटीय सहायता में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यमों को जी.आर.डी. जैसे प्रपत्रों के माध्यम से संसाधन बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम धनराशि की अत्यधिक कमी महसूस कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो धनराशि में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए बजटीय सहायता का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	बजटीय सहायता (करोड़ रूपये में)
1990-91	5541
1991-92	4376
1992-93	4044
1993-94	4847
1994-95	5291
1995-96	5103
1996-97 (बजट अनुमान)	5038

(ग) और (घ) विश्व स्तर पर निक्षेप संबंधी प्राप्तियां जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम के प्रार्थना-पत्र को सरकार द्वारा अभी तक अस्वीकार नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए धनराशि की आवश्यकताएं तथा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है तथा वे मुद्रा बाजार की सामान्य स्थितियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों व सरकार के पास उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करते हैं। संसाधनों के अभाव से निपटने के लिए सरकार द्वारा आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

लद्दाख में बैंक ऋण

3576. **श्री पी. नामग्याल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 तक लद्दाख के लेह एवं कारगिल स्थित स्टेट बैंक में शाखावार कुल कितनी राशि जमा की गई;

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में लेह एवं कारगिल जिलों में राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए उद्यमियों को कुल कितनी अग्रिम राशि दी गई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त व्यक्तियों एजेंसियों को कुल कितनी अग्रिम राशि दी गई;

(घ) क्या लेह एवं कारगिल जिलों के नए उद्यमियों में उनकी नई योजनाओं, जिन्हें लेह एवं कारगिल जिलों के ग्रामीण विकास एवं जिला उद्योग विभागों द्वारा स्वीकृति दी गई थी, के लिए लेह एवं कारगिल स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण रोष है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में उद्यमियों को दी गई अग्रिम राशि सहित उनका पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31.3.96 की स्थिति के अनुसार, लेह और कारगिल जिलों में उनकी शाखाओं में जमा की गई शाखावार कुल राशि नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	शाखा	जमाराशि (हजार रूपये में)	क्र.सं.	शाखा	जमाराशि (हजार रूपये में)
जिला : कारगिल			**जिला** : लेह		
1.	कारगिल	91412	1.	लेह	278678
2.	ड्रास	12786	2.	चुगलमसार	40877
3.	शाकर	10019	3.	टोआ लेह	51546
4.	शारगोल	8351	4.	सासपोल	27786
	योग :	122568		योग :	398882

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान लेह और कारगिल जिलों में राज्य और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उद्यमियों को दी गई अग्रिम की कुल राशि नीचे दी गई है :-

(राशि हजार रूपये में)

जिला	1993-94	1994-95	1995-96
लेह	545	1066	2013
कारगिल	571	941	2569
योग	1116	2007	4582

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान, राज्य और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अलावा निजी व्यक्तियों/एजेंसियों को दी गई अग्रिम की कुल राशि निम्नलिखित है :-

(राशि हजार रूपये में)

जिला	1993-94	1994-95	1995-96
लेह	7140	13345	15222
कारगिल	1979	1865	1853
योग	9119	15210	17075

(घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने आगे सूचित किया है कि लेह और कारगिल जिलों में किसी भी नए उद्यमी का अपनी उन योजनाओं के वित्त पोषण न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक लेह और कारगिल के विरूद्ध रोष व्यक्त नहीं किया है जिनकी सिफारिश लेह और कारगिल जिलों के ग्रामीण विकास और जिला उद्योग विभाग ने की थी। डी आर डी ए/डी आई सी द्वारा प्रायोजित/सिफारिश किए गए उद्यमियों को दी गई कुल अग्रिम राशि उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए अनुसार है।

यूको बैंक की स्थिति

3577. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 1996 के "इकोनोमिक टाइम्स" में यूको बैंक मेय लूज बी केटेगिरी स्टेटस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूको बैंक के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी हां। 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूको बैंक को 26. 2 करोड़ रूपये का परिचालन घाटा हुआ है। इसे देखते हुए बैंक को श्रेणी "ग" में वर्गीकृत करना आवश्यक है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक का गहराई से अध्ययन करने और इसकी स्थिति में व्यापक सुधार के उपाय सुझाने के लिए भारतीय निवेश सूचना और ऋण दर निर्धारण एजेंसी (आई सी आर ए) जो परामर्शदाताओं की एक अग्रणी फर्म है, की नियुक्ति की थी। इस फर्म ने अपनी रिपोर्ट अब दे दी है जो विचाराधीन है।

कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क संबंधी अनियमितताएं

3578. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान कुछ कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क संबंधी अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस व्यवस्था की कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी हां। इस वर्ष के दौरान सीमाशुल्क विभाग की जानकारी में कुछेक ऐसे मामले आये हैं जिनमें धोखाधड़ी से शुल्क प्रतिअदायगी के दावे करना

शामिल है। एक मामले में फर्म के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कंपनी से दो लाख रूपये वसूल कर लिए गए हैं। इन मामलों में जांच पड़ताल संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(घ) वर्ष 1995 में एक नई सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली लागू करके प्रतिअदायगी पद्धति को पहले ही से कारगर बना दिया गया है। तथापि, धोखाधड़ी से प्रतिअदायगी के दावों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अलग से दावे दायर करने की आवश्यकता को समाप्त करके प्रतिअदायगी दावों पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिअदायगी लदान बिलों को भी प्रतिअदायगी के लिए दावों के रूप में स्वीकार कर लेने, निरीक्षण के लिए नमूने लेने की घटनाओं को कम करके, प्रतिअदायगी की राशियों का भुगतान करने के लिए प्रक्रिया में संशोधन करके तथा प्रतिअदायगी पर कार्रवाई का कम्प्यूटरीकरण करना विभाग के विचाराधीन है।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती

3579. **श्री परशराम भारद्वाज :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनेक लोगों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मानक कटौती जिसे 15,000 रूपये से 18,000 रूपये बढ़ाया गया, का लाभ उन सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को दिया जाए जिनकी वार्षिक आय 60,000 रूपये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) बजट के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों की जांच सरकार द्वारा एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में की जाती है।

भारतीय कोयला प्रबंध संस्थान

3580. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला प्रबंध संस्थान रांची का वार्षिक बजट 12.5 करोड़ रूपये है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के दौरान कार्यकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण पर प्रतिदिन औसतन कितनी लागत आई; और

(ग) कितनी क्षमता का उपयोग नामतः कुल उपलब्ध प्रशिक्षण दिवस अर्थात् कार्य दिवसों की संख्या, प्रशिक्षण कक्षों की संख्या तथा वास्तव में उपयोग किए गए प्रशिक्षण दिवसों सहित प्रशिक्षार्थियो की संख्या कितनी थी?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान के वार्षिक बजट को नीचे दर्शाया गया है :

राजस्व - 7.5 करोड़ रूपये

पूंजी - 2.23 करोड़ रूपये

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए प्रति अधिकारी प्रतिदिन औसत प्रशिक्षण लागत 2,970 रू. थी।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान क्षमता उपयोगिता 57% थी, जो कि निम्न आधार पर निकाली गई है :-

i)	कार्य दिवसों की संख्या	283
ii)	कक्षा गृहों की संख्या	5
iii)	कक्षा गृहों की औसत क्षमता	20
iv)	वर्ष के दौरान अधिकतम उपलब्ध प्रशिक्षणार्थी दिवस	23300
v)	वर्ष के दौरान वास्तविक प्रशिक्षणार्थी दिवसों की उपलब्धि	16165

अमरीका को झींगा का निर्यात

3581. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका ने भारत से झींगा के आयात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के यू एस न्यायालय द्वारा 29.12.1995 को दिए गए एक निर्णय के आधार पर विभिन्न अन्य देशों सहित भारत पर यू एस सार्वजनिक कानून सं. 101-162 की धारा 609 लागू होगी, जिसका अर्थ यह हुआ है कि 1 मई, 1996 तक भारत को धारा 609 की आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा ताकि वह इस तिथि से आगे बीहड़ में पकड़े गए झींगे का निर्यात कर सके। एक्वाकल्चर से प्राप्त झींगे को उक्त निर्णय से अलग रखा गया है। भारत सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) को प्राधिकृत किया है कि वह यू एस ए को निर्यात की जाने वाली खेपों के संबंध में संबंधित निर्यातकों द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने वाले इस आशय के प्रमाण-पत्र (डीएसपी-121 जैसा कि यू एस सरकार ने निर्धारित किया है) को प्रतिहस्ताक्षरित करें जिस में यह कहा गया हो कि झींगे की उक्त खेप एक्वाकल्चर से प्राप्त की गई हैं।

भारत सरकार ने सचिवों की समिति (सीओएस) की एक बैठक में इस मामले की जांच करवाई थी। इस बारे में विभिन्न विकल्पों पर तत्परता से विचार किया जा रहा है, जैसा विश्व व्यापार

संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में मामले को ले जाना, भारत में प्रचलित नियमन कार्यक्रम के विस्तृत विवरण के साथ यू एस सरकार से सम्पर्क करना और 10 मीटर सकल लम्बाई से ज्यादा से ट्रालर्स पर टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस के प्रयोग को अनिवार्य बनाने संबंधी अधिसूचना जारी करने की संभावना।

मध्य प्रदेश में निर्यातोन्मुख एकक

3582. **श्री विशेश्वर भगत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना की गई है और उनके निर्यात संबंधी वायदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन एककों का ब्यौरा क्या है जो निर्यात से अर्जित आय से अपने निर्यात वायदों को पूरा करने में सक्षम रहे हैं ;

(ग) उन एककों का ब्यौरा क्या है जो अपने निर्यात वायदों को पूरा नहीं कर पाई है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन निर्यातोन्मुख एककों के कार्य निष्पादन पर ध्यान देने एवं निर्यात वायदों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) मध्य प्रदेश राज्य में 31 मार्च, 1996 को 23 निर्यातोन्मुख इकाईयां उत्पादनरत थीं। इनमें निर्धारित मूल्यवर्धन की मात्रा 20 प्रतिशत से 74.40 प्रतिशत तक थी।

(ख) तथा (ग) जिन इकाइयों ने 31.3.1996 को एक वर्ष अथवा उससे अधिक का समय पूरा कर लिया है उनके वार्षिक निर्यात निष्पादन की मानीटरी का कार्य हाल ही में पूरा किया गया है और अंनतिम परिणाम निम्नानुसार हैं :-

(क)	वे इकाईयां जिन्होंने निर्धारित मूल्यवर्धन का लक्ष्य पूरा कर लिया है :	4
(ख)	वे इकाईयां जिनका निष्पादन 10 प्रतिशत निर्धारित मूल्यवर्धन से भी कम रहा है लेकिन निवल विदेश मुद्रा सकारात्मक रही	8
(ग)	वे इकाईयां जिनका मूल्यवर्धन निवल विदेशी मुद्रा नकारात्मक रही :	5

(घ) निर्यातोन्मुख इकाईयों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा निर्धारित मूल्यवर्धन के संदर्भ में निर्यात संसाधन जोनों के विकासायुक्तों (डीसी) की निगरानी रिपोर्टों के आधार पर हर वर्ष की जाती हैं। यद्यपि जो इकाईयां अपने निर्यात निष्पादन लक्ष्य में पीछे रह जाती है उन्हें विकास आयुक्त की निगरानी में रखा जाता है, तथापि, गम्भीर दोष वाले मामलों को विदेश व्यापार (विकास और नियंत्रण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक के पास भेज दिया जाता है। निर्यातोन्मुख इकाईयों के निर्यात उत्पादन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नीति एवं क्रिया-विधियों की एक पारदर्शी एवं सरलीकृत रूपरेखा तैयार की है। निर्यातोन्मुख इकाईयों के बाह्य विपणन प्रयासों में इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) और संबंधित वस्तु बोर्ड एवं परिषदें मदद करती हैं।

कोयले का मूल्य निर्धारण

3583. **श्री सुधीर गिरी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने से अर्जित अतिरिक्त आय का एक भाग उन कम्पनियों के श्रमिकों के कल्याण पर खर्च करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) कोयला कंपनियों द्वारा श्रमिकों के लिए सभी कल्याणकारी क्रियाकलाप, औद्योगिक प्रथा और वेतन करार के अनुरूप किए जाते हैं। सरकार द्वारा बी. आई. सी. पी. की सिफारिश कोयला कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार लाने और अन्य कंपनियों के बीच निधि उत्पन्न करने के लिए कायले की कीमतों को विनियंत्रित करने की स्वीकृत की गई थी ताकि अन्य के अलावा निधियों में निवेश कोयले की अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन किए जाने और अन्य सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए किया जा सके।

लम्बित परियोजनाएं

3584. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को 55 परियोजनाओं पर कार्य बंद करने के निर्देश दिए हैं जबकि इन परियोजनाओं पर लगभग 60,000 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को धन के अभाव में छोड़ा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए कोई अन्य स्रोत तलाशे जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं। फरवरी,

1996 में सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को रोकने के लिए गठित मंत्रिदल के सुझावों को सिद्धान्ततः मान लिया है। उनमें से एक सुझाव संसाधनों की कमी के कारण धीमी प्रगति वाली परियोजनाओं को रद्द किए जाने/संयुक्त/निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित किए जाने के बारे में है। मंत्रिदल द्वारा सुझाए गए और सरकार द्वारा यथामान्य मानदण्ड ये हैं कि जिन परियोजनाओं की 60 प्रतिशत कार्यान्वयन अवधि पूरी होने पर भी उनमें कुल लागत की 5 प्रतिशत या इससे कम राशि ही खर्च की गई हो ऐसी परियोजनाओं को, संसाधनों की कमी तथा अन्य सभी संगत तथ्यों यथा भूमि अर्जन सम्बनधी दबावों, सरकारी नीतियों/बाजार स्थितियों में होने वाली तब्दीलियों तथा उनसे सम्बन्धित सभी अगले-पिछले पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हें रद्द करने/संयुक्त/निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित किए जाने पर विचार किया जाए। सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इन परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। फरवरी, 1996 के इस निर्णय के अंतर्गत अभी तक किसी परियोजना को चिन्हित नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय/विदेशी व्यापारियों पर आयकर बकाया

3535. **श्री जमदग्नी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षो के दौरान वर्षवार भारतीय/विदेशी व्यापारियों पर आयकर की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) बकाया राशि इकट्ठा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय/विदेशी व्यापारियों और उद्योगपतियों के मामले में बकाया आयकर के अलग ब्यौरे नहीं रखे जाते। फिर भी कुल बकाया मांग समग्र रूप से इस प्रकार हैं :-

वित्तीय वर्ष	बकाया निगम कर	बकाया आयकर
	(रू. करोड़ों में)	
1994-95	9890.13	12808.52
1995-96 (अनतिम)	12445.16	16532.32

(ख) बकाया मांग के कारण सामान्यतः निम्नलिखित हैं :-

i) मांग जो वर्ष के अन्त में भुगतान के लिए देय नहीं हुई हैं।

ii) ऐसी मांग जिसका भुगतान किए जाने का दावा किया गया हो परन्तु उसका सत्यापन न हुआ हो।

iii) न्यायालयों, समझौता आयोग, न्यायाधिकरण और आयकर प्राधिकारियों द्वारा स्थगित मांगें।

iv) ऐसी मांगे जिनके लिए किश्तों की स्वीकृति दी गई हैं।

(ग) बकाया मांग की वसूली के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न कार्रवाइयां की जाती हैं, जैसे चूककर्ताओं की चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की, अभियोजन, अर्थदण्ड लगाना, जेल में रखना, चूककर्ताओं की सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए रिसीवर की नियुक्ति। इसके अतिरिक्त,मांग की वसूली करने के लिए किश्तों की मंजूरी सहित विभिन्न कदम उठाए जाते हैं और जहां मुद्दे अपील में फंसे होते हैं, वहां अपीलों का शीघ्रातिशीघ्र निपटान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है।

प्रतिभूति घोटाले में संलिप्त अधिसूचित व्यक्तियों की तरफ बकाया कर के मामलों में, विशेष न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित व्यक्ति की सभी सम्पत्तियां, चल और अचल दोनों ही उक्त अधिसूचना के जारी होने के साथ ही कुर्क हो जाती हैं। इसलिए उन सभी मांगों के संबंध में, जो अब बकाया बची हैं, विभाग ने बकाया कर की भरपायी करने के लिए निधियां जारी करने के निमित्त अभिरक्षक को निर्देश जारी करने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किए हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

3586. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक खुल जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से गांधीनगर, गुजरात में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की एक शाखा पहले से ही स्थापित कर दी है। फिलहाल गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों सहित किसी भी क्षेत्र में कोई अन्य शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पिछड़े क्षेत्रों को कर छूट

3587. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विकसित राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों को कर छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां

(ख) धारा 80/क के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ पिछड़े जिलों का पता लगाने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय में गठित एक अध्ययन दल को भेजा गया था। इस संबंध में गठित अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुनरीक्षा दूसरे दल द्वारा की गई थी। पुनरीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंकों का लाभ-हानि का खाता

3588. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक तथा दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक द्वारा अलग-अलग कितना लाभ अर्जित किया गया अथवा कितनी हानि उठाई गई;

(ख) आज की तारीख तक इनमें से प्रत्येक बैंक की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ग) इन बैंकों की विस्तार योजना अथवा नई शाखाएं खोलने संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक तथा दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक द्वारा अर्जित लाभ निम्नलिखित हैं

(रुपए लाख में)

	1993-94	1994-95	1995-96
(1) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक	125.31	210.50	52.00
(2) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक	52.44	215.46	352.00

(ख) जैसा कि नाबार्ड ने सूचित किया है, दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक की शाखाओं की संख्या क्रमश: 122 तथा 147 थीं।

(ग) नाबार्ड ने आगे सूचित किया है कि उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक का प्रस्ताव एरनाकुलम तथा कोट्टयम जिलों तक अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने का है। इन्होंने माटानूर जिले में एक शाखा खोलने का प्रस्ताव किया है।

नबार्ड ने सूचित किया है कि दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक को बाडागारा में शाखा खोलने की हाल ही में अनुमति दी गई है। इससे कोझिडोडे जिले के कुट्टियाडी तथा कल्लाची में नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव भी किया है। उक्त आर आर बी का प्रस्ताव पल्लाकड और त्रिशूर जिले में अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने का भी है।

महाराष्ट्र में कोयले की संभावना

3589. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी निकाय द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार महाराष्ट्र की नई कोयला खानों में कितना कोयला मिलने की संभावना है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में बड़े कोयला भण्डारों का अभी तक दोहन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कोयला भण्डारों के दोहन हेतु नई खानों को खोलकर किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है तथा इससे प्राप्त परिणाम क्या है;

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में नई जिन कोयला खानें खोलने हेतु निवेश योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया/जिनका कार्य पूरा किया गया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं से उनकी अपनी आवश्यकताओं हेतु राज्य में नई खानें खोलने के लिए क्या कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा प्रसतुत की गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 600 मीटर की गहराई तक भू-गर्भीय कोयले का कुल भण्डार 1.1.96 की स्थिति के अनुसार 6636 मि. टन. आंकलित किए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र में कोयले के उत्खनन के लिए उचित कदम उठाए गए हैं, जो कि तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में बारह नयी कोयला परियोजनाओं के खोले जाने/विकसित किए जाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन परियोजनाओं पर विगत तीन वर्षों के दौरान किया गया निवेश लगभग 145.53 करोड़ रु. की राशि का है। कुछ परियोजनाओं से, जिनसे की कोयले का उत्पादन आरम्भ हो गया है उनसे 1995-96 में 1.73 मि. टन कोयले का उत्पादन किया गया।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वे. को. लि.) ने नयी कोयला परियोजनाओं के पांच प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है।

(ड.) से (छ) महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए गृहीत खनन ब्लॉकों की पहचान मै. निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड के लिए कर दी गई है। महाराष्ट्र में गृहीत खनन ब्लॉकों को विनिर्दिष्ट किए जाने हेतु महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड सहित कुछ अन्य आवेदनों पर भी, जो कि राज्य की यूनिटों के लिए हैं कोयला मंत्रालय में कार्यरत जांच समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया है।

पश्चिम बंगाल में भूटान की मुद्रा

3590. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले में डुआरस में कम मूल्य की भूटान की मुद्रा प्रचुर मात्रा में पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं को विश्व बैंक सहायता

3591. **श्री बी. धर्मभिक्षम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं एवं नहरों विशेषकर नागार्जुन सागर, डिंडी एवं मूसी परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) अब तक शुरू किए गए कार्य तथा उस पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा होने वाला है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के लिए उधार/ऋण सहायता प्रदान की है :-

	परियोजना का नाम	प्रभावी तारीख	समाप्त होने की तारीख	राशि (मिलियन)	ऋण/उधार का उपयोग
1.	आंध्र प्रदेश सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास (नागार्जुन सागर परियोजना)	सितंबर, 1976	जून, 1985	136.4 (मिलियन अमरीकी डालर)	127.8 (मिलियन अमरीकी डालर)
2.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II	2.10.87	24.8.94	106.73 (मि.अ.डा.)	106.73 (मि.अ.डा.)
3.	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना (नागार्जुन सागर, डिन्डी, मूसी और अन्य विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए)	10.8.87	31.3.95	522.8 (मि.रू.)	409.5 (मि.रू.) लगभग
4.	जल विज्ञान परियोजना	22.9.95	31.3.02	11.8 (मि.अ.डा.)	-

उपर्युक्त परियोजनाओं के संघटक निम्नानुसार थे :

1. **आंध्र प्रदेश सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास परियोजना:**

(क) नागार्जुन सागर परियोजना की बाईं मुख्य नहर को 65 मील बढ़ाकर तथा कमान क्षेत्र को 147.00 हेक्टेयर बढ़ाकर पूरा करना।

(ख) नागार्जुन सागर परियोजना की दाईं मुख्य नहर को 29 मील बढ़ाकर तथा कमान क्षेत्र को 140.00 हेक्टेयर बढ़ाकर पूरा करना।

(ग) ग्रामीण सड़कों के लगभग 1575 किलो मीटर का निर्माण करना/पुनर्निर्माण करना, कमान क्षेत्र विकास के निर्माण कार्य तथा कई अध्ययन करना।

2. **आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-II**

श्री सेलम दाई शाखा नहर ही उप-परियोजना (65000 हेक्टेयर) श्रीरामसागर परियोजना, करियाल कनाल कमान तथा लोअर मानिर बांध के नीचे नए विकास कार्यों में सिंचाई का विस्तार तथा उसमें सुधार।

3. **राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना**

(आंध प्रदेश संघटक : नागार्जुन सागर, डिन्डी, मूसी और अन्य विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए)

परियोजना का उद्देश्य विनिर्दिष्ट स्कीमों के कमान क्षेत्रों में प्रबंध तथा सिंचाई के कार्यक्रमों में सुधार करना।

4. **जल-विज्ञान परियोजना**

यह परियोजना जल-विज्ञान संबंधी तथा जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संग्रह, मिलान, संसाधन तथा विकीर्णन के सभी पहलुओं के लिए वास्तविक आधारभूत ढांचे के उन्नयन तथा विस्तार को समर्थन देगी।

(ग) (i) आंध प्रदेश सिंचाई तथा कमान क्षेत्र परियोजना : उपर्युक्त सूचीबद्ध नागार्जुन सागर परियोजना के अधिकांश परियोजना संबंधी संघटकों को बढ़ाई गई समापन तारीख जून 1985 तक पूरा किया गया था।

(ii) आंध प्रदेश परियोजना-II : 24 अगस्त, 1994 की स्थिति के अनुसार समग्र वास्तविक प्रगति श्री सेलम दाई शाखा नहर के संबंध में 38 प्रतिशत तथा श्री सेलम दाई उप-परियोजना के संबंध में 21 प्रतिशत थी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण-कार्यों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के अधीन आंध प्रदेश परियोजना-III के अन्तर्गत पूरा किये जाने की संभावना है, जिसके लिए विश्व बैंक सहायता भी मांगी जा रही है।

(iii) राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना : यह परियोजना बढ़ाई गई समापन तारीख 31.3.95 तक पूरी हो गई है।

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

3592. **श्री हाराधन राय** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन अपने रिफैक्ट्री एककों के आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के लिए अधिग्रहण तथा राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करना था;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के लिए कुल कितना निवेश किया गया;

(ग) एककों के संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कंपनी द्वारा कितने सलाहकार रखे गए थे;

(घ) की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पूर्ववर्ती निजी कंपनियों, नामतः मैसर्ज बर्न एंड कंपनी लिमिटेड तथा मैसर्ज इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड के जनहित में अधिग्रहण का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण होने तक इन उपक्रमों के प्रबंधन का अधिग्रहण करना था ताकि रोलिंग स्टाक के यौक्तिक और समन्वित विकास तथा उत्पादन, लोहा और इस्पात उद्योग के अन्य उत्पादों तथा ऐसे उद्योग के लिए अन्य माल की आवश्यकता और उससे जुड़े अथवा सम्बद्ध मामलों को सुनिश्चित किया जा सकता। जहां तक राष्ट्रीयकरण के बाद कंपनी द्वारा रेलवे वैगनों, रिफ्रैक्ट्रीज आदि का विनिर्माण जारी रखने का संबंध है, राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा हो गया है।

(ख) कंपनी के अधिग्रहण से रिफ्रैक्ट्री इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा विविधिकरण के लिए किया गया कुल निवेश 34.52 करोड़ रूपये है। सेलम इकाई को छोड़कर अन्य सभी रिफ्रैक्ट्री इकाइयों को अधिग्रहण के बाद भी हानि होती आ रही है।

(ग) तीन।

(घ) और (ङ) परामर्शदाताओं ने रिफ्रैक्ट्री इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय की सिफारिश की है। परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर गुल्फरबाड़ी, निवाड़ तथा सेलम की इकाइयों में 2.33 करोड़ रूपये का निवेश किया गया था। सेलम रिफ्रैक्ट्री इकाई के आधुनिकीकरण व विस्तार के लिए 19.25 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि का निवेश किया गया था। दुर्गापुर कारखाने में 0.61 करोड़ रूपये का निवेश तथा लालकुटटी कारखाने में 1.38 करोड़ रूपए का निवेश किया गया था।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी एसोसिएशन द्वारा धरना

3593. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने हाल ही में दिल्ली में अपनी मांगों के समर्थन में एक धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मांग के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संघ की मुख्य मांगे निम्नलिखित थीं :

(1) बैंक की तुच्छ नेमी मामलों में आरोप-पत्र जारी नहीं करने चाहिएं।

(2) बैंक को पट्टे पर लिए गए आवास के लिए किराया सीमाएं बढ़ानी चाहिएं।

(3) दिनांक 1.11.87 के बाद पदोन्नत हुए अधिकारियों के फिटमेंट फार्मूला के बारे में समझौता करना जिसके परिणाम्वरूप वेतन में आधा (1/2) वेतनवृद्धि के बराबर कटौती हुई है।

(4) वर्ष 1993 से पदोन्नति नहीं होने के कारण पूर्व प्रभावी पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करना।

(5) बैंक को संशोधित वर्गीकरण मानदंडों के आधार पर जल्दबाजी में शाखाओं का दर्जा कम नहीं करना चाहिए।

(6) बैंक को सहायक प्रबंधकों के चयन एवं तैनाती की प्रक्रिया में देरी नहीं करनी चाहिए।

(7) बैंक का आवश्यकता वाले स्थानों में कर्मचारियों को शीघ्रता से पुनर्नियोजित करना चाहिए।

(ग) बैंक को सलाह दी गई है कि मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार विभिन्न मांगों पर उपयुक्त कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

3594. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अगस्त, 1996 के "इकॉनोमिक टाइम्स" में "टैक्स हैव नॉट अण्डर नार्थ ब्लाक्स शैडों" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें छपी बात के तथ्य क्या हैं और एन.सी.आर. दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान पता लगाये गये उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों की संख्या क्या है तथा इससे लगभग कितनी धनराशि का उत्पाद शुल्क का अपवंचन किया गया है; और

(ग) निर्माता खुले तौर पर उत्पाद शुल्क से न बचने पाए यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच है कि ग्राम सबोली, दिल्ली में तांबे की सिल्लियों और तारों के विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन में ग्रस्त पाए गए हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा राजस्थान उद्योग नगर, दिल्ली में एक यूनिट द्वारा चोरी-छिपे निकासी किए जाने के सिलसिले में 575 मीट्रिक टन स्टेनलैस स्टील की सिल्लियों का अभिग्रहण भी किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में पता लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन की राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	मामलों की सं.	ग्रस्त राशि (लाख रुपयों में)
1993-94	594	3457.27
1994-95	583	7333.46
1995-96	396	2224.86

(ग) जैसा कि समाचार से ही पता चलता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए आसूचना एकत्र करना, उत्पादन की आकस्मिक तौर पर जांच करना, मार्गस्थ जांच पड़ताल करना, निगरानी रखना आदि जैसे अपवंचन-रोधी कार्यकलापों को तेज कर दिया गया है।

"मेड इन इंडिया" शो

3595. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नैरोबी (केन्या) में चार दिनों के लिए "मेड इन इंडिया" शो का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस शो पर कितना खर्च किया गया तथा इस दौरान कितना व्यापार किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी हां। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नैरोबी (केन्या) में 15-18 अगस्त, 1996 के दौरान चार दिन का "मेड इन इंडिया" शो आयोजित किया गया था।

(ख) जैसा कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सूचित किया गया, इस शो पर अनुमानित व्यय 1,21,40,000/- रूपये का हुआ। इसमें 35 मिलियन अमरीकी डालर के व्यापार संबंधी पूछताछ के मामले प्राप्त हुए।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

3596. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में कुल कितना निवेश किया गया; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तथा (ख) 31.3.1993, 31.3.1994 और 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्तियों के संदर्भ में कुल निवेश क्रमश: 174837.04 करोड़ रूपये, 198901.86 करोड़ रूपये और 227348.77 करोड़ रूपये था। इन तीन वर्षों की अवधि के लिए सकल परिसम्पत्ति का राज्यवार ब्यौरा वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 के लोक उद्यम सर्वेक्षण खंड-1 के अध्याय 1 की सारणी 1.27 में दिया गया है जिसे संसद में क्रमश: 22.3.1995 और 19.7.1996 को प्रस्तुत किया गया था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चेक-आफ सुविधा

3597. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में चेक-आफ सुविधाएं स्थानान्तरण पर संक्रमण अवकाश, वेतन-I वाले अधिकारी को वेतन-II वाले अधिकारी में पदोन्नति तथा मुख्य कार्यालय में प्रवेक्षण सेल की स्थापना जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को चंदा कटौती (चेक-आफ) सुविधा प्रदान करने के लिए मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, सरकार ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, वेतन भत्तों, वेतन वृद्धि के संवितरण, छुट्टी, स्थानान्तरण और वरिष्ठता आदि के बारे में शिकायतों के निवारण, के लिए अनुपालनार्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुदेश भी जारी किए हैं। जहां तक ज्वाइनिंग समय का संबंध है, यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी सेवा विनियमों से नियंत्रित होता है। अधिकारियों को स्केल-I से स्केल-II में पदोन्नति, विद्यमान नियुक्ति और पदोन्नति नियमों और समय-समय पर भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा जारी अनुदेशों से नियंत्रित होता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध

3598. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वे नए क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिनमें भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ग) दोनों देशों ने कितनी समय सीमा के लिए व्यापार प्रोत्साहन योजना तैयार की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, हां।

(ख) सरकार का निरंतर यह प्रयास रहता है कि ब्रिटेन सहित सभी देशों के साथ व्यापार संबंधों में सुधार किया जाए। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदमों में ये शामिल हैं-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, व्यापार शिष्टमंडलों का तेजी से आदान-प्रदान, वाणिज्यिक संगठनों को आवश्यक सूचना प्रदान करना और उन्हें सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना, थ्रष्ट मदों पर अधिक ध्यान देना और भारत-ब्रिटेन साझेदारी संबंधी संवर्धनात्मक कार्यकलाप।

भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों को व्यापक बनाने के लिए जिन नए क्षेत्रों का अभिज्ञात किया गया है उनमें शामिल हैं फल और सब्जियां/संसाधित फल और जूस; इलैक्ट्रानिक सामान/कम्प्यूटर साफ्टवेयर, संसाधित खनिज, क्रीड़ा-सामग्री, श्रृंगार/प्रसाधन सामग्री, यार्न/कपड़ा/ऊन से बनी वस्तुएं, सिल्क और ऊन के सिले-सिलाए वस्त्र।

(ग) द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए व्यापार प्रोत्साहन योजना तैयार करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में नई कोयला खानें

3599. **श्री सुशील चन्द** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान मध्य प्रदेश की कितनी कोयला खानों में खनन कार्य शुरू किया गया है, और इसका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) हाल ही में मंजूर की गई नई कोयला खानों में अब तक कोयले के उत्पादन में क्या प्रगति हुई है;

(ग) इन नई खानों में से प्रत्येक खान में खुदाई कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और इस कार्य के पूरा होने पर प्रत्येक नई कोयला खान में से कितनी मात्रा में कोयले का खनन किया जाएगा; और

(घ) प्रत्येक नई कोयला खान पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ख) 20 करोड़ तथा इससे अधिक की लागत की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य की कोयला परियोजनाएं जहां कि क्रियान्वयन कार्य पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किया गया था, उक्त के साथ-साथ उनकी अंतिम क्षमता, स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का ब्यौरा, पूरा किए जाने की समयावधि और 1995-96 के दौरान प्राप्त की गई कोयले की उत्पादन की उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :

क्र.सं.	परियोजना	जिला	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि. टन प्रति वर्ष)	स्वीकृत लागत (करोड़ रू. में)	पूरा किए जाने की समयावधि	1995-96 के दौरान उत्पादन (मि. टन में)
1.	सोमना भूमिगत	शहडोल	अप्रैल, 93	0.55	44.85	मार्च, 99	0.27
2.	बेहराबंद भूमिगत	शहडोल	मई, 94	0.60	46.39	मार्च, 98	0.32
3.	चुर्चा वेस्ट भूमिगत (आर.पी.आर.)	सरगुजा	मई, 94	0.60	43.26	मार्च, 96	0.43
4.	चुर्चा वेस्ट पी.एस.एस. डब्ल्यू भूमिगत	सरगुजा	दिसंबर, 94	0.65	48.61	मार्च, 99	-
5.	राजेन्द्र पी.एस.एस. डब्ल्यू भूमिगत (आर.पी.आर.)	शहडोल	दिसंबर, 94	0.64	48.57	मार्च, 99	0.16
6.	बलरामपुर (पी.एस.एस.डब्ल्यू) भूमिगत (आर.पी.आर.)	सरगुजा	दिसंबर, 94	0.54	47.79	मार्च, 99	0.22
7.	न्यू कुमदा पी.एस.एल. डब्ल्यू. भूमिगत	सरगुजा	दिसंबर, 94	0.60	45.51	मार्च, 99	0.22
8.	शीतलधारा भूमिगत	शहडोल	मई, 95	0.51	48.22	मार्च, 2001	-
9.	दुग्गा ओपेनकास्ट	सरगुजा	अप्रैल, 93	0.50	46.00	मार्च, 96	0.32

[अनुवाद]

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड

3600. **श्री एन. एस. वी. चित्थन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान अब तक स्वीकृत विदेशी सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में कितनी विदेशी मुद्रा वास्तव में आ रही है;

(ग) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड कम मामलों में स्वीकृति प्रदान करे इसके लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उक्त अवधि के दौरान राज्यवार और विशेषत: तमिलनाडु में कितने मामलों को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) आज तक कितने मामले स्वीकृति के लिए लंबित हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष, 1996 (जून तक) के दौरान सरकार द्वारा 988 (तकनीकी तथा वित्तीय) विदेशी सहयोग प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे नामत: भारतीय कंपनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम तथा देश, अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश तथा विनिर्माण/क्रिया कलाप की मद को भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक समाचार पत्र के पूरक के रूप में प्रकाशित किया जाता है तथा उसकी प्रतिया संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ख) वर्ष 1996 (जून तक) के दौरान प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 3,911.32 करोड़ का है।

(ग) विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड केवल उन प्रस्तावों पर विचार करता है जो कि स्वचालित मार्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। 384 प्रस्तावों, जिनमें 10494.12 करोड़ रू. के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का विचार किया गया है, को वर्ष 1996 (जून तक) के दौरान विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड द्वारा अनुमोदितत किया गया है। उक्त अवधि के दौरान विदेशी निवेश उन्नयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित तमिलनाडु सहित अनुमोदनों की राज्य-वार सूची विवरण में संलग्न है।

(घ) 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार लम्बित पड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की संख्या 424 थी।

विवरण

जनवरी 1996 से जून, 1996 की अवधि के लिए विदेशी उन्नयन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मामलों की राज्य-वार सूची

जनवरी, 96 से जून, 96

राज्य	संख्या	निवेश (करोड़ रूपये में)
अन्य	86	4310.09
दिल्ली	28	1632.68
कर्नाटक	42	1058.43

1	2	3
महाराष्ट्र	75	765.40
उड़ीसा	4	727.33
उत्तर प्रदेश	16	696.76
तमिलनाडु	35	650.29
आन्ध्र प्रदेश	18	167.80
गुजरात	20	127.80
गोवा	2	102.50
पश्चिम बंगाल	11	92.84
हरियाणा	21	78.71
पंजाब	5	22.22
राजस्थान	7	16.24
हिमाचल प्रदेश	1	12.91
केरल	3	11.22
बिहार	5	10.70
मध्य प्रदेश	2	5.30
पांडिचेरी	2	4.66
दमन तथा दीव	1	0.24
	384	10494.12

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य

3601. **श्री पी. सी. थॉमस** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों, जिलों और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे राज्यों, जिलों और क्षेत्रों का औद्योगिक रूप से उत्थान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नए प्रस्ताव बनाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) इस समय भारत सरकार उद्योग मंत्रालय के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अंतर्गत किसी राज्य/जिले/क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाता है।

औद्योगिक विकास करने का दायित्व राज्य सरकार का है और केन्द्र सरकार केवल राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना

3602. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ ने भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए जापानी प्रोद्योगिकी प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इससे भारतीय एवं जापानी लघु और मध्यम उद्यमों को और करीब लाने में अत्यधिक सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारतीय वाणिज्य मंडल एवं उद्योग संघ ने जापानी वाणिज्य और उद्योग मंडल के सदस्यों को भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए जापानी प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया है और उन्होंने अभी तक इस प्रस्ताव को भारत सरकार के किसी मंत्रालय को नहीं भेजा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा बीमा

3603. **श्री आनंद रत्न मौर्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा बीमा देने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस प्रकार की बीमा योजना कब तक शुरू की जाएगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियां देश में पहले ही दो स्कीमें अर्थात् (1) चिकित्सा-दावा बीमा पालिसी और (2) जनआरोग्य बाजार में ला चुकी है। इन दोनों स्कीमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

चिकित्सा दावा बीमा पालिसी

यह पालिसी 5 वर्ष तथा 75 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों को उपलब्ध है। 3 महीने तथा 5 वर्षों की आयु के बीच के बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि एक अथवा दोनों माता-पिता साथ-साथ इसमें शामिल हों। बीमित राशि 15,000/- रुपये से 3,00,000/- रुपये तक और प्रीमियम की राशि 175 रुपये

से 5770 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न हो सकती है जोकि बीमित राशि तथा विभिन्न आयु-समूहों के विभिन्न स्लेबों पर निर्भर करती है। बीमित व्यक्ति को बीमा की अवधि के दौरान किसी बीमारी, चोट अथवा रोग लगने अथवा उससे ग्रसित होने पर अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती होने/घर में इलाज कराने पर उसके द्वारा उठाए गए चिकित्सा संबंधी खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति करना इस कवर में शामिल है।

जन आरोग्य

यह स्कीम, जो प्रारंभिक अवस्था में जनसंख्या के उस बड़े तबके के लिए है जो चिकित्सा उपचार की उच्च लागत को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं, 12 अगस्त, 1996 को शुरू की गई थी। कवर की सीमा 5000 रूपये प्रति वर्ष है। वयस्क व्यक्ति के लिए 45 वर्ष की आयु तक प्रीमियम की राशि 70 रूपये तथा 45 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति भी थोड़ा अधिक प्रीमियम के भुगतान पर कवर हो सकते हैं। 25 वर्ष से कम आयु के दो बच्चों वालों को भी प्रति बच्चा 5000 रूपये परन्तु प्रति व्यक्ति 50 रूपये के रियायती प्रीमियम पर उसी प्रतिपूर्ति राशि के लिए शामिल किया जाता है। बीमित व्यक्ति को बीमा की अवधि के दौरान किसी बीमारी, चोट या रोग लगने अथवा इससे ग्रसित होने पर अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती होने/घर में इलाज कराने पर उसके द्वारा उठाए गए चिकित्सा संबंधी खर्च के वापसी भुगतान की व्यवस्था इस कवर में है।

कोई भी व्यक्ति इन पालिसियों की उपयुक्त प्रीमियम अदा करके चार बीमा कंपनियों में से किसी एक से खरीद कर सकता है।

[हिन्दी]

दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का निर्यात

3604. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पाद का काफी अधिक मात्रा में निर्यात हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की अलग-अलग मात्रा और मूल्य क्या है; और

(ग) दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की देश में आवश्यकता को अनदेखा कर सरकार द्वारा इनके निर्यात को स्वीकृति देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, नहीं। भारत से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की केवल अल्प मात्रा का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान अलग-अलग निर्यात किए गए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मात्रा और मूल्य का विस्तृत विवरण वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत का विदेश व्यापार, भाग-1 (निर्यात) की मासिक सांख्यिकी" में उपलब्ध है, जिसकी जनवरी, 1996 तक की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। फरवरी और मार्च, 1996 महीने के निर्यात आंकड़ों की मात्रा और मूल्य उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) पिछले 15 वर्षों के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई हैं। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू बाजार में दुग्ध उत्पादों के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू बाजार में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की कीमतों को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की उपस्थिति कायम रखने के लिए सरकार ने केवल अल्प मात्रा में दुग्ध उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी है।

बाढ़ सहायता हेतु निधियां

3605. **श्री ओ. पी. जिन्दल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए अल्प आवधिक ऋण के रूप में 300 करोड़ रूपये देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उस धनराशि का आधा भाग वित्तीय सहायता के रूप में देने तथा शेष को मध्य अवधि ऋण में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारत सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और पुनर्वास उपायों के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान हरियाणा सरकार को 300 करोड़ रूपये का गैर-योजना ऋण जारी किया हैं। इस ऋण पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और यह राशि वर्ष 1996-97 से प्रारंभ वार्षिक किस्तों में तीन वर्षों में वसूल की जानी है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार के उक्त अनुरोध पर भारत सरकार सहमत नहीं है।

नशीले पदार्थों की तस्करी

3606. **श्री आई. डी. स्वामी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भारत-पाक सीमा से देश में मादक पदार्थों की भारी मात्रा में तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं जो नशीले पदार्थों को रोकने/नियंत्रित करने में सरकार को परेशान करते हैं;

(ग) क्या नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एन. सी. बी.)

तथा राजस्व सर्तकता निदेशालय (डी. आर. आई.) ने पाकिस्तान के साथ व्यापार हेतु पाक सीमा पर जमीन मार्ग खोलने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि हो रही है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) दक्षिण पश्चिम एशिया स्वापकों के अवैध उत्पादन क्षेत्र के लिए एक बड़ा स्रोत रहा है; अतः भारत-पाक सीमा स्वापक औषधों के अवैध व्यापार के पारगमन में संवेदनशील बनी हुई है।

(ख) सरकार ने ऐसे स्वापक औषधों की जांच करने के लिए युक्ति संगत कार्यवाही करते हुए प्रभावपूर्ण कदम उठाएं हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में निम्नलिखित स्वापक औषधों को जब्त किया गया :

वर्ष (मात्रा किलोग्राम में)

स्वापक औषध	1993	1994	1995
हेरोइन	1088	1011	1678
हशीश	8238	6992	3629

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों में लंबित पड़े मामले

3607. **श्री रामसागर** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों तथा सत्र न्यायालयों में आपराधिक मामलों का अम्बार लगा है;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार निचली अदालतों तथा सत्र न्यायालयो के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ग) वे मामले कब से लंबित पड़े है तथा इनको नहीं निपटाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि कार्य, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : (क) से (ग) राज्य के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता। उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है :

उत्तर प्रदेश में (30.6.1995 तक) सैशन/निचले न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले

अवधि	सैशन न्यायालय	मजिस्ट्रेट के न्यायालय
6 मास से कम	38743	420584
6 से बारह मास तक	47439	505759
एक से तीन वर्ष तक	62731	617903
तीन से दस वर्ष तक	30571	409888
दस वर्ष से अधिक	3698	40715
योग :	1831182	1984849

न्यायालयों में मामले विभिन्न जटिल कारणों से लंबित हैं जिनमें उनके संस्थित किए जाने में वृद्धि भी सम्मिलित हैं।

(घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और यथासंभव शीघ्र इन्हें निपटाने के तरीकों और उपायों का पता लगाने के लिए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसम्बर, 1993 को हुई थी। सम्मेलन में न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अपने द्वारा अंगीकृत एक संकल्प में अनेक उपायों की सिफारिश की। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश करते हुए यह संकल्प भेज दिया गया है। न्यायालयों में मामलों के शीघ्र निपटारे के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को एक योजना मद बना दिया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण राहत

3608. **प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों को ऋण राहत देने के लिए सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दी गई राजसहायता वित्त वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा दी गई कुल राजसहायता का कितने प्रतिशत बैठती है;

(ग) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 1995-96 से इस राजसहायता को वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कम होते कृषि उत्पादन को ध्यान में रखते हुए इस राजसहायता को पुनः शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1990-91 के दौरान किसानों को दी गई ऋण राहत से है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन उधारकर्ताओं की चुनी गई श्रेणियों को ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (एआरडीआर) योजना, 1990 बनाई थी जिन्होंने इस योजना

के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा किया था। सहकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिए राज्य सरकार ने भी स्वयं अपनी योजनाएं तैयार की थीं। वर्तमान नीति निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत के कारण केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसकी प्रतिपूर्ति की जानी थी। सहकारी बैंकों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन की जानी थी।

इस योजना के अंतर्गत, जो 15 मई, 1990 से प्रभावी हुई थी, ऋण राहत उन पात्र उधारकर्ताओं की अतिदेय राशियों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया था जिन्होंने 2 अक्तूबर, 1989 की स्थिति के अनुसार सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लिया था और राहत की राशि को 10,000 रूपये तक समाप्त कर दिया गया था। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत, योजना 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है और उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कोई और राहत प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का बकाया ऋण

3609. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण वसूली अधिनियम, 1993 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बकाया ऋणों की वसूली के लिए बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऋणों की कितनी बकाया राशि की वसूली की गयी है; और

(ग) इस संबंध में आगे किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, जो दिनांक 24.6.1993 से प्रभावी हुआ, में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) सहित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के शीघ्र न्याय निर्णयन और वसूली के लिए अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार आई डी बी आई द्वारा अधिकरणों के समक्ष 124.11 करोड़ रूपये की राशि की अन्तर्ग्रस्तता वाली 10 वसूली कार्यवाहियां पेश की गई हैं। इसके अतिरिक्त इन अधिकरणों की स्थापना से पूर्व सिविल कोर्टों में आई डी बी आई द्वारा दायर 41.59 करोड़ रूपये की अन्तर्ग्रस्तता वाले 9 मामले, सम्बद्ध न्यायालयों द्वारा उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुक्रम में इन अधिकरणों को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आई डी बी आई ने सूचित किया है कि ये सभी कार्यवाहियां अधिकरणो के विचाराधीन है और अब तक कोई राशि वसूल नहीं की गई है।

विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक द्वारा भारत को सहायता देने से इंकार

3610. **श्री तारीक अनवर :**

श्री दत्ता मेघे :

श्री के. एस. रायुडू :

श्री टी. गोपाल कृष्ण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक सहित बहुपक्षी वित्तपोषण एजेंसियों ने भारत को और सहायता नहीं देने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सहायता रोके जाने की समस्या से उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चुनाव खर्च

3611. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री सुरेश प्रभु :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1996 में हुए संसदीय चुनावों में मतदाता सूचियों के प्रकाशन और मतपेटियों को बनवाने तथा चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों पर केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है?

विधि कार्य, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान-मंडल सहित) और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चाय बागानों द्वारा निर्गमित शेयर

3612. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेबी द्वारा पश्चिम बंगाल की जलपाईगुडी और कूच बिहार जिले को कितने और कौन-कौन से चाय बागानों को बाजार में अपने-अपने शेयरों का निर्गमन करने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या कुछ चाय बागानों को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहले ही अवैध और अप्राधिकृत माना गया है; और

(ग) यदि हां, तो सेबी द्वारा किन परिस्थितियों में इन

अवैध और अप्राधिकृत चाय बागानों को शेयरों का निर्गमन करने की अनुमति दी गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) वर्ष, 1995 के दौरान सार्वजनिक निर्गम जारी करने वाले जलपाईगुड़ी एवं कूचबिहार जिले के चाय बागानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

	नाम	निर्गम का परिमाण (करोड़ रूपए)
1.	टी. एंड आई. ग्लोबल	4.45 करोड़ रू. जनवरी, 1995
2.	डायनाा टी	8.94 करोड़ रू. मई, 1995
3.	हनुमान टी	8.50 करोड़ रू. जनवरी, 1995

(ख) तथा (ग) सेबी ने सूचित किया है कि उसे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन बागानों को अवैध एवं अनधिकृत समझे जाने की जानकारी नहीं हैं। तथापि, सेबी यह सुनिश्चित करता है कि किसी निर्गम के संबंध में सभी नकारात्मक कारकों को विवरणिका में जोखिम कारकों के रूप में उल्लिखित किया जाए। परियोजना संबंधित सार्वजनिक निर्गमों में सेबी निर्गमकर्ताओं को विवरणिका के अग्र-कवर पर अनुमोदन/लंबित अनुमोदन/जनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के तथ्य के जो लिखा कारक के रूप में उल्लेख करने के लिए कहता है ताकि निवेशक सुविज्ञ निर्णय ले सकें।

कर मुक्ति के लिए तालुका को पैरामीटर मानना

3613. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :**

श्री पी. एस. गढ़वी :

श्री हरिन पाठक :

श्री एन. जे. राठवा :

श्री दिनशा पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 801(क) के अंतर्गत कर मुक्ति प्रदान करने के लिए पूरे जिले के बजाय तालुका के पिछड़ेपन को पैरामीटर मानने के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) धारा 80/क के अन्तर्गत कर मुक्ति की स्वीकृति के लिए पैरामीटर के रूप में समग्र रूप में जिले के बजाय तालुका के पिछड़ेपन पर विचार करने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय में गठित एक अध्ययन दल के के पास भेजा गया था। इस संबंध में गठित अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की पुनरीक्षा दूसरें दल द्वारा की गई थी। पुनरीक्षा दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के पविचाराधीन है।

सीमाशुल्क कार्यालय में डी. ई. ई. सी. बही (बुक्स) लागिंग में विलंब

3614. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों ने उनकी डी. ई. ई. सी. बहियों के लागिंग में विलंब पर चिंता जताई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बहियों के अभाव में निर्यातक कानूनी उत्तरदायित्व से मुक्ति पाने और सामग्रियों इत्यादि के निपटान में भी असहाय रह जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा निर्यातकों के लिए कुछ समय पहले शुरू की गई पासबुक योजना से कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को सीमाशुल्क गृहों में डी. ई. ई. सी. बहियों की लागिंग में विलंब की कुछ घटनाओं से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके अभाव में संबंधित निर्यातक न तो अपने द्वारा निष्पन्न किए गए बंधपत्रों/वचनों की मुक्ति की मांग कर सकते हैं और न ही वे डी. ई. ई. सी. योजना के तहत आयातित माल का निपटान कर सकते हैं।

(ग) और (घ) पास-बुक योजना लागू करने से डी. ई. ई. सी. योजना के क्रियान्वयन अथवा डी. ई. ई. सी. बहियों की लागिंग के संबंध में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। तथापि, हाल ही में अनुदेश जारी किए गए हैं कि सभी संगत दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर डी. ई. ई. सी. बहियों की लागिंग पूरी कर ली जाए और इस संबंध में बकाया लागिंग के अनुश्रवण पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सख्ती से निगरानी रखी जाए।

झरिया कोयला क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहायता

3615. **श्री राजीव प्रताप रूड़ी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला क्षेत्र के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन करने हेतु विश्व बैंक द्वारा बारह मिलियन अमरीकी डालर प्रदान किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विश्व बैंक द्वारा झरिया खान अग्नि नियंत्रण तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत झरिया कोलफील्ड में आगों से संबंधित नैदानिक अध्ययन करने तथा कोलफील्ड के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार किए जाने हेतु 12 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण प्रदान

किया गया है।

(ख) यह नैदानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त परामर्शदाता द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार किए जाने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

आयकर विभाग द्वारा छापे

3616. **डा. ए. के. पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने छापे मारे गए;

(ख) क्या सरकार को उक्त छापों के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग के प्राधिकारियों द्वारा मारे गए छापों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच की जाती है और समुचित प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं।

विवरण

	राज्य	निष्पादित वारंटों की संख्या		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	असम	113	12	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	आन्ध्र प्रदेश	378	385	411
4.	बिहार	119	101	87
5.	दिल्ली	746	614	642
6.	गुजरात	648	531	521
7.	गोवा	12	1	5
8.	हरियाणा	54	94	38
9.	हिमाचल प्रदेश	12	7	7
10.	जम्मू और कश्मीर	-	-	1
11.	कर्नाटक	175	197	230
12.	केरल	145	112	143
13.	मध्य प्रदेश	103	58	187
14.	महाराष्ट्र	1010	1090	954
15.	मणिपुर	-	-	-
16.	मेघालय	-	-	-
17.	मिजोरम	-	-	-
18.	नागालैंड	-	-	-
19.	उड़ीसा	25	10	-
20.	पंजाब	345	406	304
21.	राजस्थान	143	162	21
22.	सिक्किम	-	-	-
23.	तमिलनाडु	341	315	439
24.	त्रिपुरा	-	8	-
25.	उत्तर प्रदेश	192	228	133
26.	पश्चिम बंगाल	447	497	489
27.	पांडिचेरी	18	2	-
	योग :	5026	4830	4612

अल्जीरिया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेना

3617. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात में वृद्धि करने के लिए अल्जीरिया में अगले वर्ष लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युतकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

3618. **श्री देवी बक्स सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एन. टी. सी. श्रमिक

3619. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के आधुनिकीकरण किए जाने के बाद वहां श्रमिकों की वर्तमान संख्या की तुलना में बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता रह जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा श्रमिकों की संख्या में कितनी कमी की जाने की संभावना है; और

(ग) फालतू श्रमिकों के पुनर्नियोजन के लिए सरकार की क्या योजना है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण योजना के अनुसार, 69471 कर्मचारियों (62086 कामगारों तथा 7385 अधिकारियों तथा स्टाफ) को एन टी सी की आवश्यकता के अनुरूप वेशी के रूप में अभिज्ञात किया गया है। 19.8.96 की स्थिति अनुसार उनमें से 42662 कामगारों/कर्मचारियों ने एन टी सी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना का लाभ उठाया है।

(ग) सरकार ने स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के तहत सुव्यवस्थित कामगारों के पुनर्वासन के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत, कामगार एन टी सी से सामान्य कीमत पर पुराने करघे खरीदकर या मशीनों के निर्माताओं से नए विद्युत करघे/रीलिंग मशीन खरीद कर अपनी निजी परियोजना शुरू कर सकते हैं। आवश्यक पूंजी बैंकों से उपलब्ध है। कंपनी ऐसे उद्यमों के चालू होने की तारीख से छह महीनों तक उनके सफलता पूर्वक चलने के बाद उत्पादन प्रोत्साहन भी देगी। 30.6.96 की स्थिति अनुसार इस योजना को अपनाने वाले 1715 कामगारों को 419 करघे दिए गए।

[अनुवाद]

एक समान जूट नीति

3620. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक समान जूट नीति अपनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) सरकार ने पटसन सहित उद्योग क्षेत्र में नीति परक पहल करते समय निरपवाद रूप से सभी संबद्ध कारकों को ध्यान में रखा है तथा इनका उद्देश्य क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय का कलकत्ता से रांची स्थानांतरण

3621. **श्री राधामोहन सिंह :**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को कलकत्ता से रांची स्थानांतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) रांची में इसकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी;

(घ) क्या इस मुद्दे पर कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में अत्यधिक आक्रोश है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं में कम्प्यूटरीकरण

3622. **श्री मोहन रावले** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में इस समय बैंक आफ बड़ौदा की कितनी शाखाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) ऐसी कितनी शाखाओं का पूर्ण/अंशतः कम्प्यूटरीकरण किया गया है और वे कहां-कहां पर हैं;

(ग) इस बैंक की विशेष रूप से दिल्ली और मुम्बई स्थित कितनी शाखाओं का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या पूर्ण कम्प्यूटरीकरण में कम्प्यूटरीकृत पास बुक जारी की जाती है; और

(ङ) क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की जिन शाखाओं का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है उनमें यह प्रावधान लागू कर दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) देश में बैंक आफ बड़ौदा (बीओबी) की शाखाओं की कुल संख्या 2440 है।

(ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उनके बैंक

की 60 शाखाओं को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं

1.	मुम्बई	7	सूरत
2.	नई दिल्ली	8.	बंगलौर
3.	मद्रास	9.	हैदराबाद
4.	पुणे	10.	कोयम्बटूर
5.	अहमदाबाद	11.	लखनऊ
6.	बड़ौदा	12.	मेरठ

बैंक आफ बड़ौदा की 576 शाखाएं आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत हैं जिन स्थानों में ये अवस्थित है उनकी सूची विवरण में दी गई है।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उसने अपनी सभी शाखाओं को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने के लिए अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

विवरण

1.	मुम्बई	19.	पन्वेल
2.	डोम्बीविली	20.	पुणे
3.	न्यू मुम्बई	21.	संगमनेर
4.	थाणे	22.	सांगली
5.	उल्हासनगर	23.	सोलापुर
6.	अहमदनगर	24.	बारडोली
7	अकलूज	26.	भरूच
8.	औरंगाबाद	27.	बूलसार
9.	बल्लारपुर	28.	चनोद
10.	चांदा	29.	दमन
11.	गोवा	30.	फूलपादा
12.	इचाल्करंजी	31.	नर्मदानगर
13.	जलगांव	32.	नवसारी
14.	कोल्हापुर	33.	पारदी, जिला-बूलसार
15.	मालेगांव	34.	राजपिपला
16.	नागपुर	35.	सचिन
17.	नासिक	36.	सूरत
18.	नासिक	37.	सूरत जिला
38.	उधना	72.	मुरवी
39.	वापी	73.	पालनपुर
40.	आनन्द	74.	पाटन
41.	बडौदा	75.	पोरबंदर
42.	बोरसाद	76.	राजकोट
43.	दभोई	77.	सिंधपुर
44.	धुवारन	78	वेरावल
45.	फर्टिलाइजरनगर	79.	विजापुर
46.	फेरती नगर टाऊनशीप	80.	कलकत्ता
47.	गोधरा	81.	गुवाहाटी
48.	हलोल	82.	शिलांग
49.	जवाहरनगर	83.	बोकारो
50.	कलोल	84	जमदेशपुर
51.	कोपादवन्ज	85	पटना
52.	कोयली	86.	इलाहाबाद
53.	लुनावाडा	87.	फैजाबाद
54.	नाडियाड	88.	गोरखपुर
55.	वनदेसरी	89.	कानपुर
56.	रनोली	90	लखनऊ
57.	अहमदाबाद	91.	मउ
58.	अमरेली	92	रायबरेली
59.	भावनगर	93	सुल्तानपुर
60.	भुज	94.	उन्नाव
61.	छत्राल	95.	वाराणसी
62.	द्वारका	96	आगरा
63.	गांधीनगर	97	अलीगढ़
64.	जामनगर	98.	बरेली
65.	जेटपुट	99	देहरादून
66.	जुनागढ़	100.	गाजियाबाद
67.	काड़ी	101.	हल्द्वानी
68.	कलोल (एन.जी)	102.	काशीपुर
69.	कच्छ	103.	किचा
70.	मेहसाना	104.	मेरठ
71.	मिठापुर	105.	मोदीनगर

106.	मुरादाबाद	123.	फगवारा
107.	मुजफ्फरनगर	124.	भिलाई
108.	नैनीताल	125.	भोपाल
109.	नोएडा	126.	बिलासपुर
110.	पीलीभीत	127.	इंदौर
111.	रामपुर	128.	मऊ
112.	शाहजहांपुर	129.	रायपुर
113.	वृन्दावन	130.	कोटरा सुल्तानाबाद
114.	अम्बाला	131.	अजमेर
115.	अमृतसर	132.	अलवर
116.	चंडीगढ़	133.	भिलवाड़ा
117.	दिल्ली	134.	बिकानेर
118.	गोबिन्दगढ	135.	जयपुर
119.	गुड़गांव	136.	जोधपुर
120.	जालंधर	137.	कोटा
121.	लुधियाना	138.	पाली
122.	पंचकुला	139.	उदयपुर

[हिन्दी]

जवाहरात और अन्य वस्तुओं की तस्करी

3623. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1996 के "नवभारत टाइम्स" के दिल्ली संस्करण में "राजस्थान में जवाहरात की मांग ही नहीं, तस्करी भी बढ़ी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो जवाहरात, सोने, हेरोइन इत्यादि की तस्करी में संलिप्त लोगों के नाम क्या हैं और उनसे वसूल की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भारत-पाक सीमा पर राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र मे दिल्ली से होकर सोने/जवाहरात और हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के एककों पर श्वेतपत्र

3624. **श्री पी. आर. दास मुंशी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मौजूदा आर्थिक नीति के तहत निजी और नए व्यापार घरानों के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बराबर के अवसर मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) एवं (ख) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में खुला एवं प्रतिस्पर्द्धी परिवेश बनाने का निश्चय किया गया है और सरकारी क्षेत्र भी इसी परिवेश में गैर-सरकारी कम्पनियों तथा आगन्तुक निगमों का प्रतिस्पर्धी बनकर कार्य-संचालन में लगा हुआ है।

गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां

3625. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों हेतु विनियमों को हाल ही में उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार के इस निर्णय से राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सरकारी वित्तीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 24 जुलाई, 1996 को गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के लिए उदारीकरण/युक्तिकरण के उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा को स्वतंत्र बनाना तथा गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के लिए जमाराशियों की मात्रा की अधिकतम सीमा को हटाना शामिल है, जो पूर्णतया भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और मार्गनिर्देशों के अनुरूप है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सरकारी वित्तीय कम्पनियों पर उदारीकृत विनियमों के प्रभाव का पता कुछ समयावधि के बाद ही चल सकता है।

आई. एम. एफ. क्वालिटी एग्रीमेंट

3626. **डा. एम. पी. जायसवाल** :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर "इन्टरनेशनल मोनेट्री फण्ड क्वालिटी, स्टैण्डर्ड एग्रीमेंट" पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने देशों द्वारा क्वालिटी स्टैण्डर्ड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिनांक 14 अगस्त, 1996 की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक में 32 देशों ने अंशदान दिया है।

विनिवेश की उपलब्धियां

3627. **श्री सनत मेहता** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या रहीं;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने के लिए कौन-कौन से कारक जिम्मेदार हैं; और

(ग) इसे और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

		(करोड़ रुपए)
वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धिया
1992-93	3500	1913
1993-94	3500	शून्य
1994-95	4000	4843
1995-96	7000	168

(ख) वास्तविक विनिवेश आमदनी बाजार की परिस्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

(ग) सरकार ने पहले ही विनिवेश आयोग की स्थापना कर दी है, ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

आठवीं योजना में औद्योगिक विकास

3628. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान औद्योगिक विकास पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1996 को क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कौन-कौन सी उपलब्धियां प्रात की गई हैं; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान औद्योगिक विकास के निर्धारित लक्ष्य को पाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में उद्योग के लिए औसत 8.2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों (1992-96) के दौरान प्राप्त औसत वार्षिक वृद्धि 7.4 प्रतिशत है। सरकार का यह प्रयत्न है कि पूंजी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्वाह को बढ़ावा देकर तथा विनियमों से मुक्त करने व विनियंत्रण की प्रक्रिया जारी रखकर औसतन 12 प्रतिशत वार्षिक की औद्योगिक वृद्धि दर हासिल की जाए।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में फालतू श्रमिक

3629. **श्री नीतीश कुमार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम में 31 अक्टूबर, 1994 को लगभग 32,938 फालतू श्रमिक थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फालतू श्रमिकों के लिए कोई चरणबद्ध स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना शुरू की गई थी;

(घ) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ङ) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कोई धनराशि आवंटित की गई थी; और

(च) यदि हां, तो वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) एन टी सी के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण योजनाओं के अनुसार 31.10.1994 की स्थिति के अनुसार उसके ऐसे 32,938 कर्मचारी थे जिनमें 27,703 कामगार तथा 5,235 अधिकारी/स्टाफ शामिल हैं जो आधुनिकीकरण के बाद एन टी सी की आवश्यकताओं के अनुरूप बेशी हो जाएंगे।

(ग) से (च) बेशी कामगारों/कर्मचारियों का सुव्यवस्थीकरण करने के उद्देश्य से एन.टी सी एक स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना क्रियान्वित कर रही है। चूंकि यह योजना पूर्णत: स्वैच्छिक है तथा उसका विस्तार कामगारों द्वारा की गई पहल पर निर्भर करता है, इसलिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के तहत शामिल किए गए कामकारों की संख्या तथा उसके लिए निधियों का

आवंटन और रिलीज निम्नानसुार है :

स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना

वर्ष	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत शामिल किए गए कामगारों की संख्या	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए निधियों का आबंटन	स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए रिलीज निधियां
1994-95	4430	84.00	20.00
1995-96	3255	37.50	36.00
1996-97 (जुलाई, 96 तक)	905	30.00	शून्य

[अनुवाद]

कोयले के भंडार

3630. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि देश में कोयले का भंडार कब तक चलेगा, कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयले के भंडार की समाप्ति की स्थिति में कोयले पर आधारित उद्योगों को बचाने हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा भारत में कोयले के भंडार (1200 मी. तक की गहराई में) लगभग 202 बिलियन टन अनुमानित किए गए हैं, जिसमें से 70.5 बिलियन टन भंडार प्रमाणित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन कोयले के भडारों की बढी हुई भावी मांग को पूरा किए जाने हेतु, उत्पादन की बढ़ी हुई दर पर भी 100 वर्ष से अधिक की अवधि तक चलने की संभावना है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता

3631. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन और देश में बाजार विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी राशि की राजसहायता दी और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1991-92 से 1996-97 तक उसका वर्षवार प्रतिशत कितना था; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजन हेतु अनुमानतः कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए निर्यात आर्थिक सहायता, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठन को सहायता अनुदान तथा निर्यात ऋण विकास के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा 1991-92 से 1996-97 तक इस शीर्ष के तहत दी गई आर्थिक सहायता की धनराशि निम्नानुसार है :

(आंकड़े करोड़ रूपये में)

निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता जिनमें :	1991-92 (सं.अ.)	1992-93 (सं.अ.)	1993-94 (सं.अ.)	1994-95 (सं.अ.)	1995-96 (सं.अ.)	1996-97 (ब.अ.)
उत्पाद संवर्धन और वस्तु विकास/निर्यात आर्थिक सहायता	1608	840	674	546	300	435

निर्यात संवर्धन और						
बाजार विकास संगठन को						
सहायता अनुदान	26	15	12	13	15	25
निर्यात ऋण विकस	140	25	14	1	-	-
जोड़	1774	880	700	560	315	460

(सं.अ.) = संशोधित अनुमान (ब.अ.) = बजट अनुमान

[अनुवाद]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनियां

3632. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष कंपनी अधिनियम 1956 का उल्लंघन किए जाने के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए है;

(ख) कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त की गई हैं; और

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा उन मामलों के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान कपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के उल्लंघन के 17,886 मामले दर्ज किए गए थे तथा उनका वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1993-94	8780
1994-95	5234
1995-96	3872
कुल :	17,886

(ख) कंपनी विधि बोर्ड द्वारा शिकायतें प्राप्त नहीं की जाती हैं, क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 10(ड) के अंतर्गत गठित यह एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है। यह कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त याचिकाओं तथा आवेदनों पर कार्रवाई करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इरी और मुगा रेशम का उत्पादन

3633. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** :

डा. अरूण कुमार शर्मा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रेशम उत्पादन का क्षेत्र घट गया है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में मुगा और इरी के उत्पादन में कमी आ गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने मुगा और इरी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में एरी तथा मूगा रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एरी तथा मूगा खाद्य पादपों, बीज उत्पादन, रीलिंग तथा कोषों के विपणन बढ़ाने संबंधी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस संबंध में अनुसंधान तथा विस्तार सहायता को बढ़ा दिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यों को धनराशि

3634. **श्री ई. अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यों को विशेष रूप से केरल को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार तथा राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गयी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्यवार, विशेष रूप से केरल में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तस्करी में संलिप्त सीमा शुल्क अधिकारी

3635. **डा. अरविन्द शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सीमा शुल्क अधिकारी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण अधिकारी तस्करी को प्रोत्साहन देने में अथवा वर्ष 1995 तथा जून, 1996 के बीच तस्करी गतिविधियों में मदद करने में संलिप्त पाये गये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋण

3636. **श्री अय्यन्ना पटरुधु** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की सीमान्त तथा लघु किसानों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों, स्वरोजगार में लगे स्नातकों, कारीगरो तथा विद्यार्थियों को ऋण प्रदान करने के बारे में विभिन्न योजनाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे ऋणों को प्रदान किए जाने के मापदण्ड तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने कुल बैंक ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को देने की अपेक्षा की जाती है। प्राथमिकता क्षेत्र में ये सम्मिलित हैं -

i) कृषि,

ii) लघु उद्योग, और

iii) अन्य उधारकर्ता, जिनमें अन्यों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं - लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक, फुटकर व्यापारी, लघु कारोबार परिचालक, व्यावसायिक और स्व-रोजगार व्यक्ति, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विद्यार्थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और कमजोर वर्ग जो आवासीय उद्देश्यों के लिए ऋण लेतें हैं और शुद्ध उपभोक्ता ऋण लेने वाले कमजोर वर्गों के उधारकर्ता।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 10 प्रतिशत अथवा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत उन कमजोर वर्गों को भी दें जिनमे यह सम्मिलित हैं: छोटे और सीमांतक किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार, बंटाईदार, कारीगर, जहां अलग-अलग ऋण संबंधी आवश्यकताएं निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नही हो वहां ग्राम और कुटीर उद्योग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारी और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत हिताधिकारी।

विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार कुल अग्रिमों का 4 प्रतिशत कमजोर वर्गों को उधार दें। इस योजना के अन्तर्गत, किसी पात्र उधारकर्ता को 4 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर 6500/- रूपए तक का ऋण मंजूर किया जा सकता है।

इसके अलावा, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जिन्हें भारत सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

i) **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)**

आई आर डी पी के लक्ष्यगत समूहों में, छोटे और सीमांतक किसानों के परिवार, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर जिनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है, सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्यगत समूहों के चयनित परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी रेखा को पार कर सकें। इस योजना के अंतर्गत सरकार हिताधिकारियो की श्रेणी के आधार पर परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के दरों के बीच सब्सिडी उपलब्ध कराती है।

ii) **शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई)**

इस योजना के अन्तर्गत, 18 से 35 वर्ष के आयु के बीच के उन युवाओ को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 24000/- रूपए से अधिक न हो और जो मैट्रिक उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हो अथवा आई.टी.आई. पास हो अथवा जिन्होंने न्यूनतम छः महीनो की अवधि की सरकार द्वारा प्रायोजित तकनीकी प्रशिक्षण किया हो। उन्हे माइक्रो उद्यम प्रारंभ करने के लिए 7500/- रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5 प्रतिशत का आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

iii) **शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (सुमे)**

यह नेहरु रोजगार योजना (एनआरवाई) का ही एक घटक है। इस योजना के अन्तर्गत, शहरी क्षेत्रो के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा आई.आर.डी.पी के अंतर्गत कवर नहीं होने वाले बेरोजगार और कम रोजगार वाले शहरी गरीबों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला हिताधिकारियों के लिए 5,000 रूपए और अन्यों के लिए 4000/- रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रत्येक हिताधिकारी को 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जाती है।

सेबी को प्राप्त शिकायतें

3637. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 'सेबी' विभिन्न सूचीकृत कंपनियों के विरुद्ध निवेशकों से प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा संकलित करती है; और

(ख) यदि हां, तो बाजार पूंजीकरण के अनुसार निजी क्षेत्र की 20 शीर्ष कंपनियों के विरुद्ध वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त

शिकायतों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है तथा कंपनियों के कुल शेयर धारकों की तुलना में ऐसी शिकायतों का प्रतिशत कितना है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) जी, हां।

(ख) इन कंपनियों के विरुद्ध वर्ष 1995-96 के दौरान सेबी द्वारा प्राप्त शिकायतों का कंपनीवार ब्यौरा और इन कंपनियों के कुल शेयरधारकों की तुलना में ऐसी शिकायतों का प्रतिशत विवरण में दिया गया है। निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए सेबी द्वारा संबंधित कंपनियों को अग्रेषित किया जाता है। यथोचित समय में शिकायतों का समाधान न होने की स्थितियों में सेबी द्वारा अपने विनियमों और कंपनी अधिनियम, 1956 जहां कहीं लागू हो, कार्रवाई शुरू की जाती है।

विवरण

क्र. स.	कंपनी का नाम	वर्ष 1995-96 के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	कुल शेयरधारकों की तुलना में शिकायतों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लि.	112	0.05
2.	हिन्दुस्तान लीवर लि.	253	0.11
3	रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लि.	9220	0.35
4.	टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि.	776	0.08
5.	बजाज आटो लि.	84	0.26
6.	आई. टी. सी. लि.	190	0.09
7	लारसन एंड टुब्रो लि.	649	0.07
8.	हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कं. लि.	2	0.01
9.	टाटा कैमिकल्स लि.	431	0.19
10.	बुक बांड लिप्टन इंडिया लि.	535	0.25
11	ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ लि.	123	0.06
12	इंडियन होटल्स कं. लि.	150	0.22
13.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	56	0.05
14.	कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लि.	418	0.20
15	कस्ट्रोल इंडिया लि.	302	0.52
16.	हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि.	172	0.11
17.	मोटर इंडस्ट्रीज कंपनी लि.	7	0.04
18.	मुम्बई सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	1323	0.58
19.	रनबैक्सी लबोट्रीज़ लि.	63	0.11
20.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि.	296	0.58

क्षेत्रीय कोयला बिक्री केन्द्र

3638. **श्री रमेन्द्र कुमार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने देश के प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय कोयला बिक्री केन्द्रों के कार्यालय खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों पर कितना वार्षिक खर्च हुआ और इससे कोल इंडिया को कितना लाभ हुआ तथा इसकी उपयोगिता क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां। वर्तमान में विभिन्न राज्यों के 12 प्रमुख नगरों में और 5 इस्पात संयंत्रों में भी कोल इंडिया लिमिटेड (को.इं.लि.) के क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय हैं।

(ख) इन 12 क्षेत्रीय बिक्री केन्द्रों पर वर्ष 1995-96 के दौरान किया गया कुल व्यय 10.18 करोड़ रु. था। क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय उपभोक्ताओं को विभिन्न वाणिज्यिक सेवाएं प्रदान करते हैं और ये लाभ के केन्द्र नहीं हैं। इनके द्वारा निम्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- कोयला/कोक की आवश्यकताओं पर ध्यान देना और सहायक कंपनियों से इनकी आपूर्ति में सहयोग के लिए राज्य सरकारों और उपभोक्ता निकायों की आवश्यकताओं के संबंध में सपर्क बनाए रखना।
- फीड बैक सेवाएं प्रदान करना तथा विपणन संबंधी सर्वेक्षण करना।
- कोयले के बिलों को प्रस्तुत करना और भुगतान का संग्रह करना और राज्य विद्युत बोर्डों आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं की देय बकाया राशियों पर अनुसरण एवं समन्वय संबंधी अनुवर्ती, कार्रवाई भी किया जाना।
- विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति में निकटतम सहयोग।
- अदालती मामलों की कानूनी बातों में सहयोग प्रदान करना
- इस्पात संयंत्रों के क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय विशेष रूप से इस्पात संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों पर ही कार्रवाई करते हैं।

एच. एम. टी. में हानि

3639. **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच. एम. टी. को हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी हानि हुई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में एच. एम. टी. को क्रमशः 79.20 करोड़ रूपये तथा 55.89 करोड़ रूपये (अनंतिम) की हानि हुई।

आर्थिक विकास

3640. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कुल औसत आर्थिक विकास दर हासिल की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में अनुवर्ती औसत आर्थिक विकास दर कितनी-कितनी रही ;

(ग) उद्योग तथा निर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च विकास का क्या प्रभाव रहा; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपरोक्त दो क्षेत्रों में राज्यवार औसत विकास दरें कितनी दर्ज की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण I, II, III, IV और V में दी गई है। यह केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी पर आधारित है।

विवरण-I

सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दरें।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार 1980-81 की कीमतों पर उपादान लागत पर समग्र अर्थव्यवस्था के लिए और उद्योग निर्माण और सेवाओं जैसी आर्थिक गतिविधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वार्षिक औसत वृद्धि नीचे सारणी में दर्शायी गई है।

1980-81 की कीमतों पर उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दरें।

वर्ष	समग्र	विनिर्माण	निर्माण	सेवाएं
1992-93	5.1	4.1	3.3	5.1
1993-94	5.0	4.3	2.3	6.8
1994-95	6.3	9.0	7.1	6.0
1995-96	7.0	14.2	3.7	7.0
औसत *	5.9	7.9	4.1	6.2

टिप्पणी : वर्ष 1994-95 के लिए आंकड़े त्वरित अनुमान हैं और 1995-96 के लिए संशोधित अनुमान है;

सेवाओं में क्षेत्रीय व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण व संचार, वित्तपोषण, बीमा, अचल सम्पदा और व्यापार सेवाएं, सामुदायिक, सामाजिक और कार्मिक सेवाएं

शामिल हैं; और

* वर्ष 1992-93 से 1995-96 के लिए वृद्धि दरों का मध्यमान है।

विवरण-II

1980-81 की कीमतों पर 1992-93 से 1995-96 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दरें।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94 (अ)	1994-95 (त्व.अनु.)	1995-96 (पू.अनु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.5	11.4	-2.5	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.8	4.4	3.3	-
3	असम	-15.7	7.4	5.1	-
4.	बिहार	-4.7	3.2	4.5	-
5.	गोवा	13.0	3.8	0.0	-
6.	गुजरात	22.5	-1.6	13.5	-
7	हरियाणा	0.2	5.6	6.1	-
8.	हिमाचल प्रदेश	5.6	3.5	5.2	-
9.	जम्मू-कश्मीर*	4.0	3.9	-	-
10.	कर्नाटक	2.8	7.9	4.9	-
11.	केरल	6.8	6.7	4.3	-
12.	मध्य प्रदेश	7.2	10.2	0.9	-
13.	महाराष्ट्र	12.8	8.8	6.6	
14.	मणीपुर	5.2	3.7	-	-
15.	मेघालय	-4.8	8.1	16.8	-
16.	नागालैंड	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	-0.9	5.9	4.9	3.6
18.	पंजाब	4.4	4.9	4.8	-
19.	राजस्थान	10.8	-5.7	15.5	-
20.	सिक्किम	-	-	-	-
21	तमिलनाडु	5.2	4.7	7.4	1.8
22.	त्रिपुरा	5.0	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	1.7	3.2	3.3	-
24.	प. बंगाल*	4.2	5.5	6.6	-
25.	अडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.9	6.9	5.5	-
26.	दिल्ली	5.7	7.2	-	-
27.	पांडिचेरी*	2.4	-3.3	-	-

त्व= त्वरित अनुमान अ.-अनन्तिम पू.अ. =पूर्वानुमानित

* वृद्धि दर निवल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित हैं।

स्रोत : राज्यों के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय।

विवरण-III

कीमतों (1980-81) पर उत्पादन लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र में राज्यवार वार्षिक वृद्धि दरें।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94 (अ)	1994-95 (त्व.अनु.)	1995-96 (पू.अनु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	-3.1	6.0	0.0	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	8.6	8.5	7.8	-
3.	असम	-58.0	2.4	4.4	-
4.	बिहार	-14.7	1.1	8.7	-
5.	गोआ	21.6	0.9	0.1	-
6.	गुजरात	33.7	7.0	8.5	-
7.	हरियाणा	-2.7	9.8	6.1	-
8.	हिमाचल प्रदेश	7.0	6.4	7.4	-
9.	जम्मू व काश्मीर*	-0.1	2.0	-	-
10.	कर्नाटक	1.3	5.4	9.0	-
11.	केरल	6.7	7.9	7.5	-
12.	मध्य प्रदेश	20.3	7.7	7.2	-
13.	महाराष्ट्र	9.0	12.5	11.8	-
14.	मणिपुर	4.2	0.0	-	-
15.	मेघालय	2.9	2.3	33.8	-
16.	नागालैंड	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	0.5	-8.3	7.4	-
18.	पंजाब	7.0	8.0	8.0	-
19.	राजस्थान	0.8	6.0	6.1	-
20.	सिक्किम	-	-	-	-
21.	तमिलनाडु	7.2	-3.0	8.7	2.1

1	2	3	4	5	6
22	त्रिपुरा	5.5	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	3.1	2.7	3.7	-
24	पश्चिम बंगाल*	6.1	4.7	5.9	-
25.	अडमान और निको द्वीप समूह	130.3	-6.9	10.5	-
26.	दिल्ली	-1.2	2.5	-	-
27	पांडिचेरी*	0.0	-8.4	-	-

अ - अनन्तिम, त्व - त्वरित पू. अनु - पूर्वानुमानित

* वृद्धि दर निवल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित है।

स्रोत राज्यों के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय

विवरण-IV

कीमतों (1980-81) पर उपादान लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्माण क्षेत्र में राज्यवार वार्षिक दरें।

क्र.स.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94 (अ)	1994-95 (त्व.अनु.)	1995-96 (पू.अनु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33.7	25.4	-7.2	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	-3.7	10.9	14.5	-
3	असम	-32.9	3.2	3.2	-
4	बिहार	5.8	4.7	4.7	-
5	गोआ	23.2	-3.2	3.0	-
6	गुजरात	-19.2	-5.9	-1.6	-
7	हरियाणा	-2.9	6.0	6.0	-
8	हिमाचल प्रदेश	20.0	4.2	5.0	-
9.	जम्मू व काश्मीर*	3.2	3.1	-	-
10	कर्नाटक	0.1	5.5	0.7	-
11	केरल	6.9	7.9	5.5	-
12	मध्य प्रदेश	-5.8	6.2	7.4	-
13	महाराष्ट्र	3.6	3.6	3.6	-
14	मणिपुर	9.9	7.3		-
15	मेघालय	4.5	12.1	-8.1	-
16	नागालैंड	-	-	-	-
17	उड़ीसा	2.0	-1.9	1.7	-
18.	पंजाब	14.7	5.4	2.3	-
19.	राजस्थान	6.1	5.0	9.2	-
20.	सिक्किम	-	-	-	-
21.	तमिलनाडु	3.2	8.3	4.1	5.9
22.	त्रिपुरा	-6.1	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	-0.5	-1.5	2.4	-
24	पश्चिम बंगाल*	3.0	3.8	13.1	-
25	अंडमान और निको द्वीप समूह	1.7	-0.3	4.9	-
26.	दिल्ली	30.6	3.5	-	-
27.	पांडिचेरी*	3.3	2.7	-	-

अ.-अनन्तिम त्व= त्वरित पू.अ =पूर्वानुमानित

* वृद्धि दर निवल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित है।

स्रोत राज्यों के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय।

विवरण-V

कीमतों (1980-81) पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के सेवा क्षेत्र में राज्यवार वार्षिक वृद्धि दरें।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1992-93	1993-94 (अ)	1994-95 (त्व.अनु.)	1995-96 (पू.अनु.)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.5	11.4	1.3	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.5	7.2	4.9	-
3.	असम	-2.6	11.6	7.5	-
4.	बिहार	2.6	3.4	3.2	-
5.	गोआ	5.9	6.7	0.0	-
6	गुजरात	9.9	7.1	10.2	-
7	हरियाणा	-1.6	6.8	4.7	-
8.	हिमाचल प्रदेश	5.8	6.0	5.0	-
9.	जम्मू व काश्मीर*	6.9	7.0	-	-
10.	कर्नाटक	3.2	8.8	6.2	-
11.	केरल	10.4	6.6	5.7	-
12.	मध्य प्रदेश	1.0	8.1	4.0	-
13.	महाराष्ट्र	9.6	8.6	7.6	-

1	2	3	4	5	6
14	मणिपुर	8.6	2.4	-	-
15	मेघालय	1.6	8.1	16.0	-
16	नागालैंड	-		-	-
17	उड़ीसा	3.1	3.7	6.8	-
18	पंजाब	4.6	4.0	4.7	-
19	राजस्थान	6.9	1.5	7.6	-
20	सिक्किम	-			-
21	तमिलनाडु	5.2	6.1	6.6	4.2
22	त्रिपुरा	8.3	-	-	-
23	उत्तर प्रदेश	5.8	2.6	4.5	-
24	पश्चिम बंगाल*	6.4	7.5	8.4	-
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.2	24.6	4.0	-
26	दिल्ली	3.7	9.4		-
27	पांडिचेरी*	2.8	-4.4		-

अ - अनन्तिम, त्व - त्वरित पू. अनु - पूर्वानुमानित

* वृद्धि दर निवल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित हैं।

स्रोत राज्यों के आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय

[हिन्दी]

लाख का उत्पादन

3641. **श्री ललित उरांव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाख उद्योग पिछले कुछ वर्षों से काफी संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग को संकट से उबारने और इसके विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को लाख उद्योग में इस प्रकार के किसी संकट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण युवाओं/कारीगरों के रोजगार के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लाख पर आधारित उद्यमिता एककों को वित्तीय सहायता देता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते

3642. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों के समकक्ष वेतन और भत्ते दिए जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण बैंक कर्मचारियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में विद्यमान अन्तर संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, भारतीय बैंक संघ तथा कर्मचारी यूनियनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते से शासित होते हैं। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में भारत सरकार के दिनांक 22.2.1991 के परिपत्र द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

ग्रामीण बैंकों में एन. पी. ए. योजना

3643. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण बैंकों में अलाभकारी परिसंपत्तिया योजनाओं के कारण उनका घाटा बढ़ सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इन घाटों को पूरा करने तथा इन बैंकों को लाभ कमाने वाले बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 1995-96 से आय की पहचान और परिसंपत्ति के वर्गीकरण तथा 1996-97 से प्रावधान करने संबंधी मानदंडों जैसे विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों की शुरूआत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए दी गई है। इन मानदंडों की शुरूआत से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई हानि नहीं होगी। अलबत्ता, इससे यह सुनिश्चित होगा कि समस्त हानियों को लेखों में उपयुक्त रूप से दर्ज किया जाता है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ये शामिल हैं :-

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र एवं पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, दिनांक 1.1.1994 से उन्हें अपने नए ऋणों के 60 प्रतिशत तक गैर लक्ष्य समूहों को वित्त पोषित करने की अनुमति

दी गई है। उन्हें चैकों/मांग ड्राफ्टों की खरीद/भुगतान के लिए और अधिक विवेकाधिकर दिए गए हैं। सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उन्हें, अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने, लॉकर लगाने, ड्राफट जारी करने तथा डाक द्वारा अंतरण करने की अनुमति भी दी गई है।

(ii) वर्ष 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रूपए से कम का संवितरण करने वाले सत्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र के दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें अपने पूरे क्षेत्राधिकार के अन्दर वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई है। शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी अपने सेवा क्षेत्र दायित्वों के अधीन अपने सम्पूर्ण कमाऊ क्षेत्र के अन्दर ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को अपेक्षाकृत बेहतर स्थानों अर्थात वाणिज्यिक केन्द्रों जैसे बाजार क्षेत्रों, ग्रामीण मण्डियों, खण्ड एवं जिला मुख्यालयों आदि में स्थापित करने तथा संबंधित कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पुनः नियोजित करने की अनुमति दी गई है।

(iv) भारत सरकार ने 102 चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 374 करोड़ रूपए (लगभग) की इक्विटी सहायता प्रदान की है। इस प्रयोजन के लिए 1996-97 में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

(v) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे लाभदायक स्थिति में आने के लिए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपना सकें।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की सूचीबद्ध तथा अन्य योजनाओं, आई.डी.बी.आई., आईसीआईसीआई, आईएफसीआई तथा सिडबी जैसी लाभ प्रदान करने वाली सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमा में और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बाण्डों में और प्रतिष्ठित विश्वसनीय कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों जैसे लाभदायक क्षेत्रों में अपनी गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों का निवेश करने हेतु पहुंच उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम सहित भागीदारी प्रमाण-पत्र के जरिए अपने प्रायोजक बैंक के ऋण पोर्टफोलियों में अपनी अधिशेष गैर एसएलआर निधियों का एक अंश लगा सकते हैं।

(vii) वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आय का पता लगाने तथा आस्ति वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण लेखा मानदण्ड लागू किए गए हैं। प्रावधान संबंधी मानदण्ड वर्ष 1996-97 से चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

(viii) 26.8.96 से भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा अंतिम हिताधिकारी से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है।

[अनुवाद]

वस्त्रों का निर्यात

3644. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के लिए वस्त्र निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या थे और उक्त लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्र निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र के निर्यात (हस्तशिल्प) के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा विदेशी मुद्रा आय के रूप में उपलब्धियां निम्नानुसार रही हैं :-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1993-94	7,400	7,973.91
1994-95	9,000	9,980.15
1995-96	10,500	10,685.07

(ग) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कदम उठाती रही है जिसमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए नए सामानों के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। सरकार ने साओ पोलो (ब्राजील), ओसाका (जापान), डर्बन (दक्षिण अफ्रीका) तथा मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में एक सदस्यीय निर्यात संवर्द्धन कार्यालयों को खोलने के वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों के संयुक्त प्रयास का समर्थन किया है ताकि इन देशों/क्षेत्रों को हमारे वस्त्र निर्यातों को बढ़ाया जा सके।

बैंक खातों के प्रचालन हेतु सेवा प्रभार

3645. **श्री प्रमोथेश मुखर्जी** :

श्री राम सागर :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बैंकों सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत/चालू बैंक खातों के प्रचालन हेतु अपेक्षित न्यूनतम राशि रखने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सहित अन्य विदेशी बैंक

उन बचत बैंक खाता धारकों से जिनकी शेष राशि दस हजार रूपये से कम हो जाती है प्रतिमाह 100 रूपए से 200 रूपए तक सेवा भार ले रहे है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए अथवा करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत/चालू खातों के परिचालन के लिए अपेक्षित कोई न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की है। तथापि, भारतीय बैंक संघ (आई. बी. ए) ने अपने सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया है कि प्रत्येक बैंक को न्यूनतम जमाराशि, जैसाकि उपयुक्त समझा जाए, निर्धारित करनी चाहिए। तदनुसार, अलग-अलग बैको द्वारा, ऐसे खातों की सेवा लागत, आदि को ध्यान में रखते हुए, बचत/चालू खातों में न्यूनतम जमाराशि निर्धारित की जाती है। विदेशी बैंकों का सभी सेवाओं से संबंधित प्रशुल्क सरकारी क्षेत्र तथा अन्य भारतीय बैंकों की तुलना में बहुत अधिक है। आई.बी.ए. ने सूचित किया है कि विदेशी बैंक उनके यहां खाते खोलने और उसके रख-रखाव के लिए भी बहुत अधिक न्यूनतम राशि निर्धारित करते हैं। विदेशी बैंको के ग्राहक इन परिसंपत्तियों की जानकारी रखते हुए इन बैंकों को संरक्षण प्रदान करते हैं।

कोयले का कोटा

3646. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों को कोयले का पूरा कोटा दिया जाता है, जबकि कुछ उद्योगों का कोटा कम कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यवार विभिन्न उद्योगों को पिछले तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कितना प्रतिशत कोयला आवंटित किया गया?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विशेष रूप से विद्युत और साथ ही इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रक्षा, रेलवे आदि को कोयले की आपूर्ति में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है। कोयला कंपनियों को कभी-कभी गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति प्रतिबंधित करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि कोयले की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था कुछ निर्धारित प्रकार के कोयले के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता और इन उपभोक्ताओं को दी गई परम्पर प्राथमिकता के अनुसार किए गए स्रोतों पर निर्भर करती है।

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रमुख उपभोक्ताओं को किए गए कोयले के प्रेषण के राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1993-94 के दौरान राज्य-वार उद्योग वार प्रेषण

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र
पश्चिम बंगाल	6,977	4,864	200	744	10	99
बिहार	13,522	3,004	3	34	159	97
उत्तर प्रदेश	29,024	-	299	461	142	52
उड़ीसा	1,408	2,543	237	724	475	25
मध्य प्रदेश	26,572	3,924	3,002	-	321	497
महाराष्ट्र	23,692	-	908	-	318	303
गुजरात	12,646	-	842	308	70	734
राजस्थान	3,317	-	1,077	366	-	237
दिल्ली	5,840	-	-	-	-	10
पंजाब	6,778	-	1	953	12	26
हरियाणा	2,190	-	119	523	209	8
तमिलनाडु	9,814	-	389	-	31	16
आंध्र प्रदेश	2,982	1,899	390	-	166	-

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	357	-	576	-	351	-
केरल	-	-	34	-	129	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	21	-	-	-
हिमाचल	-	-	156	-	-	-
असम	237	-	39	-	97	-
अन्य	108	-	4	-	6	11
जोड़ :	1,45,464	16,234	8,297	4,113	2,496	1,656

1994-95 के दौरान राज्य-वार उद्योग वार प्रेषण (आंकड़े हजार टन में)

राज्य	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र
पश्चिम बंगाल	15,310	3,104	3	-	120	116
बिहार	6,308	4,611	210	7,733	12	-
उत्तर प्रदेश	28,928	-	202	595	142	76
उड़ीसा	1,548	2,622	257	429	488	24
मध्य प्रदेश	28,518	3,400	3,128	-	231	480
महाराष्ट्र	23,831	-	988	-	376	293
गुजरात	12,888	-	554	187	14	318
राजस्थान	3,329	-	1,148	375	-	206
दिल्ली	6,145	-	1	-	-	2
पंजाब	5,869		2	997	12	36
हरियाणा	2,802	-	85	550	195	2
तमिलनाडु	10,115	-	301	-	163	26
आंध्र प्रदेश	4,396	2,009	240	-	162	-
कर्नाटक	881	-	881	-	381	1
केरल	-	-	44	-	173	-
जम्मू और कश्मीर	-	-	21	-	-	2
हिमाचल	-	-	279	-	-	-
असम	318	-	22	-	30	-
अन्य	17	-	-	-	3	11
जोड	1,51,003	15,746	8,526	3,866	2,682	1,592

1995-96 के दौरान राज्य-वार उद्योग वार प्रेषण (आंकड़े हजार टन में)

राज्य	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र
पश्चिम बंगाल	16,420	3,348	5	28	182	93
बिहार	7,623	4,131	206	1,022	11	-
उत्तर प्रदेश	33,992	-	186	364	135	16
उड़ीसा	2,992	2,643	249	710	516	18
मध्य प्रदेश	30,646	3,497	2,959	-	312	315
महाराष्ट्र	26,536	-	1,010	-	462	226
गुजरात	13,884		518	201	75	207
राज्य	विद्युत	इस्पात	सीमेंट	उर्वरक	कागज	वस्त्र
राजस्थान	3,910	-	1,007	335	-	107
दिल्ली	4,984	-	6		-	3
पंजाब	6,383	-	-	673	2	10
हरियाणा	2,562		90	326	97	-
तमिलनाडु	10,167	-	300	-	104	26
आंध्र प्रदेश	6,233	1,948	418	-	154	-
कर्नाटक	1,445	-	888	-	311	1
केरल	-	-	43		96	5
जम्मू और कश्मीर	-	-	23	-		-
हिमाचल	-	-	284	-	-	-
असम	401	-	5	-	139	-
अन्य	77	-	-	28	32	-
जोड़	1,68,257	15,567	8,197	3,887	2,668	1,037

[हिन्दी]

कोयला भंडार की जांच

3647. **श्री ब्रजमोहन राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत सभी खानों के कोयले के भंडार की गत तीन वर्षों के दौरान जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.(से.को.लि.) के अंतर्गत सभी खानों के भूमिगत स्टॉक को परिमापन द्वारा सत्यापित किया गया है।

(ख) से.को.लि. में स्टॉक की स्थिति से संबंधित वर्षवार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	पुस्तिका स्टाक (मि.टन)	मापित स्टाक (मि.टन)	टिप्पणी
31.3.94 की स्थिति के अनुसार	11.51	10.95	अंतराल की अनुमेय सीमा के अन्दर
31.3.95 की स्थिति के अनुसार	11.22	4.95	अंतराल के संबंध में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
31.3.96 की स्थिति के अनुसार	स्टॉक का मापन पूरा कर लिया गया है और लेखा-परीक्षा का कार्य प्रगति पर है।		

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा बाजार में सुधार

3648. **श्री टी. गोपालकृष्ण**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक का विदेशी मुद्रा बाजार में बड़े पैमाने पर सुधार लाने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक को इन सुधारों से क्या लाभ प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) इन सुधारों के कब तक प्रभावी हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक विशेषज्ञ दल द्वारा विदेशी मुद्रा बाजारों पर की गई सिफारिशों की जांच कर रहा है। विशेषज्ञ दल की 33 मुख्य सिफारिशों में से 10 प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा बाजार के सुधारों से संबंधित है, जिनमें से 3 को शुरु किया जा चुका है।

इन सुधारों का लक्ष्य बाजार को गहनता और प्रवाह प्रदान करना है।

आयकर अधिनियम

3649. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एच ए सी में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त धारा को जारी रखने तथा इसका दीर्घावधि आधार विस्तार करने के संबंध में भारतीय निर्यातक महासंघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) धारा 80 ज ज ग को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी वित्त विधेयक (सं-2) 1996 के द्वारा कंपनियों पर एक न्यूनतम कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। अत: कुछ निगमित निर्यातकों को एक छोटा कर देना पड़ सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाता है।

महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता

3650. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार महिला सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता को 25 प्रतिशत ऋण और 25 प्रतिशत राजसहायता के अनुपात में 40,000 हजार रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए सामुदायिक विकास और कल्याणकारी कार्य

3651. **प्रो. अजित कुमार मेहता** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिहार के कोयला खान क्षेत्रों में कराए गए सामुदायिक विकास और कल्याणकारी कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा उक्त राज्य और कोयला उत्पादक अन्य राज्यों में राज्यवार इस पर कितनी राशि खर्च की गई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) गत तीन वर्षो के दौरन इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा बिहार के कोयला खान क्षेत्रों में कराए गए सामुदायिक विकास और कल्याणकारी कार्यों के ब्यौरों और उक्त कार्यों पर खर्च की गई राशि के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

क्र.स.	कराये गये कार्य	1993-94	1994-95	1995-96
1.	सामुदायिक केन्द्रों, विपणन केन्द्रों/बस स्टापों का निर्माण	74	28	23
2.	हैंड पम्पों की स्थापना/कुएं खुदवाना/जल आपूर्ति हेतु पाईपलाइनों का बिछवाना/तालाबों का विकास	79	116	53
3.	सड़कों/पुलियों का निर्माण	41	41	36
4.	विद्यालय भवनों का निर्माण/विद्यालय के लिए अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति	80	144	111

5.	चिकित्सा शिविरों का आयोजन/दवाओं की आपूर्ति/नेत्र शिविर/बाल प्रदर्शनी, आदि।	35	34	60
6.	स्व-नियोजन अर्थात् सिलाई, प्रशिक्षण, कढ़ाई, जूता बनाने का कार्य, वाहन ड्राईविंग आदि	50	18	26
7.	खेलकूद एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप	37	14	90
8.	किए गए विविध कार्य	61	3	26

खर्च की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :

(लाख रु. में)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
बिहार	165.78	186.81	209.89
पश्चिम बंगाल	31.56	32.67	26.15
मध्य प्रदेश	139.68	194.24	190.89
महाराष्ट्र	108.00	53.77	122.94
उड़ीसा	72.00	170.00	266.00
उत्तर प्रदेश	12.30	10.89	11.00
असम	2.66	7.15	2.56
जोड़	531.98	654.53	829.43

सीमेंट की मांग और पूर्ति

3652. **श्री अनन्त कुमार :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सीमेंट का उत्पादन और खपत कितनी रही; और

(ख) राज्य में मांग और पूर्ति के अंतर को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के बड़े संयंत्रों के संबंध में सीमेंट के उत्पादन और उपभोग के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। यद्यपि उपभोग संबंधी आंकड़ें केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, लेकिन इनका निर्धारण सीमेंट विनिर्माता संगठन द्वारा रख जा रहे सीमेंट की अंतर्राज्यीय दुलाई के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। अति लघु सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन संबंधी आंकड़ें भी केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) यद्यपि देश में सीमेंट कुल मिलाकर मांग से अधिक है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी कमी है। सरकार सीमेंट को अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता के सृजन को प्रोत्साहन देने के अलावा फालतू सीमेंट वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट की दुलाई के लिए प्राथमिकता के आधार पर रेल माल डिब्बे उपलब्ध करा रही है।

विवरण

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य के बड़े संयंत्रों के संबंध में सीमेंट का उत्पादन और उपभोग।

(लाख टन में)

	राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
		उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
	1	2	3	4	5	6	7
1.	चंडीगढ़	-	2.40	-	3.27	-	3.91
2.	पंजाब	-	24.88	-	26.33	5.4	32.77
3.	दिल्ली	3.54	17.55	1.92	17.41	1.86	20.49
4.	हरियाणा	5.34	13.78	5.76	15.61	5.52	17.18
5.	हिमाचल प्रदेश	10.28	3.96	13.03	3.86	18.76	4.67
6.	जम्मू व कश्मीर	0.58	3.69	0.78	4.11	0.70	4.64
7.	राजस्थान	57.24	26.61	69.49	27.60	77.70	29.20

	1	2	3	4	5	6	7
8.	उत्तर प्रदेश	17.09	65.72	13.60	67.00	11.59	66.33
9.	बिहार	10.98	21.15	15.32	22.41	21.97	23.17
10.	उड़ीसा	11.85	12.34	14.47	12.64	16.95	13.39
11.	पश्चिम बंगाल	4.43	29.75	5.19	31.95	5.07	36.01
12.	असम	1.48	4.95	1.54	5.36	1.56	4.35
13.	मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य	1.12	2.43	1.43	2.82	1.20	2.45
14.	तमिलनाडु	50.51	47.14	54.95	54.55	57.55	59.30
15.	आन्ध्र प्रदेश	86.21	40.26	87.91	41.29	100.44	44.18
16.	कर्नाटक	52.70	31.39	57.16	34.59	55.79	37.77
17.	केरल	3.84	30.79	3.84	33.71	3.65	38.68
18.	पांडिचेरी	-	0.56	-	0.86	-	0.85
19.	अंडमान और निकोबार	-	0.24	-	0.35	-	0.49
20.	महाराष्ट्र	41.34	70.53	42.78	77.65	47.79	87.33
21.	गुजरात	41.75	46.89	48.23	47.91	55.48	55.20
22.	मध्य प्रदेश	138.67	29.81	146.15	32.59	155.70	42.07
23.	गोवा दमन और दीव इत्यादि	-	2.23	-	2.82	-	3.27
	योग :	540.95	529.05	583.55	566.69	644.71	629.10

खानों में सुरक्षोपाय

3653. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की खानों से निकाला गया लगभग 60 लाख टन कोयला बंगला देश को निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे कितना वार्षिक राजस्व अर्जित किया गया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र की सभी कोयला खानों में दुर्घटना के समय श्रमिकों की सहायता के लिए सुरक्षा उपकरण लगा दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक किन-किन खानों में सुरक्षा उपकरण लगा दिए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सुरक्षा संबंधी उपकरणों जैसे मुख्य यंत्रीकृत वैंटिलेटर्स, उच्च-ज्वलनशील तथा जहरीली गैसों के लिए डिटेक्टर्स, अग्निशमन उपकरण, दूरभाष संचार, स्व-बचाव उपकरण, कामगारों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, फेम पूफ आंतरिक रूप में के सुरक्षा इलेक्ट्रिकल उपकरण, आदि की सभी खानों में व्यवसथा कर दी गई है। प्राथमिक सहायता गृह तथा डिस्पेंसरी भूमिगत तथा सतह पर तत्काल चिकित्सा देख-रेख हेतु बनाए रखे जा रहे हैं। आपातकालीन संगठन के लिए सभी खानों में आपातकालीन बाह्य रास्ते, बचाव गृहों और कक्षों की सेवाएं भी बचाव तथा राहत कार्यों के लिए साविधिक प्रावधानों के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

एम. पी. ई. डी. ए. द्वारा समुद्री उत्पादों का विकास

3654. **श्री अराकल जेवियर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम. पी. ई. डी. ए) समुद्री उत्पादों के विकास तथा निर्यात में रुचि रखता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष एम. पी. ई. डी. ए. ने समुद्री उत्पादों के निर्यात, अनुसंधान तथा विकास को कितना प्रोत्साहित किया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अनुसार प्राधिकरण के लिए यह जरूरी है कि वह समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करे और निर्यात के विशिष्ट संदर्भ में समुचित उपाय करे।

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात, अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एम्पीडा ने चार प्रमुख योजना स्कीम कार्यान्वित कीं। एम्पीडा द्वारा समग्र रूप से इन योजनाओं पर और प्रमुख योजनाओं के घटकों पर किया गया व्यय, जहां बहुत खर्च हुआ है, नीचे दिया गया है -

स्रोत : एम्पीडा

मूल्य : लाख रु.

क्रम संख्या	प्रमुख योजना का नाम	कुल व्यय 1993-94	1994-95	1995-96
1.	निर्यात उत्पादन कैप्चर फिशरीज	219.32	215.55	259.37
2.	निर्यात उत्पादन कल्चर फिशरीज	335.55	287.84	524.32
3.	नई प्रौद्योगिकी को शामिल करना और प्रसंस्करण सुविधाओं का आधुनिकीकरण	184.63	165.39	170.27
4.	बाजार संवर्धन	239.12	219.27	230.48
	कुल	976.62	888.05	1,184.44

मुख्य योजनाएं	ज्यादा खर्च वाली कुछ मुख्य योजनाओं के घटक	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
निर्यात उत्पादन-कैप्चर फिशरीज	(1) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले निर्यातोन्मुख पोतों द्वारा उपभोग किए गए हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी) की मानीटरिंग और कीमत प्रतिपूर्ति	150.00	206.60	200.00
	(2) इक्विटी सहभागिता योजना	50.00	-	50.00
	(3) मूल्यांकन और निवेश प्रभाग	7.48	7.35	7.80
	(4) विविधिकृत मछली पकड़ने के लिए	9.95	1.01	0.79
निर्यात उत्पादन-कल्चर फिशरीज	(1) झींगा पालन कार्यालयों को सुदृढ़	108.40	110.88	110.38
	(2) बीज उत्पादन के लिए वाणिज्यिक अंडज उत्पत्तिशालाओं का संवर्धन	70.63	59.00	80.50
	(3) नए फार्म का विकास और परंपरागत फार्मों से उत्पादन बढ़ाना	124.46	94.71	118.47
	(4) संवर्धन और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण	25.17	20.74	211.32
	(5) एक्वाकल्चर में अ. जा./अ. ज. जा. के समुदायों को प्रशिक्षण	4.89	2.51	3.65

1		2	3	4	5
नई प्रौद्योगिकी की	(1)	निर्यात हेतु उत्पाद विकास	10.75	8.80	5.23
शुरूआत और	(2)	समुद्री खाद्य उद्योग का आधुनिकीकरण	132.53	72.06	95.99
प्रसंस्करण सुविधाओं					
का आधुनिकीकरण	(3)	कोची और वेरावल में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं	15.81	16.56	17.94
	(4)	गुणवत्ता उन्नयन योजना	21.61	50.78	43.05
	(5)	ई. ई. सी. में मानदण्डों को पूरा करने के लिए समुद्री खाद्य एककों के उन्नयन की योजना	0.06	10.19	8.06
बाजार संवर्धन	(1)	विदेशी बाजार संवर्धन	22.82	23.03	29.36
	(2)	व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, सेमिनारों में भागीदारी और जन-संपर्क	48.07	34.88	62.70
	(3)	विदेशों में व्यापार संवर्धन कार्यालय	149.00	143.36	118.43
	(4)	इनफोफिश, कुवालालम्पुर को योगदान	7.89	7.90	8.84
	(5)	नई दिल्ली में व्यापार संवर्धन कार्यालय	11.34	10.10	11.15

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात से प्राप्त आय क्रमश: 2503.62 करोड़ रु., 3575.27 करोड़ रु. और 3501.11 करोड़ रु. रही है।

[हिन्दी]

तम्बाकु और सिगरेट उत्पादक इकाइयां

3655. **श्री निहाल चन्द चौहान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कितनी तम्बाकु और सिगरेट उत्पादक इकाइयां स्थापित की गई;

(ख) क्या निकट भविष्य में सरकार का इस प्रकार की और अधिक इकाईयां स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने उत्पादकों को हिरासत में लिया गया जो गैर कानूनी ढंग से तम्बाकू और सिगरेट का उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) इनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक अद्यतन सिगरेट के विनिर्माण के लिए 6 एककों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। जैसा कि बताया गया है कि इनमें से किसी भी एकक ने अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सूचना नहीं दी है। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकीय उन्नयन के परिणाम स्वरूप विद्यमान एककों में से एक एकक ने 1994 में सिगरेट के विनिर्माण में क्षमता की वृद्धि के लिए समर्थन प्राप्त कर लिया है।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के तहत सिगरेटों का विनिर्माण अनिवार्य लाइसेसिंग को आकर्षित करता है और औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पर विद्यमान नीति के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) सिगरेट के अवैध उत्पादन से संबन्धित मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक ऋण

3656. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 तक प्रत्येक बैंक का कुल बकाया ऋण क्या है जिसकी पिछले पांच वर्षों में वसूली नहीं की जा सकी; और

(ख) बैंक द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए तरीके के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती। 31.3.96 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की बैंक-वार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) 1992 में विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरूआत से ऋण जोखिम के प्रति बैंकों में काफी अधिक जागरूकता आई है और बैंकों ने अपने अनिष्पादित अग्रिमों को कम से कम रखने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास किये हैं। बैंकों ने ऋण वसूली नीतियां तैयार की हैं तथा अपने मुख्यालयों में वसूली कक्षों की स्थापना की है। पिछले दो वर्षों में ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना से भी यह आशा की जाती है कि इससे बैंकों को उनकी देयराशियों की शीघ्र वसूली में सहायता मिलेगी।

विवरण

31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सकल अनुपोज्य आस्तियों के प्रतिशत के अनन्तिम आंकड़े

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	सकल अनुपोज्य आस्तियां	कुल अग्रिमों में अनुपोज्य आस्ति%
1	2	3
1. भारतीय स्टेट बैंक	10553.31	15.96
2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	337.95	10.00
3. एस बी हैदराबाद	759.74	14.20
4. एस. बी. इंदौर	218.84	10.46
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	328.93	14.57
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	399.71	11.46
7. एस बी सौराष्ट्र	211.04	10.71
8. एस बी त्रावनकोर	430.22	12.50
स्टेट बैंक समूह	13239.74	14.80
9. इलाहाबाद बैंक	1252.00	20.40
10. आंध्रा बैंक	332.00	11.61
11. बैंक आफ बड़ौदा	2193.00	13.00
12. बैंक आफ इंडिया	2434.00	14.49
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	694.00	21.86
14. केनरा बैंक	2647.32	17.93
15. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2036.17	20.91
16. कारपोरेशन बैंक	251.83	2.30
17. देना बैंक	508.00	13.00
18. इंडियन बैंक	3475.00	36.17
19. इंडियन ओवरसीज बैंक	2020.00	22.80
20. ओरियंटल बैंक	271.55	3.66
21. पंजाब नेशनल बैंक	2104.43	15.63
22. पंजाब एंड सिंध बैंक	979.00	17.88
23. सिंडिकेट बैंक	1311.75	23.43
24. यूनियन बैंक आफ इंडिया	945.86	6.70
25. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1502.57	40.79
26. यूको बैंक	1840.00	29.97
27. विजया बैंक	545.00	14.00
राष्ट्रीयकृत बैंक	27343.74	16.68
सरकारी क्षेत्र के बैंक	40583.48	16.01

एन. आर. एफ. की रूग्ण इकाइयों के लिए सहायता

3657. **श्री एल. रमना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राज्य स्तर के सरकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों का पुनरूद्धार करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके बारे में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार द्वारा फरवरी, 1992 में एक राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन. आर. एफ) की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनर्सरचना से प्रभावित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र मुहैया करना है।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से दी जाने वाली सहायता राशि को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं और परामर्शदायी सेवाओं, पुनः प्रशिक्षण तथा युक्तिकृत कामगारों की पुनः तैनाती योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सीमित कर दिया गया है।

कनाडा का भारत में व्यापार

3658. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारत में व्यापार के अवसर का उपयोग करने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई व्यापार कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो व्यापार कार्य योजना के प्रस्तावित

गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ये गतिविधियां किन-किन क्षेत्रों में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कनाडा सरकार ने भारत में चल रहे आर्थिक विकास से सृजित नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए कनाडा के व्यापार में मदद करने के लिए "फोक्स इंडिया" नाम से एक व्यापार विकास रणनीति विकसित की हैं "फोक्स इंडिया" रणनीति के एक अनुपूरक उपाय के रूप में कनाडा की सरकार ने भारत के लिए एक व्यापार विकास योजना तैयार की है ताकि यह वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए बनायी गयी बाजार विकास क्रिया-कलापों की रूप रेखा अपनी संघीय तथा प्रान्तीय एजेंसियों को उपलब्ध करा सकें। इस व्यापार कार्य योजना में जो क्रियाकलाप शामिल किए गए हैं, उनमें हैं कनाडा-भारत व्यापार गठबंधन के सृजन के लाभों का पता लगाना; भारत के क्षेत्रीय मिशन भेजने के लिए कनाडा-भारत व्यापार परिषद् तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ कार्य करना; कनेडियाई उद्योग संगठनों के समक्ष भारत के महत्व पर बल देने के लिए विस्तार परक क्रियाकलाप आयोजित करना; भारतीय बाजार सूचना आधार का विस्तारण; पर्यावरण संबंधी उपकरणों और भारत में सेवाओं के अवसरों के बारे में कनेडियन इनटरनेशनल एजेंसी (सी आई डी ए) के सहयोग से अनेक सेमीनारों का आयोजन; औद्योगिक संगठनों के प्रदर्शनों का आयोजन करना; भारत में व्यापार और निवेश अवसरों के बारे में कनेडियाई उद्योग को सूचना देते रहना; व्यापार में बाधा पहुंचाने वाले बाजारी मसलों का निकाकरण करने वाले तंत्र पर कार्य करना।

(घ) जिन क्षेत्रों में काम शुरू होने की संभावना है उनमें शामिल हैं; उर्जा, तेल तथा गैस, पर्यावरण संबंधी उत्पाद एवं सेवाएं, दूर-संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी; परिवहन व्यवस्था; खनन, धातु एवं खनिज, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, औद्योगिक मशीनरी, बायो-उद्योग।

(ङ) कनाडा सरकार द्वारा जो व्यापार कार्य योजना लागू की जा रही है, उसके फलस्वरूप भारत और कनाडा के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध और सुदृढ़ होने की संभावना है।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

3659. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण हेतु बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सहायता को उपयोग किए जाने के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एक ही आकार के सिक्के

3660. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पुराना एक रूपये का सिक्का और दो रूपये का नया सिक्का देखने में लगभग एक जैसा है और उनसे उन सिक्कों का उपयोग करने वाले निरक्षर लोगों को भ्रांति होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन सिक्कों को वापस लेने और उन्हें नए डिजाइनों में फिर से जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) 26 मि.मी. व्यास के आकार वाले 1 रूपये और 2 रूपये के सिक्के परिचालन में हैं। सिक्कों का आकार तथापि भिन्न है। 1 रूपये के सिक्के का आकार गोल है जबकि 2 रूपये के सिक्के में 11 कट हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में इन सिक्कों को वापस लेने की कोई कार्रवाई नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

3661. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुई हैं;

(ख) क्या समिति की सभी सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नयी हिन्दी परामर्शदात्री समिति का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) उद्योग मंत्रालय में दो हिन्दी सलाहकार समितियां हैं। एक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग तथा लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग के लिये तथा दूसरी भारी उद्योग विभाग तथा सरकारी उद्यम विभाग के लिये है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, औद्योगिक विकास

विभाग तथा लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 बैठकें हुई हैं। भारी उद्योग विभाग और सरकारी उद्यम विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन मार्च, 1995 में किया गया था और तब से इसकी एक बैठक हुई है।

(ख) हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों में संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित सभी विभागों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है। समिति के सदस्यों के सुझावों को कार्यान्वित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

(ग) तथा (घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, औद्योगिक विकास विभाग तथा लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग की पिछली हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 10.11.1995 को समाप्त हो गया और उसे पुनर्गठित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

खजूर की चीनी, रेशे और डंठलों का निर्यात

3662. **श्री बी. धर्मभिक्षम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में खजूर की चीनी, रेशे और डंठलों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): देशवार और मदवार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खंड 1 (निर्यात)" में उपलब्ध हैं, जिसकी जनवरी, 1996 तक की प्रतियां संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। फरवरी और मार्च, 1996 के लिए देशवार और मदवार आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं। मद "खजूर डंठलों" को आई टी सी (एच एस) कोडिंग पुस्तक में अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए उक्त दस्तावेज में इसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

आबिद हुसैन समिति की सिफारिश

3663. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग की समस्याओं की जांच हेतु आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के विचारणीय विषय नीचे दिये गए हैं :

(1) हाल ही के आर्थिक सुधारों की दृष्टि से प्रोन्नत तथा संरक्षित नीतियों के प्रभाव तथा क्षमता का तथा लघु उद्योगों के लिए प्रत्यक्ष सहायता कार्यक्रम की जांच करना तथा यथोचित परिवर्तनों का सुझाव देना।

(2) लघु क्षेत्र की परिभाषा, कानूनी ढांचा तथा विविध संरचना की समीक्षा करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यथोचित परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(3) लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति की क्षमता तथा वांछनीयता की जांच करना तथा उचित सिफारिश करना।

(4) लघु उद्यमों पर आंकड़ें को एकत्र करने, संकलित करने, उसका प्रसार तथा विश्लेषण करने के लिए वर्तमान व्यवस्था तथा स्रोतों की जांच करना।

(5) प्रौद्योगिकीय सूचना के अन्तरण तथा प्रसार के लिए वर्तमान संस्थागत व्यवस्थाओं को बदलने की संभावना तथा आवश्यकता की जांच करना तथा उचित सिफारिश करना।

(6) लघु उद्यमों की दीर्घकालीन तथा अल्प-कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं तथा नीतियों की प्रभावकारिता की जांच करना तथा उचित सिफारिश करना।

(7) लघु उद्यमों पर विभिन्न वित्तीय नीतियों तथा कर रियायतों के प्रभाव की समीक्षा करना।

(8) छोटी फर्मों पर श्रम कानूनों, फैक्ट्री अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा पर्यावरणीय संरक्षा अधिनियम जैसे विभिन्न विनियमित कानूनों तथा प्रक्रियाओं के प्रभावों की जांच करना।

(9) अन्य ऐसे मामलों पर विचार करना तथा सिफारिश करना जिसे समिति विचारार्थ सुसंगत समझती हो।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) इस समिति का कार्यकाल 31 अक्तूबर, 1996 तक बढ़ा दिया गया है। जिस समय तक इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

पेटेन्ट अधिकार

3664. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1996 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "आकूटर नीम, टर्मरिक पेटेन्ट इज ग्रेब्ड इन यू एस" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या हल्दी को व्यापक रूप से पेटेन्ट करने से इस पौधे के विभिन्न गुणों के वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारतीयों की योजना प्रभावित होगी; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) ऐसी सूचना है कि घाव से पीड़ित मरीज के हल्दी पाउडर लगा कर घाव भरने को बढ़ावा देने की विधि संबंधी पेटेंट अमरीका में दो अनिवासी भारतीयों को दिया गया है।

(ख) और (ग) अमरीका में दिया गया पेटेंट उस देश में ही वैध है और इसका भारत में कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। फिर भी, सी.एस.आई.आर. और भारत सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं।

कृषि निर्यात

3665. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान 1980 के दशक की तुलना में देश के कुल व्यापार निर्यात की तुलना में कृषि निर्यातों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान नियंत्रणों और अधिक मूल्य विनिमय दर के कारण कृषिगत निर्यातों में बाधा आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि निर्यातों को कुल निर्यात के 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कोई सम्भावना है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (च) सन् 1980-81 से कृषिजन्य एवं संबद्ध उत्पादों (चाय, काफी, कपास और समुद्री उत्पादों को छोड़कर) का निर्यात और देश के कुल निर्यात में इनका हिस्सा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	कृषिजन्य एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात (करोड़ रु. में)	देश का कुल निर्यात (करोड़ रु. में)	कृषिजन्य एवं संबद्ध उत्पादों का निर्यात में प्रतिशत हिस्सा
1980-81	1035	6711	15.4
1985-86	1650	10895	15.1
1990-91	3189	32553	9.8
1995-96	12772.38	106464.86	12.0

(स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 1995-96 और डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता)

मूल कृषिजन्य खाद्य मदों जैसे अनाज, डेरी उत्पाद, मांस, चीनी इत्यादि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार न केवल टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं से बाधित होते हैं, बल्कि यू. एस ए., ई. ई. सी. का इत्यादि द्वारा प्रदत्त व्यापाक इमदादों से भी बाधित होते हैं।

डब्ल्यू टी ओ करार के अन्तर्गत औद्योगिकृत देशों में गैर-टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर इमदादों में कटौती करने से भारत जैसे देशों के लिए नए बाजार अवसरों के खुल जाने की आशा है ताकि देश की कुल निर्यात मात्रा में कृषिजन्य एवं संबद्ध उत्पादों का हिस्सा बढ़ाने में हम सक्षम हो सकें।

सरकार की नीति यह है कि जनसामान्य के उपभोग की वस्तुओं का निर्यात इस तरीके से करने की अनुमति दी जाए जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा से समझौता न करना पड़े। दिमाग में इस उद्देश्य को रखकर की सरकार कतिपय मदों पर लाइसेंसिंग, मात्रात्मक सीमा और न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसे प्रतिबंध लगाती है। साथ ही सरकार का यह भी उद्देश्य है कि कृषकों के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र से अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जाए।

कृषिजन्य एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें शामिल हैं निरीक्षण क्रिया-विधियों का सरलीकरण, चुनिंदा मदों पर न्यूनतम निर्यात मूल्य और गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करना, रियायती दरों पर ऋण का प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद का विकास करना, निर्यातोन्मुख इकाईयों/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई ओ यू/ई पी जेड) योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों को कृषि क्षेत्र तक बढ़ाना और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में 50 प्रतिशत की बिक्री की अनुमति देना, उन्नत पैकेजिंग के लिए निर्यातकों को सहायता देना, गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करना, ब्रांड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन और अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनों में भागीदारी।

कम्पनियों के लेखा बही का लेखा परीक्षा

3666. **श्री राम सागर** : क्या **वित्त मंत्री** "प्रसाधन सामग्रियों का साविधिक मूल्य लेखा परीक्षा" के बारे में 15 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2119 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233वी के अंतर्गत कम्पनियों के लेखा बही का लेखा परीक्षण कराने हेतु आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षो के दौरान अधिक लाभ कमाने वाले आयातो का दुरुप्रयोग करने वाली कितनी कम्पनियो के लेखा खातों का लेखा परीक्षण किया गया है; और

(घ) ऐसी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है तथा इस लेखा परीक्षा के परिणाम क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने विवरण में दिए अनुसार प्रसाधन सामग्रियों का विनिर्माण करने वाली 24 कम्पनियों की लेखा बहियों की लेखा परीक्षा करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।

(ग) उपर्युक्त लेखा परीक्षा आदेश वित्तीय वर्ष 1995-96 से सम्बन्धित है और नियमानुसार कम्पनिया इन आदेशों से सम्बन्धित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्टें 27 सितम्बर, 1996 तक प्रस्तुत कर सकती है। अत्यधिक मुनाफा कमाने या आयात यदि कोई हो, के दुरुप्रयोग सम्बन्धी ब्यौरों की जानकारी वर्ष 1995-96 की परीक्षा रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने और उनकी जाच हो जाने के बाद ही प्राप्त हो सकेगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन कम्पनियों की सूची जिनके सम्बन्ध में सरकार ने लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किया है।

1. बीन चैम इंडिया प्रा. लि.
2. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लि.
3. बुरोज वेलकम एंड कम्पनी लि.
4. कॉलगेट पामोलिव इंडिया लि.
5. कुक्स इन्टरफरेन लि.
6. डाबर (इंडिया) लि.
7. दुफार इन्टरफरेन लि.
8. गोदरेज सोपस लि.
9. एच. एम. एम. लि.
10. हेलन एंड कर्टीज लि.
11. हिंदुस्तान लिवर लि.
12. ईनफार इंडिया लि.
13. जे. बी. आडवाणी एंड कम्पनी (मैसूर) लि.
14. जे. एल. मोरिसन (इंडिया) लि.
15. जोनसन एंड जोनसन क. लि.
16. लकमे लि.
17. मारटीन एड हरीस लि.
18. मुल्लर एंड फीप्पस (इंडिया) लि.
19. पोण्डस इंडिया लि.
20. राइट एड्स (ओरियन्ट) प्रा. लि.
21. स्मीथ सताडनी स्ट्रीट एंड क. लि.
22. स्वास्तिक हाउसहोल्ड एंड इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि.
23. द कलकत्ता कैमिकल क. लि
24. टिप्पस एंड टोज काम्मेटिक्स (इंडिया) लि.

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के लिए फोरेक्स ऋण

3667. **श्री तारीक अनवर :**

डा. एम. पी. जायसवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को फोरेक्स ऋण पर प्रत्याभूति देने का है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या बहुपक्षीय संस्थाओ से विगत में मिली सभी सहायताओं पर सरकार द्वारा सार्वभौम प्रत्याभूति दी गयी थी; और

(घ)) यदि नहीं, तो सिर्फ चुनी हुई परियोजनाओं को सार्वभौम प्रत्याभूति देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से आशा की जाती है कि वे अपने वाणिज्यिक सामर्थ्य के अनुसार ऋण लें और ऐसे ऋणों को प्रत्याभूति देना सरकार की सामान्य पद्धति नहीं है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानो द्वारा बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों को जो सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, सरकारी प्रत्याभूति दी गई है क्यों कि इन सस्थाओं के चार्टर, जिसका भारत सदस्य है, में उन्हें मेजवान देश की सरकार की प्रत्याभूति के बिना किसी भी प्राधिकरण को ऋण देने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा पूंजी में वृद्धि

3668. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपनी पूंजी मे चार गुनी बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हा, तो 1996-97 के वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त बैंक की अनुमानित पूंजी कितनी है,

(ग) नाबार्ड द्वारा राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार और कर्नाटक को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त बैंक द्वारा आबंटन हेतु किन मानदण्डों का अनुपालन किया गया?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी को 5 वर्ष की अवधि में 500 करोड़ रू. से बढ़ाकर 2000 करोड़ रू. कर दिया जाएगा और वर्ष 1996-97 के दौरान इसकी शेयर पूंजी में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार क्रमशः 400 करोड़ रू. और 100 करोड़ रू. का अंशदान करेंगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की विद्यमान चूकता शेयर पूंजी 500 करोड़ रू. है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) विभिन्न राज्यों के लिए अपने पुनर्वित्त बजट में से आबंटन करता है। वर्ष 1996-97 के लिए योजनाबद्ध ऋण के लिए नाबार्ड द्वारा किये गये राज्यवार/एजेंसी-वार पुनर्वित्त आबंटन विवरण में दिए गए हैं।

(घ) योजनाबद्ध ऋण के लिए राज्य-वार पुनर्वित्त आबंटन करते समय नाबार्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं :

(i) नाबार्ड का अनुमानित ऋण संसाधन

(ii) नई योजनाओं की संभाव्यता

(iii) वर्ष के लिए चरणबद्ध की गई जारी योजनाएं।

(iv) राज्य में वर्तमान बैंकिंग क्षेत्र की खपत क्षमता।

(v) क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाने के लिए अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों, नामतः उत्तरपूर्वी और पूर्वी राज्यों को उच्चतर आबंटन किए जाते हैं।

(vi) अ.जा./अ.ज.जा. कार्य योजना और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों को आबंटन में अपेक्षित महत्व दिया जाता है।

विवरण

निष्पादन बजट 1996-97 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राज्यवार आबंटन (लाख रू.)

राज्य	सीबी	आरआरबी	एससीबी	एलडीबी	योग
1	2	3	4	5	6
चण्डीगढ़	20	0	0	0	20
एन.सी.टी दिल्ली	185	0	0	0	185
हरियाणा	925	2035	1150	13190	17300
हिमाचल प्रदेश	310	561	222	1168	2261
जम्मू व कश्मीर	80	302	266	275	923
पंजाब	1005	1326	570	15600	18501
राजस्थान	990	3628	2000	11845	18463
अरुणाचल प्रदेश	139	54	190	0	383
असम	3198	1540	305	180	5223
मणिपुर	261	35	57	84	437
मेघालय	96	153	118	0	367
मिजोरम	31	139	20	0	190
नागालैण्ड	64	26	72	0	162
त्रिपुरा	352	89	79	203	723
सिक्किम	40	0	0	0	40
बिहार	3600	2932	170	4000	10702
उड़ीसा	2600	3700	1054	2500	9854
पश्चिम बंगाल	830	4588	462	4000	9880
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	14	0	60	0	74
मध्य प्रदेश	465	4274	2556	6500	13795
उत्तर प्रदेश	2020	17106	1306	26417	46849
दादरा व नागर हवेली	20	0	0	0	20

1	2	3	4	5	6
गुजरात	1242	2008	2512	10467	16229
गोवा	41	0	177	0	218
महाराष्ट्र	1450	2811	9953	13800	28014
आंध्र प्रदेश	861	2826	2055	18500	24242
कर्नाटक	1330	6840	1600	14488	24258
लक्षद्वीप	20	0	0	0	20
केरल	1326	1519	1407	10200	14452
पांडिचेरी	8	0	30	100	138
तमिलनाडु	1767	899	4619	18000	25285
योग :	25290	59391	33010	171517	289208
अतिरिक्त आबंटन को वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्रारक्षित रखा गया।					20792
					310000

वाणिज्यिक बैंक = सी बी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक = आर आर बी

राज्य सहकारी बैंक = एस सी बी

भूमि विकास बैंक = एल डी बी

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों के निर्यात पर उपकर

3669. **श्री पी. सी. थॉमस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसालों सहित कृषि/बागवानी उत्पादों पर उपकर लगाने से उनके निर्यात पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1994 से 1996 के दौरान काली मिर्च, ओलियोरेसिंस और अन्य मसालों पर ऐसे उपकर की वसूली की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या कुछ समय के लिए ऐसे उपकर रोक दिए गए थे;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या उपकर के बगैर मसालों का निर्यात और प्रभावी हो सकता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) तथा (ख) कृषिजन्य/उद्यानोत्पादों पर उपकर लगाने से ये अलाभकारी स्थिति में आ जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन वस्तुओं के मूल्यों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

(ग) से (च) मसाला उपकर अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न मसालों पर उपकर वसूला गया जो निम्नानुसार है :-

(उपकर वसूली की अवधि)

(i) काली मिर्च (हरी मिर्च इनब्राइन को छोड़कर). केसर और मसाला तेल और आलियोरेजिन — 1.10.94 से 5.10.94

(ii) इलायची — 1.4.94 से 30.11.95

(iii) अन्य मसाले — 1.4.94 से 31.3.96

काली मिर्च (हरी मिर्च इनब्राइन को छोड़कर) केसर, मसाला तेल तथा ओलियोरेजिन पर उपकर लगाना 1.8.96 से बन्द कर दिया गया है।

(छ) तथा (ज) मसालों का निर्यात उपकर लगाने के अलावा अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इन कारकों में शामिल हैः अंतर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतें, उत्पाद की गुणवत्ता और अन्य व्यापार-शर्तें।

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के लिए एम. ओ. यू. प्रणाली

3670. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत सरकारी क्षेत्र के उन सभी रूग्ण उद्यमों को शामिल किया जायेगा, जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन मण्डल को नहीं सौंपा गया है।

(ख) वर्ष 1996-97 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सरकारी क्षेत्र के 14 रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों का निर्धारण किया गया है। इन उपक्रमों की सूची विवरण में दी गयी है। दिल्ली परिवहन निगम को 1.8.1996 से राज्य सरकार को अंतरित कर दिया गया है। समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को शामिल करने के कारण इस प्रकार हैं -

i) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के प्रबन्धन का ध्यान सभी सम्बन्धित कारकों पर एक व्यवस्थित प्राथमिकता क्रम में आकृष्ट करना।

ii) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार पैकेज का आधार व्यापक बनाना और इस प्रकार पुनरूद्धार पैकेज की सफलता में वृद्धि करना।

(ग) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के रूप में निर्धारित इन उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया जारी है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए निर्धारित रूग्ण सरकारी उद्यमों की सूची

1. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनूफैक्चरिंग कारपो. ऑफ इण्डिया लि
2. भारत लेदर कारपोरेशन लि
3. केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि
4. दिल्ली परिवहन निगम
5. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि.
6. हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन कारपो लि
7. हुगली डॉक पोर्ट इंजीनियर्स लि
8. भारतीय सड़क निर्माण निगम लि
9. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
10. जूट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि
11. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
12. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि
13. राष्ट्रीय बीज निगम लि
14. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कपनी लि

रूग्ण सरकारी उपक्रमों के पुनरूद्धार में अनिवासी भारतीयों की भागीदारी

3671. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने रूग्ण सरकारी उपक्रमों के पुनरूद्धार में भागीदारी की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) एवं (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास दर

3672. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में औद्योगिक विकास दर के कम होने की सभावना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारत सरकार का यह प्रयत्न है कि औद्योगक वृद्धि की वार्षिक दर 12 प्रतिशत पर बनाई रखी जाए। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार पूंजी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अन्तर्वाह को बढ़ावा दे रही है तथा विनियंत्रण करने व विनियमों को हटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं।

[अनुवाद]

अलजीरिया के साथ व्यापार

3673. **श्री उत्तम सिंह पवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अलजीरिया को गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अलजीरिया को निर्यात में वृद्धि की अधिक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) एक विवरण है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत अल्जीरिया संयुक्त आयोग का अगला सत्र जिसे शीघ्र ही बुलाए जाने की संभावना है, में द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से अल्जीरिया को निर्यात की गई मदों का विस्तृत विवरण

(मूल्य करोड़ रु. में)

		1993-94	1994-95	1995-96
1.	तिल और राम तिल	0.04	0.78	2.30
2.	रसायन और संबद्ध उत्पाद	5.33	1.13	3.86
3.	इंजीनियरी सामान	40.90	5.93	3.41
4.	सूती धागा, फेब्रिक्स, मेड-अप्स	0.17	0.60	9.97
5.	मानव निर्मित यार्न, फैब्रिक्स मेड-अप्स	0.56	1.53	6.49
6.	गेहूं	-	10.64	-
7.	अविनिर्मित तम्बाकू	28.08	-	-
8.	इलैक्ट्रानिक्स वस्तुएं	10.08	-	-
9.	अन्य	2.67	1.41	2.82
		87.83	22.02	28.85

कालीकट हवाई अड्डे पर जब्त किया गया सोना और चांदी

3674. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का अवैध सोना और चांदी जब्त किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर कितने मूल्य की अन्य अवैध वस्तुएं जब्त की गई; और

(ग) सरकार द्वारा कालीकट हवाई अड्डे से तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर जब्त किए गए सोने और चांदी की मात्रा और उनके मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(अ) सोना :

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1993-94	45.25	199.00
1994-95	23.31	107.70
1995-96	43.37	213.30

(ब) चांदी

वर्ष	मात्रा (कि.ग्रा. में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1993-94	203.00	14.00
1994-95	शून्य	शून्य
1995-96	शून्य	शून्य

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट हवाई अड्डे पर जब्त की गई निषिद्ध वस्तुओं (सोने तथा चांदी को छोड़कर) के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

अन्य निषिद्ध वस्तुएं

वर्ष	मूल्य (लाख रुपयों में)
1993-94	58.00
1994-95	76.50
1995-96	124.00

(ग) कालीकट हवाई अड्डे पर तस्करी रोकने के लिए किए गए उपायों में हवाई अड्डे के संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखना, आसूचना एकत्र करने और जांच-पड़ताल संबंधी कार्यों में तेजी लाना, असबाब एक्सरे मशीनों और धातु खोजी यंत्रों जैसे अत्याधुनिक उपस्करों का अधिकाधिक उपयोग करना शामिल है। तस्करी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के कार्य में लगी सभी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी बनाए रखा जाता है।

बंगलौर में एम. आर. टी. पी. सी. पीठ की स्थापना

3675. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मामले के शीघ्र निपटारे हेतु राज्यों में एम. आर. टी. पी. सी. पीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को बंगलौर में एम. आर. टी. पी. सी. पीठ स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हा, तो उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास कब से लंबित है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है;

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को एम. आर. टी. पी. आयोग के क्षेत्रीय पीठ स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक प्रस्ताव बंगलौर के लिए भी है। तथापि दिल्ली के बाहर नियमित क्षेत्रीय पीठों को स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के द्वारा एम आर टी पी आयोग को अधिनिमय के अन्तर्गत पहले से ही इसको प्राप्त शक्तियों या कार्यो का प्रयोग करने के लिए इसकी बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित किए जाने की अनुमति प्राप्त हैं। वस्तुतः आयोग आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें दिल्ली के बाहर भी आयोजित कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एम. एम. टी. सी. द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश

3676. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 12 जुलाई, 1996 के दी फाइनेन्शियल एक्सप्रेस नई दिल्ली संस्करण में "रुपीज 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन निल मिनिस्टरी बाईपास सी. सी. ई. ए., पी. आई. बी. क्लिअर्स एम. एम. टी. सी. प्रपोजल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी. सी. ई. ए) तथा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी. आई. बी) से संयुक्त उद्यमों में इक्विटी भागीदारी के लिए 100 करोड़ रुपये के निवेश के किसी प्रस्ताव को अनुमति देने के पूर्व, सरकार द्वारा इस प्रकार की स्वीकृति की परिवंचना करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की प्रमुख व्यापारिक कम्पनियों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वे मंत्रालय की अनुमति से संयुक्त उद्यमों में भाग ले सकती हैं। ये संयुक्त उद्यम संबंधित सरकारी क्षेत्र उद्यम के निर्यात क्षेत्र की विनिर्माण मदों के क्षेत्र में होने चाहिए। भागीदारी अल्पांश के आधार पर और कुल इक्विटी के 26 प्रतिशत के भीतर होगी। तद्नुसार प्रदत्त शक्तियों के तहत एम एम टी सी को नीलाचल इस्पात निगम लि. में 20 करोड़ रु. का निवेश करने की अनुमति दी गयी है।

रूग्ण जूट मिलें

3677. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में बहुत सी जूट मिलें रूग्ण पड़ी हैं तथा इनसे हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में इन रूग्ण मिलों से कितनी हानि हुई; और

(ग) इन रूग्ण मिलों के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सरकार ने रूग्ण औद्योगिक कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने तथा उनके पुनरूद्धार के लिए यथाउपयुक्त योजनाओं को तैयार तथा स्वीकृत करने के लिए बी आई एफ आर की स्थापना की है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में रूग्ण पटसन मिलों द्वारा उठाए गए घाटे निम्नानुसार हैं :-

	लाभ /	(-) घाटा	(लाख रु. में)
	1992-93	1993-94	1994-95
1. अगरपारा	7.33	(-) 87.94	(-) 109.14
2. अनोलो-इंडिया	-	(-) 1773.80	1038.04
3. अंगस	(-) 522.72	N.A.	N.A.
4. बज-बज	9.96	(-) 0.10	N.A.
5. कलकत्ता	(-) 23.31	(-) 38.64	(-) 30.09
6. कलिडोनियन	(-) 82.46	(-) 106.74	(-) 214.70
7. डलहौजी	335.82	374.91	290.42
8. फोर्ट विलियम	(-) 12.13	(-) 27.21	71.47
9. गंगस	(-) 733.90	(-) 16.05	(-) 23.50
10. गौरपुर	6.30	4.59	(-) 17.84
11. हावडा	28.35	48.70	152.94
12. इंडिया	(-) 63.90	47.25	(-) 49.92
13. कमर हट्टी	(-) 145.82	(-) 37.78	9.80
14. कनकिनोरा	45.00	65.59	42.10
15. कनोरिया	N.A.	N.A.	N.A.
16. कालविन	18.38	(-) 52.00	(-) 97.54
17. मेगना	(-) 148.44	N.A.	N.A.
18. नफर चन्द्र	77.20	64.70	100.65
19. नथाली	171.62	(-) 63.95	39.51
20. नेशनल	(-) 263.40	N.A.	N.A.
21. एलेक्जेन्ड्रा	(-) 621.34	(-) 797.42	N.A.
22. खारदा	(-) 772.04	(-) 884.17	N.A.
23. किन्नीसन	(-) 1052.20	(-) 1341.00	N.A.
24. यूनियन	(-) 456.64	(-) 641.00	N.A.
25. न्यू सेंट्रल	(-) 316.71	(-) 1124.90	(-) 1525.49
26. नदिइया	0.30	0.23	N.A.
27. प्रर्वतक	15.43	(-) 27.41	3.12
28. श्री गौरीशंकर	27.73	3.23	(-) 174.10
29. नश्तन	(-) 57.72	(-) 25.07	(-) 5,51
30. इम्पिरि	(-) 5.48	34.73	N.A.
31. प्रेम चन्द	N.A.	N.A.	N.A.

32 टीटागढ़	N.A.	N.A	N.A.
33. नाथब्रक	0.02	(-) 109.86	N.A.
34. बरनगिरी	N.A.	N.A.	N.A.
35. विक्टोरिया	N.A	N.A.	N.A.
36. समनिग्गर	N.A.	N.A	N.A.
37. श्री हनुमान	(-) 44.04	(-) 14.53	1.61

N.A - उपलब्ध नहीं

कोयले की कमी

3678. **श्री मोहन रावले :**

श्री कृष्णलाल शर्मा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से अनुमानतः कितना कोयला उपलब्ध होगा;

(ख) इसी अवधि के दौरान मांग की तुलना में इसके कितने कम रहने की संभावना है; और

(ग) देश में कोयले की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्ष 1996-97 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों से कोयले की उपलब्धता 284.20 मि. टन होने का अनुमान है।

(ख) योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 1996-97 के दौरान कोयले की मांग तथा घरेलू उपलब्धता के बीच अंतराल 34.35 मि. टन. होने की संभावना है।

(ग) कोयले की देशीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(i) नयी खानों को खोला जाना तथा आधुनिकीकरण, नये प्रौद्योगिकियों को प्रयोग में लाकर तथा आगतों एवं संरचनात्मक ढांचे की सुविधाओं को समय से उपलब्धता सुनिश्चित करके विद्यमान खानों की कार्यक्षमता तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना।

(ii) कोयले की कीमतों को आंशिक रूप से विनियमन से कोयला कंपनियों द्वारा आंतरिक संसाधनों में सुधार करने की संभावना है, जिससे उन्हें नयी परियोजनाओं को शुरू करने में सहायता मिलेगी। इससे नयी खनन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता में भी सुधार आएगा।

(iii) कोल इंडिया लि. की पूंजीगत आधार का पुनर्निर्माण किया गया है, जिससे कि पूंजीगत बाजार से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त किया जा सके, जो कि नयी कोयला उत्पादन क्षमता को विकसित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

(iv) रेलवे के सहयोग से आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे कि ऐसे कोयला क्षेत्रों में जहां उत्पादन वृद्धि की संभावना है, वहां परिवहन संबंधी कठिनाईयों को दूर किया जा सके।

(v) भूमि अधिग्रहण संबंधित कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(vi) निजी क्षेत्र कंपनियों जो कि लौह तथा इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत उत्पादन में संलग्न है, उन्हें ग्रहीत उपभोग के लिए कोयले का खनन शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इससे कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

3679. **श्री एन. एस. वी. चित्तन :**

श्री ई. अहमद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आज तक प्रत्येक राज्य विशेषतः तमिलनाडु और केरल को अपनी विभिन्न योजनाओं हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की धनराशि क्या थी;

(ख) क्या भूतकाल में हाल ही में तमिलनाडु तथा केरल में कोई नई योजना शुरू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता देने में कौन से मानदण्डों का पालन किया गया; और

(ङ) राज्यवार राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है जो इस समय जीवन बीमा निगम के पास लम्बित हैं तथा इस पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के बीच के वर्षों के संबंध में अपेक्षित सूचना विवरण-I से IV में दी गयी है।

(ख) से (घ) जीवन बीमा निगम तमिलनाडु और केरल सहित विभिन्न राज्यों को योजना आयोग द्वारा किए गए आवंटनों के अनुसार ऋण देता है जिसमें निगम द्वारा गठित निवेश समिति द्वारा निर्धारित किए गए पैरामीटरों के अनुसार जीवन बीमा निगम पर यथा व्यवहार्य बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27 (क) के उपबंधों को ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) जीवन बीमा निगम को योजना आयोग से चालू वित्तीय वर्ष के लिए विभिन्न एजेंसियों को जीवन बीमा निगम के ऋणों के राज्यवार आवंटन प्राप्त हुए हैं। निवेश समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित एजेंसियों द्वारा मानदंडों/अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ही ऋण स्वीकृत/संवितरित किए जाएंगे।

विवरण-I

भारतीय जीवन बीमा निगम

वर्ष 1993-94 के दौरान किए गए सकल निवेश

(करोड़ रुपए में)

राज्य	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	भूमि विकास बैंक दस्तावेज	विद्युत बोर्ड बांड	वित्तीय निगम बांड व शेयर	नगर पालिकाएं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	राज्य सरकार आवास के लिए	सहकारी आवास समितियां	नगर पालि-काएं	राज्य सरकार जलापूर्ति आदि के लिए	जिला परिषद	विद्युत बोर्ड	औद्योगिक घराने	चीनी सहकारी समितियां	राज्य सड़क परिवहन निगम	कंपनियों को मियादी ऋण	कंपनियों को अल्पा-वधि ऋण	मध्यावधि ऋण	ऋण पत्र	अधिमान्य शेयर	इक्विटी शेयर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
अरुणाचल प्रदेश	2.00																				2.00
आंध्र प्रदेश	84.00	4.57		4.00		28.25	14.10	3.92			68.95				1.18	4.50		6.72	0.08	4.81	225.08
असम	20.74														3.39			2.18		4.44	30.75
बिहार	87.83										26.92				0.22			5.16	0.37	59.34	179.84
चण्डीगढ़							0.50														0.50
दिल्ली															19.95	1.70		107.49		1.03	130.17
दमन																					0.00
गोवा	3.00					0.66	3.00	4.11		1.96											12.73
गुजरात	26.00	4.95	12.00	3.00		9.20	0.52	1.52		11.45	32.27			7.40	13.38	1.35		68.53		40.87	232.44
हरियाणा	8.00	1.18	8.00				8.00				27.54							4.78		1.55	59.05
हिमाचल प्रदेश	8.00	0.53		1.00		1.14					4.35							0.18			15.20
जम्मू एवं कश्मीर	9.00	0.20				3.26	3.00														15.46
कर्नाटक	23.00	6.90		3.00	1	19.86	4.00	8.25			37.40			6.10	1.78			16.04	0.10	18.01	144.44
केरल	43.00	6.48		2.50		22.00	15.00	6.87		5.43	18.79							0.62		0.32	118.01
मध्य प्रदेश	38.68	0.80	30.00	3.00		6.94	6.00	5.41			52.02			2.50	0.28			8.70		7.32	161.65
महाराष्ट्र	20.29	3.50	22.00	4.00		0.91	25.00	31.13		12.75	42.13	0.05		6.81	38.65	16.50		70.57		99.31	393.60
मणीपुर	4.94					0.75															5.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मेघालय	4.01																				4.01
मिजोरम	1.00																				1.00
नागालैंड	6.00																				6.00
उड़ीसा	73.00					8.66	7.00				41.28				7.72			8.60		4.96	151.22
पांडिचेरी		0.10													0.24						0.34
पंजाब	0.79	5.00	5.00				14.00				19.76				1.38			7.20		5.30	58.43
राजस्थान	60.00	1.40	17.00			5.11		8.33			42.06				3.94	2.50		19.62		4.88	164.84
सिक्किम	2.00					0.40															2.40
तमिलनाडु	45.18	2.00	10.00	4.50		18.41	25.00	11.46		27.29	61.84				2.50	5.00		11.84		18.35	243.37
त्रिपुरा	4.00					3.72															7.72
उत्तर प्रदेश	144.45			2.00		10.71	10.00				127.08			7.77	4.90	3.50		18.10		5.89	334.40
प. बंगाल	65.00		12.00	2.00		17.32		0.43			41.97				1.92	10.50		42.35		10.96	204.45
जोड़ :	783.91	37.61	116.00	29.00	0.00	157.30	135.12	81.43	0.00	58.88	641.36	0.05	0.00	30.58	101.43	45.55	0.00	398.68	0.55	287.34	2904.79

विवरण-II

भारतीय जीवन बीमा निगम

वर्ष 1994-95 के दौरान किए गए सकल निवेश

(करोड़ रुपए में)

राज्य	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	भूमि विकास बैंक दस्तावेज	विद्युत बोर्ड बांड	वित्तीय निगम बांड व शेयर	नगर पालिकाएं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	राज्य सरकार आवास के लिए	सहकारी आवास समितियां	नगर पालि-काएं	राज्य सरकार जलापूर्ति आदि के लिए	जिला परिषद	विद्युत बोर्ड	औद्योगिक घराने	चीनी सहकारी समितियां	राज्य सड़क परिवहन निगम	कंपनियों को मियादी ऋण	कंपनियों को अल्पावधि ऋण	मध्यावधि ऋण	ऋण पत्र	अधिमान्य शेयर	इक्विटी शेयर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
अंडमान									0.62												0.62
अरुणाचल प्रदेश	1.00																				1.00
आंध्र प्रदेश	70.43	3.20				32.15	13.90	3.65			41.57				10.95					9.61	189.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
असम	17.51			1.00		2.27															1.00
बिहार	89.79										27.86				10.95			3.80		9.61	189.26
चण्डीगढ़															0.62				1.00	75.48	97.88
दिल्ली															4.50	0.50		8.00		14.84	145.50
दमन															0.74	2.50		377.51		68.59	449.34
गोवा	1.00					0.72	3.00		4.29											0.62	9.63
गुजरात	20.01	6.95		6.00		11.88	10.00	0.72		11.02	35.38			8.11	8.61	17.00		3.92		216.22	355.82
हरियाणा	20.00	5.50					8.00				27.54				1.80	4.00				3.23	70.07
हिमाचल प्रदेश	5.00	0.60		0.50		1.48					5.63				1.20			1.50			15.91
जम्मू एवं कश्मीर	12.00			6.00		3.26	2.00				3.50										26.76
कर्नाटक	40.00	4.65		3.00		41.05	4.00	10.39			40.13			6.55	8.40			8.14		36.34	202.65
केरल	22.60	4.05		3.00		25.21	15.00	9.50		12.02	18.10				3.50	2.00		0.82		25.25	141.05
मध्य प्रदेश	90.00	3.26		6.50		7.54	8.00	9.84			34.78			3.26	5.00			27.13		7.25	202.56
महाराष्ट्र	40.04	2.38		3.50			16.00	19.52		1.28	48.38			7.82	10.66	58.50		151.68		352.18	711.94
मणीपुर	3.00					0.81		1.15													4.96
मेघालय	1.00																				1.00
मिज़ोरम	2.00																				4.55
नागालैंड	5.00																				5.00
उड़ीसा	55.00			9.00		9.17	4.00				22.54				4.87	6.00		0.10		5.01	115.69
पाण्डिचेरी							2.00														2.00
पंजाब	15.67	7.68					14.00				19.76				2.72	1.00		3.03		22.59	86.45
राजस्थान	60.00	120		4.00		6.44		7.72			83.04				5.30	5.50		10.97		23.52	207.69
सिक्किम	4.00																				4.00
तमिलनाडु	50.07	0.56		8.00		20.71	30.00	12.07		31.52	75.82					2.50		41.06		50.13	322.44
त्रिपुरा	4.00					3.72															7.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
उत्तर प्रदेश	95.00			15.00		18.54	10.00				320.54			8.55	32.10	2.00		25.51		129.74	656.98
प. बंगाल	74.55			5.00							41.97				3.16	4.80		4.49		74.45	208.42
जोड़	798.67	40.03		70.50		184.95	139.90	74.56	7.46	55.84	346.34			34.29	99.13	111.30		667.66	1.00	1115.06	4246.89

विवरण-III

भारतीय जीवन बीमा निगम

वर्ष 1995-96 के दौरान किए गए सकल निवेश

(करोड़ रुपए में)

राज्य	राज्य सरकार की प्रति-भूतियां	भूमि विकास बैंक दस्तावेज	विद्युत बोर्ड बांड	वित्तीय निगम बांड व शेयर	नगर पालिकाएं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	राज्य सरकार आवास के लिए	सहकारी आवास समितियां	नगर पालि-काएं	राज्य सरकार जलापूर्ति आदि के लिए	जिला परिषद	विद्युत बोर्ड	ओद्योगिक घराने	चीनी सहकारी समितियां	राज्य सड़क परिवहन निगम	कंपनियों को मियादी ऋण	कंपनियों को अल्पा-वधि ऋण	मध्यावधि ऋण	ऋण पत्र	अधिमान्य शेयर	इक्विटी शेयर	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
अंडमान	1.00																				1.00
अरुणाचल प्रदेश																					
आंध्र प्रदेश	100.00	4.00		3.00		50.44	12.00	3.84			48.88			13.76	19.85	5.00		5.91		9.11	272.00
असम	30.00										8.79					2.00		0.75		16.24	57.78
बिहार	84.00										30.50				2.00	2.00		6.00	0.68	7.44	132.52
चण्डीगढ़																					
दिल्ली																21.75		465.31		119.20	606.26
दमन																					
गोवा						0.37	4.00	2.96		2.28										0.16	9.77
गुजरात	20.00	2.80		5.00		15.03					74.22			15.95	27.92	23.00		59.71		59.05	302.68
हरियाणा	20.00	7.58		2.00			10.00				30.70				0.90	5.00				3.25	79.43
हिमाचल प्रदेश	3.00	0.27		1.50		4.00					15.52					1.00					25.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
जम्मू एवं कश्मीर	20.00			3.00		4.00					4.78							12.00			43.78
कर्नाटक	35.00	6.95		5.00		25.06	5.00	8.00			44.35			14.65	9.22	5.00		135.50		33.94	327.67
केरल	55.00	3.98		6.00		27.28	16.00	14.23		6.04	40.30							2.71		11.01	182.55
मध्य प्रदेश	85.00	3.00		5.00		9.42	9.00	9.54			73.48			2.54	28.52	3.00		2.90		8.68	243.92
महाराष्ट्र	28.00	1.21		5.00			16.00	17.29		1.90	62.89			18.90	40.44	88.00		584.14		240.24	1099.01
मणीपुर	2.00																	5.58			7.58
मेघालय	6.00																				6.00
मिज़ोरम	4.00								2.86												8.86
नागालैंड	13.00								2.76		27.00										15.76
उड़ीसा	87.00			8.00		5.00	5.00				23.91			6.70	8.00			10.00		21.41	173.11
पांडिचेरी							2.00				59.38										2.00
पंजाब	29.00	6.30		3.00			15.00													11.60	88.81
राजस्थान	72.00	2.28		4.00		7.21		7.73		34.92	80.22				1.50	4.00		32.00		15.73	205.63
सिक्किम	7.00					0.38															7.38
तमिलनाडु	21.27			8.00		22.31	16.00	14.02							4.90	2.00		36.18		28.69	268.51
त्रिपुरा	2.00					5.34												3.00			10.34
उत्तर प्रदेश	156.01			13.00		28.81	10.00							9.36	31.18	12.00		62.90		27.12	350.38
प. बंगाल	70.00			4.00							50.08				0.86	36.75		40.02		43.13	244.84
जोड़ :	950.33	38.37		75.00		204.65	120.00		5.62	45.14	675.00	-	-	70.16	173.99	218.50	-	1466.34	0.68	656.00	4777.72

विवरण-IV

वर्ष 1996-97 (24.8.1996 तक) के दौरान किए गए सकल निवेश

(करोड़ रुपए में)

राज्य	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	सहकारी आवास समितियां	नगर पालिकाएं	जिला परिषद	जोड़
1	2	3	4	5	6
अंडमान	–	–	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश	2.00	–	–	–	2.00
आंध्र प्रदेश	92.00	7.00	–	–	99.00
आसाम	42.00	–	–	–	42.00
बिहार	97.00	–	–	–	97.00
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
दिल्ली	–	–	–	–	–
दमन	–	–	–	–	–
गोवा	3.00	4.00	–	–	7.00
गुजरात	3.00	–	–	–	3.00
हरियाणा	23.00	5.00	–	–	28.00
हिमाचल प्रदेश	10.00	–	–	–	10.00
जम्मू एवं कश्मीर	19.50	–	–	–	19.50
कर्नाटक	28.00	–	–	–	28.00
केरल	68.00	–	–	–	68.00
मध्य प्रदेश	96.00	–	4.15	–	100.15
महाराष्ट्र	55.00	–	1.04	5.52	61.56
मणीपुर	6.00	–	–	–	6.00
मेघालय	6.00	–	–	–	6.00
मिजोरम	4.00	–	–	–	4.00
नागालैंड	13.00	–	–	–	13.00
उड़ीसा	72.50	4.00	–	–	76.00
पांडिचेरी	–	–	–	–	–
पंजाब	31.00	–	–	–	31.00
राजस्थान	88.00	–	6.25	–	94.25
सिक्किम	10.00	–	–	–	10.00
तमिलनाडु	30.00	9.00	–	–	39.00
त्रिपुरा	6.00	–	–	–	6.00

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	120.00	5.00	—	—	125.00
प. बंगाल	75.00	—	—	—	75.00
जोड़ :	1000.00	34.00	11.44	5.52	1050.96

हावड़ा में उद्योगों का बंद और रूग्ण होना

3680. **श्री पी. आर. दास मुंशी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिला पिछले एक दशक से छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों के बंद और रूग्ण हो जाने के कारण संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो जी. के. डब्लू. की कुल महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे इंडियन मशीनरी, हाड़ा इल्स और के शैंकी डिविजन की पुनरूद्धार पैकेज योजना क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3681. **डा. एम. पी. जायसवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यरत उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्हें रूग्ण पाया गया है;

(ग) क्या सरकार का इन रूग्ण उपक्रमों का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 31.3.1995 तक की अवधि की ही जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उपक्रम थे। इन उपक्रमों के नाम तथा राज्यवार इनकी अवस्थिति का ब्यौरा 19.7.1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 के खंड-1 की विवरण पृष्ठ संख्या 217 से 223 तक पर दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 57 औद्योगिक उपक्रम तथा 26 गैर-औद्योगिक उपक्रम रूग्ण हैं। इनका ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) औद्योगिक रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन के संबंध में पैकेज तैयार करने हेतु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल को सौंप दिया गया है। रूग्ण गैर-औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंधन अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से पुनरूद्धार पैकेज तैयार करते हैं।

विवरण-I

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल में पंजीकृत रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों की सूची

क्र.सं.	उद्यम का नाम
1	2
1.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्माम्युटिकल्स लि.
2.	बंगाल इम्युनिटी लि.
3.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि.
4.	भारत कोकिंग कोल लि.
5.	भारत गोल्ड माइन्स लि.
6.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.
7.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
8.	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लि.
9.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.
10.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.
11.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.
12.	बीको लारी लि.
13.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
14.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि.
15.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि.
16.	भारतीय साईकिल निगम लि.
17.	दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि.
18.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.
19.	भारतीय उर्वरक निगम लि.
20.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
21.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.
22.	हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.

1	2
23.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु कारपो. लि.
24.	इस्को उज्जैन पाईप एंड फाउण्ड्री कंपनी लि.
25.	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इन्सुलेशन कंपनी लि.
26.	इण्डियन ड्रग्स एंड फार्माम्युटिकल्स लि.
27.	इण्डिय आयरन एंड स्टील कंपनी लि.
28.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.
29.	जेसप एंड कंपनी लि.
30.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.
31.	माइका ट्रेडिंग कारपो. इंडिया लि.
32.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
33.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.
34.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि.
35.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि.
36.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
37.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं मोहे) लि.
38.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
39.	नेटेका (गुजरात) लि.
40.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.
41.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
42.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
43.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
44.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि.
45.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि.
46.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
47.	आर. बी. एल. लि.
48.	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.
49.	स्कूटर्स इंडिया लि.
50.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्माम्युटिकल्स लि.
51.	सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि.
52.	टेनरी एंड फुटवियर कारपो. ऑफ इंडिया लि.
53.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.
54.	टायर कारपो. आफ इंडिया लि.
55.	यू.पी. ड्रग्स एंड फार्माम्युटिकल्स लि.
56.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि.
57.	वेबर्ड इंडिया लि.

विवरण-II

31.3.1995 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण विनिर्माणकारी/सेवा प्रदायी उद्यमों की सूची

क्र.सं.	उद्यम का नाम
1.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपो. आफ इंडिया
2.	असम अशोक होटल कारपो. लि.
3.	भारत लेदर कारपो. लि.
4.	बर्ड्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि.
5.	ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रकशन लि.
6.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.
7.	दिल्ली परिवहन निगम
8.	इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कारपो. लि.
9.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
10.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.
11.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
12.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
13.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
14.	भारतीय होटल निगम लि.
15.	इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो. लि.
16.	जूट कारपो. आफ इंडिया लि.
17.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
18.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
19.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
20.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.
21.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
22.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
23.	स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जीएमबीएच पश्चिम जर्मनी
24.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.
25.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.
26.	वायुदूत

एच. ई. सी. में वित्तीय संकट

3682. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच.ई.सी.) रांची को काफी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) एच.ई.सी. को इस समस्या से उबरने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) और (ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. (एच. ई. सी.), रांची को पिछले काफी समय से निरन्तर हो रहे घाटे के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) सरकार अपने बजटीय सीमितता के अन्दर ही कंपनी को वित्तीय सहायता दे रही है।

जालंधर में बैंक खोलना

3683. **श्री दरबारा सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाब में कई शहरी गांवों में विशेष रूप से जालंधर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई शाखा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का शहरी गांवों विशेष रूप से जालंधर जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31.12.1995 की स्थिति के अनुसार, पंजाब में ग्रामीण केन्द्रों पर विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की 728 शाखाएं हैं, जिनमें से 125 शाखाएं जालंधर जिले में हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, ग्रामीण केन्द्रों पर शाखाएं खोलने का निर्णय बैंकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन स्वयं लेना होता है:

i) केन्द्र, आवेदक बैंक के सेवा क्षेत्र में होना चाहिए और

ii) प्रस्ताव की सिफारिश, राज्य सरकार के संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा की गई हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि अभी तक ओरियंटल बैंक आफ कामर्स तथा पंजाब एंड सिंध बैंक को जालंधर जिले में क्रमशः 5 ग्रामीण शाखाएं तथा एक ग्रामीण शाखा खोलने की अनुमति दी गई है जिन्हें अभी खोला जाना है।

गैर-सरकारी बैंक

3684. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने गैर-सरकारी बैंक काम कर रहे हैं तथा ये कहां-कहां स्थित है;

(ख) इस समय इनके द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है तथा इनके पास कुल जमाराशि कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इन बैंकों को बैंकवार कितना लाभ हुआ तथा उन्हें कितनी हानि हुई; और

(घ) कितने बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं को खोलने हेतु आवेदन किया गया है तथा इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस समय निजी क्षेत्र में 37 बैंक कार्य कर रहे हैं। रिजर्व बैंक द्वारा सूचित उनकी पूंजी, जमाराशियों और लाभ के विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आरबीआई के अनुसार, निजी क्षेत्र के तीन बैंकों ने 22 केन्द्रों पर अपनी शाखाएं खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं। इन पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पूंजी, जमाराशियों और लाभ/हानि के ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.स.	बैंक का नाम	पूंजी	जमाराशियां	लाभ/हानि 1994	1995	1996
		31.3.96 की तिथि अनुसार				
1	2	3	4	5	6	7
1	बैंक आफ मदुरा लि., मद्रास (तमिलनाडु)	11.61	1548.42	2.55	33.69	11.13

1	2	3	4	5	6	7
2.	बैंक आफ राजस्थान लि., उदयपुर (राजस्थान)	17.94	2506.82	15.09	49.63	46.65
3.	बरेली कारपोरेशन बैंक लि., बरेली (उ.प्र.)	5.16	257.44	(-1.31)	(-0.52)	(-2.27)
4.	बनारस स्टेट बैंक लि., वाराणसी (उ.प्र.)	*	*	(-13.06)	(-9.95)	*
5.	भारत ओवरसीज बैंक लि., मद्रास (तमिलनाडु)	5.25	684.46	3.89	5.82	9.51
6.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि., त्रिचूर (केरल)	5.40	1368.72	6.34	4.47	0.37
7.	धनलक्ष्मी बैंक लि., त्रिचूर (केरल)	22.51	706.73	1.47	4.42	4.72
8	फेडरल बैंक लि., अलवायी (केरल)	16.87	3697.16	17.86	43.30	45.19
9.	जम्मू व कश्मीर बैंक लि., श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	*	*	12.51	15.98	*
10.	कर्नाटक बैंक लि., मेंगलौर (कर्नाटक)	13.46	1855.31	8.13	12.58	25.24
11.	करूर वैश्य बैंक लि., करूर (तमिलनाडु)	5.96	1158.80	11.22	23.06	32.24
12.	सिटी यूनियन बैंक लि., कुम्बाकोनम (तमिलनाडु)	5.40	572.04	2.20	5.82	9.54
13.	लक्ष्मी विलास बैंक लि., करूर (तमिलनाडु)	11.35	913.13	4.27	18.32	10.00
14.	लार्ड कृष्णा बैंक लि., कोचीन (केरल)	*	*	1.90	4.14	*
15.	नैनीताल बैंक लि., नैनीताल (उ.प्र.)	1.00	211.24	0.27	0.46	0.64
16.	नेडनगडी बैंक लि., कालीकट (केरल)	10.96	465.69	0.22	1.25	1.89
17.	पंजाब कोपरेटिव बैंक लि., नई दिल्ली	*	*	(-0.67)	0.18	3.23
18.	रत्नाकर बैंक लि., कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	1.50	174.47	0.85	1.06	1.22
19.	सांगली बैंक लि., सांगली (महाराष्ट्र)	6.48	823.42	1.89	1.52	1.23
20.	साउथ इंडियन बैंक लि., त्रिसूर (केरल)	14.16	1723.88	10.65	14.80	4.62
21.	एसबीआई कामर्शियल व इंटरनेशनल बैंक लि., मुम्बई (महा.)	50.80	254.53	4.74	(-36.40)	13.82
22.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि., तूतीकोरीन (तमिलनाडु)	*	*	10.36	16.83	*
23.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि., सतारा (महाराष्ट्र)	29.89	1622.98	3.86	10.23	14.06
24.	वैश्य बैंक लि., बेंगलौर (कनार्टक)	9.97	4308.77	30.84	101.28	105.11
25.	सिक्किम बैंक लि., गंगटोक (सिक्किम)	2.99	15.41	-	0.02	0.28
26.	गणेश बैंक आफ कुरून्दवाद लि., कुरून्दवाद (महाराष्ट्र)	0.03	48.34	0.15	0.12	0.11
27.	यूटीआई बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात)	*	*	-	5.98	*
28.	इन्दुज इंड बैंक लि., पुणे (महाराष्ट्र)	*	*	-	21.83	*
29.	आईसीआई सीआई बैंकिंग कारपोरेशन लि. बडौदा (गुजरात)	150.00	727.95	-	1.98	16.51
30.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि., सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	184.08	1324.30	-	14.17	40.36
31.	एचडीएफसी बैंक लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	200.00	685.78	-	0.80	20.28

1	2	3	4	5	6	7
32.	सेंचुरियन बैंक लि., पंजिम (गोवा)	101.25	215.27	-	1.01	9.64
33.	बैंक आफ पंजाब लि., चंडीगढ़ (पंजाब)	105.00	278.29	-	0.12	13.36
34.	टाइम्स बैंक लि., फरीदाबाद (हरियाणा)	108.00	355.72	-	1.87	7.61
35.	आईडीबीआई बैंक लि., इंदौर (म.प्र.)	100.00	12.31	-	0.03	0.93
36.	डेवलपमेंट एंड क्रेडिट बैंक लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	16.56	688.50	-	-	21.38
37.	द बारी दोआब बैंक लि., होशियारपुर (पंजाब)	*	*	*	*	*

* तुलनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

गुवाहाटी में चाय नीलाम केन्द्र का आधुनिकीकरण

3685. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार कारोबार को बढ़ाने के लिए गुवाहाटी स्थित चाय नीलाम केन्द्र का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) गुवाहाटी में चाय नीलामी केन्द्र का आधुनिकीकरण एक सतत् प्रकिया है। गुवाहाटी चाय नीलामी केन्द्र का नीलामी हाल सितम्बर, 1995 में आधुनिक और पूरी तरह वातानुकूलित कर दिया गया है। क्रेताओं और विक्रेताओं को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीलामी केन्द्र का सांख्यिकी विभाग भी अप्रैल, 1996 में पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करना

3686. **श्री ई. अहमद** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में 900 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के 44 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अग्रणी विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं तथा निवेश किन-किन क्षेत्रों में किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हा।

ऐसे प्रस्तावों के विवरण अर्थात् विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, अंतर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण/कार्यकलाप की मद भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं और इनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की कमी

3687. **डा. अरविन्द शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात से अवगत है कि कर्मचारियों की कमी से इन बैंकों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना व्यय उनके कारोबार की मात्रा की तुलना में अधिक है। स्थापना खर्च पर नियंत्रण और उनके द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार लाने के लिए उनसे सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपवादात्मक स्थितियों को छोड़कर कोई भर्ती न करने को कहा गया है। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नई भर्ती के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अतिरिक्त स्टाफ का अनुरोध उनके कार्यभार की प्रमात्रा के संपूर्ण मूल्यांकन और कारोबार की मात्रा और विद्यमान श्रमशक्ति के इष्टतम उपयोग के प्रसार पर आधारित होना आवयश्यक है और उसकी संस्तुति प्रायोजक बैंकों और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

कोयले का संयुक्त रूप से सैम्पल भेजना

3688. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले का संयुक्त सैम्पल भेजने के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सरकार से प्रस्ताव/सुझाव

प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) गुजरात तापीय विद्युत गृहों को कोयेल के प्रेषणों के संयुक्त रूप से नमूना लेने की कार्रवाई को पुनः विद्युत गृहों के स्थल पर परिवर्तित कर दिया जाए।

(ग) अधिकांश तापीय विद्युत गृहों के कोयले के संयुक्त रूप में नमूने लेने के स्थल के बारे में सामान्यतः विवाद अंतर्ग्रस्त हैं इस बारे में गहन रूप से विचार किए जाने के बाद सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त रूप से नमूने लदान स्थल पर ही लिए जाएंगे।

एच. एम. टी. में घाटा

3689 **डा. एम. जगन्नाथ** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एम. टी. हैदराबाद की विद्युत बल्ब निर्माण डिवीज़न को बंद किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और फालतू कर्मचारियों का किस तरह उपयोग किया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोलीमारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बदला प्रणाली

3690. **श्री ओ. पी. जिन्दल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मुंबई में इस समय प्रचलित ''बदला'' प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे बाजार पर किसी प्रकार का असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पेंशनभोगियों से क्षतिपूर्ति बांड की मांग

3691. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को नये पेंशनभोगियों से जो अवकाश प्राप्ति के पश्चात् बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं वचन पत्र के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बांड की मांग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) क्या मेरठ क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक ने तब तक पेंशन जारी करने से इन्कार कर दिया है, जब तक कि पेंशनभोगी बैंक की क्षतिपूर्ति बांड की मांग को पूरा न करें;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी परिस्थितियों में पेंशनभोगियों के लाभ के लिए क्या उपचारात्मक और क्षतिपूर्ति उपाए किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने राष्ट्रीयकृत बैंकों को नये पेंशनभोगियों से जो अवकाश प्राप्ति के पश्चात् बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करना चाहते है, वचन-पत्र के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति बांड की मांग करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि ऐसा कोई उदाहरण उनकी जानकारी में नहीं आया है जिसमें उनकी शाखाओं ने क्षतिपूर्ति बांड के न होने पर पेंशन जारी करने से मना किया हो।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवाणु रोधी औषधि पर शुल्क

3692. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन में निर्मित 3-4-5 ट्रिमियोक्सी बेनजालडीहाइड, नामक जीवाणु रोधी औषधी के आयात पर लगाये जाने वाले शुल्क का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : 3-4-5 ट्रिमिथोक्सी बेनजालडीहाइड नामक औषधी के चीन जनवादी गणराज्य से भारत में निर्यात किए जाने पर निम्नलिखित दर से शुल्क लगाया जाता है:

मूल सीमा शुल्क	40 प्रतिशत मूल्यानुसार
विशेष सीमा शुल्क	2 प्रतिशत मूल्यानुसार
अतिरिक्त सीमा शुल्क	20 प्रतिशत मूल्यानुसार
पाटन-रोधी शुल्क	237/-रुपये प्रति किलोग्राम

विदेशी ऋण

3693. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1996 तक अन्य देशों को दिए गए ऋण और उस पर वसूले जाने वाले ब्याज की दर का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत द्वारा किए गए ऋण की वसूली का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है जिन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार के ऋणों की वसूली को अंजाम देने के लिए द्विपक्षीय माध्यमों के जरिए प्रयास किए गए हैं और वियतनाम, यूगांडा आदि देशों में कुछ हद तक सफलता प्राप्त हुई है। बाकीदार देशों की और ऋण देने पर विचार करते समय ऋण वापसी में लगातार चूक को भी ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

विदेशों को ऋणों का विवरण (अप्रैल, 1996 को स्थिति)

सरकार जिसके साथ ऋण करार किया गया और करार का वर्ष			करार के अनुसार ऋण की धनराशि (मिलियन रुपये में)	बकाया अदायगी
1	2		3	4
1.	वियतनाम पुनः अनुसूचित (78, 80, 81, 82, 84)			41,626,400
2.	श्रीलंका	1981	100	शून्य
3.	श्रीलंका	1978	100	शून्य
4.	श्रीलंका	1979	100	शून्य
5.	श्रीलंका	1987	250	शून्य
6.	मॉरीशस	1984	50	शून्य
7.	मॉरीशस	1978	100	शून्य
8	घाना	1981	50	3,557,930.40
9	मोजाम्बिक	1981	40	39,853,170.46
10.	निकारागुआ	1986	125	56,250,000
11.	तन्जानिया	1982	100	73,680,927.82
12	श्रीलंका (उर्वरक परियोजना)	1975	100	शून्य
13.	मॉरीशस	1986	46.6	शून्य
14.	वियतनाम	1987	150	82,500,000
15.	बंगलादेश	1983	200	शून्य
16.	सेशेल्स	1981	25	2,512,074.21
17.	तन्जानिया	1978/80	20	14,061,248.93
18	तन्जानिया	1979	4	4,004,010
19.	जाम्बिया	1979	100	57,886,293.66
20.	केनिया	1982	50	10,000,000
21.	यमन	1981	10	5,740,000

1	2		3	4
22.	जिम्बाबवे	1982	50	शून्य
23.	मोजाम्बिक	1982	30	23,424,177.69
24.	मोजाम्बिक	1982	20	17,728,781.85
25.	गुयाना	1989	100	4,170,000
26.	मारीशस	1989	50	शून्य
27.	वियतनाम	1989	100	35,000,000
28.	मारीशस	1991	50	शून्य
29.	कम्बोडिया	1991	15	2,500,000
30.	सेशेल्स	1991	25	4,160,000
31.	वियतनाम	1990	100	20,000,000
32.	सेशेल्स	1993	1.6 मिलियन अमरीकी डालर	66,000 अमरीकी डालर
33.	सूरीनाम	1992	50	शून्य
34.	बंगलादेश	1991	300	25,000,000
35.	मगोलिया	1993	1.76 मि. अमरीकी डालर	73,000 अमरीकी डालर
36.	वियतनम	1993	390	शून्य
37	उजबेकिम्तान	1993	10 मि. अमरीकी डालर	1,250,000 अमरीकी डालर
38.	ताजिकिम्तान	1994	5 मि. अमरीकी डालर	312,500 अमरीकी डालर
39.	कजाकिम्तान	1993	10 मि. अमरीकी डालर	625,000 अमरीकी डालर
40.	तुर्कमेनिम्तान	1995	5 मि. अमरीकी डालर	–
41	मारीशस	1994	3.2 मि. अमरीकी डालर	–
42.	श्रीलंका	1996	30 मि. अमरीकी डालर	–
43.	वियतनाम	1996	900	–
44.	उजबेकिम्तान	1994	10 मि. अमरीकी डालर	–
45.	तुर्कमेनिम्तान	1995	10 मि. अमरीकी डालर	–
46.	कजाकिम्तान	1995	10 मि. अमरीकी डालर	–
47.	किर्घीम्तान	1995	5 मि. अमरीकी डालर	–

टिप्पणी : डालर में मूल्यवर्गित ऋण पर साधारणतया प्रभार्य ब्याज दर उस समय की अभिभावी छमाही लिबोर दर पर नियत की जाती है, जबकि रुपया ऋण 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिए गए और केन्द्रीय एशियन गणराज्यों को पूर्ववर्ती ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर थे।

[हिन्दी]

सिंगरैनी कोल्फीलड्स में हड़ताल

3694. **श्री टी. गोपालकृष्ण** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी कोयला खानों में बार-बार हड़ताल होने के कारण कोयला उत्पादन बाधित हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप इनमें घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान हड़ताल के परिणामस्वरूप सिंगरेनी कोयला खानों में प्रतिवर्ष कुल कितने श्रम दिनों/कोयला उत्पादन का घाटा हुआ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) जी, हां

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (सिं. को. कं. लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार विगत दो वर्षों के दौरान हुई हड़तालों और कुल कार्य दिवसों की हानि तथा इनके परिणामस्वरूप उत्पादन में हुई घाटे की स्थिति नीचे दर्शायी गई है :

वर्ष	हड़तालों की संख्या	कार्य दिवसों की हानि	उत्पादन (घाटा टन में)
1994-95	260	5,52,123	5,27,310
1995-96	191	36,77,892	33,02,740

(ग) औद्योगिक संबंधों को सुधारने के लिए सामान्य हित के मुद्दों पर श्रम संगठनों के साथ सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन पारम्परिक रूप में विचार-विमर्श करता रहा है। ऐसे खानों और कोयला रख-रखाव संयंत्रों के कर्मचारियों को "हड़ताल मुक्त" खान पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान हड़ताल नहीं की है। यूनिट क्षेत्र और कोरपोरेट स्तर पर प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की अवधारणा का क्रियान्वयन और साथ ही अनुशासन की संहिता में अपेक्षित शिकायत प्रक्रिया के अनुपालन द्वारा सिं. को. कं. लि. के प्रबंधन को अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

विधान सभा सदस्यों को आयकर छूट

3695. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से/मध्य प्रदेश विधान सभा से वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान इसके विधान सभा सदस्यों को आयकर में छूट देने के लिए प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां

(ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17)(iii) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने हेतु संघ सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो कुल मिलाकर 600 रूपये प्रतिमाह से अधिक अन्य सभी भत्तों के बारे में मध्य प्रदेश राज्य विधान मंडल अथवा उसकी किसी समिति के सदस्यों को छूट प्रदान करने के बारे में हैं।

मध्य प्रदेश सरकार के उपरोक्त अनुरोध पर विचार किए जाने पर केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था कि वह उन भत्तों को विनिर्दिष्ट करें जिनके बारे में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(17) (iii) के अन्तर्गत वे उक्त अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहे हैं।

लालमटिया खानें

3696. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बिहार की विश्व प्रसिद्ध लालमटिया खानों से कितना कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) इस खान के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें पुनः रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस क्षेत्र के विकास हेतु इस क्षेत्र में अनुसंगी उद्योगों के विस्तार की कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रजमतिया क्षेत्र में स्थित राजमहल ओपनकास्ट खान का वार्षिक उत्पादन निम्नलिखित है :

(मि. टन में)

1993-94	1994-95	1995-96
4.20	6.00	8.52

(ख) भू-वंचितों के चरणबद्ध पुनर्वास के लिए राजमहल परियोजना की भूमि के चरणबद्ध मांग पर आधारित एक योजना है। भू-वंचित व्यक्तियों, जिला प्रशासन और जन प्रतिनिधियों के परामर्श से कोयला कंपनी द्वारा एक पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है। इस पैकेज में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें हैं

i) पुनर्वास स्थलों के लिए भूमि का अधिग्रहण।

ii) सड़के, बिजली, जलापूर्ति योजनाएं, चिकित्सालय, सामुदायिक केन्द्र, विपणन केन्द्र आदि जैसी ढांचागत सुविधाओं का प्रावधान।

iii) गृह भूमि और साथ ही कृषि भूमि के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार मुआवजे की अदायगी।

iv) स्थानांतरण भत्ते की अदायगी, और,

v) जहां व्यवहार्य हो, स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना।

(ग) और (घ) जी, हां पुनर्वास स्थलों पर स्थानीय लोगों द्वारा सहायक उद्योगों के विकास के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा विकसित दो आटो मरम्मत केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

बैंक ऋणों की स्वीकृति देने/वसूली करने की जिम्मेवारी

3697. **श्री तारीक अनवर :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक ऐसी व्यवस्था करने का विचार है जिसमें ऋणों की स्वीकृति तथा वसूली के संबंध में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों का रिकार्ड रखा जायेगा ताकि इस संबंध में निर्णायक कार्यवाही की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ऋणों का भारी बोझ है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय बैंक संघ के परामर्श से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें लिखने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों/अग्रिमों की मंजूरी से संबंधित कार्यनिष्पादन तथा वसूली के कार्यनिष्पादन के संबंध में विशिष्ट पैरामीटर शामिल किए गए हैं। जुलाई, 1993 में बैंकों से यह कहा गया था कि वे अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रोफार्मा में निहित पैरामीटरों के अनुसार करें।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31.3.96 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) 40583.48 करोड़ रूपये (अनन्तिम आंकड़ा) की थी, जो उस तारीख को कुल बकाया अग्रिमों का 16.01 प्रतिशत बैठती है।

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के शीघ्र न्यायनिर्णयन और वसूली के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अधीन अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता, दिल्ली और जयपुर में ऋण वसूली अधिकरणों तथा मुम्बई में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह बैंकों को निरंतर यह कहता रहता है कि वे अपनी अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी करें। अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में वास्तविक कमी आई और यह 31 मार्च, 1994 में 24.78 प्रतिशत से घट कर 31 मार्च 1996 को 16 प्रतिशत रह गया।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर इस बात की आवश्यकता पर बल देता रहा है कि वे अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत बनाए तथा अग्रिमों का बारीकी से पर्यवेक्षण और नियंत्रण करें। बैंकों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपने प्रधान कार्यालयों में वसूली कक्षों की स्थापना करें। अनिष्पादित अग्रिमों (एनपीए) की वसूली के लिए बैंकों द्वारा शाखा-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा वसूली के मामले में शाखा के कार्यनिष्पादन की मुख्य कार्यपालकों द्वारा मासिक आधार पर प्रधान कार्यालय स्तर पर निगरानी की जानी होती है। वसूली में हुई प्रगति के बारे में तिमाही अन्तरालों पर निदेशक बोर्ड को भी अवगत कराया जाता है।

[हिन्दी]

चाय बोर्ड द्वारा विदेशों में रेस्तरांओं की स्थापना

3698. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने वित्तीय संस्थानों के सहयोग से सिडनी तथा लन्दन में दो रेस्तरां खोले हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चाय बोर्ड ने इन परियोजनाओं में से प्रत्येक में कितनी राशि का निवेश किया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष इन रेस्तरांओं को कितना लाभ/हानि हुई; और

(घ) इन परियोजनाओं को आरंभ करने का क्या उद्देश्य है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का संवर्धन करने के लिए टी बोर्ड होटल कारपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम में शामिल हुआ जिसमें चाय बोर्ड का हिस्सा 51 प्रतिशत तथा होटल कारपोरेशन आफ इंडिया (एचसीआई) का हिस्सा 49 प्रतिशत था इंडिया टी/रेस्टोरेंट्स लि. को सार्वजनिक लि. कंपनी के रूप में 30 जून, 1981 को शामिल किया गया था। इस कंपनी ने लंदन में मयूर रेस्टोरेंट की स्थापना अक्तूबर, 1984 में तथा सिडनी रेस्टोरेंट की स्थापना अक्तूबर, 1982 में की। मयूर रेस्टोरेंट को मार्च, 90 में तथा सिडनी स्थित रेस्टोरेंट को सितंबर, 1990 में बंद कर दिया गया। मैसर्स इंडिया टी रेस्टोरेंट लि. के लिए चाय बोर्ड द्वारा अंशदान की गई शेयर पूंजी 25.50 लाख रू. थी। 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार मैसर्स आईटीआरएल को हुई अनुमानित कुल हानि 8.54 करोड़ रू. है जिसमें एक्सचेंज अंतर तथा ब्याज प्रभारी के कारण हुई हानियां भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में कमी

3699. **श्री पी. सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1996 से आज तक घरेलू बाजार में रबड़ के मूल्य का ब्यौरा क्या है और मूल्य में दैनिक उतार-चढ़ाव क्या रहा और उसके क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के मूल्य स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): (क) और (ख) जी, नहीं। प्राकृतिक रबड़ (आर. एस. एस. IV ग्रेड) की कीमतों में जुलाई, 1996 से मामूली उतार-चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कोट्टायम रबड़ बाजार में रबड़ की दैनिक कीमत

(रु. प्रति क्विंटल)

तिथि	आर एस एस-IV	गेहिंग नहीं किया हुआ
1	2	3
01.07.96	5150	4950
02.07.96	5100	4900
03.07.96	5050	4850
04.07.96	5050	4750
05.07.96	5050	4850
06.07.96	5050	4850
07.07.96	छुट्टी	छुट्टी
08.07.96	5100	4900
09.07.96	5100	4900
10.07.96		4925
11.07.96	4950	4925
12.07.96	5200	4900
13.07.96	5200	4900
14.07.96	छुट्टी	छुट्टी
15.07.96	5225	4900
16.07.96	5225	4850
17.07.96	5250	4875
18.07.96	5250	4875
19.07.96	5250	4875
20.07.96	5250	4850
21.07.96	छुट्टी	छुट्टी
22.07.96	5275	4850
23.07.96	5225	4825
24.07.96	5200	4750
25.07.96	5100	4550
26.07.96	5000	4550
27.07.96	4900	4500
28.07.96	छुट्टी	छुट्टी
29.07.96	4900	4500
30.07.96	कोई व्यापार नहीं	4450
31.07.96	4800	4400
01.08.96	4800	4350
02.08.96	4800	4500
03.08.96	4900	4500
04.08.96	छुट्टी	छुट्टी
05.08.96	4900	4500
06.08.96	4900	4550
07.08.96	4950	4600
08.08.96	4950	4640
09.08.96	4950	4650
10.08.96	5000	4750
11.08.96	छुट्टी	छुट्टी
12.08.96	5150	4825
13.08.96	5150	4850
14.08.96	5200	4825
15.08.96	छुट्टी	छुट्टी
16.08.96	5175	4750
17.08.96	5125	4600
18.08.96	छुट्टी	छुट्टी
19.08.96	5050	4550
20.08.96	कोई व्यापार नहीं	
21.08.96	5050	4600
22.08.96	5050	4600
23.08.96	5050	4700

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी पुनर्गठन नीति

3700. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन सम्बंधी अपनी नीति में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार हेतु उपायों पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की फालतू भूमि

3701. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार एवं महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के अंतर्गत फालतू भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि के बंटवारे के संबंध में कोई फार्मूला तैयार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जीवन बीमा निगम में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम के उम्मीदवार को रोजगार प्रदान करना

3702. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अभी तक उन उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी गई है जिन्होंने 1992-93 में निगम द्वारा विभिन्न स्कूलों में आयोजित रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूसरी ओर साधारण बीमा निगम द्वारा इसके पश्चात् एक वर्ष के बाद के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किए गए उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो बिना किसी और विलम्ब के इन उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से प्रशिक्षु लिपिक सहायकों की संख्या, मंडल में, जिसके क्षेत्र में स्कूल स्थित हैं, निवल रिक्तियों के 25 प्रतिशत पर सीमित कर दी जाएगी। जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे 1992-93 में उत्तीर्ण हुए कुछ उम्मीदवारों को, उनके लिए उद्दिष्ट 25 प्रतिशत कोटा के एवज में पर्याप्त संख्या में रिक्तियों की मांग करने हेतु, नौकरी नहीं दे सके।

(ग) जी, हां।

(घ) . जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि जैसे ही रिक्तियां उत्पन्न होंगी इन उम्मीदवारों को समाविष्ट कर लिया जाएगा।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर में अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाना

3703. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर के जिन अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया उनका ब्यौरा क्या है तथा वे कब से मुख्य कार्यालय में कार्यरत हैं;

(ख) क्या सी. बी. आई. ने इन अधिकारियों के विरूद्ध गंभीर टिप्पणियां की हैं; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सीबीआई की रिपोर्ट की अनदेखी करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 की शर्तों के अनुसार, वर्ष 1995 के दौरान जिन 92 पात्र अधिकारियों की सेवा अवधि आगे बढ़ाई गई थी, उनमें से 18 प्रधान कार्यालय में कार्यरत हैं। ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

स्टेट बैंक आफ इंदौर के मुख्यालय में तैनात अधिकारियों के नाम जिनकी वर्ष 1995 के दौरान सेवा अवधि बढ़ाई गई थी।

क्र.सं.	नाम	पद	उनकी तैनाती कब से की गई।
1	2	3	4
1.	बी. एस. गुप्ता	उप-प्रबंधक	सित., 91
2.	एन. डी. सक्सेना	प्रबंधक	सित., 89
3.	अरविन्द गार्गव	मुख्य प्रबंधक	मई, 92
4.	जिनसेन जैन	मुख्य प्रबंधक	जून, 93
5.	एम. जी. टोकारिया	मुख्य प्रबंधक	मई, 94

1	2	3	4
6.	बी. एस. सिंघल	उप-प्रबंधक	जून, 94
7.	जे. के. जैन	उप-प्रबंधक	मई, 92
8.	एच. ए. गोडवानी	उप-प्रबंधक	जून, 94
9.	डी. के. जैन	मुख्य प्रबंधक	जुलाई, 94
10.	एस. एस. आगरावत	उप-प्रबंधक	जन., 94
11.	के. डी. गब्बड	मुख्य प्रबंधक	दिस., 94
12.	एस. सी. वोहरा	मुख्य प्रबंधक	अप्रैल, 95
13.	एस. आर. प्रभावलकर	सहायक महाप्रबंधक	अप्रैल, 87
14.	डी. एस. सोंगरा	प्रबंधक	जुलाई, 94
15.	एन. एफ. हैरी	प्रबंधक	मई, 94
16.	आर. आर. विश्वकर्मा	सहायक महाप्रबंधक	जून, 92
17.	जे. एन. श्रीवास्तव	महाप्रबंधक	जन., 85
18.	आर. के. विश्वकर्मा	मुख्य प्रबंधक	दिस., 90

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों हेतु बजटीय आवंटन

3704. **प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :**

श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्तों हेतु बजटीय आवंटनों में वास्तविक रूप से कोई वृद्धि न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रतिबंधों के कब तक जारी रहने की संभावना है;

(ग) क्या वेतन और भत्तों में कोई वृद्धि न किये जाने की बात सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर भी लागू किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अलग रखने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) हालाकि वित्त मंत्रालय द्वारा 17 जून, 1996 में जारी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी विचार किया गया है कि 1997-98 से वेतन और भत्तों के लिए बजटीय आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, तबसे सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि :

(i) सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में कोई कमी नहीं की जाएगी क्योंकि वेतनों के भुगतान के लिए प्रावधानों को सरकार द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते नियमों के अनुरूप यथोचित रूप से समायोजित किया जाएगा, तथा

(ii) सरकार द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकारे जाने पर उनके लिए भी प्रावधान उपलब्ध कराए जाएगें।

ओलियो-पाईन रेजिन का सीमा शुल्क रहित आयात

3705. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संगठनों/अन्य पार्टियों ने सरकार को आलियों-पाईन रेजिन के गम रेजिन के आयात शुल्क में कमी करने की बजाय बिना आयात शुल्क के आयात करने की अनुमति मांगी है ताकि और अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों तथा कच्चे माल की कमी को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को ओलिया पाईन रेजिन पर आयात शुल्क में कमी अथवा वृद्धि करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ओलियो पाईन रेसिन और गम रेसिन पर क्रमश: 20 प्रतिशत और 40 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है। इन शुल्क दरों में कोई परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर द्वारा पालिसियां जारी करने में अनियमितताएं

3706. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, नार्थ सेंट्रल जोन, कानपुर के विरूद्ध 20 लाख से अधिक राशि की व्यक्तिगत बीमा पालिसियां जारी करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ऐसे मुद्दों के संबंध में समय-समय पर प्राप्त हुई शिकायतों के संबंध में कोई कार्यवाही नही कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसे मुद्दों का निपटान बीमांकित की मंशा के अनुसार किया जाए?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि बीमा हेतु प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाता है जब निर्धारित फार्म में आवश्यक रिपोर्ट और सूचना सहित उन पर प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। जब भी और यदि कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है और उपयुक्त स्तर पर उस पर कार्यवाही की जाती है। जीवन बीमा निगम समय-समय पर प्रमुख समाचारपत्रों में लोक शिकायत निपटान अधिकारियों के नाम प्रकाशित करता रहता है, जिनसे असंतुष्ट बीमित व्यक्ति अपनी शिकायत के निपटान के लिए सम्पर्क कर सकता है।

[अनुवाद]
मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा के 6 के अंतर्गत अधिसूचना आदि

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 487 (अ) जो 9 जुलाई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें श्री राजेश्वरानंद पेपर मिल्स लिमिटेड, गोवाली, तहसील झगाड़िया, गुजरात को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में अधिसूचित करने का आदेश दिया हुआ है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 370/96]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 258(अ)/18कक/ आईडीआरए/96 जो 29 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मैसर्स अपोलो जिप्पर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध करने की अवधि 25 मई, 1996 तक बढ़ाई जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 371/96]

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी, पेंशन संशोधन नियम, 1996 आदि

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं -

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियम, 1996, जो 3 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 265 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 372/96]

(2) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अंतर्गत साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) योजना, 1996, जो 3 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 475 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 373/96]

(3) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एसबीडी सं0 4/1996, जो 11 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा समनुषंगी बैंक साधारण विनियमों के विनियम 42 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 374/96]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रारूप (संशोधन) नियम, 1996, जो 21 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 375/96]

(5) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 1996, जो 12 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का0 आ0 498 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 376/96]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 350 (अ), जो 5 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय आधारभूत धातुओं से पटलित या विलेपित लौह या गैर-मिश्रित इस्पात के तार पर 14 मई, 1992 से 25 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान उतने उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण जो प्रति टन 1000 रुपए से अधिक होगा से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 351(अ), जो 5 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 29 दिसम्बर, 1987 से 21 दिसम्बर, 1989 की अवधि के दौरान सेना को आपूर्ति किये गये मध्यवर्ती माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) 14 अगस्त, 1996 के तदर्थ छूट आदेश संख्या 48/13/96 के. उ. शु., जो भूटान में 45 मेघावाट के कुरिचू पन-बिजली परियोजना के निर्माण के लिए शाही भूटान सरकार को भारत सरकार द्वारा

आपूर्ति किये गये माल पर छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 377/96]

(7) सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 358(अ), जो 9 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस से उद्भूत और भारत को निर्यात किए गए विनिर्दिष्ट श्रेणी के लो कार्बन फेरों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 359 (अ) जो 9 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय कजाकिस्तान से उद्भूत, विनिर्दिष्ट श्रेणी के लो कार्बन फेरो क्रोम पर अट्ठारह हजार और पांच सौ रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से पाटन-रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्क ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि 373(अ), जो अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 8 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 34/96 सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 378/96]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 348(अ), जो 2 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय हाथ से बने हुए ऊनी कालीन के निर्यात पर प्रति अदायगी की समग्र उद्योग दरों में संशोधन करके उसे 25.3.1996 से 5.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत करने के लिए कतिपय संशोधन करना है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 379/96]

(9) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :-

(एक) दामोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 380/96]

(दो) नीमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खारगोन (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 381/96]

(तीन) वालसाड़ डैगस ग्रामीण बैंक, वालसाड़ (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 382/96]

(चार) हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार (हरियाणा)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 383/96]

(पांच) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 384/96]

(छह) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना (बिहार)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 385/96]

(सात) ग्वालियर दतिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दतिया (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 386/96]

(आठ) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदूलपुरा (मध्य प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 387/96]

(नौ) कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक, गुड्डीवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 388/96]

(दस) फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 389/96]

(ग्यारह) पंचमहल बड़ोदरा ग्रामीण बैंक, गोधरा (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 390/96]

(बारह) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 391/96]

(तेरह) मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चूरू (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 392/96]

(चौदह) भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 393/96]

(पन्द्रह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 394/96]

(सोलह) अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 395/96]

(सत्रह) साबरकान्ठा गांधी नगर ग्रामीण बैंक, हिम्मतनगर (गुजरात)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 396/96]

(10) निक्षेप बीमा और साख गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रव्यय गारंटी निगम, मुम्बई के 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 397/96]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचनाएं

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं -

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226, जो 1 जून, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड (समेकित) भर्ती नियम, 1989 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 398/96]

इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रामैया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) (एक) इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 399/96]

(2) (एक) एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सीज के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड-एक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

(दो) एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सीज के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (खंड-एक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 400/96]

(4) एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट इन्सपेक्शन एजेन्सीज के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन (खंड-दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 401/96]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ते (संशोधन) नियम, 1996

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं, श्री रमाकांत डी. खलप की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ते (संशोधन) नियम, 1996 को 3 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संम्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 402/96]

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

मुझे लोक सभा को यह सूचित करने के निदेश हुए हैं कि राज्य सभा ने 2 अगस्त, 1996 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है :-

"कि इस सभा ने, भारतीय रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की वर्तमान दर तथा रेल वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगी मामलों की पुनरीक्षा करने और उसके बारे में सिफारिशें करने संबंधी संसदीय समिति के लिए राज्य सभा से छह सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाने की लोक सभा की सिफारिश से अपनी सहमति व्यक्त की है।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचित करना है कि सभापति ने उक्त समिति के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित छः सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया है।

1. श्री एस. एस. सुरजेवाला
2. डा. श्रीकांत रामचन्द्र जिचकर

3. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

4. श्री रंजन प्रसाद यादव

5. श्री एन. थलवै सुन्दरम

6. श्री मोहम्मद सलीम

अपराह्न 12.03 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी. के. गढ़वी (बनासकांठा) महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय मैं ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग की अनुदानों की मांगों 1996-97 के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का पांचवा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

श्री जी. ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के सत्ताईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03¾ बजे

[अनुवाद]

गृह कार्य संबंधी समिति

बत्तीसवां, तैंतीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री एम. ओ. एच. फारूख (पाण्डिचेरी) : मैं गृह कार्य संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी बत्तीसवां प्रतिवेदन।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी तैंतीसवां प्रतिवेदन, और

(3) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी चौंतीसवां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

तैंतालीसवां, चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन

डा. महादीपक सिंह शाक्य (एटा) : मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सांस्कृतिक विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी तैंतालीसवां प्रतिवेदन;

(2) परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी चवालीसवां प्रतिवेदन; और

(3) स्वास्थ्य विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1996-97) संबंधी पैंतालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04¼ बजे

हिन्दी]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996-97) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.04½ बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना):

महोदय आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि 2 सितम्बर, 1996 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

(1) निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए अनुदान की मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान:

(1) ग्रामीण और रोजगार मंत्रालय

(2) मानव संसाधन विकास

(3) कृषि

(4) गृह मंत्रालय

(5) रक्षा

(6) विद्युत

(7) कल्याण

(2) वर्ष 1996-97 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की बकाया मांगों को शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1996 को मध्याह्न पश्चात् 3.30 बजे सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए:

(1) मध्य प्रदेश की विस्तृत भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 25,000 की जनसंख्या तक के शहरों एवं ब्लाक लेवल स्थानों (ग्राम) में गैस एजेंसियां खोले जाने एवं प्रति वर्ष एक लाख के मान से नए गैस कनेक्शन स्वीकृत करने, खासकर खरगोन जिले को प्राथमिकता देने के प्रस्ताव को जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।

(2) मध्य प्रदेश आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के शेष आदिवासी बाहुल्य विकास खंड, आदिवासी ग्राम-समूहों को भी रियायती खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में भारत शासन द्वारा सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें :

(1) अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्व स्वीकृत एवं तत्कालीन मंत्री द्वारा घोषित उच्च शक्ति टी.वी. टावर (एच. पी. टी.) अविलम्ब स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

(2) अगले वर्ष अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के 786 वे उर्स की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को देखते हुए तथा अजमेर एवं पुष्कर की पर्यटन, इतिहास, शिक्षा, धर्म, संस्कृति एवं सुरक्षा आदि की दृष्टि से विशिष्ट स्थिति को देखते हुए तत्काल हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

(1) बिहार में 20 जिलों के करीब 5000 गांव एवं 70 से 80 लाख की आबादी भयंकर बाढ़ की विभीषिका में तबाह हो रही है। इसलिये इस विषय पर सदन में बहस शुरू की जाए।

(2) उत्तर बिहार की दो सड़कों-बरौली मोली एवं छपरा सरमेनपुर घाट को राष्ट्रीय उच्चपथ की सूची में लाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थॉमस (मुवत्तपुझा) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए।

1. विशेष रूप से पुयामकुट्टी, कयामकुलाम और कोचीन परिशोधन परियोजनाओं के संदर्भ में भारत में विद्युत की स्थिति।

2. केरल के तट पर इमारतों के निर्माण के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में छूट प्रदान करके तटीय क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का कष्ट करें:

(1) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में दूरसंचार व्यवस्था ठप्प प्राय: हो गई है। पत्थलगांव, जशपुर नगर, कुनकरी एवं धर्मजयगढ़ आदि स्थानों में जहां एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है, फिर भी नई दिल्ली से बात नहीं हो पाती। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य रायगढ़ जिले की विविध समस्याओं से निरंतर अवगत होकर निराकरण हेतु सचेष्ट होने के लिए रायगढ़ जिले के सभी विकास खंडों तक दूरसंचार व्यवस्था को अविलम्ब सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(2) रायगढ़ जिले के पूर्वी क्षेत्र दुलदुला, मनोरा, जशपुर, कुनकरी बगीचा, कांसाबेल, तपकरा, लैलूंगा एवं धर्मजयगढ़ आदि विकास खंडों में अतिवृष्टि से किसानों को अत्यधिक क्षति हुई है। मध्य प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर बाढ़ पीड़ित इन गरीब आदिवासी किसानों को अतिशीघ्र सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें :

(1) स्थानीय कोयला विक्रय योजना में टेंडर प्रणाली को लाकर कोयला मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधनों को लागू न करने के कारण और पुरानी योजना को पुन: अपनाने की आवश्यकता के कारण लघु उद्योगों तथा घरेलू उपयोग के लिए उड़ीसा में कोयले की अनुपलब्धता पर चर्चा।

(2) उड़ीसा में कान्हा परियोजना के कारण भूमि से बेदखल लोगों

को रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी पुनर्वास नीति के रूप में राष्ट्रीय तांप विद्युत निगम द्वारा अपनी वचनबद्धता का अनुपालन न किए जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.12 बजे

कार्य मंत्रणा संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि यह सभा 29 अगस्त, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 29 अगस्त, 1996 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी।

.......**(व्यवधान)**.......

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) महोदय, शॉ वालेश कंपनी के प्रबंधक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तथा श्री मनु छाबरिया को दुबई से भारत वापस लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुखराम के पुत्र हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं। जब तक वे मंत्री रहेंगे तब तक सी. बी. आई. उनकी जांच ठीक ढंग से नहीं कर सकती। इसलिए मेरी मांग है कि उनके पुत्र को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, मैं शॉ वालेश कंपनी के चार हजार कर्मचारियों .... **(व्यवधान)** श्री मनु छाबरिया ने पूरे देश को लूटा है और उसे दुबई से भारत वापस लाया जाना चाहिए.... **(व्यवधान)**.... उसे दुबई से वापस लाने के लिए फौरन कार्यवाही की जानी चाहिए .....**(व्यवधान)**.....

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : हम में. शॉ वालेश के बारे में जानते हैं लेकिन इस बात पर सहमति हुई है कि आज शून्य काल नहीं होगा। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं.... **(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या हम उससे सहमत हुए हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी, हां।

अपराह्न 12.14 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन से हुई मौतें

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया बैठ जाए।

[हिन्दी]

कल माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि जीरो आवर नहीं होगा। आपकी जो बातें अमरनाथ यात्रा से संबंधित होंगी उनका मंत्री जी जवाब देंगे।

[अनुवाद]

वह उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय कल यह वायदा किया गया था ..... **(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय लेकिन यह मामला उठाया जाना चाहिए..... **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही हमें अपनी बात कहनी है.... **व्यवधान**...... इसीलिए हमें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए........ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा मैं उसे नहीं सुन पाया। यदि वह अमरनाथ यात्रा से संबंधित है तो गृह मंत्री उसका उत्तर दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे आप मुझे इनके बाद बोलने की इजाजत न दें, लेकिन मैं कम से कम वहां की स्थिति इनके ध्यान में लाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कल हमने श्री पाठक को सुना था क्योंकि वह वहां से आए थे। हमारे पास दो सदस्य और बोलने को हैं लेकिन हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए.....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जम्मू से अगर कोई और आदमी आज ही आया है, तो मैं उसको भी दो मिनट का समय अपनी बात कहने के

लिए दूंगा।

....(**व्यवधान**).....

गृह मंत्री (श्री इंद्रजीत गुप्त) ये कब आए हैं?..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ये कह रहे हैं कि ये आज ही आए हैं।

(व्यवधान)......

श्री चमन लाल गुप्त : मैं वहां से आज ही आया हूं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : कल तो ये हाउस में थे।

श्री चमन लाल गुप्त : नहीं, नहीं..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, कल यह डिसाइड हुआ था कि अटल जी वहां गए हुए हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वह छूट केवल विपक्ष के नेता को दी गई थी। अनेक लोग अभी भी श्रीनगर जा रहे हैं जो सोमवार तक वापस आ सकते हैं। क्या आप यह छूट उन्हें भी देंगे?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आज वे नहीं आ रहे हैं मंडे तक हम उनका वेट नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कल ही हमने यह छूट विपक्ष के नेता को दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वही तो मैं आपको बता रहा हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं?

श्री निर्मल कांति चटर्जी मैंने वह बात इसलिए कही क्योंकि आप उन्हें बोलने की अनुमति दे रहे थे?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसलिए कहा कि वे आज ही आए हैं और यदि आज ही कोई और माननीय सदस्य आया है, तो मैं उसको भी समय दे दूंगा।

...... **(व्यवधान)**......

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, गृह मंत्री जी बोलेंगे

.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री इंद्रजीत गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक बार यह तय कर लीजिए। अगर कल या परसों वहां से लोग आते-जाते रहेंगे, तो क्या आप उनको मौका देते रहेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा आज समाप्त हो जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं स्थिति से पूरी तरह अवगत हूं। इस घटना से व्यथित इस सदन के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं से मुझे पूरी हमदर्दी है और मैं उनकी चिन्ता को समझता हूं। इन समस्याओं का समाधान हम इस सदन में केवल चर्चा करके नहीं कर सकते हैं। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। हमें कुछ कार्यवाही करनी होगी। .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : गुप्ता जी, आप सही स्थिति नहीं बता रहे हैं वहां पर आपकी सरकार कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज मुझे एक बात समाप्त करने दीजिए ताकि वह पुनः न उठाई जाये। इस बारे में काफी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और प्रश्न किए गए हैं जो काफी उचित भी हैं - कि क्या इस दुःखद प्रकरण की कोई समुचित जांच कराई जा रही है अथवा नहीं। मैं कुछ और कहूं उससे पहले इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार की ओर से मैं यह स्पष्टतौर पर कह रहा हूं कि इसकी पूरी-पूरी जांच कराई जायेगी और वह जांच....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) इन्क्वायरी किस लैवल की होगी? क्या यह जुडीशियल होगी या कोई और तरह की?. .....**(व्यवधान)**.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप जब बोले, मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने आप सबकी बात सुनी। अब जब मैं एक फिकरा बोलता हूं, तो आप चिल्लाने लगते हैं। क्या मतलब है, क्या मकसद है?............ **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

आप नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं बोलूंगा।.......**(व्यवधान)**

महोदय, मैंने अभी-अभी सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा है कि इस त्रासदी के विभिन्न पहलुओं की पूरी-पूरी जांच होगी। जांच के वास्तविक मुद्दों पर विचार करना होगा। स्वाभाविक है कि उसके अन्तर्गत अनेक बातों की जांच होगी, उदाहरणार्थ, क्या यात्रा बन्दोबस्त पर्याप्त थे; क्या किए गए प्रबन्ध

इस वर्ष प्रत्याशित तीर्थ यात्रियों की संख्या के समानुपातिक थे; क्या खराब मौसम से उत्पन्न होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार और यात्रा प्राधिकारियों की ओर से समय पर पर्याप्त प्रबन्ध किए गए थे अथ्वा नहीं; क्या सम्बद्ध प्राधिकारियों ने मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान पर गौर किया था और क्या यात्रियों को खराब मौसम के बारे में समय पर कोई चेतावनी दी गई थी ताकि जानमाल के नुकसान को टाला जा सकता या कम किया जा सकता; और क्या प्राधिकारियों ने ऐसी संभाव्य घटना से निपटने के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई थी। इन सभी बातों की जांच की जायेगी- क्या इस तरह की विपदा की स्थिति में यात्रा प्राधिकारियों द्वारा समय पर राहत और पर्याप्त सहायता प्रदान की गई थी अथवा नहीं। हम जांच अधिकारी से भी कहेंगे कि वह इस बारे में उपायों और उपचारों का सुझाव दे जिनमें संभावित यात्रियों को समुचित स्तर पर समय से सलाह देना भी शामिल होगा। साथ ही हम यह भी कहेंगे कि वह भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को टालने के लिए उपाय भी करे।

यह जांच किसी उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा की जायेगी जो जम्मू और कश्मीर का नहीं होगा। हां, वह कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा कोई न्यायिक अधिकारी अथवा कोई उच्च पदस्थ सेवानिवृत अधिकारी भी हो सकता है। हम किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन करेंगे जिसके बारे में कोई आपत्ति या कोई शक नहीं होगा। मैं इसे लेकर तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहता। मैं केवल एक सन्दर्भ देना चाहूंगा। मैं सदन को स्मरण कराना चाहूंगा कि कुछ भी हो जब जांच के आदेश होने जा रह हैं - जिसकी घोषणा आज की गई है अत: उससे पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है - तो स्वाभाविक है कि राज्य प्रशासन, जम्मू और कश्मीर में कार्यरत सभी अधिकारी इस तथ्य से अवगत होंगे कि घटना की जांच होने जा रही है और उनके उत्तरदायित्व तथा भूलचूक इत्यादि सब कुछ जांच के दायरे में आएगा।

मैं इस तथ्य से संबंधित केवल एक संदर्भ दे रहा हूं कि चुनावा आयोग की घोषणा के अनुसार जम्मू और कश्मीर की विधान सभा के चुनाव का पहला दौर- उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वह चुनाव आयोग की अधिसूचित समय सारिणी है - 7 सितम्बर को संपन्न होना है। आज 30 अगस्त हो चुका है। अगले आठ दिनों में चुनाव का पहला दौर शुरू हो जायेगा। राज्य सरकार के वही प्राधिकारी एवं अधिकारी और उनमें से अधिकांश तथा अनेक अधिकारी चुनाव संपन्न करवा रहे होंगे। आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी। अत: जो जांच हम करवाने जा रहे हैं - उसके ब्यौरों को देते हुए कोई अंतिम आदेश देने जा रहे हैं, तो हमें कम से कम जांच के दायरे, जांच कौन कर रहा है, इत्यादि बातों की अपने ध्यान में रखना होगा। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। यदि हमारे सामने अगले आठ या दस दिनों कोई चुनाव कराने की बाध्यता नहीं होती तो ऐसी कई बातें थीं जिनकी हमें चिन्ता करने की कोई जंरूरत न होती लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार चुनाव करवाने ही होंगे और चुनाव में भाग लेने और चुनाव कराने तथा इस संपूर्ण यात्रा मामले में शामिल अनेक लोग वहां मौजूद हैं। यदि हमें जिम्मेदारी का रवैया अपनाना है तो इसे ध्यान में रखना होगा।

इसके बाद, महोदय, मुझे इस सदन को कुछ और दु:खद समाचार देने हैं, जिसे बताते हुए मुझे दुख है। मैंने कल भी इसे स्पष्ट कर दिया था कि कल तक हमें उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 194 मौतें हुई थीं। मैंने यह भी कहा था कि यह असंभव नहीं है कि यह आंकड़ा बढ़ नहीं सकता क्योंकि कई स्थानों से खोजी दल भेजे जा चुके हैं और हेलीकाप्टर भी ऊपर से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जहां तक मृतकों के शवों को ढूढने का संबंध है वह कोई बहुत संतोषजनक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन खोजी दल भेजे जा चुके हैं और मैंने कहा था कि यह असंभव नहीं है कि दुर्घटना का यह आंकड़ा बढ़ नहीं सकता।

भरे दिल से आज मुझे इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि आज की सुबह तक सत्यापित मौतों की कुल संख्या बढ़कर 239 हो गई है। हां, अवश्य ही यहां अनेक सदस्य कहते रहे हैं कि यह 400 अथवा 500 भी हो सकती है। कम से कम मैं अपनी संख्या उन वास्तवित आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं जिन्हें मैंने राज्य सरकार के प्राधिकारियों से प्राप्त किया है।

कुल हुई मौतों की संख्या 239 है। कल मैंने उन 13 तीर्थयात्रियों अथवा यात्रियों का आंकड़ा भी दिय था जिनकी मृत्यु मौसम बदलने के पहले ही अन्य कारणों से हो गई थी। निश्चय ही वह आंकड़ा बदला नहीं है। बारिश और हिमपात, इत्यादि शुरू होने के बाद अब मरने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़कर 205 हो गई है। कल मेरे विचार से संख्या बहुत कम बताई गई थी। कल मैंने मरने वाले यात्रियों की संख्या 165 बताई थी। वर्षा और वर्षा के शुरू होने के बाद मरने वालों की संख्या अब 165 से बढ़कर 205 तक पहुंच गई हैं कल हमारी सूचना के अनुसार मरने वालों में कुलियों और खच्चरवालों की संख्या 12 थी। आज प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 17 तक पहुंच गई है। मारे गये सुरक्षा बल सैनिकों की संख्या कल तक चार थी और उसमें आज कोई परिवर्तन नहीं आया है। अत: यात्रियों और अन्य लोगों समेत मृतकों की कुल संख्या 239 है।

इस समय सभी दलों, सभी राज्यों देश के सभी भागों के हमारे सदस्यों की मुख्य चिन्ता निश्चित रूप से सूचना प्राप्त करने सूचना के अभाव, सूचना न मिल पाने को लेकर है क्योंकि इससे पूरे देश के लोगों की उत्सुकता बढ़ी है कि इस यात्रा पर गए उनके मित्रों या संबंधियों या परिवार के सदस्यों के साथ क्या हुआ।

मुझे आज सुबह बताया गया कि 139 शवों की पहचान कर ली गई है। कल यह संख्या 112 थी। इन 139 शवों में से 118 शव यात्रियों के 17 स्थानीय कुलियों आदि के हैं और निसंदेह सुरक्षा कार्मिकों की संख्या वही है। जब तक आप उनके नाम नहीं जानते तब तक उन शवों की पहचान कैसे की जा सकती है? इन लोगों के नाम जाने बिना उनकी पहचान नहीं की जा सकती थी। वे सूचियां

तैयार कर ली गई हैं, और मेरे पास पहचाने गए कुछ लोगों की कुल संख्या की राज्य वार सूची उपलब्ध है :

आंध्र प्रदेश	6
बिहार	1
दिल्ली	19
गुजरात	31
हरियाणा	4
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	19
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	9
महाराष्ट्र	6
उड़ीसा	2
पंजाब	4
राजस्थान	4
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	21
पश्चिम बंगाल	2 तथा
अप्रवासी भारतीय	1

मेरे पास यह सभी आंकड़े उपलब्ध हैं यहां पर सभी के नाम भी दिए गए हैं। यदि कोई सदस्य यह सूची देखना चाहे तो उसका स्वागत है। पहचाने गए इन सभी लोगों के पूरे नाम हमें वहां के प्राधिकारियों ने दिए हैं।

जिन यात्रियों का वहां दाह-संस्कार किया गया उन की संख्या 199 है मैंने पाया कि जिन शवों का अंतिम संस्कार किया गया उसमें पहचाने तथा न पहचाने गए दोनों लोग शामिल हैं। जहां तक पहचाने गए शवों का संबंध है उनका उनके मित्रों अथवा संबंधियों की इजाजत लेकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है केवल उन मामलों छोड़कर जहां मृत यात्रियों के शव सड़ने की हालत में थे। जिन शवों को किसी ने नहीं पहचान था उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 17 शवों को जला दिया गया है और 12 शवों को विमान द्वारा दूसरी जगहों पर ले जाया गया। दाह-संस्कार करने के लिए 7 शवों को विमान द्वारा श्रीनगर लाया गया है। इन सबको मिलाकर यह संख्या 235 होती है।

श्रीनगर में अस्पताल में 96 लोगों को भर्ती कराया गया था जो या तो बीमार थे अथवा जख्मी थे पहलगांव में फंसे 8000 यात्रियों का अंतिम दस्ता 29 तारीख यानि कल जम्मू पहुंचा। अब किसी भी यात्री के कहीं फंसे होने की खबर नहीं है। उन सबको निकाल लिया गया है और वे जम्मू पहुंच गए हैं। जम्मू से उन्हें देश के विभिन्न भागों में उन स्थानों पर रेलगाड़ी द्वारा भेजा जा रहा है जहां पर उनके घर हैं तथा जहां वे जाना चाहते हैं..... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : लेकिन किसी की कोई सूचना नहीं मिल रही है। सूचना देने की कोई व्यवस्था नहीं हैं उनके रिश्तेदार परेशान हैं और उनको कोई बताने वाला भी नहीं है..... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बताने वाला है या नहीं है, वह इन्क्वायरी से पता लगेगा कि क्या मामला है। ..... **(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह : लोग हजारों की संख्या में है, उनके रिश्तेदार परेशान हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसे में तर्क नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि हजारों की संख्या में हैं, लोग हजारों की संख्या में मर गये हैं।..... **(व्यवधान)**

श्री शिवराज सिंह : मैं मरने की बात नहीं कर रहा। दिल्ली में लोगों के रिश्तेदार आये हुए हैं, उनके रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इसके बारे में क्या व्यवस्था है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुन लीजिए, उसके बाद पूछिए न। सुनने को भी तैयार नहीं है? ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार पूरी बात सुन लीजिए।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : हमारे यहां के 50 आदमियों का अभी तक कोई पता नहीं है, वे अभी तक लापता हैं।........ **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप सुनने के बाद पूछिये न। यहां कौन आपका मुंह बंद कर रहा है। कोई आपका मुंह बंद कर सकता है। मेरे बोलने के बाद आप पूछिए न । यह कौन सा तरीका है।.... **(व्यवधान)**

श्री अशोक प्रधान : किसी का मुंह कोई कैसे बंद कर सकता है।......**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप देखिये कि हम वहां प्राधिकारियों से निरंतर टेलीफोन पर संपर्क बनाए हुए हैं लेकिन टेलीफोन भी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। लाईन मिलने में काफी समय लग जाता है। मुझे बताया गया कि दिल्ली और श्रीनगर के बीच हॉट लाइन भी है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको हॉट लाइन से किसी तरह कनेक्शन मिल भी जाता है तो दूसरी ओर जो व्यक्ति बैठा है वह आपको अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहां पर किसे तैनात किया गया है। अब हमें बताया गया है कि वहां मिले सभी शवों के फोटो ले लिए गए हैं। महोदय, यदि उनसे पूछा जाए कि किस प्रकार के फोटो मैं नहीं कह सकता

क्योंकि मैंने उन्हे नहीं देखा है। क्या वे पहचाने गये लोगों के फोटो हैं, क्या वे सड़ गल चुके शवों के फोटो हैं मैं नहीं कह सकता हूं। कुछ फोटो अभी लाए जा रहे हैं। वे दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमें उनको एक नजर देखना होगा। उन फोटो को श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह पुलिस नियंत्रण कक्ष में दिखाया जा रहा है तथा जब वे दिल्ली पहुंच जाएंगे उन्हें यहां दिखाया जाएगा। उन्हें स्पष्ट तौर पर टेलिविजन पर नहीं दिखाया गया है। तर्क यह है कि यदि इतनी बड़ी संख्या में शव अथवा कंकाल टेलिविजन पर दिखाये जाते हैं तो इससे लोगों में काफी स्तब्धता, चिंता, डर पैदा हो सकता है। उन्होंने यही तर्क दिया है। अत: फोटो लिए गए हैं लेकिन उन्हें जम्मू और श्रीनगर में पुलिस नियंत्रण कक्ष में दिखाया जा रहा है। आज जब वे दिल्ली पहुंच जाएंगे तो उन्हें यहां पर भी दिखाया जाएगा।

अब चूंकि अनेक सदस्य काफी स्पष्ट और रचनात्मक बातें भी कह चुके हैं अत: मुझे उन उपायों के बारे में बात करनी चाहिए जो यात्रियों को पूर्व में चेतावनी देने के लिए किये जाने चाहिए थे और जो किए जा सकते थे। मुझे उन एहतियाती उपायों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए जिनसे हताहत होने वाले यात्रियों की दर को न्यूनतम किया जा सकता था। ठीक है विशिष्ट तौर पर ये उपाय क्या थे अथवा नहीं थे यह जांच का विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि मौसम की जानकारी का काम हमारे देश में आधुनिक स्तर का नहीं है। इसी कारण उन्हें वायु सेना स्टेशन पर निर्भर होना पड़ता है यही एकमात्र वायु सेना स्टेशन है जो मौसम के पूर्वानुमान की सही जानकारी उपलब्ध कराता है। निसंदेह, श्री जगमोहन ने कहा है कि उन्हे स्थानीय लोगों-स्वच्चरवालों और स्थानीय निवासियों से पूछना चाहिए था वे उन्हें बताते कि मौसम और खराब होने जा रहा है आदि। हां शायद उन्होंने बता दिया होता लेकिन ऐसे व्यक्तिगत अनुमानों को आपने देखा है कि आमतौर पर सरकार स्वीकार नहीं करती है। अत: मौसम का कोई स्पष्ट अनुमान नहीं था। और यह सच है अंतिम बार जब मैं 22 तारीख की शाम को श्रीनगर में था तो बहुत तेज वर्षा हो रही थी। वर्षा इतनी तेज हो रही थी कि हमें संदेह था कि हम उसी रात दिल्ली वापिस जा सकेंगे या नहीं। बहुत सर्दी थी। तापमान गिर गया था तथा बहुत ठंडी हवा चल रही थी। यह सब कुछ ही घंटों के भीतर घटित हुआ।

जब श्री वाजपेयी वापस आएंगे, मुझे आशा है कि वे भी जानकारी में कुछ और तथ्यों को उजागर करेंगे क्योंकि मुझे विश्वास है मुझे बताया गया है कि वे पंचतरनी गए थे जहां पर अब कोई नहीं है। पंचतरनी में एक भी यात्री नहीं है। लेकिन वहां अभी भी कुछ ऐसे लोग है जो लंगर आदि चलाते हैं।

ये लगर जो नि:शुल्क भोजन प्रदन कर रहे थे सरकारी लंगर थे। प्राइवेट लंगर भी थे। कुछ शिवशक्ति और अन्य और धर्मार्थ लंगर भी थे जो कुछ लोगों ने खोले हुए थे। वे कुछ शुल्क ले रहे थे। शायद वे नाममात्र के शुल्क थे। सभी सरकारी लंगर भोजन नि:शुल्क प्रदान कर रहे थे।

महोदय, मैंने कई लोगों से बात की। मैं उसका ब्यौरा नहीं देना चाहता हूं। मेरी किसी भी ऐसे यात्री से बात नहीं हुई जिसने यह कहा कि चाय के कप की कीमत बढ़ा दी है। किसी ने कहा आप केवल एक यात्री से बात क्यों करते हो? मुझे उसका भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। यह तथ्य कि एक यात्री ने इस तरह की शिकायत की, और यात्रियों ने भी शिकायतें की होती। यदि दुकानदार कीमतों में वृद्धि करने और इस तरह से लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहे थे तो ऐसे अवश्य कई होंगे और काफी संख्या में यात्री भी प्रभावित हुए होंगे। लेकिन यह अलग मामला है। क्योंकि केवल ऐसे अवसरों पर ही नहीं, बल्कि अन्य अवसरों पर भी हम यह पाते हैं कि आमतौर से कुछ व्यापारी अथवा दुकानदार लोगों की स्थिति का फायदा उठाने के लिए जानबूझ कर कीमतों में वृद्धि करते हैं। हम बहुत कारगर ढंग से उसे रोकने में सक्षम नहीं है। जो हमें हमारे जैसे समाज में होना चाहिए लेकिन कई मामलों में हम सफल नहीं होते हैं।

खैर, जहां तक उन लोगों का संबंध है जिन्हें मैं मिला मैं कह सकता हूं कि मैं पंचतरनी, पहलगांव और कई अन्य स्थानों पर कई लोगों से मिला।

मैं कई लोगों से मिला और भोजन के बारे में सभी प्रशंसा कर रहे थे।

[हिन्दी]

हमको इतना अच्छा खाना मिला और हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

वहां ठहरने का जो आश्रय प्रदान किया गया था उसके बारे में भी कोई शिकायतें नहीं थी। क्योंकि कुछ सदस्यों ने शिविरों की गुणवत्ता अथवा अवस्था के बारे में बात की है, मैं यह कहूंगा कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं जाकर शिविर में नहीं रहा लेकिन मैंने सैकड़ों शिविर देखे और उनमें ठहरे लोगों को देखा था। श्री जगमोहन ने उसमें पानी आने की बात कही है क्योंकि उसमें उपयुक्त जगह नहीं थी आदि। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में शिकायत नहीं की कि

[हिन्दी]

टेंट के अन्दर पानी आ गया और इसलिए हम वहां नहीं रह सके तथा हमको टेंट छोड़कर बाहर आना पड़ा।

[अनुवाद]

कम से कम किसी ने भी ऐसा नहीं कहा।- मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने उसके बारे में कभी शिकायत नहीं की, हां जहां तक सेना और अर्धसैनिक बलों का संबंध है, सभी ने उसकी ओर स्थानीय लोगों की प्रशंसा की थी।

पहले अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए व्यक्तव्य के पैरा

16 में, स्थानीय लोगों के रवैये और सहयोग के विषय में सही उल्लेख किया गया है, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं क्योंकि यह बताना चाहिए कि कुछ लोग इसे पसन्द करते हैं अथवा नहीं। आखिरकार अधिकांश ये यात्री 99 प्रतिशत हिन्दू थे। कोई और आदमी अमरनाथ यात्रा पर क्यों जायेगा? यह एक हिन्दू तीर्थस्थल है। हां, यदि आंकड़ा 99 प्रतिशत नहीं है तो यह 90 अथवा 80 प्रतिशत हो सकता है। जिन स्थानीय लोगों ने आश्रय, सहायता, आदि प्रदान किया वे अधिकतर मुस्लिम थे। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। इस बात को प्रमुख रूप से सामने लाया जाना चाहिए क्योंकि महोदय मुझे यह भी पता लगा है कि इन लोगों का यात्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था।

कश्मीर में मेरे पहले दौरे के समय, इससे कुछ दिन पहले, मैं बारामूला गया था और एक बैठक में, जो वहां के स्थानीय लोगों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ थी, यह जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि कई कश्मीरी पण्डित भी थे, जो प्रवासी थे और जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए थे और डर से घाटी से दूर चले गये थे, वे भी बैठक में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि वे वापस कैसे आये और वे वापस क्यों आयें? उन्होंने कहा कि वे व्यवसायी हैं और वहां से जाने से पूर्व बारामुल्ला में उनका कुछ कारोबार था। उन्होंने बताया कि वे वहां उनके स्थानीय पड़ोसियों मुस्लिम तथा सिक्ख दोनों द्वारा दिए गये आश्वासनों के आधार पर वापस आये हैं। बारामुल्ला में काफी संख्या मे सिख भी हैं। उन लोगों ने, मुस्लिम तथा सिखों ने जो पहले उनके पड़ोसी थे उनको आश्वासन दिया था कि कोई डर नहीं है और वे वापस आ सकते हैं, उनकी सम्पति सुरक्षित है, उनका सामान सुरक्षित है और वे यह देखेंगे कि कोई उनको हानि न पहुंचाए। उस आधार पर वे वापस आ गये। दुर्भाग्य से बारामुल्ला के इस उदाहरण को प्रकाशित या प्रचारित नहीं किया जा सकता क्योंकि बदले की कार्यवाही का डर है। खैर मेरे विचार से यह बहुत अच्छी बात है। अब, यह परेशन यात्रियों के प्रति स्थानीय लोगों द्वारा दर्शाये गये दृष्टिकोण से पुन: प्रदर्शित हुआ है।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के बारे में प्रश्न उठाये गये है। हमारे व्यक्तव्यों में प्रधानमंत्री और मैंने स्वयं राज्यपाल के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ उल्लेख नहीं किया। मैं आपको यह बता सकता हूं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं गलत भी हो सकता हूं। मेरे दिमाग में कुछ विचार है उन सभी वर्षों में जो मैंने संसद में बिताये हैं कि यह एक परम्परा है कि हमें इस सभा में राज्यपालों के व्यवहार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूं। यह भी हो सकता है कि ऐसी कोई परम्परा न हो, और ऐसा कोई सुनिश्चित नियम न हो, लेकिन मेरे दिमाग में यह विचार है। यदि गलत हो, तो आप कृपया ठीक कर सकते हैं।

सभा में राज्यपाल के व्यवहार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसी कारण मैंने राज्यपाल का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं दिया। यहां पर्याप्त संदर्भ दिए गये हैं। आलोचनात्मक संदर्भ और निश्चित रूप से इस की भी जांच की जायेगी। राज्यपाल को जैसे ही स्थिति बिगड़ने की सूचना मिली, वे दो-तीन दिन पहले श्रीनगर वापस आ गये थे। हां यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनके वापस जाने से स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया होगा। लेकिन यह लोगों को एक संकेत होता और यदि वे वापस नहीं जाते तो विपरीत संकेत होता। उससे एक बहुत प्रतिकूल बात उत्पन्न होती है।

कर्नल राव राम सिंह : (महेन्द्रगढ़) : आप इस तरह का व्यक्तव्य कैसे दे सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि उनके वापस न जाने से एक गलत संकेत मिलता है।

कर्नल राव राम सिंह : आपातकाल के समय उस स्थान पर प्रशासन प्रमुख की उपस्थिति से 239 व्यक्तियों के जीवन-मरण का अन्तर हुआ होता।

गृह मंत्री महोदय, आप यह कैसे कह रहे है कि राज्यपाल के वहां न जाने से कोई अन्तर नहीं हुआ होता?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन आप जो कह रहे हैं उसे कार्यवाहो वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा और राज्यपाल उसे पढ़ेगे। इसलिए मुझे विश्वास है कि इसका गलत प्रभाव पड़ेगा।

कर्नल राव राम सिंह : यदि राज्यपाल इसे पढ़ेंगे तो भी क्या है? क्या आपका यह अर्थ है कि राज्यपाल जो कुछ पढ़ेंगे उससे हमें डरना चाहिए? मैं आपका अत्यधिक सम्मान करता हूं लेकिन मुझे आप के व्यक्तव्य पर आश्चर्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं भी इस पर आश्चर्यचकित हूं कि आपसे मैंने जो कुछ कहा उसका अर्थ आप यह लगा रहे है कि मैं राज्यपाल से डरता हूं। राज्यपाल मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो मैं उनसे क्यों डरूंगा? **(व्यवधान)**

कर्नल राव राम सिंह : वे निवर्तमान गृह मंत्री को दो घंटे तक इंतजार करवाते थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वे आपको कितना इंतजार करवाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कर्नल राम सिंह जी, उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे कहना चाहिए, कि श्री जगमोहन ने विशेषकर भविष्य के संबंध में कुछ बहुत उपयोगी सुझाव दिए हैं जिनकी हम गहन जांच करेंगे। उन्होंने इस तरह के क्षेत्र में इस तरह के भूभाग का संदर्भ दिया है। उन्होंने विशेषरूप से जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिया है जहां उन्होंने इस तरह के तीर्थ स्थलों के मार्ग के साथ-साथ आश्रय प्रदान करने के लिए और कुछ समुदाय भवन यात्री निवास और आप जो भी उन्हें कहें, बनाने के लिए कुछ एहतियाती तथा निवारक उपाय किए जा सकते हैं। पहलगांव से गुफा तक कोई यात्री निवास अथवा समुदाय भवन नहीं है। मैंने वह सारा मार्ग देखा है। रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है यहां अथवा वहां किसी ने भी इस

तरह के आश्रय स्थल बनाने के बारे में नहीं सोचा जो शिविर अथवा ऐसी अन्य वस्तुओं से अधिक चलने वाले होंगे।

श्री संतोष मोहन देव : सड़कों के बारे में सुझाव के बारे में क्या सोचा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सड़क बहुत सकरी है... **(व्यवधान)** मुझे आपको बता दूं कि सुरक्षा की दृष्टि से इस घटना से पूर्व के घटनाक्रम पर हमें स्पष्ट होना चाहिए- यहां पर दो तीन अवसरों पर आगामी यात्रा से पहले इसका उल्लेख किया गया था तथा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई थी कि क्या यह यात्रा ठीक-ठाक पूरी हो जाएगी और लोगों की सुरक्षा की जाएगी आदि। उस समय स्वाभाविक तौर पर किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने वाली है। जो चिंता व्यक्त की गई थी वह यात्रियों पर यात्रा के दौरान उग्रवादियों के संभावित खतरे को लेकर थी। जब मैं वहां गया तो मुझे बताया गया कि मार्ग के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में मार्ग के साथ-साथ पहाड़ी के ऊपर तैनात किए गए थे क्योंकि यदि उग्रवादियों द्वारा कोई हमला किया जाना था तो वह वहां से संभावित था। संपूर्ण स्थान ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा कुछ स्थानों पर पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ी हुई है। आप जाकर देख सकते हैं।

मैं सुरक्षा अधिकारी नहीं हूं। यह सलाह देना मेरा कार्य नहीं है कि उन्हें कैसे तैनात किया जाना चाहिए, क्या सेना अथवा अर्द्धसैनिक बलों को केवल सड़क पर ही तैनात किया जाना चाहिए, अथवा उन्हें ऊपर से मार्ग की निगरानी हेतु पहाड़ियों पर भी तैनात किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया कि वे काफी संख्या में वहां पर थे तथा सौभाग्य से हमला या हमले जैसी कोई घटना नहीं हुई।

जहां तक हमले की संभावना की व्यक्त की गई आशंका का प्रश्न है मेरे विचार से वे आशंकाएं बहुत वास्तविक थी क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मुझे यहां रिपोर्ट मिली। मैंने कोर्प कमांडर जनरल ढिल्लों से बात की जो वहां के कमानधारी है तथा उन्होंने भी कहा कि घाटी में दहशत और हिंसा की स्थिति पैदा करने तथा चुनावों में गड़बडी करने के उद्देश्य से सीमा पार से अधिक से अधिक लोगों की घुसपैठ कराई जा रही है। शायद पाकिस्तान के कुछ लोगों की इसमें रुचि हो। अत: कुछ क्षेत्रों में घुसपैठ कराई जा रही हैं। वे नियंत्रण रेखा पार से आ रहे हैं तथा मैं कहूंगा कि पिछले दो सप्ताह में उनके साथ मुठभेड़ की कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन सब की रिपोर्ट समाचार पत्रों में आई हो या नहीं। लेकिन नियंत्रण रेखा पर कुछ मुठभेड़ें हुई हैं तथा मुझे जनरल ढिल्लों ने बताया कि सीमा पार के आने वाले लोगों को जो कुछ लोग जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अग्रिम पोस्ट पर सशस्त्र बलों के साथ मुठभेड़ की कोशिश कर रहे हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि पकड़े गए इन लोगों में से निसदेह अनेक मारे गए हैं लेकिन जो पकड़े गए हैं उनमें से अनेक अन्य देशों यमन, सूडान, मिश्र तथा कुछ अन्य देशों के निकले। एक 22 वर्षीय नवयुवक को गोली मार दी गई और दुर्भाग्यवश वह मर गया। यह वास्तव में उसका दुर्भाग्य था। उसके पास अपना पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट से पता चला कि वह यमन का नागरिक था। उस जैसे कई आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्हें विदेशी भाड़े के लोगों द्वारा पैसा दिय जा रहा है। पर इस तथ्य की पुष्टि है कि स्थानीय नवयुवक अब इतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जैसाकि वे पहले आते थे तथा वे लोग विदेशी भाड़े के लोगों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। पकड़े गए कुछ लोगों से सेना ने पूछा आप कश्मीर सीमा पर क्यों आए हैं। उन्होंने यह कहते हुए उत्तर दिया कि हम इसलिए आए क्योंकि हमें बताया गया कि यहां जेहाद चल रहा है। यहां पर इस्लाम खतरे में हैं तथा जेहाद को बचाने के लिए हमें आना चाहिए और जेहाद की लड़ाई लड़नी चाहिए इसलिए हम आए हैं।

इस तरह बहुत सी मजेदार बातें हो रही हैं। वे आशा करते है कि और अधिक घुसपैठ की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बल उन पर भारी हैं तथा वे हमारी सीमा की बहुत अच्छी तरह सुरक्षा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे अधिक उत्पात नहीं कर सकेंगे। आमतौर पर लोग आश्वस्त हैं अन्यथा आपको विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में इतनी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र नहीं प्राप्त होते। यह जानते हुए भी कि उनको खतरा है लोग नामांकन पत्र भरने को तत्पर हैं प्रत्येक वह उम्मीदवार जो संरक्षण चाहता है उसे संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वे आ रहे हैं। पहले जैसा वातावरण, जब लोग यह कहते थे कि कश्मीर में चुनाव करवाना संभव नहीं है व्यवहारिक रूप से बदल गया है, विशेषकर वहां लोक सभा चुनावों के बाद। अत: मेरे विचार से इस प्रश्न को दिमाग में रखना होगा क्योंकि अब से आठ दिन के भीतर चुनाव होंगे।

निसदेह यह प्रश्न उठाया गया कि वहां यह संकट प्रबंध अथवा विपति प्रबंध तंत्र या व्यवस्था की कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं थी। यह सच है वहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं जानता कि वहां ऐसा कुछ था। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में एक बड़ा भूकंप आया था। मैं नहीं जानता कि वहां कोई विपत्ति प्रबंध एकक कार्यरत था या नहीं। लेकिन कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम इन सभी बातों में बहुत पिछडे हुए हैं। यहां गुजरात, हरियाणा के सदस्यों ने अपने राज्यों में होने वाले बड़े त्यौहारों और तीर्थयात्राओं के बारे में बताया जिसमें हजारों लोग एकत्र होते हैं तथा उन राज्य सरकारों की उत्तम व्यवस्था के कारण वहां पर कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी। हमें निश्चित तौर पर इससे लाभ होगा और उन सरकारों से सीखने को मिलेगा। हम उनसे पूछेंगे वे क्या व्यवस्था करते हैं, वे क्या सावधानियां बरतते हैं तथा उन्होंने किस प्रकार के संकट प्रबंध तंत्र की स्थापना की है? हम निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होने और सीखने की कोशिश करेंगे।

श्री पी. आर. दासमुंशी : माननीय गृह मंत्री जी, आपकी

जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में भूकंप के तुरंत बाद मुख्य मंत्री उस स्थान का दौरा करने गए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी पहले उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. आर. दास मुंशी : इस मामले में, अमरनाथ में नरसंहार के 72 घंटे बाद भी राज्यपाल ने उस स्थान पर जाने की कोशिश नहीं की। यही अन्तर है। मैंने यह विश्लेषण इसलिए किया है कि क्योंकि आपने इसके बारे में जानना चाहा था, आप अपने आपको इससे लाभान्वित करना चाहते थे ..... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यहां पर उसी आलोचना और शिकायत की बात कर रहे हैं जिसे कई सदस्यों द्वारा उठाया गया है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : कृपया व्यंग्यात्मक टिप्पणी मत कीजिए। मैं बहुत गंभीर होना चाहता हूं। मैं आपके भाषण को बहुत गंभीरता से सुन रहा था1 लेकिन भाषण के अंत में आप बहुत सामान्य और व्यंगयात्मक टिप्पणीयां कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है। अन्यथा, आप पूरे भाषण के दौरान बहुत गंभीर रहे........ **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस सभा में मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो इन दुर्घटनाओं के प्रति बहुत सामान्य रहता हूं। क्या ऐसा ही है? हर कोई बहुत गंभीर है तथा मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जो इतना सामान्य है तथा मुझे मर रहे लोगों अथवा कुछ न कर पाने की कोई चिन्ता नहीं है। आप कृपया उस टिप्पणी को वापस लीजिए जो आपने यह कहते हुए की थी कि "मैं इस गृह मंत्री की बहुत इज्जत करता हूं आदि-आदि।" आप इज्जत का दिखावा क्यों करते हैं जबकि आप जानते हैं कि मैं बहुत सामान्य हूं तथा मैं निर्दयी व्यक्ति हू, जो किसी के मारे जाने की कोई परवाह नहीं करता है....... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : हमें स्वीकार करना चाहिए कि आप का कार्य उत्तम रहा....... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब मुझे ध्यान रखना होगा..... **(व्यवधान)**

कर्नल राव राम सिंह : गृह मंत्री महोदय, वे यहां पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहे है। न ही इसमें कुछ व्यक्तिगत है। कृपया मुझे व्यक्तिगत मत समझिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : केवल बात यह है कि उनके बहुत सारे सलाहकार हैं इसी कारण इस बात की तैयारी करनी होती है कि वे किस सलाहकार की बात मानें...... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से और अधिक विस्तार में जाना मेरे लिए आवश्यक नहीं हैं क्योंकि ये सब बातें अब जांच का हिस्सा है। जबकि जांच चालू है हमें इन मामलों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें आशा है कि जांच में ऐसी कुछ बातें निकलेंगी जिसमें न केवल ड्यूटी में असफल हुए अथवा ड्यूटी में लापरवाह अथवा किसी भी प्रकार से लापरवाह व्यक्तियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जा सकेगी बल्कि इस प्रकार की समस्या के अध्ययन और अधिक गहराई से समझने में भी तथा ऐसे तंत्र और व्यवस्था करने में मदद मिलेगी जिससे भविष्य में देश में ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सके। बस ठीक है।........ **(व्यवधान)**

श्री राजेश पायलट (दौसा) : मुझे केवल दो बातें पूछनी है। उन्होंने कहा है मौसम सम्बन्धी रिपोर्ट अद्यतन नहीं हैं। श्रीनगर में सबसे अच्छे मौसम विभागों में से एक विभाग है। हर वर्ष, यात्रा से पहले मौसम सम्बन्धी रिपोर्ट के लिए वायु सेना से सम्पर्क किया जाता था। मुझे यह मालूम नहीं कि उनसे इस बार सम्पर्क किया गया था या नहीं।

दूसरी बात अफवाह के बारे में है। गृह मंत्री इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर में अफवाह है कि राज्यपाल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण त्यागपत्र देना चाहा है, लेकिन गृह मंत्री ने उन्हें ऐसा नहीं करने को कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या अफवाह मात्र है....... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह यहां पर चर्चा का विषय नहीं है। आप उनके पास जाएं और उनसे चाय पर इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : 40 वर्षो तक लगातार अपोजीशन में रहने के बाद आज होम-मिनिस्टर इतनी जल्दी ब्यूरोक्रेसी के प्रिजनर बन जाएंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ब्यूरोक्रेसी ने जितनी रिपोर्ट इन्हें दी हैं उसी के अनुसार ये बोलते चले जा रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ उदाहरण रखना चाहूंगा। परसों महाराष्ट्र के दो मिनिस्टर, दौलत राव अहीर और चन्द्रकांत खरे श्रीनगर पहुंचे थे। वे श्रीनगर से पहलगांव जाना चाहते थे। वे अपने साथ बहुत सारी दवाइयां और सामान वगैरहा लेकर आये थे।

अपराह्न 1.00 बजे

हमारी सरकार उनको पहलगांव तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं कर सकी। वे दोनों अल्टीमेटली जम्मू आ गए। जम्मू में उन्होंने महाराष्ट्र के कम से कम पांच हजार लोगों से मुलाकात की ..... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर) : क्या इस पर ही चर्चा होनी थी?....... **(व्यवधान)** यह क्या चर्चा हो रही है? कितने समय तक यह जारी रहेगी?.......... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : मंत्री जी ने कहा कि इस वक्त पहलगांव में कोई यात्री नहीं है। मैं इनको चैलेंज करता हूं। इस समय कम से कम बीस हजार यात्री पहलगांव में है। इनके ब्यूरोक्रेट्स ने यह ऐलान किया कि हमने तीन सौ व्हिकल्स पहलगांव से नई

दिल्ली के लिए लगाए हैं। वहां एक भी व्हिकल सरकार की तरफ से नहीं लगा। वहां के लोग 800-800 रूपया देकर जम्मू तक आए हैं। मैंने स्वुद 16 सवारियों वाली 15 मैटाडोर में बैठे लोगों से बातचीत की। वे नौ हजार रूपया देकर आए।

रेल मंत्री जी बैठे हैं। सारा हाउस इस बात का गवाह है कि रेल मंत्री जी ने यह कहा था कि सब सवारियां फ्री घरों तक जाएंगी। मैं कल आठ बजे जम्मू से आया हूं। आठ बजे तक इनकी तरफ से एक भी ऑर्डर इस तरह का नहीं पहुंचा। सभी यात्रियों को बकायदा टिकट लेने पड़ रहे हैं और वे परेशान हो रहे हैं। आज तक ये सिर्फ तीन स्पैशल ट्रेन्स चला पाए हैं। जितने भी यात्री आए हैं, वे दिल्ली तक आए हैं। उनके आगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रेल मंत्री जी ने हम सब को जो वायदा किया था, उसे वह पूरा करें। इस वक्त सभी यात्री जम्मू आ रहे हैं। वहां आकर उन्हें अपने-अपने घरों तक पहुंचना है। अभी भी यह कह रहे हैं.........**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, अब आप बैठ जाए

......**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : नॉर्मली ऐसे क्वश्चन पूछना एलाऊ नहीं होता।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : यह क्या हो रहा है? हम और आगे चर्चा नहीं चाहते हैं.......**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : वहां कैजुअल्टी बहुत ज्यादा हैं,

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजकर 8 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

बजट सामान्य 1996-97

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 17 लेते हैं।

श्री सी. नरसिम्हा - उपस्थित नहीं।

श्री एस. बंगारप्पा - उपस्थित नहीं।

श्री इमचा (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से बजट पर बोलने वाला मैं एकमात्र व्यक्ति हूं, इसलिए सामान्य बजट पर मेरी चर्चा सामान्य नहीं होगी, मेरी चर्चा इस अर्थ में सामान्य नहीं होगी कि मैं केवल अपने को उन्हीं मुद्दों तक सीमित रखूंगा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इमचा, मैंने आपको बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए, आपको धन्यवाद। बजट में उल्लिखित बिन्दुओं पर कई प्रसिद्ध वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए मैं उन बातों को पुनः नहीं कहूंगा जो मेरे सम्मानित सहयोगियों ने कही हैं। मुझे बताया गया है कि समय की कमी है। इसलिए मैं अपने आपको केवल एक आधारभूत मुद्दे तक सीमित रखूंगा, जो मेरे विचार में है और मैं समझता हूं कि जिस पर अभी किसी ने कुछ नहीं कहा है। यह मुद्दा सुधारों से संबंधित है। आर्थिक सुधारों के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। आर्थिक सुधार 1991 में शुरू किए गए थे।

ये सुधार एक या दूसरे रूप में जारी हैं, लेकिन आधार एक ही है। इस सम्बंध में मुझे कुछ आधारभूत टिप्पणियां करनी है। पहला यह है कि 'सुधार' से वास्तव में आपका क्या तात्पर्य है? क्या यह एक ऐसा सुधार है जो आर्थिक क्रियाकलाप तक ही सीमित है - केवल वित्तीय क्रियाकलाप संसाधन प्रबंधन से तात्पर्य केवल विशेष कर लगाने या कोई कर न लगाने से है? सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में आपका क्या विचार है जो आप अपना सकते हैं? नई नीति के मानदंड के बारे में आपका क्या विचार है जिसे आप अपना सकते हैं। जैसा मैंने कल अमरनाथ यात्रा पर चर्चा के दौरान बीच में कहा था क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को परिसंपत्तियों में बदल सकते हैं? क्या आप एक ऐसे मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं जिसमें आप वास्तव में अपने संसाधनों को व्यर्थ गंवा रहे हैं बिना यह जाने की वे आपके अपने संसाधन हैं या बिना यह प्रदर्शित किए कि आप इन संसाधनों का लाभ उठाने में चतुर नहीं है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि क्या सुधार केवल आर्थिक मुद्दे तक ही सीमित हो सकता है? क्या काम के प्रति मूलभूत दृष्टिकोण में परिवर्तन किए बिना, देश में या प्रशासन में और राजनीति में नई कार्य संस्कृति को लाए बिना इस तरह सुधार हो सकता है? यदि आपकी कार्य संस्कृति वही रहती है, यदि आपका दृष्टिकोण पहले जैसा ही रहता है, यदि कार्यालयों में कार्यप्रणाली वही रहती है- उपेक्षा और उदासीनता की तो क्या आप इसे सुधार कह सकते हैं? पिछले पांच वर्षों के दौरान, क्या आपको कोई आभास हुआ है कि देश की कार्य-संस्कृति में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या इससे देश में उत्पादकता में वृद्धि हुई है, प्रशासन में, अधिक कुशलता आई है, हमारी राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों में और अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण आया है? मैं कहूंगा कि यही मूल मुद्दा है।

मैं आपकी सुधार की कुछ वास्तविक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो एक मूल समस्या से संबंधित है, मैं अपनी इस बात को कुछ उदाहरणों द्वारा बताता हूं। उदाहरण के लिए बिजली का मुद्दा लें। हमारी अनुमानित आवश्यकता 85,000 मे.वा. से अधिक बिजली की है। हमारे पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, एक विशेष समिति ने सिफारिश की थी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में 43,000 मे.वा. बिजली निर्धारित की जाये। अंत्तोगत्वा, इसे 32,000 मे.वा. निर्धारित किया गया। पिछले पांच वर्षों से, हम सुधारों के बारे में सोच रहे हैं और उसी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे समाचार पत्र सुधार संबंधी विषयों से भरे पड़े हैं, लेकिन आज इन सबका सकल परिणाम क्या है, मैं बिजली में काफी कटौती को देख ही रहा हूं। इस तथ्य के बावजूद कि आपकी अपनी योजना में 32,000 मे.वा. बिजली का न्यूनतम उत्पादन केवल 16,000 मे.वा. ही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में बताया है कि 16,000 मे.वा. से अधिक बिजली उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है। विद्युत मंत्रालय कहता है कि 17,000 मे.वा. से अधिक बिजली प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए, इस देश में यह किस तरह का सुधार चल रहा है। यह मेरी समझ से बाहर है।

जब आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ने की अपेक्षा कम होती जा रही है, जो योजना में निर्धारित किया गया है, उसे भी आप कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं। यह कमी काफी अधिक है- लगभग 50 प्रतिशत इस तरह मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या फिर भी हम इसे सुधार कह सकते हैं।

अब, दिल्ली में जो हो रहा है, उसे आप देख ही रहे हैं, वस्तुत: दो दिन पहले दंगे हुए थे, साहपुरजाट के कुछ ग्रामीण व्यक्तियों ने और धनाढ्य कालोनी जैसे एशियाड में रह रहे कुछ व्यक्तियों ने वाहनों को रोका और इसमें दो पुलिस कर्मचारियों की पत्नियां मारी गई। मैंने यह समाचार पत्र में पढ़ा। आपने देखा होगा कि एक थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया है उसने सड़क को यातायात के लिए खोलना चाहा और वे लोग बिजली के कारण प्रदर्शन कर रहे थ। डेसू पर आरोप लगाया जा रहा है। समस्या जो कुछ भी है, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सात परियोजनाओं का अनुमोदन किया था और इन सात परियोजनाओं से दिल्ली को 400 मे.वा. बिजली का अपना हिस्सा मिलना था। नि:संदेह दूसरे राज्यों को भी उनका हिस्सा मिलना था, लेकिन दिल्ली का हिस्सा 400 मे.वा. का था। इस समय तक, 1 मे.वा. की बिजली नहीं दी गई है। हमारी यही उत्पादन क्षमता है, सुधारों की इतनी रूपरेखा प्रस्तुत करने के पश्चात् यह हमारी कार्यक्षमता है।

अब, मैं दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पर आता हूं, जब नया राज्य अधिनियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था तो इस अधिनियम में यह उल्लेख किया गया था कि नई दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान बोर्ड- एक साविधिक बोर्ड आधुनिक कार्यप्रणाली सहित स्थापित किया जायेगा, यह निर्णय अथवा अधिनियम का भाग है, बाद में यह कहा गया कि संक्रमण काल या अस्थायी अवधि के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। तब से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हैं और अब भी पुरानी व्यवस्था ही चल रही है, जो अत्यधिक पुरानी कार्यप्रणाली है महाप्रबंधक के पास कोई शक्ति नहीं है और इस प्रकार की कोई बात उसमें नहीं है। निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यह अत्यधिक पुरानी कार्यप्रणाली है और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान निगम के अधीन ही है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो भिन्न राजनीतिक दल सत्ता में हैं, एक दिल्ली में और दूसरा केन्द्र में मंत्रिमंडल के आधुनिक दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान् बोर्ड की स्थापना के लिए अनुमोदन करने के निर्णय के पश्चात् फाइल को रोक दिया गया। इस तरह से उसका राजनीतिक दृष्टिकोण इतना नकारात्मक है। क्या आप वास्तव में दावा कर सकते हैं कि आपने प्रणाली में सुधार किया है। आपकी उत्पादकता अत्यधिक कम है, आपकी कार्यक्षमता कमजोर है और आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है। आपको कार्यक्षमता के बारे में चिंता नहीं है। आपको केवल अनाधिकारपूर्ण राजनीतिक लाभ की चिंता है जो हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए, यह एक प्रमुख उदाहरण है जो मैंने दिया है।

अब मैं अगला विषय लेता हूं। मैं सभा में उपस्थित था लेकिन उस समय मैंने वित्त मंत्री से प्रश्न नहीं पूछ सका क्योंकि उस समय मेरे बोलने की बारी नहीं आई थी, मैं वस्तुत: कुछ दिन पहले 26 जुलाई, 1996 को एक अतारांकित प्रश्न के उनके उत्तर को उद्धृत कर रहा हू जो अवितरित ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभारों के बारे में था। अब मै केवल सुधार अवधि को लेता हूं। 1993-94 में 70 करोड़ रूपये प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में दिए गए। 1995-96 में 60 करोड़ रूपये प्रतिबद्धता प्रभार के भुगतान के लिए दिए गए, उसके बाद वाले वर्ष में 59 करोड़ रूपये और दिए गए। प्रतिबद्धता प्रभार लगभग 180 करोड़ रूपये है। आपने ऋण की 2 प्रतिशत राशि प्रतिबद्धता प्रभार के लिये रखी हुई है। आपने ऋण तो प्राप्त कर लिया, किन्तु उसका प्रयोग नहीं किया। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता हूं कि गलती पर कौन है। हमारी प्रणाली इतनी अकुशल है कि द्विपक्षीय आधार पर विदेशी सहायता मिलने के बावजूद हमें गरीब जनता के 180 करोड़ रूपये देने पड़ रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी यह कह सकते हैं कि हम ब्याज नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रतिबद्धता प्रभार दे रहे हैं। परंतु, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में एक रूपया भी महत्वपूर्ण है। अगर मुझे 200 करोड़ रूपये दे दिये जायें, तो मैं दिल्ली का चेहरा ही बदल दूंगा। इतनी आसानी से यह कह दिया जाता है कि हम सिर्फ प्रतिबद्धता प्रभार ही दे रहे हैं आदि। मैं बताना चाहता हूं कि यही हमारी कुशलता है। यही हमारी उत्पादकता है, चाहे गलती राज्य सरकार की हो अथवा योजना आयोग की हो अथवा किसी अन्य की हो। मैं इन सब बातों में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ सुधारों का जिक्र कर रहा हूं जिनको आप कहते हैं कि आपने लोगों का दृष्टिकोण, कार्य-संस्कृति और कार्य कर रही व्यवस्थाओं को बदले बिना ही लाया है।

अब मैं एक अन्य पहलू परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की तरफ आता हूं हमारे माननीय पूर्व वक्ता ने ठीक ही देश के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख किया था। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है? वर्ष 1988 में 10,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था और इसके लिए अनुमोदन भी दे दिया था तथा 1500 करोड़ रूपये के भारी व्यय पर उन्नत उपकरण भी खरीदे गये थे। परन्तु अचानक ही कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था। हम अभी तक इसके कारण नहीं समझ पाए हैं। सामान्यतया साधनों की कमी ही कारण बताया जाता है, किन्तु जब कभी भी किसी राज्य को आर्थिक पैकेज देना होता है, साधनों को जुटा लिया जाता है। परन्तु इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बिना सोचे-विचारे समाप्त कर दिया गया यह भी नहीं सोचा कि इसके क्या दीर्घकालिक परिणाम होंगे।

वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य घटाकर 2000 कर दिया गया है किन्तु मेरे विचार में इसको भी वर्तमान में प्राप्त करना काफी कठिन है। इसके क्या परिणाम होंगे?

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं इसके परिणामों की बात कर रहा हूं। आपके द्वारा कार्यक्रम में कटौती करने से प्रतिभावान वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के पास कार्य नहीं रह जायेगा। आप उनको प्राप्त अनुभव के आधार पर देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने के अवसर से वंचित कर रह हैं। आप उनके अन्दर उदासीनता का भाव पैदा कर रहे हैं। उनके पास प्राप्त अनुभवों, दक्षता और योग्यता को प्रदर्शित करने के अवसर नहीं रह गए हैं। पुराने वैज्ञानिक परिदृश्य से बाहर हो जायेंगे तत्पश्चात् अंतराल काफी बड़ा हो जायेगा। सवर्ग प्रबंधन प्रणाली में अन्तराल की भांति दस वर्ष पश्चात् काफी बड़ा अन्तराल उत्पन्न हो जायेगा। वर्तमान में किए जा रहे कार्यों के लिये दस वर्ष पश्चात् कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी ने भी इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा है। यह एक अनोखी प्रकार की कुशलता है। भारत विश्व के कुल परमाणु ऊर्जा उत्पादन का सिर्फ 0.9 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहा है। अमरीका लगभग 29 प्रतिशत फ्रांस 20 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है।

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : वर्तमान में यूरोप के देश अत्यधिक मात्रा में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

श्री जगमोहन : अगर आपका यही तर्क है तो आप इसे पूर्णत: स्थगित कर सकते हैं। किन्तु मेरा तर्क है कि हमें नई-नई दक्षताएं अर्जित करनी चाहिये।.... **(व्यवधान)** फिलहाल, मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं। मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। फिर आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप देश के उदीयमान वैज्ञानिकों को समाप्त कर रहे हैं। उनको अवसरों से वंचित रख कर और एकदम से वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके 1500 करोड़ रूपये मूल्य के खरीदे गए उपकरणों का क्या होगा जो पिछले कई वर्षों से प्रयोग में नहीं आये हैं, उन उद्योगों का क्या भविष्य होगा जिनको आप इस प्रयोजनार्थ विकसित कर रहे थे? जब वर्तमान परमाणु कार्यक्रम जारी था उस समय इस प्रयोजनार्थ कई सहायक उद्योग स्थापित किये गए थे। वर्तमान में वी. एच. ई. एल. के पास उपयोग किये जा रहे उपकरणों जैसे रोटेटर्स आदि के लिए कोई क्रय आदेश नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि कई अति आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली निजी संस्थाएं विकसित हो रही हैं। मैसर्स लारसन एंड टुबरो इन सभी उपकरणों का उत्पादन कर रहा था। उनके सभी क्रय आदेश रद्द कर दिये गये हैं। इसका परिणाम यह होगा कि अगर भविष्य में आप पुन: परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को चालू करना चाहेंगे, तो इन कंपनियों को अपनी उत्पादन क्षमताओं का पुन: निर्माण करने में कई वर्ष लग जायेंगे।

आपने सी. टी. बी. टी. पर अपना रवैया अख्तियार कर लिया है। अगर आप कोई विस्फोट भी करते हैं, तो आपकी प्रौद्योगिकी 1974 अथवा 1975 वाली होगी। प्रत्येक राष्ट्र ऊर्जा के उचित उपयोग हेतु नए-नए प्रयोग कर रहा है। आप अगर बम का निर्माण नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी इस क्षेत्र में योग्यता और दक्षता का निरंतर प्रवाह आवश्यक है। अन्यथा आप पीछे रह जायेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुधारों का अर्थ देश का उपयोगी और क्रियात्मक योग्यता को समाप्त करना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार के सुधार हैं।

महोदय, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम सुधारों, पूंजी के प्रवाह, पूंजी निवेश की आवश्यकता, आदि पर चर्चा कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कालाबाजारी और इस प्रकार की अन्य गतिविधियां जारी है। प्रत्येक दिन हम अखबारों में घोटालों और बदनामियों के बारे में पढ़ते रहते हैं वर्ष 1993 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के तीन प्रोफेसर्स अर्थात् अर्थशास्त्रियों ने एक प्रमाणिक प्रतिवेदन तैयार किया था। प्रतिवेदन में वर्णन है कि वर्ष 1993 में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ किये जाने के पश्चात व पूंजी को आकर्षित करने के सभी प्रलोभनों को दिये जाने के बावजूद भारत से पूंजी का प्रवाह, निर्यात और आयात के मूल्य से अधिक बीजक तथा मूल्य से कम बीजक किये जाने के कारण, 4700 मिलियन डालर रहा था। आप सभी को यह सब मालूम है यह उनके अध्ययन में यही बात आई है। आप अगर चाहते हैं तो मैं उस भाग को पढ़कर सुना सकता हूं। वर्ष 1993 में उन्होंने व्यक्त किया था कि 4000 अथवा न्यूनतम 2000 हो सकता है अर्थात् 4000 की अधिकतम सीमा है। उसके बाद के वर्षों में अगर निर्यात बढ़ा है तो आयात भी बढ़ा है। अगर 1993 के आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जाए, तो वर्ष 1994, 1995 और 1996 में मूल्य से कम बीजक और मूल्य से अधिक बीजक के कारण 25000 से 30000 मिलियन अमरीकी डालर के लगभग भारत से बाहर धन का प्रवाह हुआ होगा। कुशलता के प्रश्न के अलावा यही हमारे सुधारों का वास्तविक स्वरूप है।

समयाभाव के कारण मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को नहीं छेड़ना चाहता हूं। मेरे अन्य कई महत्वपूर्ण सहयोगियों को बोलना है और

मेरे दल के लिये सीमित समय ही आंबटित किया गया है। काले धन के बारे में जाने माने प्रो. गुप्ता ने एक किताब लिखी है। कुछेक मूल्यांकनों के अनुसार काला धन कुल राष्ट्रीय आय का 70 से 80 प्रतिशत हो सकता है। मैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हूं फिर भी यह सुझाव देना चाहता हूं कि काले धन का मूल्यांकन करने के लिये एक विशेषज्ञ दल के गठन पर विचार किया जाए।

इन सुधारों से जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्यों को प्राप्त करना है? किस प्रकार का जीवन-यापन करने की परिस्थितियां पैदा की जा रही है? हम किस प्रकार के परिवेश का सृजन कर रहे हैं? दिल्ली विश्व का चौथा सबसे अधिक प्रदूषण वाला शहर बन गया है। वर्ष 1982 में जब मैं दिल्ली का उपराज्यपाल था और एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, दिल्ली भारत का गौरव बन गई थी। प्रत्येक विकासशील राष्ट्र यह पूछता था कि हमने किस प्रकार इसका आयोजन किया था। वे पूछते थे कि हमने किस प्रकार इसको किया है? हम यह कहने में गौरव महसूस करते थे कि देखो हमारी राजधानी कितनी सुन्दर लगती है, वातावरण कितना साफ है और यातायात कितनी अच्छी तरह से संचालित है। ...... **(व्यवधान)** मैं कहना चाहता हूं कि उस समय प्रदूषण बिल्कुल न के बराबर था। उस समय प्रदूषण की कोई समस्या नहीं थी। खैर, स्थिति कुछ भी रही हो किन्तु विश्व में चौथा सबसे अधिक प्रदूषित शहर नहीं था। अगर आप तुलना करना चाहते हैं और सबसे अधिक प्रदूषित शहर बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अति गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। किस प्रकार की गुणवत्ता पैदा की जा रही है? मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने यह किया और आप यह कह सकते थे। मैं आपसे इन पहलुओं पर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूं। आज हमारे सभी महानगरों में जीवन की गुणवत्ता क्या है? दिल्ली हो, मुम्बई हो, कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, प्रत्येक महानगर में जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मकानों की कीमतें बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में एक भी मकान का निर्माण नहीं हो रहा है। आर्थिक नीति का अनुसरण करने के कारण मकान की लागतें 50 लाख से 60 लाख रूपये से भी अधिक हो रही हैं। क्या आप मुझे इन शहरों में से किसी भी शहर में दो या तीन कमरों की फ्लैट 50-60 लाख रूपये से कम कीमत का दिखा सकते हैं? हम किस के लिए निर्माण कर रहे हैं? देश के संसाधन कहां जा रहें हैं? आज भी उपसचिव रैंक के अधिकारी गन्दी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वे उससे अधिक व्यय वहन नहीं कर सकते। शहरी विकास मंत्रालय में हाल ही में हुए आवास घोटाले में छोटे अधिकारी एक कमरे अथवा दो कमरों का आवास प्राप्त करने के लिए 30000 रूपये देने के लिए क्यों तैयार थे। वे ऐसा क्यों कर रहे थे? उनमें से कुछ बहुत ईमानदार थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे अपने आवास की व्यवस्था नहीं कर सके और शोषण करने वालों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। हम इस देश में इस तरह के सुधार ला रहें हैं।

आप के संसाधन क्या हैं? शहरी भूमि एक मूल्यवान संसाधन है। यदि कोई यह कहता है कि एक शहर का प्रबंधन नहीं किया जा सकता, तो मैं कहता हूं कि उसे यह पता ही नहीं कि शहर क्या है। महानगर क्षेत्रों में शहरी भूमि आय का मूल्य स्रोत है। लेकिन हमने इसे गंवा दिया और सट्टेबाजों और उपनिवेशकों को इसे हथियाने दिया। अब शहरों में झुग्गीवाले उभर रहे हैं। भूमि- यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रश्न है कि सर्वाधिक मूल्यवान भूमि जिसकी बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए आवश्यकता है उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन परियोजनाओं की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि आप एक कार्यालय, एक स्कूल, कुछ सरकारी मकानों का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन आप चुपचाप परियोजना की लागत बढ़ते देख रहे हैं। कई करोड़ रूपयों की भूमि कई परियोजनाओं में अंतर्ग्रस्त है जहां परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो रही है और हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। जिस परियोजना की लागत 2 करोड़ रूपये होनी थी उसकी अब लागत 60 से 70 करोड़ हो गई है।

अब इन लोगों का पुनर्वास किया जाना है। कहीं कोई जमीन खाली नहीं है क्योंकि इसे घेर लिया गया है। उसी क्षेत्र में आपके पास भूमि है, इसका विकास कीजिए, इसे अधिग्रहीत कीजिए और न-लाभ न-हानि के आधार पर इसे लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और गन्दी बस्ती वालों में निःशुल्क वितरित कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैंने केवल एक प्रश्न किया है अर्थात् किस तरह सुधार किया जाएगा। अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं यह जानता हूं कि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

मेरा प्रश्न यह है कि आप मूल्यवान संसाधनों, परिसंपतियों को नष्ट कर रहे हैं। इनका उचित उपयोग किया जा सकता है अब मैं दूसरी बातों को ले रहा हूं। प्रश्न यह है कि विकास की गुणवत्ता और विकास की संरचना का महत्व मात्र विकास की दर से कहीं अधिक हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 1996-97 की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा गया है ? इसमें बताया गया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें रोजगार विहिन विकास हो रहा है। मेरे पास सारे आंकड़ें उपलब्ध हैं समय के अभाव में मैं इनको नहीं पढ़ूंगा। लेकिन उनके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में रोजगार विहिन विकास है यदि आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं इसका अर्थ है कि रोजगार कम हो रहा है। सक्षम गरीबों का प्रतिशत 56 प्रतिशत हैं सक्षम गरीब मेरे विचार से, वह गरीब है जो गरीबी और बेरोजगारी के दुश्चक्र को कभी नहीं तोड़ सकते।

अतः ये तथ्य और आंकड़े हैं यदि आप निष्पक्ष होकर देखें तो उनसे आप सुधारों का सही चेहरा देख सकते हैं। यह भी आधारहीन है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आप इस देश में किस तरह की गुणवत्ता किस तरह की अंर्तदृष्टि किस तरह के जीवन की अभिकल्पना चाहते हैं, आप किस तरह की प्रणाली चाहते हैं। यदि लोगों के पास धन है तो वे उपभोक्तावादी बन जाते हैं। यदि पांच प्रतिशत लोग पूर्णतया उपभोक्तावादी बन रहे हैं और वे अधिकाधिक धन चाहते है, वे अधिकाधिक धन बहा हो रहा है और

90 प्रतिशत लोगों के पास यह नहीं है। मध्यम वर्ग प्रसन्न होगा, लेकिन शायद 50 से 60 प्रतिशत लोग अर्ध-आदिवासी जीवन जी रहे होगें आप जाकर देख सकते हैं। यह इस स्थान से केवल दो-तीन मील की दूरी पर है। आप पायेंगे कि वहां न पानी है, न बिजली है। आप देख सकते हैं वे खुले में मल त्यागते हैं यदि आप सुधारों का असली चेहरा देखना चाहते हैं तो आप सुबह किसी भी रेलगाड़ी में यात्रा करे। आप विस्तृत खुले मल त्याग स्थान देख सकते हैं, रेलवे लाइनों पर गन्दे पानी का अत्यधिक जमाव देख सकते हैं। यह गरीबी का असली चेहरा है। यदि आप इस तरह की खुली सच्चाई नहीं चाहते तो मैं अपना भाषण बंद करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : मैं बुरा नहीं मानता। आप जितना चाहे बोल सकते हैं। यदि आप इसका उत्तर चाहते है तो जिन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया उन्हें बोलने दीजिए। सब को बराबर समय मिलना चाहिए। उनके पास केवल पांच-दस मिनट शेष है...... **(व्यवधान)**

श्री जगमोहन : आपका बहुत धन्यवाद। मेरी कोई इच्छा नही है.... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : आप अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, आप अपना भाषण जारी रखिए, लेकिन अन्य माननीय सदस्यों को बोलने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जगमोहन : ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहां अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

श्री संतोष मोहन देव : सूची कौन बनाता है? हम या माननीय उपाध्यक्ष। हम अपने दल की सूची बनाते हैं। यह सही नहीं है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने सूची बनाई है।

..... **(व्यवधान)**......

श्री संतोष मोहन देव : हां, मैंने यह मार्शल को दी है। मैंने जाकर दी है।.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ परिवर्तन किए गए थे।

.... **(व्यवधान)**....

श्री संतोष मोहन देव : मैं जितनी बार चाहूं परिवर्तन कर सकता हूं। मुझे अपनी पार्टी की समस्या का पता है।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सज्जन ने मुझ से अनुरोध किया था कि उन्हें विमान द्वारा जाना है।

..... **(व्यवधान)**......

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें मुझसे अनुरोध करना चाहिए था, न कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय से। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सूची के अनुसार ही सदस्यों के नाम बुलाऊंगा।

.... **(व्यवधान)**.....

श्री संतोष मोहन देव : पार्टी प्रबंधन अध्यक्षपीठ द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी प्रबंधन हमारे द्वारा किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं। इसीलिए, मेरा यह कहना है कि

......**(व्यवधान)**.....

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा हैं। यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इमचा।

श्री इमचा (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले मैंने सोचा था कि मेरा नाम बुलाया गया था। इसीलिए मैं एक बार पहले खड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया है, चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से बोलने वाला मैं अकेला सदस्य हूं, इसलिए मैं अपने भाषण में सामान्य विषयों को नहीं लूंगा बल्कि मैं स्वयं को उन मुद्दों तक सीमित रहूंगा जिनका संबंध पूर्वोत्तर और इसके विकास से हैं। ऐसा करने में, मैं कुछ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा जो कि आम मुद्दे हैं।

महोदय, मैं यह कहकर अपना भाषण प्रारंभ करना चाहता हूं कि भूतकाल में केन्द्र सरकार के साथ अपनी समस्याएं रखने का हमारा अनुभव बिल्कुल निराशाजनक रहा है। यह अनुभव तो ऐसा है मानो कोई आम व्यक्ति एक बड़े अस्पताल में काफी आशा के साथ जाये लेकिन शीघ्र ही उसे यह अहसास हो कि उसके इर्दगिर्द लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसी बातें वास्तव में बडे अस्पतालों मे होती हैं और ये बहुत विचित्र बात नहीं है। हमारे लोग मुख्य धारा में बहुत आशा और प्रत्याशा के साथ शामिल हुए थे लेकिन वर्षों के उपरान्त वे सभी असत्य सिद्ध हुई हैं।

महोदय, हमसे जो वायदे दिए गए वे कभी पूरे नहीं किए गये और वास्तव में ऐसा हो रहा है। मुझे आशा है कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। कम से कम यह प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के बारे में कुछ चिंता दिखायी है। लेकिन महोदय, मैं यह महसूस करता हूं और कुछ कहने से पूर्व, न्यूनत संख्या कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कुछ प्रश्नों को स्पष्ट करना चाहता हूं। हम इससे सहमत हैं कि विशेष आर्थिक विकास कार्यक्रम न्यूनतम सांझा कार्यक्रम संयुक्त मोर्चा सरकार का प्रमुख अंशदान है। लेकिन जिस प्रश्न को जानने में हमारी वास्तव में रुचि है, वह यह है कि क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में इस न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में उन राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति में सुधार करने के उपाय शामिल हैं जिन्होंने विगत कुछ वर्षों में परेशानी उठायी है। यही मुख्य बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता

हूं। जब तक इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया जायेगा राज्य योजना के तहत सामान्य विकास कार्यक्रम पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। मेरे विचार में यही अति महत्वपूर्ण पहलू है। महोदय, यदि ऐसा नहीं किया गया है और यह ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कोई भी बांध से सीपेज नहीं होने देगा। अगर यह किया जाता है तो बांध से पानी को रोका नहीं जा सकता है। अगर सीपेज नहीं रोकी जाती है तो उस भूमि की सिंचाई नहीं की जा सकेगी जिस उद्देश्य से यह बांध बनाया गया है। इसी प्रकार से अगर राज्यों की चली आ रही वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को हल नहीं किया जाता है तो कोई भी कार्यक्रम चाहे उसके उद्देश्य कितने भी अच्छे हों सफल नहीं होंगे। इसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री जी को मालूम है कि चूक कहां हुई है। चूक तब हुई जब 1989 में वित्त पोषण नीति बदली गई थी। इसका मुख्य कारण नौवां वित्त आयोग है जिसकी सिफारिशों के आधार पर यह बदलाव लाया गया था। महोदय, तदुपरांत विशेष वर्ग के तहत आने वाले राज्यों, जिसमें पूर्वोत्तर, राज्य आते हैं, को इस बदलाव के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है। नौवें वित्त आयोग की अतर्कसंगत सिफारिशों को लागू करने के संघ सरकार के एक तरफा निर्णय के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष वर्ग के तहत आने वाले राज्यों को अत्यधिक नुकसान हुआ है।

वर्ष 1989 के पूर्व केन्द्र राज्यों का विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष ध्यान रखता था ताकि राज्यों को आयोजन संसाधनों में कमी के कारण कोई कठिनाई न हो। इसलिए, भारत सरकार राज्यों की संसाधनों में कमी को अनुदान के द्वारा पूरा करती थी। वर्ष 1989 के पश्चात् जबसे नई वित्त पोषण नीति लागू हुई है केन्द्र ने सहायता देना बंद कर दिया है और राज्यों के ऊपर ही अपने आयोजन संसाधनों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी डाल दी है बिना इसका ध्यान रखते हुए कि क्या ये राज्य अधिक संसाधनों का अर्जन करने में सक्षम हैं या नहीं हैं, मेरे विचार से पूर्वोत्तर राज्यों की पिछले कई वर्षों से जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है यही उसका सार है जब तक केन्द्र इस तरफ ध्यान नहीं देता है और इसकी समीक्षा नहीं करता है राज्यों की कठिनाईयां बनी रहेंगी तथा कोई भी विकास कार्यक्रम सफल नहीं हो पायेगा। मुख्यतः इसी पहलू की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसके कारण, आयोजनागत संसाधनों में कमी के अंतर को पूरा करने के लिए योजनागत संसाधनों को दूसरे कार्यों में लगाने के अलावा और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को ऋण लेना पड़ रहा है जिसके कारण पिछले कई वर्षों से उनकी देनदारियां अत्यधिक बढ़ गई हैं। प्रत्येक वर्ष क्षेत्र के विकास हेतु आबंटित धनराशि में से एक बड़ा प्रतिशत स्रोत पर ही ऋण अदायगी के लिये काट लिया जाता है। यही हमारी कठिनाई है।

बजट के अन्दर दर्शाये गए वित्तीय आंकड़े का कुछ हिस्सा ही पूर्वोत्तर राज्यों को मिल पाता है। इसलिए, यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि अधिकांश राज्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, जो कि आमतौर 50:50 के आधार पर चलाई जाती हैं, का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि ये राज्य 50 प्रतिशत संसाधन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही वर्तमान वास्तविक स्थिति है और मैं समझता हूं कि केन्द्र को कुछ उपाय करना चाहिये। केन्द्र को इसके बारे में चिंता व्यक्त करनी चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है यह समस्या बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनको इस विशेष पहलू को न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में दर्शाये गए विशेष आर्थिक विकास कार्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए।

पूर्वोत्तर राज्यों की तरह कश्मीर भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है और मैंने अखबारों में पढ़ा है कश्मीर के मामले में केन्द्र ने कुछ उपाय किये हैं जिसके लिये मुझे खुशी है। वित्त मंत्री जी को यह स्पष्ट करना होगा कि कश्मीर के आयोजनागत संसाधनों की पूर्ति के लिए अनुदान की बड़ी राशि दी गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के योजनागत परिव्यय, जो कि 1000 करोड़ रुपये से अधिक है, को सिर्फ विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा, इससे राज्य संपूर्ण राशि को विकास कार्यक्रमों में लगा पायेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हू कि पूर्वोत्तर राज्यों, जो कि समान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं के बारे में वह क्या कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या कश्मीर से भिन्न नहीं है। मैं जानना चाहता हू कि क्या माननीय मंत्री जी कोई अन्य पैमाना प्रयोग करने जा रहे हैं? मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिये।

अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये माननीय मंत्री जी वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उनको दो पहलुओं की तरफ ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम, मैं कहना चाहता हू कि केन्द्रीय ऋण का भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस बारे में कुछ करना होगा। दूसरे, गैर-आयोजनागत संसाधनों की समस्या की पुनरावृति होना है। इसलिए, मैं चाहता हू कि इन दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।

मैं एक दो पहलु छोड़ रहा हू और अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं।

महोदय, भारत वर्तमान में उदारीकरण, बाजार अर्थव्यवस्था इत्यादि पर आधारित आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा है। 21वीं शताब्दी को ध्यान में रखते हुए सरकार और इच्छुक निजी निवेशक दोनों ही नए विकास कार्यक्रम बना रहे हैं। उदाहरणार्थ देश में गरीब राज्यों जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग के लिये दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है।

महोदय, मैं कहना चाहता हू कि उदारीकरण का नारा जो वर्तमान में देश में दिया जा रहा है वह हमारी और पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राथमिकता नहीं है। हमारे विकास की कठिनाई का मूलभूत दृष्टिकोण यह है कि किस प्रकार शीघ्र से शीघ्र आधारभूत ढांचा तंत्र तैयार

किया जाए ताकि देश के अन्य भागों की तरह इस राज्य का विकास किया जा सके। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए, हम आशा करते है कि इस कार्य में केन्द्र हमारी सहायता करेगा।

अंततः निष्कर्ष के तौर पर मैं देश की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़े हुए लोगों की भावनाओं के बारे में टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूर्व की भांति अगर उत्तरोत्तर संघ सरकार भी इस क्षेत्र को नजरअंदाज करती रहेगी तो 21 वीं शताब्दी में हमको देश में एक नया ही चित्र देखने को मिलेगा जिसमें आर्थिक असमानता के आधार पर राष्ट्र विभाजन किया जायेगा। मेरे विचार से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के विभाजन को देखना पसंद नही करेगा। इसलिए, मैं आशा करता हू कि इन सभी चेतावनियों के मद्देनजर केन्द्र सरकार मुख्य धारा से अलग-थलग पड़े क्षेत्रों के विकास हेतु कदम उठायेगी और मैं विश्वास करता हू कि इन क्षेत्रों को अब और अत्यधिक नजरअंदाज नहीं किया जायेगा।

मैंने जो मुद्दा उठाया है वह कोई कम महत्वपूर्ण और नगण्य नहीं है और हो सकता है माननीय वित्त मंत्री जी तुरन्त इसका उत्तर देने में असमर्थ हों। इस संबंध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। महोदय, आप जानते हैं कि मुख्य कमी कहा है। आप अगर मूकदृष्टा रहना चाहते हैं तो मेरे विचार से यह उचित नहीं है। इसलिए, मैं आशा करता हू कि मेरे द्वारा उठाई गई समस्याओं के बारे में कुछ अवश्य किया जायेगा, इस आशा के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता को बुलाने से पूर्व मैं लोक सभा के अध्यक्ष के निर्देशों के नियम 155क की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वह इस प्रकार है :

> "अध्यक्ष उन सूचियों अथवा क्रम से बाहय नहीं होगा जिसमें कि दलों या वर्ग अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे जायेंगे। सूचियां केवल उसके मार्गदर्शन के लिए होंगी और जब कभी भी आवश्यक हो उसे उसमें परिवर्तन करने का अधिकार होगा ताकि.........."

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, यह तो सब जानते हैं। अध्यक्ष को यह शक्तियां प्रदान की गई हैं..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे इसलिए उद्धृत किया है क्योंकि श्री संतोष मोहन देव ने इसका उल्लेख किया था। अब मैं श्री सुधीर गिरि को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : महोदय, हमें सभी सदस्यों को समय देने में कठिनाई पेश आती है। अतः यदि आप सूची के अनुसार नाम पुकारें तो हम आभारी होंगे। ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा, इन्हीं समस्याओं के कारण पीठासीन अधिकारी तालमेल बैठाते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, माननीय वित्त मंत्री इस वाद-विवाद का उत्तर सोमवार को दे सकते हैं। आज वक्ताओं की सूची को पूरा किया जा सकता है...... । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सुधीर गिरि को अपने विचार व्यक्त करने को आंमत्रित करता हू।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट सरकार विशेष की छवि पेश करता है वह शासक वर्ग का शासित वर्ग के प्रति दृष्टिकोण, दर्शन और व्यवहार का आईना होता है। वह सरकार के उद्देश्यों, धारणाओं और सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। तेरह राजनीतिक दलों और वर्गो की सम्मिलित मिली जुली संयुक्त मोर्चा सरकार विभिन्न आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इनमें से कुछ परस्पर विरोधी हैं। अतः परस्पर सामंजस्य की भावना बनाए रखने के लिए इन सारे दलों ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की योजना बनाई है और संयुक्त मोर्चा दल के सहयोगी दल इस न्यूनतम साझा कार्यक्रम के कानूनों के अन्दर काम करने को आबद्ध हैं। अतः जब एक अर्थव्यवस्था के एक वैकल्पिक विकास पथ की आशाएं पूरी नहीं हो पातीं, तो केवल माननीय वित्त मंत्री जी को ही अकेले पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराते। परंतु यह तो है कि जब जन सामान्य के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तब हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते।

इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे बजट गरीब प्रतीत होने वाले अमीरों के पक्ष का मिलाजुला प्रतीत होता है।

महोदय बजट चाहे काफी सीमा तक एक कड़ी है, तथापि यह एक नई दिशा भी देता है और इसकी नई दिशा है उस अधिकतर जन समुदाय को न्याय देना जो दिन-रात काम करके समाज का निर्माण करते हैं। फिर भी उनका अमानवीय तरीके से शोषण किया जा रहा है। बजट की नई दिशा इस तथ्य मैं भी निहित है कि बजट की केन्द्र और राज्यों के बीच में स्वामी-सेवक संबंध की बजाय सौहार्दपूर्ण सहयोगी संबंध स्थापित करने वाला माने जाने लगा है। बजट की एक नई दिशा यह भी है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विचारों को मानना शुरू कर दिया है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की उस संघीय भावना को पुर्नजीवित करने का प्रयास है जिसे धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा था।

जहां तक बजट के गरीबो के पक्ष में होने का प्रश्न है, यह तो स्पष्ट है कि बजट से इतना तो पता चलता है कि सरकार गरीबों और पिछड़ों के लिए चिंतित है। देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सलाह और संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के उद्देश्यों का अनुपालन करते हुए सरकार ने सात आधारभूत उद्देश्यो की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जैसे पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र, आवास प्रबंध, मध्याह्न भोजन गावों को शहरो से जोड़ने वाली सड़कों सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन क्षेत्रों पर आई. आर. डी पी., जे. आर. वाई. और ई. ए. एस. जैसे अन्य कार्यक्रमों की बजाय इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा हैं। ध्यान

अधिक केन्द्रित किया जा रहा है। इसीलिए ऊपर उल्लिखित शीर्षों पर आवटन कम कर दिये गए हैं। इन सभी शीर्षों से कुल मिलाकर 70 करोड़ रूपये कम कर दिये गये हैं।

इन शीर्षो पर कुल योजना परिव्यय पिछले साल के वास्तविक व्यय से 11 प्रतिशत कम रखा गया है। किन्तु गरीबी उन्मूलन हेतु सामाजिक सेवा योजनाओं के लिए व्यय करीब 23 प्रतिशत बढ़ाकर 11,508,83 करोड़ रूपये कर दिया गया है। यह अन्य नई कल्याण योजनाओं के अतिरिक्त है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को 2466 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि नए परिवेश में संयुक्त मोर्चा सरकार दीर्घावधि आधार पर गरीबी का उन्मूलन करने हेतु आधारभूत समायोजन कर रही है। यही कारण है कि निधि आबंटन में 13.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं और आवास सुविधाएं प्रदान करने हेतु 250 करोड़ रूपये रखे गए हैं। गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु 792 करोड़ रूपये अलग से रखे गए हैं। इसके अलावा वृद्धों के लिए वृद्धाश्रमों का निर्माण करने हेतु पांच करोड़ रूपये अतिरिक्त रखे गए हैं। पांच करोड़ रूपये निर्धन बच्चों के लिए आवासीय प्राथमिक विद्यालयों बनाने हेतु, 847 करोड़ रूपये महिलाओं और बाल विकास के लिए 10 करोड़ रूपये महिला विकास निगम के लिए और 10 करोड़ रूपये विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की निराश्रित महिलाओं के लिए 682 करोड़ रूपये समेकित बाल विकास कार्यक्रम के लिए और 188 करोड़ रूपये श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने हेतु और उन के प्रशिक्षण हेतु रखे गए हैं।

दुर्घटनाओं के शिकार लारी और ट्रक चालकों के परिवारों को 50000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान देने हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हामलों के लिए गृह-निर्माण हेतु पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इन सबके अतिरिक्त निर्धनों के लिए खाद्यान्नों पर राजसहायता हेतु भी 5884 करोड़ रूपये अलग रखे गये है। गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए, बजट में सार्वजनिक प्रयोग की बहुत सी वस्तुओं पर करों में भारी छूट की गई है। जिन वस्तुओं पर करों में भारी छूट दी गई है, उनमें टूथपेस्ट, जूते, खाद्य तेल, शीशे का सामाना, टाइलें, कपड़े धोने के साबुन आदि शामिल हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए आसान दरों पर ऋण देना सुनिश्चित किया गया है।

इन समस्त सुविधाओं के अतिरिक्त बजट में निर्धनों के लिए कुछ और प्रस्ताव हैं इन समस्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के सम्मान में बजट कल्याण कार्यक्रमोन्मुख है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। परंतु इन सब कार्यो पर लगने वाला खर्च वास्तव बहुत सीमित है। अगर देश में कुल अर्हत गरीब लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान से देखा जाए तो उनके कल्याणार्थ प्रस्तावित राशि बहुत ही कम है। इस प्रकार से जिन मदों के लिए आंबटन किया गया है वह निर्धन वर्ग के अन्तरिम राहत देने के लिए सकारात्मक कदम है। गरीबों की समस्याओं का समाधान करने हेतु यह कोई स्थायी कदम नहीं है। इस सारी स्थिति के बावजूद माननीय वित्त मंत्री जी अमीरों से कुछ संसाधन जुटा सकते थे। परन्तु उस स्रोत से धन नहीं जुटाया गया है। परंतु अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कुछ व्यापक सरचनात्मक परिवर्तन करने होंगे।

इन सारे तथ्यों के आधार पर हम बजट को विचारोत्पादक मानते हैं। उपेक्षित, दलित और गरीब यह जान पायेंगे कि उनके हक क्या हैं। तभी वह सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए चल रहे लम्बे संघर्ष में भाग लेंगे। वास्तव में बजट अपने आप में गरीबी की समस्या का कोई समाधान नहीं है। परंतु मैं गरीबों को पेश छोटी-2 कटौतियों की आलोचना अवश्य करूंगा। इसलिए, मैं यहां पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये अधिक साधन जुटाने हेतु विचारों की शून्यता का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

अब मैं संपन्न व्यक्तियों हेतु किये गये प्रयासों का उल्लेख करना चाहता हूं। संयुक्त मोर्चा सरकार ने संपन्न वर्ग की कीमत पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं किया है। ग्रामीण संपन्न व्यक्तियों को छुआ तक नहीं गया है। आधारभूत ढांचा विकास के लिये पूंजी निवेश से संपन्न व्यक्तियों की ही शक्ति बढ़ेगी। स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं पर सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है। स्वयं के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों और व्यवसायियों को अधिकांशतः कर अदा करने वालों की श्रेणी में नहीं लाया गया है। निगम करों पर देय अधिभार को 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं में पूंजी-निवेश हेतु रियायतें दी गई हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप अपना संपूर्ण भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं कुछ ही मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुख्य मुद्दों को लिखकर विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। भाषण पढ़ने में अधिक समय लगता है।

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : मैं कई तथ्यों का वर्णन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उपयुक्त हिस्से को पढ़ सकते हैं यह अच्छा नहीं है कि आप संपूर्ण भाषण को पढ़ें आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया आगे जारी रखिये।

(व्यवधान)

श्री सुधीर गिरि : पूंजी अभिलाषा करों को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। वादा किया गया है कि उत्पादन शुल्क के चार वर्ग कर दिये जायेंगे। वस्त्र उद्योग पर भी माडवेट क्रेडिट दिया जाएगा, हथकरघा क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। कुछ वस्त्र उत्पादों और उनके आदानों पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कंपनी का गठन किया जायेगा। इन

परियोजनाओं से संपन्न वर्गो को ही लाभ मिलेगा। प्रौद्योगिकी आयात हेतु स्वतः स्वीकृति की सीमा 1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 7 करोड़ रूपये कर दी गई है।

अपराह्न 3.00 बजे

इसके अलावा कृषि और सिंचाई हेतु अधिक आवंटन किये जाने के उपशामकों की धनी वर्गो से अधिक संसाधन जुटाकर बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन प्रक्रियाओं से संपन्न वर्गो को लाभ मिलेगा। अंततः निर्धन और संपन्न वर्गो के बीच अंतर गहरायेगा। बजट में प्रस्तावित विकास पद्धति से आय और संपतियों के वितरण में आर्थिक तथा सामाजिक असमानतायें बढ़ेंगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय औद्योगिक घरानों, दोनों ने ही कई लाभ प्राप्त कर लिये हैं। उन्हें सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क में दी गई कटौतियों से संतुष्टी नहीं हैं। उनकी कई शिकायतें हैं। अधिक रियायतों के लिए दबाव अभी भी बना हुआ है। बजट में आश्वासन दिया गया है कि औद्योगिक घरानों को समान अवसर व सुबिधाएं दी जायेंगी। हमें यह ध्यान में रखना चाहिये भारतीय उद्योगों को विदेशी कंपनियों के साथ असमान स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को समाप्त किया जा रहा है। यह एक आत्मघाती प्रवृत्ति है।

जहां तक मुद्रास्फीति का प्रश्न है, इसको कुछ समय तक 4.7 प्रतिशत की दर पर बनाए रखा गया था। परंतु मुद्रास्फीति बढ़ रही है। पिछले सप्ताह यह दर 5.41 प्रतिशत हो गई थी यह और बढ़ेगी यह संयुक्त सांझा कार्यक्रम में किये गये वायदे के विपरीत है।

महोदय, कृषि के बहुआयामी विकास के लिये बजट में प्रस्ताव किया गया है कि कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों के लिये देय ऋण को दुगुना कर दिया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ इस वर्ष नाबार्ड की शेयर पूंजी 500 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रूपये कर दी जायेगी। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विन पोषण हेतु 2500 करोड़ रूपये आर आई डी एफ के रूप में दिये जायेंगे। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्र त्वरित सिचाई कार्यक्रम के तहत 800 करोड़ रूपये उपलब्ध करायेगा। इन परियोजनाओं से 1,00,000 हेक्टेयर भूमि को लाभ पहुंचेगा। बागवानी, पुष्पोत्पादन और कृषि पर आधारित उद्योगों इत्यादि के विकास हेतु राज्य स्तर के कृषि विकास वित्त संस्थानों का गठन करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों के अलांवा, सरकार ने उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ा दी है। ट्रेक्टरों और पावर टिलर्स पर भी राजसहायता दी जा रही है। इन प्रस्तावों को पिछले वर्ष कृषि उत्पादन में 2.4 प्रतिशत की गिरावट और फसल उत्पादन में 0.9 प्रतिशत की गिरावट की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये।

इसलिए ये सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं, इन प्रस्तावों से किसानों को लाभ मिलेगा। परंतु कौन से किसानों को लाभ मिलेगा? छोटे और सीमांत किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। वे मजदूरी कमाने वाले भूमिहीन मजदूर नहीं हैं। प्रस्तावित रियायतें बड़ी जमीनों के मालिकों को दी जायेंगी। बड़ी जमीनों के मालिकों को ऋण की सुविधाएं मिलेंगी। उनको ही ट्रैक्टरों/पावर टिलर्स और उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता का लाभ मिलेगा। पूर्व में भी उनको यही लाभ मिल रहे थे और अब भी उनको यही लाभ मिलते रहेंगे।

अब छोटे, गरीब और भूमिहीन कृषि मजदूरों का क्या होगा? छोटे और गरीब किसानों को छोड़ने से क्या कृषि का विकास होगा? कृषि क्षेत्र में समुचित पूंजी निवेश से निःसंदेह इसमें प्रगति होगी। परंतु हम प्रगति के साथ-साथ सामाजिक न्याय के भी पक्षधर हैं। अगर अधिकांश ग्रामीण व्यक्ति प्रगति के दायरे से बाहर रहते हैं तो सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। संयुक्त मोर्चा सरकार के संयुक्त सांझा कार्यक्रम को ठेस पहुंचेगी इसलिए मेरे विचार से ऐसा विकास सिर्फ वाणिज्यिक ही होगा। कृषि के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े औद्योगिक घराने अपना वर्चस्व बना लेंगे।

पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र विकास को गति प्रदान करता था। परंतु घरेलू औद्योगिक घराने अत्यधिक प्रगति नहीं कर पाए। औद्योगिक क्षेत्र में उत्साह नहीं रह गया था। तत्पश्चात् बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया। यहां पर कितनी विदेशी पूंजी लगाई जायेगी, यह सिर्फ अनुमान का विषय है। कृषि क्षेत्र को पुनः बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये खोल दिया जायेगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े असंख्य लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। हमने हरित क्रांति की उपलब्धियों को देखा है। बड़े किसानों ने अधिक मात्रा में ऋण की उपलब्धता और सिंचित भूमि के फायदों का लाभ उठाकर उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया है।

रिकार्डो का ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत कार्य कर रहा हैं इसलिए नवीन प्रौद्योगिकी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरी आशंका है कि बड़े भूमि मालिकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच गुप्त संबंध मजबूत होंगे। सीमांत, छोटे भूमिहीन किसानों और कारीगरों को नुकसान होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हू कि वे राज्यों के साथ भूमि सुधारों को लागू करने का मामला उठाएं ताकि छोटे और भूमिहीन किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। मुझे पता है कि भूमि का मामला संविधान की दूसरी अनुसूची में आता है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने ग्रामीण बचत को जुटाने के उद्देश्य से दो अथवा तीन आस-पास के जिलों को मिलाकर नए प्राइवेट स्थानीय बैंकों का गठन करने का प्रस्ताव किया है। हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र में विदेशी बैंकों की कोई रूचि नहीं होगी।

मैं इस संबंध में कहना चाहता हू कि सामाजिक स्वीकृति और अर्थक्षमता के मद्देनजर ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिये। इन संस्थाओं का विकास किसानों को सूदखोरों से दूर रखने और बहुत बड़ी ग्रामीण वित्तीय बाजार व्यवस्था को शेष अर्थव्यवस्था से एकीकृत करने के उद्देश्य से किया गया है। यह दशकों में किया गया है। इससे वित्तीय और विकास संबंधी दोनों ही

उद्देश्यों की प्राप्ति के लक्ष्य में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई हैं। कृषि ऋण पुनरीक्षा समिति जिसको खुसरों आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने इसको और अधिक पूंजी प्रदान करने की सिफारिश की है।

इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण बैंकों का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिये। ग्रामीण आर्थिक विकास में इनकी भूमिका को कम नहीं आंका जाना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विकास बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ असमान स्पर्धा का सामना कर रहे है। स्पर्धा काफी अधिक है। परंतु भूमि विकास बैंकों को बैंककारी कार्य करने की अनुमति नहीं है। उन्हें ग्रामीण जनता से जमा धनराशि लेने की अनुमति नहीं है। तब वे प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम कैसे होंगे? इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह ग्रामीण बैंककारी कारोबार के सभी पहलुओं पर विचार करें और बैंककारी अधिनियम 1949 के आधार पर पूरा बैंककारी कारोबार करने के लिए भूमि विकास बैंकों को प्राधिकृत करें।

बेरोजगारी की समस्या पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। बजट इस संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में मौन प्रतीत होता है। यह देखा गया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को बजट भाषण में अपना स्थान मिला है। सिडबी को परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए राज्य वित्तीय निगमों और वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्वित्तियन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्रस्ताव का अर्थ पूंजी प्रधान निवेश होगा। ऐसा निवेश रोजगार सृजन के क्षेत्र को कम करेगा। अन्य क्षेत्र जो श्रम प्रधान हो सकता है अर्थात् कृषि पूंजी प्रधान होने जा रहा है अत: रोजगार सृजन का क्षेत्र और सीमित होगा। इस पहलु की गहन जांच करने की आवश्यकता है।

गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली महत्वपूर्ण हैं। जबकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है उन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तंत्र नही है। इस तरह के मूल्य उतार-चढ़ाव या सर्वाधिक प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। इस संदर्श में केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से एक निर्धारित कीमत पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनके प्रति कुछ न्याय किया जा सकता है। अत: यह लोगों में समानता लाने का एक तंत्र है। प्रस्तावित प्रणाली को तुरंत प्रारंभ किया जाना चाहिए।

मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमारे देश की शोचनीय स्थिति में लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को अपना जनादेश दिया है। धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखना है। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के प्रति न्याय करना है। माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव के जनादेश का सही अर्थ लगाया है। अत: उन्होंने अपने भाषण के प्रारंभ में कहा है कि हम जिस बात से एक हुए है वह भारत की धर्मनिरपेक्ष विरासत को बनाये रखने और अधिक तीव्र आर्थिक विकास और अधिक सामाजिक न्याय से प्रतिबद्ध एक प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने का संकल्प है। विकास और सामाजिक न्याय दो अलग-अलग शब्द नहीं हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री, डा. अमर्त्य सेन के अनुसार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को साक्षरता और लोगों का अच्छा स्वास्थ्य ही तेज कर सकता है।

अधिसंख्य लोगों के कल्याण के बिना कोई वास्तविक विकास नहीं होगा। मुझे आशा है कि सरकार गरीबों की सहायता करेगी और किए गये प्रावधानों को क्रियान्वित करेगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मुझे एक बात कहनी है। प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस 3.30 बजे के बजाय 4.30 शुरू होगा।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उत्तर सोमवार को दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भेजे गये संदेश में ऐसा बताया गया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भेजा गया संदेश दे रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय का जो मैसेज मेरे पास आया है, वह यह है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस 3.30 बजे के बजाए 4.30 बजे शुरू होगा और माननीय वित्त मंत्री जी 4 बजे जवाब देंगे। मेरे पास 11 माननीय सदस्यों के नाम हैं, अगर वे पांच-पांच मिनट भी लें, तो भी सब माननीय सदस्य नहीं बोल पायेंगे। इसलिए पांच मिनट से भी कम समय बोलेंगे, तब जाकर बात पूरी होगी। कृपया कोआपरेट करें। कृपया सहयोग कीजिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : कारगर ढंग से सहयोग करने के लिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि वित्त मंत्री को अपना उत्तर सोमवार को प्रश्न काल के तुरंत पश्चात् देना चाहिए, आज नहीं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी डिमान्ड्स आप कब टेक-अप करेंगे। जब तक यह डिस्कशन पूरा नहीं होगा, तब तक आप डिमान्ड्स नहीं ले सकते हैं।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : हम वित्त मंत्री के भाषण के बारे में वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। हम समय सूची के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वह समय सूची का भाग है। इसी वजह से मैं यह अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यों को अपनी पूरी बात करने दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए क्योंकि कई असाधारण बातें हो गई। हम सामान्य बजट पर चर्चा किए बिना स्थायी समितियों के पास चले गये। माननीय मंत्री को सोमवार को उत्तर देने के लिए

सहमत होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : महोदय, प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का समय 3.30 बजे रखा गया है। जो माननीय सदस्य बजट पर बोलना चाहते हैं, वे तो छः बजे से सात बजे तक भी बोल सकते हैं। यह तो हम लोगों के विशेषाधिकार का मामला है। पहले फ्राइडे को भी यही हुआ था।...... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : देख लेते हैं।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : पहले फ्राइडे को भी यही हुआ था। रेलवे बजट पर भी यही हुआ और उसको छोड़ दिया गया। आज भी वही स्थिति हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि हम लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। एक सप्ताह में हम लोगों को एक दिन मिलता है और यह हम लोगों को विशेषाधिकार है। चेयर से मेरी प्रार्थना है कि हम लोगो को संरक्षण मिलना चाहिए।..... **(व्यवधान)**

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : एक घन्टे में क्या फर्क पड़ता है, 3.30 बजे के बजाए 4.30 बजे हो जाएगा।. **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े तीन तक चलने दीजिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं आज उत्तर दे सकता हूं या किसी अन्य दिन, लेकिन यह आवश्यक है ओर मैं यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि बजट पर बोलने वाले सभी वक्ता अपना भाषण आज तक अवश्य पूरा करलें और यदि उसके लिए गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयक के लिए नियत समय में से लगभग आधा घंटे के समय की आवश्यकता हो, तो आपको माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश का पालन करना चाहिए। यह अलग बात है कि मैं सोमवार को उत्तर दूंगा। लेकिन भाषण आज अवश्य पूरे होने चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : सभा को यह स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक अवश्य किए जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अंतिम सत्ता है। मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन हमें कम से कम अपराह्न 3.30 बजे प्रारंभ कर देना चाहिए।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई - उत्तरपश्चिम) : मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि यथा संभव सीमा तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के समय को नहीं बदला जाना चाहिये। ऐसा मेरा विचार है क्योंकि सप्ताह में एक बार हमें यह अवसर मिलता है। यदि आप यह अपराह्न 3.30 बजे निर्धारित करतें है, तो यह अपराह्न 3.30 बजे ही होना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी निर्णय हो जाता है 3.30 बजने दीजिए।

श्री राम बहादुर सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट भाषण में बताया गया है कि देश की आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने के लिए उदारीकरण की नीति को पूर्व की भांति आगे भी चलाया जाता रहेगा। इसके मायने यह हुए कि परदेसियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूर्व की भांति आगे भी इस देश के अन्दर आने की छूट रहेगी।

मान्यवर, यह मोटी अकल की बात है कि कोई भी पूंजी लगाता है उसके पीछे उसकी मंशा होती है उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। लेकिन अगर कोई यह कहे कि कोई परदेशी, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर इस देश को बना देगी तो इसमें मेरा विश्वास नहीं है। यदि सरकार की ऐसी सोच, ऐसा विचार है तो इसके मायने हैं कि देश की जनता में जो शक्ति है, तो क्षमता है उसके सहयोग में सरकार का विश्वास नहीं है। इसलिए जनता में जिस सरकार का विश्वास नहीं है उस सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट का मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। बजट भाषण में वर्ष 1996-97 की प्राप्ति और व्यय के मद में क्रमशः 1 लाख 98 हजार, 42 करोड़ और 2 लाख 4 हजार, 607 करोड़ लिखा गया गया है। इसलिए यह भी कहा गया है कि जो फर्क है उसे 25 परसेंट कर्जा लेकर पूरा किया जाएगा। 20 परसेंट देश के भीतर कर्जा लिया जाएगा, 1 परसेंट देश के बाहर से लिया जाएगा और बाकी रिजर्व बैंक से लिया जाएगा तथा बाकी जो फर्क है उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। यह भी लिखा गया है कि जो व्यय मद में राशि रखी गई है उसका 25 परसेंट पूर्व में लिए गये कर्ज के ब्याज के रूप में चुकाया जाएगा। इस सब दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तविकता से परे कोई चीज है जो दिखाने के लिए दूसरी बात है और कार्यरूप में दूसरी बात है। इस बजट की हाथी के दांत की स्थिति है जो "दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ है।" यह एक भंवर जाल है जिसमें सारा देश आर्थिक भंवर जाल में फंसता चला जा रहा है। अगर कोई आदमी पानी के भंवर जाल में फंस जाता है तो सिवाए जल समाधि के उसके सामने कोई दूसरा चारा नहीं होता है, ठीक उसी तरह से जब कोई देश आर्थिक भंवर जाल में फंस जाता है तो उसके लिए सिवाए आर्थिक समाधि के दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है। इस देश को आर्थिक भंवर जाल में रोज-रोज फंसाने की चेष्टा सरकार की ओर से की जा रही है इसलिए मैं इस बजट के पक्ष में नहीं हूं।

मान्यवर, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और 70 से 80 फीसदी लोग कृषि पर किसी न किसी रूप में अपना जीवन बसर करते हैं इसलिए कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर इसका समुचित विकास होना चाहिए था। आज तक इसका समुचित विकास नहीं किया गया है और जो बजट आया उसको देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि इस बजट को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री जी रोज बयान देते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों को लाभ होगा, उनका भला होगा लेकिन मैं भी जानता हूं कि जब खेती का समुचित

विकास होगा तभी किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा, पैदावार बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा आएगी. ये सारी बातें होंगी। लेकिन केवल कहने से कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो बजट पेश किया है वह बजट बताता है कि आपके दिमाग में किसानों के प्रति जितनी हमदर्दी होनी चाहिए, उतनी नही है। उसका कारण यह है कि खेती के समुचित विकास के लिए सबसे पहली शर्त सिचाई है, लेकिन इन्होने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रूपये दिए हैं और जिन कामों के लिए पैसे दिए जाते है वे आज भी लम्बित पड़े हुए हैं और यह भी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जो पैसा देंगे वह कार्यरूप मे पूरा का पूरा लगाया जाएगा तथा उसका कोई ठोस परिणाम हमारे सामने आएगा। मेरे यहां बिहार में गडक परियोजना 22-23 वर्षों से चल रही है लेकिन वह आज तक पूरी नहीं हुई। किसानों की जमीन चली गई, पैदावार समाप्त हो गई लेकिन किसानो के खेत में आज तक पानी नहीं आया। 50 वर्षो की आजादी के बाद भी कृषि प्रधान देश के किसानों को आसमान की ओर टकटकी लगाए रहना पड़े और फिर कोई कहे कि यह किसानों का भला करने वाली सरकार है तो यह बात समझ में नहीं आती है।

आसमान जब समुचित मात्रा में पानी बरसाता है तो खेती लहलहाती है, लेकिन जब इंद्र भगवान का प्रकोप होता है तो फसल सूख जाती है या बाढ से बह जाती है। आज उत्तर बिहार के 20 जिले, पांच हजार के करीब गांव और 70-75 प्रतिशत के करीब आबादी भयंकर बाढ की विभीषिका से त्राहि-त्राहि कर रही है लेकिन उसका हाल पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नही करूगा।

बहुत सारी योजनाएं सरकार की ओर से गरीबी उन्मूलन और गावों के विकास के लिए लाई गयी हैं। इन योजनाओं पर जितना पैसा खर्च किया जाता है उस अनुपात में न गरीबी का उन्मूलन होता है न ही गाव का विकास होता है न कोई उपलब्धि होती है। इस बात का लेखा-जोखा रखने के लिए सरकार के पास कोई मशीनरी नही है कि जो पैसा खर्च हो रहा है क्या उसी अनुपात में तरक्की हो रही है।

जवाहर रोजगार योजना में जितना पैसा खर्च किया जाता है क्या उसी अनुपात में लोगों को और श्रमिकों को रोजगार मिलता है। इसका भी लेखा-जोखा सरकार के पास नहीं है। आई.आर. डी.पी. के माध्यम से जो पैसे खर्च हुए, उन पैसों का क्या हुआ, इसका हिसाब-किताब भी सरकार के पास नही है। उस पैसे से छोटे और मझोले किसानों को, गरीबों को कितना लाभ हुआ, इसका लेखा-जोखा भी सरकार के पास नही है। इंदिरा आवास योजना का भी यही हाल है। 1980 के दशक में एक बार स्वर्गीय राजीव गाधी ने कहा था कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए अगर एक रुपया सरकार की ओर से दिया जाता है तो गरीबों के पास केवल 15 पैसे ही जाते हैं बाकी का रुपया बड़े-बडे बिचौलियों और अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। मैं समझता हू कि आज भी वही स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति से देश को निकालने के लिए इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। इस भ्रष्टाचार से देश को कैसे बचाया जाए, कैसे इस भ्रष्टाचार से देश को निजात दिलाई जाए, इस बजट में इस बात की चर्चा नहीं है।

इस बजट में लिखा है पीने के शुद्ध और स्वच्छ पानी की पूरे देश में शत-प्रतिशत व्यवस्था होगी, लेकिन 40 प्रतिशत गाव के लोगों के लिए भी स्वच्छ और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था इस देश में नहीं है। सरकार की ओर से निर्णय होता है कि अमुक गाव में जल व्यवस्था के लिए खुदाई होगी, लेकिन कमेटियों के द्वारा गांव का नाम बदल दिया जाता है। सरकार का निर्देश है कि जो पिन-पाइंट का निर्णय होगा वह कमेटियों के द्वारा होगा। लेकिन उनके जरिये गांव बदल दिए जाते हैं और 200 फीट की गहराई के बदले 40 फीट खुदाई की जाती है क्योंकि 40 फीट पर पानी मिल जाता है। मैं यह कहना चाहता हू कि आज शुद्ध पानी की व्यवस्था अगर पूरे हिन्दुस्तान में कर दी जाए तो हिन्दुस्तान से आधी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी।

अपराह्न 3.23 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

भूतल परिवहन के बारे में बड़ी चर्चा हुई है। मैं शिवराज पाटिल जी से पूरी तरह से सहमत हू कि केवल सड़क परिवहन पर जोर देकर ही हम देश का विकास नही कर सकते हैं, आवागमन की समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते हैं। हमें सड़क के साथ-साथ हवाई मार्ग और जल मार्गो पर भी जोर देना होगा। अभी केवल भूतल परिवहन पर सरकार जोर दे रही है। मेरा निवेदन यह है कि इसके चयन का आधार क्या है? राष्ट्रीय उच्च पथों के चयन का आधार क्या है? देश के कई भागों की इसमें अनदेखी की जाती है। मैं आपको बताना चाहता हू कि मेरे राज्य बिहार में मांझी से बरौली और छपरा से सलेमपुरघाट की जो सड़कें हैं ये न केवल दो-तीन प्रांतों को जोड़ती हैं बल्कि नेपाल और हिन्दुस्तान को भी जोड़ती हैं। ये सड़कें न केवल सामाजिक, आर्थि और राजनैतिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व की हैं। लेकिन इन सड़कों के बारे में सरकार को चिंता नहीं है। मैं आपसे आग्रह करता हू कि इन सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथो की श्रेणी में लाकर इनके विकास के लिए कोई काम किया जाए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपके बजट में बहुत-सी खामियां हैं। इसलिए उनको देखते हुए मैं आपके इस बजट का समर्थन नहीं करता हू।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय अब लगभग अपराह्न के 3.30 बजने वाले हैं। मेरे विचार से सभा में इस संबंध में पहले ही संक्षिप्त चर्चा हो चुकी है कि हमें गैर-सरकारी सदस्यों कार्य के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

मेरे पास नौ और सदस्यों की सूची है जो सामान्य बजट पर बोलना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को केवल पांच मिनट का समय दिया

जाये तो भी इसमें एक घंटा और लगेगा। मुझे आशा है कि हम इसे एक घंटे में समाप्त कर देंगे।

विगत सप्ताह, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य नहीं किए गये और वह समय सरकार को देना पड़ा था। मेरे विचार से प्रत्येक सप्ताह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को छोड़ना उचित नहीं है। इसलिए, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का अपराह्न 3.30 बजे और अपराह्न 6.00 बजे के बीच यथावत रखना चाहता हूं और सामान्य बजट पर चर्चा अपराह्न 6.00 बजे निरंतर जारी रखी जायेगी। हम वाद-विवाद को आज समाप्त कर देंगे और मंत्री जी सोमवार को उत्तर देंगे।

अभी भी हमारे पास गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को प्रारंभ करने में चार मिनट का समय है।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, 6.00 बजे से हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह कब तक जारी रहेगी?

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : हम आठ बजे तक बैठ सकते हैं.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय आठ बजे तक बैठने के लिए था, लेकिन हमें आशा है कि चर्चा उससे पहले समाप्त हो जायेगी।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने कोयले पर 10 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक शुल्क कम इसलिए किया है कि ताकि ताप विद्युत घरों में विद्युत के उत्पादन पर लागत मूल्य में वृद्धि न हो लेकिन अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि गैट समझौता लागू होने के बाद अगर हमारे उद्योग की उत्पादन लागत में कमी नहीं आई तो हमारा भारतीय उद्योग अन्य देशों से मुकाबला नहीं कर पाएगा।

अपराह्न 3.27 बजे

(श्री पी. एम. सईद पीठासीन हुए)

वर्ष 1972 में कोयले का दाम मात्र 48 रूपये प्रति टन था लेकिन 1972 में कोयला खनन का राष्ट्रीकरण करने के बाद बढ़ते-बढ़ते 1996 में कोयले का दाम 1300 रूपये प्रति टन हो गया। यह 28 गुणा वृद्धि कोयला खनन के कुप्रबंध तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और माफियाकरण के कारण हुई है। विद्युत का दाम भी जो 1974-75 में 20 पैसे प्रति यूनिट था, आज धीरे-धीरे बढ़कर 3 रूपये 50 पैसे यूनिट हो गया है। वह 18 गुना वृद्धि का कारण भी मुख्य रूप से कोयले का सरकारीकरण ही है। कोयला व बिजली की उत्पादन लागत बढ़ने से वर्ष 1972 से आज तक प्रति वर्ष प्रत्येक उद्योग में उत्पादन लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मेरा यह मानना है कि देश में मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कोयले की अच्छी गुणवत्ता के लिए एवं कोयले पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल माननीय मंत्री जी को अधिक से अधिक कोयला खानों को अविलम्ब प्राइवेट सैक्टर में देने का प्रयास करना चाहिए तथा जल विद्युत व परमाणु विद्युत का उत्पादन करना चाहिए। तभी भारतीय उद्योग संसार के अन्य उद्योगों के मुकाबले में खड़ा रह पाएगा और अपनी उत्पादन लागत में कमी कर पाएगा।

अगर देश की चीनी मिलें हाई प्रेशर बायलर लगायें तो ये अपनी आवश्यकता से दस गुना अधिक विद्युत का उत्पादन कर सकेंगे। जो चीनी मिलें अपने ही कैम्पस में स्वयं तथा अपनी साझेदारी में उद्योग लगाएं और उन उद्योगों को अपनी निजी उत्पादित विद्युत से ही संचालन करें तो ऐसे उद्योगों को उत्पादन कर में विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी उद्योग जो अपनी निजी विद्युत से उत्पादन करना चाहता हो, वह सरकार के विद्युत बोर्ड से तथा प्राइवेट सैक्टर की उत्पादित विद्युत इकाइयों से विद्युत न ले तो उनको भी उत्पादन कर में राहत देने की आवश्यकता है। यह और भी जरूरी हो गया है क्योंकि 1995-96 की आर्थिक समीक्षा में पैरा 13 पर बिजली उत्पादन में 1996-97 में गिरावट जारी रहना दर्शाया गया है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ दिलाना चाहता हूं। संसार में अब तक 80 लाख वाहन पावर अल्कोहल से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जैसे ब्राजील और हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून में 1980 से अल्कोहल के प्रयोग पर अनुसंधान किया जा रहा है। अब तक अल्कोहल मिश्रित चालित इंजन में 22 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की जा चुकी है।

सभापति महोदय : क्या आप दो मिनट में खत्म कर लेंगे क्योंकि अब प्राइवेट मैम्बर्स रिजोल्यूशन चालू करना है।

[अनुवाद]

क्या सभा चाहती है कि माननीय सदस्य को और दो मिनटों का समय दिया जाए ताकि वह अपना भाषण समाप्त कर सकें?

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : नहीं, मुझे पांच मिनट लगेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपना भाषण छह बजे के बाद जारी रख सकते हैं।

अब हम श्री प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। चर्चा के लिए आंबटित समय पांच घंटे था। पहले ही चार घंटे और बत्तीस मिनट का समय लिया जा चुका है। केवल चौबीस मिनट का समय शेष है और बोलने वाले सदस्य बहुत हैं।

अपराह्न 3.32 बजे

बेरोजगारी के संबंध में गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प-जारी

श्री ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री प्रभु दयाल कठेरिया के इस बिल का समर्थन करता हूं जो लघु उद्योगों के संबंध में उन्होंने रखा है और बेरोजगारी जिससे जुड़ी हुई है। मैं इस संबंध में कोई लम्बा वक्तव्य नहीं दूंगा क्योंकि आपने समय बता दिया है और शायद बोलने वालों की संख्या भी कुछ ज्यादा है। मैं संक्षेप में कुछ बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिसे सत्तापक्ष ध्यान से सुने और मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी तो लाखों लघु उद्योगों की दशा सुधर जायेगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारे यहां लघु उद्योगों की नीति में जो खामियां हैं उनमें सबसे पहली शासकीय इच्छा शक्ति का अभाव है। शासन की कोई इच्छा ही नहीं है। क्या ज्यादा बड़े-बड़े उद्योगों पर ज्यादा ध्यान देती है। मैं नहीं समझता कि इसमें इनकी इच्छा क्या है? कभी-कभी मुझे लगता है कि शायद ज्यादा बड़े उद्योगों पर अधिक धन लगाना चाहती है और उसमें घोटाला बड़ा हो सकता है। एक बार में उनकी आमदनी ज्यादा हो सकती है। शायद इसलिये उनका कोई सुझाव या इच्छा शक्ति रही होगी। इसलिए सरकार को इच्छा शक्ति बनानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए।

महोदय, दूसरी कमी है तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा का अभाव। ये सारे देश के कितने ही आंकड़े प्रस्तुत कर ले लेकिन अभी तक तकनीकी शिक्षा उस स्तर पर नहीं जो विकसित और विकासशील देशों में होनी चाहिए। इसके लिये छोटे-बड़े तकनीकी विद्यालय और सामान्य ज्ञान देने वाले विद्यालय सभी क्षेत्रों में स्थापित करने पड़ेंगे।

सभापति जी, तीसरी कमी है कच्चे माल का अभाव। हम दोनों पड़ोसी क्षेत्रों से आते हैं जहां फिरोजाबाद में कांच उद्योग, जलेसर में घुंघरु उद्योग और आगरा में फाउंडरी उद्योग अपने बल पर खड़े हैं। इनकी ओर से वहां पर कोई डिपो या सेंटर नहीं है जहां से कच्चे माल की उपलब्धि हो सके।

महोदय, चौथी, प्रभावकारी नीति का अभाव और पांचवा यह है कि ऐसे अधिकारियों का अभाव है जो लोगों के दर्द का निवारण करना चाहते हों। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि स्थिति रुक जाती है, मूर्ति बन जाती है, पत्थर हो जाती है। प्रशासन में संवेदनहीनता बनी हुई है। कुछ भी होता रहे, कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। मेरा संकेत प्रशासनिक मशीनरी में सहयोग की कमी से है, क्योंकि उद्योगों के विकास में सहयोग तो होता ही नहीं है, लेकिन जो उद्योगपति हैं, विशेषकर जो छोटे उद्योग पति हैं, वे साधन जुटाना चाहें तो प्रशासन उसमें अडंगा लगाता रहता है। हमारे यहां ही हम कई बार नियमों में बात को उलझा देते हैं या आंकड़ों में उलझा देते हैं। कभी-कभी नैतिकता का तकाजा आ जाता है और सच बात कहने से हम रोक देते हैं, उसी प्रकार पूरे देश में प्रशासन कई प्रकार का अड़ंगा लगाकर उनके लघु उद्योगों के विकास को रोकता है।

सभापति महोदय, एक खास बात जो ध्यान में आती है और उसका निवारण हम कर लें या उसका निर्माण कर लें तो शायद लघु उद्योगों का विकास ज्यादा हो सकता है और रोजगार ज्यादा मिल सकता है। यातायात के साधनों का हमारे देश में अभाव है। बिना यातायात के न उद्योग बढ़ेंगे और न ही उनकी बिक्री होगी, न लोग कहीं पहुंच पाएंगे और न साधन उपलब्ध होंगे। एक और संकेत जो मैं विशेष रूप से इस क्षेत्र में करना चाहता हूं, वैसे बड़ा शब्द जो ऊर्जा है लेकिन विद्युत का बड़ा अभाव है। अगर विद्युत सही समय पर और सही रूप में मिलती रहे तो छोटे उद्योग अधिक पनप सकते हैं और ज्यादा हाथों को रोजगार दे सकते हैं। इसके साथ-साथ उपयुक्त बाजारों का अभाव है। हमारे देश में अपने आप बाजार ढूंढ लें, अपने आप बिक्री का प्रयास करें, अपना माल बेचें तो ठीक है लेकिन शासन की ओर से जो लघु उद्योग हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी कुछ मेले लगाए जाते हैं लेकिन उनसे बाजार नहीं मिलता है। उनसे मनोरंजन हो सकता है, कुछ बिक्री हो सकती है पर वह भी ज्याद से ज्यादा पंद्रह दिन के लिए हो सकती है।

सभापति महोदय, एक अन्य बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को शासकीय एवं बीमा कंपनियों के संरक्षण का अभाव है। इसके लिए पूरे देश में सर्वेक्षण कराया जा सकता है। जितना संरक्षण बड़े उद्योगों को मिलता है, उसके विपरीत जो छोटी इकाइयां हैं जिनमें दो, चार या छः आदमी लगे हैं, उनको चलाने वालों से कोई बात भी नहीं करता। उनकी बात सुनते नहीं हैं और वहां तक पहुंचते भी नहीं हैं। मैं दावा करता हूं कि जो पैर में पहनने का आभूषण बनता है, जिसको हमारी भाषा मे तोडिया या पायल भी कहते हैं, उसका एक घुघरू बनता है। यहा पर जितने लोग बैठे हैं, सरकारी पक्ष और दूसरे पक्ष के लोग बैठे हैं, जो अधिकारीगण बैठे हैं, कोई यह बताएं कि किस तहसील में, किस जिले में किस न्याय पंचायत में या किस ब्लाक में ये घुघरू बनते हैं। जिस देश के इतने बड़े प्रशासन तंत्र को यह नहीं मालूम कि पायल का घुंघरू कहां बनता है, तो ये सुविधाएं कैसे मुहैया कराएंगे? इसलिए यह ज्ञान होना चाहिए। छोटी-छोटी जगहों में झोंपड़ियों में घुंघरू बनते हैं। अपने बल पर खड़े होकर वह लोग घुघरू का निर्माण करते हैं।

सभापति महोदय, एक कमी यह है कि मंदी के समय क्षतिपूर्ति का अभाव है। मंदी कभी भी आ सकती है, हर उद्योग में आ सकती है। उस समय छोटे उद्योग लड़खड़ा जाते हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है। शासन की ओर से कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए कि जब मंदी आए तो उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके और अब जो दिखाई देता है और विशेषकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं और कठेरिया जी आते हैं और साथी आते हैं, वहां प्रदूषण के नाम पर जो कानून और प्रताड़ना उद्योगों के लिए दी जाती है, इनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी है कि कोयले का उपयोग बंद किया जाए और एक प्रसिद्ध निर्णय है ताज ट्रेपेजियम के नाम पर। ताजमहल के आस-पास 50 किलोमीटर तक ऐसे किसी साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा जो धुआं देता हो, लेकिन उस

निर्णय में यह भी था कि वैकल्पिक ऊर्जा की आपूर्ति 24 घंटे रहनी चाहिए। एक पक्ष को तो सरकार ने मान लिया लेकिन जो लघु उद्योग हैं - कांच, फाउंड्री, घुघंरू निर्माण या साड़ी निर्माण का उद्योग है, वह बंद करा दिये गये हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं और कुछ होने जा रहे हैं। लेकिन जो वैकल्पिक ऊर्जा है, चाहे वह गैस है या विद्युत है, उसकी आपूर्ति 10-20 दिन तक नहीं होती है और फिर हम मानते हैं कि उद्योगों को विकास हो, रोजगार मिले, 21 वीं सदी का सपना हम देख रहे हैं। लगता है कि हम सपना ही देखते रह जाएंगे। न लघु उद्योग पनपेंगे न रोजगार मिलेगा, न देश का विकास होगा।

महोदय, एक और छोटी सी बात मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे देश में समान लघु उद्योग नीति का अभाव है। पूरे देश को एक इकाई मानकर समान लघु उद्योग नीति बननी चाहिए और जब ऐसा होगा तो क्षेत्र-क्षेत्र का अंतर समाप्त हो जाएगा।

सभापति जी, एक और छोटी सी बात जो मेरे संज्ञान में आती है वह मैं आपके माध्यम से अपने नीति-निर्माताओं से कहना चाहता हूं कि स्थानीय उत्पादन के अनुरूप लघु उद्योगों का विकास होना चाहिए, इसकी बड़ी कमी है। किसी स्थान पर कोई वस्तु पैदा होती है, और उससे संबंधित हजारों किलोमीटर दूर लघु उद्योग लगता है। इससे सामान ले जाने, लाने की लागत बढ़ जाती है। इससे हम दूसरे देशों में बनी हुई चीजों के मुकाबले अपने को खड़ा नहीं कर पाते। इसलिए जहां जो पैदावार होती है उसी के अनुरूप लघु उद्योगों का विकास भी होना चाहिए। इससे लागत भी घटेगी और कीमत भी घटेगी और किसी भी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। इससे वस्तुओं की बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा तो क्रय शक्ति और उपभोग बढ़ेगा - इस सबसे पुनः उत्पादन व रोजगार बढ़ेगा, देश समृद्ध होगा।

सभापति महोदय, अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शायद इच्छाशक्ति बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, इस देश पर भगवान की कृपा होगी। लाटरी और सट्टे जैसे जो बदनाम धंधे हैं वे पूरी क्रयशक्ति को समाप्त करते हैं और जब क्रयशक्ति समाप्त होगी तो विक्रय नहीं होगा। यह दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जब क्रयशक्ति समाप्त होगी और बिक्री नहीं होगी तो माल बना पड़ा रहेगा और माल बना पड़ा रहेगा तो उद्योग ठप्प हो जायेगा। इसलिए ऐसे धंधे जो कुख्यात हैं जैसे लाटरी या सट्टा, इनको तत्काल बंद किया जाए और इसमें कोई नियम, न्यायालय यदि आड़े भी आये तो उसे समझाया जाए, उसकी खुशामद भी करनी पड़े तो खुशामद की जाए। उससे इस देश का भविष्य जुड़ा है। 90 करोड़ की हम बात करते हैं, हो सकता है कि एक अरब हो गये हों। क्योंकि आबादी का मामला ही ऐसा है, बढ़ ही रही है। इसमें किसी तकनीक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये जो उद्योग धंधे लाटरी या सट्टे जैसे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। जिससे इनका जो चोरी या आत्महत्या करने जैसा कुप्रभाव पड़ता है, इससे भी हमें लाभ मिलेगा।

महोदय, एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम रोजगार देना चाहते हैं, वास्तव में लघु उद्योगों को विकास करना चाहते हैं, वास्तव में इस देश का विकास चाहते हैं, वास्तव में गरीबों, पिछड़ों और दलितों को नौकरी देना चाहते हैं तो हमें लघु उद्योग नीति परिमार्जित करनी पड़ेगी, देश के अनुरूप करनी पड़ेगी और सामाजिक न्याय के अनुरूप करनी पड़ेगी। मैं यहां आपके सामने चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं और वे इस बात को सिद्ध करेंगी कि हम कितने अक्षम हैं। हमसे मेरा मतलब हमारा शासन कितना अक्षम है, हमारी व्यवस्था कितनी अक्षम है, हमारे नीति-निर्माता कितने अक्षम हैं। उससे बात स्पष्ट हो जायेगी और शायद मुझे इतना लम्बा बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, ये चार पंक्तियां ही इस बात के लिए काफी हैं कि हम किस स्थिति में हैं। कई लोगों के मैंने शेर सुने थे इसलिए मुझे भी याद आ गया है। उन्होंने उधार के पढ़े थे, मैं अपना पढ़ रहा हूं। श्री सतपाल महाराज भी जरा ध्यान दें।

झील पर पानी बरसता है हमारे देश में,
खेत पानी को तरसता है हमारे देश में,
जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में,
दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में
अब वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर,
आप बोलो कौन हंसता है हमारे देश में।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और सभी माननीय सांसदों ने ध्यान से सुना उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय मैं मसौदे में अल्प संशोधन के साथ श्री प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं। वह चाहते हैं कि सरकार उपधारा(ii) में यथा उल्लिखित लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करें। मेरे विचार से उनका तात्पर्य यह है कि सरकार को लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना में सहायता करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सरकार लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करना शुरू करे। ऐसा करना पूर्णतः असफल रहेगा। इसे लघु उद्योग इकाईयों की स्थापना के लिए आदर्श वातावरण बनाकर सहायककर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए जिससे तकनीकी उद्यमी प्रौद्योगिकी पार्कों में इन इकाइयों की स्थापना कर सकें जहां सब तरह की आधारभूत सहायता जैसे दूरसंचार नेटवर्क, कम्प्यूटर नेटवर्क, विद्युत और प्रशिक्षित जनशक्ति की सुनिश्चित उपलब्धता विद्यमान हो, सरकार को यह सब करना चाहिए। लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देने में इसका शानदार प्रदर्शन रहा है। लघु उद्योग में सृजित नौकरियों की संख्या प्रति इकाई नियोजित पूंजी के मुकाबले

संगठित क्षेत्र या बड़े उद्योग क्षेत्र से बहुत अधिक है।

महोदय, अतः एक ऐसे देश में जिसे बेरोजगारी की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहां लघु उद्योगों की सहायता और इनका विकास करने की आवश्यकता है, सरकारी नीतियों में लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

महोदय, लघु उद्योगों की मूल परिभाषा में परिवर्तन करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लोगों ने सुझाव दिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र में निवेश की सीमा तीन करोड़ रूपये तक बढ़ाई जानी चाहिए और कुछ सदस्यों ने इसे पांच करोड़ रूपये तक करने को भी कहा है। लेकिन मेरा विचार है कि अब समय आ गया है लघु उद्योगों के रूप में इकाईयों के वर्गीकरण के समूचे आधार पर परिवर्तन किया जाए। वर्तमान, में नियोजित पूंजी पर जो बल दिया जाता है, उसे नहीं दिया जाना चाहिए। लघु उद्योगों के रूप में वर्गीकरण का एक नया आधार होना चाहिए और वह आधार रोजगार की लोचता होना चाहिए। हम किसी इकाई में प्रति इकाई नियोजित पूंजी प्रति लाख रू. या प्रति करोड़ रूपये के आधार पर नियोजित लोगों की संख्या का आसानी से पता लगा सकते हैं। कतिपय रोजगार क्षमता से अधिक के आधार पर संयंत्र या उपकरणों की लागत पर ध्यान दिए बिना किसी इकाई को लघु उद्योग और भारी उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि आप इस परिभाषा को आधार बनाते हैं तो हमें यह देखना होगा कि केवल उन्हीं इकाइयों को ही सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिसमें बहुत अधिक स्वचालित मशीनरी न लगी हो। यह सुविधा उन्हें भी प्रदान की जाये जो नियोजित प्रदत्त पूंजी के मुकाबले अधिक रोजगार सृजित करते हैं।

महोदय, हाल ही में, मैंने महाराष्ट्र के एक भाग का दौरा किया जहां मैं एक इकाई को देखने गया। यह बहुत बड़ी आधुनिक और निर्यात करने वाली इकाई है। यह इकाई 650 करोड़ रूपये की लागत से स्थापित की गई है लेकिन कुल सृजित रोजगार 400 ही है। जबकि हमें आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता है। हमें ऐसे उद्योगों की आवश्यकता है जो उच्च तकनीकी वस्तुएं, गुणवत्ता की वस्तुओं ऐसी वस्तुएं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे आई एस ओ 9000 के अनुरूप हों, का उत्पादन कर सकें। तथापि, हमें ऐसी इकाईयों को प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है जो काफी संख्या में रोजगार सृजित करें। ग्रामीण शिल्पी जो 'माइक्रो' क्षेत्र में इकाइयां चलाते हैं। उन्हें प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की आवश्यकता है। इसलिए, एक बात जिसका संकल्प में उल्लेख किया गया है, वह शिल्पी विकास बैंक की स्थापना करने के बारे में है। यह एक अच्छा सुझाव है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि उद्योग मंत्री इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेंगे।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि पिछले 20 से 25 वर्षों में अधिकांश लघु उद्योग इकाईयां तकनीकी उद्यमियों जैसे इंजीनियरों तथा अन्य लोगों द्वारा स्थापित किए गए हैं। श्री मोहन धारिया भूतपूर्व मंत्री ने 5 लाख नौकरियां सृजित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम विशिष्ट तौर पर इंजीनियर स्नातकों के लिए था। मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्हें इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है। मुझे लघु उद्योग क्षेत्र का काफी अधिक अनुभव है। और मुझे यह सब मालूम है कि लघु उद्योग क्षेत्र किस तरह कार्य करता है। तकनीकी उद्यमियों द्वारा काफी लम्बे संघर्ष के बाद लघु उद्योग चलाना सफल रहा है और लोग उन्हें चालू करने में सफल रहे हैं। लेकिन जब उद्योगों के विकास का समय आता है तो तकनीकी उद्यमियों को प्रबंधन और वित्तीय योग्यता वाले व्यक्तियों की कमी पड़ जाती है। लेकिन जब कोई इकाई जो कि स्वामित्व वाली होती है, जिसे केवल एक व्यक्ति चला रहा हो तो वे एक दिन में 20 घंटे काम करते हैं और उद्योग स्थापित करने में समर्थ हैं लेकिन जब उद्योग का एक संगठन के रूप में विकास का समय आता है, तो वही इकाई लड़खड़ानें लगती है और रूग्ण हो जाती है। इसलिए मैं एक सुझाव देता हूं मंत्री महोदय विभिन्न प्रबंधन संस्थानों जैसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद कलकत्ता और लखनऊ के साथ यह काम शुरू कर सकते हैं। हमारे पास सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में प्रबंधन शिक्षा के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकी उद्यमियों जैसे इंजीनियर जो व्यवसायी बन गये हैं, को प्रशिक्षित करने के लिए कुछ संकेन्द्रित कार्यक्रमों की आवश्यकता है, उन्हें प्रबंधक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे वित्त, विपणन 'बिक्री' बैंक और विभिन्न सरकारी नीतियों का अच्छी तरह प्रबंधन कर सकें।

ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अधिकांश लघु उद्योग इकाईयां रूग्ण बन जाती है। वस्तुतः लघु उद्यमी जो अपनी इकाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाते हैं, उनके पास बहुत लम्बी अवधि के लिए समय नहीं होता है और वे दो-वर्षीय एम. बी. ए. पाठ्यक्रम के लिए कालेज नहीं जा सकते हैं। इस बात की आवश्यकता है कि उन्हें विपणन, वित्तीय प्रबंधन और सरकार की नीतियों को समझने में समर्थ बनाने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करें। ये पाठ्यक्रम अति अल्प-संकेन्द्रित एक या दो हफ्ते की अवधि के हो सकते हैं। कुछ लोगों को कम्प्यूटर, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी इकाईयों का बेहतर प्रबंध कर सकें।

आज, मैं देखता हूं कि युवा तकनीकी उद्यमियों, युवा पीढ़ी के उद्यमियों को आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिए जाने पर बल नहीं दिया जा रहा है, यही कारण है कि ये इकाईयां सामान्यतया लड़खड़ा जाती हैं। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे एक या दो सप्ताह की अवधि के अल्प कार्यक्रम इन प्रबंधन संस्थानों से मिल कर शुरू कराये जिनमें युवा पीढ़ी के उद्यमियों को नामांकित किया जा सके और आधुनिकतम प्रबंधन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा सके।

लघु उद्योगों के लिए सुविधाओं के बारे में, छोटे उद्योगपति जिनके पास प्रशासकों और प्रबंधकों की अधिक संख्या नहीं होती है उन्हें हर काम स्वयं ही करना पड़ता है जैसे उपकरणों का डिजाइन तैयार करना, पूंजी उपकरण का रख-रखाव, विनिर्माण, श्रमिकों और

सरकारी संपर्क का प्रबंधन कार्य आदि। वह व्यक्ति इंसपेक्टरों की टोली-कभी-कभी 20 से 50 तक से ऊब जाता है जो उसके परिसर में नियमित अंतरालों पर आते रहते है। जिस ढंग से ये इंसपेक्टर सफल लघु उद्योग उद्यमी से बात करते हैं, उसके बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। हम एक खिड़की योजना के अंतर्गत स्वीकृति देने और अन्य बातें करते रहते हैं। लेकिन यह सब कागजी कार्यवाही आम होती है। यदि लघु उद्योगों को वास्तव में प्रोत्साहन दिया जाना है तो, मंत्री महोदय को ऐसी क्रियाविधि बनानी होगी - जिसमें औद्योगिकी अनुभव वाला व्यक्ति विदेश से लौटा हुआ व्यक्ति, प्रबंधन या डिजाइनिंग में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो सकता है- जिससे नये उद्यमी को विभिन्न स्वीकृतियों और अनुमतियां प्राप्त करने के लिए एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय में भागने की परेशानी से बचाया जा सके। आपको वास्तव में 'एक खिड़की योजना' के अंतर्गत अनुमोदन वाली स्थिति लानी चाहिए ताकि तकनीकी उद्यमी जो अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं या प्रौद्योगिकी या गुणवत्ता वस्तुओं का विनिर्माण करना चाहते हैं, उन्हें सरकारी इंसपेक्टरों से संघर्ष करने की आवश्यकता न पड़े।

उदारीकरण के युग में इंसपेक्टर राज, लाइसेंस और परमिट राज को कम करने का प्रयास किया गया था। लघु उद्योगों के लिए कोई लाइसेंस प्रणाली नहीं है लेकिन उन्हें इंसपेक्टरों की पूरी टोली का सामना करना पड़ता है और उन्हें हजारों रजिस्टरों में प्रविष्टियां करनी होती हैं नियम कभी भी स्पष्ट नहीं होते, उन्हें समय-समय पर बदला जाता है और उद्यमी को दर-दर भटकना पड़ता है। यदि इस स्थिति को सुधारा जा सकता है तो लघु उद्यमी, हजारों प्रविधिज्ञ हजारों युवा प्रबधक स्वयं ही उद्योग का विकास करने में समर्थ होंगे। सरकार को सहायताकर्ता की भूमिका में काम करना चाहिए ताकि उद्योगों को शुरू करने के लिए आदर्श वातावरण तैयार किया जा सके।

पश्चिमी देशों में सुन्दर प्रौद्योगिकी पार्क बनाये गये हैं। यह हमारे देश के तथाकथित औद्योगिक जागीरदारों के लिए बड़ी दूर की बात है। यदि आप केवल 10 कि.मी. की यात्रा करते हैं....

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए पांच घंटे का समय आवंटित किया गया था, जो अब समाप्त हो गया है। क्या यह सभा समय बढ़ाना चाहती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या हम एक घंटे के लिए सभा का समय बढ़ा दें?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : ठीक है। एक घंटे के लिए समय बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : मैं कह रहा था कि यदि आप यहां से केवल 10 किलोमीटर तक जायें और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के औद्योगिक पार्कों में जाये जिन्हें पूरे देश का आदर्श पार्क कहा जाता है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि वह केवल औद्योगिक बस्तियां ही रह गई है। लोग अभी भी वहां अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ओखला औद्योगिक क्षेत्र को कोई निर्यात का आदेश दिया जाता है और यदि खरीदने वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो वह अपना मन बदल लेगा और संभवतः उस क्षेत्र की स्थिति देखकर अपना आदेश रद्द कर देगा। इस तरह की बस्ती के वातावरण में अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करना कठिन है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि यदि वे वास्तव में लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रति गंभीर हैं तो संकल्प का अभिप्राय यह है कि लघु पैमाने के उद्योग इस देश में रोजगार के सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है - उन्हें विदेशों के औद्योगिक क्षेत्रों को अवश्य देखना चाहिए।

उन्हें कम से कम वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में आदेशों के अनुरूप कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए जिन्हें दुर्भाग्यवश राज्य सरकारें चला रही हैं। मेरा यह भी विचार है कि उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र सृजित करने के लिए विकास केन्द्र योजनाओं को भी छोड़ दिया गया है। देश में ऐसे 70 औद्योगिक विकास केन्द्रों का पता चला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई औद्योगिक विकास केन्द कार्य कर रहा है। आदर्श प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र वह है जहां उच्च तकनीक के उद्योग जैसे इलैक्ट्रानिक्स कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी बायो-तकनीक जैसे साफ्टवेयर विकास केन्द्र विकसित हो सकते हैं। नई पीढ़ी के इन सब उद्योगों, जिन्हें उभरती हुए उद्योग कहा जाता है इकीसवीं शताब्दी के भविष्य के उद्योगों के लिए पहले भी औद्योगिक क्षेत्र की सोची गई संकल्पना से काफी भिन्न वातावरण की आवश्यकता है।

इन कुछ मुद्दों के साथ, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दें।

डा. के. पी. रामालिंगम (तिरूचेंगोडे) : इस सभा में मेरा यह प्रथम भाषण है।

मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा प्रथम भाषण राष्ट्र की ज्वलन्त समस्या से संबंधित है, वह है बेरोजगारी। चीन के बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। यह दावा करना अच्छा नहीं है कि हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे नम्बर पर है। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक मानवशक्ति है। क्या हमने इन वर्षों में इस मानवशक्ति का उपयोग किया है? नहीं।

बेरोजगारी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शिक्षित बेरोजगार चाहे वह तकनीकी हो अथवा अन्यथा, ग्रामीण बेरोजगार अथवा योग्यता से कम रोजगार। शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी बढ़ रही है। यहां डाक्टर, इंजीनियरों इत्यादि जैसे तकनीकी स्नातक बेरोजगार हैं, बेरोजगार कला स्नातक अभी भी रोजगार की

मांग कर रहे हैं। वे योग्य व्यक्ति हैं जो अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। जो कि उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं है। राष्ट्र के सामने प्रथम कार्य है, बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

हम तमिलनाडु से कुछ सीख ले सकते हैं। तमिलनाडु में राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे नेता डा. कालैगनार ने एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है अर्थात् बड़ी संख्या में युवाओं को 'लोक कल्याण कार्यकर्ता' योजना के अंतर्गत नियुक्त करना। उनका कार्य क्या है? उनका मुख्य कार्य ग्रामीण लोगों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना। वे शराबबन्दी के प्रचार के लिए 25,000 महिलाओं को नियुक्त कर रहे हैं। यह भर्ती केवल बेरोजगार युवाओं तथा युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए की गई है।

इस तरह से केन्द्र सरकार के अंतर्गत भी अधिक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर ग्रामीण रोजगार को दूर किया जा सकता है। खेती तभी संभव है जब सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो। सिंचाई तभी संभव है जब देश की सभी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हों। कम से कम दक्षिण की नदियां एक-दूसरे से जुड़ी हों, इससे बंजर भूमि की सिंचाई करने में मदद मिलेगी।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं हमारे माननीय उद्योग मंत्री नये उद्योग स्थापित करने में मदद दे रहे है और भारी निवेश वाले नये उद्योग स्थापित करने में मदद कर रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इससे कुछ हद तक रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। प्रत्येक उद्योग के अपने सहायत उत्पाद होते हैं। इन गौण उत्पाद का उपयोग करने वाले लघु पैमाने के उद्योगों के विकास के अनेक अवसर हैं। यदि किसी क्षेत्र में गौण उत्पाद वाले किसी उद्योग को स्थापित किया जाता है तो विद्यार्थियों तथा युवाओं को इस तरह से शिक्षित करना चाहिए कि वे स्वयं लघु पैमाने के उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर लें जो कि गौण उत्पादों द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रदर्शिनी लगाकर भी लघु पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। युवाओं को शिक्षित करके ही बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, कठेरिया जी द्वारा जो बिल लाया गया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। मैं समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि लघु उद्योग कृषि प्रधान देश के लिए एक रोजगार देने वाला रोजगार होता है। हमारे यहां शुरू से लघु उद्योग था। जब हमारा देश एक था, बंटवारा नहीं हुआ था तो यह जानकारी आप लोगों को होगी कि ढाका में एक मलमल बनता था। जो लोग लघु उद्योग में काम करते थे, वे कहते हैं कि थान के थान बांस की फोफी में डालकर विदेश भेजा जाता था। उससे हम विदेशी मुद्रा भी कमाते थे और लोगों को रोजगार भी देते थे लेकिन आज ग्रामीण उद्योग के अंदर जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उन्हें बड़े-बड़े उद्योगों ने समाप्त कर दिया है। उनकी अपनी मार्केट भी नहीं है जिसके कारण वे आज प्रायः समाप्त हो गये हैं। जैसे हैंडलूम का कपड़ा जो लोग बनाते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भारत में हैं। आज वे लोग उस उद्योग से अलग हट रहे हैं। आज उनकी स्थिति क्या है, यह देखने की चीज है।

लघु उद्योग हमारे यहां बहुत ही कमजोर होता जा रहा है जिससे हमारे यहां बेकारी भी बढ़ती जा रही है। बेकारी बढ़ने के कारण देश में जो बेकार नौजवान हैं, वे देश के राष्ट्रीय धारा से अलग-थलग होते जा रहे हैं। वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए देश का काफी रूपया खर्च हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए; बोडो आंदोलन क्या है? जहानाबाद हमारे क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर गरीब तबके के नौजवान जो बेकार पड़े हुए हैं, जिनका कोई रोजगार आदि नहीं है क्योंकि पहले वे जो छोटे-छोटे उद्योग चलाते थे, वह सब उद्योग आज समाप्त हो गये हैं। हमारे यहां जो लुहार काम करते थे, उनके द्वारा बनाई सारी चीजें खेती में लगती थीं। मैं यह नहीं कहता कि बड़े उद्योग न हों लेकिन कुछ ऐसे उद्योग जहां पर कृषि से संबधित चीजें बनती थीं, उन उद्योगों को टाटा बिड़ला ने ले लिया है। कुदाली उनके यहां भी बनती है और टाटा बिड़ला वाले भी बनाते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों एक जैसा काम करती हैं लेकिन सुंदरता में फर्क पड़ जाता है। लोग खूबसूरत चीज ही लेते हैं और उनका सामान ऐसे ही पड़ा रह जाता है। वे अपने रोजगार से हट गये हैं। जो लोग पहले कुदाली बनाते थे, वे आज बंदूक बनाने लगे हैं जो पराक्रमियों के हाथों में जा रही है। इससे देश में एक समस्या उत्पन्न हो गयी है।

मेरा यह कहना है कि लघु उद्योग के ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। जो आर्थिक उदारीकरण हुआ है, जिसमें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ले आए हैं, उन कंपनियों द्वारा तो खाना भी पैक किया हुआ मिलेगा। अभी जो छोटे-छोटे होटल चलते हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे क्योंकि बना-बनाया खाना सस्ते में मिलेगा तो लोग वहीं जाएंगे। ये सब बातें हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं।

उद्योग मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। वे इस बात पर गौर करें कि आज लघु उद्योगों की क्या स्थिति है। यदि लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना है तो सबसे पहले हमें अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना होगा। हमारे पास संसाधनों की कमी है लेकिन जितने भी संसाधन हैं उतने से ही लाभ पहुंच सकता है। आज कम संसाधन भी लूट में बदल जाते हैं आप देख सकते हैं कि क्या होता है। जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कोई तरक्की नहीं होती, लुटेरों की तरक्की होती है। हम समझते हैं कि हमारा देश गरीब है। बहुत लोग कह गये कि जब तक लोक सभा जीवित रहेगी जब तक लोग यहां आकर बयान देते रहेंगे। लेकिन सिर्फ बयान देने से ही सब

काम नहीं होगा। यहां पर बड़े-बड़े विद्वान और अर्थशास्त्री भी बैठे हुए है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। कम संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, आप चाहे जितना भी रूपया पानी की तरह बहाते रहें लेकिन फिर भी लघु उद्योग का विकास नहीं होगा और बेकारी भी दूर नहीं होगी। देश इसी तरह से चलता रहेगा।

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. चाको (मुकुन्दपुरम) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। महोदय, यह सभा लगातार तीसरे अवसर पर लघु पैमाने के उद्योगों को बढ़ावा देने से संबधित मुख्य विषय पर चर्चा कर रही है।

महोदय, इससे पहले कि मैं इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में कुछ कहूं, मैं श्री प्रभु दयाल कठेरिया का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है। सभा के समक्ष ऐसे संकल्प बहुत कम प्रस्तुत किए जाते हैं जबकि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत संकल्प को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया हो। साधारणत: हम हमेशा प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं द्वारा संकल्प की आवश्यकता तथा सार को ध्यान में रखने के बाद संकल्प को वापस लेने की सलाह देते हैं, चाहे हम संकल्प के सार से सहमत हों। लेकिन यहां हम पूर्व अवसरों का उल्लंघन कर सकते हैं, संभवत: यदि माननीय उद्योग मंत्री सहमत होते हैं और सभा सर्वसम्मति से इस संकल्प को स्वीकृत कर सकती है। मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि इस संकल्प द्वारा उचित तरीके से लघु पैमाने के उद्योगों की मुख्य बातों के बारे में बताया जा रहा है।

आज हम आधुनिकीकरण उदारीकरण, सार्वभौमिकता के युग में रह रहे हैं। यह सब बातें हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के बराबर करने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं।

भारत की स्थिति ऐसी है कि यदि हम विश्व की अर्थव्यवस्था से अलग हो जाते हैं तो हम एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पिछले 50 वर्षो से अपनी भूमिका का मूल्यांकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वित करना होगा। उस स्थिति में लघु पैमाने के उद्योगों की प्रासंगिकता को भूलना नहीं चाहिए।

मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे यहां ऐसा उद्योग मंत्री हैं जो इस संकल्प और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसकी महत्ता को समझ सकता है। हम औद्योगिक विकास में पूरी तरह से लगे होने के कारण मुख्यत: जिसका संबंध बड़े-बड़े उद्योगों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विभिन्न अन्य बातों की ओर अधिक ध्यान देते हैं जिसके कारण छोटे-छोटे मुद्दों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा हर जगह होता है भारत में लघु उद्योग क्षेत्र कुछ समस्याओं के कारण अभूतपूर्व संघर्ष कर रहा है और हम तुरंत इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था का एक अति समृद्ध क्षेत्र और अधिक समस्याग्रस्त हो जाएगा। आज हमारे आंकड़े बताते हैं और मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि भारत के औद्योगिक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा बड़े उद्योग का नहीं बल्कि लघु उद्योग का ही रहा है। इसी बात से हम इस उद्योग के महत्व तथा इसके द्वारा सृजित रोजगार के अवसरों के बारे में समझ सकते हैं। बड़े उद्योग आ रहे हैं सीधे विदेशी निवेश हो रहा है, परंतु आधुनिक उद्योग जो 500 करोड़ रूपये या 1,000 करोड़ रूपये का निवेश कर रहे हैं वे आटोमैटिक या कम्प्यूटर नियंत्रित आदि हैं तथा उनसे रोजगार के अवसर बहुत ही कम पैदा होते हैं।

मैं एक उदाहरण दे सकता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां 600 करोड़ रूपये का निवेश किया गया था, वहां पर केवल 50 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। अत: ऐसा आधुनिक उद्योग में होता है। शायद इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अत: भारत जैसे देश में जहां शिक्षित बेरोजगारी समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, रोजगार के अवसर अधिकाधिक उपलब्ध हैं तथा यही अति महत्वपूर्ण कारक है।

मेरे मित्र श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण ने एक मुद्दा उठाया है तथा मुझे विश्वास है कि माननीय उद्योग मंत्री ने उसे नोट किया होगा। अत: हमें लघु उद्योग की परिभाषा के बदलने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। अब इसे पूंजी निवेश के आधार पर परिभाषित किया जा रहा है।

इस सभा में हाल ही में दिए गए एक उत्तर में माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि लघु उद्योग की विद्यमान सीमा को 75 लाख रूपये से 3 करोड़ रूपये तक बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसमें कुछ प्रक्रियागत जटिलताएं रही होंगी, जो माननीय उद्योग मंत्री के ध्यान में नहीं आई होंगी। इसी सभा में सरकार चाहे यह संयुक्त मोर्चा सरकार हो या कांग्रेस सरकार, सरकार एक सतत तंत्र है दसवीं लोक सभा में, मुझे याद है तत्कालीन उद्योग मंत्री ने कहा था कि लघु उद्योग की सीमा को 75 लाख से संशोधित करके 3 करोड़ रूपये किया जा रह है। जहां तक पूंजी निवेश का संबंध है, सीमा 75 लाख रूपये है तथा इस सीमा का निर्धाण कोई 20 वर्ष पूर्व किया गया था। तथापि लागत में वृद्धि तथा अन्य अनेक कारणों से 75 लाख रूपये की इस राशि का आज लघु उद्योग की सीमा के रूप में निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अत: इसे कम से कम 3 करोड़ रूपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस सुझाव पर विभिन्न मंचों पर पहले से ही चर्चा और वाद-विवाद हो रहा है तथा मुझे विश्वास है कि माननीय उद्योग मंत्री इससे भलीभांति परिचित होंगे तथा इस मामले में एक औपचारिक निर्णय बहुत जरूरी है क्योंकि यह मामला हमारे देश के औद्योगिकीकरण की समस्या के सामने काफी लंबे अर्से से लंबित है।

अत: मुझे विश्वास है कि माननीय उद्योग मंत्री शीघ्र यह निर्णय लेने में विलम्ब नहीं करेंगे कि लघु उद्योग के लिए न्यूनतम सीमा कम से कम 3 करोड रूपये कर दी जाए।

जैसाकि मेरे मित्र श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण ने कहा है कि जब हम लघु उद्योग को परिभाषित करें तो हमें रोजगार की संभावनाओं को भी देखना चाहिए। यह मामलों उन्होंने काफी स्पष्ट कर दिया है। अतः मैं इसे पुनः नहीं दोहराऊंगा। मैं ऐसे राज्य से हूं जहां देश के अधिकांश शिक्षित बेरोजगार हैं, जहां रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों की संख्या लाखों और करोड़ों में है। अतः जो भी उद्योग अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए उसे अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही हैं तथा मेरे विचार से लगभग सभी सरकारें विभिन्न प्रोत्साहन दे रही है। नई आर्थिक नीति के बाद से अब लोगों की रूचि समाप्त हो रही है। इस क्षेत्र को अनदेखा करने की प्रवृति बन गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्व कम नहीं होगा तथा यह बढ़ेगा ही इस दृष्टि से भारत सरकार इसे संहिताबद्ध कर सकती है तथा जहा तक प्रोत्साहन योजना का प्रश्न है, इसके बारे में एक समान व्यवस्था करे इससे लघु उद्योग को आने वाले समय में मदद मिलेगी। विभिन्न उद्योगों को दी जा रही सहायता में कर मुक्त अवधि, कर में छूट तथा निवेश लक्ष्य शामिल हैं। हम लंबे अर्से से उद्यमकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कच्चे माल की सहायता, कच्चे माल के बैंक, एक खिड़की योजना के अंतर्गत स्वीकृति के बारे में सुनते आ रहे हैं। लेकिन जैसाकि माननीय उद्योग मंत्री जानते हैं, एक खिड़की योजना के अंतर्गत स्वीकृति योजना देश में कही पर भी, कार्य नहीं कर रही है हालांकि हम इसके बारे में पिछले 25 वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि विभिन्न राज्य सरकारें कह रही है कि यह सब एक खिड़की के अंतर्गत स्वीकृति योजना है।

महोदय, कोई व्यक्ति तकनीकी योग्यता या सक्षम व्यक्ति के रूप में पोलिटैनिक या इंजिनियरिंग कालेज से निकलता है और वह अपना उद्योग प्रारंभ करने की सोचता है तो वह आफत मोल ले रहा है इस प्रकार की स्थिति हैं पंजीकरण प्रक्रिया से ही उद्यमी का घोर संघर्ष शुरू हो जाता है। यदि वह उद्योग के पंजीकरण के लिए जाता है तो उसे पर्यावरणीय दृष्टि से, पंचायत से, नगरपालिका से तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों से 101 स्वीकृतियों की आवश्यकता पड़ती है। इसका पंजीकरण हो जाने के बाद टेलिफोन कनेक्शन लेने, पानी का कनेक्शन लेने या बिजली का कनेक्शन लेने में भी व्यर्थ का समय नष्ट होता है। अतः आप जो भी निवेश कर रहे हैं वह इस बीच की अवधि को ध्यान में रखकर कर रहे हैं लेकिन जब ऐसे कारणों से जो कि आपकी पहुंच से बाहर के हैं वह अवधि बढ़ जाती है तो आपका क्या होगा?

ऐसा कहा जाता है कि आज इस देश में पैसे का सबसे अधिक महत्व है। किसी भी बैंक में 16 प्रतिशत से कम ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध नहीं है। बैंक का कहना है कि वे 16 प्रतिशत ब्याज दर पर पैसा दे रहे हैं। इसका क्या अभिप्राय है ? इसका अभिप्राय 16 प्रतिशत तथा अन्य विभिन्न खर्च है। इन सभी को मिलाकर यह 16 प्रतिशत 18 प्रतिशत हो जाता है। इतनी राशि से कोई भी लघु उद्योग घाटा तो पूरा कर सकता है लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हो सकता है। हम किसी भी ऐसे उद्योग या कार्य के बारे में नहीं सोच सकते हैं जो 18 या 20 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। अतः आप द्वारा अर्जित संपूर्ण लाभ इस ब्याज पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए महोदय ब्याज दर में सहायता हेतु भारत सराकर की कोई राज सहायता योजना होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने पूंजी निवेश राजसहायता प्रणाली प्रारंभ नहीं की है। पूंजी निवेश सहायता के साथ समस्या यह है कि यदि आवश्यकता 100 करोड़ रूपये की है, आपकी व्यवस्था 10 करोड़ की है तो मुश्किल से 10 प्रतिशत आवेदकों को ही पूंजीनिवेश सहायता मिल पाएगी। ऐसा विभिन्न राज्यों में हो रहा है। वे योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं लेकिन जो व्यवस्था की गई है वह बहुत ही कम है। जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है आवश्यकता 'क' है और विभिन्न प्रोत्साहनों, कर लाभों को मिलाकर जो दिया जाता है वह 'ख' है, जो कि तुलनात्मक रूप से काफी कम है। ऐसा होता है।

अतः महोदय देश के उपलब्ध संस्थागत धन के लिए लघु उद्योगों को वित्त पोषित करने हेतु अलग से एक बैंकिंग संस्था एस आई डी बी आई का गठन किया गया है। लेकिन पूरे देश में किसी भी बैंक, औद्योगिक विकास निगम से आप 15 से 16 प्रतिशत से कम ब्याज पर पैसा नहीं ले सकते। ये बैंकिंग संस्थान क्या कर रहे हैं? वे कुछ बेसिर पैर की जानकारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप उनसे रिपोर्ट मांगे कि क्या वे प्राथमिकता क्षेत्र में गए हैं - प्राथमिकता क्षेत्र में विभिन्न अन्य मामले भी आते हैं - वे किसी तरह अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और वास्तविक लघु उद्योग को औद्योगिक वित्तीय संस्थानों से पैसा लेना हमेशा ही बहुत ही कठिन होता है।

शायद ब्याज सहायता का एक क्षेत्र ऐसा है जो लघु उद्योगों की मदद कर सकता है। मान लीजिए कि औद्योगिक ऋण के लिए दो या तीन प्रतिशत सहायता दी जाती है तो इसके दीर्घावधि परिणाम होंगे। इसके साथ-साथ भारत सरकार की वचनबद्धता भी ज्यादा नहीं होगी। चूंकि हम संपूर्ण पूंजी या कार्यकारी पूंजी आवश्यकता को वित्त पोषित नहीं कर सकते हैं फिर भी यदि ब्याज सहायता योजना को सारे देश में प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाता है तो देश लघु उद्योगों के लिए काफी हद तक मददगार साबित होगा। महोदय, इसके साथ-साथ हम पिछले कई वर्षों से अपने लघु उद्योगों को एक प्रकार का संरक्षण दे रहे है। दुर्भाग्यवश आज, इस देश में पनपती नई स्थिति के कारण यह संरक्षण कम होता जा रहा है। लघु उद्योग के लिए बहुत सी मदें आरक्षित हैं लेकिन बड़े उद्योगों द्वारा निरंतर इन लघु उद्योगों के कार्यक्षेत्र में निरंतर घुसपैठ की जा रही है। अगर यही सब कुछ हो रहा है तो आपने क्या कार्यवाही की है? मेरे देखने में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं आया है जहां सरकार ने उन मध्यम और बड़े उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही की हो जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं। यही हो रहा है। इसका लाभ वे ही उठा रहे हैं। अतः लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए आरक्षित कतिपय क्षेत्र उन्हीं तक सीमित रखे जाने चाहिए और इस उत्पादन का समूचा लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए।

दूसरी समस्या कच्चे माल और विपणन की है। हम इन्हें कुछ विपणन सहायता और विज्ञापन सहायता देते आ रहे हैं। आज हम बहुत ही स्पर्धात्मक वातावरण में जी रहे हैं। आज का बाजार विक्रेताओं का बाजार नहीं है, यह तो खरीददारों का बाजार है। अत: लघु उद्योगों को मध्यम और बड़े उद्योगों से स्पर्धा करनी ही पड़ती है। आज अर्थ-व्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात् यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और एक सीमा तक वे भी छोटे उद्योगों से स्पर्धा कर रही हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह लघु उद्योगों को आत्म-निर्भर बनाए। उनका संरक्षण भी चलता रहना चाहिए। मेरा कहना यह नहीं है कि बाजार शक्तियों को निर्णायक नहीं होना चाहिए और उन्हें अनुचित संरक्षण मिलना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुरानी प्रणाली से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। परंतु इसके साथ ही इस स्थिति का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए कि अमुक उत्पाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं और उन्हें अमुक प्रोत्साहन दिए जाते हैं और किसी भी स्थिति में इन सुविधाओं का लाभ मध्यम एवं बड़े उद्योगों द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए।

महोदय, लघु उद्योगों के प्रति हमारा एक दायित्व बनता है। अपना कारखाना लगाने के लिए किसी उद्यमी को पंजीकरण से लेकर उत्पादन तक की अवस्था तक 101 तरह की मंजूरी लेनी होती है। उसे अपने काम के लिए निम्नतम स्तर से उच्चतम पदधारी तक भागना पड़ता है। कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं होता। यदि किसी काम को 20 महीनों में पूरा करना होता हो तो वह 30 महीनों तक खिंचा जाता है। इस प्रकार यह सब कुछ अलाभकारी हो जाता है। वह यह एक जटिल समस्या बन कर रह जाती है।

अधिकतर राज्यों में बिजली की भी समस्या है। मशीनें लगाने के बाद और बाकी सारे कार्य पूरे करने के बाद आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता। यही हो रहा है। प्राथमिकता क्या है आप किसी भी विद्युत बोर्ड में जाइए, हालत यही है। प्राथमिकताओं के बारे में हम कई तरह की बातें कर सकते हैं कि सब तरह की प्राथमिकताएं वहां हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि मेरे राज्य में लघु उद्योगों को विद्युत बोर्डों से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। वास्तव में यह हतोत्साहित करने वाली स्थिति है। अत: आज जब कोई उद्योग स्थापित कर लेते हैं और उसके पश्चात् उत्पादन शुरू करते हैं तो उस समय बिजली उपलब्ध नहीं होती। उद्यमियों को दिन प्रतिदिन ऐसे ही मुसीबतों और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार सभी सरकारी एजेंसियां उद्यमी को निरूत्साहित कर रही हैं, दण्डित कर रही हैं। अत: एकक खिड़की मंजूरी प्रणाली से लेकर विपणन सहायता तक जो कुछ भी संभव हो, जो कुछ सरकार दे सकती हो, लघु उद्योगों को मिलना चाहिए। उद्योग मंत्रालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उपलब्ध सुविधाएं लाभ क्या-क्या हैं, इनमें क्या-क्या खामियां हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और लघु औद्योगिक क्षेत्र की किस तरह प्रभावी ढंग से सहायता की जा सकती है। लघु औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्ध सुविधाओं को संहिताबद्ध करने तथा उन पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। जब भी हम लघु औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में सोचते हैं तो हम ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में नहीं सोच सकते जहां मध्यम अथवा बड़े उद्योग लघु उद्योगों के अवसर हड़प न रहे हों। यदि इन दो बातों का पूरा ध्यान रखा जाए तो उसके पश्चात् हम हस्तशिल्पकार अथवा पारम्परिक उद्योग पर आते हैं।

हमारे देश में केवल बड़े और मध्यमवर्गों के उद्योग ही नहीं हैं अपितु परम्परागत उद्योग भी विद्यमान है। यह वह क्षेत्र है जिसमें ज्यादा से ज्याद लोगों को रोजगार मिलता है। चाहे पटसन उद्योग हो या नारियल जटा अथवा काजू उद्योग हो। ये सभी परम्परागत उद्योग भी अनिवार्यत: लघु उद्योग ही हैं। साथ इन, इनमें अधिकतम रोजगार क्षमता भी विद्यमान है। आज इन परम्परागत उद्योगों को संकट की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, हम इनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से जो कुछ भी सहायता प्राप्त होती थी वह धीरे-धीरे समाप्त हो गई। आप किसी भी राज्य में किसी भी उद्योग को देख लें हर उद्योग अपने अस्तित्व के लिए कड़ा संघर्ष कर रहा है। अब वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अत: भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पता लगता है कि औद्योगिक विकास का आरंभ वस्तुत: परम्परागत उद्योग से हुआ है। इसके पश्चात् लघु उद्योग शुरू हुए फिर मध्यम और फिर बड़े उद्योग अत: हम इस पारंपरिक और लघु उद्योग क्षेत्र को समाप्त होने नहीं दे सकते। परंतु ऐसी परिस्थितियां पनप रही हैं। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लघु उद्योगों की रक्षा के लिए निश्चित नीति अपनाए।

अब नया बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् लघु उद्योग कुछ नई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जब भी आप कर पद्धति में परिवर्तन करते हैं चाहे वह आयात शुल्क हो या उत्पाद शुल्क इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे लघु उद्योगों के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री जी इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र के कागज निर्माताओं पर गैर-परम्परागत कच्चे माल के संबंध में उत्पाद शुल्क को एक विशेष स्लेब परंतु अब लागू होता था परंतु अब नए बजट की घोषणा के पश्चात् बड़ी और छोटी दोनों इकाइयों को वही सुविधा मिलेगी। इससे हो क्या रहा है कि बड़े उद्योग अपने पूरी आधारभूत सुविधाओं के साथ लघु इकाइयों के साथ स्पर्धा कर रहे हैं। मध्यम और लघु कागज उद्योग एक विशेष प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसके लिए केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। अत: उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क अथवा आयात शुल्क का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। हमें इस संबंध में पूरा ध्यान रखना चाहिए कि इसका लाभ सदैव लघु उद्योग को अवश्य मिले। जहां कहीं भी और जब भी यदि इससे लघु उद्योगों का भविष्य प्रभावित होता है, तो यह देखना माननीय मंत्री जी का कर्तव्य है कि ये कठिनाइयां दूर की जाएं।

बजट को अंतिम रूप से पारित का दिया जाएगा। इस पर हुई बहस का उत्तर शायद सोमवार को दे दिया जाएगा। हमने बहुत सी बातों की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है।

हम उद्योग मंत्री जी से समर्थन चाहते हैं क्योंकि मूलत: यह उन्हीं का कर्त्तव्य है कि वह देखें जब भी कर -सरंचना में कोई परिवर्तन हो, तो वह संशोधन इस प्रकार से जोड़ा जाए जिससे छोटे उद्योगों को एक प्रकार से संरक्षण मिले। परम्परागत उद्योग और छोटे उद्योग जो देश के अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, और जो हमारे औद्योगिक निर्यात् का अधिकतम सामान तैयार करते हैं, इन दोनों क्षेत्रों को अधिकतम प्राथमिकता दी जाए। किसी भी हालत में इस क्षेत्र को उपलब्ध संरक्षण वापिस न लिया जाए क्योंकि नई आर्थिक स्थितियां पैदा हो गई हैं। इस क्षेत्र पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है।

एक बार फिर मैं श्री प्रभु दयाल कठेरिया को इस प्रशंसनीय प्रस्ताव के लिए बधाई देता हूं और इस सभा में सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे कि इसे पारित कर दिया जाना चाहिए और पूरी ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगामी (श्रीनगर) : सभापति महोदय, जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, जम्मू-कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से जो कारखाने बंद हुए हैं, उससे काफी हद तक बेरोजगारी बढ़ गई है, बेकारी बढ़ गई है। काफी नौजवान बेकार हैं। मैं हुकूमत से तथा इंडस्ट्री मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि जो कारखाने जम्मू-कश्मीर में चल रहे थे, उनको फिर से चालू किया जाए ताकि वहां भी बेरोजगारी दूर हो सके।

जहां तक बैंकों का सवाल है, जो कर्जे हमारे तालीमयाफ्ता बेकार नौजवानों को दिए जाते हैं, नौजवानों को इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साल भर तक उनको कर्जा मुहैया नहीं कराया जाता है। उनको काफी देर तक बैंकों में सफर करना पड़ता है। मेरी माननीय मंत्री जी से गुज़ारिश है कि इसमें सुधार किया जाए और उन बेकार नौजवानों को पूरे तरह से कर्जे मुहैया करके उनके रोजगार का इन्तजाम किया जाए। जहां तक एच. एम. टी. घड़ी कारखाने का ताल्लुक है और जिससे हजारों लोगों को रोजगार मुहैया होता था, वह बंद पड़ा है। आज जम्मू-कश्मीर में धीरे-धीरे अमन का सुकून आ रहा है। जम्हूरियत की बहाली हो रही है। पार्लियामेंटरी इलेक्शन ने साबित कर दिया है कि वहां धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उसी की वजह से आज विधान सभा असेम्बली का इलेक्शन भी हो रहा है। जहां जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म से काफी रोजगार हासिल हो रहा था, वहां पर आज टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है उसके लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि टूरिज्म को फिर से चालू किया जाए। लोग सात सालों तक दहशतगर्दी की वजह से बेकारी के शिकार हुए हैं, काफी बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं मेरी हुकूमत से इल्तजा है कि इसकी तरफ पूरी तवज्जोह देकर इसमें सुधार किया जाए। इसी के साथ मैं इस रिजोल्यूशन की पुरजोर ताईद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। संकल्प के उद्देश्य निर्धारित कर दिए गए हैं। संकल्प का उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना है। और लघु उद्योगों के विकास के लिए, संकल्प के प्रस्ताव कर्ता ने कुछ कारण सामने रखे हैं। संकल्प पेश करने का कारण यह है कि बेरोजगारी दूर करने और रोजगार के अवसर जुटाने के लिए लघु उद्योगों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ माध्यमों का सुझाव दिया है। वे माध्यम हैं केन्द्र सरकारर को लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि आधारभूत सुविधा के क्षेत्र में भारी निवेश अवश्य किए जाने चाहिए। उनका एक सुझाव यह भी है कि लघु उद्योग क्षेत्र में किए गए उत्पादन को केवल लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ही आरक्षित रखना चाहिए और बड़े अथवा मझले उद्योगों को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

और इस प्रयोजनार्थ उन्होंने राष्ट्रीय दस्तकार विकास बैंक की स्थापना करने का सुझाव दिया है जो लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगा।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि लघु उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में खासा महत्व है, न केवल रोजगार जुटाने अथवा बेरोजगारी की समस्या को रोकने की दृष्टि से बल्कि इसकी आवश्यकता अन्य वृहत कारकों की दृष्टि से भी है। इसकी आवश्यकता इस प्रयोजनार्थ है कि यह क्षेत्र सकल औद्योगिक उत्पादन का 40 प्रतिशत उत्पादन देता है। यह उद्योग का क्षेत्र है। कुल निर्यात का 40 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा किया जाता है। 1994-95 के दौरान, 26,000 करोड़ रु. तक का निर्यात किया गया और 1995-96 के लिए उद्देश्य और लक्ष्य 36,000 करोड़ रु0 का रखा गया। अत: भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसकी भूमिका को किसी भी व्यक्ति द्वारा नकारा नहीं जा सकता। केवल इतना ही नहीं लघु औद्योगिक क्षेत्र में भारी संख्या में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है जबकि अन्य उद्योगों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी संभव नहीं हो सकती जिसके कारण उस क्षेत्र में लक्ष्यों की भी प्राप्ति नहीं की जा सकती।

इतना ही नहीं, अन्य कई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जो लघु औद्योगिक क्षेत्र को निभानी हैं। जहां तक प्रकृति का संबंध है, अंधविश्वास दूर करने, विज्ञान को समझने की उत्सुकता, सहयोग की भावना, बेहतर जीवन स्तर की आकांक्षा और वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के बारे में जागरूकता विकसित करने का संबंध है, ये सभी गुण उन लोगों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो लघु उद्योगों के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इस हेतु इस क्षेत्र में जनता की तथा लोगों की भागीदारी वास्तव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

अत: महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों का महत्व इस मायने में अनिवार्य है कि यह सबको स्वीकार्य है। एक शब्द में कहूं तो मेरा मानना है कि मानव विकास की समस्याएं कुछ हद तक लघु उद्योगों के विकास के जरिए हल की जा

सकती हैं और लोगों को उन प्रौद्योगिकियों की भी प्रारंभिक जानकारी प्रारंभ हो सकती है जिन्हें समूचे विश्व में विकसित किया गया है।

लेकिन इस संबंध में कुछ समस्याएं हैं। मुख्य समस्या सांस्थानिक ऋण के अपर्याप्त आगम के कारण है। मैं समझता हूं कि यह बात सभी वक्ताओं द्वारा कही गई है। वित्तीय संस्थान बहुत ही कृपण हैं वे लघु औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादकों के आवेदनों अथवा अनुरोधों पर ध्यान नहीं देते हैं। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों द्वारा लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय संस्थाएं लघु उद्योगों को ऋण सुविधाएं देने के लिए बाध्य हों।

दूसरी समस्या गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता है। यह एक प्रमुख कारक है। आमतौर पर लघु औद्योगिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की डिजाइनें मिल सकती हैं लेकिन गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री बाजार में उपलब्ध नहीं है। विभिन्न प्रकार की डिजाइनों को विकसित कर सकने में सक्षम लोग तथा कारीगर लोभी व्यापारियों के शिकंजे में कसे पाए जाते हैं जो उनकी डिजाइनों को खरीदने में सक्षम हैं।

तीसरा मुद्दा यह है कि उन्हें आधारभूत सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और इसीलिए लघु उद्योगों को समुचित विज्ञापन नहीं मिल पाता है। उन्हें इस बात के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते हैं जिससे कि विभिन्न समुदाय के लोग उन्हें जान सकें। कुछेक मामलों में यह देखा गया है कि जो अविष्कार आधुनिक विश्व में हो रहे हैं वे लघु उद्योगों तक नहीं पहुंच पाते हैं और लघु उद्योग उनसे पिछड़ जाते हैं अतः इन समस्याओं से हमें जूझना होगा। इन समस्यों को हल करने के प्रयोजन से सरकार ने कुछ नीतिगत पहल की है ताकि लघु उद्योगों की इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता की जा सके।

सरकार ने नायक समिति का गठन किया था और नायक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में और समय पर ऋण मुहैया कराया जाना चाहिए। छोटे और ग्रामीण उद्योगों को प्राथमिकता देने को स्वीकारा गया है। अभी भी औद्योगिक आधारभूत विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए ऋण सुविधाओं में सुधार आवश्यक है। सरकार उन्हें केवल 2 करोड़ रु. की सहायता देती है। यह धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव में लघु उद्योगों को और अधिक धन दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने उद्योगों के विकास के लिए अपने स्वयं के संसाधनों को जुटा सकें।

मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि हाल ही में बड़े भारतीय औद्योगिक घरानों ने लघु उद्योगों से संबंधित मामलों में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। यहां तक कि बहुराष्ट्रीय निगमों को भी पिछड़े क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है और देखना है कि क्या वे ऋण जुटा पाते हैं और उसे लघु उद्योगों को उपलब्ध कराते हैं। उसके परिणामस्वरूप काफी जबर्दस्त प्रतियोगिता होगी। छोटे उत्पादकर्ता इस कड़ी प्रतियोगिता का सामना करने की स्थिति में नहीं होंगे। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इन सभी पहलुओं पर विचार करें तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक परामर्शदाताओं के दबाव में आकर उनके हुकमों का पालन न करें। हमारी सरकार को आत्म निर्भरता का सिद्धांत अपनाना चाहिए। आत्म निर्भरता निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों का सृजन करेगी जो लघु उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल होगी।

मैं आशा करता हूं कि सरकार सी एम पी जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है - के प्रकाश में मामले पर आगे कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वास्तव में लघु उद्योग हमारे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने में कारगर भूमिका निभा सकते हैं। दुर्भाग्य से इतने सालों में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। सन् 1992-93 में इसकी 5.6 प्रतिशत बढ़ोतरी बताई गई है। 1993-94 में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर बताई गई है, किंतु हम जब इसको धसतल पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मध्यम प्रकार के उद्योग हैं वे छोटे उद्योगों की तरफ भाग रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से जो इस देश के मध्यम उद्योग थे वे छोटे उद्योगों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उसको शो करके यह इतना बड़ा प्रतिशत बता दिया गया है।

उसको शो करके यह इतना बड़ा प्रतिशत बता दिया गया है। अगर हमें इस देश की अर्थव्यवस्था को संतुलित करना है तो हमें छोटे और कुटीर उद्योगों को सभी दृष्टि से महत्व देना होगा। माननीय सदस्यों ने यहां पर अनेक सुझाव दिए हैं। बड़े उद्योगों के साथ अगर आप छोटे उद्योग नहीं लगाएंगे तो सभी लोगों के हाथों में काम नहीं होगा और अगर काम नहीं होगा तो उनके हाथ में पैसा नहीं होगा और पैसा नहीं होगा तो वे बड़े उद्योगों द्वारा तैयार माल खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए संपूर्ण आर्थिक संतलुन आपको बनाना चाहिए। अगर यह बनाना है तो आपको छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना ही होगा। यहां पर हमारे सांसद रामाश्रय प्रसाद सिंह जी नहीं हैं। वे ढाका की मलमल के बारे में बता रहे थे। हमारे प्राचीन भारत में ढाका का मलमल छोटे उद्योग में बनता था। ढाका की मलमल का थान माचिस की डिब्बिया में आ जाता था। जब अंग्रेज यहां आए तो यहां लंका-शायर और बर्मिघंम में तैयार कपड़ा बेचना था, इसलिए उन्होंने मलमल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए, जिससे वे कपड़ा तैयार न कर सकें और वह उद्योग सदा के लिए खत्म हो जाए। इसी प्रकार के बहुत से उद्योग यहां पर थे जो छोटे उद्योग थे।

दिल्ली की कुतुबमीनार को जाकर आप देखिये आज भी उसमें जंग नहीं लगी है। इसको किन कारीगरों ने बनाया था। यह बात भी माननीय मंत्री जी के देखने की है। अभी हमने अखबारों में पढ़ा कि गन्ना उत्पादक किसानों ने अपना गन्ना जला दिया, क्योंकि न तो आप उसका पूरा मूल्य दे रहे हैं न ही उसके माल के वैकल्पिक

निर्माण का उसको मौका दे रहे हैं। मैं रायगढ़ से आता हूं। वहां पर टमाटर की खेती होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फसल आती है तो एक-एक दिन में 700-700 से लेकर 1000-1000 ट्रक तक वहां आते हैं। वहां पर टमाटर उत्पादकों को बाजार नहीं मिलता है। शहर में टमाटर 20 रूपये, 30 रूपये किलो मिलता है और वहां पर उसको कोई फ्री में ले जाने वाला भी नहीं होता है।

मध्य प्रदेश के लुडेग कस्बे में 80 गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। मैं कहना चाहता हूं कि छोटी-छोटी मशीनें उन्हें ग्रामोद्योगों के लिए प्रदान की जाएं और लघु उद्योग के रूप में उसको डवलप किया जाए, जिससे सबको काम मिले। इन छोटे उद्योगों में टमाटर से टमाटर कैचअप बनाया जाए, सॉस बनाया जाए और उसे छोटी-छोटी बोतलों में भरने की व्यवस्था इन छोटे उद्योगों के कारखानों में की जाए तथा सरकार इसके लिए मार्किटिंग की व्यवस्था करें। वहां पर इस प्रकार का एक प्रयास म.प्र. के पूर्व के सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद वह सारा का सारा प्रयास धरा का धरा रह गया। इस देश में ऐसी हजारों चीजें हैं जिनसे करोड़ों लोगों को काम मिल सकता है। सरकार ऐसे काम देकर उनके हाथ में पैसा दे सकती है लेकिन सरकार की चिंता ऐसे उद्योगों के लिए नहीं है।

सभापति जी, आज सारी दुनिया, में धनाढ्य बनने की लालसा ने अर्थवाद को जन्म दिया है। यह प्रवृति दुनिया को कहां ले जा रही है। कोई भी आदमी आज मेहनत करना नहीं चाहता है। हर्षद मेहता रातों-रात अरबपति हो गया। इसी तरह सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। श्रम कोई नहीं करना चाहता है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय कहा करते थे कि हमें सारे देश में श्रम की महत्ता को स्थापित करना होगा। चाहे कोई अमीर हो या गरीब या फिर पूंजीपति हो, या श्रमिक सबको श्रम की साधना में लग जाना होगा। श्रम से परांगमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संरक्षण समाप्त करने होंगे। पंडित जी की ये बातें आज और भी प्रासंगिक हैं लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है यही कारण है कि कहीं बड़े उद्योग लगते हैं तो उनको सारा सहयोग मिलता है और छोटे उद्योगों को नेगलैक्ट किया जाता है। वे कार्य आरंभ करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सहयोग नहीं मिलता है। कठेरिया जी का रैजोल्यूशन निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। शहरों में बड़े उद्योग हैं लेकिन कच्चा माल गांवों में मिलता है। उससे शहर वाले अरबो-खरबों रूपया कमा रहे हैं। जिस जगह कच्चा माल मिलता है, वहां आदमी गरीब हैं, विपन्न है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देश के कई राज्यों में साल बीज होता है लेकिन सालमेंट प्लांट मुम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में लगता है। जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन होता है और जहां साल बीज इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, उनको इसके अच्छे दाम नहीं मिलते। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में इसकी कीमत एक रूपया पचास पैसे है। सालमेंट प्लांट से लोग अरबपति और खरबपति हो गए हैं। उससे संबंधित प्लांट वहीं लगने चाहिए। जहां कच्चा माल मिलता है। कृषि और खनिज पर आधारित छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों का जाल संपूर्ण देश में बिछाया जाना चाहिए तभी इस देश की अर्थव्यवस्था जो कि पटरी से उतर गई है, उसको ठीक से पटरी पर लाया जा सकेगा। पूरे समाज में जो असंतुलन है, एक तरफ कुछ लोग अमीर हो गए हैं, करोड़पति, अरबपति हो गए हैं और दूसरी तरफ बहुत संख्या में लोग 5-10 रूपये में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसको ठीक ढंग से लागू करने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए।

सभापति जी, एक जमाना था जब पूरा गांव स्वावलम्बी होता था। किसान अनाज पैदा करता था, लोहार लोहे का सामान बनाता था, मोची जूते बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, बढ़ई हल और अन्य लकड़ी का सामान बनाकर देता था। आज ये उद्योग उजड़ गए हैं आज बड़े-बड़े कारखानों ने उनका स्थान ले लिया है। हमने उसे प्रोत्साहित नहीं किया। सारे हाथ खाली हो गए। जो छोटे-छोटे करघों में कपड़े बनाते थे, आज वे बंद हो गए हैं। उनकी पूरे देश को आवश्यकता थी और वे कपड़े निर्यात होते थे। हमारे यहां रेशम और कोसे के कपड़े होते थे और उनकी बहुत मांग थी। इनकी आज भी मांग है कि पूरी दुनिया में इसकी मांग है। कालीन बनाने के काम में हमें अच्छी विदेशी मुद्रा मिल सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राचीन अर्थव्यवस्था को नई तकनीक के साथ जोड़ दिया जाएगा तो यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा, पूरे देश में आर्थिक क्रांति और रोजगारोन्मुख क्रांति होगी, कोई भूखा, नंगा नहीं रहेगा।

आज बजट में भी असंतुलन है। एक आदमी बहुत गरीब और एक आदमी बहुत अमीर है। इसको दूर किया जाए और पूरे बजट को ठीक किया जाए। इस पर सही तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। इसी आर्थिक असंतुलन के कारण आज गरीब और अमीर की शक्ल, रंग, परिधान और वेश-भूषा में बहुत अन्तर है।

"एक तरफ समृद्धि थिरकती, एक और है कंगाली,
एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण के गहनों वाली।"

यह स्थिति देश की है। देश में बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने इस संकल्प के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया था। अब वह भी समाप्त हो गया है। अभी पांच सदस्यों को और बोलना है। अत: क्या यह सदन की इच्छा है कि समय को और एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाये?

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : लेकिन महोदय, आपको अगला संकल्प भी पेश होने देना चाहिए।

सभापति महोदय : हम एक घंटे का समय और बढ़ाते हैं जिसमें पांचों में से प्रत्येक सदस्य पांच-पांच मिनट तक बोलेंगे और उसके बाद माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देंगे। अगले प्रस्तावक

सदस्य अपना प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा में तैयार हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें उन्हें अवसर देना चाहिए।

अगले वक्ता से अनुरोध है कि वह कृपया सम्बद्ध मुद्दों तक ही अपनी बातों को सीमित रखें और पांच मिनट में समाप्त करें ताकि संकल्प को हम आज ही निपटा सकें। समय अब एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय : माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार की तरफ से कहीं छोटे उद्योग स्थापित करने या छोटे-छोटे सहयोग देकर लोगों को खड़ा करने की कोशिश भी की गयी है तो उसके बीच में गड़बड़ियां डालते गये। मध्य प्रदेश में आदिवासी बेरोजगार नवयुवकों को सहायता देने के लिये वित्त विकास निगम की स्थापना की गयी है। यदि कोई युवक गाड़ी या बस चलाना चाहता है तो उसे सहायता दी जाती है। मैंने देखा है कि उसको मजदा और स्वराज जैसी गाड़ी दी जाती है जिसके पार्ट्स गांव कस्बों में नहीं मिलते हैं। मैंने डायरेक्टर को लिखा कि उससे लोगों का भला कैसे होगा कि केन्द्र सरकार की ओर से जो सहायता दी जाती है उसके अंतर्गत उसे विदेशी गाड़ी दी जाती है। मैंने कहा कि टाटा की गाड़ी क्यों नहीं दी जाती जिसके पार्टस सब जगह आसानी से मिलते हैं।

सभापति महोदय, इस बात की आवश्यकता है कि शहरों में झोपड़ पट्टी बढ़ रहे हैं गांवों में कोई काम या रोजगार नहीं है और जो गांवों के संसाधन हैं, उनका उपयोग शहरों में हो रहा है। परिणाम यह होता है कि शहरों में नई परिस्थितियों और प्राब्लम खड़ी हो रही है। सभापति जी, चूंकि समय कम है इसलिए माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगायें। गांवों की तरफ छोटे उद्योगों को उन्मुख कर दें और पूरे देश में कुटीर उद्योगों का जाल बिछाकर इस देश को नये सिरे से नया आर्थिक नियोजन प्रदान करने का कष्ट करें।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं :

चलो जहां निर्जन कानन में वन्य कुसुम मुस्काते हैं,
मलयानिल भूलता भूलकर जिधर नही अलि जाते हैं,
कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योति पसार,
चले शून्य में सुरभि छोड़कर कितने कुसुम कुमार।

इसलिए गांवों की ओर चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा लाये गये इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. परशुराम (चेंगलपट्टू) : महोदय, मैं श्री प्रभु दयाल कठेरिया द्वारा बेरोजगारी की समस्या पर प्रस्तुत संकल्प और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की स्थिति पर कैसे काबू पाया जाए पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह मेरा पहला भाषण है और मैं इस विषय में भाग ले रहा हूं जिस पर इस महान सभा के नेताओं ने पहले ही विस्तारपूर्वक चर्चा कर दी है।

महोदय, इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे देश में बेरोजगारी युवाओं के बीच एक चिरस्थायी समस्या बन गई है और केन्द्र तथा राज्य सरकारें देश में इस समस्या को हल करने के लिए युद्ध-स्तर पर ठोस प्रयास कर रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि समस्या को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर बेरोजगार युवकों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है।

सभापति महोदय : आपसे पढ़ने की अपेक्षा नहीं की जाती आप बातों का हवाला देकर बोल सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, उन्हें माफ किया जा सकता है क्योंकि यह उनका पहला भाषण है। कृपया उन्हें आगे बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री के. परशुरामन : स्वतंत्रता के पिछले 50 वर्षों में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विकास हुआ है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, लेकिन बेरोजगार व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या, खासतौर पर शिक्षित बेरोजगार युवकों की बढ़ती हुई संख्या पर काबू नहीं पाया जा सका।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, मेरे मित्र श्री प्रभु दयाल कठेरिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि विद्यमान लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करे। इस संबंध में, मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि उसे केवल उन्हीं लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान पर विचार करना चाहिए जो देश के कमजोर वर्गों के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और जो विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात के प्रयोजन हेतु वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं।

महोदय, देश के दूर-दराज के भागों में उत्पादित वस्तुओं का परिवहन बहुत मुश्किल होता है और इसलिए लघु उद्योग इकाईयां अपनी वस्तुओं का विपणन करने में समर्थ नहीं होती और आखिर में रूग्ण हो जाती हैं। सरकार को आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सबसे पहले वरीयता दी जानी चाहिए जैसे भूमि, सड़कें, विद्युत, लघु उद्योग इकाईयों में उत्पादित वस्तुओं का विपणन, सस्ती परिवहन सुविधाएं, बहुत कम ब्याज दर पर बैंक ऋण और दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से लघु उद्योग इकाईयों में उत्पादित वस्तुओं का विज्ञापन देना, लम्बे तटवर्ती क्षेत्रों और वनक्षेत्रों वाले तमिलनाडु जैसे राज्यों को केवल लघु उद्योगों की स्थापना के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। शिल्पियों, काश्तकारों, शिक्षित स्व-रोजगार वाले युवकों, आई टी आई और पोलीटेक्नीक प्रमाण पत्र धारकों को विकास बैंक द्वारा पर्याप्त ऋण दिए जाएं जो कि इस प्रयोजना हेतु अलग से स्थापित किया जाए।

महोदय, मेरे राज्य तमिलनाडु में सरकारी कार्यालयों जैसे आई सी एफ रेलवे, पत्तनों, दूरसंचार, डाक-विभाग, परमाणु उर्जा संगठन, कलपकम डी ए ई कोरपस, आई जी सी आर, पी आर सी, डब्लू आई पी, सी डब्लू एम एफ जी एस डी, के ए आर जी और एम ए पी एस परियोजनाओं आदि में विभिन्न श्रेणियों में हजारों पद रिक्त पड़े हैं, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन रिक्तियों को भरने के लिए तुरंत कार्यवाही करे ताकि राज्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके।

अपराह्न 5.02 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, कलपकम में इन परियोजनाओं के मामले में, सरकार ने आश्वासन दिया था कि उपरोक्त परियोजनाओं की स्थापना के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। लेकिन केन्द्र सरकार ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। क्योंकि इस संगठन का भर्ती बोर्ड बम्बई में स्थित है और इस संगठन में रोजगार देने में दूसरे राज्यों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा राज्य के युवक हतोत्साहित हो जायेंगे। भर्ती बोर्ड को तुरंत कलपकम स्थांतरित किया जाये ताकि इस संगठन में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सके।

महोदय, तमिलनाडु का बहुत लम्बा तटवर्ती क्षेत्र है और लघु उद्योग के अंतर्गत नमक के उत्पादन को न केवल रसोई में उपयोग किए जाने वाले नमक अपितु उन नमकों के उत्पादन को भी महत्व दिया जा सकता है जो जीवन रक्षक दवाईयों के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी जा सकती है और इस प्रयोजन हेतु तटवर्ती क्षेत्र को आरक्षित रखा जाये, इसलिए सरकार को समुद्री उत्पादों को संसाधित करने के लिए पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रावधान करके मछुआरों को सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी मात्रा में काजू का उत्पादन होता है। काजू के उत्पादन और इससे तेल निकालने के लिए भी लघु उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छः मंडल हैं। उनमें से दो को पहले ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और अन्य चार को अभी पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन चार मंडलों - तिरूपोरुर, चेंगलपट्टू, अचारपक्कम, उथिमेरुर को भी पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के आदेश जारी करे ताकि वित्तीय सहातया समेत सभी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान की जा सकें।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों को भी बुलाया जाये क्योंकि चेंगलपट्टू चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी से लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खेतीहर मजदूरों को और धनराशि प्रदान की जाये। पी एम आर वाई योजना के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए एक लाख रूपये की धनराशि का ऋण दिया जा सकता है। लेकिन बैंक अधिकारी सिक्यूरिटी का आग्रह करके इन युवकों के लिए काफी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं जबकि हमें शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि बैंक कतिपय व्यक्तियों को बिना किसी आडम्बर के ऋण दे रहे हैं और इस तरह पक्षपात कर रहे हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बैंकों को निर्देश दे कि किसी व्यक्ति के प्रति कोई पक्षपात किए बिना सभी को ऋण प्रदान करें चाहे वह जो भी हो। दो दशक पूर्व, तमिलनाडु देश में औद्योगिक विकास में दूसरे स्थान पर था। अब, यह राज्य 14 वें स्थान पर आ गया है। यह सब केन्द्र द्वारा विभिन्न स्तरों पर राज्य के हितों की उपेक्षा के कारण हुआ है। अब केन्द्र के दयालु और सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देने से, मुझे विश्वास है कि तमिलनाडु राज्य औद्योगिक विकास में निश्चित रूप से अपनी मूल स्थिति प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार तमिलनाडु में दलितों और कमजोर वर्गों को रोजगार प्रदान करने के लिए सभी उपाय कर रही है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत भयंकर है, यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक असमाजिक गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वे सोचते हैं कि यही एक तरीका है जिससे वे जीवन-निर्वाह कर सकते हैं, यह बहुत गंभीर बात है कि जो हमारे देश में घटित हो रहा है जिससे हमारा सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है।

यदि बेरोजगारी की समस्या का हल किया जाना है तो इसे प्राथमिकता के आधार पर निपटना होगा। हमें सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र, बड़े उद्योगों, मझोले और लघु उद्योगों, अति लघु उद्योगों और घरेलू उद्योगों की सहायता करनी होगी जो अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लघु और घरेलू उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार प्रदान करते हैं जहां अधिक संख्या में बेरोजगार युवक रहते हैं।

यदि हम कृषि क्षेत्र को लें तो कामगारों को उसमें पूर्ण रोजगार नहीं मिलता। हमारे पास कृषि क्षेत्र में बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समुचित योजना नहीं है। कृषि के अलावा मत्स्यपालन, रेशम कीट पालन, फल और सब्जी की खेती और बागवानी हैं जो सभी रोजगार सृजित करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

रोजगार सृजित करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना अति आवश्यक है। दूसरा क्षेत्र जिसकी हमें आवश्यकता है वह है ग्रामीण सड़कों की कमी का होना। यदि हमारे पास समुचित सड़कें नहीं होतीं तो दूरसंचार प्रणाली सही ढंग से काम नहीं करेगी। यदि सड़कों को गांवों के दूर-दराज भागों तक पहुंचाया जाता है तो बहुत अधिक लोगों को नौकरियां मिलती हैं।

रेल लाइन रोजगार सृजित करने का दूसरा महत्वपूर्ण कारक

है। हम संसद सदस्य रेल लाइनों की मांग करते रहते हैं क्योंकि किसी क्षेत्र में जब रेल लाइन बिछाई जाती है तो रोजगार के कई अवसर खुल जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर हमें बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए ध्यान केन्द्रित करना है। हमें यह देखना है कि कौन सा क्षेत्र किसी विशेष कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यदि आप पशुधन का उदाहरण लें तो 73 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पारम्परिक रूप से पशुधन पर निर्भर है।

लेकिन यदि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुछ वैज्ञानिक तरीका लें तो इससे हमारे देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग को रोजगार मिलेगा। इससे अन्य चीजों के साथ-साथ विशेषकर प्रोटीन और पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान हो करता है। ऐसा मत्स्य पालन के मामले में है। मेरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में तालाब हैं। उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। मछली पालन के लिए, हमें एक विशेष स्थान पर थोड़ी संख्या में सहकारी समितियों बनानी होंगी। सहकारी समितियों के माध्यम से, हम एक विशेष तालाब में अथवा एक विशेष क्षेत्र के लिए मछली पालन कर सकते हैं अथवा पशुधन अथवा मुर्गीपालन अथवा डेयरी अथवा मधुमक्खी पालन अथवा ऐसे अन्य कार्य कर सकते हैं। मैं पशुधन विशेषकर बकरी पालन पर अधि क बल क्यों दे रहा हूं। क्योंकि सबसे गरीब व्यक्ति बकरीपालन कर रहा है। यदि एक परिवार के पास चार अथवा दस बकरियां हैं तो वह सारा साल अपना निर्वाह कर सकता है। हर जगह निधियों की कमी है। जब हम रोजगार अथवा कुछ और की तलाश करते हैं तो हम यह शोर सुन सकते हैं कि निधियों की कमी है। हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? नियोजन करने वाले को यह सोचना चाहिए कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए निधियां अवसंरचनात्मक सुविधाए कैसे प्राप्त की जाएं।

जहां तक स्वरोजगार का संबंध है, देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की प्रशिक्षण प्रणाली अथवा प्रक्रिया प्रशिक्षण संस्थाओं, लघु अथवा बड़ी यहां तक की कस्बों में भी स्थापित की जानी हैं। प्रशिक्षण के पश्चात् क्या होता है? प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् उन्हें किसी बैंक अथवा किन्हीं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अपना कारोबार शुरू करने के लिए कोई सहायता नहीं मिलती। वे कोई कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें उचित संसाधन नहीं मिलते। यहां तक कि हमारे बैंकों और अन्य भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि संस्थाओं से भी उन्हें उचित सहायता नहीं मिलती। कभी-कभी बैंक और साधारण बीमा निगम आदि वित्त देने के लिए आगे आते हैं लेकिन अधिकारियों और कुछ बुरे लोगों के बीच सांठगांठ है। इस क्षेत्र में, यदि आप बहुत व्यावहारिक योजना बनाएं और उसे क्रियान्वित करें तो हम कम से कम कुछ बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) आदरणीय उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रभु दयाल कठेरिया जी ने बेकारी की समस्या से संबंधित जो संकल्प सदन में बहस के लिये उठाया है, मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यही एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरी संसद को बैठकर, अगर एक सप्ताह तक बहस करनी संभव हो तो बहस करनी चाहिए तथा उस दौरान मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट के अतिरिक्त समस्त कैबिनेट मिनिस्टर्स से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी को यहां मौजूद रहना चाहिए। आज देश की सबसे बड़ी समस्या अनएम्पलायमेंट है। हमारे जितने संसद सदस्य यहां आए हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों में जा नहीं सकते। अगर वे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहां उन्हें एक हजार, दो हजार या तीन हजार पढ़े-लिखे नौजवान घेर लेते हैं। उनके मां-बाप मिलते हैं तो वे पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर है, हमारा लड़का ओवरसीयर या इलैक्ट्रानिक्स में इंजीनियर है, इसको नौकरी लगाओ। अब तो स्थिति यह हो गई है कि लाखों की संख्या में इंजीनियर्स या ओवरसियर्स बेरोजगार हैं। डिप्लोमा इंजीनियर्स या डिग्री इंजीनियर्स भी बेकारी की स्थिति में खड़े हो गए हैं।

आज हिन्दुस्तान में पांच करोड़ के करीब बेरोजगारों के नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं। इसके अलावा मेरी दृष्टि में 15 करोड़ और भी लोग हैं जो बेकार हैं। आज देश में 92 करोड़ लोगों में से करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तंदुरुस्त हैं, तगड़े हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वे बेकार हैं। अगर 20 करोड़ की मैनपावर का उपयोग न हो तो देश कैसे शक्तिशाली बन सकता है। अभी लिखा गया है -

[अनुवाद]

"बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने हेतु यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह:

(एक) विद्यमान लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करें;

(दो) नये लघु उद्योग स्थापित करें और ऐसे उद्योगों को ऋण, बिजली, विपणन आदि जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधायें प्रदान करें;

(तीन) लघु उद्योगों के लिए उत्पादन के कतिपय क्षेत्र आरक्षित करे; और

(चार) एक राष्ट्रीय कारीगर विकास बैंक की स्थापना करें।"

[हिन्दी]

यह कहा गया है कि इन चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में छोटे उद्योग धंधे चलाने हैं, मझोले उद्योग धंधे चलाने हैं, बड़े उद्योग धंधे चलाने हैं, छोटे प्राइवेट सैक्टर के कारखाने चलाने हैं या पब्लिक सैक्टर के कारखाने चलाने है तो सभी कारखानों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। आज देश के सभी प्रांतों में बिजली का संकट है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पंजाब में बिजली का संकट है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके हरियाणा में भी बिजली का संकट है। पूरे देश में आज बिजली का संकट है।

अगर बिजली नहीं मिलेगी तो देश में किसी प्रकार के उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। अगर ये उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो बेकारों को कोई काम नहीं मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जब राजीव गांधी जी प्रधान मंत्री थे तब यह तय हुआ था कि 22 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन सातवीं पंचवर्षीय योजना में होगा। पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 22 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। 1988 में राजीव गांधी जी ने प्लानिंग कमीशन की राय से आठवीं पंचवर्षीय योजना का अप्रोच पेपर तैयार कराया। उसमें कहा गया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान को 48 हजार मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि इतनी बिजली के उत्पादन के लिए जितने साधन चाहिए उतने साधन सरकार के पास नहीं हैं, इसलिए इसको कम किया जाए। तब प्लानिंग कमीशन की राय से 1989 में तय हुआ कि 38 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना में करेंगे। 1989 में चुनाव हुए और एक सरकार हमारे देश में आई। जून, 1991 तक यह सरकार इस देश में रही, मगर दो साल में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। फिर 1991 में दूसरी सरकार आई। उसने आठवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार कर देश के सभी मुख्यमंत्रियों और प्लानिंग कमीशन के सदस्यों की राय से यह तय किया कि 48 हजार मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए साधन नहीं है, इसलिए 38 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीया योजना बीत रही है और इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान में केवल 15 से 16 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। जब बिजली उत्पादन की इतनी धीमी गति है, तो फिर हिन्दुस्तान की नेशनल ग्रोथ कैसे होगी, जो छोटे और मंझोले उद्योग-धंधे हैं वे कैसे पनपेंगे, फिर प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर के कारखाने कैसे चलेंगे और फिर कैसे हिन्दुस्तान के करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिए। यह दलगत सवाल नहीं है। इस पर पूरे राष्ट्र के सभी माननीय सांसदों की राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए। हमारे देश के यहां पर जो 542 सांसद हैं, उन सब को इस सवाल के ऊपर अपनी-अपनी राय प्रकट करनी चाहिए और उसके आधार पर जो एक राष्ट्रीय मतैक्य बने, उसके आधार पर प्लानिंग कमीशन को अपनी योजना बनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज गांवों की क्या स्थिति है इससे सभी माननीय सांसद परिचित हैं। आज यदि गांव में ट्रैक्टर बिगड़ जाए, तो उसको ठीक करने वाला कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। गांव में यदि ट्यूबवैल बिगड़ जाये, तो उसको ठीक करने वाला कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। अगर बिजली फ्यूज हो जाए, तो उसको ठीक करने वाला कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा। आज लगातार हिन्दुस्तान में औद्योगीकरण बढ़ रहा है। सरलीकरण हो रहा है और हिन्दुस्तान औद्योगिक युग में प्रवेश कर रहा है। इसलिए यहां तकनीकी शिक्षा को जानने वाले लोगों की आवश्यकता है। आज हर गांव में बी.ए. और एम.ए. तो 50 से लेकर 100 लड़के तक मिल जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर को ठीक करने वाला, ट्यूबवैल को ठीक करने वाला, बिजली का फ्यूज को ठीक करने वाला एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि हाइस्कूल के बाद प्लानिंग कमीशन को जो शिक्षा देनी चाहिए, वह जाब रिलेटेड और जाब-ओरिएंटेड हो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए हिन्दुस्तान के हर जिले और ब्लाक लैवल पर पोलीटेक्निक और आई.टी.आई. खुलनी चाहिए। जो बहुत ब्रिलिएंट और टापर हो, वे ही बी.ए. और एम. ए. करें, बाकी सब को तकनकी शिक्षा देनी चाहिए।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : आप पढ़ाई को बंद कराने की बात न करें।

श्री कल्पनाथ राय : मैं पढ़ाई को बंद कराने की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आप ध्यान से सुनें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं जाब-ओरिएंटेड और जाब रिलेटेड शिक्षा दिए जाने की बात कर रहा हू।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि बी.ए. और एम. ए. पढ़े लिखे लोग क्लर्क नहीं बन सकते हैं। मेरे जिले में 60 लेखपालों के पदों की भरती के लिए लगभग 10 हजार बी.ए. और एम. ए. पास लड़कों ने परीक्षा दी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : पैसा कितना खर्च हुआ।

श्री कल्पनाथ राय : अग्निहोत्री जी पैसे की बात तो अलग है।..... **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आजादी के बाद जिन लोगों के पास शासन की बागडोर रही, उनकी गलत नीतियों का ही तो यह परिणाम है।..... **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : अगर अब आप इस सवाल पर बात करेंगे और बहस करेंगे, तो मैं अभी ऐसी बातें कहूंगा कि आप चुप हो जायेंगे। आप राष्ट्रीय मतैक्य की बाती कीजिए। मैं तो राष्ट्रीय मतैक्य की बात कर रहा हूं। बिला वजह एक दूसरे पर कीचड़ उछालना नहीं चाहता हूं।

श्री ओमपाल सिंह 'निडर' (जलेसर) हां, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय मतैक्य से आगे की बात भी तो आप कहिए।

श्री कल्पनाथ राय : हम अकेले समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। आप हमारे मित्र हैं। सभी सांसद हैं। सभी की समस्याएं हैं। संसद सदस्य होने के नाते जो उनकी दिक्कतें हैं उनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। मैं गांव-गांव में घूमता हू और यही कारण है कि आप सब लोगों की दुआओं के कारण पुनः संसद में चुनकर आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल्पनाथ राय जी, कृपया विषय पर आइए।

श्री कल्पनाथ राय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और उन माननीय सांसद को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यह प्रस्ताव यहां पर बहस के लिए प्रस्तुत किया।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मेरे मुल्क में सबसे बड़ा संकट क्या है इस पर गौर करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे मुल्क में सिंचाई की स्थिति बहुत खराब है। रावत साहब के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी प्राथमिकता बिजली जनरेशन को मिलनी चाहिए। जहां बिजली है वहां लोग खुद ही तरह-तरह के धंधे शुरू कर देते हैं। जहां बिजली नहीं है वहां कर्ज लेकर स्माल स्केल इंडस्ट्री बनाने वाले नीलाम हो गये हैं। वे भागकर कलकत्ता चले गये हैं क्योंकि उनके पास जो भी पैसा था, वह सब भी उजड़ गया है। आज जिन 90 प्रतिशत लोगों ने स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिए पैसा लिया है, उनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि बिजली न होने की वजह से उनके उद्योग-धंधे चौपट हो गये हैं। वे सब उद्योग घाटे में चल रहे हैं इसलिए अगर हिन्दुस्तान में बिजली की समस्या को हल करना है तो मेरा इस सरकार से निवेदन है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा लक्ष्य प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय मंत्रिमंडल को रखना चाहिए और संसद सदस्यों को इसके लिए सरकार पर दबाब डालना चाहिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जितनी आवश्यकता बिजली की है उतनी बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य घोषित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मुल्क में सबसे बड़ा मामला पर्यावरण का है। पर्यावरण आज विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। आज हिन्दुस्तान में 33 प्रतिशत जमीन पर पेड़-पौधे होने चाहिए। आज इस देश में पेड़ों के न होने के कारण तरह-तरह की विपत्तियां सामने आ रही हैं। आज हिन्दुस्तान में पेड़ों की संख्या 33 प्रतिशत से घटकर करीब 11-12 प्रतिशत रह गयी है। इसके लिए सरकार को एक लैंड आर्मी बनानी चाहिए जिसमें 10 लाख नौजवानों को भर्ती करना चाहिए। उन सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनके जिम्मे यह काम सौंपा जाये कि वे बंजर जमीन, नदी किनारे, सड़क किनारे पेड़ लगाकर मुल्क के पर्यावरण संकट को ठीक करें। जो 75 प्रतिशत जमीन सिंचित नहीं है उसको ठीक कर सिंचाई के योग्य बनाने का काम यह लैंड आर्मी करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में बड़ी-बड़ी नहरें हैं। हमारे किसी इलाके में इतना पानी है कि 80-90 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में चला जाता है, जबकि कई प्रांतों में पानी का गंभीर संकट है। आज तमिलनाडु व कर्नाटक में पानी के लिए लट्ठमलट्ठा हो रही है। आज पंजाब व हरियाणा के बीच पानी का संकट है। राजस्थान और पंजाब के बीच पानी के लिए झगड़ा हो रहा है। पीने के पानी के लिए हिन्दुस्तान के कई राज्यों में हड़तालें हो रही हैं। यह वाटर की प्लानिंग कैसे होगी? हिन्दुस्तान में नदियों के माध्यम से पानी होता है या बर्फ के माध्यम से होता है, उस पानी का इस्तेमाल हिन्दुस्तान को एक खुशहाल देश बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए होना चाहिए। इसके लिए 10 लाख लोगों की लैंड आर्मी को प्रयास करना चाहिए। हिन्दुस्तान की नदियों के पानी को पूरे देश का पानी मानना चाहिए। पानी कोई एक प्रांत का पानी न हो। यह तो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है। भारत के संविधान में इस तरह से संशोधन किया जाये कि सारे हिन्दुस्तानियों को प्रोपर मात्रा में पानी मिले। अगर इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़े तो आप वह संशोधन करिये। राष्ट्रीय पैमाने पर एक योजना बनानी चाहिए और लैंड आर्मी के माध्यम से उस पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए, हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति को काम देने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी आवश्यकता बिजली पैदा करने की है। चौथी चीज यह होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान के हर मुख्यालय पर एक तो कृषि विज्ञान केन्द्र और एक आई.टी.आई पोलीटेक्निक और ब्लाक स्तर पर भी आई. टी. आई पोलीटेक्निक के स्कूल खोलने चाहिए। हिन्दुस्तान में इस तरह की प्लानिंग हो जिससे यह पता लग सके कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में हम कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं। उसी के मुताबिक मैनपावर ट्रेंड करनी चाहिए ताकि बच्चों को स्कूल से निकलते ही काम दिया जा सके। आज इस देश में बेकारी की समस्या सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है।

मैं संसद सदस्यों के बारे में कहना चाहता हूं। 1989 में जो चुनाव हुए थे, उसमें 75 प्रतिशत संसद सदस्य हार गए थे। 1991 में फिर चुनाव हुए। अबकी बार जो चुनाव हुए हैं, उसमें पहले के 330 संसद सदस्य हार गए हैं। हम सेंट्रल हाल, गेट के बाहर या रास्ते में कहीं भी जाएं, लोग कहते हैं कि राय साहब, सुना है कि चुनाव जल्दी होंगे। अब आप बताइए, पार्लियामेंट तो पांच साल के लिए होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के संसद सदस्य पर चतुर्दिक हमला हो रहा है, पूरी राजनीतिक प्रणाली पर हमला हो रहा है। हिन्दुस्तान में जितने भी नौकरशाह हैं, जो आई.ए.एस. की नौकरी पा जाते हैं, उनकी नौकरी खत्म नहीं होती चाहे कोई भी सरकार बने। हिन्दुस्तान की न्यायपालिका के जज भी रहेंगे। लेकिन राजनीति करने वाले व्यक्ति पर हमला हो रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिन्दुस्तान के कितने जजों ने उसमें हिस्सा लिया था, कितने नौकरशाहों ने हिस्सा लिया था? 14 अगस्त को रात के बारह बजे तक ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद की सेवा कर रहे थे। करोड़ों लोगों ने गुलाम देश की आजादी के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया, लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इस गुलाम मुल्क को आजाद कराया। उसी आजादी ने हमको प्रजातंत्र दिया। उसी प्रजातंत्र में कभी इस पार्टी का राज बनेगा, कभी आजादी ने हमको प्रजातंत्र दिया। उसी प्रजातंत्र में कभी इस पार्टी का राज बनेगा, कभी उस पार्टी का राज बनेगा। यह कोई बुरी बात नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान की राजनीति करने वाली व्यवस्था पर जो लगातार हमले होते रहे हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चाहे हमारे-आपके बीच जितने भी मतभेद हों, हम कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत काम करेगा, उसे जनता दंडित करती है। पार्लियामेंट के बहुत से सदस्य अपने जीवन में काफी त्याग और कुर्बानी के बाद एक बार एम.पी. बनते हैं। यदि दो साल बाद पार्लियामेंट भंग हो जाए तो वे दुबारा एम.

पी. नहीं बनते। ज्यादातर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही एम. पी. बनते हैं, मुश्किल से 2 प्रतिशत एम. पी. ऐसे होते हैं जो 5 या 6 बार चुनाव जीतते हैं। वे चाहे चुनाव जीतें या हारें फिर भी नेता ही रहेंगे। लेकिन जो सदस्य 1-2 बार के बाद हार जाते हैं, क्या उनके संबंध में कोई विचार करता है? यदि प्रधानमंत्री जी यहां होते तो मैं उनसे बात करता। क्या उनके संबंध में कभी कोई जानकारी ली गई है?

आप मेरे घर में नौ बजे आ जाएं तो आपको पता लगेगा कि यू.पी., बिहार आदि से कितने ही लोग हमारे यहां आकर कहते हैं कि हमारा यह काम करवा दीजिए। सबकी बात सुनकर उनके लिए पत्र लिखने पड़ते है, टेलीफोन करने पड़ते हैं, कभी किसी मंत्री के पास जाना पड़ता हैं। आप कल्पना कीजिए कि कितने त्याग और कुर्बानी के बाद कोई व्यक्ति किसी दल में टिकट पाता है और 1-2 बार एम. पी. बनता है। मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान में हर वर्ग में अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। न्यायपालिका में भी अच्छे लोग हैं, उसमें भी खराब लोग हैं। ब्यूरोक्रेसी में एक से एक ईमानदार, सच्चे लोग हैं, उसमें भी खराब लोग हैं। राजनैतिक जीवन में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, खराब लोग हो सकते है। समाज में, 90 करोड़ जनता में भी अच्छे लोग हैं, खराब लोग हो सकते हैं, मगर किसी एक वर्ग के ऊपर उंगली उठाना या उसके खिलाफ प्रचार करना, यह देश की लोकशाही को और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है।

आज भी दुनिया में सबसे अच्छी प्रणाली संसदीय प्रणली है, सबसे अच्छी प्रणाली लोकशाही की प्रणाली है, लोकतंत्र की प्रणाली है। जिस प्रणाली की नींव महात्मा गांधी और मेरे मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों ने डाली थी। आज भी सबसे अच्छी प्रणाली लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की प्रणाली को मजबूत बनाना और लोकतंत्र और लोकशाही के माध्यम से भारत में सामाजिक, आर्थिक उत्पीड़न को समाप्त करना, हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों को इस लायक बनाना कि वह इस राष्ट्र को शक्तिशाली और मजबूत बना सकें, यही हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के लिए इस सोवरेन पार्लियामेंट के सोवरेन मैम्बर आफ पार्लियामेंट आये हुए हैं। सभी मैम्बर पार्लियामेंट का मैं वंदन करूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा, चाहे वे किसी भी दल के हों। आज राष्ट्र ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, जहां हम लोगों को राष्ट्र के बड़े-बड़े सवालों पर राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित करना पड़ेगा.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कल्पनाथ राय जी, एक मिनट। मेरे पास सात नाम हैं।

श्री कल्पनाथ राय : आखिरी पाइंट मुझे कहना है, मैं एक मिनट में खत्म करूंगा। हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हिन्दुस्तान में दिन दूनी रात चौगुनी जनसंख्या बढ़ रही है और हम हिन्दुस्तान के नेता लोग एक कानून इस मुल्क में बनाने के लिए तैयार नहीं है। तरह-तरह के वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में हम सही निर्णय लेने के पक्ष में नहीं हैं। आज चाइना की यह स्थिति हो गई है कि चाइना में मेल से फीमेल की संख्या बढ़ गई है। चाइनीज सरकार ने कहा है कि जो लोग मेल बच्चों को पैदा करेंगे और जिनकी आमदनी इससे ज्यादा होगी, उनको राष्ट्र की तरफ से पारितोषिक दिया जाएगा। आज मलेशिया में ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इससे रेजोल्यूशन का क्या ताल्लुक है?

श्री कल्पनाथ राय : रैजोल्यूशन का ताल्लुक यह है कि अगर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर हिन्दुस्तान में लागू नहीं किया गया तो बेकारों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि बेकारों को आप काम नहीं दे पायेंगे। इसलिए हिन्दुस्तान की पोपुलेशन पालिसी, हिन्दुस्तान की एक इंटीग्रेटिड इकोनोमिक पालिसी हिन्दुस्तान की 90 करोड़ जनता को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्र के लिए जो आवश्यक एम्पलायमेंट की योजना है, उसके लिए सरकार विचार करे और सारे राष्ट्र के चुने हुए सांसदों से राष्ट्रीय मतैक्य के आधार पर विचार करके मुल्क को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से प्लानिंग कमीशन से निवेदन करूंगा कि वह प्लानिंग कमीशन इस अहम सवाल पर विचार करे।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आप कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। बैठिए।

श्री एस. पी. जायसवाल (वाराणसी) : आप बाकी लोगों का अभिनन्दन कर सकते हैं, आप एक को छोड़कर सब का अभिनंदन वंदन तो कर देते।...... **(व्यवधान)**

श्री नकली सिंह (सहारनपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम बार सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से चुनकर यहां पर आया हूं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें बधाई की तो कुछ बात नहीं है। आप धन्यवाद तो दे सकते हैं।

श्री नकली सिंह : धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सम्माननीय मित्र श्री प्रभु दयाल कठेरिया जी ने ऐसा प्रस्ताव, ऐसा सुझाव और इस प्रकार का यह प्राइवेट मैम्बर्स बिल यहां पर रखा है, जिसको सारा देश पसंद करता है।

इस देश की आबादी लगभग एक अरब होने जा रही है और आज सारे देश में बेरोजगारी का एक घोर संकट है। विश्व के अन्दर जितनी आबादी है, उसमें बहुत से देशों की आबादी उतनी भी नहीं है, जितने हमारे यहां बेरोजगार हैं। यह एक बड़ी भारी समस्या है, देश के सामने विकट समस्या है। दुर्भाग्य यह भी है कि कितना अच्छा यह प्रस्ताव है, कितने अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं लेकिन मुझे कष्ट होता है कि इतने बढ़िया प्रस्ताव के बाद भी हम श्रोता लोग यहां पर कितनी संख्या में हैं।

पूज्य महात्मा गांधी ने आखिर यह चरखा क्यों चलाया था, क्या उनके दिमाग में यह बात थी, जब वह स्वराज की कल्पना कर रहे थे? उनके दिमाग में यह भी था कि यह लघु, कुटीर और कृषि

उद्योग इस देश में पनपेंगे, उन्होंने इस पर कार्य भी किया था। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा मोची यानी जूता बनाने वाला बाटा है। इसी तरह देश में सबसे बड़ा लोहार टाटा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे नीति निर्धारकों ने और देश के कर्णधारों ने जो देश के विकास के लिए परिकल्पना की थी, उसको क्या हम इसी रूप में पूरा कर रहे हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, जो चीज लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के जरिए बन सकती है, वह लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नहीं बनाई जाए। इसलिए कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को और कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए और बड़े उद्योगों में ऐसी चीजें बनाने पर पाबंदी लगाई जाए। आज देखने में आता है कि लघु उद्योगों में बनी चीजें बड़े उद्योगों के माल के सामने बाजार में टिक नहीं पातीं।

हमारे गांवों में कुम्हार होते हैं, जिन्हें हम प्रजापति भी कहते हैं। अगर उनको ऋण दिया जाए और सुविधाएं दी जाएं तो वे बहुत अच्छी क्राकरी बनाकर देश की सेवा कर सकते हैं। आज हम क्या देखते हैं कि किसान के काम आने वाली खुरपी भी बड़े पैमाने पर बड़े उद्योगों में बनाई जा रही है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारे देश का गरीब लोहार कहां जाएगा, हमारे जुलाहे कहां जाएंगे। आज आप देखिए बड़े-बड़े शहरों में झोपड़ियों की कितनी बड़ी तादाद हो गई है। ये लोग गांवों से शहरों में काम की तलाश में आते हैं, जबकि ये लोग काफी हुनरबाज हैं। लेकिन गांव में वे बेकार रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता। इसलिए गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि गांव खाली हो जाएंगे।

गांवों के अंदर लोगों के पास काफी वक्त होता है। पहले कहार भाई टोकरियां बनाया करते थे, लेकिन आज इस काम को करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। यह बात भी सही है कि बिजली भी नहीं है। इसलिए सरकार को गांवों में लोगों को सुविधाएं देने का काम करना चाहिए। हमारे देश की आबादी 90 करोड़ के करीब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस देश का भविष्य क्या होगा, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए लोगों को काम देना चाहिए। इस देश में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। बड़े-बड़े उद्योग वहां लगने चाहिए जहां आबादी कम हो। हमारे यहां श्रमिक के हाथ में काम नहीं है। इसलिए इनको संरक्षण देना चाहिए, वित्तीय सहायता देनी चाहिए। पूरे देश में लघु उद्योगों को और कुटीर उद्योगों का जाल बिछाना चाहिए, इससे बेकारी दूर हो जाएगी और देश के अंदर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग सम्मान से जीना सीखेंगे।

शहरों में बड़ी-बड़ी कोठियां बनती हैं, लेकिन जब ये बड़ी-बड़ी कोठियां या 20-25 मंजिलें भवन बनते हैं तो हमारे गांव से आए श्रमिक भाई ही इनको बनाते हैं और कई दफा उनकी ऊपर से गिरकर मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जब यह भवन बन जाते हैं तो इन्हीं के दरवाजे पर लिख दिया जाता है 'नो एडमिशन'। हम लोग शहरों में अगर 20 साल भी रहेंगे तो भी हमारे चेहरे नहीं बदलेंगे। अगर सम्मान नहीं मिलेगा, आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कुटीर उद्योग नहीं पनपेंगे।

हमारे देश की प्राचीन ढाका की मलमल दुनिया में प्रसिद्ध थी। विश्व में कहीं भी इतना महीन कपड़ा नहीं बन पाता। ऐसे ही महाभारत के जमाने का इस्पात का खंभा यहां खड़ा है, उस पर आज तक जंग नहीं लगा। इससे पता चलता है कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आज जो विदेशी कंपनीज आ रही हैं, उससे और बेकारी बढ़ेगी।

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे प्रस्ताव पर गंभीरता से सोचा जाए और इस तरह का प्रस्ताव सरकार की तरफ से आए और उसे लागू किया जाए ताकि देश में बेरोजगारी की समस्या सदा के लिए समाप्त हो।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, मैं आज दिल से अपने उस साथी की प्रशंसा करता हूं जिसने इस रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया है। जिस समय यह बिल प्रस्तुत हुआ, उस समय मेरी आंखों में आंसू थे। इतने लम्बे वर्षों की आजादी के बाद भी आज देश के कुछ ऐसे बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जो केरल, पंजाब और हरियाणा से आबादी और क्षेत्रफल में और प्राकृतिक संपदा तथा श्रम शक्ति की दृष्टि से अधिक भरपूर हैं और आज ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन के शिकार हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हू। देश का ऐसा बहुत बड़ा भू-भाग है, जैसे उत्तर प्रदेश के पांच जनपद और मध्य प्रदेश के 12 जनपद मिलाकर 17 जनपद हैं, जिनको बुन्देलखंड कहा जाता है, आज अगर वहां पर भुखमरी तथा गरीबी है और लोगों की रोटी तथा पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यह है कि वहां के नौजवान बेकार हैं। यह बेकारी क्या है? यह बेकारी कोई आसमान से नहीं टूटती है या किसी कोख से पैदा नहीं होती। यह बेकारी ऐसी व्यवस्था है जो आज समाज या राज्य क्षेत्र के अन्दर पैदा करता है। कभी-कभी इस प्रकार के मुद्दे दिमाग के सामने खड़े होते हैं तो वर्तमान समय की राज व्यवस्था के खिलाफ बगावत करने की इच्छा पैदा होती है।

आज देश के अन्दर छोटे-छोटे स्थानों पर पृथक राज्य निर्माण के आंदोलन चल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का उत्तरांचल हो और चाहे बिहार का वनांचल हो। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्दर भी बुन्देलखंड का पृथक राज्य बनाया जाए, यह आंदोलन आज आम जनता का हिस्सा बन गया है। मैं समझता हूं कि देश के अन्दर पृथक राज्य के निर्माण के जो अभी तक आंदोलन हुए हैं, उसमें सबसे पहला आंदोलन पृथक राज्य के निर्माण का कोई होगा तो वह उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र का होगा। मैं झांसी, ललितपुर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं और जब मैं अपने क्षेत्रों का दौरा करता हूं तो मुझे रातों को नींद नहीं आती है। हमारे पास वन संपदा होते हुए, अच्छी उपजाऊ भूमि होते हुए भी आज गांवों के अन्दर काफी बड़ी संख्या में लोग बिना रोटी, कपड़े और मकान के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, मैं ऐसे क्षेत्र से चुनकर आता हूं। बुन्देलखंड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्ष में चार महीने लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्हें गंदे नालों का पानी पीना

पड़ता है। कारण क्या है? इतने लम्बे शासन के बाद भी फिर चाहे वह राज्य सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, आज इस प्रदेश के लिए पीने के पानी की एक छोटी सी समस्या को हल करने के लिए कितनी पूंजी लगाई गई है, कितना धन भेजा है और आज नियोजन किस प्रकार का किया है कि 17 जनपद की लगभग साढ़े तीन करोड़ की आबादी की पीने के पानी की समस्या का हल नहीं हो सका है, चार महीने तक उनको गंदे नालों का पानी छान-छानकर पीना पड़ता है। मुझे कहने में दर्द और दुःख होता है कि बुन्देलखंड क्षेत्र का जनमानस वर्ष में चार महीने केवल महुआ खाकर जीवन व्यतीत करता है। उसके पास वन संपदा है, वहां सोना पैदा हो रहा है, वहां चांदी के भंडार निकल रहे हैं। इसके अलावा मूल्यवान खनिज पदार्थ भी बुन्देलखंड क्षेत्र में निकल रहे हैं। वन संपदा से लाखों रुपया पैदा हो रहा है, लेकिन यह पैसा लखनऊ और भोपाल में जा रहा है, जहां बड़े-बड़े आलिशान भवनों का निर्माण हो रहा है, लेकिन बुन्देलखंड पानी के अभाव में प्यासा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के 17 जनपदों में उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है। यह क्षेत्र उद्योग शून्य रहित क्षेत्र हैं। वहां की स्थिति को देखते हुए, उस क्षेत्र में कृषि पर आधारित उद्योग होने चाहिए, प्राकृतिक संपदा के आधार पर उद्योग होने चाहिए, लेकिन बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों में एक भी उद्योग नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र के नौजवानों के अन्दर जो बेकारी है, उसका मुख्य कारण यह नहीं है कि आज बुंदेलखंड क्षेत्र के नौजवानों की भुजाहों में ताकत नहीं है। उस क्षेत्र के नौजवानों की भुजाहों में ताकत है, विवेक है, लेकिन उसके हाथ बेकार हैं। कारण यह है कि उसके हाथ में काम नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के खेतों में पानी पहुंचा दिया जाए, तो उस क्षेत्र के अन्दर उद्योग खड़े हो सकते हैं और नौजवानों की जिन्दगी को बना सकते हैं। हमारे खेत सूखे हैं, वहां पैदावार नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र की यह स्थिति होने से पूंजी का निर्णय नहीं हो रहा है। जिस क्षेत्र में पूंजी का निर्माण नहीं है, उस क्षेत्र के नौजवानों के हाथ में काम कैसा आएगा। उसके हाथ में धंधे नहीं आयेंगे, तो वह पैसा कैसे पैदा करेगा, पूंजी कहां से पैदा करेगा। जब वहां पर पूंजी का निर्माण नहीं होगा, तो उस क्षेत्र में बेकारी होगी और गरीबी होगी। मैं आज इस सदन में इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि बेकारी की समस्या इस स्थिति के होते हुए नौजवानों के अन्दर दूर होने वाली नहीं है। मैं इस सदन में तीसरी बार चुनकर आया हूं। मैं विधान सभा का भी सदस्य रहा हूं। मैंने उस दिन प्रधानमंत्री जी के भाषण को भी सुना। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां उन्होंने गरीबों के लिए पानी की सुविधा दी है और लघु उद्योगों के विकास के लिए उन्होंने क्या किया है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है। एक तरफ विदेशियों का अपने देश के अन्दर उद्योग खोलने की छूट मिल रही है और दूसरी तरफ देश को गरीबी की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है और देश के नौजवानों के हाथ में काम नहीं है। इसके साथ ही देश में शिक्षा का विस्तार नहीं है, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल नहीं है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल नहीं है और 10-15 किलोमीटर की दूरी पर चिकित्सालय नहीं है। सदन में बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए पूंजी का कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। यह पीड़ा सिर्फ मेरी पीड़ा नहीं है, यह तो मैं उस क्षेत्र की आम जनता की पीड़ा और आंसू सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी का निवेश किया जा सके। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग से पिछड़ा क्षेत्र आयोग गठित किया जाए, जिसमें पूंजी का भंडार हो और वह आयोग उस क्षेत्र की बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिए कृषि पर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने की दिशा में कदम उठाए। हमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि विदेशी कंपनियां आकर ऐसे क्षेत्रों का निर्माण करें। हमको साधन चाहिए, पूंजी चाहिए, जब ये चीजें हमारे पास होंगी, तो नौजवानों की ताकत हमारे पास है, हम कृषि पर आधारित उद्योग खड़े कर सकते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम ऐसे उद्योग अपनी ताकत पर खड़े कर सकते हैं। आज देश की पूंजी को बढ़ाने में, देश की पूंजी के निर्माण में देश के ऐसे बहुत बड़े हिस्सों को ले सकते हैं। वास्तव में कहावत है कि यह पूंजी ऊपर से नीचे जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अग्निहोत्री जी, ऐसा है कि एक घंटा इसके लिए अलाट हुआ था वह तो खत्म हो गया है। मेरे पास लिस्ट में अभी काफी नाम हैं इसलिए अगर हाउस चाहे तो इसके लिए एक घंटा और बढ़ा दें।

(व्यवधान)

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : हां, इसके लिए एक घंटा और बढ़ाया जाए।...... **(व्यवधान)** मान्यवर, 6 बजे से जनरल बजट के लिए टाइम अलाट है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, यह फिर आगे अगले हफ्ते में जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मान्यवर, अभी मुझे आधा घंटा बोलने के लिए और चाहिए। अभी तो केवल मेरी आंखों से भावना स्पष्ट हुई है, मुझे दिल की भावना को स्पष्ट करने के लिए आधा घंटा और चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको अगली बार समय मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अमर पाल सिंह : मान्यवर, 6 बजे से जनरल बजट के लिए टाइम अलाट है।

उपाध्यक्ष महोदय : हाउस का कंसेंसस क्या है। टाइम आगे बढ़ाना है इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मान्यवर, बजट 6 बजे शुरू करना।

उपाध्यक्ष महोदय : बजट तो 6 बजे ही शुरू होगा।

श्री अमर पाल सिंह : इसको अगले शुक्रवार के लिए लगा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस टोपिक के लिए एक घंटा और बढ़ाया जाता है। अगली बार फिर आगे इस पर डिसकशन होगी। बजट 6 बजे शुरू हो जाएगा और यह अगले हफ्ते में चला जाएगा।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं यह कह रहा था आज जो बेकारी है उसका मुख्य कारण यह है कि आज जो क्षेत्रीय असंतुलन इस देश के अंदर पैदा हो गया है और आज इस देश में जो नौजवानों की शक्ति लगनी चाहिए वह बेकार जा रही है। उसके हाथ बिलकुल खाली पड़े हुए हैं। आज गांव के किसान का बच्चा बेकार है। अभी हमारे राय साहब कह रहे थे कि अगर ट्रैक्टर बेकार हो जाए तो गांव में उसको ठीक करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। अगर साइकिल पेंचर हो जाए तो कहते हैं कि पेंचर को ठीक करने के लिए गांव में कोई व्यवस्था नहीं है और ये कहते हैं कि यह गांवों का देश है। जब गांवों के अंदर खुशहाली नहीं है तो देश की बेकारी कैसे दूर हो सकती है? अगर गांव के किसान के अंदर खुशहाली नहीं है तो देश का आर्थिक तंत्र कैसे मजबूत हो सकता है। देश के नौजवानों को बेकारी से कैसे मुक्त कराया जा सकता है। देश के अंदर कल-कारखानें कैसे मजबूती से चल सकते हैं। हमको स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते थे आज उनकी एक बात मुझे याद आ रही है कि किसान क्या पैदा करता है। वह गेंहू पैदा करेगा, मक्का पैदा करेगा, गन्ना पैदा करेगा, कपास पैदा करेगा, तिलहन पैदा करेगा। लेकिन जब किसान का माल विदेशी ताकतों के हाथों में चला जाता है या बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथों में चला जाता है तो वे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं और किसान जो खेत में अपना पसीना बहा कर पैदा करते हैं, जिससे करोड़ों रूपये कमाये जा रहे हैं उसको कमाने वाला जो असली मालिक है उसके शरीर में आज कपड़ा भी नहीं है। उसके चेहरे के अंदर खुशहाली नहीं है। वह दो टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता है। अगर बीमार पड़ जाए तो दवाई नहीं ले सकता है। आज हमारे देश के गांवों का किसान खुशहाल नहीं है, क्योंकि जो माल वह पैदा करता है उसको बाजार के अंदर उसके उचित दाम भी नहीं मिलते हैं और जब उसको उचित दाम नहीं मिलते हैं तो किसान की जेब में पूंजी नहीं होती है। अगर किसान की जेब में पूंजी नहीं होगी तो देश के अंदर जो छोटे-मोटे उद्योग चलते हैं उनके उत्पादन का माल कौन खरीदेगा? किसान के पास पूंजी नहीं है और जब किसान के पास पूंजी नहीं है तो उन कल-कारखानों का बना हुआ माल जो बाजार के अंदर पड़ा हुआ है वह वैसे का वैसा लाला जी की दुकान पर बना हुआ पड़ा रहेगा। उसका खरीददार नहीं मिलेगा, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं है।

अपराह्न 6.00 बजे

सारा का सारा आज जो नियोजन है उसके अंदर दोष है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बड़ी अदालत में बैठकर जब इस विषय पर विचार करते हैं तो हिन्दुस्तान का नौजवान भी इस चर्चा में हिस्सा लेता है लेकिन वह दो पहर अपने लिए रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता है, वर्ष भर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता है और अगर वह बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकता है। जब वही नौजवान काम की तलाश में शहर के अंदर भटकता है तो उसको कोई इज्जत या सम्मान नहीं मिलता है। वह फिर वापस गांव में चला जाता है। इससे उसके अंदर जो भावना पैदा हो रही है उससे देश को कोई सही दिशा नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अग्निहोत्री जी, आप अपनी स्पीच बाद में फिर जारी रखें।

[अनुवाद]

अब हम सामान्य बजट पर चर्चा पुनः प्रारंभ करेंगे।

अपराह्न 6.01 बजे

सामान्य बजट 1996-97

सामान्य चर्चा - जारी

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : माननीय मंत्री जी का ध्यान में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की तरफ दिलाना चाहता हूं। संसार में अब तक 80 लाख वाहन पावर एल्कोहल से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ब्राजील देश इसका उदाहरण है। हमारे देश में भी इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून में 1980 से एल्कोहल के प्रयोग पर अनुसंधान किया जा रहा है। अब तक एल्कोहल मिश्रित ईधन से चलित इंजनों द्वारा 42 लाख कि.मी. की यात्रा पूरी की जा चुकी है तथा एल्कोहल के प्रयोग से इंजन की कार्यक्षमता भी बढ़ना पाया गया है, धुंआ भी कम निकलता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि देश में पावर एल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी विशेष राहतकारी योजना का प्रावधान करें। इससे गन्ना किसानों को भी लाभ होगा तथा पेट्रोल आयात करने में भी कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

हमारे देश में निर्यात करने में ओवर इन्वाईसिंग हो रही है तथा आयात करने में अंडर इन्वाईसिंग हो रही है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। हवाला के माध्यम से सात प्रतिशत कमीशन पर यहां के उद्योगपति विदेशों में धन भेजते हैं तथा इस हवाला के धन को फर्जी निर्यात दिखाकर इनकमटैक्स से भी ये कंपनियां बच जाती है तथा निर्यात के प्रोत्साहन के लिए जो इंसैंटिव सरकार द्वारा देय है, उसे भी प्राप्त कर लेती हैं। साफ्टवेयर में खाली फ्लापी निर्यात हो रही है, कोई प्रोग्राम नहीं जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि रेवेन्यू इंटेलिजेंस विंग को बहुत अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है ताकि निर्यात के ओवर इन्वाईसिंग, आयात के अंडर इन्वाईसिंग तथा हवाला के

माध्यम से फर्जी निर्यात की जालसाजी से देश को बचाया जा सके।

माननीय वित्त मंत्री जी ने पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के लिए बजट में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। 950 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पुलिस बल के लिए राशि अब बढ़कर 4368 करोड़ 47 लाख रूपये हो गयी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में लगी एस. पी.जी. का खर्च 37 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष बताया है, जबकि रक्षा बजट में मात्र .3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। देखने में यह लगता है कि 970 करोड़ रूपये की रक्षा बजट की बढोतरी मुद्रास्फीति को देखते हुए बढ़ोतरी नहीं बल्कि रक्षा बजट को कम किया गया है, जबकि देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायित्व हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं पर है। चीन व पाकिस्तान दोनों हमारी घेराबंदी कर रहे हैं। चीन लगातार एटम बम विस्फोट कर रहा है और पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं पर एम-11 मिसाइलें तैनात कर दी हैं।

चीन सुपर पावर बनता जा रहा है। अंडेमान-निकोबार द्वीप से मात्र 50 समुद्री मील की दूरी पर म्यांमार के कोको द्वीप समूह पर चीन ने अपना सैनिक अड्डा बना लिया है। फिर भी रक्षा बजट पर वित्त मंत्री जी ने अपना ध्यान नहीं दिया तथा इसके साथ एटोमिक एनर्जी के बजट में भी कटौती की गई। अतः उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु तथा एटोमिक एनर्जी के बजट में बढ़ोत्तरी की अविलम्ब मांग करता हूं।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कृषि को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने भारत के सभी किसानों के लिए छोटे ट्रैक्टरों पर 30 हजार रूपए की सबसिडी रखी है तथा फर्टिलाइजर पर भी सबसिडी पिछले वर्ष की 500 करोड़ रूपए की तुलना में 1724 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि एक तरफ किसानों की जमीन अधिग्रहित करके उसे बेरोजगार किया जा रहा है, उससे भी ज्यादा अन्याय यह है कि अधिग्रहित भूमि पर मुआवजा जो किसानों को मिलता है, उस पर इन्कम-टैक्स लिया जाता है जबकि इनकम टैक्स का सम्बन्ध रोजगार से है, बेरोजगारी से नहीं है। अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजे पर वे भले ही फाइनेंस ईयर में मुआवजा इनवैस्ट न कर पाएं लेकिन उस पर इनकम टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अनुवाद में बताया गया है: "आप एक किसान से अधिग्रहित की गई जमीन पर आयकर वसूल कर रहे हैं।" क्या आपको निश्चित रूप से पता है कि यह व्यक्तव्य सही है? किसान से अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर कोई आयकर नहीं है। मैंने इसे अनुवाद में सुना था। पता नहीं आपने हिन्दी में क्या कहा था।

श्री अमरपाल सिंह : हां।

श्री पी. चिदम्बरम : नहीं कृपया मुझे धारा बताइए। मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री अमर पाल सिंह : माननीय मंत्री जी मैं सभा में यह बोल रहा हूं कि किसान से आयकर उस धनराशि पर वसूल किया जाता है जो उसे अपनी जमीन के बदले में मिलती है और जिसको उसी वित्तीय वर्ष में निवेश नहीं किया जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं अब माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसका खण्डन नहीं करना चाहता। मेरे विचार से उनका कहना सही नहीं है। मैं इसकी जांच करके बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री पी. चिदम्बरम : ठीक है। यह मेरा कर्तव्य है। मैं इसकी जांच करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते रहिए।

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : ठीक है, चैक कर लो। उपाध्यक्ष जी, आज भी हमारे देश में एक तरफ मुक्त आर्थिक नीति की बात हो रही है और दूसरी तरफ कृषि पर आधारित उद्योगों को आज भी लाइसेंस से बांधकर रखा जा रहा है जैसे कि चीनी उद्योग।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : कोई कर नहीं है। यदि माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि कृषि भूमि अधिग्रहित की जाती है और पूंजीगत लाभ है और उस पर कर लगाया जा रहा है, मेरे विचार से, मुझे कानून के उस भाग की जानकारी है। लेकिन मैं इसकी पुनः जांच करूंगा। कोई कर नहीं है। चूंकि उन्होंने ऐसा कहा है इसलिए मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूं। मैं जांच करके बताऊंगा। लेकिन अब तक, मैं यह चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ न कहें। मैं जांच करके बताऊंगा।

श्री अमर पाल सिंह : माननीय मंत्री जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेरठ में, कई किसानों को अपनी जमीन के बदले पैसे मिल रहे हैं। यदि वे उसी वित्तीय वर्ष में उस धनराशि को निवेश नहीं करते हैं तो उनसे यह आयकर लिया गया है। मुझे इसकी जानकारी है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री अमर पाल सिंह : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने पर किसान अपनी भूमि के बदले जो धनराशि प्राप्त करते हैं........

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इसका पता लगाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, वे इसकी जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह : किसान के उस धन पर इनकम टैक्स

नहीं लिया जाना चाहिए।

सल्फर खांडसारी इकाइयों को जिसकी रिकवरी 6 प्रतिशत है, उन्हें वैक्यूम बॉयलिंग की अनुमति नहीं है। वैक्यूम पैन की अनुमति मिलने के बाद इनकी रिकवरी बढ़कर 9 प्रतिशत हो जाएगी। इससे न केवल तीन प्रतिशत राष्ट्रीय हानि बचेगी बल्कि चीनी की गुणवत्ता में सुधार आएगा, गन्ना किसानों का आर्थिक शोषण बचेगा, ग्रामीण अंचल में रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ऊर्जा की भी बचत होगी और अपनी जरूरत अनुसार ये इकाइयां स्वयं अपने बायॅलर से विद्युत उत्पादन कर पाएंगी।

पांच हजार क्विंटल गन्ने की प्रतिदिन पिराई करने वाली या पांच हजार से कम पिराई करने वाली लघु इकाइयों को लेवी चीनी ये मुक्त रखा जाना चाहिए। उत्पादन कर 1981 के पहले की तरह कम्पाउंड एक्साईज ड्यूटी के रूप में लिया जा सकता है।

आज भी कृषि उपज तथा कृषि पर आधारित उत्पाद को पूरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर प्रतिबंध है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि गन्ने से शीरा बनता है लेकिन उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर शीरा बेचने तथा ले जाने पर राज्य सरकार का नियंत्रण है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो राज्य कृषि उपज तथा कृषि उपज पर आधारित उद्योग के उत्पाद पर कोई प्रतिबंध लगाती है तो उस राज्य की सारी केन्द्रीय सहायता रोक देनी चाहिये। यह राष्ट्रीय एकता के लिये बहुत जरूरी है। देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर नहीं है इसलिये वित्त मंत्री जी ने खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क में 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत की कमी की है। आज भारत को आजाद हुये 50 वर्ष हो गये हैं और बंजर भूमि को सरकार कृषि योग्य नहीं बना पायी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत के अंदर जितनी भी बंजर भूमि है, उसे कृषि योग्य बनाने के लिये और उसको तिलहन एवं दालों की खेती के लिए प्रगतिशील किसानों में आवंटित कर देना चाहिए। अगर सरकार तिलहन और दालों के समर्थन मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर दे तो देश तेल और दाल में आत्मनिर्भर हो जायेगा। दाल का समर्थन मूल्य 840 रूपये प्रति क्विंटल होते हुये भी आज उपभोक्ताओं को दाल 30 रूपये प्रति किलो मिल रही है। यदि इसका समर्थन मूल्य 1200 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया जाय तो दालों में देश आत्मनिर्भर हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि धान के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये 10 हार्स पावर की धान की मशीन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये।. भारत एक ग्रामीण देश है। प्राइवेट बैंक तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े उद्योगपतियों ने स्वयं फिक्की की कांग्रेस में प्रस्ताव किया था कि प्रत्येक एक यूनिट प्रतिवर्ष एक गांव को आदर्श गांव विकसित करेगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वे फिक्की के इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने का प्रयास करें।

माननीय मंत्री जी ने ऐसे उद्योगों पर टैक्स लगाया है जो अब तक टैक्स नहीं दे रहे थे। जैसे रिलायंस, टाटा स्वागत योग्य हैं। लेकिन साफ्ट ड्रिंक्स जैसे पैप्सी और कोका-कोला पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिये। बजट आंकड़ों में 22 प्रतिशत धन आंतरिक उधार और एक प्रतिशत धन विदेशी उधार से जुटाया गया है। यह एक अजीब विडम्बना है कि भारत का रक्षा बजट मात्र 12 प्रतिशत है जबकि देश पर से कर्जा चुकाने का प्रावधान 25 प्रतिशत है। देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये यह एक शुभ लक्षण नहीं है। अत: मेरा सुझाव है कि जितनी भी सरकारी कीमती जमीन बड़े महानगरों में पड़ी हुई है, उसे तथा महानगरों में जो बीमार इकाईयों की जमीन है उसको नीलाम करके जल्द-से-जल्द देश पर से विदेशी कर्जा चुकाने का अविलम्ब प्रयास करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अप्रवासी भारतीय हमारे देश में निवेश कर रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे देनी चाहिये। दोहरी नागरिकता के मापदंड में निवेश करने वाला अप्रवासी भारतीयों को मुक्त रखना चाहिये। जब तक लघु उद्योग को संरक्षण नहीं मिलेगा व परिवार नियोजन अनिवार्य रूप से लागू नहीं होगा। देश में रोजगार की समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। इन दोनों का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।......**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले नाम बताऊं, मैं श्री संतोष मोहन देव के लिये एक जानकारी देना चाहता हूं कि स्पीकर की डायरेक्शन्स 115 क में लिखा है :

[अनुवाद]

"अध्यक्ष उन सूचियों अथवा क्रम से बाध्य नहीं होगा जिसमें दलों या ग्रुपों अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे गए हैं। सूचियां केवल उसके मार्गदर्शन के लिए होंगी।"

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता। मैं आपके साथ वाद-विवाद नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे जो कुछ कहना है वह अभी समाप्त नहीं किया है।

श्री संतोष मोहन देव : आपको इसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए आपको पूरा अधिकार है। क्या हम आपको हमारी सहायता करने के लिए नहीं कह सकते? इसका कारण यह है कि मुझे कई सदस्यों से निपटना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो खत्म होने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं आपके प्राधिकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे और भी कहना है। माननीय स्पीकर

साहब ने आदेश दिये हैं कि श्री सत महाजन हो हैल्प कीजिए, इसलिए मैं उनको बुला रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन (कांगड़ा) : महोदय, मैंने ऐसा इसलिए किया है कि क्योंकि मुझे गाड़ी पकड़नी है।

महोदय, प्रारंभ में, मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए बजट के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, निंदा नहीं, लेकिन कुछ सुझाव हैं - कुछ मीठे और कुछ खट्टे।

महोदय, मैं अपना भाषण इकबाल के एक दोहे से करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

"सितारों से आगे जहां और भी है,

अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं।

मोहब्बत हमें उन जवानों से हैं,

सितारों पर जो फेंकते है कमंद।"

पर जो इनका बजट है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सूरत भी अच्छी है, सीरत भी अच्छी है, पर तेरी मजबूरी है, वही कमी है इस बजट में। 13 पार्टीज को इकट्ठा लेकर चलाना.....।

[अनुवाद]

महोदय, उन्हें बहुत पतली रस्सी पर चलना था। उन्होंने यथासंभव उसे संतुलित करने का प्रयास किया है। इस संसद की बहुत अच्छे वित्त मंत्री रखने की परंपरा रही थी, केवल थोड़े से समय को छोड़कर जब नियोजन की अवधारणा प्रारंभ की गई थी और वास्तविक योजना अवधारणा बनी। अन्यथा, प्रत्येक वित्त मंत्री ने बजट बनाने में बहुत अच्छा कार्य किया है।

महोदय, इस बजट में भी, हमारे वित्त मंत्री ने लोगों की आशाएं जगायी हैं। उन्होंने कई वचन दिए हैं और आर्थिक सुधारों के सपनों की किरण दिखाने का प्रयास किया है। उनका पतली रस्सी पर चलना उत्कृष्ट रहा है। वे डा. मनमोहन सिंह के योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए हैं। लेकिन मुझे उनसे एक शिकायत है। शिकायत यह है कि डा. मनमोहन सिंह से इतनी अच्छी देन उत्तराधिकार में प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने उनकी विरासत के बारे में उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के बारे में प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा। डा. मनमोहन सिंह ने वह कार्य हमारे नेता श्री नरसिंह राव की राजनैतिक इच्छा के अंतर्गत किया था। उन्होंने समस्त कार्य को पूर्णतया उदारीकृत कर दिया था। उन्हें कम से कम डा. मनमोहन सिंह के प्रशंसनीय कार्य के लिए कुछ कहना चाहिए था।

महोदय, मुझे वित्त मंत्री को यह कहने के लिए भी बधाई देना चाहिए कि वे उस सुधार प्रक्रिया का पालन करते रहेंगे जो डा. मनमोहन सिंह ने प्रारंभ की थी और उन्हें बदला नहीं जायेगा। सुधारों में निजीकरण उदारीकरण और सार्वभौमिकरण शामिल हैं। उन्होंने सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उन्होंने इस सभा को वचन दिया है कि इस देश में 10 बिलियन डालर का विदेशी निवेश आयेगा। यह संभव है क्योंकि इसके लिए भूमि डा. मनमोहन सिंह ने तैयार की है। इसलिए शिष्टाचार की यह मांग थी कि उन्हें कम से कम अपने पूर्ववर्ती की प्रशंसा करनी चाहिए जो इस देश में किसी से कम अर्थशास्त्री नहीं हैं।

महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट में कई नई बातें की हैं और मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। उन्होंने कहा है कि नई आधारभूत सुविधाओं के लिए धनराशि आंबटित की गई है जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी और विद्यमान अवसरंचना को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। उन्होंने परिव्यय प्रबंधन पर एक उच्च स्तरीय आयोग के गठन का वचन दिया है जो अपनी रिपोर्ट छः माह के अन्दर प्रस्तुत करेगा। मुझे आशा है कि वे इस समय-सीमा का पालन करेंगे।

महोदय, उन्होंने यह भी वचन दिया है कि वे बी. आई. एफ. आर. और एस आई सी ए जिनके प्रावधान पुराने हो गये हैं, के संबंध में एक व्यापक विधेयक लायेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने ऐसा विचार किया है। इसका कारण यह है कि हमारा औद्योगिक विकास 14 प्रतिशत तक हो गया है और इसे कम नहीं होने दिया जाना चाहिए। हमारी कृषि विकास 0.9 प्रतिशत है। मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं कि बी आई एफ आर की सिफारिशें अनिवार्य बनायी जानी चाहिए। अथवा, उनका कोई मूल्य नहीं है। जब तक यह कार्य नहीं किया जायेगा, बी आई एफ आर और एस आई सी ए का कोई लाभ नहीं होगा। चूंकि आप इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाने जा रहे हैं, इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

महोदय, ऐसा कहा जाता है कि सही प्रारंभ करने का अर्थ आधे कार्य का हो जाना है। उन्होंने नाबार्ड को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस बार बजट में नाबार्ड के लिए नियतन को दुगुना कर दिया गया है।

माननीय मंत्री ने आई आर डी एफ और डी एफ एस सी की अवधारणा दी है, 500 करोड़ रूपये की धनराशि सरकार प्रदान करेगी, 500 करोड़ रूपये भारतीय रिजर्व बैंक प्रदान करेगा और 4000 करोड़ रूपये निजी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से आयेगें। यह बहुत अच्छी बात है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहायता मिलेगी।

जिला समितियों में संसद सदस्यों की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता। जब उनकी सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में गला जाता है, तो इन जिला समितियों की क्या उपयोगिता है। विकास आयुक्त उन पर कार्यवाही नहीं करता और दूसरे बैंक उन पर विचार नहीं करते। केवल 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत सिफारिशों को लागू किया जाता है। गरीब किसान पूर्णतया निराश हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने वचन दियां है कि वे किसान की सहायता करेंगे।

किसान बैंकिंग प्रक्रियाओं को नहीं समझता। यदि आप वास्तव में किसान की सहायता करना चाहते हैं तो कृपया प्रक्रियाओं को सरल बनाएं ताकि वह उनको समझ सके और अधिकारियों से यह पूछ सके कि अमुक योजना को क्यों अस्वीकार किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि यह बजट गरीब के पक्ष में है। तथापि, जबकि सरदार मनमोहन सिंह जी ने सामाजिक क्षेत्र के लिए 57 प्रतिशत आबंटन किया था, वर्तमान आबंटन केवल 23 प्रतिशत है। मैंने बजट दस्तावेज को पूर्णतया पढ़ा है। यदि मैं गलत हूं तो उसे मानने के लिए तैयार हूं। 50 प्रतिशत से अधिक कम किया गया है और जब माननीय मंत्री यह कहते हैं कि वे सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करेंगे तो यह सही नहीं है।

माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यक्ष आबंटन करके बहुत अच्छा कार्य किया है, एक पहाडी व्यक्ति के रूप में मैं आपको यह बता सकता हूं कि हमारे अनुरक्षण प्रभार चार गुणा अधिक हैं, और गंगा के मैदानी क्षेत्र की तुलना में हमारे निर्माण प्रभार चार गुणा अधिक हैं। हम अपने जीवन को बनाये नहीं रख सकते और सभी कुछ अव्यवस्थित हो जाता है।

कृषि को वास्तव में प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है और माननीय मंत्री ने उसके लिए सही निपटान किया है, उर्वरकों और लघु क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी ने धनराशि प्रदान की है और में उनको उसके लिए बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी ने सिंचाई सुविधाओं के लिए अधिक धनराशि प्रदान की है और वे उसके लिए बधाई के पात्र हैं।

माननीय मंत्री जी ने सिंचाई में सभी निवेशों पर पांच वर्ष के लिए कर छूट की अनुमति प्रदान की है। यह उनके द्वारा दूरदर्शिता पूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किया गया है।

साथ ही, मैं माननीय मंत्री को कतिपय बातों के लिए चेतावनी देता हूं। वह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। उनके पास जितना ज्ञान है उतना मेरे पास नहीं है। लेकिन जो थोड़ा ज्ञान है उसके बल पर में यह कह सकता हूं कि यह केवल उनकी कल्पना है कि वे राष्ट्रीय घाटे का 5.9 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर सकेंगे। यह बहुत अच्छी मंशा है लेकिन उसे वास्तविक रूप प्रदान करने में मुझे शक है। माननीय मंत्री ने कहा है कि मुद्रास्फीति दर 6.5 प्रतिशत रहेगी और विकास दर भी 6.5 प्रतिशत होगी। गणित के हिसाब से यह अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन मुझे शंका है कि मुद्रास्फीति दर दो अंकों में हो जायेगी। हमें इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना है। विकास हो सकता है, लेकिन पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के कारण और रेल किराये में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी आपका इसमें योगदान नहीं था, लेकिन अब आपका इसमें योगदान है। इन परिस्थितियों में मुद्रास्फीति दर में वृद्धि को रोका नहीं जा सकता, चाहे मंत्री कुछ भी करें।

माननीय मंत्री ने बताया है कि वे सरकारी क्षेत्र में 5000 करोड़ रूपये का निवेश करेंगे। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह केवल काल्पनिक बात है। जब श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि वह सरकारी क्षेत्र से 7000 करोड़ रूपये प्राप्त करेंगे, वह वास्तव में 357 करोड़ रूपये ही प्राप्त कर सके। जब श्री मनमोहन सिंह, 7000 करोड़ रूपये का वचन देने के पश्चात् केवल 357 करोड़ रूपये प्राप्त कर सके थे, तो माननीय मंत्री यह कैसे कर सकेंगे? उनके पास भी वही नौकरशाही है जो श्री मनमोहन सिंह जी के पास थी। माननीय मंत्री को सभा को यह स्पष्ट करना है।

माननीय मंत्री ने आयकर दाताओं को बहुत कम राहत प्रदान की है। वह जानते हैं कि पांचवां वेतन आयोग सितम्बर में अपनी रिपोर्ट दे रहा है। फिर क्या होगा? एक हाथ से वे दे रहे होंगे और दूसरे हाथ से जो कुछ दिया गया है, उसे आयकर के रूप में वापस ले रहे होंगे। व्यवसाय कार्यपालक जिनके वेतन एक लाख रूपये प्रतिमाह है, उन पर कर नहीं लगाया गया है, और मध्यम आय वर्ग के लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। जो लोग पांच सितारा होटलों में 3000 रूपये प्रतिदिन देकर ठहरते हैं, उन पर कर नहीं लगाया गया है। उनके भत्तों पर बिल्कुल कर नहीं लगाया गया हैं। माननीय मंत्री न उनके भत्तों पर कर क्यों नहीं लगाया? मध्यम वर्ग वेतनभोगी लोगों को राहत क्यों नहीं प्रदान की गई?

आपके पास गरीबों, कमजोरों, बेसहारा लोगों, प्राथमिक आवासीय स्कूलों आदि के लिए कार्यक्रम हैं..... **(व्यवधान)** यह मेरा प्रथम भाषण है, मैंने इस पर मेहनत की है। मेरा बोलने का विशेषाधिकार है। अन्य लोगों ने भाषण पढ़े हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आज बजट पर डिस्कशन खत्म करनी है और अभी काफी माननीय सदस्यों ने बोलना है।

[अनुवाद]

श्री सत महाजन : इसके पश्चात् मैं हिमाचल पर आऊंगा। मैं फिर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उन पर कर क्यों नहीं लगाया। गैर-योजना खर्च 15000 करोड़ रूपये तक जा रहा है। यह सबसे बुरी बात हुई है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन यह इसकी पराकाष्ठा है।

अब मैं हिमाचल प्रदेश पर आता हूं। वह मेरा राज्य है। नागालैंड के सदस्य क्या कहते थे। मैं चाहता हूं कि समस्त सभा मेरी चिंता में भागीदार बने। मैं एक देशभक्त हूं। वह भी देशभक्त हैं। उन्होंने कहा, हम मुख्यधारा में आये हैं। आप सभी पहाड़ों की अवहेलना कर रहे हैं। पहाड़ों पर असंतोष की आग धधक रही है। हम विस्फोट के कगार पर हैं। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि लोग सेवाओं में आते थे, रक्षा कोटा में, उन्होंने उसे हटा दिया है। **(व्यवधान)** माननीय अध्यक्ष पहाड़ों से हैं। लेकिन वे यहां बोल नहीं सकते। वे केवल सुन सकते हैं।

नागालैंड के सदस्य ने जो कुछ कहा है, उससे मैं पूर्णतया

सहमत हूं। हमारी अर्थव्यवस्था धन आदेश अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। हमारे लोग लड़ाई करते थे, उनसे कुछ धन आता था। फिर रक्षा के साथ अन्याय किया गया है। वह बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा और विकास की एक साथ आवश्यकता है। पाकिस्तान के पास अपने सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत इसके रक्षा बजट के रूप में है चीन के पास 6 प्रतिशत है। क्या आप जानते हैं कि हमने केवल 919 करोड़ रूपये की वृद्धि की है। इस धनराशि से कुछ परिवहन, ईंधन, पेट्रोल तथा मुद्रास्फीति में वितरित कर दिया जाता है। मैं यह कहूंगा कि चीन के साथ युद्ध में हमारी पराजय हुई थी और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वह हम से कम देशभक्त नहीं है। लेकिन उन्होंने यह कहा है कि वह धनराशि देगा। नहीं, आपको यह नहीं मांगनी चाहिए। आप उनको धन प्रदान कीजिए। यदि रक्षा चली गई तो सारा देश चला गया। मुझे यह पता है कि आप भी उससे उतने ही चिंतित हैं। विकास और अन्य बातों को सुरक्षा की कीमत पर वरीयता नहीं दी जानी चाहिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।

अब, मैं हिमाचल प्रदेश पर आ रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। हम विस्फोट के कगार पर हैं। नौवें वित्त आयोग ने एक आघात लगाया था। उसे ठीक नहीं किया गया। हमारा राज्य एक विशेष श्रेणी का है। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य को आर्थिक सक्षमता को ध्यान में रखकर नहीं बनाया था उन्होंने इसको लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रख कर बनाया था। यदि आप हमारी उन के साथ तुलना करते हैं तो हम संख्या में थोड़े हो सकते हैं और हम इन लोगों का सामना करने की बात नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि हम शत्रु का सामना कर रहे हैं। हम चीन और अन्य पड़ोसी देशों की सीमा पर हैं। यदि आप हमारी उपेक्षा करते हैं तो आप अपनी सुरक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं। हम कोई भुगतान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। आप हमें धीरे-धीरे नष्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई वहां राजस्व नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्र को बी. एम.पी. को 1200 करोड़ रूपये देने हैं। यह हमारा वैध हिस्सा है। मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं। मैं आप से न्याय की आशा करता हूं क्योंकि आपमें ऐसा करने का साहस है, हो सकता है कि दूसरों के पास इतना साहस न हो। आप युवा और गतिशील हैं, दूरदृष्टि के व्यक्ति हैं और देश आपसे यह आशा करता है और पहाड़ी क्षेत्र विशेष रूप से आप से न्याय की आशा करता है। मुझे इस बात की जानकारी है कि आप में साहस है हो सकता है कि आपकी कुछ मजबूरियां हों।

मेरे मित्र, श्री शिवराज जी पाटील ने ठीक ही कहा है कि जल ऊर्जा आवश्यक नहीं है। वह पहाड़ों की मूल जड़ों को काट रही हैं। राजाध्यक्ष समिति ने 1980 में कहा था कि पन बिजली उत्पादन ही एकमात्र समाधान है। कोयले पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, रेलवे पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और इन सब की जांच की जानी चाहिए। उस समय उन्होंने 54 प्रतिशत ताप बिजली कहा था, अब यह कम होकर 45 प्रतिशत हो गया है। अब क्या हो रहा है? ताप ऊर्जा में वृद्धि हो रही है 1995-96 में यह 14.5 प्रतिशत थी। अप्रैल में ताप ऊर्जा वृद्धि 8 प्रतिशत है और पन बिजली 16 प्रतिशत कम है इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। जम्मू-कश्मीर में असंतोष क्यों है।

यह धर्म के कारण नहीं हुआ बल्कि अर्थव्यवस्था के कारण हुआ है। यदि आपने अमरनाथ यात्रा के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की होती तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था। लेकिन आप ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं।

जनजातिय लोगों की आकांक्षाओं का बनाए रखने के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी उनके साथ मिलकर नाचा करते थे हमारे मुख्यमंत्री श्री परमार जनजातीय लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सारी रात उनके साथ नाचा करते थे, यहां जो लोग बैठे हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या कर रहे हैं। अब समय आ गया है। कि न केवल नागालैंड के लोगों की ओर ही उचित ध्यान दिया जाए बल्कि अन्यों की ओर भी उचित ध्यान देने का भी यह सही समय है। हमें सभी पहाड़ी लोगों के लिए बोलना चाहिए। चमेरा-एक को 1994 में पूरा किया गया था। चमेरा-दो जिसकी क्षमता 300 मेगावाट है, को प्रारंभ किया जाना चाहिए था। हजारों कामगार बेकार बैठे हैं करोड़ों रूपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं। कोई भी, उनको छू नहीं रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे तुरंत प्रारंभ करने का आदेश दें।

नापथा-झाखरी 1500 मेगावाट क्षमता की परियोजना है। परियोजना स्थल शिमला से 300 किलोमीटर दूर है। वे सुदूर नियंत्रण से कार्य कर रहे हैं। इसमें तीन वर्ष का पहले ही विलम्ब हो गया है। मेरे विचार से यह कभी नहीं शुरू हो पायेगी। यदि आप इसे नहीं करना चाहते, तो इसे हिमाचल प्रदेश को वापस कर दीजिए। हम इसे करेंगे। आपके माध्यम से हम विश्व बैंक से सहायता मांगेंगे। हमारे अंदर यह करने की क्षमता है।

आपके मैट प्रारंभ किया हैं। इस अवधारणा का पहले पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रयोग किया गया था। भगवान के लिए इसे प्रारंभ न कीजिए। पहाड़ी लोगों की इसमें रूचि नहीं है। यदि आप पहाड़ों में मैट प्रारंभ करते हैं, तो आप उनको कर से छूट नहीं देंगे। हम उनको विद्युत पर प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। यदि आप उनको कर ढांचे के अंतर्गत रखते हैं, तो कोई भी उद्योग पहाड़ों में जाना पसंद नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि हमारे यहां स्थानीय प्रतिकूलता है। अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक दोहा सुनाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वाले को चाहूं,
मेरा दिल फेर दो, मुझसे यह सौदा हो नहीं सकता।

अभी आपने इंश्योरेंस को प्राइवेट सेक्टर में लाने से रोक दिया।

[अनुवाद]

हमारे पास विश्व में यह बाजार है। मुझे पता है कि दिल से, आप इसे नहीं चाहते लेकिन अपने साथियों को प्रसन्न करने के लिए आपने यह किया है। यह बहुत बड़ी गलत सेवा है। मैंने डा. मनमोहनन सिंह का भाषण पढ़ा है। मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा है। मैंने आपका भाषण भी पढ़ा है। मैंने दोनों भाषणों की तुलना भी की है। आपने वचन दिया है कि बीमा लाया जायेगा और विदेशी निवेश आयेगा आदि। ऐसा करके मेरे विचार से आपने देश के साथ न्याय नहीं किया।

[हिन्दी]

मैं यही कहूंगा कि हमारी पार्टी के लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।

[अनुवाद]

अतः महोदय इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री के. एस. रायडू (नरसापुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उन लोगों के आर्शीवाद से जिन्होंने मुझे अपने प्रतिनिधि के रूप में यहां भेजा है तथा हमारे प्रिय नेता श्री चन्द्र बाबू नायडू के आर्शीवाद से मैं इस सर्वोच्च मंच पर अपना पहला भाषण दे रहा हूं।

माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने देश में व्याप्त स्थिति पर ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद वर्ष 1996-97 का बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है जिससे समाज के सभी वर्गों विशेषकर जिसमें हमारे समाज के अन्य पिछड़े लोगों के साथ न्याय हुआ है। मैं उन्हें अपने पहले बजट के प्रस्तुत करने में किए गए उत्तम कार्य के लिए उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय हमारे वित्त मंत्री पूर्णतः विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए विशेष सम्मान के अधिकारी हैं। शायद इससे पूर्व किसी अन्य वित्त मंत्री ने किसान समुदाय को इतनी अधिक लाभ और सुविधाएं प्रदान नहीं की हों जितना कि विद्यमान वित्त मंत्री ने दी हैं। इस बजट में पावर टिल्लरों, स्प्रिंकलरों, ट्रेक्टरों और ड्रिप सिंचाई पर दी गई सहातया कोई कम नहीं है। उर्वरकों पर दी जाने वाली सहायता को भी काफी बढ़ा दिया गया है। मैं वर्तमान सरकार को इस बजट में किसान समुदाय को ऊंचा स्थान देने के लिए बधाई देता हूं।

कृषि क्षेत्र से कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत राजस्व होता है। अतः इस बात की जरूरत है कि हम कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट इस समय कोई सभापति उपस्थित नहीं है। अतः सभा की अनुमति से मैं श्री पी. सी. चाको से कम से कम आधे घंटे के लिए अध्यक्षता करने का आग्रह करता हूं आप जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 6.40 बजे

(श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए)

श्री के. एस. रायडू : सभापति महोदय, पहले बैंक अपनी धनराशि का कम से कम 18 प्रतिशत ऋण किसानों को दिया करते थे। लेकिन पिछले चार या पांच वर्षों में किसानों को ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि घटकर 13 प्रतिशत तक आ गई है। अतः मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि यदि सीमा अधिक नहीं हो सकती तो बैंकों की इस सीमा को पूर्व की स्थिति में अर्थात् 18 प्रतिशत तक लाया जाए।

विज्ञान के प्रवेश में कृषि में व्यापक परिवर्तन आया है। नई किस्म के बीज तैयार किए जा रहे हैं अधिक उपज वाली किस्में आ गई हैं। पुराने तरीकों की जगह जुताई के नए तरीके तेजी से आ रहे हैं। सही-सही उर्वरक इस्तेमाल करना तथा इसकी वांछित मात्रा भी आधुनिक कृषि के लिए जरूरी है इसके लिए किसानों को शिक्षित करने हेतु हमें कृषि विज्ञान केन्द्रों की आवश्यकता है। जुताई के आधुनिक तरीकों की शिक्षा देनें के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र उत्तम प्रशिक्षण केन्द्र हैं। अतः देश में अधिकाधिक कृषि विज्ञान की स्थापना हेतु सरकार को कदम उठाने चाहिए। वास्तव में देश के सभी जिलों में 1985 तक कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना हमारा लक्ष्य था। लेकिन हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। देश के 430 जिलों में से केवल 183 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। देश में नई कृषि क्रांति हेतु देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। इन सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों को कृषि के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

यह बहुत उत्साहवर्द्धक बात है कि फल निर्यात में हमारे देश का पहला स्थान है। वास्तव में हमें इस पर गर्व होना चाहिए। यह तथ्य भी उत्साहवर्धक है कि सब्जियों के निर्यात में हमारा स्थान दूसरा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फलों और सब्जियों के उत्पादकों को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन किसानों को अपने उत्पाद को सीधे निर्यात करने के फायदों के बारे में नहीं पता है। न ही सरकार द्वारा उत्पादकों से सीधे फलों और सब्जियों के विपणन की कोई व्यवस्था की गई है उत्पादक अपने उत्पाद को साधारण मूल्य पर बिचौलियों को दे रहे हैं। इसके विपरीत बिचौलिए उनका निर्यात कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। अतः बिचौलिए लाभ कमा रहे हैं और वास्तविक उत्पादक नुकसान उठा रहे हैं सरकार को फल और सब्जियां किसानों से सीधे खरीदनी चाहिए और अपनी ओर से उनका निर्यात करना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि लाभ वास्तविक उत्पादक को जाए न कि बिचौलियों को। महोदय, अभी भी औजारों के आयात पर कई प्रतिबंध है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण

* मूलतः तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

मशीनी औजारों के आयात पर से प्रतिबंध हट गए हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए लाभप्रद हैं। लेकिन कृषि में इस्तेमाल होने वाले औजारों तथा उपकरणों पर ये प्रतिबंध अभी भी लागू हैं। अत: किसानों को लाभ की दृष्टि से तथा कृषि उपकरणों को सस्ता बनाने की दृष्टि से मैं माननीय वित्त मंत्री से कृषि में लाभप्रद औजारों तथा अन्य वस्तुओं के आयात पर विद्यमान प्रतिबंधों को हटाने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, हमें इस तथ्य की जानकारी है कि हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। हमें इस बात की भी जानकारी है कि हम सम्मानीय सभा के कई माननीय सदस्य कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं। लेकिन इसके बावजूद कृषि क्षेत्र में विभिन्न मदों पर सहायता 24 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हालांकि केवल 2 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, फिर भी इस क्षेत्र को प्राप्त सहातया 4 लाख करोड़ रूपये से भी अधिक है, इसी प्रकार जापान में सरकार विश्व के अन्य स्थानों की तुलना में तीन गुना अधिक कीमत देकर किसानों से उत्पाद खरीद रही है। इस तरह विश्व में किसान अपनी सरकारों से लाभ अर्जित करते हैं। लेकिन यहां स्थिति बिलकुल विपरीत है। अत: इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कृषि के लिए और अधिक धन आबंटित करना चाहिए देश के किसानों को अधिक सहायता और प्रोत्साहन देने चाहिएं।

महोदय, झींगा मछली और समुद्रीय उत्पादों का निर्यात बहुत बढ़ गया है। हम इन खाद्य वस्तुओं के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। अत: सरकार को देश में मत्स्यन को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार को अपने प्रयास करने चाहिए। झींगा मछली पकड़ने में लगे लोगों को सरकार द्वारा सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। इस समय किसान उसी पुराने तरीके से झींगा मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। नई तकनीक आ चुकी है। लेकिन सब किसानों को इस बारे में ज्ञान नहीं है। वे उचित समय पर उचित बीज इस्तेमाल करने से अनभिज्ञ हैं। उन्हें रसायनों, कीटनाशी दवाइयों आदि के इस्तेमाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहां पर झींगा मछली प्रसिद्ध है वहां पर कई क्षेत्रों में कोई निकासी नहीं है। इन स्थानों को सभी मौसमों में नजदीक के बाजारों से जोड़ने के लिए कोई संपर्क सड़के नहीं हैं। अत: मेरी सरकार से अपील है कि वह झींगा मछली पकड़ने में लगे किसानों को उपलब्ध आधुनिक तकनीक प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें तथा देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में लगे इन लोगों को अधिक सुविधाएं भी मुहैया करवाएं। इस समय समुद्र के किनारे से 500 मीटर के भीतर झींगा मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। 500 मीटर की परिधि में झींगा मछली पकड़ने में लगे इन लोगों को आर्थिक सहायता ऋण आदि उपलब्ध नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि ये सुविधाएं और लाभ उनको भी नहीं दिए गए हैं जोकि इस 500 मीटर की निर्धारित सीमा में नहीं आते हैं। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित लोगों को तुरंत आवश्यक हिदायतें दें ताकि कम से कम इस निर्धारित सीमा में न आने वाले लोगों को ऋण और सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सरकार को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। निर्यात नीति को भी संशोधित किया जाना चाहिए ताकि झींगा मछली कार्य में लगे किसानों को लाभ मिल सके। अब ये किसान सस्ती दर पर झींगा मछली खरीदने वाले तथा इनके निर्यात से बहुत बड़ा लाभ कमाने वाले बिचौलियों पर आधारित हैं। अत: सरकार को स्वत: झींगा के निर्यात के लिए कदम उठाने चाहिएं। सरकार को किसानों से सीधे उत्पाद खरीदने तथा स्वयं निर्यात के लिए कदम उठाने चाहिए। इससे किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा और सरकार को अधिक विदेशी मुद्रा मिल सकती है। इससे बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त हो जाएगी।

महोदय, देश में विशेषकर तटीय क्षेत्रों में बहुत से लोग नारियल की खेती में लगे हुए हैं, इस व्यवसाय में लगे सभी लोगों को इस समय ताड़ी बनाने वालों को उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस व्यवसाय में लगे लोग आमतौर पर उस समय गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं जब वे नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं। ऐसे मामलों में आमतौर पर श्रमिक या तो मर जाते हैं अथवा स्थाई तौर पर अपंग हो जाते हैं। उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। उनके लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। अत: मैं इस सरकार से इन श्रमिकों को भी वे सब लाभ देने की अपील करता हूं जोकि अभी तक ताड़ी बनाने वालों को मिलते हैं।

महोदय, अब बीमा से संबंधित नीति में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने का समय आ गया है। इस समय कृषि क्षेत्र पर लागू बीमा नीति न्यूनाधिक उन व्यक्तियों तक सीमित है जो बैंकों से ऋण लेते हैं। यह फसलों के लिए बीमा नहीं है। अब एक अमीर आदमी के निवास पर उपलब्ध हर चीज के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध है। एक कीमती सिल्क साड़ी का बीमा किया जा सकता है। सोने के आभूषणों का बीमा किया जा सकता है। किसी भी कीमती वस्तु का बीमा किया जा सकता है लेकिन यहीं सुविधा उस गरीब किसान की फसल के लिए नहीं है जोकि अपनी पत्नी के मंगल सूत्र को गिरवी रख कर हमारे लिए अनाज पैदा करता है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है विद्यमान नीति जोकि गरीब किसानों के हितों के विरूद्ध है उसका त्याग किया जाना चाहिए। एक ऐसी नीति अपनायी जानी चाहिए जो गरीब किसानों के लिए सहायक हो। सरकार को समस्त प्रणाली को परिवर्तित करने के लिए तुरंत उपाय करने चाहिए। राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंकों से ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से बीमा प्रदान करने के साथ-साथ किसानों को फसल के लिए भी बीमा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। किसान दिन-रात मेहनत करते हैं और फिर भी अपनी फसल के लिए उन्हें प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें बीमा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है किसानों को फसल नष्ट होने के विरूद्ध बीमा अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस समय मंडल को एक यूनिट के रूप में समझा जाता है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस नीति को

परिवर्तित करे और मंडल की अपेक्षा एक पंचायत को यूनिट समझा जाना चाहिए। जहां फसलें नहीं होती वहां पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन किसानों को बीमा धनराशि मिलनी चाहिए। अतः मैं इस सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह वर्तमान बीमा नीति में परिवर्तन करे और उसमें केवल उनको ही शामिल न किया जाये जो बैंकों से ऋण लेते हैं बल्कि उन सभी को भी सम्मिलित किया जाये जो अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि सरकार शीघ्र की बीमा नीति में आवश्यक परिवर्तन करेगी और उनको देशभर में क्रियान्वित करने के लिए उपाय करेगी।

मैं अपने राज्य में पत्तनों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नरासापुर और विशाखापट्टनम जैसे महत्वपूर्ण पत्तन हैं। विशाखापट्टनम को छोड़कर किसी अन्य पत्तन का विकास नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नरासापुर पत्तनों का विकास किया जाये। इन पत्तनों के विकास से हमारे निर्यात व्यापार विशेषकर झींगा और मछली व्यापार में वृद्धि होगी। यदि इन पत्तनों का विकास किया जाता है तो समस्त क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति और आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होगी। यद्यपि उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, देश में वास्तविक अर्थों में अधिक औद्योगिक विकास नहीं है। उदारीकरण के बावजूद, उद्यमी अभी भी अपने लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अभी भी, काफी लालफीता शाही है। उदारीकरण केवल कागज पर ही है। वास्तव में उदारीकरण कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसी कारण से हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यदि सरकार वास्तव में औद्योगिकरण चाहती है तो उसे उदारीकरण के अंतर्गत घोषित नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उपाय करने चाहिए और उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने और उनको कई और रियायतें उपलब्ध करके उन्हें अपने उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

महोदय आंध्र प्रदेश में कई लघु सीमेंट संयंत्र हैं। वे कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनको उत्पाद शुल्क में 99000 टन तक 150 रूपये प्रति टन की रियायत दी गई है। यदि वे अपना सीमेंट किसी अन्य ब्रांड नाम अथवा ट्रेड मार्क से बेचते हैं तो यह रियायत लागू नहीं होती है। राज्य में इस सीमेंट का केवल एक थोड़े से भाग का ही उपयोग होता है और शेष सीमेंट देश के अन्य भागों में भेजी जा रही है। यहां यह सीमेंट अलग-अलग ब्रांड नामों और ट्रेड मार्क से बेची जा रही है। इसलिए उक्त रियायत इन लघु सीमेंट संयंत्रों पर लागू नहीं है। अतः इन सीमेंट उत्पादकों को उत्पाद शुल्क में रियायात से वंचित किया जाता है। सरकार की नीति उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की है और वह भी विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र को इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अपनी अधिसूचना में परिवर्तन करें और विभाग को उन यूनिटों को भी रियायत देने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करें जो अपना सीमेंट अलग ब्रांड नाम अथवा ट्रेड मार्क से अपने राज्य से बाहर बेचते हैं।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए और देश में सभी को चावल आधी कीमत पर उपलब्ध करवाने के लिए एक अच्छा निर्णय किया है। इस विशेष उपाय से हमारे समाज के गरीब तबकों को लाभ होगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री के इस निर्णय पर उनको बधायी देता हूं।

महोदय, यह योजना अब आंध्र प्रदेश में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू के योग्य मार्ग दर्शन के अंतर्गत पहले ही क्रियान्वित की जा रही है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार चावल रियायती दरों पर प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस योजना को समस्त देश में लागू किया जाये। आंध्र प्रदेश का केवल इस मामले में ही नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई अन्य विभिन्न अन्य रियायती योजनाओं के मामले में भी उदाहरण के रूप में लिया जाये।

ग्रामीण सफाई के क्षेत्र में भी काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। समस्त देश में महिलाओं का अधिकतम सम्मान किया जाता है। लेकिन भारत में ग्रामीण सफाई सुविधा केवल 15 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं गांवों के चारों ओर खुली जगह पर शौच आदि के लिए जाती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पर्याप्त निधियों का नियतन करे ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को सफाई सुविधा प्रदान की जा सके।

इसी तरह, ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त निधियां प्रदान करने की तत्कालीन आवश्यकता है। देश में लगभग दो लाख गांवों में संपर्क सड़कें नहीं हैं। प्रत्येक गांव में जोड़ने के लिए सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों को निर्माण करने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान की जानी चाहिए। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, सरकार के समक्ष पहले ही कई अच्छे प्रस्ताव हैं। उदाहरण के लिए इन सड़कों को चौड़ा करने का एक प्रस्ताव है। इन सड़कों का चार लेन सड़कों में विकास किया जाना चाहिए जैसा कि अन्य देशों में है। लेकिन यहां धन का अभाव है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन, उपलब्ध संसाधनों के अन्दर, हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन सड़कों का ठीक ढंग से विकास किया जाये। यदि राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन सड़कों में चौड़ा करना संभव नहीं है तो कम से कम उनका अविलम्ब 2 लेन सड़कों में विकास किया जाना चाहिए। इस एक उपाय से देश के सभी क्षेत्रों और प्रदेशों का चहुमुंखी विकास संभव होगा।

डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जो देश भर में समाज के सभी वर्गों के लोगों की सेवा करता है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि वर्तमान सरकार ने इस विभाग को अधिक निधियां आबंटित की हैं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। कुछ और निधियों की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

***श्री के. एस. रायुडू** : महोदय, एक मिनट डाक विभाग को

* मूलतः तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

अधिक निधियां आबंटित की जानी चाहिए ताकि यह लोगों की ठीक से सेवा कर सकें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नरसापुर (आंध्र प्रदेश) जो डाक मंडल मुख्यालय है, में 8 वर्ष पूर्व 9 लाख रूपये में जमीन खरीदी गई थी। यद्यपि विभाग ने इतना धन खर्च करके जमीन अधिग्रहीत कर ली है। लेकिन भवन बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया जिसके लिए उक्त भूमि अधिगृहीत की गई थी। मुझे यह कहते हुए खेद है। चूंकि सरकार ने पहले ही अत्यधिक लागत पर जमीन अधिगृहीत कर ली है। सरकार को कम से कम अब तो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आबंटन करके यथाशीघ्र उक्त भवन को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। पहले ही सरकार ने कुछ धनराशि खर्च कर दी है। इतना अधिक धन खर्च करने के पश्चात् कार्य को बिना प्रारंभ किया नहीं छोड़ना चाहिए। अत: मैं सरकार से पुरजोर प्राय: अनुरोध करता हूं कि वह यथाशीघ्र नरसापुर में डाक विभाग को भवन के निर्माण कार्य को पूरा करें।

आंध्र प्रदेश में कई सुन्दर पर्यटन स्थल है। वे देश में प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकते हैं। अत: भारत सरकार को इन पर्यटन महत्व के स्थलों को विकास करने का प्रयास करना चाहिए। विजाग, नरसापुर और इच्छापुर में बहुत अच्छे समुद्रतट हैं। उनको बहुत आसानी से विकसित किया जा सकता है, इसके अलावा नागार्जुन सागर और अर्रक घाटी जैसे स्थान भी हैं। सरकार को इन क्षेत्रों को देश के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। भारत के विद्यमान पर्यटक नक्शे में आंध्र प्रदेश कही नहीं दिखाया गया है। हम पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही पीछे हैं।

महोदय, केन्द्र में वर्तमान सरकार किसानों के हितों को देखने वाली है। यह सरकार न केवल उत्तरदायी है बल्कि जहां तक किसानों की आवश्यकताओं का प्रश्न है यह सरकार अनुक्रियाशील है। लेकिन महोदय, आंध्र प्रदेश में किसान एक कारण विशेष से बहुत परेशान है। राज्य के किसान यह नहीं जानते हैं कि जोत योग्य लगभग 30 लाख एकड़ भूमि का क्या होने जा रहा है। महोदय यह नहीं भूलना चाहिए कि हम देश के किस भाग से आए हैं, हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम किस राज्य के हैं, सर्वप्रथम भारतीय हैं। अलमट्टी बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश के किसानों का खतरनाक संकेत दे रहा है। अब वे इस बांध के निर्माण को लेकर नाराज हैं क्योंकि इससे उनकी भूमि की जोत के लिए वांछित बहुमूल्य पानी से वंचित होना पड़ा है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश राज्य के हितों को ध्यान में रखें तथा समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकाल कर उनके साथ न्याय करें।

महोदय, अंत में मैं भाषण समाप्त करने से पहले एक बार फिर अपने माननीय वित्त मंत्री का ऐसा गरीबों के हित वाला और किसानों के हित वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई और शुभ कामनाएं देता हूं।

मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। लोक सभा में यह मेरा पहला भाषण है, अगर समय थोड़ा ज्यादा लग जाए तो मैं आपका सहयोग चाहूंगा।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश करते हुए उसमें शुरू में कहा है कि जब हमने साझा न्यूनतम कार्यक्रम शुरू किया, तब मैं मंत्री भी नहीं था। 4 जून, 1996 को प्रधान मंत्री जी ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषित किया था। इन्होंने आगे लिखा कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति मेरी वचनबद्धता इस पद से भी अधिक है और उसने इस बजट को मूल आधार प्रदान किया है। इसमें एक पाइंट है।

[अनुवाद]

संयुक्त मोर्चा सरकार भ्रष्टाचार से विशेषकर उच्च पदों पर हो रहे भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वचनबद्ध है तथा जनता में पुन: विश्वास की भावना उत्पन्न करने तथा राज्य के अधिकारियों और संस्थाओं की साख बढ़ाने के लिए कानून के अनुसार यथाआवश्यक कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

अब मैं इनके उद्देश्यों पर आता हूं। इन्होंने सात उद्देश्य दिए हैं। 22 जुलाई को बजट पेश हुआ था, लेकिन इसमें से करप्शन से लड़ने का उद्देश्य गायब है। 4 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम में जो जिक्र था, वह बजट में गायब हो गया। बजट से भी करप्शन को बढ़ावा मिलता है। अगर बजट सही हो तो भ्रष्टाचार कम होता है, अगर बजट की दिशा गलत हो तो भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होती है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : करप्शन के हैड में कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री सुभाष चन्द : वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि कर अपवंचकों को फौजदारी मुकदमें का सामना करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि बिना सरकारी मशीनरी के सहयोग के कर अपवंचन नहीं होता। लेकिन इसमें केवल कर अपवंचकों को फौजदारी मुकदमों का सामना करने की बात कही गई है, सरकारी मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा। इस तरह से आप सरकारी मशीनरी को बढ़ावा दे रहे हैं। जो पकड़ा गया उसको तो फौजदारी के मुकदमें के तहत लाएंगे, लेकिन सरकारी मशीनरी को कुछ नहीं कहेंगे।

मैं बाकी के उद्देश्यों को एक-एक करके लेता हूं। इनका एक उद्देश्य गरीबों की स्थिति पर ध्यान देना भी है और कहा है कि हम उन्हें समयबद्ध तरीके से न्यूनतम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

जब से मैंने बजट को समझना सीखा है, तब से लेकर आज तक के बजटों में कहीं ऐसा नहीं देखा या सुना कि टैक्सटाइल में महंगे कपड़े पर डयूटी सस्ती कर दी और गरीबों के कपड़े पर बढ़ा दी। क्या कपड़े को आप बुनियादी सेवा नहीं मानते? अमीर आदमियों के लिए बनने वाले कपड़े पर पहले 20 टका लगता था, उसको घटाकर दस टका कर दिया गया है। गरीबों के कपड़े पर पहले दस टका लगता था, अब एक नई चीज मॉडवेट को लाकर दस टका और बढ़ा दिया है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर पूरे देश के करीब दो करोड़ लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। उसमें से दस लाख लोग कम्पोजिट मिल में और एक करोड़ नब्बे लाख लोग पावरलूम, हैंडलूम और लघु उद्योगों में काम करते हैं अभी मॉडवेट का बेनिफिट दिया है, उसमें कम्पोजिट मिलों को काफी लाभ दिया है।

अपराह्न 7.00 बजे

और जो छोटे पॉवरलूम हैं, इनके ऊपर कर की मात्रा बहुत बढ़ी है। आज कपड़े में जो मानव निर्मित रेशे का लोअर क्लास का पहनने का कपड़ा है, उसमें आज तक की तारीख में कुल लागत पर 40 प्रतिशत डयूटी लगती है। डयूटी में क्या-क्या इंक्लूड है, फाइबर में कस्टम डयूटी यानि कि जो उत्पाद शुल्क और कपड़े पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, अभी जो प्रोवीजन किया है, उसके बाद उस पर करीबन 45 प्रतिशत कपड़े पर डयूटी हो जाएगी। आज कपड़ा जो गरीब या अमीर की बेसिक नीड है, कपड़े पर 45 प्रतिशत डयूटी लगाएंगे तो उस उद्योग का और पहनने वाले का क्या होगा?

बजट में कोई भी नया कर लागू होता है तो बजट में उसकी रिसीट्स बताई जाती है। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर बजट दिया कि करीब 5 प्रतिशत मैंने सर्विस चार्ज लगाया तो उससे इस वर्ष 70 करोड़ रूपया ही आएगा। लेकिन इन्होंने कपड़े पर "माडवेट" शुरू किया है और बजट में कहीं नहीं बताया कि इससे कितना आने वाला है। लेकिन जो विशेष बजट की बड़ी किताब दी हुई है, इसमें जो बेसिक एक्साइज डयूटी है, उसके कालम 76 और 84 हैं जिनमें बताया गया है कि कपड़ों पर बेसिक डयूटी लगनी चाहिए, जो इन्होंने प्रोवीजन दिया है, उसमें एक नए पैसे की रिसीट्स नहीं बताई। या तो हमारा वित्त मंत्रालय इतना सक्षम नहीं है कि इसका एस्टीमेट लगा सके या वह मानता है कि इस साल उसको नहीं लगाना है। आपने बजट में रिसीट्स में भी उसको नहीं पकड़ा है।

सभापति महोदय, 55,688 करोड़ रूपया इन्होंने नया ऋण लिया है। इस साल 55,688 करोड़ रूपया बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज और ब्याज का पेमेंट 60,000 करोड़ रूपये हैं। यानि इकानोमी की हालत यह है कि ब्याज को चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। इसके अलावा एक जगह और लिखा है कि रीपेमेंट आफ दी लोन 68,558 करोड़ रूपया है। तो रीपमेंट आफ दि लोन के लिए तो ऋण ले ही रहे हैं, इसके अलावा ब्याज चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है और बजट में इन्होंने लिखा है कि राजकोषीय दूरदर्शिता और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। लेकिन इससे तो कहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यह स्थिरता कैसे आएगी जबकि ब्याज चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है तो इस देश का क्या होगा? ब्याज 60,000 करोड़ रूपया चुकाना है और 55,688 करोड़ रूपया ऋण ले लें तो ब्याज चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ रहा है और हर साल ब्याज के फिगर लिखते जाएं कि पिछले साल 52,000 करोड़ रूपया ब्याज था और इस साल 60,000 करोड़ रूपया ब्याज हो गया। 55,688 करोड़ रूपया इन्होंने नया ऋण लिया है तो ब्याज की मात्रा हर साल बढ़ती जा रही है। इन्होंने आज तक विचार नहीं किया कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा? देश का भविष्य क्या होगा?

बजट के उद्देश्य में दिया है कि अक्षम निर्यात निष्पादन और अधिक विदेशी निवेश प्रवाहों के जरिए भुगतान संतुलन को व्यवहार्य बनाना। अब इस पर आ जाएं कि इन्होंने उद्देश्य में तो बहुत अच्छा लिखा है कि भुगतान संतुलन अच्छा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में इन्होंने क्या किया। इन्होंने ट्रेड बेलेंस को और बढ़ाने का काम किया। कैसे? इन्होंने सारे इम्पोर्ट पर डयूटी कम करके इम्पोर्ट को बढ़ावा दिया और जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको कोई ज्यादा विशेष बेनेफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बैनेफिट था कि एक्सपोर्ट की इन्कम पर इन्कम टेक्स नहीं लगता था, अब वह भी इन्होंने लागू कर दिया। आज एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि ट्रेड बैंलेस बढ़िया करना है, ट्रेड बैलेंस के घाटे को कम करना है और काम व्यापार घाटे को बढ़ाने का कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक पर्सनल इनकम टैक्स की बात है, इसकी सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि आप पर्सनल इनकम टैक्स की सीमा को बढ़ाते हैं, तो उससे बजट में ज्यादा असर नहीं पड़ेग और दूसरी तरफ इससे काफी लोगों को रिलीफ मिलेगी। कोई भी सरकार हो, वह जनता की भलाई के लिए काम करती है, यदि वह इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाती है, तो उससे जनता को लाभ होगा और करप्शन कम होगा। लेकिन सरकार का उद्देश्य करप्शन को कम करने का नहीं है, इसलिए सरकार इस पर्सनल इनकम टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाती है।

मैं वित्त मंत्री जी एक निवेदन और करना चाहता हूं। जो भी माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, उनको अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा मालूम होता है। उनको यह मालूम होता है कि उनके क्षेत्र में कहां कमी होती है और किस क्षेत्र में किसका विकास होना चाहिए। यदि पिछले तीन सालों के आंकड़ों को देखा जाए, तो इस व्यवस्था से क्षेत्रों का काफी विकास हुआ है। यहां केन्द्र में बैठे हुए लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र का कितना विकास होना है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि स्थानीय विकास कोष में राशि को और बढ़ाया जाए।

महोदय, बजट में एक नया प्रावधान किया गया है, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि आई. आई. डी एफ जिसका संचालन नाबार्ड द्वारा किया जाता है और जिसका वित्त पोषण उधार देने के लक्ष्यों की अपनी प्राथमिकता को पूरा न करने वाले वाणिज्य बैंकों के अंशदान से की जाती है। इसमें कहा गया है कि रूपया बढ़ाया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं, बढ़ाया जाएगा कि मतलब क्या है? मेरी दृष्टि में

इसका मतलब यह है कि कामर्शियल बैंकों को इन्सिस्ट किया जाएगा कि जहां प्रायोरिटी को देखते हुए फाइनेंस करना है, उसमें न करें। जब कि कमर्शियल बैंकों को जो पैसा मिलता है, वह प्रायोरिटी सेक्टर में फाइनेंस करने के लिए मिलता है। बजट में इस प्रावधान से तो मतलब यही निकलता है। अगर यही मतलब है, तो फिर देश का विकास कैसे होगा।

कृषि के विकास के लिए इन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिए 30 हजार रूपये दिये जायंगे। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां के किसानों के पास जमीनें बहुत कम हैं और उनकी ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता भी नहीं है। ऐसे किसानों के लिए सरकार को चाहिए कि वह बजट में अलग से व्यवस्था करें। मेरे क्षेत्र में अभी भी किसानों के द्वारा बैलों और अन्य जानवरों के द्वारा खेती की जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे किसानों के लिए बजट में अलग से प्रावधान होना चाहिए। एक बड़ा किसान तो अपनी खेती के विकास के लिए सब व्यवस्थायें कर सकता है, लेकिन एक छोटा किसान ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं कर सकता है।

अंत में, मैं आशा करता हूं, जिन बातों की तरफ मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाया है, उन पर वे ध्यान देंगे। साथ ही वित्त मंत्री जी ने बजट में जिन उद्देश्यों की चर्चा की है, उनको वे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं इस बजट का विरोध ही करता हूं, क्योंकि यह बजट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बजट है। साथ ही उद्योग का ह्रास करने वाला बजट है और टैक्सटाइल उद्योग को तो इस बजट ने बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद! श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1996-97 का बजट जो संयुक्त मोर्चा सरकार का पहला बजट है, को तब तक समर्थन मिलेगा जब तक कि उसमें कांग्रेस सरकार की मूलभूत आर्थिक नीतियां बनी रहेंगी। वास्तव में कुछ लोगों ने इसे "मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजटों से दो प्रतिशत कम या अधिक" की संज्ञा दी है। हमें खुशी है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के सभी संघटकों और समर्थकों ने कांग्रेस की नीतियों का समर्थन किया है।

आज तक के आर्थिक सर्वेक्षण से पुष्टि होती है कि अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित रूप से सात प्रतिशत की उच्च दर से वृद्धि हुई है औद्योगिक वृद्धि 12 प्रतिशत से अधिक रही, विदेशी मुद्रास्फीति ठीक रही तथा मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रही। अतः जून 1991 को कांग्रेस सरकार को मिली अर्थव्यवस्थ की तुलना में श्री चिदम्बरम को बहुत अच्छी और सुचारू अर्थव्यवस्था मिली। और इसी कारण मेरा अनुमान था कि अधिक साहसी कदम उठाएं जाएंगे और नवीन पद्धतियां शुरू की जाएंगी। लेकिन मेरे विचार से वित्त मंत्री के सामने विभिन्न अलग विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों के हितों में संतुलन बनाए रखने, प्रत्येक राजनीतिक दल को खुश करने तथा प्रत्येक संघटक की राजनीतिक सोच को शामिल करने की मजबूरी थी। मैं इसे अच्छा अवसर गंवाना कहूंगा।

जहां तक सूक्ष्म आर्थिक पहलू का सवाल है, पांच प्रतिशत विभिन्न घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन प्रतीत होता है। सबसे पहले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का 5,000 करोड़ रूपये का अनिवेश लक्ष्य कठिन है। इसके कोई अनिवेश आयोग नहीं है। हमें इससे कुछ अलग ही आशा थी। वर्तमान बाजार स्थिति को देखते हुए मेरे विचार से अनिवेश वैसे ही रहेगा। जैसे कि पिछले वर्ष था। दूसरे विशेष कारणों से दूरसंचार लाइसेंस शुल्क लागू होने की संभावना नहीं है। तीसरे ऐसा प्रतीत होता है कि धीमे औद्योगिक विकास के कारण उत्पाद शुल्क प्रभावित हो सकता है। कुछ क्षेत्रों विशेषकर रक्षा क्षेत्र पर व्यय बढ़ाना होगा। वास्तव में रक्षा व्यय वास्तव में बहुत कम है। यह केवल साढ़े तीन प्रतिशत तक बढ़ा है। सही अर्थों में यह साढ़े तीन प्रतिशत कम हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बहुत खराब स्थिति है। रक्षा व्यय 1988-89 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 प्रतिशत से कम होकर 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 हो गया तथा अब आपने इस सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत कर दिया है। पड़ौसी देशों में विकास की स्थिति को देखते हुए यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यह कारक वित्त मंत्री को घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत तक नहीं रखने देंगे। वित्तीय घाटे को पूरा करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आप निवेश में कटौती कर दीजिए। वास्तव में नियंत्रण सारे राजस्व घाटे पर किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है वित्त मंत्री ने व्यय आयोग बनाने और अन्य विभिन्न कदम उठाने का वायदा किया है और हम उन्हें शुभकामनाएं देते है। ताकि एक समय के बाद वे ऐसी योजना बना पाएंगे जिससे राजस्व घाटा कम हो सकेगा।

ब्याज अदायगी चिंता का प्रमुख विषय है। आज यह कुल ऋण पुनर्भुगतान का 96 प्रतिशत है। यह लगभग संपूर्ण वित्तीय घाटे के बराबर है। अतः बहुत अधिक ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए मैं जोरदार सिफारिश करता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनिवेश राशि को केवल या तो इन्हीं उपक्रमों के पुनर्गठन पर अथवा उच्च लागत ऋण को समाप्त करने में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए तथा किसी भी हालत में इसे अन्य रूप में व्यय में नहीं किया जाना चाहिए चाहे यह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अच्छे कार्य के लिए ही क्यों न हो।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या आप एक क्षण के लिए रूकेंगे? मेरे विचार में मुझे इसे स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि यह बात बार-बार कही जा रही है और जब तक हम बाजार में कर्जदार के रूप में हैं आज हम शुद्ध कर्जदार हैं हम घरेलू बाजार में कई वर्षों से कर्जदार रहे हैं और धन दीर्घावधि तक इस्तेमाल होने वाली चीज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उधार लिए गए धन को स्वास्थ्य या शिक्षा के लिए खर्च करें या आप अविनिवेश करें और उस धन को लेकर स्वास्थ्य या शिक्षा पर खर्च करें।

यह धन लम्बे समय तक इस्तेमाल होने वाली वस्तु है आप जब शुद्ध कर्जदार नहीं रहेंगे, तो बाजार में कोई उधार नहीं होगा, तब अनिवेश की गई धनराशि भले ही वह स्वास्थ्य में लगे या शिक्षा में आपूर्ति व्यय बन जाता है और इस प्रकार इसे ऐसे तरीके से खर्च नहीं किया जाना चाहिए इसे पुराने ऋण को समाप्त करने में लगाना चाहिए, जब तक हम शुद्ध कर्जदार हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह केवल नजरिए की बात है चाहे कैसा भी हो, आप कर्जा लेते जा रहे हैं। अतः मैं नहीं मानता इस बात में कोई तर्क है कि हम अनिवेशित धन को केवल कर्ज ऋण की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

मैं इसे स्पष्ट करना चाहत था।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : ठीक है मैं आपकी बात की सराहना करता हूं। लेकिन आपको यह संकेत देना होगा कि आप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए एक निगम के सृजन की बात को गंभीरता से ले रहे हैं।

राजसहायता व्यय की एक महत्वपूर्ण मद है। खाद्यान्नों के लिए हम अधिक राजसहायता है यह अच्छी बात है। लेकिन मेरे विचार से यदि आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन कर राज खाद्यान्नों पर राजसहायता का लक्ष्य होता जिससे कि यह वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे गरीब लोगों से ही मिलती तो आपको इस मद के लिए राजसहायता कम देनी पड़ती उन्होंने ऐसा करने का वायदा किया है। मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे और खाद्यान्न राजसहायता के लिए दी जाने वाली राशि से कुछ धन बचाएंगे।

फास्फेट और पोटाश उर्वरक पर राजसहायता एक स्वागत योग्य कदम है। शायद इससे वह असंतुलन कम होगा जो उर्वरकों के इस्तेमाल से पैदा हुआ है। चिंता का एक कारण यह है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भुगतान संतुलन पर वास्तव में गौर नहीं किया है। मुझे विश्वास है पूरी जानकारी है। लेकिन यह कार्यसूची में कहीं नहीं आया है। लगभग सात बिलियन डालर के व्यापार अंतर को ध्यान में हुए मैं नहीं मानता कि हम आराम से बैठ सकते हैं। आपने कहा है कि आपको हमारे निर्यात प्रयासों में वृद्धि करने की जरूरत है। आयात बढ़ रहा है और यही हम सब की चिंता का कारण है।

महोदय, बजट को गरीबों के पक्ष का बजट कहा गया है क्या यह वास्तव में गरीबों के पक्ष का है? वास्तव में जहां तक ग्रामीण रोजगार आबंटन का संबंध है। यह राशि 4,771 करोड़ रूपये से कम होकर 3,835 करोड़ रूपये कर दी गई है अर्थात् इसमें 20 प्रतिशत की कटौती हो गई है। जवाहर रोजगार योजना जोकि इसका मुख्य संघटक है, के कारण वास्तव में ग्रामीण लोगों और पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाया है। इसके लिए दी जाने वाली सहायता राशि को लगभग 850 करोड़ रूपये तक कम कर दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए भी आबंटन 11-12 प्रतिशत तक कम दिया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटितियों की संख्या कम हो रही है। एस एस आई जोकि रोजगार सृजन का प्रमुख क्षेत्र है, के लिए भी आपने आबंटन की राशि को 961 करोड़ रूपये से कम करके 935 करोड़ रूपये कर दिया गया है। बजट में यह सब क्या किया गया है।

महोदय, एक प्रकार का टोकनिज्म है और इस प्रधान मंत्री योजनाएं इस तथाकथित टोकनिज्म का ही परिमाण हैं। उन्होंने बहुत ही चतुराई से अपने आपको उन कई बातों से अलग कर लिया है। उन्होंने बहुत चतुराई से सारा श्रेय प्रधानमंत्री को दे दिया है। यह क्या है- वृद्धाश्रम बनाने के लिए पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आवासीय प्राथमिक पाठशालाओं के लिए पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आप पांच करोड़ रूपये से कितने स्कूल खोल सकते हैं? प्रत्येक नवोदय विद्यालय पर एक या दो करोड़ रूपये लागत आती है, पांच करोड़ रूपये से इस देश में केवल दो या तीन स्कूल खोल सकते हैं। महिला विकास निगम के लिए 10 करोड़ रूपये; बीमारी निधि के लिए 5 करोड़ रूपये; 50,00 प्रति चालक के हिसाब से दुर्घटना में लारी चालक की मृत्यु के लिए पांच करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें एक वर्ष में लगभग 1,000 लारी चालकों को पैसा मिलेगा। यदि मैं महाराष्ट्र राज्य की बात करूं जिसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की 10 प्रतिशत है, तो शायद केवल 100 लारी चालकों को ही लाभ मिल सकेगा। ये सभी टोकन योजनाएं हैं। शायद इन प्रधानमंत्री योजनाओं में 70 करोड़ रूपये की कुल राशि होगी जोकि कुल बजट का लगभग 0.03 प्रतिशत है । इसकी बजाय यह अच्छा होता यदि इन सभी क्षेत्रों के लिए एक व्यापक बीमा योजना प्रारंभ की जाती। मुझे आशा है कि आप इस ओर कुछ ध्यान देंगे।

इस बजट में ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से गरीबी पर सीधे नियंत्रण की बजाय मूलभूत ढांचे में निवेश पर स्पष्ट तौर पर बल दिया गया है जोकि अच्छी बात है। मेरा अभिप्राय है कि दूसरा भाग अच्छा है। मूलभूत ढांचे में निवेश किया जाना चाहिए क्योंकि मूलभूत ढांचे में निवेश को केवल बाजार प्रक्रिया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। राजमार्ग प्राधिकरण के लिए नई निधि की स्थापना भी अच्छी बात है लेकिन विद्युत क्षेत्र में भी मेरे विचार से आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए था क्योंकि हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से कोई खास सफलता नहीं मिली है।

यह बहुत अच्छी बात है कि सिंचाई पर जोर दिया गया है। हम इसका समर्थन करते हैं। अब मैं कराधान प्रस्तावों की बात करूंगा क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि क्या मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर मिलेगा।

महोदय, कुछ अल्पमात्र उपाय हैं और इन संकेतों के माध्यम से प्रधानमंत्री की योजनाएं सामने आई हैं। उन्होंने बहुत चालाकी से अपने आपको उनमें से अनेक बातों से अलग कर लिया है। उन्होंने बहुत होशियारी से सारा श्रेय प्रधानमंत्री को दिया है। यह संकेत क्या हैं। वृद्ध लोगों के लिए पांच करोड़; आवासीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए पांच करोड़ रू.? पांच करोड़ रूपये से आप कितने स्कूल खोल सकते हैं? प्रत्येक नवोदय विद्यालय पर एक से दो करोड़ रू. की लागत आती है। पांच करोड़ रू. से हम देश भर में केवल दो या तीन

नवोदय विद्यालय ही खोल सकते हैं। महिला विकास निगम के लिए दस करोड़ रू. की राशि और बीमारों के लिए 5 करोड़ रूपये और दुर्घटना में मरने वाले ट्रक चालकों को 50 हजार रूपये प्रति परिवार की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे एक वर्ष में 1000 ट्रक चालक लाभान्वित होंगे। महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 10 प्रतिशत है तो शायद 100 ट्रक चालक ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे यह सब सांकेतिक योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री योजनाओं में किया गया कुल 70 करोड़ रूपये का प्रावधान शायद कुल बजट का 0.03 प्रतिशत है। इसकी बजाए इन सभी क्षेत्रों के लिए व्यापक बीमा योजना आरंभ करना अधिक बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस पर कुछ ध्यान देंगे।

इस बजट से यह प्रतीत होता है कि निर्धनता पर सीधे ही जोर देने की बजाए ग्रामीण रोजगार की सृजनात्मक योजनाओं द्वारा आधारभूत ढांचे में निवेश किया जा रहा है जो कि अच्छा है- मैं कहना चाहता हूं कि दूसरी बात अच्छी है। आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए क्योंकि आधारभूत ढांचे में निवेश केवल बाजार प्रक्रिया पर ही नहीं छोड़ा जा सकता है। राजमार्ग प्राधिकरण के लिए धनराशि का प्रावधान करने की पहल करना भी अच्छा है। लेकिन मेरे विचार से विद्युत क्षेत्र में आबंटन की राशि को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी में अधिक सफलता नहीं मिल रही है।

यह अच्छा है कि सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है। हम उसका समर्थन करते हैं।

अब मैं कराधान संबंधी प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास नहीं है कि मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया जाएगा अथवा नहीं।

जहां तक कि व्यक्तिगत कराधान का संबंध है, मुझे बहुत खुशी है वित्त मंत्री ने आय कर में उच्च कटौती की जनता की मांग को नहीं माना है। लेकिन इसकी बजाए उन्होंने निचले स्तर पर तथा वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दी है।

अगले बजट में- मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह अवसर मिलेगा- मैं चाहता हूं कि आप प्रत्यक्ष कर, प्रति व्यक्ति आय तथा मुद्रास्फीति की दर के संबंध में लोगों की पहचान करें। ऐसी योजनाओं को चिल्ली तथा अन्य विकासशील देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। हमें योजना को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से कर देने वालों की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो। साधारणतः प्रत्येक बजट से पहले छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की जाती है जैसे कि भा.ज.पा. का प्रस्ताव है कि छूट की सीमा को 40,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया जाए। यदि आप मूल्यों के सूचकांक से संबंधित योजना तैयार करें तो बहुत अच्छा होगा।

मेरा एक सुझाव है कुछ कारणों से उच्च कर दर की उच्चतम सीमा को 1.2 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर देना चाहिए क्योंकि निगमित वेतन 7500 प्रतिमाह की सीमा से बढ़ गए हैं जो कि कुछ समय पहले 50 लाख रू. से 1 करोड़ रू. प्रतिवर्ष होते थे इसपर विचार करने की आवश्यकता है।

काला धन की समस्या के संबंध में कोई नई पद्धति नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप अगले वर्ष के दौरान इस पर पूरा ध्यान देंगे।

मैं मेरा सुझाव है कि कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया में तीव्र वृद्धि से बेहतर निगरानी की जा सकेगी। मुझे उम्मीद है कि आपका विभाग कम्प्यूटरीकृत स्थायी लेखा संख्या के संबंध में पहले से ही कुछ कर रहा है। इसका एकमात्र हल है कि सभी व्यावसायिक दस्तावेजों, बिलों और ऐसी अन्य चीजों के लिए अनिवार्य स्थायी लेखा संख्या को प्रिंट कर दिया जाए ताकि कम्प्यूटरीकृत दुतरफी जांच को आसान बनाया जा सके। मुझे विश्वास है कि विभाग इस दिशा में कदम उठा रही है और आप उस पर आवश्यकतानुसार ध्यान देंगे।

मंत्री महोदय दस्तावेज को सरलीकृत करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने व्यापार नीति की जटिलता को भी कम कर दिया है जिसको उन्होंने तैयार किया था उसे 100 पृष्ठ से 20 से तीस पृष्ठ तक कर दिया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कर प्रणाली को भी सरलीकृत कर दें जैसा कि कुछ विकसित देशों में है।

अब, मैं एक प्रसिद्ध या बदनाम कर या जिस पर सबसे अधिक टिप्पणी की गई है, न्यूनतम वैकल्पिक कर का उल्लेख करूंगा। वामपंथियों का यह कर अधिक प्रिय रहा है। मैं यह कहूंगा कि यह एक लोकप्रिय उपाय है। लेकिन मुझे इस विचारधारा पर आपत्ति है कि शून्य कर कंपनियां कुछ गैरकानूनी कार्य कर रही हैं। वह ऐसा नहीं कर रही थी लेकिन एक विचारधारा बन गई है कि कुछ गलत बात होगी जो वे कर देने से बच रहे थे। लेकिन यह सत्य नहीं है कि वे छूट प्रदान किए जाने का दावा कर रही थी जिसकी कानूनी रूप से अनुमति दी गई थी वे सफल है क्या हम इसलिए उन्हें सजा दे रहें हैं क्योंकि वे सफल थी क्योंकि वे पूंजी मानव संपदा का उपयोग अधिक निपुणता से कर रही थी? क्या वे अधिक कार्य का सृजन करने के लिए पूंजी निवेश नहीं कर रहे हैं? यदि आप यह समझते हैं कि जो कर वे बचा रहे हैं उससे वे भारी लाभांश अदा कर रहे थे तो शायद आपको छूट की सीमा को कम कर देना चाहिए था अथवा उनकी मूल्य ह्रास दरों की पुनःसरंचना करनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि जब आपको अवसर मिलेगा तो आप यह स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग करेंगे कि वे कुछ गैर-कानूनी बात नहीं कर रहे थे।

मुझे विश्वास है कि कम से कम आने वाले कुछ समय तक के लिए एम ए टी निश्चय ही नये निवेश को हतोत्साहित करेगा। पिछले निवेश के आंकड़ों जैसे 4500 करोड़ रू. तथा 5,000 करोड रू. आदि को उद्धरित किया गया है। मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता लेकिन निश्चय ही नई निवेश योजनाओं पर पुनः विचार करना होगा।

एम. ए. टी. के दो पूर्व संस्करणों को समाप्त करना चाहिए क्योंकि वे मुकदमेबाजी को बढ़ावा देती है। मुझे उम्मीद है कि इस

बार ऐसा नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि वित्त मंत्री को आधारभूत विकास निधि से अनिवार्य रूप से अदा किए जाने वाले इन करों की राशि को बचाने के लिए सोचना चाहिए ताकि उसे कर के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाए ताकि उद्योग आशिक रूप से आधारभूत ढांचे के विकास पर निर्भर करें।

संक्षेप में अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख करते हुए मुझे कुछ निराशा हो रही है क्योंकि उत्पाद शुल्क के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं किया है। 'वाट' सहित सभी कर जिनका उन्होंने वादा किया था के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं किया है। वे उत्पाद कर के संबंध में कुछ कदम उठा सकते थे, इसमें ग्यारह दरें हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : पहले ग्यारह दरें थी लेकिन अब यह सात हैं।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : लेकिन आपने इनकी चार दरे करने का वादा दिया था। हम उस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं।

हमें खुशी है कि आपने उत्पाद शुल्क में कुछ विशेष लेखा परीक्षा आरंभ की है। यह एक अच्छा प्रयास है। इससे कागजी कार्यवाही कम हो गई है और लघु पैमाने के उद्योगों पर बोझ भी कम हो गया है लेकिन करदाता का चयन करने के लिए एक पारदर्शी योजना अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।

दो विशेष मदों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। प्रथम आपने पाठ्य पुस्तकों के उपयोग में आनेवाले कागज तथा प्रिंटिंग कागज पर छूट प्रदान कर दी है। यह वह कागज है जो राज्य निगमों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह एक अच्छा उद्देश्य है। इसमें एक अच्छा उद्देश्य निहित है। लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है।

आपने एक नई धारा 57 सीसी जोड़ी है उस धारा के अंतर्गत कंपनियों को 20 प्रतिशत की एक समान दर पर मॉडवेट राशि वापस करनी होती है। कोई कागज उत्पादक अपना लाभ किसी और को नहीं देना चाहता है। मुझे बताया गया है कि मुम्बई उच्च न्यायालय ने इसे गैरकानूनी घोषित किया है, अथवा इस विशेष धारा के अंतर्गत स्थगन आदेश दिया है और इसे अन्याय कहा है। कृपया इस पर विचार करें। मेरा विचार है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात् मैं सेवा कर सर्विस टैक्स के बारे में उल्लेख करना चाहता हू आपने व्यवसाय सेवाओं पर सेवा कर की शुरूआत की है और यह एक अच्छा कदम है। लेकिन क्या कोरियर सेवाएं वैध हैं? यह वैध नहीं हैं। कोरियर सेवाओं को आरंभ करने के लिए भारतीय डाक अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है जो कि 100 वर्ष पुराना है। यदि इसमें संशोधन न किया गया तो न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप इस अधिनियम को संशोधित करने के लिए कदम उठाएंगे अन्यथा अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी।

मैंने डाक शुल्क के बारे में वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था और मैं खुश हू कि उन्होंने मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया है और दो रुपये का प्रतियोगिता पोस्ट-कार्ड का आरंभ किया है। यह सुझाव अनेक अन्य स्त्रोतों से भी आया होगा। लेकिन उन्होंने साधारण पोस्टकार्ड की दर नहीं बढ़ाई है। यह दर 22 वर्ष पहले नियत की गई थी। इसकी कीमत 15 पैसे है। एक पोस्टकार्ड भेजने में 1 रू. 75 पैसे लगते है लेकिन इसे 15 पैसे में ही बेचा जाता है। ठीक है, निर्धन लोगों को इसकी जरूरत है। लेकिन राजसहायता की राशि की भी एक सीमा होनी चाहिए। डाक विभाग को प्रतिवर्ष 500 करोड़ रू. की हानि हो रही है और कोई नया डाकघर नहीं खोला जा सकता है। कृपया इस संबंध में भी विचार किया जाए।

महोदय, मैंने काफी समय ले लिया है और मुझे मालूम है कि समय बहुत कम है। मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि मुझे थोड़ी निराशा अवश्य हुई है लेकिन मुझे काफी उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री को जब भी समय मिलेगा और जब वे राजनीतिक दबाव से दूर हो जायेंगे तो वे उतने ही नए-नए कार्य करेंगे जितने कि कांग्रेस के शासनकाल में करते थे जब वे वाणिज्य मंत्री थे।

मैं उन्हें केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि पहले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने इससे पहले सारी उपलब्धियां पहले 100 दिनों में ही प्राप्त की थी लेकिन बाद में बहुत मुश्किल हो गया था। पहले 100 दिन शीघ्र ही समाप्त हो रहे हैं। कृपया इस अवसर को न जाने दें और देश को यह कहने का मौका नहीं दीजिए कि इतने अच्छे अवसर को खो दिया गया है।

अंत में, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। काश कि यह थोड़ा सा और मजबूत होता।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : महोदय, कृपया पहले मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत ही संतुलित तथा बुद्धिमत्तापूर्ण बनाया गया बजट है। यह एक बहुत बड़ी बात होगी यदि माननीय वित्त मंत्री थोड़ा फेरबदल कर हमारे भाषणों में दिए गए सुझावों को मान लें। कुछ दिनों पहले हमारे साथी डा. जोशी ने कहा था कि यह कांग्रेस का बजट है। उन्होंने इसकी व्यंग्यपूर्ण आलोचना की है।

इस अवसर पर मैं इस सम्मानीय सभा और इस राष्ट्र को यह कहना चाहूंगा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में श्री पी. वी. नरसिंह राव और डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में औद्योगिक विकास दर 6.70 प्रतिशत से बढ गई थी और विदेशी मुद्रा कोष 20 बिलियन डालर तक हो गया था। हमारी निर्धनता 25 प्रतिशत से 19 प्रतिशत पर आ गई है। पिछले पांच वर्षों की यह उपलब्धियां है।

अत: हमें इन मुददों का राजनीतिकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हमें एक दूसरे की आलोचना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आइए इस महान राष्ट्र का निर्माण राष्ट्रीय भावना की दार्शनिकता पर करें अर्थात् जो अच्छे काम हो उसकी अवश्य प्रशंसा की जाए।

आज वर्तमान सरकार के समक्ष सबसे अधिक बड़ी समस्या है रोजगार के अवसर पैदा करना। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इक्कीसवीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं। लाखों युवा लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं उन्हें रोजगार की आवश्यकता होगी। रोजगार न होने के कारण युवाओं के बीच कुंठा है।

सामान्यत: पूरा देश निर्धनता के घेरे में ग्रस्त है। निर्धनता कैसे दूर की जाए और रोजगार का सृजन कैसे किया जाए और युवाओं के बीच कुंठा कैसे दूर की जाए? इन दो समस्याओं का एकमात्र हल है औद्योगिकीकरण और बहुतायत कृषि उत्पादन। मैं जो महसूस कर रहा हूं वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रगतिशील और संपन्न होने के सपने देख रहा है, जो कि इन परिस्थितियों में संभव नहीं हो पाएगा।

पूरे राष्ट्र के संस्थानों और बैंकों में ऋण के लिए अभूतपूर्व चीख-पुकार हो रही है। दूसरी ओर, हमारा पूंजी बाजार गिर गया है। विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उद्योगों में निवेश करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। बैंक और संस्थान उद्योगों के निर्माण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो किम्मत क्या है? मैं इस बारे में पूछ रहा हूं।

उद्योगों के बिना सरकार को आय नहीं हो सकती है। एक ओर आप वित्त मंत्री को कह रहे हैं कि कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में क्या हुआ? आप अनेक योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। यदि उन्हें 5,000 करोड़ रु. का और घाटा हुआ तो मेरे विचार में उनके पास एक अलादीन का चिराग होना चाहिए जिससे वे जो कुछ मांगे वह उन्हें मिल जाए। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए एकमात्र हल यह है कि राष्ट्र की आय बढ़नी चाहिए। समाज की आय में वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए उद्योगों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं अब वित्त मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि उनको उद्योगों के विकास को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए।

दुर्भाग्यवश कुछ लोगों ने कुछ शरारत की है। इस कारण पूंजी बाजार की बुराई हो रही है। हमें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। सैबी इतनी अधिक प्रबल है और चिन्तित हैं कि वे किसी भी चीज़ के लिए अपना सहयोग देने में आगे नहीं आ रही है। मैं इस बारे में सुन रहा हूं। इसलिए यह देखने के लिए सही समय है कि कोई गलती न हो। इसके साथ ही, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उद्योगों और समाज के निर्माण के लिए हमें उत्साही ठोस तथा प्रभावी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है एम. ए. टी. माट। मैं इसका स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री के विचार बहुत नये हैं। अनेक उद्योग पैसा कमा रहे हैं। निश्चय ही, चूंकि मूल्य ह्रास का भी एक तरीका होता है, उन्हें वैधानिक रूप से कर अदा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

परन्तु साथ ही वित्त मंत्री ने महसूस किया कि इस देश की आय बढ़नी चाहिए जो उद्योगों से 12 प्रति की दर से सामान्य कर वसूल करके बढ़ सकती है। यह एक बहुत अच्छा विचार है। मंत्री महोदय महसूस करते हैं कि जब उद्योग धन अर्जित करते हैं तो उन्हें इसे अदा करने में क्या बाधा है। उन्हें कर अवश्य अदा करना चाहिए। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी स्थापित नया उद्योग या जो उद्योग पहले चालू हो चुका हो या हाल ही में चालू किया गया हो इस आधार पर अपना बजट बनाऐं कि उन्हें पांच वर्ष के लिए कर अदाई से छूट है।

अत: उन्हें जो भी आमदनी होगी उसमें से वे बैंक तथा अन्य संस्थाओं को ऋण तथा किस्तें अदा कर देंगे। अत: अचानक यह एम. ए. टी. शून्य कर आरम्भ हो जाएं तो क्या होगा। मुझे तो यही बताया गया है कि कोई भी नया उद्योग लाभप्रद नहीं रहेगा। वे इन संस्थाओं को देय राशि अदा नहीं कर पायेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि इस तथ्य में कितनी सच्चाई है। यदि वे इन संस्थाओं को किस्त तथा ऋण नहीं अदा कर पाते तो उन्हें कोई भी संस्था ऋण नहीं देगी जो उद्योगों की प्रगति के लिए घातक होगा। आप कृपया इस ओर ध्यान दें। हमने अनेक बार इस पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की है। आप सभा में यह कहते रहे हैं कि जब वे पैसा कमा रहे हैं तो उन्हें देना भी चाहिए। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु यह भी बात है कि उनकी स्थिति बुरी नहीं होनी चाहिए।

अगला मुद्दा कागज उद्योग का है। बेगासे एक ऐसा उत्पाद है जो केवल ईधन के लिए जलाने के काम आता है। परन्तु आप इसे युक्तियुक्त बनाना चाहते हैं, मैं सहमत हूं। युक्तिकरण के दायरे में रहकर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिगासे के आधार पर कागज उत्पाद निर्मित करता है तथा पांच प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क अदा करता है जिसे 10 प्रतिशत अदा करना पड़ता है तो कागज उद्योग अलाभप्रद नहीं होगा मैंने तो यही सुना है आप कृपया इसकी जांच करें। हो सकता है अधिक राजस्व की प्राप्ति न हो। हमारी यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि नया बजट कृषि आधारित उत्पादों की प्रगति में बाधक है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि सी. आर. आर. और एस. एल. आर तथा भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों पर पुर्नविचार किया जाना चाहिए ताकि मुद्रा-स्फीनि पर काबू पाया जा सके और बजट में नकदी के प्रवाह को रोका जा सके। हाल ही में सी. आर. आर. में कुछ छूट दी गई। यदि इसमें कुछ और छूट दी जाती ताकि बैंकों में अधिक धन हो सके। तो वे उद्योगों और व्यापार को बढ़ाने में योगदान करते।

काफी विचार-विमर्श के बाद इन्फ्रास्ट्रक्चरल डिवलेपमैंट कारपोरेशन शुरू करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को वास्तव में बधाई देता हूं। यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें अपने देश के उद्योगों को बढ़ाने के लिए उन्हें आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। परन्तु इस विषय में मैं यह कहूंगा कि घोषणा के बाद यह निगम बन जाएगा और इसका कोई अध्यक्ष होगा। परन्तु इस इतने बड़े समूचे देश में कुछ खास न हो पाए। जैसा कि श्री चव्हाण ने कहा है कि यदि आप स्वरूप मात्र चीजें बना दें तो उसका कोई

लाभ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आप एक निगम को हजारों करोड़ों रूपए का आबंटन नहीं कर सकते। परन्तु कम से कम एक या दो औद्योगिक नगरों में जहां यह निगम लोगों को कुछ सहायता कर सके वहां लोगों को क्रियाकलापों से इसके अस्तित्व की अनुभूति तो होनी चाहिए। उदाहरणतया आप विशाखापट्टनम बन्दरगाह या मैंगलोर नगर को ही ले लें। आज ये अच्छी बन्दरगाह वाले ऐसे नगर हैं जिनके उद्योगों के विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। अब विशाखापटटनम में पानी का बहुत अभाव है और जब तक पोलावाराम परियोजना कार्यान्वित नहीं हो जाती, पानी की तंगी की समस्या के समाधान की संभावनाएं बहुत कम हैं। इस परियोजना के पूरा होने में कम से कम आठ वर्ष लगेंगे। तब तक लोग पानी के सपने भी नहीं ले सकते। निधियों के अभाव में विजयभास्कर रेड्डी के मुख्यमंत्री काल में बनाई गई 200 करोड़ रूपये की लागत वाली भागीरथी जल परियोजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। यदि आप उद्योग के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल डिवलेपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से 200 करोड़ रूपये अपने गतिशील दृष्टिकोण के प्रतीक स्वरूप प्रदान कर दें, तो इससे आपका बड़ा नाम होगा और वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। उस क्षेत्र के लोग विशेषकर विशाखापट्टनम के लोग हजारों उद्योग आरंभ होने की प्रतीक्षा में हैं। बहुत से उद्योग शुरू किए जा रहे हैं परंतु पानी के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने से संकोच कर रहा है। 200 करोड़ रूपये कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। जब निगम बन जाए तो इस पर विचार किया जाए।

मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। यदि मैं अधिक समय के लिए बोलूं तो सदस्य ऊब जायेंगे।...... **(व्यवधान)** आप यह कह सकते हैं कि मैं केवल उद्योगों के लिए ही क्यों बोल रहा हूं। यह इसलिए है क्योंकि मैंने इसका अध्ययन किया है। मात्र भाषणों से ही हम इस देश से गरीबी को दूर नहीं कर सकते। मात्र भावनाओं के सहारे और आरोपों-प्रत्यारोपों से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमें इस महान राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक रचनात्मक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा और इस देश को विश्व के बड़े देशों की श्रेणी में ले जाने हेतु हमारे यहां सिंचाई और विद्युत सुविधाएं होनी चाहिए तथा उद्योग-धंधे लगने चाहिए।

सर्वप्रथम बात यह है कि नौकरशाहों के मामले में उस भय को समाप्त करना होगा। सभी सोचते हैं कि यदि वे कोई भी शुरूआत करेंगे तो या तो कोई बाधा आ जाएगी या कुछ गडबड़ हो जाएगी। यह सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण हैं। जिनका मुझे पुनः उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक व्यक्ति गलती कर देता है, तो सभी व्यक्ति बुरे नहीं हो जाते। यदि एक राजनेता गलती कर देता है तो सभी राजनीतिक दल बुरे नहीं हो जाते और प्रत्येक राजनीतिज्ञ खराब नही हो जाता। अतः हमें सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हमें सब पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमें इस देश के नौकरशाहों से के खून में यह बात जागृत करनी चाहिए कि जो भी ईमानदारी से अच्छा काम करेगा उसे सदैव सरकार की तरफ से समर्थन प्राप्त होगा। उन्हें संकोच नहीं करना चाहिए और जब तक वह ईमानदार हैं उन्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसी उत्साहवर्धक प्रेरणा की आवश्यकता है।

हमें इस बात की खुशी है कि सरकार निश्चित रूप से अच्छे सिद्धांतों पर चल रही है। वे सिद्धांत वास्तव में कांग्रेस के हैं अतः लोग कहेंगे कि आप कांग्रेस का अनुकरण कर रहे हैं। शायद कांग्रेस यदि पांच वर्षो में उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करती आप भी उन सिद्धांतों का अनुपालन न करते। हम कांग्रेस कम्युनिष्ट अथवा बी जे पी की बात क्यों करें? हम सबको मिलकर चलना चाहिए। हमें इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए तथा मामलों को हमेशा राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए यदि कोई ठीक बात कहता है तो हमें इस पर अमल करना चाहिए चाहें हम किसी भी दल से संबंध क्यों न रखते हों। हमें केवल राजनीतिक अर्थो में सोचना बंद करना होगा। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परंतु हमारे बीच वास्तव में ही परस्पर संप्रेषण का अभाव है और हम यह सोचते हैं कि हम सब अलग-2 है। यह कोई खेल नहीं है। हमें सकारात्मक रूख अपनाना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो हमें उसे यह बताने का साहस, दिल और दिमाग होना चाहिए कि यह कोई अच्छा काम नहीं है तथा उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। यही भावना होनी चाहिए। मैं इस अवसर पर समस्त राजनीतिक दलों का आह्वान करता हूं कि उन्हें इस भावना, प्रेरणा और दर्शन से कार्य करना चाहिए।

अपना भाषण संपन्न करते हुए मैं सब बातों को दोहराना नहीं चाहता जो ग्रामीण विकास आवास योजनाओं, पर्यटन तथा अन्य विषयों पर सभी ने कही हैं। मुझे वे सब बातें बताने की आवश्यकता नहीं मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा सड़क परिवहन आदि के क्षेत्र में देश के विकासार्थ दिए गए विभिन्न सुझावों को स्वीकार करता हूं।

महोदय, परिवहन क्षेत्र के लिए हमें बहुत धन चाहिए। हम सड़कों को सुंदर बनाए बिना तथा उनका आधुनिकीकरण किए बिना देश की वास्तविक प्रगति का सपना नहीं देख सकते। पिछली कांग्रेस सरकार के पास अनेक प्रस्ताव थे एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की भी कई योजनाएं थी परंतु लाल फीताशाही तथा भ्रमों के कारण उन पर आगे कार्यवाही करने में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। अतः मेरा इस सरकार से आग्रह है कि पिछली सरकार द्वारा जो भी योजनाएं शुरू गई थी उन पर तीव्रता से आगे कार्यवाही की जाए। मुझे भूतल परिवहन मंत्री श्री वेंकटरामन ने बताया था कि एशियाई विकास बैंक की स्कीमों के लिए उनके पास कोई मारजिन मनी नहीं था और श्री चिदम्बरम का कथन है कि उस मारजिन के लिए भी कोई धन उपलब्ध नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने इसके लिए 200 करोड़ रूपये का अलग से प्रावधान रखा है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : हरियाणा में सड़कों के निर्माण के लिए एक बड़ी परियोजना है। पूरे देश में सड़कों के निर्माण की भी परियोजनाएं हैं। मेरा केवल इतना अनुरोध है कि इन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अंत में, मैं एक बार फिर वित्त मंत्री को बधाई देता हूं तथा इस बजट का समर्थना करता हूं। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिये, यदि श्री पी. वी. नरसिंह राव कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए, यदि डा. मनमोहन सिंह कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, यदि श्री चिदम्बरम वाणिज्य मंत्री के नाते, कोई व्यापार नीति बनाते हैं और निर्यात बढ़ता है तो उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। और यदि कोई गलत कार्य होता है तो हम सबको उसकी निंदा करनी चाहिये। इसलिए हमको नई भावनाओं, नई विचारधाराओं और नए उत्साह के साथ एक नए युग का आरंभ करना चाहिए। हमको विश्व के समक्ष संपूर्ण एकता का परिचय देना चाहिए और इस समाज तथा देश का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए ताकि विश्व को हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर गर्व हो और वे यह महसूस करे कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद हमारे में एकता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर. एल. पी. वर्मा। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं बताना चाहता हूं कि आपके सहित अभी 5 मैम्बर्स ने और बोलना है। यदि आप 10 मिनट में समाप्त कर लेते हैं तो अच्छी बात है। जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए।

श्री आर. एल. पी. वर्मा (कोडरमा) : मैं तो वैसे ही लास्ट में बोल रहा हूं इसलिए बहुत पालिसी पर न बोलकर, अपने क्षेत्र की समस्याएं ही आपके जरिए सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सदन में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह देखने सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जब हम उसे व्यावहारिक रूप से देखते हैं तो यह मृग-मरीचिका के समान लगता है। मैं कुछ आपत्तियों को आपके सामने रखना चाहूंगा।

देश को आजादी मिले 50 वर्ष होने जा रहे हैं और इतने कालखंड में हमारी संपूर्ण व्यवस्था विदेशी-परक रही है, हम स्वदेशी योजना के विरूद्ध रहे हैं, जिसके कारण हम अपने देश के काल और परिस्थिति के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं भले ही इन 50 वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन, शिक्षित बेरोजगारों के नियोजन संबंधी योजनाएं की अनेकों योजनाएं हमने बनाई लेकिन गरीब किसानों को पानी की व्यवस्था हम आज तक नहीं कर पाए। हमारे यहां दक्षिणी बिहार का इलाका, जिसे झारखंड या वनांचल कहते हैं, वहां अभी भी 10,500 विलेजेज ऐसे हैं, जिन्हें प्रौब्लम विलेजेज के रूप में आईडैन्टिफाई किया गया है। हम इतने वर्षो से आवाज लगा रहे हैं और केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय को पत्र लिख रहे हैं। हमारा गिरडीह जिला ऐसा है जहां पिछले दिनों 2 हजार आदमी डायरिया और पानी के अभाव में मर गये परंतु हमें यहां से लिखकर जाता है कि कोई बात नहीं लेकिन जो गलत काम है, जैसे कपास आदि सारी योजनाओं का फायदा कुछ लोगों को ही मिलता है, सारी योजनाएं कागजों में चलती हैं। इसी कारण पारदर्शिता इन कार्यक्रमों में नहीं रहती। आज तक सरकार ने इसके लिए मशीनरी क्यों नहीं दुरूस्त की? ब्यूरोक्रेसी ने लूट मचा रखी है। उसको नहीं रोका गया, जिसके कारण योजनाएं वास्तव में न रहकर कागजों पर चल रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में कोई कारगर उपाय करने पर विचार करें।

मैं इनके विभाग से संबंधित एक और विषय पर बात करना चाहूंगा। करेंसी और कोइनेज डिपार्टमेंट में एक भारी घोटाला चल रहा है। इसमें ब्रिटेन बेस्ट ''पोरटेल'' कंपनी है। उसमें जो भारत के एजेन्ट हैं उनके मार्फत सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए कागज आयात कर रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फाइबर्स, सिक्योरिटी एंड करेंसी थ्रेड, लैबोरिटी इक्यूपमेंट, स्पेयर पार्ट्स फोर मशीन्स व मशीनरी का आयात हो रहा है। भारत की कुछ कंपनियां इन चीजों को आधे दामों में बना सकती हैं और बना भी रही हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही है। ये कंपनियां बाहर भेज रही हैं, लेकिन भारत में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें करोड़ो का घोटाला है। मंत्री महोदय को मैंने एक पत्र भी लिखा है और उसमें पूरी डिटेल दी है तथा बताया है कि यह किस तरह का घोटाला है। श्री आर.एल.राव इसके डी. जी. एम. हैं। उनकी इस करोड़ों रूपये के घोटाले से साठ-गांठ है। एक बहुत बड़ी कनवाइनेस चल रही है। यह एक छोटा घोटाला भले ही दिखाई पड़े, लेकिन जिस तरह से टेलीफोन घोटाला, शुगर घोटाला व प्रतिभूत घोटाला है, उसी तरह का यह सैकड़ों करोड़ रूपये का घोटाला है। इस पर मंत्री जी ध्यान नहीं देंगे तो देश की इंडस्ट्रीज नष्ट हो जाएंगी।

आज भारत में स्वदेशी आंदोलन चलते है। लेकिन जो स्वदेशी योजनाएं हैं या स्वदेशी इंडस्ट्रीज हैं वे सब खत्म होने के कगार पर हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उसने पूरे भारतवर्ष को गुलाम बना डाला था। लेकिन आज तो 1600 विदेशी कंपनियों ने यहां रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कोई कारण नहीं है कि भारत के सभी उद्योग-धंधे उनके हाथ में चले जाने वाले हैं। मारूति उद्योग का 51 प्रतिशत हिस्सा जापान का हो गया है और थोड़े दिनों में यह उनके हाथ में चली जाएगी। हमारी "टोमको" और इसी तरह की कई कंपनियां बिक चुकी हैं। विदेशी कंपनियां धीरे-धीरे हमारे उद्योगों पर इस तरह का शिकंजा डाल रही हैं कि कोई भी उद्योग यहां पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारी सरकार की विदेश, औद्योगिक और आर्थिक नीति के अंदर झांककर देखें तो लगता है कि कुछ ही दिनों में फिर हम भारत के औद्योगिक कार्यक्रमों को नष्ट करने वाले हैं। जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं वे सब घाटे में चल रहे हैं। उनमे अरबों-खरबों का घाटा चल रहा है और सबका विदेशों से सीधा संबंध हो गया है। उनके कमीशन एजेन्ट के रूप में ये उपक्रम काम करने लगे हैं। इसलिए अगर इन उपक्रमों को जिन्दा रखना है तो उनमें पब्लिक अकाउंटिबिलिटी निर्धारित करनी चाहिए। जो पब्लिक उपक्रम घाटे में चलते हैं उनके चेयरमैन्स पर इसकी जिम्मेदारी डालनी चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट की बजाय इनको एक व्यावसायिक घराने की

तरह से यह उपक्रम देने चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट्स की तरह से काम करेंगे तो उस उपक्रम का दिवाला निकल जाएगा। अगर एक बिजनेसमैन की तरह रहेंगे तो देश का भाग्य बदल जाएगा। इसलिए इस दृष्टिकोण से सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

आज आजादी को 50 वर्ष हो गए हैं और यह कोई कम समय नहीं है। हम रजत जयंती मना रहे हैं और स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे है। लेकिन हमारे यहां पीने का पानी नहीं है, गरीबों को घर नहीं है, गांवों में सड़क, बिजली नहीं है। गांवों में कुछ भी सुविधा नहीं है। सारे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। गांवों के लोगों से सारा दिल्ली शहर एक स्लम एरिया के रूप में हो गया है। आप दिल्ली में देखेंगे कि 1200-1300 कालोनियां बस चुकी हैं। उनको हम पानी, बिजली नहीं दे सकते और हम कह रहे है कि हम बहुत विकास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह शब्दों की जगलरी है। यह मृगरीचिका है। इससे देश को निकालना पड़ेगा और मंत्री जी को इस दिशा में कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि इन्होंने पुरानी लीक पर चलने का निर्णय कर लिया है। उदारीकरण और गैट के समझौते जो पिछली सरकार ने किए थे वे यथावत अभी भी चल रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि लीक पर चलने का निर्णय कर लिया है। हमारे यहां एक पुरानी कहावत है-

"लीक-लीक छकड़े चलते हे कपूत और कायर।

लीक छोड़कर जो चलते हैं वे कहलाते हैं सपूत और नाहर।।"

इस पुरानी कहावत के अनुसार वित्त मंत्री चल रहे हैं। मेरा चिदम्बरम साहब से अनुरोध है कि वे कुछ दिशा बदलें। जब आप सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं और अन्य कई कल्याण कार्यक्रमों की आपने घोषणा की है, लेकिन यह बात आपके व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप पुरानी लाइन पर ही चल रहे हैं। यहां पर विदेशी लोग भर रहे हैं। वे कोई हमारी भलाई के लिए नहीं आ रहे हैं। वे बिजनेसमैन की तरह आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह आ रहे हैं। वे भारत को खाकर भाग जाएंगे। इस पर नियंत्रण करना चाहिए और नियंत्रण करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाई जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र कोडरमा के बारे में कहना चाहता हूं। अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में गिरीडीह और कोडरमा दो जिले आते है। वहां के लिए मैं 1977 से बराबर पार्लियमेंट में कहता आ रहा हूं और 1978 में तो गिरीडीह से रांची तक रेलवे लाईन निर्माण के लिए कहा और 1991 बजट में कुछ धन देने की बात थी और उसको 20 करोड़ रूपये देने से आज तक अर्थवर्क हो गया होता, लेकिन उसका कोई नाम तक इस बजट में नहीं है जबकि इसको 1991 के बजट में प्रायर्टी पर टेकअप करने की बात कही गईं थी, लेकिन उसे हटा दिया गया। यह छोटा नागपुर की जनता के साथ घोर अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, वनांचल और झारखंड देश के लिए सोने का अंडा देने वाली चिड़िया की तरह है। आज भी देश की कुल सम्पदा की 50 प्रतिशत खनिज संपदा और वन संपदा इसी अंचल से आती है। उस संपदा का केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर खूब दोहन कर रही हैं। ये सरकारें यह समझती हैं कि इस सोने का अंडा देने वाली चिड़िया को पिंजरे में बन्द रखा जाए और इसका शोषण किया जाए। झारखंड और वनांचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए 60 वर्ष से आंदोलन चल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लम्बा आंदोलन है। ये कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ, लेकिन आज तक उस क्षेत्र को पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया है। झारखंड विकास परिषद बने एक वर्ष से अधिक हो गया और उसे बिहार राज्य के बजट का 25 प्रतिशत भाग देने की बात तय हुई थी, लेकिन आज तक 25 पैसे भी नहीं दिए गए। इसी से इनकी मंशा जाहिर हो जाती है। यह उनके साथ घोर अन्याय है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां के सांसद को खरीदा जाता है। अब तो यह बात सिद्ध हो गई है। उसके ऊपर केस चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि झारखंड की जो 294 किलोमीटर की रेलवे लाइन है, उसको बनाने के लिए इसी बजट में प्रावधान किया जाए। यदि मंत्री महोदय ऐसा करेंगे, तब मैं समझूंगा कि यह बजट गरीबों और आदिवासियों के लिए है। नहीं तो मैं समझूंगा कि ढाई करोड़ जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय, झारखंड में 10500 ऐसे गांव हैं जहां पर कुएं या पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गंदे नाले से हरिजन और आदिवासी पानी पीते हैं। उन्हें इस गंदगी से मुक्त करने के लिए और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए कुएं खोदने और ट्यूबवैल बनाने के लिए स्पेशल फंड देने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि यह स्पेशल फंड दिया जाए।

संक्षेप में मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष गिरीडीह जिले के अंदर 400 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन केवल 142 लोगों को मात्र आधा ऋण ही उपलब्ध करवाया गया है। इससे ही ज्ञात हो जाता है जो टारगैट रखा गया है उसको भी पूरा नहीं किया गया है और इससे तो जो लक्ष्य रखा गया है उसकी 25 प्रतिशत ही पूर्ति हुई है। यही हालत कोडरमा और हजारीबाग की है। वहां भी 25 प्रतिशत लक्ष्य की ही पूर्ति की गई है। लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण वहां पर गरीबी यथावत् बनी हुई है। इसी प्रकार के एक-दो और आदमियों के उदाहरण मेरे पास कल ही आए है। उन्होंने मुझे बताया कि बेरोजगार युवक के रूप में उन्होंने 15 हजार का ऋण लिया। जबकि उनके कागजात, सर्टीफिकेट गिरवी रखे जाते हैं। उनकी ऐज खत्म हो गयी है जिस कारण उनको गवर्नमेंट में कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती। इस तरह से यह ऋण की मार से मर जायेगा। इस पर भी दृष्टिकोण बदलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, कन्कलूड कीजिए।

श्री आर. एल. पी. वर्मा : हम लोगों ने मांग की थी कि

दो-चार उपयोगी योजनाओं को लागू किया जाये। कोनार नहर परियोजना 1978 में 11 करोड़ रूपये में चालू की गयी थी। वह आज तक ऐसे ही पड़ी हुई है। उस पर अभी तक 178 करोड़ रूपये खर्च हो चुके है। मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी इसे 500 करोड़ रूपये तक ले जायेगी और वे इसको पूरा नहीं होने देंगे। आज 15 वर्ष हो गये हैं 15 वर्ष तक लाखों एकड़ जमीन नहर बनाकर बरबाद कर दी गयी तथा आज तक किसानों की क्षतिपूर्ति भी नही हो रही है। इसलिए इसमें फण्ड दिया जाये। जो योजना है, वह टाइम बांड होनी चाहिए। अगर टाइम बांड पूरा नहीं किया गया तो उन पदाधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इसी तरह के केशों रिजर्ववायर स्कीम और पंचखेरो रिजर्ववायर स्कीम आदि भी सब पेंडिंग हैं। इन पर 5-10 करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद भी वे बंद है। हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट झुमरीतलैया डैम पर लगना था लेकिन यह प्लांट भी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कन्कलूड कीजिये।......**(व्यवधान)** अभी और माननीय सदस्यों ने बोलना है।

श्री आर. एल. पी. वर्मा : ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में कई इस तरह के प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र भंडारों और कोडरमा दोनों जगह में मंजूर हुआ था। यह तीन-चार करोड़ रूपये की योजना है लेकिन इसे अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है। इसको चालू करना चाहिए क्योंकि कोई उद्योग इस क्षेत्र में नहीं है। कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने से वहां के जो ग्रामीण लोकल मजदूर हैं, उन लोगों को खेती-बाड़ी के वैज्ञानिक तरीके का अंदाजा रहेगा जिससे वह अपने बाल-बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम समय में बोलना है क्योंकि समय कम है फिर भी मैं दो-चार बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अभी इस सरकार ने जो 1996-97 का बजट पेश किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनका प्रयास बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने एक संतुलित बजट पेश किया है। इस बजट के बारे में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने हर बिन्दु पर प्रकाश डाला है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसे अच्छा भी कहा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि बजट गरीबों के लिए नहीं है। सवाल यह उठता है कि यह सरकार सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। यह सरकार पूंजीवादी लोकतंत्र की सरकार है इसलिए यह सरकार सभी के फायदे के लिए बजट लायी है। इसमें किसानों का भी फायदा है, मजदूरों का भी फायदा है, उद्योगपत्तियों का भी फायदा है यानी सभी लोगों को इसमें फायदा है। कहीं ज्यादा कम हो सकता है। लेकिन यह एक संतुलित बजट है इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और अंतरात्मा से यह कहूंगा कि वे दीर्घायु रहें। इस बजट में जो यह कहा गया है कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठायेंगे, यह पुरानी बात है। कोई नयी बात नहीं है। कांग्रेस के समय में यह सवाल उठ चुका था और कुछ ऐसी योजनायें भी बनी थीं जिनको लागू किया गया था।

अपराह्न 8.00 बजे

गंदी बस्तियों के उन्मूलन की बात कहना चाहता हूं। मुद्रास्फीति की दर को कम करने वाली बात भी इसमें कही गई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में काला धन एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहा है। जब तक काला धन बढ़ता रहेगा तब तक मुद्रा स्फीति पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्किट पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम वित्त मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आपका काले धन को निकालने का प्रयास होना चाहिए। इससे देश का बहुत भला होगा। आपने आई. आर. डी. पी. के लिए धन घटाया है लेकिन कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखती हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, एक नई सुनिश्चित योजना जिसमें भारत के हर जिले के कुछ प्रखंडों को लिया गया है। बच्चों को दोपहर में भोजन देने की योजना गांवों में चलाई जा रही है। जवाहर रोजगार योजना स्वर्गीय राजीव गांधी ने शुरू की थी। उन्होंने सदन में ही यह बात बताई थी कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को जब गांव में भेजा जाता है तो उसमें से 85 प्रतिशत पैसा बीच में ही खत्म हो जाता है, सिर्फ 15 प्रतिशत पैसा ही काम में लगाया जाता है। इस बात की सबको जानकारी है। जो भी पैसा भेजा जाता है, उसका सही उपयोग होता है या नहीं, इसे कौन देखेगा।... ......**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : पहले 8 बजे तक के लिए कहा गया था लेकिन अभी चार सदस्य और बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हम समय बढ़ा सकते हैं ताकि चर्चा पूरी हो सके।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चली है, यदि बैंकों पर काबू नहीं करेंगे तो यह योजना भी टांय-टांय फिस हो जाएगी, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। गरीब मजदूरों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए भैंस, गाय, बकरी, सुअर आदि दिए गए। लेकिन वे घटिया किस्म के दिए गए। मैं खासतौर से जहानाबाद क्षेत्र की बात कह रहा हूं। यदि आप पांच साल की मॉनीटरिंग करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत से ऐसे लोग है जिन्होंने योजना तो ली है लेकिन एक प्रतिशत भी रोजगार नहीं किया। जो पैसा गरीब व्यक्ति को दिया है, वह तो बर्बाद हो गया। आप जो अनुदान देते थे, उसका दुरूप्रयोग हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि तीन हजार रूपये की भैंस पांच हजार रूपये में दी गई। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने परिवार की परवरिश कैसे कर सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात कहना चाहता हूं। एक

लड़का मेरे पास आया और कहने लगा कि हमको रोजगार की ट्रेनिंग दी गई लेकिन उसके बाद भी कहते है कि 30 प्रतिशत दो। दरख्वास्त मेरे नाम से दी है, वह मैं आपके सामने पेश करूंगा। इस तरह के भ्रष्टाचार की जांच करने की जरूरत है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि कम रूपये को ही सही मायने में योजना में लगाया जाए तो हम समझते है कि हम देश का विकास कर सकते हैं। गरीबी भी हम कम कर सकते हैं, बेरोजगारी भी कम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कर रहे हैं।

वित्त मंत्री जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में किसान क्या चाहता है। किसान आपसे कुछ नहीं चाहता है, किसान चाहता हैं कि हमारे खेत में आप पानी डाल दीजिए, हमारे लिए सिंचाई का प्रबन्ध कर दीजिए, हमको अच्छें बीज दे दीजिए, अच्छे खाद दे दीजिए और जितनी दौलत चाहते हैं, हमसे लीजिए, किसान इसके लिए भी तैयार है। लेकिन अभी तक, 40-50 वर्षों को बिल्कुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। आज हमारे यहां कृषि के अन्दर जिसके पास 25 एकड़ भी जमीन है, आज पटवन नहीं रहने के कारण उसके खाने-पीने की भी स्थिति अच्छी नहीं है तो बेकारी बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी।

वित्त मंत्री महोदय, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा कि हमारे देश में संघीय ढांचा है। राज्य सरकारें आपके अधीन हैं, कानूनी तौर पर सरकार चलाने के अलग-अलग कानून बने हुए हैं, वे अलग हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, जो आपको करनी पड़ेंगी। देश के सामने बेकारी की स्थिति पैदा हो गई है। हमारे जो भूमि हदबन्दी कानून आपने बनाकर रख दिये हैं। उन कानूनों को अभी तक आपने लागू नहीं किया है। उस कानूनों को अगर आपने लागू किया होता तो बेकारी की एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो गया होता और उससे कृषि की उपज भी बहुत ज्यादा बढ़ती, उससे राष्ट्रीय आय भी बहुत बढ़ती। आज हम जो सूद देने के लिए ऋण ले रहे हैं, वह भी हमें नहीं लेना पड़ता और हम कृषि से इतना उत्पादन और इतनी आय करते कि हम उससे देश और दुनिया को चला सकते थे। कृषि पर आपका ध्यान गया है। हम चाहेंगे कि कृषि की अभी जो स्थिति है, उसको उससे बढ़िया स्थिति में आप पहुचा दें। इससे आपका यश बढ़ेगा और कृषक लोग आपको कभी भी नहीं भूलेंगे।

कुछ और बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। खासकर जहानाबाद इस वक्त उग्रवादी इलाका बन गया है, वहां कुछ पाकेटों में एक समानान्तर सरकार भी उन लोगों ने बना ली है। यहां तक कि उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। वे फांसी की भी सजा दे रहे हैं। उस स्थिति को आपको संभालना है। आप वित्त मंत्री हैं, उसको आपको संभालना है। जब तक उन नौजवानों को, जो राष्ट्रीय धारा से हट गये हैं, रोजगार दिलाने के लिए कुछ काम आपको करना होगा। यहां से स्वीकृत होकर चार वर्ष से एक योजना बिहार सरकार में पड़ी हुई है। खासतौर से पुनपुन-मुरहर-दरधा परियोजना बिहार सरकार के पैसे के अभाव में उस योजना पर और लागत बढ़ती जा रही है। इसलिये मैं आपसे खासकर निवेदन करूंगा कि उस योजना के लिए बिहार सरकार को कर्ज के रूप में देकर उस योजना को लागू करवाइये, जिससे वहां पर दो-तीन प्रखंडों में कृषि की निश्चित सिंचाई हो जाएगी और लोग उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे और हमारे यहां जो उग्रवादी संगठन हैं, वह कमजोर पड़ेगा और वह कमजोर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि समाप्त भी हो जाएगा। नहीं तो आज के संगठन को दबाने के लिए आप योजनापरक जितना खर्च होगा, उससे ज्यादा आप फौज- पलटन, गोली-बारूद पर खर्च कर रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक अच्छा बजट लाए हैं। आर्थिक सुधार करने की बात भी आपने कही है। आर्थिक सुधार करने की बात से ही लगता है कि विदेशी पूंजी पर आधारित आप उसको रखना चाहते हैं। ठीक है, विदेशी पूंजी आपने यहां लगवाई है, लेकिन उस पर आपका ध्यान बराबर रहे, उसको आप अपनी निगाह से अलग नहीं होने दें, उनका मनमानापन नहीं होने दें, तभी हम समझते हैं कि देश को उसका आर्थिक लाभ होगा। अगर उनको खुला छोड़ दिया गया तो यहां के कुछ ऐसे भी उद्योग है, जिनको वह खा जाएंगे।

आपसे एक बात और कहनी है। इसी सदन में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ने रांची में एच. ई. सी. एल. बनते हुए कहा था कि भारत का यह मंदिर बना है। वित्त मंत्री जी, आज उसकी स्थिति क्या है? वह बहुत से उद्योगों को जन्म देने वाला उद्योग था। उससे बहुत से नये-नये उद्योग बन सकते थे, लेकिन आज उस उद्योग की हालत क्या है? हम चाहेंगे कि उस उद्योग पर आपका ध्यान जाना चाहिए। उस उद्योग को कायम रखने के लिए आप ध्यान दीजिए और नये सिरे से उसको फिर से ठीक-ठाक करवाइये।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे जो राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं, उन उद्योगों को बिजनेस के ढंग से आपको चलवाना होगा। दूसरे क्षेत्र में जो निजी उद्योग हैं, वे बहुत मुनाफा देते है। हमारे राष्ट्रीयकृत उद्योगों में उनसे बहुत ज्यादा लागत लगी है, लेकिन हमारे उद्योग कमजोर होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत से लोगों की मांग है कि निजीकरण करो। इस देश में दो विचारधाराओं की बात होती है। एक वर्ग कहता है कि निजीकरण करो, जबकि दूसरा वर्ग कहता है नहीं करो। दूसरा वर्ग कहता है कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो, क्योंकि जब तक पब्लिक सेक्टर मजबूत नहीं करेंगे तब तक देश के गरीबों की गरीबी नहीं मिटेगी। यह ठीक है कि निजीकरण से गरीबी मिटने वाली नहीं है।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र की जो बात कही है, मंत्री जी उसे ध्यान में रखें और उस क्षेत्र का कल्याण करे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर. ज्ञानगुरुस्वामी (परियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मेरा प्रथम भाषण है। महोदय, मैं आपको बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर

प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं अपना भाषण अपने नेता डा. कलाईगनर करूणानिधी के आशीर्वाद से प्रारंभ करता हूं। मैं सभा को 'थिरूक्कूराल' की दो पंक्तियों का स्मरण कराना चाहता हूं।

''इथानाई इथानाल इवान मुदिक्कु इताईथू

अथानाई अवन-कान विदाल''।

उचित कार्य उचित व्यक्ति को ही सौंपा जाना चाहिये। इसलिए, वित्त मंत्रालय का कार्यभार उचित सक्षम व्यक्ति को ही सौंपा गया है। उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करके एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है।

महोदय, कल बजट प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि बजट में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू करने का उद्देश्य परिलक्षित है। इस कार्यक्रम को सी. एन. पी. के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त मोर्चा सरकार का यह 'मैग्नाकार्टा' है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि यह उनके ही बुद्धिकौशल का परिणाम है।

बजट के कई पहलू स्वागत योग्य हैं। मैं उनमें से एक अथवा दो का उल्लेख करना चाहता हूं। यह है चार माह में किए गए व्यय के संबंध में व्यय आयोग का प्रतिवेदन, राजसहायता के संबंध में परिचर्चा पत्र को संसद में प्रस्तुत करना राज्यों को मूलभूत न्यूनतम सेवाएं जैसे मध्याह्न भोजन योजना लागू करने के लिये राज्यों को 2,466 करोड़ रूपये आबंटित किया जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरूस्त बनाना, कंपनी अधिनियम को संशोधित करना, पूंजी निवेश और टैरिफ आयोग गठित करना, संसद के शीतकालीन सत्र में रूग्ण कंपनी विधेयक पुरःस्थापित करना। यह बजट की कुछ विशेषताएं हैं और इनकी सूची काफी लम्बी है।

महोदय, इस बजट में सीमा शुल्क को कम किया गया है। यह आठ प्रतिशत के लगभग है। उर्वकरों के मामले में यह कुछ अधिक है। सीमा शुल्क घटाने से समाज की क्रय शक्ति बढ़ सकती है और मूल्यों में गिरावट के कारण मांग भी बढ़ेगी किंतु साथ ही आयात शुल्क में कमी करने के कारण घरेलू उद्योगों जैसे रबड़, वस्त्र आदि पर उल्टा प्रभाव पड़ा है। ये उद्योग पहले से ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इनमें लाखों मजदूर कार्य कर रहे हैं। इसलिये, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से रबड़ और वस्त्र उद्योग जैसे उद्योगों के मामले में आयात शुल्क को कम किये जाने पर के मामले पर पुनः विचार करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, शून्य कर अदा करने वाली कंपनियों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लागू किया जाना एक अच्छा कदम है। इस संबंध में ऊर्जा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में लगी कंपनियों को छूट दी गई है। हालांकि मैट की दर काफी कम है पर फिर भी यह यह बही लाभ के 12 प्रतिशत के बराबर आता है। फिलहाल इस बजट में एक अच्छी शुरूआत की गई है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि बजट का उद्देश्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और गांवों से निर्धनता का उन्मूलन है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और गांवों से गरीबी का उन्मूलन का जोर-शोर से बजट में जिक्र किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बजट में इसके लिये आबंटन किया गया है?

वर्ष 1995-96 के बजट में भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु 640 करोड़ रूपये आबंटित किये गए थे जिससे 19.5 लाख परिवारों को लाभ मिला। वर्ष 1993-94 में 25.4 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए, और 1996-97 में 656 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं जिससे सिर्फ 16.4 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। ग्रामीण गरीबों को सहायता उपलब्ध कराने में उत्तरोत्तर कमी आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जैसा कि हम दावा करते हैं, ग्रामीण गरीबों के साथ न्याय किया जा रहा है?

इस प्रकार से वर्ष 1965-66 के दौरान ग्रामीण रोजगार हेतु 4,771 करोड़ रूपये आबंटित किये गए थे और इस बजट में 3,855 करोड़ रूपये आबंटित किये गये हैं। बीस प्रतिशत की कटौती की गई है। मैं तो कहूंगा कि गरीबों के साथ क्रूर मजाक किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने तमिलनाडु के दौरे के दौरान बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को सलाह दी थी कि वे गरीब, दलित और बेसहारा व्यक्तियों को ऋण देने में उदारता बरतें। इसके बावजूद वे बिना ताज के राजाओं की भांति व्यवहार कर रहे हैं। वे लोग ऋण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं माना वे ही बैंक के राजा है और जैसे कि वे अपनी जेब से धन उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिये बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को गरीबों को ऋण देने में उदार होने की सलाह दीजिये।

समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि 1995-96 के दौरान इंडियन बैंक ने 1,335 करोड़ रूपये की हानि उठाई है। यह इतिहास में पहली बार हुआ मैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। बैंकों को यह नुकसान गरीबों को ऋण देने के कारण नहीं अपितु समाज के धनी वर्गों को ऋण देने के कारण हुआ। इसलिये, कृपया आप बैंक अधिकारियों को सलाह दीजिये कि वे दलित और कमजोर व्यक्तियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं।

कृषि के लिये बजट में कई सुविधाएं दी गई हैं। कई उर्वरकों पर राजसहायता दी गई है। सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को आरंभ किया गया है जिसके लिये राज्यों को 900 करोड़ रूपये दिये गए हैं। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे कितनी भी धनराशि उपलब्ध कराये और राजसहायता दें उसका कोई भी लाभ कृषकों को नहीं मिलने वाला है। उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जब तक कृषकों के लिये अपनी उपज को लाभकारी मूल्यों पर बेचने के लिये उचित तंत्र नहीं बनाया जाता है। उस समय तक किसानों को कोई लाभ नहीं होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी उत्पादक ऋण जाल में फंसे हुए हैं। उनको मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण लाभकारी मूल्य नहीं

मिल रहे हैं। वे काफी बोर्ड तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गए ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। एक उचित तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी उपज को लाभकारी मूल्यों पर बेच सकें। उनके ऋणों को माफ कर दिया जाना चाहिए अथवा उनके ऋणों को दीर्घकालीन बना दिया जाना चाहिये ताकि वे बिना ब्याज अदा किये आसान किश्तों में ऋण अदा कर सकें।

ऐसी ही समस्या मेरे क्षेत्र के पान उत्पादकों की है। तमिलनाडु में पान की खेती कठिनाई के दौर से गुजर रही है। फसलों पर एक अज्ञात बीमारी का असर हो गया है और किसानों ने थिरूपुर पलायन करना आरंभ कर दिया है। महोदय, कोई हल निकाला जाना चाहिये। उनको उदार शर्तों पर ऋण देकर वापस लाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

महोदय, इलायची उत्पादक भी ऋण संकट में फंसे हुये है। उनके खेतों के निकट अच्छी सड़के नहीं हैं। उनको बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि, इलायची से अच्छी विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है फिर भी हम उनको मूल सुविधाएं जैसे बिजली, सड़कें और ऋण नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इलायची उत्पादकों की शोचनीय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध करायें।

महोदय, बजट में सुरक्षित पेयजल, प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, आवासीय सहायता, मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार और सभी गांवों और अस्पतालों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण की सुविधाएं हमारे समाज के कमजोर और दलितों के लिये हैं। इसलिए, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चे की सरकार ने माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम, के नेतृत्व में जो बजट पेश किया है, वह गांवों और देहातों के किसानों की भलाई करने वाला संतुलित बजट है। मैं इस बजट का स्वागत इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि इस बजट में किसानों को सुविधायें देने के बारे में कहा गया है।

यह देश गांवों का देश है। इस बजट में ट्रैक्टर आदि उपकरणों को खरीदने के लिए छूट दी गई है और किसानो को और भी सुविधायें देने के लिए प्रावधान किया गया है। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है। संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा अभी हाल ही में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कराया गया है। जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के बारे में कदम उठाने का काम किया गया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। इस बजट में भी जो शिक्षा के लिए कदम उठाया गया है, हम उसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं। हमारे देश को आजाद हुए पचास साल हो गए हैं और इन पचास सालों में शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी स्थिति है, वह हमारे सामने है। शिक्षा में हम जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, उसमें कहीं-कहीं असंतुलन भी है, इस बारे में मेरा निवेदन है कि इसको सरकार को दूर करना चाहिए और क्षेत्रीय संतुलन बना कर जहां पर भी साक्षरता की दर कम है, जहां पर कम लोग साक्षर है, वहां पर विशेष कार्यक्रम चला कर, उसको पूरा करना चाहिए। मैं आपके जरिए यह बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष शिक्षा पर प्रतिव्यक्ति 96 से 113 रूपये खर्च किए जाते हैं, केरल में 184 रूपये खर्च किए जाते हैं और कर्नाटक में 160 रूपये खर्च किए जाते हैं। आपके जरिए हम चाहेंगे कि जहां पर अधिक खर्च किए जा रहे हैं, उसको और बढ़ाया जाए और जहां पर साक्षरता की दर बहुत नीचे है, उसमें सुधार करना चाहिए। इन राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च बढ़ा कर शिक्षा को ऊपर लाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1950-51 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2 लाख 29 हजार थी और आजादी के बाद विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा यह वृद्धि 5 लाख 73 हजार तक पहुंचा दी गई है।

आज स्थिति ऐसी है कि हम केवल 52 प्रतिशत लोगों को ही साक्षर कर पाए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि लोगों को साक्षर कर देना ही काफी नहीं है, उन्हें शिक्षित करना भी जरूरी है। अभी तक हम 52 फीसदी लोगों में से केवल 18 फीसदी को ही शिक्षित कर पाए हैं। पहले वर्ष से पांच वर्ष तक अगर 100 छात्र विद्यालय जाते हैं तो उनमें से के 63 ही टिक पाते हैं। इसी तरह से पहले वर्ष से आठ वर्ष तक 100 में से 47 छात्र ही टिक पाते हैं। किसी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा हमें इसके कारणों को भी ढूंढना चाहिए और शिक्ष में आमूलचूल सुधार करना चाहिए। सरकार का वायदा सन 2000 तक सबको शिक्षित करने का है। इसलिए हम आपके जरिये यह कहना चाहते हैं कि सरकार को 12 वीं कक्षा तक सबको समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, तभी हम शिक्षा को अच्छा स्वरूप देकर देश का भला कर पाएंगे।

हमारे देश के सामने दूसरा सवाल बेरोजगारी का है। आज हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं तथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते हैं। अशिक्षित बेरोजगारों की संख्या तो और भी ज्यादा है। देश में बेरोजगारों की संख्या दिन-प्रति दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए नौजवानों की यह मांग रही है कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए।

संयुक्त मोर्चे की सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम जो इस सरकार का बना, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के एक प्रमुख सदस्य के रूप में इन्होंने ड्राफ्टिंग की थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को काम

के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने की दिशा में बढ़ना चाहिए।

सरकार की पहले से सुनिश्चित रोजगार योजनाएं हैं। जिनमें जवाहर रोजगार योजना, सघन जवाहर रोजगार योजना है। इसकी तृतीय धारा के द्वारा योजना ली जाती है और आई. आर. डी. पी. में पैसा दिया जा रहा है। कई योजनाएं नयी आ गयी हैं। जवाहर रोजगार योजना के तहत डी. एम. के द्वारा गांव तक पैसे जाते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उसमें पहले की अपेक्षा पैसे कम कर दिए गये हैं, उनको बढ़ाया जाना चाहिए तभी हम अशिक्षित बेरोजगारों का उद्धार कर पायेंगे।

हमारे देश में पीने के पानी और बिजली की समस्या बहुत विकराल है। पानी और बिजली के सवाल को हल करके ही हम बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे।

सरकार की तरफ से जो फिगर्स दिए गए हैं मैं उन्हीं के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि हमारे देश में जंगलों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। भारत में 33 प्रतिशत जंगलों का होना जरूरी है तभी हम पर्यावरण और पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। लेकिन हमारे यहां अब केवल 19.45 प्रतिशत ही जंगल बचे हैं। जब तक जंगल बढ़ाने का काम हम नहीं करते हैं तब तक पर्यावरण और पानी की समस्या से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती हैं । सभी जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं इन्हीं दो चीजों से जुड़ी हुई है। 1995 में मोहन धारिया कमेटी ने कहा था कि 20 वर्षों तक यदि हम 150 लाख हैक्टेयर जंगल बढ़ाने का कार्य करेंगे तभी 35 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। वित्त मंत्री जी ने बजट में एक हजार करोड़ रूपये वन लगाने के लिए दिए हैं, इसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम चिंता व्यक्त करते हैं कि ये जो फीगर्स हैं, उनके मुताबिक एक हजार करोड़ रूपये से 15 हैक्टेयर भूमि में ही जंगल लग पाएंगे। इस प्रकार यह संभव नहीं है। हमें जंगल बढ़ाने के लिए और प्रयास करना चाहिए और माननीय मंत्री जी को इस पर और अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि जंगल लगे, पर्यावरण ठीक हो सके। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ईंधन के रूप में, लकड़ी के रूप में, भोजन और चारे के रूप में प्रत्येक वर्ष चालीस हजार करोड़ रूपये जंगल से आमदनी होती है। चालीस हजार करोड़ रूपये की आमदनी के लिए हम मात्र एक हजार करोड़ रूपये वन लगाने पर लगाते हैं, यह न्यायोचित नहीं है। जितनी इससे आमदनी होती है, उसका आधा हिस्सा बजट पर जरूर लगाना चाहिए। एक हजार करोड़ रूपये की राशि को बढ़ाना चाहिए। जब तक जंगल नहीं बढ़ेगे तब तक हम ठीक ढंग से पानी को मैंटेन नहीं कर पाएंगे।

इसी प्रकार देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का सवाल है। भारत सरकार ने 1956 में पहली बार परिवार नियोजन की नीति बनायी थी। फिर 1976 में इस नीति में संशोधन किया गया था जिस में कुछ कड़ाई बरतने के लिए कहा गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, उस समय एमरजेंसी लगी थी। नीति बदल कर विकृत की गई थी। इसके कारण उस समय की सरकार को जाना पड़ा था। हमारे आपके जैसे बहुत से लोग जेल में बंद हुए थे। उस आंदोलन से एक नई सरकार उभरी थी। एक संशोधन किया गया, जिसमें परिवार नियोजन नाम को बदलकर परिवार कल्याण किया गया। इसके जैसे परिणाम निकलने चाहिए थे, वे नहीं निकले। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में आप भी प्रमुख सांसद के रूप में चुनकर आए थे। 1956 से यह कार्यक्रम चल रहा है लेकिन हमारे देश की आबादी बाढ़ की तरह बढ़ती जा रही है। हमें इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पायी है। यह हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। हमें आबादी बढ़ने की तरफ और अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति यह मानता है कि केवल परिवार कल्याण नाम बदलना ही इसका निदान नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 32 फीसदी लोग ही परिवार कल्याण के कार्यक्रम को अपनाते हैं। जब तक हम प्रबोधन कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, नौजवानों को तैयार नहीं करेंगे, गांवों तक इस कार्यक्रम की भावना को नहीं पहुंचायेंगे तब तक आबादी कम नहीं हो पाएगी।

भारत वर्ष की आबादी 1995-96 में 93 करोड़ 57 लाख के आसपास पहुंच गई है लेकिन चीन की आबादी 122 करोड़ 15 लाख है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में 270 व्यक्ति रहते हैं लेकिन चीन में प्रति वर्ग किलोमीटर में 120 लोग ही रहते हैं। उनकी हम से अधिक आबादी है लेकिन उनका व्यवस्थित कार्यक्रम है। यहां प्रति व्यक्ति जितने कैलोरी भोजन मिलना चाहिए, उतना भोजन उन्हें नहीं मिल पाता। भारतवर्ष में एक व्यक्ति को प्रतिदिन 24, 25 कैलोरी भोजन मिलना चाहिए लेकिन 2100 कैलोरी ही मिल पाता है। कम कैलोरी मिलने के कारण बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। सिम्पिल सर्वे के अनुसार यहां हर तीसरा बच्चा निश्चित वजन से कम पैदा होता है। राज्य सभा के 27 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2259 के अनुसार मैं यह बात आपके सामने रख रहा हूं। बिहार में प्रति हजार व्यक्तियों में 93 व्यक्ति, राजस्थान में प्रति हजार में 60, उत्तर प्रदेश में प्रति हजार में 82 और केरल में प्रति हजार में 32 बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हैं। आबादी के मामले में आबादी घटाओं और जंगल बढ़ाओ का नारा देना चाहिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम युवा जनता दल का संगठन चलाते हैं जिसके तहत 2 अक्तूबर गांधी जयन्ती के दिन से एक रचनात्मक कार्यक्रम लिया है और एक प्रबोधन कार्यक्रम चला रहे हैं कि आबादी घटाओं और जंगल बढ़ाओ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने बहुत कुछ रखना चाहता था लेकिन समय की कमी के कारण संक्षेप में कुछ बिन्दुओं को रख रहा हूं। मैं बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र से आता हूं। उत्तर बिहार नदियों का इलाका है और बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे उत्तर बिहार का दौरा करें। उनको देखने से पता चलेगा कि पिछले दस वर्षो से खरीफ की फसल नहीं हुई है। जो भी विकास का काम होता है, वह बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाता है। यदि सड़कें, रेलवे लाईन, बिजली के

खम्भे बर्बाद हो जाते हैं तो बाढ़ के कारण होते हैं और विकास नहीं हो पाता है। इसलिये हम चाहेंगे कि इसका स्पेशल सर्वे कराया जाये और वहां पर ऐसा प्रावधान कराया जाये कि उत्तर बिहार के किसानों को लाभ मिल सके। जहां पर सारे भारत में नदियों में बाढ़ आने का सवाल है तो रूस में नदियों में बाढ़ आने पर वहां जैसे समस्या का समाधान किया गया है, उसी प्रकार से यहां पर हमारे वित्त मंत्री हम से ज्यादा जानने वाले हैं, वे एक कार्यक्रम बना सकते हैं। रूस में नदियों को गहरा करने का कार्यक्रम लिया गया है। यहां भी नदियों में खुदाई करके उसमें जलमार्ग का निर्माण करायें। इससे बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी और सिंचाई भी हो पायेगी। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां उत्तर बिहार को बर्बाद करती हैं तो इस समस्या का समाधान करने के लिये नेपाल से गत कई वर्षों से वार्ता चल रही है। माननीय वित्त मंत्री इसके लिये रूचि लें और नेपाल-भारत जल आयोग बनाकर तमाम नदियों की समस्याओं का हल करने का काम करें। हमारा सुझाव है कि रूस की तर्ज पर अपने देश में और खासकर उत्तर बिहार के अदवाड़ा समूह की नदियों का जैसे बागमती, कमला बलान, कोसी, गंडक में जल स्टोरेज नहीं होता है क्योंकि उनमें गहराई नहीं है, वहां पर सिल्ट भरने का काम हुआ है, उसकी खुदाई के लिये पैसा दें और उसको गहरा करके उसमें जल मार्ग का निर्माण करायें। इससे बाढ़ पर नियंत्रण तो होगा ही, साथ ही सिंचाई का भी काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम वित्त मंत्री जी का स्वागत करते हैं कि उन्होंने नदियों को गहरा करने के काम के लिये 401 करोड़ रुपया दिया है। जहां तक बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का सवाल है तो उसके लिये इस 401 करोड़ रूपये को 4001 करोड़ रूपये में परिणित कर दिया जाये ताकि उन नदियों को शामिल किया जा सके। आपने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, साबरमती, तुंगभद्रा, ताप्ती, महानन्दा, सतलुज, ब्रहमपुत्र नदियों को शामिल किया है। तो इन नदियों के लिये भी 401 करोड़ रुपयो काफी नहीं है, यह कम है। इसलिए जिन उत्तर बिहार की नदियों का जिक्र किया है, उन पर भी गौर करेंगे। आप अपने जवाब के क्रम में राशि बढ़ाकर उन नदियों को शामिल करेंगे। अदवड़ा समूह की नदियों का कार्यक्रम योजना आयोग के पास लम्बित है जिसे बिहार सरकार ने भेजा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का सवाल आता है। बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी सोनबरसा मुजफ्फपुर-भिटामोड़ मार्ग के लिये विश्व बैंक के सहयोग से बनाने के लिये लिखा है। उत्तर बिहार में रेलवे लाईन उपेक्षित है। रेले बजट भाषण में कहा गया था कि दरभंगा-नरकटियागंज वाया सीतामढ़ी बड़ी रेल लाईन बनाने के लिये और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा भिटामोड़ में नई रेल लाईन बिछाने के लिये सर्वे करा रहे हैं लेकिन जब मैंने संपर्क किया तो बताया गया कि फाईनेशियल कमेटी अप्रूव नहीं कर रही है, इसलिए इस वर्ष नहीं ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री उत्तर बिहार का दौरा करें और उन सवालों को हल कराने का काम करें। हमारे बाढ़ पीड़ित संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी में डुमरा प्रखंड, बाजपटी प्रखंड, पुपरी प्रखंड सुरसड प्रखंड और फिर रीगा प्रखंड सुनिश्चित रोजगार योजना से वंचित है, जिससे वहां पर गरीबों को काम नहीं मिल रहा है। पहले के जो ग्रामीण विकास मंत्री तत्कालीन सरकार में थे, उन्होंने घोषणा की थी कि इसी महीने से लागू करेंगे। वह भी आपके संज्ञान में हम इसलिए ला रहे हैं कि आप उसको कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे। साथ ही हमारे क्षेत्र में पुपरी में जीवन बीमा निगम का कार्यालय खुलने की मांग काफी समय से लंबित है। हमने आपको भी कई बार पत्र लिखा है और कई प्रखंडों में बैंक खुलने का काम भी होना है। ये सब सवाल लिखकर हमने आपके पास भेजे हैं। आपकी कृपा होगी तो आप उन सवालों पर उत्तर बिहार के संदर्भ में गौर करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ गरीबों के पक्षों में और किसानोन्मुखी बजट जो मंत्री जी ने पेश किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और आपको शानदार बधाई देते हैं और चाहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और इसी प्रकार से उत्तर बिहार के सवालों को समेटकर वहां का दौरा करने का आश्वासन आप देंगे और वहां बाढ़ की जो समस्या है उसका निदान करके एक स्पेशल रबी कार्यक्रम वहां चलाने की कृपा करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने गांव के लायक और किसानोन्मुखी संतुलित बजट पेश किया, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 सितम्बर, 1996 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

अपराह्न 8.42 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 2 सितम्बर, 1996/11 भाद्र, 1918 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।